# आज की हिन्दी

संपादक
सुरेश कुमार जिन्दल
फूलदीप कुमार

रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र (डेसीडॉक)
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ)
रक्षा मंत्रालय, मेटकॉफ हाउस, दिल्ली

आज की हिन्दी
सुरेश कुमार जिन्दल
फूलदीप कुमार

# आज की हिन्दी

# आज की हिन्दी

## सम्पादक

सुरेश कुमार जिंदल

फूलदीप कुमार

**प्रकाशक**

रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ)
रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र (डेसीडॉक)
मेटकॉफ हाउस, दिल्ली

**डी आर डी ओ विशेष प्रकाशन श्रृंखला**
**आज की हिन्दी**
**द्वारा रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र (डेसीडॉक), दिल्ली**

**श्रृंखला सम्पादक**

**सम्पादक**
सुरेश कुमार जिन्दल
फूलदीप कुमार

**मुद्रण**
एस के गुप्ता
हंस कुमार

**सम्पादकीय सहायक**
अशोक कुमार

**विपणन**
आर पी सिंह

**आई एस बी एन 978-81-86514-47-4**

**© 2013 सर्वाधिकार सुरक्षित, डेसीडॉक, मेटकॉफ हाउस, दिल्ली**

इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में स्वीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश को फोटोकॉपी एवं रिकार्डिंग सहित इलैक्ट्रॉनिक अथवा मशीनी, किसी भी माध्यम से, अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनः प्रयोग की प्रणाली द्वारा किसी भी रूप में, आंशिक या पूर्ण रूप से, पुनरूत्पादित, संचारित तथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

इस पुस्तक में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता का उत्तरदायित्व पूर्णतः संबंधित लेखकों का है। आलेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण लेखकों की निजी अभिव्यक्ति हैं। डेसीडॉक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

**रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र (डेसीडॉक), डी आर डी ओ, मेटकॉफ हाउस, दिल्ली–110 054 द्वारा अभिकल्पित एवं प्रकाशित।**

# भूमिका

भारत की भाषायी स्थिति और उसमें हिंदी के स्थान को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। हिंदी की विशेषता यह है कि इसे सीखना और व्यवहार में लाना अन्य भाषाओं के अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक और आसान है। हिंदी भाषा विभिन्न लोक भाषाओं की विशेषताओं से संपन्न है, जिससे वह दूसरी भाषाओं में शब्दों, वाक्य–संरचना और बोलचालजन्य आग्रहों को स्वीकार करने में समर्थ है। इसके अलावा ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी में आज विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य लाया जा चुका है। हाल ही में हुए अनुसंधान इस ओर इशारा करते हैं कि हिन्दी विश्व की सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषाओं में प्रमुख है। अन्य भाषाएं जहां मृतप्राय होती जा रही हैं, वहीं हिन्दी विश्व पटल पर अपने पांव पसारती जा रही है।

इलैक्ट्रॉनिक संचार–माध्यम और कम्प्यूटर आदि के उपयोग में हिंदी ने धीरे–धीरे अपनी जगह बना ली है। आज विश्व की अनेक भाषाओं से हिन्दी में कम्प्यूटरीकृत अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ऐसे उपकरण भी उपलब्ध हो रहे हैं, जिनसे आप ध्वनि माध्यम से टंकण कार्य कर सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक **आज की हिन्दी** में अनुवाद, विभिन्न राष्ट्रों में हिन्दी की स्थिति, लिपि विज्ञान, सरकारी क्षेत्र में हिन्दी के उपयोग, सांस्कृतिक परिवेश में हिन्दी, हिन्दी में नवीन तकनीकी प्रयोग, तथा तकनीकी लेखन पर विभिन्न आलेखों को संकलित किया गया है। ये आलेख डी आर डी ओ द्वारा 05–07 दिसंम्बर 2013 के दौरान विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान नामक विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु प्राप्त आलेखों से चयनित किए गए हैं।

आशा है कि उच्च कोटि के भाषाविदों, वैज्ञानिकों एवं अकादमिकों के इन आलेखों से नवीन जानकारी उभरकर आएगी। यह पुस्तक सुधि पाठकों को हिन्दी की वर्तमान स्थिति का बोध कराने में सफल सिद्ध होगी।

सुरेश कुमार जिंदल

फूलदीप कुमार

# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | आलेख का शीर्षक | लेखक का नाम | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुवाद के नियम–अनियम | अमृत मेहता | 01 |
| 2. | हिन्दी का वर्तमान और भविष्य की दृष्टि | ओम विकास | 09 |
| 3. | लिपि–साहित्य–संस्कृति–शिक्षा | ओम विकास | 15 |
| 4. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अनुपम देन–हिन्दी ब्लागिंग | दिनेश भट्ट | 21 |
| 5. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र और हिन्दी | जी शान्ति एवं अबिरामी इल्लम | 25 |
| 6. | अनुवाद का महत्व तथा सार्थकता | फूलदीप कुमार एवं जगदीप कुमार | 28 |
| 7. | विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान–हिन्दी भाषा के परिप्रेक्ष्य में | सी आर राजश्री | 31 |
| 8. | हिंदी के प्रसार में अनुवाद की भूमिका | श्रीनारायण सिंह | 34 |
| 9. | www.हिन्दी.com | प्रणव शास्त्री | 40 |
| 10. | राजभाषा हिंदी–उद्भव तथा विकास के चरणः एक विश्लेषण | चन्दा आर्य | 45 |
| 11. | राजभाषा हिन्दी और देश का वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास | स्वामी प्यारी कौड़ा | 55 |
| 12. | भाषा की खूबियाँ | अरुण कुमार झा | 61 |
| 13. | संपर्क भाषा हिंदी का देश में स्थान | कैलाश चन्द्र मठपाल | 65 |
| 14. | देवनागरी लिपि और सूचना प्रौद्योगिकी | विजय प्रभाकर नगरकर | 71 |
| 15. | राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगति के वैश्विक परिदृश्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का योगदान | अमित शुक्ल | 83 |
| 16. | स्पेन में हिन्दी की व्यावहारिक समस्याएँ | विजयकुमारन सी पी वी | 89 |
| 17. | संभावनाओं और संवेदनाओं के कवि धूमिल | प्रणव शास्त्री | 94 |
| 18. | अनूठे अज्ञेय | प्रणव शास्त्री | 101 |
| 19. | हिंदी भाषा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृत | अजय कुमार मिश्र | 105 |
| 20. | जापानी आरंभिक शिक्षणार्थियों के लिए अधिक विकसित हिंदी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए कुछ सुझाव | मिकि निशिओका एवं चैतन्य प्रकाश योगी | 111 |
| 21. | राजभाषा हिन्दी के अन्तर्विरोध | राम प्रताप सिंह | 116 |
| 22. | राजभाषा हिन्दी में तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान | अन्जु पांचाल | 120 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | राजभाषा का सफल कार्यान्वयन | अशोक कुमार बिल्लूरे | 124 |
| 24. | राजभाषा की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएँ | कौस्तुभ मणि दिवेद्वी | 130 |
| 25. | विश्व–प्रगति में भाषा प्रौद्योगिकी और तकनीक की भूमिका | बृजेश कुमार यादव, ओमप्रकाश प्रजापति तथा कालु लाल कुलमी | 134 |
| 26. | हिन्दी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर | फूलदीप कुमार एवं विजय वर्मा | 138 |
| 27. | विज्ञान–लघुकथा | जे एच आनन्द | 140 |
| 28. | वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन | मीनाक्षी गौड़ | 142 |
| 29. | विज्ञान के प्रसार में वैज्ञानिक अनुवाद की भूमिका : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में | हेमचन्द्र पाँडे | 147 |
| 30. | रूस में हिंदी भाषा और साहित्य का विस्तारः नया अनुसंधान | इंदिरा गाजिएवा | 152 |
| 31. | विश्व की प्रगति में राजभाषा के विकास में जन संचार माध्यम का योगदान | एन दालय्या | 157 |
| 32. | वैज्ञानिक प्रस्थापनाएं और आधुनिक हिंदी काव्य | रोहित सिंह एवं आशीष कुमार शुक्ला | 162 |
| 33. | शैक्षणिक मूल्यांकन और हिन्दी | रेखा अग्रवाल | 174 |
| 34. | हिन्दी सॉफ्टवेयरों का विकास और उनकी कार्यक्षमता | वीरेश कुमार | 178 |
| 35. | राजभाषा हिन्दी की राष्ट्रीय कामकाज में अनिवार्यता | चन्द्रमोहन | 181 |
| 36. | भाषा–शिक्षण एवं भाषा प्रौद्योगिकी | नितीन कुमार जानबाजी रामटेके | 185 |
| 37. | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हमारी हिन्दी | रानू अग्रवाल एवं अमरकांत पाण्डेय | 188 |
| 38. | राजभाषा आंदोलन के समानांतर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का विज्ञान के क्षेत्र में योगदानः एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण | राकेश कुमार दूबे | 191 |
| 39. | कृषि अनुसंधान संस्थानों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग और पारिभाषिक शब्दावली | संतराम यादव | 197 |
| 40. | प्रौद्योगिकी और राजभाषा हिन्दी | सरिता शुक्ला एवं अनिता | 204 |
| 41. | देवनागरी लिपि बनाम रोमन लिपिः एक तुलनात्मक दृष्टि | एस बी प्रभुदेसाई | 207 |
| 42. | राजभाषा से संबंधित रचनाएँ | गीतांजली पुरी | 210 |
| 43. | वैश्विक परिदृश्य में राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम | विष्णु कुमार अग्रवाल | 212 |
| 44. | राजभाषा हिन्दी आवश्यकता, उपयोगिता तथा सरल बनाने के लिए कुछ सुझाव | कामिनी | 217 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45. | वैश्विक समाज में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता | सुधा रानी सिंह | 219 |
| 46. | संवैधानिक दायित्व और राजभाषा हिंदी | अखिलेश गौड़ | 222 |
| 47. | हिन्दी का साहित्यिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं वैधानिक स्वरूपः अतीत और वर्तमान परिदृश्य | श्याम किशोर वर्मा एवं बी यू दुपारे | 224 |
| 48. | रक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में राजभाषा हिंदीः स्थिति और सम्भावनाएँ | राज बहादुर | 240 |
| 49. | सूचना प्रौद्योगिकी और देवनागरी लिपि | अंतरिक्ष | 244 |
| 50. | हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन | घनश्याम तिवारी | 248 |
| 51. | राजभाषा हिंदी का स्वरूप–चुनौतियां और संभावनाएं | प्रदीप कुमार अग्रवाल | 251 |
| 52. | विश्व भाषा के रूप में हिंदी की बढ़ती प्रतिष्ठा | वीरेंद्र शर्मा | 257 |
| 53. | 'हिन्दी' भारत के भाल की बिन्दी या राष्ट्रभाषा हिन्दी | प्रमिला शाह | 261 |
| 54. | राजभाषा हिंदी के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान | अशोक द्रोपद गायकवाड | 264 |
| 55. | प्रयोजन मूलक हिन्दी में वैज्ञानिक तकनीकी प्रौद्योगिकी का भाषिक प्रयोग | फ़िरोज़ा जाफ़र अली | 269 |
| 56. | राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास | प्रवीण कांबले | 274 |
| 57. | बहुभाषिता और बहुसांस्कृतिकता के लाभ | रमेश जोशी | 278 |
| 58. | वैश्विक हिन्दीः एक परिदृश्य | विजया सती | 281 |
| 59. | राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में डेसीडॉक का प्रयास | सुरेश कुमार जिंदल, फूलदीप कुमार तथा अशोक कुमार | 285 |
| 60. | चिराग तले अँधेरा | जनार्दन अग्रवाल | 298 |
| 61. | वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजभाषा हिन्दी अनुप्रयोग : स्वरुप और दिशा | रेखा रानी कपूर एवं फूलदीप कुमार | 303 |
| 62. | भारत की राज भाषा के रूप में हिन्दी | रणविजय आनन्द एवं फूलदीप कुमार | 309 |

# अनुवाद के नियम–अनियम

अमृत मेहता

*संपादक, सार संसार, जर्मनी*

अनुवाद के अनेकों पहलू होते हैं। हर अनुवाद अपनी नयी समस्याएं ले कर आता है, अनगिनत समस्याएं। इस हल्के–फुल्के आलेख में मैं स्वयं के अनुभवों पर आधरित कुछ समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। हर समस्या को इस आलेख में नहीं समेट पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डाल सकूं।

मेरी दो मातृ भाषाएं हैं, पंजाबी मेरी मातृ भाषा है, हिंदी मेरी मातृ भाषा है। भाषाविज्ञान में भाषा$_{1,}$ भाषा$_2$ अर्थात $L_1$ और $L_2$ की जो परिभाषा है, उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया है कि मेरी $L_1$ कौन सी है, और $L_2$ कौन सी है। पंजाबी मैं बचपन से घर में, पड़ोस में, स्कूल में बोलता रहा था। हिंदी मेरी स्कूल की भाषा$_1$ थी, जहाँ मैं इस भाषा में अपने अध्यापकों से बात करता था। फिर अंग्रेज़ी आ गयी, जिसे अधिकांश शिक्षित भारतीय अपनी भाषा$_2$ मानते हैं; महानगरों में इस भाषा को $L_1$ मानने वालों की भी कमी नहीं है। खैर, अनुवादक के रूप में अंग्रेज़ी से अथवा अंग्रेज़ी में अनुवादों के सन्दर्भ में मेरा गाहे–बगाहे अंग्रेज़ी से सरोकार रहा है। भारतीय सन्दर्भ में यह सरोकार सरकारी नीतियों द्वारा हम पर थोपी गयी मजबूरियों की वजह से अधिक रहा है, तथापि मेरे लिए अंग्रेज़ी $L_4$ अर्थात भाषा$_4$ रही है।

मैं बात भाषा$_1$ की कर रहा था। सामान्यतः किसी व्यक्ति द्वारा घर में मां से सीखी गयी और गली–मोहल्ले में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा $L_1$ होती है। लेकिन मुझे यह मालूम होते–होते बहुत समय लगा कि मेरे मामले में यह सिद्धांत सही नहीं बैठता। जीवन के प्रारम्भिक 10–12 वर्षों में मेरी लगभग एकमात्र भाषा पंजाबी ही थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया, जब मैनें पाया कि पंजाबी मेरी मातृ भाषा तो ज़रूर है, लेकिन $L_1$ अर्थात भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा$_1$ नहीं है। यह सच्चाई मुझ पर 'अनुवाद' ने प्रकट की।

अनुवाद के क्षेत्र में, जहां मेरी मुख्य धारा जर्मन–हिंदी अनुवाद है, मैनें कई बार, यूं ही, अपनी दो मातृ भाषाओं से आपस में अनुवाद करने की कोशिश की, और मैंने पाया कि मैं हिंदी से पंजाबी में अनुवाद उतनी आसानी से नहीं कर पाता, जितनी आसानी से पंजाबी से हिंदी में कर लेता हूँ, यह मामूली सा अनुभव अनुवाद के शाश्वत सिद्धांत की पुष्टि करता है कि ''मातृ भाषा ही अनुवाद की लक्ष्य भाषा हो सकती है।'' और चूंकि मुझे जिस लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने में सहजता अनुभव होती है, वही मेरी मातृ भाषा है, और चूंकि मेरी दो मातृ भाषाएँ हैं, तो मैं अपने ''सहज–अनुवाद–अनुभव'' के आधार पर कह सकता हूँ कि हिंदी मेरी भाषा$_1$ और पंजाबी मेरी भाषा$_2$ है।

लक्ष्यभाषा मातृ भाषा होने के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए अनुवादक की पहली समस्या का समाधान तो यहीं हो जाता है कि मातृ भाषा को ही लक्ष्य भाषा बनाना है, दूसरी भाषा को नहीं, अगर दूसरी भाषा को लक्ष्यभाषा बनाना ही है तो दूसरी भाषा जिस की मातृभाषा है, उसकी मदद लेनी है।

इसी सन्दर्भ में मैं हर भारतीय भाषा से अंग्रेज़ी में हो रहे साहित्यिक अनुवादों पर टिपण्णी करना चाहूँगा कि अपनी $L_1$ अंग्रेज़ी बताने वाले भारतीय भी कभी किसी विदेशी भाषा से अंग्रेज़ी में साहित्य का

अनुवाद करने का साहस नहीं जुटा पाए, क्योंकि इन अनुवादों पर नज़र रखने वाले अंग्रेज़ी भाषा–भाषी उनमें हज़ारों खामियां ढूंढ लेंगे। ऐसे कई आलोचनात्मक लेख मैं पढ़ भी चुका हूँ, जिनमें अँगरेज़ भारतीय भाषाओं से भारतीयों द्वारा किये गए अंग्रेज़ी अनुवादों की बखिया उधेड़ चुके हैं। अंग्रेज़ी में मूल लेखन और बात है, जो काम अनेकों इन्डो–एंगलियन लेखक अंजाम दे चुके हैं, और बुकर तथा नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं, लेकिन अनुवाद स्वयं की कल्पना की उड़ान नहीं होती, जिसे जहां चाहे मोड़ लिया जाए, अतः यह प्रमाणित सत्य है कि कोई भी भारतीय अपने सर पर विदेशी साहित्य का अंग्रेज़ी या किसी अन्य विदेशी भाषा में अनुवाद नहीं करता। जहां तक भारतीय भाषा साहित्य के अंग्रेज़ी में अनुवाद का प्रश्न है, वे अनुवाद भारत में एक विशेष वर्ग के लिए किये जाते हैं, अंग्रेजों–अमरीकनों के लिए नहीं। यह सत्य है कि अंग्रेज़ी में किये गए ऐसे अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य के मध्य सेतु का काम भी करते हैं, लेकिन यही काम हिंदी बख़ूबी अंजाम दे सकती है, परन्तु असंगत सरकारी नीतियों के कारण भारत में साहित्यिक अनुवाद की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का वर्चस्व बना हुआ है।

यह अनुवाद की समस्या नंबर 2 है, जो सिर्फ़ भारत पर लागू होती है, खास कर भारतीय भाषाओँ से और में अनुवाद करने वालों पर। यह कहते हुए मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं साहित्यिक अनुवादों की बात कर रहा हूँ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवादों में समस्याएं ना के बराबर होती हैं, हालांकि सफल वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवादकों के लिए ऐसे अनुवाद नितांत अर्थकारी सिद्ध हो रहे हैं। इन अनुवादों के लिए मुख्यतः मूल भाषा की व्याकरण का ज्ञान ही पर्याप्त है। 90 प्रतिशत यूरोपीय भाषाओँ की 90 प्रतिशत तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली लातिन तथा ग्रीक से है, अर्थात लगभग हर यूरोपीय भाषा में वह सामान रूप से पाई जाती है। शेष बची 10 प्रतिशत शब्दावली के अर्थ तकनीकी शब्दकोशों में खोजे जा सकते हैं।

अनुवाद की समस्याओं में कुछ मुख्य मुद्दों पर विवेचन करें। यह सर्वविदित है कि साहित्यिक अनुवादों में दो तरह की समस्याएं पेश आती है, (क) भाषिक, और (ख) गैर–भाषिक, अर्थात सांस्कृतिक. वास्तव में किसी विदेशी भाषा से साहित्य का अनुवाद करना एक संस्कृति का अनुवाद करना होता है। कई बार यह भी होता है कि भाषिक समस्या के साथ ही सांस्कृतिक समस्या भी जुड़ी होती है, लेकिन साहित्यिक अनुवादों में वास्तविक समस्या एक इतर संस्कृति का मातृ भाषा में अनुवाद ही है। इस सन्दर्भ में एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अथवा एक यूरोपीय भाषा से दूसरी यूरोपीय भाषा में साहित्यिक अनुवाद इतने कठिन नहीं माने जायेंगे। भाषिक स्तर पर भारतीय आर्य–भाषाओँ में परस्पर अनुवाद अपेक्षाकृत अत्यंत सरल बन पड़ते हैं, क्योंकि उनके व्याकरण तथा वाक्य–विन्यास लगभग सामान होते हैं; और सांस्कृतिक स्तर पर–चाहे विघटनवादी कुछ भी कहते रहें– भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं एक सूत्र में पिरोई हुई है, और राष्ट्रीय स्तर पर जनमानस में भावात्मक एकता की प्रबल प्रत्याशा के कारण एक दूसरे की संस्कृति को प्रादेशिक स्तर पर समझना एक सहज प्राकृतिक प्रक्रिया बन चुकी है। इस निबंध में मैं 'परायी' संस्कृतियों के अनुवाद में समस्याओं के बारे में कुछ कहूँगा। 'परदेसी' या 'विदेशी' संस्कृति कहने से अर्थदोष की संभावना रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान जैसे देशों की संस्कृति विदेशी होते हुए भी पूर्णरूपेण परायी नहीं है।

इन परायी संस्कृतियों के अनुवाद में भाषिक स्तर पर भी कठिनाइयाँ बहुत अधिक हैं, लेकिन एक बार भाषा पर अधिकार प्राप्त कर चुकने के बाद यह मुश्किल तो आसान हो जाती है, मगर संस्कृति के अनुवाद में अनुभवी से अनुभवी अनुवादक को भी नित नयी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और हर बार कोई नया समाधान खोजना पड़ता है। अनुवाद में मेरी मुख्य स्रोत भाषा जर्मन रही है, और मूल भाषा हिंदी रही है, अतः मैं अपने निज के अनुभवों के आधार पर इन से जुड़ी समस्याओं का

कुछ हद तक विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। और चूंकि पीटर न्यूमार्क की तरह मैं इस सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ कि अनुवाद पर लिखते या चर्चा करते हुए बिना उदाहरणों के सैद्धांतिक प्रतिपादन निरर्थक रहता है, अतः मैं अपने कथनों की पुष्टि के लिए उदाहरणों का सहारा लूँगा, जिनमें स्रोत भाषा जर्मन का भी समावेश होगा. कोशिश रहेगी कि कहीं अर्थ के साथ, और कहीं बिना अर्थ बताए, या अंग्रेज़ी के माध्यम से, आप मेरे कथन का तत्व समझें।

भाषिक समस्याओं पर अब बात नहीं करूँगा, उन्हें सुलझाने के लिए अभ्यास तथा सहज प्रतिक्रिया कि आवश्यकता है, लेकिन जर्मन सर्वनामों से जुड़ी एक–दो ऐसी भाषिक समस्याओं का ज़िक्र करूँगा, जहां भाषा और संस्कृति परस्परव्यापी हैं। जैसे जर्मन सर्वनामों Sie और Du के मामले में- "Sie" का हिंदी समानार्थ है ''आप'' तथा "Du" का हिंदी समानार्थ है ''तू'' अथवा ''तुम'' अंग्रेज़ी में इसके लिए एक ही शब्द हैः you. अंग्रेज़ी में सभी के लिए एक जैसा संबोधन होने से अंग्रेज़ी से अनुवाद का काम आसान हो जाता है, लेकिन हिंदी के लिए और मेरे विचार से भारत की अधिकांश भाषाओँ में इस सर्वनाम तथा इसके रूपांतरों जैसे तेरा, आपको, तुमसे इत्यादि का अनुवाद एक कठिन समस्या बन जाती है. जर्मन में ''आप'' और ''तू'' अर्थात "Sie" तथा "Du" में भेद सम्बोधानकर्ता की मध्यम पुरुष से अन्तरँगता पर निर्भर करता है, भारत में बच्चे अपने माता–पिता तथा अध्यापक को ''तू'' कह कर संबोधित नहीं करते, नौकर अपने मालिक को, मातहत अपने अफसर को ''आप'' ही कहता है इत्यादि. जर्मन में ''तू'' और ''आप'' कहने के भिन्न मापदंड हैंः वहाँ माता–पिता और बच्चे, अध्यापक और छात्र, मातहत और अफसर सभी एक दूसरे को ''तू'' कह कर संबोधित कर सकते हैं, अगर घनिष्ठता हो, और ''आप'' भी कहते है, अगर घनिष्ठता ना हो। वहीं भारतीय भाषाओँ में ''तुम'' की इन तीन श्रेणियों के आधार प्रभुत्व, विशेषाधिकार, निरंकुशता तथा संस्कृति मूलक आदर जैसे प्रतिमान हैं। जर्मन से "Sie" या "Du" का अनुवाद करने के लिए अनुवादक को कथानक के साथ–साथ पात्रों के परस्पर संबंधों की, उनके मानस की, थाह लेनी पड़ती है, और तभी वह जा कर इस छोटी सी दिखने वाली बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। इसी तरह सर्वनाम ''मैं'' को लें। ''मैं'' के लिए जर्मन शब्द है ''ich". यह समस्या जर्मन के साथ भी वैसे ही है, जैसे अंग्रेज़ी के साथ हैं। सिर्फ़ "I" से उत्तम पुरुष का लिंग पता नहीं चलता। कई बार किस्सा खत्म हो जाता है, तब भी नहीं। हिंदी में ''मैं'' से लिंग पता नहीं चलता, लेकिन क्रिया के रूपांतर से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य लेते है, "I lived in a small city" इसके हिंदी अनुवाद में तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि ''मैं एक कस्बे में रहता था'' या ''रहती थी'''। निर्णय लेना ज़रूरी है। लेकिन जर्मन या अंग्रेज़ी में आगे कहीं संकेत हो तो तभी मालूम पड़ता है कि पात्र पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग है। लेकिन कई बार मालूम नहीं पड़ता. इन्गेबोर्ग बाख्मन की एक कथा है "Jugend in einer österreichischen Stadt" (एक आस्ट्रियाई नगर में बचपन), निकोल म्युलर की एक कथा है, "Nasenbluten" जिनमें कथक उत्तम पुरुष है, और अंत तक कहीं कोई संकेत नहीं है कि पात्र पुरुष है या स्त्री. अब चूंकि कथाएँ महिला कथाकारों द्वारा लिखी गयी है, अतः अनुवादक ने (मैंने) स्वेच्छा से मुख्य पत्र को नारी माना है, अर्थात समस्या का समुचित समाधान फिर भी नहीं हुआ।

भाषिक समस्याओं पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कहा गया है, भाषा पर अधिकार पा लेने के बाद उन पर सहजता से पार पाया जा सकता है। मगर संस्कृति से सम्बन्धित समस्याओं का कोई अंत नहीं होता। सांस्कृतिक भेद दो भिन्न संस्कृतियों के इतिहास, पौराणिकी, धर्म, जलवायु, राजनीतिक परिदृश्य, सामजिक आचरण, आर्थिक स्थिति इत्यादि भिन्न होने की वजह से होते हैं। अनुवाद–विज्ञानी यूजीन नाईडा ने अनुवाद की दृष्टि से संस्कृति को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ये हैंः 1. पारिस्थितिक संस्कृति, 2. भौतिक संस्कृति, 3. सामाजिक संस्कृति, 4. धार्मिक संस्कृति, और 5. भाषिक संस्कृति, किसी भी अनुवादक के लिए यह आवश्यक है की वह मूल संस्कृति के इन तत्वों

तथा इतिहास इत्यादि से भली–भाँति परिचित हो, वर्ना अनुवाद में हमेशा कहीं ना कहीं ग़लतफ़हमी होने का डर रहता है। सबसे पहले मैं नाईडा के वर्गीकरण को आधार बना कर एक–एक उदहारण पारिस्थितिक, भौतिक, सामाजिक तथा धार्मिक संस्कृतियों से दूंगा। भाषिक संस्कृति पर विस्तार से कुछ कहूँगा।

**पारिस्थितिक संस्कृतिः Ein sonniger Tag heute! (A sunny day today!)**

इस एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करने के लिए जर्मनी तथा भारत की जलवायु में विषमता को दृष्टिगत रखना होगा। यूरोप में लोग धूप के लिए तरसते हैं तो भारत में बादल को और बरखा को! जर्मनी तथा भारत में अलग–अलग बोले जाने पर इस वाक्य के अर्थ भी अलग–अलग होंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मूल भाषा जर्मन से अनुवाद करते हुए भारतीय अनुवादक को जर्मनी के ठन्डे मौसम को मद्दे नज़र रखते हुए इसका अर्थ उसी दृष्टि से निकालना है, जैसे कि एक जर्मन पाठक निकालेगा, अर्थात ''कितनी प्यारी धूप खिली हुई है!'' हाँ, अगर कथानक में पृष्ठभूमि काश्मीर अथवा हिमाचल जैसे पर्वतीय स्थलों की है तो फिर शब्दशः अनुवाद किया जा सकता है।

**भौतिक संस्कृति** के लिए मैं क्रिस्टीने फिशर के उपन्यास "Die lange Zeit" से एक वाक्य लूँगाः "Im RTL Plus 'Reich und schön*"- यहाँ अनुवादक के लिए जर्मनी की भौतिक संस्कृति का ज्ञान अत्यावश्यक है, वर्ना अनुवाद एक भारी समस्या बन सकती है. पहले तो उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि "RTL Plus" एक जर्मन टीवी चैनल है।"Reich und schön" एक सीरियल का नाम है, जिसका शाब्दिक अनुवाद होगा ''संपन्न एवं सुन्दर'', वास्तव में यह एक अमरीकी सीरियल है, जिसे डब करके जर्मनी में "Reich und schön" के नाम से दिखाया गया था। अनुवादक को मालूम होना चाहिए कि यह वास्तव में वही "Bold and beautiful" है, जिसका जर्मन नाम कुछ और है, जो भारत में भी स्टार टीवी पर "Bold and beautiful" के नाम से दिखाया जा चुका, और फिर इसका अनुवाद अंग्रेज़ी में ही किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ी सीरियल देखने वाले भारतीय दर्शक इसके "Bold and beautiful" नाम से परिचित हैं।

**धार्मिक संस्कृति** में मैं स्विट्ज़रलैंड से एक उदहारण दूंगा। स्विस–लोगों को शेष यूरोप वाले, कभी–कभी, उनका मजाक उड़ाने के लिए, Kuhschweizer कह देते हैं। इसका शाब्दिक अनुवाद होताः 'cow-swiss' अर्थात ग्वाले–स्विस, क्योंकि घड़ियों, बैंकों तथा चाकलेटों के अलावा स्विट्ज़रलैंड गायों के लिए भी मशहूर है। चूंकि स्विस–लोगों को ग्वाला कहने के पीछे उनका मजाक उड़ाना है कि वे अपरिष्कृत हैं, अभी तक गाएं–भैंसें चराते हैं। अतः हिंदी में भी वही मंशा उभरनी चाहिए, जो उन्हें ग्वाला कहने से नहीं उभरेगी। यदुवंशी कृष्ण को भी गोकुल का ग्वाला कहा जाता है, अतः भारत में इस शब्द के साथ एक धार्मिक संपृक्तार्थ जुड़ जाता है, जो सकारात्मक है, अतः शाब्दिक अनुवाद में नकारात्मकता का तत्व मिट जाएगा। अतः भारत की धार्मिक संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए इसे ''गंवार स्विस'' में बदला जा सकता है, जिससे कथन का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता।

**सामाजिक संस्कृति** में अंग्रेज़ी के संबोधन "Ladies and Gentlemen" की बात करूँगा, जिसे जर्मन में "Meine Damen und Herren" कहते हैं, और जिसका शब्दानुवाद होगा ''मेरी महिलाओं और सज्जनो''; हिंदी में ऐसा संबोधन हास्यास्पद लगेगा। वैसे इससे मिलता–जुलता ''देवियो और सज्जनो'' तो हिंदी में है, लेकिन अधिक प्रचलित ''भाइयो और बहनो'' है।

चूँकि सामाजिक आचरण में भारतीय जन जल्दी ही रिश्ते कायम कर लेते हैं। अतः रिश्तों में उनकी सीमा uncle, aunty ;k cousion तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर रिश्ते को एक सुनिश्चित नाम दिया जाता है, जैसे चाचा, चाची, बुआ, मौसा, ममेरा भाई, फुफेरी बहन, ताऊ इत्यादि। इसलिए यदि जर्मन में कहीं Onkel(uncle), Tante (aunt), Vetter (cousion), Schwager (brother-in-law)

जैसे शब्द आ जाते हैं तो अनुवादक के लिए एक सिरदर्दी बन जाती है। यदि पाठ में रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया गया है तो या तो रिश्ते को युक्ति लगा कर खोजा जाता है, या झूठमूठ कुछ भी लिख दिया जाता है।

**भाषिक संस्कृति** पर मैं कई उदाहरण देना चाहूँगा, लेकिन उसमें परस्परव्यापी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। हर भाषा का अपना एक चरित्र होता, जो उसे बोलने वाले समाज की संस्कृति के साथ जुड़ा होता है। हिंदी में कभी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को mein liebes kleines Kind अर्थात ''मेरी प्यारी छोटी बच्ची'' नहीं कहेगा। यहां तक कि आजकल तो ''प्रिय'' या ''प्यारी'' कहने का भी रिवाज नहीं रहा. इसके लिए उर्दू शब्द ''जान'' का यदा–कदा प्रयोग होता है, अथवा अंग्रेज़ी ''डार्लिंग'' का, क्योंकि बोलचाल की भाषा में ''प्रिय'' अथवा ''प्यारी'' अप्रचलित बन चुके हैं। हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं, जो स्त्रियां अपनी जुबां पर नहीं लातीं. जर्मन में किसी स्त्री द्वारा प्यार से कहा गया "Ein albernes Geschlecht, diese Männer** अर्थात "a foolish specy, these men" को एक भारतीय नारी संदर्भानुसार ''ये मर्द भी बड़े वो होते हैं'' कहेगी। यूरोपीय स्त्री–पात्र की भी मंशा यूंरा जोयफेर के नाटक “Die Broadway Melodie” में यही कहने की थी, अर्थात ''ये मर्द बड़े बदमाश होते हैं''। वैसे ही, कोई अपनी प्रेमिका को „Mäuschen” अर्थात ''चुहिया'' नहीं कहेगा, हाँ मजाक में ''मेरी कबूतरी'' ज़रूर कह सकता है, और वही "Mäuschen” का हिंदी पर्याय होगा, जिसे जर्मन में "Täubchen" के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

हिंदी में बड़े और छोटे वर्ण नहीं होते। अंग्रेज़ी में ''I” अर्थात ''मैं'' बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे में यदि कोई प्रश्न करे कि क्या आपका ''मैं'' बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता तो स्वाभाविक है कि हिंदी ''मैं'' को उद्धरण–चिन्हों में लिखा जाएगा या मोटे अक्षरों में यह प्रश्न यूंरा जोयफेर के नाटक ''कोलंबस'' में कोलंबस के सिपाहियों ने अमरीकी इंडियनों से पूछा था। इसी सन्दर्भ में याद आता है कि क्लौद लेवी त्रौस के एक लेख के हिंदी अनुवाद में जगह–जगह पर अमरीका के मूल वासियों अर्थात इंडियंस का हिंदी अनुवाद ''भारतीय'' के रूप में किया गया है, जैसे पेरू के भारतीय, सालिश भाषा मूल के भारतीय, थोम्पसन भारतीय, क्वाकुल भारतीय, इत्यादि। वास्तविकता तो यही है कि अमरीका के मूलवासी भारतीय नहीं थे, लेकिन कोलंबस तथा उसके सिपाहियों की नज़रों मे वे भारतीय थे। लेकिन आज तो सभी जानते हैं कि वे भारतीय नहीं, बल्कि माया, इंका जैसी संस्कृतियों की अपाचे, मोहाक, सेनेका, कायुगा इत्यादि जातियों के सदस्य थे, अतः अंग्रेज़ी से उन “Indians” का अनुवाद भारतीय के रूप में करना असंगत होग। उन्हें हिंदी में “Indian” ही कहा जा सकता है, जैसे कि उन्हें अमरीका और कनाडा में कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में भारतीयों को “Indian” नहीं कहा जाता. ''कोलंबस'' में भिन्न–भिन्न स्थलों पर इस शब्द का अनुवाद संदर्भानुसार कभी ''इंडियन'', कभी ''भारतीय'' और कभी ''हिन्दुस्तानी'' के रूप में किया गया है।

कई बार एक ही शब्द का भिन्न–भिन्न स्थितियों में अलग–अलग तरह से अनुवाद करना पड़ता है। उदाहरणतः जर्मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के पीछे दृबीमद (शेन) लगाने से वह अल्पार्थी बन जाता है, आम तौर पर इस प्रत्यय का प्रयोग प्यार जताने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी–कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए भी किया जाता है, और खुशामद करने के लिए भी किया जाता है। कोलंबस के एक धूर्त मैनेजर वेंद्रीनो द्वारा भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में उसे Admirälchen बुलाने पर अनुवादक के सामने निर्णय लेने की समस्या आ खड़ी होगी कि उसके लिए कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करे, क्योंकि सामान्य स्थितियों में उसका अर्थ ''प्यारे एडमिरल'' होगा, लेकिन वेंद्रीनो हर बार प्यार नहीं जता रहा होता। एक बार तो वह कहता है,''वाह प्यारे एडमिरल, क्या कर रहे हो? समुद्र पर बीमारी से बचने का अभ्यास कर रहे हो?'' जब स्थिति कोलंबस के नियंत्रण में होती है तो यही

„Admirälchen” ''एडमिरल साहब'' बन जाता है, और अमरीका के तट पर पहुँचने से कुछ पहले वेंद्रीनो जब सभी नाविकों को कोलंबस को उठा कर समुद्र में फेंकने के लिए उकसा रहा होता तो यही „Admirälchen” 'एडमिरालु'' बन जाता है। हिंदी भाषा के चरित्र के अनुसार इसमें ''परसू, परसा, परसराम'' वाला सिद्धांत लागू किया जा सकता है, जिसमें अनुवादक को अपनी अनुवाद–पटुता का इस्तेमाल करते हुए कुछ हद तक मौलिकता का प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि साहित्यिक अनुवाद वस्तुतः transcreation माने जाते हैं।

लोकोक्ति के स्थान पर लक्ष्य भाषा में लोकोक्ति खोजनी पड़ती है, यदि वैसी लोकोक्ति न मिले तो बिना लोकोक्ति के काम चलाया जाता है, लेकिन कई बार मूलपाठ में लोकोक्ति न होने पर भी यदि लक्ष्य पाठ में उसी बात को लोकोक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया जा सके तो अनुवादक अपनी स जनशक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। उदहारणतः जर्मन का एक मुहावरा है „wechselseitige Sympathie unter Dieben”, अर्थात ''चोरों में परस्पर सहानुभूति'', इस बात को ''चोर चोर मौसेरे भाई'' के माध्यम से बेहतर समझाया जा सकता है।

कई बार मूल लेखक ऐसे शब्दों का सृजन कर देता है, जो शब्दकोश में होते ही नहीं: ऐसे स्वनिर्मित शब्दों का पर्याय लक्ष्य भाषा में निर्मित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, परन्तु अनुवाद स्वयं में भी तो कोई कम चुनौतीपूर्ण कार्य तो नहीं है, अतः अनुवादक के पास चुनौती का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। रफ्फाएल गंत्स की एक कथा से ऐसा ही एक उदहारण दूंगा. एक प्रेमी, जो अपनी प्रेमिका द्वारा तभी–तभी ठुकराया गया है, उस उदास शाम में खुद से कहता है, „Ab ins Niederdorf, und sich einen saufen.”, अर्थात „Let’s go to the Grief village, and sink in booze”. Grief Village नाम का कोई गांव नहीं है, लेकिन लेखक ने पात्र की मानसिक अवस्था का चित्रण करते हुए एक नए शब्द का निर्माण किया है। "Niederdorf" अर्थात "Grief Village"का अनुवाद ''शोकनगरी'' में करके पूरा वाक्य यूं बनाया जा सकता है, ''चलें शोकनगरी, और शराब में डूब जाएँ''

साहित्य में यमक का अनुवाद करना वास्तव में एक टेढ़ी खीर है, लेकिन यदि मूल पाठ की सुगंध लक्ष्य पाठ में बनाये रखनी है तो इस कठिनाई से जूझना अनिवार्य हो जाता है। यह समस्या कई बार मेरे सामने आई है, और मैं इस से जूझा भी हूँ, लेकिन यहाँ कोई उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि यमक में छिपे विनोद को उजागर करने के लिए कथा की लंबी–चौड़ी पृष्ठभूमि देनी होगी, जो मैंने अपने कई निबन्धों में दी है। अनेकार्थी शब्दों से विनोद का सृजन करने में भी अनुवादक को यही समस्या पेश आती है।

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों से विनोद का सृजन करने का एक उदाहरण मैं दूंगा, जिसे अंग्रेज़ी में homophonic pun कहा जाता है। यह भी यूंरा जोएफर के नाटक ''कोलंबस'' से है, जिसमें कोलम्बस अमरीका में कब्ज़ा किये गए इलाकों का वायसराय बनने के सपने ले रहा होता है, और अपने साथ आये अपराधियों के सरदार को कहता है: und ich werde endlich unangefochten से Vizekönig herrschen. Als Vizekönig, zum Segen, अर्थात ''अब मैं आखिर निर्विवाद वायसराय बन कर यहाँ राज कर सकूंगा। वायसराय बन कर, खुदा की मर्ज़ी से।'' जिस पर बदमाशों का सरदार पेपीतो कहता है: Sie meinen zum Absägen!” अर्थात ''आपका मतलब नौकरी से निकाले जाने पर है!'' यहाँ एक ही तरह से उच्चारण किये जाने वाले स्वरों segen तथा sägen के ज़रिये homophonic pun उत्पन्न किया गया है। अनुवादक को कई स्थानों पर तो ऐसे समानार्थक शब्द मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, परन्तु परिश्रम तथा विचक्षणता से काम किया जाये तो असंभव को संभव बनाना बहुत कठिन नहीं होता। कई बार हास्य के पुट में कमी भी आ सकती है, अतः पाठ में हास्य का संतुलन बनाये रखने के लिए अनुवादक को अपनी लक्ष्य भाषा की खास खूबियों को वहाँ उभार कर इस कमी को पूरा

कर देना चाहिए, जहां लक्ष्य भाषा मूल भाषा से इस मामले में अधिक समर्थ है, ताकि हास्य–रचना में हास्य का सहज प्रवाह बना रहे।

अब मैं कुछ ऐसी आम समस्याओं पर आऊंगा, जो वास्तव में समस्याएं नहीं होतीं, परन्तु किसी नए अनुवादक को वे समस्याएं लग सकती है। ऐसी समस्याओं पर अभ्यास से पार पाया जा सकता है। फिर भी, एक बार फिर कहना चाहूँगा, अनुवाद में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। कई ऐसी ढेर सारी समस्याएं हैं, जिनका मैने अपने अनुवादों में जायजा लिया है, लेकिन उन सब का निरूपण यहाँ नहीं करूँगा।

मूल भाषा के स्तर अर्थात रजिस्टर को लक्ष्य भाषा में बरकरार रखना चाहिए। उदहारणतयः सत्रहवीं शताब्दी को दर्शाते उपन्यास के हिंदी अनुवाद में अत्याधुनिक नवनिर्मित हिंदी शब्द अथवा अंग्रेज़ी के शब्द नहीं आ जाने चाहियें।

पाद टिप्पणियों से यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि वे पठन में व्यवधान डालती हैं। उन्हें वहीँ दिया जाना चाहिए, जहां वे अपरिहार्य हों, वर्ना विस्तारण के माध्यम से उन्हें मुख्य पाठ में ही समाहित कर लेना उचित है. मसलन यदि अनुवादक 'विल्ली ब्रांट' का परिचय देना चाहे तो बजाय पाद टिप्पणी देने के वह पाठ में ही 'विल्ली ब्रांट' से पहले 'पश्चिम जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर' अथवा 'पश्चिम जर्मनी के भूतपूर्व सोशल डेमोक्रेट चांसलर' अथवा 'पश्चिम जर्मनी के भूतपूर्व समाजवादी प्रधानमंत्री' जोड़ कर यह सूचना दे सकता है।

यह कहा जाता है, और सही कहा जाता है, कि शब्दकोष के बिना अनुवादक का अस्तित्व नहीं होता। एक अच्छा अनुवादक शब्दकोष का इस्तेमाल सिर्फ़ किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए ही नहीं करता, बल्कि शब्दकोष का इस्तेमाल ज़्यादातर कोई बेहतर शब्द अर्थात समानार्थ खोजने के लिए किया जाता है. सटीक समानार्थ खोज निकालना एक अच्छे अनुवादक की पहचान है। पीटर न्यूमार्क के अनुसार ''समानार्थ खोजते हुए प्रयास यही रहना चाहिए कि भूल न हो.'' और जैफ्फ़री किंगस्कॉट का कहना है, ''अनुवादकों को भूल करने की अनुमति नहीं है, इसी कारण हम विशिष्ट हैं.'' विष्णु खरे ने ग्युंटर ग्रास की पुस्तक ''जीभ दिखाना'' के अनुवाद में समानार्थक शब्दों के चयन में बार बार भूल कर के पाठ को हास्यास्पद बना दिया है, जैसे „langsame Bewegungen der Badenden" को ''स्नानार्थियों की मंद हरकतें'' बना दिया है, जबकि वह ''स्नानार्थियों का धीमा अंग–संचालन'' होना चाहिए था. ऐसे ही देवी दुर्गा के ''अनुयायियों'' को उनका ''पार्षद'' बना दिया गया है, ''उत्कट अभिलाषा'' को ''फैलीहुई अभिलाषा'' बना दिया गया है। इसी तरह शब्दनुवाद से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे इन्हीं लेखक महोदय ने ''समुद्री जहाज़ द्वारा भेजे गए संदूक'' को ''समुद्री संदूक'', ''जिसमें'' को ''उनमें वहाँ'' तथा ''कबाड़ बेचने वाले बच्चों को'' ''कबाड़ बच्चे'' बना दिया है।

व्यक्तिवाचक नामों का ज़बरदस्ती स्थानीयकरण करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. विदेशी नामों का अगर, हिंदी के मामले में, हिन्दीकरण हो चुका है तो ठीक है, जैसे चीन, जापान, अमरीका, कनाडा इत्यादि, नहीं तो अगर वे अंग्रेज़ी नामों से जाने जाते हैं जैसे जर्मनी, इटली, आदि तो उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए, वर्ना उनका मूल नाम ग्रहण कर लेना चाहिए, बशर्ते कि हिन्दीकरण में कोई कठिनाई नज़र आ रही हो। जैसे फ्रेंकफर्ट का अंग्रेज़ी नाम भारत में प्रचलित है। मूल नाम फ्रांकफुर्ट है। लेकिन ना जाने कौन सी फंतासी के आधार पर कुछ हिंदी लेखकों ने उसे फ्रांकफुर्त बना दिया है।

यदि मूल पाठ में स्रोत भाषा के अलावा कोई और भाषा आ जाती है तो उस भाषा को वैसे ही लक्ष्य पाठ में उतार लेना संगत होगा, और यदि उस विदेशी भाषा का स्रोत भाषा में अनुवाद मौजूद है तो लक्ष्य पाठ में लक्ष्य भाषा में अनुवाद अनिवार्य है। यदि मूल पाठ में विदेशी भाषा के वाक्यों इत्यादि का स्रोत भाषा में अनुवाद नहीं है तो लक्ष्य पाठ में उसके अनुवाद का कोई औचित्य नहीं है। मसलन

अगर एक जर्मन पाठ में चार वाक्य स्लोवाकी भाषा में आ जाते हैं, बिना जर्मन अनुवाद के, तो हिंदी पाठ में भी वे चार स्लोवाकी वाक्य स्लोवाकी में ही रहेंगे, क्योंकि अगर हिंदी पाठक को स्लोवाकी नहीं आती तो जर्मन पाठक को भी स्लोवाकी नहीं आती. अर्थात उन वाक्यों के न होने से पाठ की सम्पूर्णता में कोई अंतर नहीं पड़ता। शायद विदेशी लेखक ने वे वाक्य उस भाषा की लय का पाठकों से परिचय करवाने के लिए वहाँ रखे हों। संक्षेप में, मूल लेखक की मूल पाठ से बर्ताव की जो मंशा है, अनुवादक को उससे इधर–उधर होने का कोई अधिकार नहीं है।

यदि मूल पाठ के गद्य में कहीं कुछ पंक्तियाँ पद्य में आ जाती हैं तो लक्ष्य पाठ में उस विशिष्ट गुण को बरक़रार रखना उचित है, और अगर पद्य छंदबद्ध है तो प्रयास यही रहना चाहिए कि अनुवाद में भी पद्य छंदबद्ध हो. सबसे आवश्यक है कि लय अवश्य बनी रहनी चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं ग्युंटर ग्रास की पुस्तक ''मेरी शताब्दी'' से एक उदाहरण देना चाहूँगाः "Wer hat uns verraten? – Sozialdemokraten!", जिसका अर्थ हैः हमें धोखा किसने दिया? – सोशल डेमोक्रेटों ने!'' इसे पुस्तक में वर्णित स्थिति के अनुरूप एक नारे की तरह छंदबद्ध तथा लयबद्ध किया गया हैः किसने किया विश्वासघात? दृ हमारे सोशल डेमोक्राट!'' (जर्मन में उच्चारण इसी तरह किया जाता है)

अंत में मैं ध्वन्यात्मक अर्थात phonetic अनुवाद के बारे में कुछ कहूँगा। कई बार लेखक रचना में लिखित शब्द के उच्चारण के माध्यम से, ध्वनि से, जैसे अनुप्रास के माध्यम से, अपने भावातिरेक को अभिव्यक्ति देना चाहता है। ऐसे किसी पाठांश के अनुवाद में भी इस विशिष्टता को बनाये रखना अपेक्षित है. आखिर में मैं पुनः ग्रास की ''मेरी शताब्दी'' से एक अनुकूल उदाहरण दूंगा, जिसमें मुझे जर्मन की पंक्तियों का अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं हैः "Seht dieses Volk, im Zischen geeint. Zischoman, Zischoplex, Zischophil, denn das Zischen macht gleich". आपने " zischen" की बारंबारता पर ज़रूर ध्यान दिया होगा। हिंदी अनुवाद हैः देख इनको देख, फुफकारने में एक. फुफकारता तन–मन, फुफकारता जीवन, फुफकारते विद्वान, – क्योंकि फुफकारना बनाता हमें समान।

# हिन्दी का वर्तमान और भविष्य की दृष्टि

ओम विकास
*आई पी एक्सटेंशन, दिल्ली*

## क्या थे, क्या हो रहे हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर विकास से 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, और अब 21वीं शताब्दी में सूचना क्रांति। 2000 वर्ष पहले भारत ज्ञान में विश्व गुरू रहा, समृद्ध था, माने की चिड़िया कहलाया। समय का फेर आया, दूर की मार वाली बन्दूकों वाले साहसी चतुर अंग्रेजों के भारत और अन्य कई देशों को उपनिवेश बना लिया। मनोबल का ह्रास हुआ, भाषा और विज्ञान का तिरोभाव। शक्ति से उत्साहित हो पश्चिमी विज्ञान का प्रयोगत्मक विकास तेजी से हुआ, विज्ञान साहित्य का प्रणयन भी प्रौद्योगिकी के आधार पर उद्योग लगे, व्यापार बढ़ा। 'जैसी रानी, वैसी वाणी' अंग्रेजी भाषा स्वीकारी जाने लगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी की विपुलता एवं सुलभता के कारण अंग्रेजी सबल बनी। प्रशासन की पहुँच के लिए भी अंग्रेजी का आश्रय बढ़ता गया। जन–मानस की तदनुसार मनोवृत्ति, अंग्रेजी के प्रति मोह बढ़ा, अस्मिता छिपाने लगे, दीनता को ढांककर सहिष्णु दिखने लगे।

तदनन्तर, प्रतिक्रिया का भाव जागा, अंग्रेजों को भगाया, हम स्वतंत्र हुए, अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सचेष्ट और कटिबद्ध। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली हिन्दी भाषा को समृद्ध और प्रयोज्य बनाने के लिए भारत सरकार ने कई परियोजनाएं बनाई, संस्थान खोले जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संवर्धन के लिए भारत सरकार में राजभाषा विभाग खोला गया। लेकिन अंग्रेजी बढ़ती गई, और आज सॉफ्टवेयर जनशक्ति का विशिष्ट गुण बन गई है, जो भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने में सहायक कही जाती है।

20वीं सदी में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव–जीवन आदि सभी क्षेत्रों में अनवरत प्रगति हुई। इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नेनो टैक्नोलॉजी आदि विज्ञान से संबंधित हैं और इसी से व्युत्पन्न हैं। उद्योग, कृषि और पर्यावरण आदि कई आधारभूत अनुप्रयोग क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

भारतवर्ष मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण उद्गम है। इसके दर्शन, रहस्यवाद, वास्तु शिल्प अभिनव कलाएं विश्व–विख्यात है। बहुत कम लोगों को विदित है कि भारतवर्ष आधारभूत वैज्ञानिक विकास और दृष्टिकोणों का मूल स्त्रोत भी था। इस अनजाने का कारण है कि विगत सदी में ऐसा कोई बड़ा शोध कार्य नहीं हुआ, और न ही इस विज्ञान–कार्य के परिदृश्य में समालोचना का लेखा–जोखा हुआ जो भारतीय परंपरा और संस्कृति को पोषित करता हो।

गणित की अनके उपलब्धियां, जिनके अविष्कारकर्ता आजकल पश्चिमी वैज्ञानिक माने जाते हैं, भारतवर्ष में बहुत पहले से ज्ञात थीं। खगोल–विज्ञान, रसायन–विज्ञान, धातु–विज्ञान, पादप–विज्ञान में कई अविष्कार और भारतीय दर्शन के अंग के रूप में तर्क, भाषा–विज्ञान और व्याकरण के अति परिष्कृत पहलूओं पर कार्य भारतवर्ष में हुए। 12वीं से 18वीं सदी के केवल 600 वर्षों में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 10 हजार से अधिक पुस्तकें लिखी गयीं। भारत की पांडुलिपियों का अनुवाद अरबी और

फारसी में हुआ, ज्ञान भारत से बाहर गया। इसी प्रकार भारत ने भी बाहर से वैज्ञानिक विचारों, तरीकों और प्रविधियों को लिया और आत्मसात किया जो वैज्ञानिक परंपरा की खुले दिमागीपन और तर्कसंगत व्यवहार की विशिष्टताओं का परिचायक है। हम गर्व से स्मरण करें कि हम इसी परंपरा के अंग हैं। हममें यह वृत्ति बसी हुई है। इसको प्रस्फुटित होने के लिए उपयुक्त वातावरण और प्रोत्साहन की आवश्यकता हैं। फिर भी, अपने इतिहास पर आत्मसंतोष कर बैठना नहीं चाहिए। जैसे–जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ें, हमें अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए, अग्रणी बनकर नेतृत्व देना चाहिए।

ऋगवेद के ऋचा का भावांतर उल्लेखनीय है –

हम हैं दिव्यशक्ति के स्वामी,
बनें अग्रणी नहिं अनुगामी।
अपने की अनुभव के बल पर,
नए सृजन आधार बनाएं।।

स्वाधीनता संग्राम के अंतःक्षोभ और पुनर्जागरण ने विज्ञान के पुनरूत्थान के लिए एक ऐसा ही वातावरण दिया था। जहां, एक ओर पश्चिम में हो रही बड़ी–बड़ी वैज्ञानिक उन्नतियों के बारे में सूचना मिल रही थी, वहीं ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने बिल्कुल मौलिक तरीके से सोचने और काम करने का साहस किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जगदीश चंद्र बोस, मेघनाद साहा, सी. वी रमन, श्रीनिवास रामानुजन के महान कार्य प्रमुख हैं। निकट अतीत में होमी भाभा, एस. चन्द्रशेखर और हरगोविंद खुराना के कार्य उल्लेखनीय हैं।

## ज्ञान–प्रधान व्यवस्था का आविर्भाव

भारत औद्योगिक क्रांति के लाभ नहीं ले सका, विनिर्माण का आधार मजबूत नहीं बन सका। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कंम्प्यूटर का विकास हुआ। सूचना को किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में, किसी को भी भेजना संभव हुआ। सूचना की बहुलता ही पर्याप्त नहीं है। सूचना निर्णय में सहायक हो, अनुभवों का सार हो, प्रयोक्ता के स्वभाव, रूचि और कार्य प्रणाली के अनुकूल हों ऐसी सूचना को 'ज्ञान' कह सकते हैं।

प्रत्येक अर्थ व्यवस्था में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेडरिक टेलर (1856–1915) के अध्ययन और विश्लेषण के अनुसार 20वीं शताब्दी में विनिमार्ण (मैन्यूफेक्चरिंग) के क्षेत्र में श्रमिक–उत्पादकता लगभग 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर से 50 गुनी हो गई। इससे आर्थिक और सामाजिक लाभ मिले। जिस देश में श्रमिक उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि न हो सकी, उनकी अर्थ व्यवस्था पिछड़ गई। श्रमिक–उत्पादकता की भांति 21वीं शताब्दी में ज्ञानकर्मी की उत्पादकता महत्वपूर्ण हो गई है। कार्यविधि के पूर्व नियमन और मशीनीकरण की अपेक्षा कार्य–कर्त्ता को स्वायत्तता और उसके योगदान में नवीनता, नवाचार पर बल दिया जाएगा।

21वीं शताब्दी में जिन देशों में ज्ञान–कर्मी की योगदान क्षमता अधिक होगी, वे ही अर्थ शक्ति बन सकेंगे। पश्चिम के विकसित देशों में विनिर्माण का आधार है। इसके ज्ञान को वे टेक्नोलॉजी प्रबंधन के रूप में बदलकर विश्व स्तर पर आगे है। सूचना क्रांति से एक और एक मिलकार ग्यारह जैसा बड़ा लाभ कमाने में उद्यत हैं। सूचना क्रांति से सभी देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक पक्ष प्रभावित होते है। सॉफ्टवेयर विकास का लगभग 80 प्रतिशत कार्य डेटा एंट्री, डिबगिंग, प्रोग्राम कंवर्जन जैसा सामान्य है, जो विकासशील देशों को आउटसोर्स कर दिया जाने लगा है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का केंद्रिक विकास और प्रबंधन का प्रमुख कार्य अपने पास रखकर विकसित देश अधिकाधिक लाभ कमा रहे हैं।

## निज भाषा उन्नति का मूल

राष्ट्रीय स्तर पर विचारणीय है कि भारत के ज्ञान कर्मी में 'उद्योग कौशन और ज्ञान में नवाचार' दोनों का समन्वय हो। इस संदर्भ में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी बिना समय खोए जन सामान्य तक पहुँच सके जिससे उनका भी नवीनतामय योगदान संभव हो। इसके अतिरिक्त अतीत की गौरवमय परंपरा से जुड़कर सतत शोधमय आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी नितांत आवश्यक है। लेकिन भाषा बाधक तत्व है। भारत में भाषायी विविधता है लेकिन सांस्कृतिक एकता है, वैचारिक समता है। हिन्दी आधे भारत में भलीभांति और शेष में अधिकांशतः समझी जाने वाली भाषा है। हिन्दी की प्रकृति भी प्रगतिशीन है, समाहरण इसकी विशिष्टता है, सरलता इसका आचार है, लचीलापन लोकप्रियकारी है। पहले उर्दू शब्दों का प्रयोग बढ़ा, अब अंग्रेजी शब्दों की बहुलता है। अंग्रेजी विज्ञापनों में हिन्दी पदों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।

अंग्रेजी में उपलब्ध विपुल विज्ञान साहित्य और प्रविधियों की हिन्दी में लाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन इस समय अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध विज्ञान साहित्य की खाई बड़ी है, और बढ़ती जा रही है। जनसंख्या अधिक है, अनेक प्रचलित शब्द पराए हैं, जन मानस की जड़ता नवाचार को नकारती है। बाधक तत्व अनेक हैं। सेतु–उपाय ऐसे हों, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम समय में करना संभव हो, सामूहिक योगदान की संभावना है। प्रयोग पर बल हो, ज्ञान और उद्योग में सामंजस्य हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का राष्ट्रीय लक्ष्य हो। इन प्रयासों के मापन, मूल्यांकन और संशोधन की भी व्यवस्था हो। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संभावित 'डिजिटल डिवाइड' अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना लेने देने की शक्यता के आधार पर समाज का विभाजन विकराल एवं वीभत्स स्वरूप धारण कर सकता है। इंटरनेट की जानकारी हासिल करने वाले ज्ञानी कहलावेंगे, अधिक कमाएंगे और बाकी बहुसंख्यक लोग सामान्यतर रहेंगें। विषमता विकराल हो सकती है।

## हिन्दी का वर्तमान

स्वतंत्रता के बाद पिछले छह दशकों से हिन्दी दिवस का वार्षिक उत्सव मानया जाता है, आक्रोश को अभिव्यक्ति भी मिलती है। लेकिन 'नौ दिन चले अढाई कोस' की कहावत की भांति हिन्दी व्यवहार की स्थिति है। ओह, एक मित्र ने इससे असहमति जताते हुए कहाकि 'गाड़ी तो चली लेकिन SWOT विश्लेषण

| अंग्रेजी | बनाम | लोकभाषा |
|---|---|---|
| S स्ट्रेंग्थ (सबल पक्ष) – गुण | | S स्ट्रेंग्थ (सबल पक्ष) – गुण |
| • ग्लोबलाइजेशन की भाषा<br>• आउट सोर्स में प्रिफरेंस<br>• समाज में अंग्रेजी का स्टेट्स | | • स्थानीय परिवेश में घुलमिलकर ज्ञानार्जन<br>• लोकसभा में बेसिक कंसेप्ट्स (मूल संकल्पनाओं) की अच्छी समझ<br>• व्यवहारपरक जानकारी होने को आत्मविश्वास<br>• नवाचार प्रवृति का विकास |
| **W वीकनेस (निर्बल पक्ष) – दोष** | | **W वीकनेस (निर्बल पक्ष) – दोष** |
| • बेसिक कंसेप्ट्स (मूल संकल्पनाओं) की समझ अच्छी तरह नहीं, रटन्त पढ़ाई<br>• ड्रॉप आउट अधिक | | • पाश्चात्य दृष्टि से पिछड़ेपन की निशानी |

- लोकभाषा में कमजोर, परिवेश से संवाद कम
- नवाचार का अभाव

○ अपोर्च्यूमिटीज (अवसर) – संभव लाभ
- अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी वाले मेन्युअल कामों को करने में सरलता
- कॉल सेंटर के जॉब में आसानी

○ अपोर्च्यूनिटीज (अवसर) – संभव लाभ
- उद्यमितापरक (Entrepreneurial) प्रवृति से अपने उद्योग धन्धे
- कार्य/व्यापार के प्रसार में आसानी
- राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता
- नवाचार प्रवृति से शोध–विकास कार्यों में सफलता

**T थ्रैट (चुनौतियां) – संभव हानि**
- राष्ट्रवादी/समाजवादी दृष्टिकोण
- अच्छे टीचर्स का अभाव
- जो पढ़ा उसे व्यवहार में लाने के लिए परिवेश नहीं
- अपने समाज और संस्कृति से कटे और पाश्चात्य समाज के भी न बन सके

**T थ्रैट (चुनौतियां) – संभव हानि**
- बड़ी ताकतों का परोक्ष दबाव
- भारत के योजनाकारों के समझ पिछड़े रहने का प्रस्ताव

**अंग्रेजी पक्ष**

S(+3)+(-4)+O(+2)+T(-4) = -3

**लोक भाषा पक्ष**

S(+4)+W(-1)+O(+4)+T(-2) = +5

## निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्वाभिमान और नवाचार (इन्नोवेशन) प्रवृत्ति से संपन्न व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का माध्यम लोकभाषा हो, अंग्रेजी न हो। बाद में विदेशी भाषा और विविध विषयों का अध्ययन आसान होगा। SWOT एनालिस से भी इसकी पुष्टि होती है, जैसा अभी दिखाया गया।

मीडिया, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में हिन्दी का व्यवहार क्यों हो ? इससे लोगों की भागेदारी, उद्यमिता और आर्थिक प्रगति पर कैसा प्रभाव होगा ? इसे भी SWOT एनालिस से समझ सकते हैं। इसका एक और फायदा यह होगा कि संभाव्य लाभों को अधिकतम करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में आसानी होगी।

संक्षेप में, हिन्दी वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में फिसलती जा रही हैं, राष्ट्र का इन्नोवेशन इंडेक्स (गुणवत्ता सूचकांक) गिरता जा रहा है, लोगों की भागीदारी कम हो रही है।

हिन्दी भाषा की पुस्तकों में विज्ञान परक पाठ बहुत कम होते हैं। शब्द व्यत्यत्ति का ज्ञान नहीं कराया जा रहा। अर्थगत संकल्पनाओं का भेद नहीं बताया जाता। हिन्दी में रचनात्मक लेखन पर बल नहीं दिया जाता।

उच्च शिक्षा में सामाजिक कार्य, केस स्टडीज, फील्ड प्रोजेक्ट लोकभाषा में नहीं होते। गूंगे ज्ञानी से समाज का कितना लाभ होगा।

मीडिया की भाषा प्रोफिट की भाषा है। मीडिया में हिन्दी प्रयोग व्यापारिक लाभ के लिए है, बाज़ार बढ़ाने के लिए है। हिन्दी शब्दों के अर्थ को समझाया नहीं जाता, इसके निहित गुणों को परिभाषित नहीं कर पाते हैं। शब्द का अर्थ प्राण है। आज शब्द का निष्प्राण स्वरूप प्रचलन में आ रहा है। कई वर्ष पहले सरकार ने हिन्दी को उर्दू–मिश्रित प्रचारित किया, आज मीडिया हिन्दी को अंग्रेजी मिश्रित प्रसारित करता है। मेरी समझ में हिन्दी का यह संक्रमण काल है। यह विशेष चर्चा का विषय नहीं है।

एक और बात कहूँगा कि हिन्दी के विविध संस्थान, संस्थाएं, आयोग आदि अलग–अलग मठ बन गए हैं। इन मठों के बीच तालमेल बहुत कम है।

हिन्दी वर्तमान में उपेक्षित सी, असंगठित सी, किंकर्तव्यविमूढ़ स्थिति में है।

लेकिन, एक महत्वपूर्ण कार्य बिना गाल बजाए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है जो निराशा को आशा में बदलने, अबला को सबला बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।

कंम्प्यूटर पर हिन्दी में आलेख, सूचियां, डेटाबेस, पुस्तकें आदि के लिए टूल्स बन गए हैं। इंटरनेट से हिन्दी में ई–मेल, ब्लॉग, कॉन्फरेंसिंग कर सकते है। फॉन्ट, कन्वर्जन यूटिलिटी, ऑफिस सॉफ्टवेयर, ओसीआर, बोल–पहचान, बर्तनी जाँच, ट्रांसलेशन सपोर्ट मुक्त रूप में मिल रहे है, बहुतेरे मुफ्त में भी। आज एकमत होना हैं, कोडिंग के लिए युनीकोड (UNICODE) कंटेंट के लिए (XML) का प्रयोग करें। सीमेंटिक वेब और वेब सर्विसेज के समारहण (इंटीग्रेशन) पर विकास कार्य तेजी से करने की आवश्यकता है। हिन्दी संस्थान इंटरनेट पर डिक्शनरी, थेसारम, व्यावहारकोश, टैग कार्पोरा, व्याकरण जाँच नियमावली, उत्तम लेखों का संग्रह, शोध पत्र, अद्यतन शोध विकास का सार–अनुसृजन इंटरनेट पर डालें। याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि पर हिन्दी भी उपलब्ध है।

## सिफारिशें

### (क) शिक्षा में हिन्दी

1. भारत सरकार नीतिगत निर्णय की घोषण करे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम लोकभाषा (राजभाषा) हो। नॉलेज कमीशन अपनी सिफारिशों में कक्षा–1 से अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता पर संशोधन करे।
2. विज्ञान और भाषा का संबंध दृढ़ किया जाए। 1980 के दशक में छब्म्त्ज ने हिन्दी में विज्ञान पुस्तक लेखन की पहल की। यह प्रशंसनीय कार्य था। इसे फिर से शुरू कराया जाए। इसी प्रकार का हिन्दी में सुबोध पुस्तक लेखन दूसरे विभागों में भी अनिवार्य हो।
3. NCERT, CBSE, NIOS जैसी संस्थाएं स्कूल स्तर पर पुस्तक लेखन का कार्य मौलिक रूप से हिन्दी में करावें, उसके बाद अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए।
4. उच्चतर शिक्षा में प्रोजेक्ट हिन्दी में भी अनिवार्य हो, तभी समाज के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी और उच्चतर शोधपरक ज्ञान की मोटेतौर पर जानकारी जन सामान्य को भी मिलती रहेगी।

### (ख) शोध विकास में हिन्दी

5. भारत सरकार द्वारा वित्तीय द्वारा वित्तीय अनुदान प्राप्त सभी सेमीनार, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, संगोष्ठियों में शोध पत्र 20: हिन्दी में हो। पेनल में हिन्दी मीडिया का प्रतिनिधि अवश्य हो। सिफारिशें संबंधित विभाग की वेबसाइट पर भी हिन्दी में अवश्य हों।
6. अनुसृजन परियोजना के माध्यम से अद्यतन शोध विकास की सामग्री को विज्ञानी, शोध सहायक और भाषाविद् की टीम हिन्दी में अनुसृजित करे। इसकी सामाजिक उपादियता होगी, सुबोध संप्रेषणीय सामग्री होगी।

7. कृषि विस्तार परियोजना की तर्ज पर IT क्लीनिक का आयोजन किया जाए जिनमें लोकभाषा/हिन्दी में ऑपन सॉफ्टवेयर के प्रयोग संवर्धन और इसमें कठिनाईयों के निराकरण तथा उद्यमियों की IT समस्याओं का समाधान दिया जाए। ऐसी परियोजना भारत सरकार MAIT जैसे उद्योग संघों से मिलकर शुरू करे।

### (ग) हिन्दी संस्थाओं में तालमेल

8. हिन्दी भाषा से संबंधित संस्थाएं – केंन्द्रीय हिन्दी संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वै.त. शब्दावली आयोग आदि की एक उच्चस्तरीय समीक्षा–समिति हो जिसमें 2/3 विज्ञानी सदस्य हों। यह समिति हर तिमाही पर इनके लक्ष्य और उपलब्धि का ऑडिट करे, मार्गदर्शन करे।
9. तकनीकी शिक्षा में हिन्दी का संक्षिप्त भाषा विज्ञान और विज्ञान लेखन विषय को भी जोड़ा जाए। इसकी रूपरेखा बनाएं।
10. हिन्दी सॉफ्टवेयर की जांच और प्रयोग संवर्धन के लिए हिन्दी संस्थाओं का संघ जिम्मेदारी ले, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को फीडबेक देकर गुणवत्ता और प्रसार को बढ़ावा दे।

## और क्या करें?

1. संघे शक्ति कलियुगे। सभी भारतीय भाषा समितियों और भाषा संस्थानों का संघ सिफारिशों को भारत और राज्य सरकारों के योजनाकारों को भेजे। फॉलो अप करें।
2, मीडिया की अहम् भूमिका है। मीडिया, ज्ञान–प्रधान समाज के लिए समझ, लोक व्यवहार, इन्नोवेशन एवं उद्यमिता की प्रवृत्ति की प्रवृत्ति की आवश्यकता पर बल दे, और इन सिफारिशों को जोर देकर पेश करे।

# लिपि–साहित्य–संस्कृति–शिक्षा

ओम विकास

*आई पी एक्सटेंशन, दिल्ली*

## लिपि : वाणी का दर्पण

जब तक सोया था मानव, अहसास नहीं था, "कहां है? क्या है? किधर जाएगा? पथ का पता नहीं।" नयन उन्मेष पर संवेदनशील हुआ। प्रकृति की निरंतरता और विपुल भंडार को संजोए गत्यात्मकता मानव जिज्ञासा को उद्दीप्त करती रही है। संवेदनशीलता से विजय भावना भी प्रबलतर होती रही है। कभी आश्रय देकर और कभी आश्रित बनाकर सुखानुभुति। कृपा–क्रुरता का काल–क्रम चलता रहा। सहनशीलता के अतिक्रमण की सीमा बंधने लगीं, कुटुम्ब और समाज परिभाषित होने लगे। शब्द थे, अभिव्यक्ति की भाषा बनी। फिर समझ की सीमाएं विर्धारित करने के लिए नियम बने। अतीत–वर्तमान–भविष्य का ज्ञान सेतु लेखन पद्धति से संभव हुआ। उत्तरोत्तर प्रयोग और परिष्कार से भाषा का मान्य स्वरूप उद्‌भूत हुआ। वाणी और लेखन की सुसंगत एकरूपता के लिए पाणिनि जैसे मनीषियों ने लिपि का नियमबद्ध निर्धारण किया। लिपि वाणी का दर्पण है। लिपि दर्पण से वाणीका प्रतिबिम्ब लेखन के रूप में दिखता है। धुंधला दर्पण तो धुंधला बिम्ब। दर्पण की संरचना पर निर्भर करता है कि बिम्ब की स्पष्टण किस कोटि की होगी।

पाणिनि से स्वर और व्यंजन समूहों को उच्चारण स्थान और विधि के अनुसार अलग–अलग वर्गीकृत किया है। ध्वनि–उच्चारण में उच्चारण का स्थान और उच्चारण की विधि मुख्य हैं। उच्चारण के स्थान (Place of articulatin) (P) के अनुसार कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य, ओष्ठय 5 ध्वनि प्रकार माने गए हैं। उच्चारण की विधि (Manner of artuculation) (M) के अनुसार गले से वायु और विवर फैलाव के कम–अधिक होने के आधार पर अथवा नाक से वायु–निःसरण के अनुसार 6 ध्वनि प्रकार माने गए– [(अल्प प्राण – अघोष)/(अप्र–अघ)],[(महाप्राण–अघोष)/(मप्र–अघ)], [(अल्पप्राण–घोष)/(अप्र–घ)],[(महाप्राण–घोष)/(मप्र–घ)], नासिक्य, अतिजिह्वा। इस ध्वनियों को व्यंजन कहा गया। व्यंजनों को स्वर ध्वनि से मोडयुलेट कर सकते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार की स्वर ध्वनियां हैं। स्वर ध्वनियां हस्व, दीर्घ हो सकती हैं। स्वर ध्वनियों के परस्पर योग से व्युत्पत्र स्वर ध्वनियां 4 + 4 बनेंगी। 'अ' की स्वर ध्वनि को आदि स्वर और 'उ' की स्वर ध्वनि को मध्य स्वर और 'म' की व्यंजन ध्वनि को व्यंजनांत मानें तो (अ – उ – म) ध्वनि संयोग सभी ध्वनियों का द्योतक है, अर्थगत होने पर सभी संकल्पनाओं (Concepts) का।

संयुक्त 'स्वर अ' व्युत्पत्र य र ल व ध्वनियां व्यंजन की भांति हैं। इस प्रकार पहचाने जाने वाली स्वनिम/अक्षर ध्वनियों को नागरी लिपि के रूपितों से प्रदर्शित कर सकते हैं। अल्प नासिक्य ध्वनि को अनुस्वार का रुपिस और अल्प अलिजिह्वा ध्वनि को विसर्ग का रूपिम दिया गया है। इन्हें स्वर श्रेणी में रखा गया है। स्वनिम (phoneme)–रूपिम (grapheme) का 1:1 (एक प्रति एक) निरूपण नागरी लिपि की विशेषता है। स्वर–स्वर, व्यंजन–स्वर, व्यंजन–व्यंजन–स्वर संयोजना से जो स्वतंत्र ध्वनियां व्युत्पत्र होती हैं, उन्हें अक्षर (Syllable) कहते हैं। अक्षर का अंत किसी स्वर से होता है। यह स्वर तीन

रूपों में हो सकता – स्वर, (स्वर–अनुस्वार), (स्वर–विसर्ग)। हलन्त को व्यंजन के साथ स्वर हीन योग मान सकते हैं। अक्षरांत को नए रूपिम 'मात्रा' से दिखाते हैं। व्यंजन को हलन्त के साथ दिखाते हैं, जैसे – क्, ग्, च्, ...... म् ...... ह्........ इन्हें शुद्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। "जैसा सुनो वैसा लिखो", "जैसा लिख वैसा बोला" सिद्धांत नागरी लेखन में है। संस्कृत भाषा के संदर्भ में ऐसा है, अन्य भाषाओं में कुद उच्चारण विकृतियां भी हैं।

ध्वन्यात्मक नागरी वर्णमाला को पाणिनि सारणी (Panini Table) में दिखा सकते हैं। जिस प्रकार रसायन विज्ञान में मेंडलीफ टेबल परमाणु क्रम को दर्शाती है, जिससे रासायनिक यौगिक क्रियाओं को समझना आसान होता है, उसी प्रकार ध्वनि यौगिकों को पाणिनी टेबल से समझना आसान होगा। वर्गीकरण से अन्य संभावित ध्वनियों को जोड़ना भी आसान है।

पाणिनि सारणी से लिपि संरचना के मूलभूत सिद्धांत स्पष्ट होते हैं।

## पाणिनि सारणी (Panini Table)

P = (P1,P2,P3,P4,P5), M = (M1,M2,M3,M4,M5,M6)

| | | व्यंजन | | | | | | स्वर | | | | | स्वरांत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अप्र-अघ | मप्र-अघ | अप्र-घ | मप्र-घ | नासिक्य | अलि जिह्वा | व्युत्पन्न | व्युत्पन्न | व्युत्पन्न | मूल | मूल | |
| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | व्यंजन स्वर | दीर्घ | ह्रस्व | ह्रस्व | दीर्घ | मात्रा |
| कंठ | P1 | क | ख | ग | घ | ङ | ह | - | - | - | अ | आ | - ा |
| तालु | P2 | च | छ | ज | झ | ञ | श | य (इ+अ) | ऐ | ए (अ+इ) | इ | ई | ि ी |
| मूर्ध | P3 | ट | ट | ड | ढ | ण | ष | र (ऋ+अ) | - | - | ऋ | ॠ | ृ ॄ |
| दंत | P4 | त | थ | द | ध | न | स | ल (ऌ+अ) | - | - | ऌ | ॡ | - - |
| ओष्ठ | P5 | प | फ | ब | भ | म | - | व (उ+अ) | औ | ओ (अ+उ) | उ | ऊ | ु ू ो ौ |

## साहित्य : समाज का दर्पण

लिपि से लेखन को आधार मिला। सामाजिक अभिव्यंजना के संकलन को साहित्य कहा जाने लगा। प्रारंभ में यथार्थ की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता मिली। विजय और श्रेष्ठता की कामना से साहित्य में आदर्श को लक्षित किए जाने लगे। स्थान–काल–व्यक्ति निरपेक्ष अवलोकन, परीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्षण विज्ञान की पद्धतियां हैं। कुछ नियम सूत्र पता लगाते हैं, जिनके आधार पर अनेक घटनाओं को समझने में आसानी होती है। विज्ञान के आधार पर संश्लेषित प्रतिधियों, संरचनाओं

को प्रौद्योगिकी (टेक्रोलॉजी) कहा जाने लगा। इनके प्रयोग से औद्योगीकरण बढ़ा। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। वाष्प इंजिन, विद्युत, पेट्रोल उत्पाद, रेल, मोटर कार, कम्प्यूटर,दूरसंचार आदि प्रौद्योगिकियों के उत्तरोत्तर उन्नत व सस्ते साधन उपलब्ध होने से सामान्य जन जीवन बेहतर होने लगा।

वैश्विक स्तर पर बदवाल आने लगे। दुनिया बंटने लगी–राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर। तीसरी दुनिया के लोग अभिशप्त हुए। स्वाधीनता के लिए संघर्ष हुए। समाज जाति–धर्म–सम्प्रदाय के दूषित प्रचार से बंटने लगे, कमजोर होते गए, शासक प्रबलतर और क्रूरतर। पूर्व–पश्चिम की संस्कृतियोंका अस्वाभाविक, बेमन मिलन तो हुआ लेकिन संस्कृतियों के नाभिक भिन्न थे। भारतीय संस्कृति मोक्षकामी और पाश्चात्य संस्कृति व्यक्ति केन्द्रित भोगकामी। सामाजिक और आर्थिक व्यवहार पूर्व में संचय–परक हैं, और पश्चिम में उपभोगपरक हैं।

भारत में अलग–अलग स्वायत्त शासन व्यवस्था मजबूत होने पर भाषा–विकास एवं साहित्य प्रणयन को राज्याश्रय मिला। लेकिन मूल उद्‌भव संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के बिल्कुल पृथक नहीं हुए। भारतीय भाषाओं में वर्णमाला क्रम देवनागरी के अनुरूप रहा। अलबत्ता उनमें कुछ भिन्नताएं रहीं। कला–विज्ञान–आध्यात्म के संकल्पना शब्द अधिकांशतः संस्कृत से लिए गए। कई शब्द तद्भव रूप में प्रयुक्त हुए। संस्कृत प्रामाणिक ज्ञान–विज्ञान की भाषा थी, इससे उद्‌भूत भारतीय भाषाएं सुबोध लोक भाषाओं की भांति विकसित हुईं। इन कई भारतीय भाषाओं में साहित्य–सृजन उच्चकोटि का है, सथार्थ–परह है। इनमें प्रमुखतः पांच प्रकार का साहित्य–प्रणयन हुआ –

1. भाषा–विषयक साहित्य – लिपि और भाषा के व्याकरण, व्यवहार, इतिहास संबंधी।
2. सामाजिक साहित्य – समाज की व्यवस्था, इतिहास, दर्शन, नीति, संबंधी।
3. कला साहित्य – गायन, वादन, संगीत, नाटक, चित्रण, स्थापत्य आदि के सिद्धांत, नियम, व्यवहार संबंधी।
4. विज्ञान साहित्य – पदार्थ, सृष्टि, शरीर प्रकृति की संरचना, गुणधर्मिता, पारस्परिक प्रभाव आदि का ज्ञान और आध्यात्म संबंधी।
5. आध्यात्म साहित्य – आत्म दर्शन संबंधी।

मानव जिज्ञासा से विज्ञान साहित्य समुन्नत होता गया; समृद्धि और सुशासन से कला साहित्य। कुछ मनीषियों ने आध्यात्म साहित्य का प्रणयन किया। इसी प्रकार विद्वानों ने भाषा विषयक साहित्य और सामाजिक साहित्य की रचना की। किस दिशा में, कितना गहन और सटीक साहित्य सृजन हुआ, यह सामाजिक परिवेश पर निर्भर था।

## संस्कृति : ज्ञान–विज्ञान व्यवहार में

समाज के रीति–रिवाज, रहन–सहन, व्यवहार–कौशल, उद्यमिता, वैचारिक चिंतर आदि की अभिव्यक्ति को साहित्य और लम्बे समय में समाज के व्यवहार वैशिष्टय को संस्कृति कहा जाने लगा। संस्कृति का उर्ध्वगामी स्वरूप ही सामान्य अर्थ है। अन्यथा अपसंस्कृति का प्रयोग होता है। संस्कृति की पहचान ज्ञान–विज्ञान से होती है।

जापान प्रवास के बाद मैंने एक लेख लिखा था, "जापान की प्रौद्योगिकी संस्कृति"। जापान ने शिंतो और बौद्ध धर्म के सह–अस्तित्व को बनाए रखा। प्रकृति की उपासना (शिन्तो) से सभ्यता के विकास का पथ अपने ढ़ंग से प्रशस्त किया। प्राकृतिक संसाधनों के अभावों से अविचल सदैव उद्यमशील रहा। सोनी कम्पनी के संस्थापक आकियो मोरिता के अनुसार "मोत्ताइनाइ" विचार जापानी उद्योग की विशिष्टता का परिचायक है। इसका आध्यात्मिक भाव है कि विश्व में सब कुछ नियंता सृतनकर्ता की

देन है। कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है। बहुत कम मूल्य की भी किसी वस्तु का अपव्यय न करें। जापान का 'व्यवहार' पश्चिमी बना, लेकिन 'सोच' एशियाई रही।

जापानी प्रबंधन की आधार संकल्पना है कि सभी कार्मिक एक परिवार हैं। टोयोटा की कानबान पद्धति 'ठीक सयम पर' (Just-in-time) पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (TQM) की विधि है, अपरिग्रह का उदाहरण है। कोबे स्टील के अमागासी मिल पर उद्बोधन है 'मुरी, मुदा और मुरा से बचो' मुरी अर्थात क्षमता से अधिक काम करना; [मुदा अर्थात् अपव्यय करना; मुरा अर्थात् अनियमित और असंगत होना।] इस संदेश में सुरक्षा, मितव्यता, नियमन और गुणवत्ता–नियंत्रण पर बल दिया गया है।

जापान ने पश्चिमी टैक्नोलॉजी के आयात के समय परंपरागत उद्योगों को उजाड़ा नहीं। उनके बीच संबंध बनाए जिससे परंपरागत प्रौद्योगिकी आधुनिकतम बन सके। प्रायः शिकायत की जाती है कि जापान ने मशीन तो बेची लेकिन टैक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। जापानी दलील देते हैं कि जब टैक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है, जब उस टैक्नोलॉजी की संस्कृति ट्रांसफर नहीं हो पाती। पुष्प सज्जा (इकेबाना), चाय–पान (चा दो / टी सेरेमनी) और औद्योगिकी कौशल का प्रशिक्षण देकर गुणवत्ता का प्रसार किया, तथा इन्हें संस्कृति का अंग बनाया। "मोत्ताइनाइ" जीवन–दर्शन प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार में भी व्याप्त है। यह जापान के आध्यात्मिक एवं भौतिक वैशिष्टय का द्योतक है। जापानियों को अपनी भाषा से विशेष अनुराग है। विदेशी टैक्नोलॉजी को आत्मसात करने के लिए वहाँ के तकनीकी शब्दों को लिखने के लिए एक अलग काताकाना लिपि ईज़ाद की। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद अमेरिकी दबाव था कि विज्ञान शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बने, लेकिन जापानियों ने युक्ति से काम लिया। तकनीकी शब्दों को रोमन लिपि में न लिखकर विदेशी शब्दों के लिए बनाई गई पृथक् "काताकाना" लिपि में लिखा, शेष अभिव्यक्ति जापानी मूल लिपि "हीरागाना" में की। इस प्रकार अपनी भाषायी और वैचारिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। निर्यातपरक उद्योग नीति बनायी। कार्यान्वयन में स्पष्टता थी कि प्रौद्योगिकी का शिक्षण–प्रशिक्षण, विकास, विनिर्माण जापानी भाषा में ही किया जाए। 1980 के दशक के कंम्प्यूटर में जापानी भाषा का प्रचुर प्रयोग होता रहा है। निर्यात के लिए कुछ सेल्स प्रबंधकों को ही अंग्रेजी में प्रशिक्षित कर उन्हें टैक्नोबिजनेस इंटरफेस बनाया। कम लागत से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद विक्रय से जापानी कंपनियों के ब्रांड बनते गए। 11 मार्च को भीषण त्सुनामी और भूकम्प से फुकुशिमा दाइ–इची का न्यूक्लियर रिएक्टर ध्वस्त हुआ। विश्व हिल गया। इस आपदा को भी जापानियों ने अदम्य साहस से कहा। विदेशियों को आतिथ्य संस्कृति का परिचय कराया।

भारतीय संस्कृति में आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की दृष्टि है। "इतिहास में भारत जैसा अन्य कोई उदाहरण नहीं है, जहाँ आध्यात्मिक जीवन ने इस प्रकार सारे राष्ट्र के समस्त व्यावहारिक पक्षों को समाहित कर लिया हो।" मेक्समूलर ने लिखा। सत्य के अन्वेषण में विज्ञान और वेदांत एक बिन्दु पर मिल जाते हैं ; चेतना की सत् तत्व है ; सम्पूर्ण जगत में व्याप्त है। सृष्टि में निरंतर गतिशीलता और परिवर्तन है। उत्पत्ति, विकास और विनाश की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। पदार्थ और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय हैं। सृष्टि त्रिगुण प्रधान है। गुणों के माप से अवस्था निर्धारण करते हैं। न्यूट्रोन–प्रोट्रोन–इलेक्ट्रोन परिमाणु के अवयव हैं; वात–पित–कफ स्वास्थ्य गुण हैं; लाल–हरा–नीला मूल रंग हैं; सत–रज–तम स्वभाव गुण हैं; श्वेत, लाल, प्लेटलेट रक्त के तीन प्रकार के सैल (कणिकाएं) हैं; इत्यादि मूलभूत तीन गुण। लोक व्यवहार में नदी, वन, पर्वत, सूर्य, कूप, तड़ाग आदि को देवता मानना दाता के प्रति कृतज्ञता का भाव है। जल–वायु का प्रदूषण हेय माना गया। "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्विद् दुखभाग भवेत।।" दैनन्दिन प्रार्थना बन गए। "योगः कर्मसु कौशलम्" से उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया। शुचिता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, तपश्वर्या, अपरिग्रह जैसे जीवन मूल्यों पर बल दिया गया। अग्रणी बनने के लिए सदा प्रेरित किया। एक प्रेरक ऋचा का

भावानुवाद इस प्रकार हैं – "हम हैं दिव्य शक्ति के स्वामी, बने अग्रणी नहिं अनुगामी। अपने ही अनुभव के बल पर, नए सृजन आधार बनाएं।।" भारत के स्वर्णिम अतीत की गाथाएं ज्ञान–विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला से भरी पड़ी हैं। आम लोगों की सहिष्णुता और विश्वास से कुछ शासक क्रूर बने। विषम परिस्थितियों में आध्यात्म खडग बना, परिवर्तन भी आए।

## शिक्षा : सर्वसुलभ उद्यमोन्मुखी

औद्योगिक क्रांति का हल्का झोंका भारत में आया; उद्योग–धंधे पनपे। लेकिन वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) की आंधी ने भारत के अपने उद्योगों को उखाड़ा। विनिर्माण सेक्टर कमजोर होता गया। 20वीं सदी के उत्तारार्ध में कंम्प्यूटर प्रयोग बढ़ा; वैज्ञानिकों ने सूचना क्रांति का शंखनाद किया। राजनीतिज्ञ और प्रशासकों ने सूचना क्रांति को अलादीन के चिराग–सा प्रतिष्ठापित किया। औद्योगीकरण की क्रांति का लाभ न उठा सके तो कोई बात नहीं। सूचना क्रांति का अलादिन की चिराग मिल गया। TCS, Infosys, Wipro, HCL आदि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सर्विस इंडस्ट्री बन गए। इस चिराग में घी–तेल अंग्रेजी हो, यह बात कॉर्पोरेट हस्तियों, नीतिकार सभी जोर देकर कहने लगे। तकनीकी शिक्षा 10+2 के बाद पूरे देश में अंग्रेजी का माध्यम होती आ रही है। अब अंग्रेजी की शिक्षा कक्षा–1 से होने की सिफारिश हो गई है। योजना एवं प्रबंधन की दृष्टि से देखें तो लगभग 13 है, अर्थात 100 में से मात्र 13% ग्रेजुएशन करते हैं। प्रतिवर्ष 20 मिलियन ग्रेजुएट में 2 मिलियन तकनीकी शिक्षा में जाते हैं अर्थात मात्र 10% । प्राइवेट संस्थानों में प्रति छात्र वार्षिक फीस 1 से 2 लाख रूपए तक है। दलील दी जाती है कि शिक्षा–ऋण ले कर पढ़े, लेकिन उद्योग जगत उनमें से केवल 20% से कम को ही रोजगार लायक पाता है। ऋण चुकाना भी दूभर हो जाता है। इनमें से निर्यात परक उद्योगों में इंटरफेस लोगों की आवश्यकता 5% से कम होगी। इस प्रकार अंग्रेजी की आवश्यकता $13\% \times 10\% \times 20\% \times 5\% = 13 \times 10^{-5}$ अर्थात् एक लाख विद्यार्थियों में से मात्र 13–14 को ही अंग्रेजी ज्ञान कराना पर्याप्त है। कम खर्च में अपने शिक्षा तंत्र को आविष्कारोन्मुखी, नवाचारमय और सर्वसुलभ गुणवत्ता–पूर्ण बना सकते हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण तकनीकी का अधिकतम प्रसार होगा।

आजकल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जॉब भी कम होते जा रहे हैं। विश्व आर्थिक मन्दी से जूझ रहा है। शिक्षा तंत्र राष्ट्र का मेरूदंड है। स्वाभिमान और विजय कामना का प्रतीक है यह मेरूदंड। सभ्यता के विभिन्न पड़ावों पर शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के प्रयास होते रहे हैं। बाहरी आक्रामकों ने इसी शिक्षा मेरूदंड को ध्वस्त किया। नालंदा, तक्षशिला ध्वस्त किए गये। मुगल और अंग्रेजों ने भी शिक्षा मेरूदंड को कमजोर किया। अब स्वतंत्र भारत में शिक्षा तंत्र के फैलाव पर बल है, लेकिन मेरूदंड की सुदृढ़ता पर भी ध्यान देन की आवश्यकता है। शिक्षा मेरूदंड लोकधर्मी हो। थोड़े से विदेशी बाज़ार के आधर पर शिक्षा का माध्यम इंग्लिश और गुणवत्ता के लिए भारी फीस करने से बहुसंख्य प्रतिभा शिक्षा–पिपासु होकर भी आगे बढ़ने से वंचित रहती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्व सुलभ हो, मात्र अमीरों को ही नहीं। अतएव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम लोकभाषा हो। डिग्रीस्तर की तकनीकी शिक्षा भी लोकभाषा में अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए संभव है, इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। नवाचार का आधार जन–सामान्य वर्ग है, जो दो–तिहाई जनसंख्या में है। इन सबका योगदान महत्वपूर्ण होगा।

तात्पर्य यह नहीं है कि अंग्रेजी क्लिष्ट है, अनुपयोगी है, हेय है। कदापि नहीं। अन्य भाषा ज्ञान नवाचार में सहायक ही सिद्ध होगा। वैसे भी भारत बहुभाषी राष्ट्र हैं।

## समाहार दृष्टि

विज्ञान, भाषा, संस्कृति की जब बात आती है तो गांधी जी ने हिन्दी को हिन्दुस्तानी के रूप में विकसित और प्रयुक्त होने का सपना देखा था, शोषण, अत्याचार के विरुद्ध और "हिन्द स्वराज" के लिए

संघर्ष में सरल हिन्दी से देश को जगाया, जोड़ा और उठाया। भारत में आ बसी संस्कृतियों के सम्मिलन को ध्येय बनाया। वे अमेरिका की एक वर्चस्वशाली संस्कृति और बाकी सबको सोखकर बनावटी एकता ऊपर से थोपने के हिमायती नहीं थे। गांधी जी उन मशीनों के विरोधी थे जो लोगों को रोजगार से वंचित करें, लेकिन उन मशीनों के हिमायती थे जिससे आम आदमी की सृजनात्मकता बढ़े, उत्पादकता बढ़े, और आमदनी बढ़े। गांधी जी रोजगार परक बुनियादी शिक्षा के हिमायती थे। लोक भाषा में ही ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा के पक्षधर थे।

भावात्मक स्तर पर भारत की संस्कृति में एकरूपता है। ग्लोबलाइजेशन से पश्चिम का अनुकरण और भौतिक प्रतिद्वंदता बढ़ी है। लोक भाषाओं का शनैः शनैः ह्रास होने लगा है। विडम्बना है कि ज्ञान–पोषित समाज की चका चौंध में सृजनात्मक ज्ञान में कमी आ रही है। लोकोपयोगी श्रेष्ठ साहितय सर्जना भी मन्द पड़ गई है। इस सब के मूल में शिक्षा है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा है।

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अनुपम देन: हिन्दी ब्लॉगिंग

दिनेश भटट्
*छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश*

## प्रस्तावना

विज्ञान में संचार क्रांति का महत्त्वपूर्ण माध्यम है, इंटरनेट। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को नजदीक ला दिया है। इस नवीनतम प्रौद्योगिकी ने नए प्रकार के मीडिया को जन्म दिया है। यह दौर है रोज अपडेट होती बेबसाइट का, सोशल नेटवर्किंग बेबसाइट का, ब्लॉगिंग का। ब्लाग या चिठ्ठा हमें एक ऐसा स्पेस देता है जिसमें लोग अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं तथा अंतहीन खुला संवाद भी करते हैं। ब्लॉग की एक परिभाषा के अनुसार–"एक इंटरनेट बेबसाइट जिसमें किसी की लचीली अभिव्यक्ति का चयन संकलित होता है और जो हमेशा अपडेट होती रहती है।" "ब्लॉग" शब्द "वेब" और "लॉग'' द्वारा मिलकर बने शब्द वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है। ब्लाग की शुरुआत 1994 में जस्टिन हॉल ने ऑनलाइन डायरी के रूप में की थी ।

बहरहाल हम यहाँ हिंदी ब्लॉगिंग पर चर्चा करेंगे जो हिंदी भाषियों के लिए विज्ञान की अनुपम देन है। आज पूरी दुनिया में लगभग 13.3 करोड़ से ज्यादा ब्लॉगर्स हैं तो भारत में 32 लाख लोग ब्लॉग से जुड़े हैं। इनमें करीब 20 हजार हिंदी ब्लागर्स हैं।

हिंदी में ब्लॉगिंग का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। आज हिंदी ब्लागिंग में हर कुछ उपलब्ध है जो आप देखना चाहते हैं। राजनीति, धर्म, मीडिया, साहित्य ,पत्रकारिता, सिनेमा, स्वास्थ्य, खानपान, कला, शिक्षा, संस्कार, सेक्स, खेती–बाड़ी, ज्योतिष, समाज सेवा, पर्यटन, वन्य जीवन, नियम कानून इत्यादि। यहाँ खबरें हैं, सूचनाएं हैं, विमर्श हैं, आरोप–प्रत्यारोप हैं और हर किसी का अपना सोचने का नजरिया है। इस आलेख में हम अद्योलिखित ब्लॉगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे–

## सामुदायिक ब्लॉग

सामुदायिक ब्लॉग जीवन के विविध रंगों पर समाज के समक्ष अपनी बात रखने के माध्यम हैं। ये ब्लॉग रिश्ते ,अनुभूति ,साहित्य तथा अन्य सामाजिक विषयों पर जानकारी एवं गंभीर बहस–विमर्श देते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण सामुदायिक ब्लॉग हैं– मौहल्ला, युवा मन, भड़ास, कबाड़खाना, जनपक्ष, रंगकर्मी, विस्फोट कॉम, नुककड़, रेडियोनामा, इयत्ता, दाल रोटी चावल, हिमधारा, कबिरा खड़ा बाजार में, पुस्तकायन, हिन्दी किताबों का कोना ,उल्टा तीर, हिन्दुस्तान का दर्द, राजभाषा हिन्दी ,संस्कृति भारतस्य जीवनम्, तस्लीम, चर्चा पान की दुकान पर, स्वच्छ संदेश, हँसते रहो हँसाते रहो, नास्तिकों का ब्लॉग।

बच्चों के ब्लॉग एवं कार्टून ब्लॉग बच्चों की रचनात्मकता, मासूमियत, किलकारियाँ तथा शरारतों को इंटरनेट के माध्यम से खूब स्पेस मिल रहा है। यहाँ ऐसे ब्लॉग्स हैं जिनमें बच्चों

के लिए प्यारी कविताएँ, बालगीत, प्रेरक प्रसंग, प्रेरक कहानियाँ, ड्राईंग इत्यादि सब कुछ है। बच्चों के कुछ महत्त्वपूर्ण ब्लॉग्स इस प्रकार हैं—बाल मन (जाकिर अली रजनीश), बालसभा (डॉ. कविता वाचक्नवी), बाल दुनिया (आकांक्षा यादव), बाल मुस्कान (अरुण बंछोर) ,बाल संसार (किरण गुप्ता), बाल वृंद (अपराजिता) ,नन्हा मन (सीमा सचदेव), नन्हें–मुन्ने (राज भटिया), फुलबगिया (हेमंत कुमार), बचपन (दीनदयाल शर्मा), लाड़ली (सदा), खिलौने वाला घर (रश्मि प्रभा), बाल सजग (ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चे), बाल उद्यान (हिन्द युग्म) पाखी की दुनिया (अक्षिता यादव), सरस पायस (रविद्र कुमार रवि) इत्यादि। कार्टून ब्लॉग में कार्टून धमाका (सुरेश शर्मा), अजय दृष्टि (अजय सक्सेना) कार्टून कमंडल (हरिओम तिवारी) इत्यादि।

## साईंस के ब्लॉग

हिन्दी में विज्ञान संचार एवं वैज्ञानिक चेतना हेतु बहुत से सक्रिय ब्लॉग हैं। इन ब्लॉगें में दैनिक जीवन की विज्ञान विषयक वैज्ञानिक खोजें, घटनाएं, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं खानपान से संबंधित जानकारियाँ होती हैं। कुछ ब्लॉगें में अवैज्ञानिक धारणाओं, अंधविश्वास तथा पाखंडी लोगों की पोल खोलने वाली सामग्री मिलेगी। कुछ महत्त्वपूर्ण साईंस ब्लॉग—जाकिर अली रजनीश (तस्लीम, सर्प संसार), साइंस ब्लॉगर एसोसिएशन, वन्य प्राणी (प्रेमसागर सिंह) न जादू न टोना, वॉयजर, विज्ञान विश्व, सौर मण्डल, अंतरिक्ष, विज्ञान गतिविधियाँ, क्यों और कैसे विज्ञान में, साइंस फिक्शन इन इंडिया, हिन्दी साईंस फिक्शन, स्वास्थ्य सबके लिए, मीडिया डॉक्टर, स्पंदन, आयुर्वेद, मेरा समस्त, हमारा पारंपरिक चिकित्सीय ज्ञान, स्वास्थ्य सुख, क्लाइमेट वॉच, सुजलाम, खेती–बाड़ी, हरी धरती इत्यादि।

## महिलाओं के ब्लॉग

ब्लॉग के माध्यम से विभिन्न विषयों एवं विधाओं पर अपनी बात रखने के लिए महिलाओं को व्यापक मंच मिला है। अपने लेखन और संवाद के माध्यम से महिला ब्लॉगर्स काफी चर्चित हो रहीं हैं। कुछ हिन्दी ब्लॉगर भारतीय महिलाओं में सुजाता (चोखेर बाली), रचना सिंह (नारी), मनीषा कुलश्रेष्ठ (बोलो जी) रेखा श्रीवास्तव (यथार्थ, मेरा सरोकार, कथा–सागर), रश्मि प्रभा (मेरी भावनाएँ), निर्मला कपिला (वीर बहूटी ), शेफाली पांडे (कुमाँयनी चेली), प्रतिभा कटियार (प्रतिभा की दुनिया), डॉ स्वाति तिवारी (शब्दों के अक्षत), प्रत्यक्षा (प्रत्यक्षा), अलका सारवत (साहित्य हिन्दुस्तानी), आकांक्षा यादव (शब्द शिखर, सप्तरंगी प्रेम, उत्सव के रंग), रंजना सिंह (संवेदना संसार), गरिमा तिवारी (खाना खजाना, शेयर बाजार), पूनम श्रीवास्तव (झरोखा), पारुल पुखराज (सरगम), सुशीला पुरी (सुशीला पुरी), सीमा सचदेव (खट्टी मीठी यादें), वंदना गुप्ता (जिंदगी एक खामोश सफर) गरिमा तिवारी (खाना खजाना), उर्मि चक्रवर्ती (खान– पान) इत्यादि। Woman Who Blog In Hindi ब्लॉग पर हिन्दी में ब्लागिंग करने वाली महिलाओं को देखा जा सकता हैं।

## हिन्दी पत्रिकाएँ तथा हिन्दी सहित्य के ब्लॉग

इंटरनेट के जरिये हिन्दी ब्लॉगिंग ने हिन्दी साहित्य को भी नए आयाम दिए हैं । आज इंटरनेट पर अनेक हिन्दी साहित्यिक पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं– अक्षरपर्व, अनुभूति, अभिव्यक्ति, आखर, उदन्ती, उदगम्, कथाक्रम, कथादेश, कथाचक्र, कलायन, कादम्बिनी, काव्यालय, काव्यांजली, कवि मंच, कृत्या, गर्भनाल, जागरण, तथा तदभव, तहलका, ताप्तीलोक, दोआबा, नया ज्ञानोदय, नया पथ, परिकथा, पाखी, प्रतिलिपि, प्रगतिशील वसुधा, प्रेरणा, बहुवचन, भारत दर्शन, भारतीय पक्ष, मधुमति, रचना समय, रचनाकार, लघुकथा डॉट कॉम, लमही, लेखनी, लोकरंग, वागर्थ, शोध दिशा, संवेद, संस्कृति, समकालीन जनमत, समकालीन साहित्य, समयांतर, सात्यिकुंज, साहित्यशिल्पी, सृजनगाथा, स्वर्गभिवा,

हंस, हिन्दी नेस्ट, हिंदी भाषी, हिन्दी संसार, हिन्दी समय, हिमाचल मित्र इत्यादि। हिन्दी साहित्य की रचनाधर्मिता को विस्तार देने वाले ब्लॉग्स हैं–कविता कोश, गद्य कोश, जानकीपुल, समालोचन, कथाचक्र, साक्षिता, हिन्दयुग्म, नये कदम, नये स्वर, सार्थक सृजन, हिन्दी साहित्य मंच, आखर कलश, शब्दकार, नई कलम–उभरते हस्ताक्षर, ई–हिन्दी साहित्य, समय दर्पण, स्वतंत्र आवाज डॉट कॉम इत्यादि।

## साहित्यकारों एवं पत्रकारों के ब्लॉग

कुछ प्रमुख साहित्यकारों एवं पत्रकारों के ब्लॉग इस प्रकार हैं–उदय प्रकाश, गिरिराज किशोर (फिलहाल), विष्णु नागर (कवि), राजकिशोर (विचारार्थ), अशोक चक्रधर (चक्रधर की चकल्लस), सुभाष नीरव (सृजनगाथा), बलराम अग्रवाल (लघुकथा वार्ता) ,योगेन्द्र कृष्ण (शब्द सृजन), जयप्रकाश मानस, शिरीश कुमार मोर्य, अनिल जनविजय, विभूतिनारायण राय, दिनेश भट्ट (दिनेश भट्ट की कलम), पंकज चतुर्वेदी (अनुनाद) शरद कोकाश (आलोचक), गीत चतुर्वेदी (वैतागवाड़ी ), पंकज सुबीर (सुबीर संवाद सेवा), कमलेश भट्ट कमल (शंख सीपी रेत पानी), पुण्य प्रसून वाजपेयी (पुण्य प्रसून वाजपेयी), रवीश कुमार (कस्बा) इत्यादि।

## प्रवासी भारतीयों के हिन्दी ब्लॉग

हिन्दी ब्लॉगिंग को समृद्ध करने में प्रवासी भारतीयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है– संयुक्त अरब अमीरात से पूर्णिमा बर्मन (अभिव्यक्ति–अनुभूति), कनाडा से समीरलाल (उड़न तश्तरी) , आबूधावी से अल्पना वर्मा (व्योम के पार, भारत दर्शन), जर्मनी से राज भाटिया (पराया देश), पीटर्सबर्ग से अनुराग शर्मा (पिट्सवर्ग में एक भारतीय), जापान से रचना (नारी), पर्थ आस्ट्रेलिया से उर्मि चक्रवर्ती (गुलदस्ते–ए–शायरी), सिडनी से हरदीप सिंह संधू (शब्दों का उजाला), सिंगापुर से श्रद्धा जैन (भीगी गजल), लंदन से शिखा वार्ष्णेय (स्पंदन), यू के से डॉ कविता वाचक्नवी (हिंदी भारत, वागर्थ, पीढ़ियाँ), अमेरिका से आशा जोगलेकर (स्वप्न रंजिता), सुष्मा नैथानी (स्वप्नदर्शी ), पोर्टलैण्ड से रानी (आओ सीखें हिन्दी), थाइलैण्ड से दिव्या श्रीवास्तव (जील) स्वीडन से अनुपमा पाठक (अनुपम यात्रा की शुरुआत) इत्यादि।

## नेताओं एवं अभिनेताओं के ब्लॉग

भारतीय राजनेताओं में फारुख अब्दुल्ला, नरेन्द्र मोदी, लालूप्रसाद यादव, मुरलीमनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, अमरसिंह, शिवराजसिंह चौहान, ब्लॉगिंग करते हैं। फिल्म अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार, शेखर कपूर, शिल्पा शेट्टी, विक्रम भट्ट, प्रकाश झा, अरबाज खान, नंदिता दास इत्यादि के ब्लॉग मशहूर हैं।

## समाचार पत्रों के ब्लॉग

आज प्रिंट मीडिया भी ब्लॉगिंग के माध्यम से पाठकों को समसामयिक विषय पर सामग्री दे रहे हैं। ब्लॉग में अग्रसर महत्त्वपूर्ण समाचार पत्र– दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, यश भारत और हरि भूमि है।

## और अंत में

आज ब्लॉग परम्परागत मीडिया का एक विकल्प बन चुका है। भूमंडलीकरण के इस दौर में ब्लागिंग से जहाँ एक ओर भाषाएँ और उनके साहित्य समृद्ध हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर विस्तृत संवाद का एक सशक्त हथियार भी उपलब्ध हुआ है। हिन्दी ब्लॉगिंग के फालोअर्स की संख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिन्दी ब्लॉगिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अनुपम देन है।

## संदर्भ

1. "भूमंडलीकरण, हिन्दी और ब्लागिंग", लेखिका–आकांक्षा यादव, पत्रिका– संवेद वाराणसी, अंक–15–16, वर्ष 2012

2. "ब्लॉग लेखन के द्वारा वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास", लेखक–जाकिर अली रजनीश, पुस्तक–सम्मेलन छवि।

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र और हिन्दी

जी शान्ति एवं अबिरामी इल्लम

*अन्नपूर्णा फूड्स समीप, वडवल्लि, कोयम्बतूर*

**सारांश**

भाषा मनुष्य की अमूल्य उपलब्धि है। भाषा केवल संप्रेषण ही नहीं करती, चरित्र का उद्‌घाटन भी करती है। मात्र व्यक्ति के चरित्र को ही नहीं, पूरे राष्ट्र के चरित्र को उजागर करती है। समाज को जोड़ती है और संस्कृति का वहन करती है। हिन्दी हजार वर्षों से भारतीयता, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, आध्यात्मिक, सामाजिक उत्कर्ष को वाणीबद्ध करती रही है। हिन्दी आज सर्वग्रहणी क्षमता, समन्वय–शक्ति और मानकता के कारण विश्व भारती की प्रतिष्ठा को प्राप्त है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक युग का सबसे बड़ा वरदान है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में इलैक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन का सम्मिलित उपयोग ऑकड़ों को भारी मात्रा में संग्रहित करने तथा दूरस्थ स्थानों तक भेजने में किया जाता है। सेटेलाइट, कम्पयूटर, टेलीविजन, टेलीफोन, सी डी, मोबाइलफोन आदि आदि ऐसे ही बहुप्रचलित संसाधन हैं, जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाते हैं। आज मनुष्य–जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं बचा है, जो प्रौद्योगिकी से प्रभावित न हो।

सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारी दुनिया बदल दी है। सूचना क्रांति ने न केवल हमारे समाज का चेहरा बदला है, मनुष्य और उसकी भाषा को भी बदला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भाषा का एक अटूट सम्बन्ध रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस देश और जाति का विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी ज्ञान जितना अधिक उन्नत रहा है, उसकी भाषा भी उतनी ही समुन्नत रही है। हिन्दी की संरचना और इसकी शैलियों में यह बदलाव देखा जा सकता है। सूचना–युग में हिन्दी भाषा अपनी जगह बना रही है। आज भाषा का प्रयोग भी एक उद्योग के समान ही हो रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जनसंचार माध्यमों और प्रयोजनमूलक दृष्टि से हिन्दी का भी प्रयोग बढ़ रहा है।

## वर्तमान में हिन्दी की प्रगति

वर्तमान काल में हिन्दी विश्व के रोजमर्रा जीवन के कारोबार में सक्रिय भूमिका निभाती है तथा भाषा प्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। डॉ नोटियाल ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह सिद्ध किया कि ''हिन्दी'' भारत की अड़तालीस प्रतिशत से ज्यादा लोगों की मातृभाषा है तथा द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी जानने वालों की संख्या को भी मिलाएँ तो हिन्दी की जानकारी रखने वालों की संख्या 75.58 प्रतिशत है।

## विज्ञान और तकनीक में हिन्दी

विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है। राजभाषा प्रयोग के सम्बन्ध में 1960 में ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आधीन ही वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली

आयोग की 1961 में स्थापना की गयी थी। स्वतंत्रता पूर्व हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली और साहित्य निर्माण का उल्लेखनीय प्रयास काशी नगरी प्रचारिणी सभा और गुरूकुल कांगडी का रहा है। वैज्ञानिक ज्ञान को भाषा के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए परिभाषिक शब्दावली का होना अनिवार्य है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रयासों से अबतक 1600 से अधिक पाठ्य पुस्तकें, शब्द–संग्रह, शब्दकोश, परिभाषाकोश, चयनिकाएं तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। हिन्दी माध्यम में विज्ञान पढ़ने पढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए इन पुस्तकों की बिक्री पर 10 से 40 प्रतिशत तक की छूट देने की भी व्यवस्था की गई है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर कृषि, खेलकूद तक के शब्द संग्रह आयोग प्रकाशित कर चुका है। सारी शब्दावलियॉ छापी जा चुकी हैं, जिनमें वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ ही मानविकी, वानिकी और समेकित रक्षा शब्दावली भी शामिल है। आज विज्ञान, गणित, विधि अंतरिक्ष, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य सृजन आरम्भ हो गया है।

## जनसंचार में हिन्दी

जनसंचार में भी हिन्दी का प्रयोजनमूलक स्वरूप काम करता है। सारे संसार में संचार और सूचना का विस्फोट हो रहा है। हिन्दी भाषा के सामने भी अनेक चुनौतियॉ हैं। अब हम मुद्रण युग से बाहर इलैक्ट्रॉनिक युग में आ रहे हैं। टैलेक्स, फैक्स और टेलीप्रिंटर का भी व्यापक प्रयोग हो रहा है। आज टेलीविजन पर हिन्दी कार्यक्रमों की भरमार है। समाचारों के चैनल भी बहुत बढ़ गए है। अधिक से अधिक विज्ञापनों का हिन्दी में आना इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी भाषा–भाषी समाज दुनिया भर की कम्पनियों के निशाने पर है। यह हिन्दी की स्थिति मजबूत करता है। हिन्दी फिल्मों में भाषा की व्यापक शैलियॉ प्रयुक्त हुई हैं और आज भी हो रही हैं। टेलीविजन के धारावाहिकों में हिन्दी के विविध रूप मिलते हैं।

## कम्पयूटर और हिन्दी

देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है और इस लिपि में कम्पयूटर में काम करना कठिन नहीं है। अमेरीकी वैज्ञानिक नाम्स चाम्सकी ने संस्कृत और नागरी को सबसे अधिक वैज्ञानिक माना है। अब कम्पयूटर की तकनीकी चुनौती का हिन्दी ने सामना कर लिया है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर सभी अनुशासनों में उच्चस्तरीय शिक्षा तक की सारी व्यवस्था अब संगणकों के माध्यम से की जा सकती है। शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासनिक कार्य, मूल्यांकन तथा शिक्षा से संबधित लगभग सभी कार्यों में हिन्दी में संगणकों का उपयोग काफी बढ़ गया है। भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी हिन्दी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसके लिए कम्पयूटर एक शक्तिशाली तंत्र बन गया है।

## इंटरनेट और हिन्दी

उपग्रहों और कम्पयूटर की संचार क्रांति आज अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से इलैक्ट्रॉनिक समाचार पत्र घर–घर पहुंचने लगे हैं। इंटरनेट दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लगे कम्पयूटरों को जोड़कर एक व्यापक प्रणाली बना चुका है। हिन्दी ने सबसे विकसित इंटरनेट प्रौद्योगिकी की चुनौती का भी सामना करना आरम्भ कर दिया है। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं के आगमन का पहला अवसर हिन्दी पोर्टल वेब दुनिया को मिला। हमारे जीवन के दिन–प्रतिदिन के कामों में इंटरनेट की उपयोगिता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अब हम बातचीत और गपशप से लेकर शोधपरक सूचनाओं, उपयोगी डाटा, मनोरंजक संदेश और उपयोगी जानकारी तक सब कुछ आपस में बॉट सकते हैं।

प्रोटोकॉल के माध्यम से हिन्दी की पत्रकारिता के विभिन्न आयामों को प्राप्त किया जा सकता है। टी सी पी पैकेटों को सही अनुक्रम में जमाकर वर्णमाला के शब्दांशों को छांटकर शब्दों को निर्माण किया

जा सकता है। शब्द संसाधन में कामकाज की जो भी सुविधा और गुण मौजूद रहे हैं, वे सभी हिन्दी के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। अब हिन्दी में ई–मेल भेजना संभव हो गया है।

## मोबाईल और हिन्दी

मोबाईल उपकरणों में बहुभाषिक सुविधा उपलब्ध होने के कारण नोकिया कंपनी ने अपने हैंडसेट नंबर– 1100, 1110, 1112, 1600, 1800, 2310, 6030, 6070 आदि में हिन्दी भाषा को शामिल किया है। इसमें हिन्दी में संदेश भेजने और पाने में सक्षम है। हिन्दी पाठ्यलेखन की विधि नोकिया कंपनी ने प्रयोक्ता मार्गदर्शिका में हिन्दी भाषा में प्रस्तुत की है। हिन्दी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के वाक्यों का मिश्रण एस एम एस में किया जा सकता है। मोबाईल पर विदेशी पर्यटकों के लिए अंग्रेजी हिन्दी शब्दकोष, अनुवाद, वीडियो आदि सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसमें पर्यटन, बाजार, सामाजिक प्रसंग पर अनेक हिन्दी के विकल्प उपलब्ध किए गए हैं।

## निष्कर्ष

सूचना और संचार का निरन्तर विकास हो रहा है। इस संचार प्रक्रिया ने एक ग्लोबल विलेज की स्थापना कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक संचार क्रांति के इस युग में यदि हम यह स्वीकार कर लें कि भारत की एक संपर्क भाषा आवश्यक है और वह केवल हिन्दी ही हो सकती है तो हिन्दी उस चुनौती का सामना करने में समर्थ हो जाएगी जो उसके सामने है। आज टेलीविजन वीडियो और इंटरनेट ने सारी दुनिया को बदल दिया है और इससे भारत भी अलग नही रह सकता। सारी चुनौतियों के बाद भी हिन्दी लगातार विकसित हो रही है और इसका एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप भी बन गया है प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का विभिन्न जनसंचार माध्यमों में हिन्दी ने अपनी सामर्थ्य से सामना किया है। इस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिन्दी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सम्मुन्नत भाषा बन गई है।

## संदर्भ


1. दृश्य–श्रव्य माध्यम लेखन, डॉ राजेन्द्र मिश्र, ईशिता मिश्र, तक्षशिला प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली– 110 002, प्रथम संस्करण 2004
2. हिन्दी और हम, विद्यानिवास मिश्र, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली– 110 002, प्रथम संस्करण–2001.
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी और जनसंचार, डॉ राजेंद्र मिश्र, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली– 110 002, प्रथम संस्करण–2010
4. सूचना क्रांति और विश्व भाषा हिन्दी, प्रो हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली– 110 002, प्रथम संस्करण–2004.
5. भाषा और प्रौद्योगिकी, डॉ विनोद कुमार प्रसाद, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली– 110 002, द्वितीय संस्करण– 2008

# अनुवाद का महत्व तथा सार्थकता

फूलदीप कुमार एवं जगदीप कुमार
*रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली*
*लार्सन एण्ड टुब्रो, दिल्ली*

भाषा मानव की प्रकृति प्रदत्त वह नैसर्गिक धरोहर है जिसके उद्‌भव और विकास का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मनुष्य का। भाषा मनुष्य की अमूल्य संपत्ति है। भाषा एक विशिष्ट और विलक्षण ज्योति है जिसके आलोक से ज्ञान का प्रकाश फैलता है। संपूर्ण विश्व में अनेकों भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। वाणी से जो ध्वनियॉं प्रस्फूटीत होती हैं उन्हें भाषा के स्वर और व्यंजनों में विभाजित किया गया है। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों पर स्थित विभिन्न राष्ट्रों में स्थित विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाएं हैं। संसार मे व्याप्त इस भाषा भेद के बावजूद मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण विभिन्न भाषा बोलने वाले समाजों में परस्पर आदान–प्रदान हुए। विभिन्न भाषाओं के संवाद से अनुवाद की उत्पत्ति हुई। यह नितांत प्राकृतिक प्रक्रिया रही। निश्चय ही प्रारंभ में यह अत्यंत जटिल रही होगी और इसमें सांकेतिक भाषा का प्रचुर उपयोग करना पड़ा होगा, आज भी करना पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का आदान–प्रदान, उनका स्पष्टिकरण और उनके व्यवहारिक रूप की अनुभूति अनुवाद द्वारा ही संभव है। अनुवाद मूल भाषा में कहे गए विचारों का लक्ष्य भाषा में पुनः प्रकटीकरण है।

विभिन्न संस्कृतियों में आदान–प्रदान के प्रमुख कारण व्यापार, युद्ध, धर्म प्रचार तथा ज्ञान प्राप्ति रहे होंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि विकसित संस्कृतियों की भाषा की कृतियों का सर्वाधिक अनुवाद किया जाता है। आपको संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों के अनुवाद लगभग विश्व की सभी भाषाओं में मिलेंगे। क्योंकि जब हमारी संस्कृति सर्वाधिक विकसित थी। आज यह स्थान पाश्चात्य सभ्यता के पास है, इसलिए अंग्रेजी में उपलब्ध ज्ञान–विज्ञान का अनुवाद विश्व की अन्य भाषाओं में आज अधिक हो रहा है। वर्तमान शताब्दी में अंग्रेजी के इस अभूतपूर्व उत्कर्ष का प्रमुख कारण है। विज्ञान की सभी विधाओं में उत्कृष्ट ज्ञान का सृजन तथा विश्व व्यापार की भाषा के रूप में इसका उपयोग। इसके फलस्वरूप जीवनयापन हेतु सर्वाधिक उपयोगी कोई भाषा यदि आज विश्व में है तो वह अंग्रेजी है।

हमारे दैनिक जीवन में अनुवाद का बहुआयामी तथा विस्तृत महत्व है। अनुवाद आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता है। विश्व में अनेक भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं, ऐसी स्थिति में अनुवाद वैश्विक विचार–विमर्श की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र भारत की बात करें तो भी स्थिति काई अलग नहीं है। हमारी 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं इसे देखते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पाते हैं कि हिन्दी तथा अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती हैं। विभिन्न टी वी चैनलों के कारण भारत में हिन्दी तथा अंग्रेजी को समझने, बोलने एवं लिख पाने वाले लोगों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। भारतीयों द्वारा विभिन्न देशों में जा कर व्यापार तथा जीवकोपार्जन करने के कारण भी हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रसार हो रहा है। आज अनुवाद का महत्व इसलिए भी ज्यादा हो गया है चुंकि शिक्षा का स्तर लगाातार बढ़ रहा है। जिससे मानव की

जिज्ञासु प्रवृति और अधिक बलवति हो रही है। आज मानव दूसरी भाषा एवं संस्कृति में उपलब्ध ज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, साहित्यिक, वाणिज्यिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों से संबंधित जानकारी पाना चाहता है।

आज जन संचार माध्यमों के कारण हम विश्व के सभी समाजों से जुड़े हैं। हाल ही में गॉड पार्टिकल नामक हिग्स बोसोन की खोज को लगभग उसी दिन विश्व की अनेकों भाषाओं में रूपांतरित कर विश्व के सभी राष्ट्रों में जानकारी प्रसारित की गई। इस खोज का मूल साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध होने पर भी संचार माध्यमों ने फूर्ति से इसे हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तुरंत अनुदित कर उपलब्ध कराया। इससे हमें अनुवाद के महत्व का अंदाजा मिलता है।

अनुवाद ज्ञान के संचार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम अनुदित फिल्में देखकर दूसरी संस्कृतियों के बारे में अधिक जानते हैं। हमारी विज्ञान की जानकारी में भी अनुवाद का महत्वपूर्ण भाग है, विज्ञान का सृजन अनेकों भाषाओं में हुआ और अनुवाद के कारण ही यह सर्वत्र उपलब्ध हैं। आजकल ओलंपिक खेल लंदन में चल रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्यजनक लगता है की 190 राष्ट्रों के खिलाड़ी किस प्रकार विभिन्न भाषा–भाषी होने के बावजूद नियमों का पालन करते हुए विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं, निश्चय ही अनुवाद का महत्व इसमें परिलक्षित होता है।

इतिहास में अपने धर्म, मत, तथा संप्रदाय का प्रचार करने की दृष्टि भी अनुवाद का उपयोग किया गया। महान राजा अशोक (272–233 ई0 पू0) ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अफगानिस्तान, यूनान, सीरीया, मैसिडोनिया, पर्शिया, चीन, जापान, श्रीलंका तथा अन्य राष्ट्रों में अपने दूत भेजे। उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार सामग्री का उन राष्ट्रों की भाषा में अनुवाद कर उसका प्रचार किया।

इसी प्रकार ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत आए। उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर अपने धर्म का प्रचार किया। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के प्रचारकों द्वारा भी विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में अपने धर्म के प्रचार हेतु अनुवाद का सहारा लिया। आजकल पाश्चात्य राष्ट्र अपनी संस्कृति का प्रसार करने के लिए भी अनुवाद का सहारा ले रहे हैं। वे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया में अपनी संस्कृति की खबरें विश्व की अन्य भाषाओं में प्रसारित करवा रहे हैं। उन्हें इसमें कामयाबी भी मिल रही है, आपने देखा होगा की वेलेंटाइन डे मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। अन्य किसी त्यौहार की मीडिया में चर्चा हो या ना हो इसकी अवश्य होती है। दूसरी संस्कृतियों में घुलने–मिलने के लिए अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। पाश्चातय देश अपनी संस्कृति के प्रसार में अनुवाद का उपयोग कर नित नई सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वे अपने खान–पान, उदाहरण के तौर पर पिज्जा, बर्गर, पैटीज को भारत के कस्बों तक पहुंचाने में कामयाब हुए है। वे अपने परिधानों, जैसे कि जीन्स, कोट, पैन्ट को विश्व के सभी भागों में पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। आज अपको बाइबिल का अनुवाद विश्व की प्रत्येक भाषा में मिल जाएगा। आपको जानकर अचंभा होगा कि हिन्दी का प्रचार भी तेजी से हुआ है। भारतीय लोगों द्वारा विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में काम–धन्धों की तलाश में जाने से हिन्दी समझने वालों की संख्या बढ़ी है। हिन्दी अब केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नही है अपितु विश्व की चुनिंदा भाषाओं में शुमार है। विश्व की कुल जनसंख्या के अनुपात में छठवें हिस्से की आबादी हिन्दी समझ तथा बोल सकती है, परंतु हिन्दी लिख पाने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं है।

अनुवाद करते समय अर्थ का अनर्थ न हो यह भी महत्वपूर्ण है। सही और सार्थक अनुवाद के लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का ज्ञान अति–आवश्यक है। पर बात केवल ज्ञान तक आकर नहीं ठहरती। यह अभिव्यक्ति तक जाती है। अनुवादक को श्रोता या पाठक की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अनुवाद को प्रस्तुत करना चाहिए। अनुवाद की प्रकृति विषय पर भी निर्भर करती है। शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, साहित्य, अध्यातम, राजनीती इत्यादि क्षेत्रों में अनुवाद अपनी–अपनी विशिष्ठ शैली

में करना पड़ता है। शब्दों के अर्थ भी परिस्थिति तथा प्रसंग के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, अनुवादक को इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अनुवाद विज्ञान भी है तथा कला भी। यह विद्या कुछ नियमों से भी बंधी है तथा इसमें सृजन की छूट भी है। कोई भी अनुवाद, अनुवादक के व्यक्तिगत ज्ञान, विषयगत संदर्भ एवं सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। स्त्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा में भाषागत संरचनाएं अलग–अलग होती हैं। वाक्य संरचन हेतु सभी भाषाओं मे मानक व्याकरणिक नियम हैं। वाक्य के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद एक सामान्य व्याकरणिक रूपांतरपरक प्रक्रिया है। वास्तविक अनुवाद का मुख्य अभिदेय वस्तुतः शब्दार्थ विकल्प विश्लेषण ही है। कभी–कभी विकल्प विश्लेषण इनने समान होते हैं कि अनुवादक के लिए चयन कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी कारण अनुवादक को लक्ष्य भाषा के सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। उसका यह ज्ञान और अनुभव जितना होगा, अनुवाद उतना ही यथार्थपरक होगा। शब्दों की संस्कृति भी अलग–अलक हो सकती है, उदाहरण के तौर पर पानी तरल पदार्थ है जिसे मनुष्य पीते है। इसका अंग्रेजी शब्द होगा  Water. जल वह तरल पदार्थ है जो ईश्वर पर चढ़ाया जाता है यह प्रसाद के रूप में मिलता है, इसका अंग्रेजी शब्द होगा Holy Water. नीर वह तरल पदार्थ है जो मानव की आंखों से खुशी था दुख के समय निकलता है इसका अंग्रेजी शब्द होगा Tear. इस प्रकार हम देखते हैं की शब्द बेराक समान अर्थ के हों या पर्यायवाची हों परंतु उनकी संस्कृति अलग होने के कारण वें पूर्णतः भिन्न हैं। अनुवादक को यह भी देखना चाहिए कि किस प्रसंग में शब्द का उपयोग किया गया है उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी शब्द Bill. यदि इस शब्द का उपयोग होटल के संदर्भ में किया जा रहा है तो यह पैसे चुकाने से संबंधित है। यदि इस शब्द का उपयोग संसद के संदर्भ में किया जा रहा है तो यह विधेयक है। यदि इस शब्द का प्रयोग प्रचार सामग्री के संदर्भ में किया जा रहा है तो यह पोस्टर है।

भारतीय संस्कृति आदि युग से ही ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' अर्थात् सारा विश्व एक बड़ा परिवार है की भावना प्रचारित करती रही है। अनुवाद के माध्यम से ही विश्व के साहित्य, संस्कृति, प्रगति, परंपराओं, उपलब्ध ज्ञान, आदि परस्पर जानकारी संभव है। वैश्विक परिवार बोध के लिए अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। एक–दूसरे के बारे में जानकारी के लिए अनुवाद ही एक मात्र सहारा है। जे डब्ल्यू गेटे का कथन है कि ''अनुवाद की अपूर्णता के संबंध में कोई चाहे जो भी कहे, परंतु अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है।''

यदि अनुवाद ना होता तो हमारी स्थिति कुएं के मेढ़क जैसी होती। हमें केवल हमारे समाज के ज्ञान एवं संस्कृति की जानकारी होती, जो निश्चित रूप से अभी उपलब्ध जानकारी की तुलना में नगण्य होती और ऐसा सभी समाजों के साथ होता। हर व्यक्ति संसार की प्रत्येक भाषा नहीं सीख सकता। ऐसी स्थिति संपर्क स्थापित कर सकती है। जब तक विश्व के सभी लोग एक जैसी भाषा की खोज नही करते जिसे सभी लोग समझें तथा अपनायें तब तक अनुवाद का महत्व बना रहेगाा तथा अनुवादकों का आवश्यकता रहेगी। यह सच ही की अनुवाद में कभी–कभी कुछ कमियां रह जाती हैं तथा अच्छे अनुवादक बहुत कम हैं फिर भी उनका महत्व है। अनुवादकों को भी अपनी दक्षता में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए तभी वे बेहतर कर पाऐंगे। आजकल विशिष्ट अनुशासन के रूप में अनुवाद विषय के अध्ययन की आवश्यकता और उपादेयता पर विशेष बल दिया जा रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालय अब इसे विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं, इससे निश्चय ही अनुवाद के स्तर में बढ़ोतरी होगी। आजकल मशीनी अनुवाद पर भी कार्य हो रहे हैं। इनमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। परंतु इस क्षेत्र में अभी काफी कार्य किया जाना शेष है। शिलालेखों के भाषांतरण में अपने अस्तित्व की खोज करने वाला 'अनुवाद' आज कंप्यूटर युग में प्रवेश कर गया है।

# विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान– हिन्दी भाषा के परिप्रेक्ष्य में

सी आर राजश्री

*डॉ जी आर दामोदरन विज्ञान महाविद्यालय, तमिलनाडू*

## सारांश

पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन आए हैं। विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है। इसके कारण सूचना युग का पदार्पण हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण दूर संचार, उपग्रह और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति हुई है। इन्टेरनेट एक सूपर हैवे की तरह उभर कर आया है। पहले जहाँ सूचनाओं और जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पडती थी, आज सूचना क्रांति के कारण कहीं से भी, कहीं भी, बैठकर हम सूचना सम्राट बन सकते हैं। कंप्यूटर के जरिए यह काम सुलभ प्राप्य है, परंतु आज मोबाइल फोन से भी यह सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। निःसंदेह सूचना क्रान्ति मानव सभ्यता की सबसे बडी महत्वपूर्ण क्रान्ति है।

इस प्रगति के दौर में भाषा के रूप पर प्रकाश डालते हुए यह कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा के विकास में निःसंदेह जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस पडाव में हम सभी को यह चिंतन अवश्य करना होगा कि प्रगति के इस दौर में कहीं हमारी भाषा में विकृतियाँ न आ जाए। साहित्य परिदृश्य तक अपने को सीमित कर लेने से आज हिन्दी शिक्षकों का कर्तव्य पूर्ण नहीं होगा। हम सबको यह नई दस्तक सुननी होगी और नए द्वार भी खोलने होंगे ताकि हम भी इस नए वातावरण में अपने को अनुकूल बना सकें।

मानव इतिहास के किसी भी कालखंड में मानव समाज के विकास में जड़ता नहीं रही हैं। सामाजिक परिवर्तन का पहिया कभी रुका नहीं है। आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तनों का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलोजी वैज्ञानिक सिद्धांतों का जनसाधारण के जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यावहारिक उपयोग होता है।

प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप नए–नए औद्योगिक नगर बसते हैं, कल–कारखाने लगाए जाते हैं, सुविधाजनक यंत्र आविष्कृत किए जाते हैं; जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि में विकास व वृद्धि सुलभ होता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संचार माध्यमों को यह शक्ति प्रदान की है कि वे समाज को न केवल सूचनाएँ या मनोरंजन प्रदान करें, वरन दिशा भी दें, और समाज के सांस्कृतिक विकास में भी अपना योगदान दे। वर्तमान युग में संचार प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से सूचनाओं के प्रचार–प्रसार में विश्व में जो क्रांति आई है, उससे प्रत्येक क्षेत्र को लाभ हुआ है। इसके बदौलत औद्योगिक, शैक्षिक, रोजगार तथा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में विकास की लहर का जो प्रभाव पड़ा है, उससे हमें लाभ ही हुआ है।

कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणालियों, इन्ट्रानेट, इन्टरनेट व एक्सट्रानेट की सहायता से सूचनाओं का आदान–प्रदान तीव्र गति से किया जा रहा है। ओनलाइन बैंकिंग, रेलवे की बुकिंग, हवाई जहाह की बुकिंग, बस की बुकिंग जैसे अन्य सुविधाओं से हमारा समय बच जाता है। आज तो ओनलाइन शोपिंग की भी बोल–बाला है।

प्रगति व परिवर्तन रथ के दो पहिए हैं। ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति करता हुआ आज मनुष्य जहाँ पहुँचा है, वहाँ थोड़ी देर थम कर यह विचार करने की आवश्यकता है कि मनुष्य की यह प्रगति उसे किस दिशा की ओर ले जा रही है? भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है, अतः उसकी प्रगति की, उसके जीवन के विकास की वह साक्षी भी है और अनुगामिनी भी।

आज एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है, जिसे ग्लोबल विलेज भी कहा जा रहा है। देशों की सीमाएँ टूटी है, उदारीकरण, बाज़ारवाद, भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप मानव अपनी उपलब्धियों का एक नया इतिहास रच रहा है। हम यह नकार नहीं सकते कि जनसंचार माध्यमों में जो क्रांति आयी है, वह हमें हतप्रभ कर रही है। मीडिया की संभावना असीम है। जनसंचार के बहुमाध्यम आज हमारा समस्त वातावरण परिवर्तन में तल्लीन एवं तत्पर है। आज के दौर में हर व्यक्ति इन माध्यमों की उपादेयता भी जानता है और उसका प्रयोग भी कर रहा है। जनसंचार की इस उत्क्रांति में हमारी भाषा कहाँ है? प्रगति के आक्रोश में उसने कौन–सा रूप वहन किया है। प्रत्येक युग इस बात का दस्तावेज है कि भाषा आवश्यकतानुसार अपना रूप बदलती आ रही है।

जहाँ तक हिन्दी भाषा का सवाल है, वह तो एक ऐसी गंगा है, जो उससे मिलने को इच्छुक है, ऐसे जल प्रवाहों को अपने में समाहित कर उन्हें भी गंगाजल बना देती है। आज हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भाषा अध्ययन को केवल व्याकरण या साहित्य तक सीमित न रखकर जो भाषा आज जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त हो रही है, उस दिशा की ओर भी ले जाए। हमारी इस भाषा के विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा, पत्र–पत्रिकाएँ एवं इन्टेरनेट से भाषा विकास में हमारे मित्र बन गए हैं।

मीडिया आज जनसाधारण के मध्य अत्यन्त लोकप्रिय है। इसके मूल में भाषा व्यवहार और प्रयोग की भूमिका अत्यन्त उल्लेखनीय है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रायः सरकारी नियंत्रण में है अतः एक ओर इसकी विश्वसनीयता अक्षुण्ण है तो दूसरी ओर हिन्दी के व्यापक क्षेत्र को संस्पर्श करने के कारण उसका दायित्व भी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में मानक भाषा–प्रयोग के साथ सरल–सहज संप्रेष्य व शुद्ध लेखन और प्रयोग भी आवश्यक है। इसी लक्ष्य की पूर्ति केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि और हिन्दी की वर्तनी का मानकीकरण प्रस्तुत किया गया।

हमारे राज्य की राजभाषा घोषित होने के बाद हिन्दी के मानकीकरण व उसके सर्वस्वीकृत एक रूपता के ध्येय से वर्णमाला में समानता के प्रयास किए गए। फिर टाइपराइटर एवं आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की एकरूपता पर व्यापक विचार–विनिमय करके वर्णमाला व अंकों का मानक स्वरूप निर्धारित किया गया। आज युग की माँग है कि हिन्दी अपने पैरों पर खड़ी होकर उपयोगिता की भाषा बने अन्यथा वह पिछड़ जायेगी। अंग्रेज़ी मानसिकता ने इस देश में भाषा के स्तर पर एकाधिपत्य स्थापित कर हिन्दी को पिछडा प्रमाणित करने के कुचक्रों को ही विकसित किया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में विश्वबाजार में हिन्दी भाषा के व्यवहार को स्थापित करना होगा। इस उपक्रम में एक ओर जहाँ हिन्दी के अस्तित्व को बनाए रखना होगा और दूसरी ओर इसकी समृद्ध परंपरा को कायम रखना होगा तथा हमें भी विदेशी भाषाओं से सरोकार रखकर अपनी दक्षता बढ़ानी होगी।हिन्दी और भारतीय भाषाओं की लिपियाँ अनेकता में एकता को अंगीकार करती हुई अंतर्निहित शक्ति का पोषण करती रही है, जिसके फलस्वरूप आई एस सी 2 नामक एक मानक कोडिंग–प्रणाली का विकास हुआ। इसमें भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण–पूर्व एशिया की भाषाओं एक लिपियों के साथ रोमन लिपि पर आधारित सभी यूरोपीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इससे जहां प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी–सहित भारतीय भाषाओं और दक्षिण–पूर्व एशिया की भाषाओं का पथ प्रशस्त होगा, वही डॉस, यूनिक्स, नेटवर्किंग आदि समग्र परिचालन–प्रणालियों या प्लाटफार्मों में संसाधन की सुविधाएं उपलब्ध होगी।

विश्व के चार प्रमुख भाषाओं में हिन्दी का स्थान सुरक्षित होने से हम भारतवासियों को गर्व करने का अधिकार है। अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भी वर्तमान आधुनिक संचार माध्यमों की वजह से विश्व पटल पर सम्माननीय स्थान बना पाने में सफल रही है। भारत में कंपयूटर के प्रवेश के पश्चात् अंतराल तक हिन्दी उपेक्षित रही। हिन्दी में अनेक फोंट तैयार किए गए, जो एक दूसरे को सही स्वरूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कालान्तर में यूनीकोड ने इस समस्या का समाधान करने की पहल की। आज 'परिवर्तन' सोफ्टवेयर ने कृतिदेव, श्रीलिपि आदि समस्त फोंट को यूनिकोड़ में परिवर्तित कर हिन्दी के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया है। इस वजह से हिन्दी भी इंटरनेट की महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थान पाने में सफल रही है। पहले इन्टेरनेट में अंग्रेज़ी का दबदबा था, परंतु भारत में तेजी से हिन्दी के वेबसाइट खुलते जा रहे हैं। आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने भी विश्वस्तर पर हिन्दी को आगे बढ़ाने हेतु मार्ग प्रशस्त किया है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्यापन हो रहा है।

हिन्दी भारत की आत्मा है – उसकी प्रतिष्ठा भारत की प्रतिष्ठा है। हिन्दी श्रम और संघर्ष की भाषा है। यह उदार भाषा है और इसकी उदारता के सामाजिक कारणों का अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जो भाषा उदार नहीं होगी, वह बड़े स्तर पर संपर्क भाषा नहीं बन सकती। भाषा के साथ विचार और संस्कृति जुडी होती है। अंग्रेज़ी सत्ता की भाषा रही है। आज हिन्दी समाज का व्याकरण बदल रहा है। भाषा का ही व्याकरण नहीं होता, अपितु समाज का भी अपना व्याकरण होता है। हिन्दी की राज सत्ता ने कभी शक्ति नहीं की। लेकिन ध्यातव्य बात यह है कि हिन्दी लड़ने वाली भाषा रही है।

जन्म से मृत्यु तक हिन्दी जन मन गण में इतनी रची बसी है कि यह भारतीय एकता का एक मेरुदंड बन गई है। भौतिक श्री संपदा छः रसों से सिंचित करती है, तो हिंदी हमारे मन मस्तिष्क को नौ नहीं दस रसों से प्लावित करती है और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक श्री संपदा सहज ही सुलभ करती है। हमारी सोच और समझ को, चरित्र और व्यवहार को, सृजन और समीक्षा को, विद्वता और पाण्डित्य का अनुभूति प्रदान कराती है, हिन्दी और केवल हिन्दी। ओज, माधुर्य और शालीनता को अभिव्यक्ति प्रदान करती है हिन्दी। अध्ययन और अनुशीलन की भाषा है हिन्दी–अभिभावन और अभिनंदन की भाषा है हिन्दी। पुरुषार्थ और परमार्थ की भाषा है हिन्दी तथा हमारे धर्म और कर्म की भाषा है हिन्दी। अतः हिन्दी हमारी श्रद्धा का योग है और विश्वास का संयोग। एकता एवं सुरक्षा का प्रतीक है। चिंतन और मनन का नवनीत है।

## संदर्भ


1. राजभाषा हिन्दी प्रशिक्षण–डॉ विनयकुमार पाठक
2. हिन्दी भाषा व देवनागरी लिपि : स्वातंत्र्य चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति–डॉ बृजेश सिंह, राष्ट्रभाषा पत्रिका अंक मार्च–अप्रैल 2008, पृ. 7
3. संचार बुलेटिन – पत्रिका
4. कंप्यूटर प्रयोग और हिन्दी – डॉ अमरसिंह वधान
5. आठवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, न्यूयार्क, अमेरिका सम्मेलन समाचार
6. सन्मार्ग समाचार पत्रिका – 14 सितंबर 2012, कलकत्ता।
7. हिन्दी भाषा के विकास में आधुनिक जनसंचार माध्यम की भूमिका – संगोषि स्मरणिका
8. सर्वोत्तम हिन्दी निबंध – सहनी–सिंह
9. आदर्श हिन्दी निबंध – भुवनेश्वरी चरण सक्सेना

# हिंदी के प्रसार में अनुवाद की भूमिका

श्रीनारायण सिंह
*केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली*

**सारांश**

भूमंडलीकरण और सूचना क्रांति के वर्तमान समय में एक तरफ जहां पूरा विश्व गांव बनता जा रहा है, वहीं अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ रहा है। हर पखवाड़े दुनिया के किसी न किसी कोने की कोई न कोई एक भाषा विलुप्त हो रही है। ऐसे में हिंदी का प्रसार करना हिंदी के बहाने विश्व के प्रत्येक सातवें व्यक्ति की भाषा और उसकी पहचान को जीवंत और प्रभावकारी बनाना है। साथ ही विकासशील दुनिया की अभिव्यक्ति और उसकी पहचान को सुरक्षित तथा संवर्द्धित करना भी है। ऐसा करना यूनेस्को के 1999 में हुए महाधिवेशन में पारित प्रस्ताव का अनुपालन करना भी है। यह महत्तर कार्य अनुवाद के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। बाज़ारवाद के जमाने में बाज़ार की लड़ाई बाज़ार के हथियारों से ही लड़ी जा सकती है। हिंदी का प्रसार और बाज़ार अगर बढ़ाना है। तो अनुवाद को व्यक्ति केंद्रिक (Man-centric) कर्म से आगे ले जाकर समूह केंद्रित (Team-centric) बनाना होगा। अनुवाद को निजी तथा सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर उद्यम का रूप देना होगा। संचार क्रांति और सूचना विस्फोट के मौजूदा दौर में यह काम अब केवल मनुष्य के बल–बूते भी नहीं छोड़ा जा सकता है। हिंदी में और संपूर्ण बहुभाषिक दुनिया में मशीन ट्रांसलेशन की संकल्पना जितनी जल्दी सफल होगी, समस्त विकासशील समाज एक मुकम्मिल सूचना समाज और ज्ञान समाज बन पाएगा। दुनिया के विकासशील देश आज जिन वजहों से भारत को आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं, उनमें भाषाई संकट से मुक्ति की आकांक्षा और उसके निराकरण की तलाश भी एक बड़ी वजह है। हम अपने अनुवाद मॉडल से भी अपने दायित्व और नेतृत्वकारी दावेदारी को सशक्त बना सकते हैं। हम हिंदी के प्रसार के माध्यम से न केवल भारतीय समाज का, बल्कि दुनिया भर में रह रहे समस्त हिंदी–ज्ञानी भारत–मित्रों और उनके देशों का भी विकास और उत्थान चाहते हैं। हिंदी के जरिए हम वर्चस्वमुक्त, परस्पर निर्भर और भरोसेमंद समाज एवं संसार बनाना चाहते हैं।

हिंदी के प्रसार में अनुवाद की भूमिका हमारी बहुभाषी दुनिया में आपसी संवाद और परस्पर उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुवाद की भूमिका निर्विवाद रूप से हिंदी भाषी समाज को ज्ञान–समाज में रूपांतरित करने और विकसित दुनिया के समक्ष एक वैकल्पिक दुनिया खड़ा करने के निमित्त भी महत्वपूर्ण है।

हिंदी के प्रसार में अनुवाद की भूमिका उसके (हिंदी के) अभ्युदय काल से ही सकारात्मक रही है। अंग्रेजी उपनिवेश के दिनों में भारत जब आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, हिंदी स्वाधीन चेतना की जुबान बनकर विकसित हो रही थी। तब हिंदी के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की लड़ाई ही नहीं लड़ी जा रही थी, वरन् अनुवाद के जरिए पश्चिम के ज्ञान और शास्त्र से भारतीय जनमानस का परिचय भी बढ़ाया जा रहा था। यह सिलसिला जल्दी ही परवान चढ़ा। लोगों में स्वाधीनता और आधुनिकता की

ऐसी चाह पैदा हुई, जिसे नियंत्रित करना असंभव था। परिणामस्वरुप भारत आजाद हुआ और हिंदी स्वतंत्र भारत के राजकाज की भाषा बनी। इस प्रकार हिंदी के संदर्भ में अनुवाद की संवादी भूमिका आरंभ से ही परअसर और पुरसुकून रही है।

भूमंडलीकरण और सूचना क्रांति के वर्तमान समय में एक तरफ जहां पूरा विश्व गांव बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाषाओं की दुनिया में आफत आन पड़ी है। एक ओर अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर हर पखवाड़े दुनिया के किसी न किसी कोने की कोई न कोई एक भाषा विलुप्त हो रही है। भाषाओं का यह संकट असल में मनुष्य की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक पहचान के समक्ष उपस्थित अब तक का सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में हिंदी का प्रसार करना न केवल भारत की भाषा और सहवर्ती बोलियों को बढ़ावा देना है, बल्कि हिंदी के बहाने विश्व के प्रत्येक सातवें व्यक्ति की भाषा और उसकी पहचान को जीवंत और प्रभावकारी बनाना है। साथ ही विकासशील दुनिया की अभिव्यक्ति और उसकी पहचान को सुरक्षित तथा संवर्द्धित करना भी है। ऐसा करना एक प्रकार से 'यूनेस्को' के 1999 में हुए महाधिवेशन में पारित प्रस्ताव का अनुपालन करना भी है, जिसमें मनुष्य की अभिव्यक्ति और अस्मितागत पहचान के समक्ष उपस्थित संकट को गंभीर मानते हुए विश्व भर के देशों की सरकारों से देसी भाषाओं और बोलियों को बचाने एवं उनका प्रयोग तथा प्रचलन बढ़ाने का आह्वान किया गया है।

भूमंडलीकरण में ज्ञान के आदान–प्रदान एवं जानकारी आधारित काम–काज को बढ़ावा देने का बोलबाला है। व्यापार और मुनाफा इस नए जमाने का नया धर्म बन गया है। पिछड़े देश और पिछड़ा समाज अपने विकास के लिए आज हरसंभव संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें एक ही समय में विकास से मोह और अपनी संस्कृति की रक्षा न कर पाने की व्यथा से गुजरना पड़ रहा है। पराई–भाषा में सुलभ ज्ञान स्वभाषा को मार देती है। लोक को अपनी संस्कृति से काट देती है, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती, भाषा संस्कृति का संवाहक भी होती है। पराई भाषा आदमी को रटंत तोता बना देती है, उसकी नवोन्मेषी प्रवृत्तियों को भोथरा कर देती है। ऐसे में अनुवाद के माध्यम से हिंदी का प्रसार विकसित दुनिया के सामने एक वैकल्पिक दुनिया निर्मित कर सकता है। निश्चय ही वह वैकल्पिक दुनिया समस्त विकासशील देशों के बहुभाषा–भाषी समाज में हिंदी प्रयोक्ताओं और जानकारों की विराट दुनिया होगी द्य ऐसा इसलिए कि हिंदी भाषा का जो सर्वग्राही स्वभाव, लोक केंद्रित अनुशासन और सहज विन्यास है, वह सर्वहितैषी तथा प्रीतिकर है।

इस उद्देश्य से अनुवाद का व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है। इस अभियान में अनुवाद की व्यक्तिनिष्ठता के समानांतर सामूहिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा। अनुवाद अगर अनुसृजन बनकर सहज, सुलभ और बोधगम्य होता है तो इसके लिए भाषिक रूपांतरण नहीं, बल्कि भावांतरण ही काम्य हो सकता है। मार्केटिंग में छोटे मुहावरेदार पंच लाइन यदि मनमोहक और प्रभावकारी होती है तो निश्चित रूप से हिंदी के प्रसार में जरूरत व्यक्ति केंद्रित अनुवाद की नहीं, बल्कि सामूहिकता में विकसित अनुसृजन के भावांतरण को बढ़ावा देने की है। बाज़ारवाद के जमाने में बाज़ार की लड़ाई बाज़ार के हथियारों से ही लड़ी जा सकती है। हिंदी का प्रसार और बाज़ार अगर बढ़ाना है तो अनुवाद को अनुसृजन बनाकर ही उसकी भूमिका को प्रभावकारी और युगांतकारी बनाया जा सकता है।

वैसे अनुवाद भाषिक अगम को सुगम बनाने का क्रांतिकारी कर्म है। ठीक वैसे ही, जैसे भाषा का उद्भव और विकास मानव सभ्यता की क्रांतिकारी परिघटनाओं में से एक है। अनुवाद बुनियादी तौर पर हमारी सभ्यता के आदिम पेशों में से एक है और अनुवादक आदिम पेशेवर। अनुवाद के आदिम और अनगढ़ रूप से आधुनिक स्वरूप तक की विकास यात्रा असल में अनुवाद के स्वभाव में निहित सृजनशीलता और नवाचार (Creativity and innovation) का द्योतक है। सृजन और नवाचार स्वयं में क्रांतिकारी होते हैं। अनुवाद के इन्हीं गुणों ने उसे अपने सरोकार में आधुनिक एवं संरचना में व्यावहारिक ज्ञानानुशासन बनाया है।

अनुवाद अपनी महत्तर भूमिका में देशों और दूरियों में फैले भाषाई विविधता को पाटकर संवाद का सिलसिला शुरू करता है। और इसी की बदौलत आज के सूचना–विस्फोट के दौर में भी यह सभ्यताओं के बीच आपसदारी कायम करने का जरूरी जरिया बना हुआ है। इन्हीं गुणों के कारण अनुवाद सबके लिए सभी भाषा–भाषियों के लिए और ज्ञान–विज्ञान के सभी अनुशासनों के लिए अपरिहार्य बन जाता है।

ज्ञानानुशासन में अनुवाद की अपरिहार्यता उसकी प्रक्रिया और प्रयोग के रास्ते से जुड़ती है। अनुवाद की प्रक्रिया का मतलब अनुवाद की विधि यानी तौर–तरीका अर्थात् अनुवाद कैसे संभव होता है, के विश्लेषण से है। यह विश्लेषण भाषा के अनुप्रयुक्त क्षेत्र से जुड़ा है। इसमें भाषा विज्ञान की भूमिका विशिष्ट होती है। इस भूमिका ने यंत्र अनुवाद, दूसरे शब्दों में कहें तो मशीन ट्रांसलेशन की संकल्पना को साकार करते हुए अनुवाद को आज एक विकसित और वैज्ञानिक ज्ञानानुशासन बना दिया है।

सूचना–क्रांति के मौजूदा दौर में दुनिया भर में अंग्रेज़ी का जो अचानक वर्चस्व बढ़ा है, उससे तीसरी और चौथी दुनिया के देशों में अपनी भाषाओं को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण हीन भावना विकसित हुई है। इसकी परिणति अंग्रेज़ियत के श्रेष्ठता बोध में हुई है। इस बोध ने व्यापक वैश्विक समाज को अंग्रेज़ियत अर्थात् अहंकार और झूठी शान में इस कदर जकड़ लिया है कि हम सहज नहीं हैं। इससे हमारी आपसदारी बाधित हुई है। भाईचारे का भाव भी कमजोर हुआ है। और व्यापक तौर पर भावात्मक एकता और सांस्कृतिक अखंडता प्रभावित हुई है। शासन और प्रशासन में अंग्रेजी के चलन से लोकतंत्र की मूल प्रतिज्ञा भी प्रभावित हुई है।

कहना न होगा कि अंग्रेजी भारत में ही नहीं, बल्कि समूची विकासशील दुनिया में शासन और न्याय में जनता की सहभागिता के आड़े आती है। ऐसे में हिंदी, जो निर्द्वंद रूप से जनोन्मुख और समावेशी भाषा है, साथ ही विश्व सहकार को विकसित करने वाली प्रमुख भाषा है, का प्रयोग और प्रचलन बढ़ाना समय की मांग है ।

किंतु मौजूदा परिदृश्य में हिंदी का प्रसार बढ़ाना अचानक संभव नहीं होगा। यह संभव होगा तो अनुवाद के माध्यम से। हमारे अनुवादक अपनी साधना से इसे बहुत हद तक पूरा करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। परंतु संचार क्रांति और सूचना विस्फोट के मौजूदा दौर में यह काम अब केवल मनुष्य के बल.बूते नहीं छोड़ा जा सकता। मशीन ट्रांसलेशन की जरूरत आज जितनी है, उतनी पहले कभी नहीं थी। हिंदी में और संपूर्ण बहुभाषिक दुनिया में मशीन ट्रांसलेशन की संकल्पना जितनी जल्दी सफल होगी, समस्त विकासशील समाज एक मुकम्मिल सूचना समाज और ज्ञान समाज बन पाएगा। ज्ञान–शक्ति (Knowledge Power) के युग में विकसित होने की यही कुंजी है।

हम अपने अनुभव की बात करें तो हमारा कार्यालय, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद के क्षेत्र में भारत सरकार की शीर्ष संस्था है। कार्यालयीन अनुवाद–प्रशिक्षण के मामले में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार की एकमात्र संस्था है। हमारे यहां सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थानों आदि के कोडए मैनुअलए कार्यविधि साहित्य आदि का अनुवाद होता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 01 अप्रैलए 1971 को हुई थी। तब से 31 जुलाई, 2012 तक हमारे यहां कुल 22 लाख 72 हजार 376 मानक पृष्ठों के अनुवाद किए जा चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2011–12 में ब्यूरो में 55, 562 मानक पृष्ठों के अनुवाद हुए। फिर भी ब्यूरो के पास 31 जुलाई, 2012 तक 93, 976 पृष्ठों की अंग्रेज़ी सामग्री अनुवाद की प्रतीक्षा में पड़ी हैं। इसमें से अधिकांश सामग्री भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा (सी ए जी), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (कस्टम), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एन टी पी सी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आदि के प्रक्रिया साहित्य, प्रबंधन एवं

प्रशिक्षण संहिता तथा प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं की संहिताएं हैं। इनका तत्काल अनुवाद किया जाना बहुत जरूरी है।

हमारे यहां से अब तक भारत सरकार के विभिन्न संगठनों, मंत्रालयों, विभागों, निकायों आदि में कार्यरत 25 हजार 109 कार्मिकों को अनुवाद के विविध प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं। फिर भी हम अपने निष्पादन से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे यहां एक अनुवादकर्ता प्रतिदिन लगभग 1500 शब्दों का अनुवाद करता है। इस तरह से सैंकड़ों पृष्ठों के अनुवाद प्रतिदिन होते हैं। पुनरीक्षण (Vetting) और पुनर्विलोकन (Super vetting) के काम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यद्यपि हमारे अनुवाद–कार्य तकनीकी प्रकृति के होते हैं, फिर भी अनुवाद में सहजता, सुस्पष्टता और बोधगम्यता के प्रति ब्यूरो हमेशा सजग और सचेत रहता है। ब्यूरो के अनुवाद भाषांतरण मात्र न हो जाएं, इसके लिए हर महीने अनुवाद संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। इन संगोष्ठियों में अनुवादक तथा पुनरीक्षण अधिकारी अपने अनुभवों के आधार पर समस्याएं और विचार प्रस्तुत करते हैं। जाहिर है कि अनुवाद संगोष्ठियों के बहाने ब्यूरो में अनुवाद की बारीकियों सावधानियों तथा सृजनशील पक्षों पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार–मंथन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इससे हमें काफी लाभ भी होता है। हमारे अनुवाद कार्य में गति आती है। अधुनातन संकल्पनाओं के इस युग में हमारी राह की मुश्किलें आसान बनती हैं। तथापि हम मांग और पूर्ति में संतुलन नहीं बना पाते हैं। और लगभग यही हाल समूची विकासशील दुनिया का है। अनुवाद की जितनी मांग है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मानव श्रम से यह लगभग असंभव जैसा है। इसे मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा ही संभव किया जा सकता है।

मशीनी ट्रांसलेशन के क्षेत्र में पिछले दिनों में दुनिया भर में अनुसंधान और विकास के काफी काम हुए हैं। भारतीय परिदृश्य में भी सी–डैक, आई आई टी कानपुर, आई आई टी हैदराबाद तथा कुछ विश्वविद्यालयों ने अलग–अलग रूपए विषय, आधार मानक, संरचना बुनियाद या कहें कि पैराडिगम से मशीनी ट्रांसलेशन के क्षेत्र में उपलब्धियों के उल्लेखनीय मुकाम हासिल किए हैं। इससे अनुवादकों तथा हम जैसे अनुवाद–उपभोक्ताओं में आशा और उत्साह का संचार हुआ है। हममें उम्मीद जगी है कि हमारे वैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों के सद्प्रयास से जल्दी ही हमें मशीन ट्रांसलेशन की ऐसी टूल मिल जाएगी, जिससे हम अपने दिनों, सप्ताहों और महीनों के काम यथासंभव जल्दी से पूरा कर लेंगे। यह कोई हवाई कल्पना नहीं है।

अनुवाद अपनी प्रकृति और अंतर्वस्तु में सृजनात्मक होता है और किसी भी सृजन में ज्ञान और नवाचार की बड़ी महत्तर भूमिका होती है। हम मानते हैं कि मशीन ट्रांसलेशन के जरिए अंग्रेजी टैक्स्ट का फिलहाल जो हिंदी अनुवाद सुलभ हो रहा हैए वह मुकम्मिल नहीं है। पर्याप्त तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। किंतु हिंदी में मशीन ट्रांसलेशन की अभी तक की उपलब्धि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

हम यह भी मानते हैं कि मशीनी ट्रांसलेशन की संकल्पना के सफल होने पर भी, मशीन से आउटपुट के रूप में प्राप्त होने वाला अनुवाद कभी भी वैसा नहीं हो पाएगा, जैसा आदमी करता है। मशीन का अनुवाद वैसा ही होगा, जैसा मशीन का शब्दकोश और विश्लेषण–व्याकरण होगा। सर्वांग संपूर्ण होने पर भी मशीन किसी रचना की पुनर्रचना नहीं कर सकती, जबकि अनुवाद में पाठ या कथन के विश्लेषण के साथ–साथ अनुवादकर्ता के चिंतन और मनन तथा कल्पनाशीलता की बड़ी भूमिका होती है। आदमी सृजन के समानांतर सृजन कर लेता है। आदमी It was not to be happened के लिए विधाता अथवा नियति को यह मंजूर नहीं था, जैसा सृजन संभव करता है। मशीन ऐसा नहीं कर सकती।

अनुवाद केवल सृजनात्मक साहित्य का ही नहीं होता। हमें तो ढ़ेर सारे उपयोगी और कार्यविधि–साहित्य और वैज्ञानिक शोध–साहित्य का त्वरित और तत्काल अनुवाद लगातार चाहिए। वैसे भी हमारा समकालीन अनुवाद परिदृश्य कोई बहुत सुखद और संतोषप्रद नहीं है। अनुवाद का परिदृश्य

व्यापक और बहुआयामी जरूर है, परंतु वस्तुगत और समयानुकूल हर्गिज नहीं है। हम या तो अनुवाद का मतलब पाठ का भाषांतरण समझते हैं अथवा समानांतर सृजन। भारत और समस्त विकासशील समाज के लिए इसे व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। अनुवाद उपयोगी साहित्य का भी होता है और ललित साहित्य का भी। दोनों के सरोकार अलग–अलग होते हैं। इसे समझना होगा।

पिछली सदी में प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त दुनिया ने पर्यावरण एवं विकास में संतुलन बनाए रखना आवश्यक समझा। फलस्वरूप पर्यावरण एवं विकास को लेकर गठित विश्व आयोग ने 1987 में सतत् विकास (Sustainable Development) को परिभाषित करते हुए कहा, विकास ऐसा हो जो मौजूदा जरूरतों को पूरा करे। किंतु भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर सकने की संभावनाओं को धूमिल न करे और जिसमें सामाजिकए आर्थिक और पर्यावरण के लक्ष्यों का संतुलन बना रहे।

आशय स्पष्ट है कि आज की विकसित दुनिया में सभी लोगों का कुछ–न–कुछ हित–साधन होना चाहिए और विकास की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी भी होनी चाहिए। इसके लिए सर्वशिक्षा और कार्य–कौशल में उन्नयन जरूरी है। शिक्षा ऐसी हो, जो लोकभावनाओं को उन्नत करे। नवाचार के भावों को प्रोत्साहित करे। निश्चय ही ऐसी शिक्षा मातृ भाषा के माध्यम से ही सुलभ हो सकती है। कार्य–कौशल के उन्नयन में जिस सैद्धांतिकी और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उसका माध्यम भी स्वभाषा ही हो सकती है। हिंदी के प्रसार के माध्यम से इन दोनों ही महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए कि जब हिंदी का प्रसार होगा तो दुनिया के हर सातवें व्यक्ति को उसकी कल्पना का आकाश और उसका मनचाहा रोजगार मिले, इसकी संभावना बढ़ेगी। हमारा मतलब साफ है कि हम हिंदी के प्रसार के माध्यम से न केवल भारतीय समाज का, बल्कि दुनिया भर में रह रहे समस्त हिंदी–ज्ञानी भारत–मित्रों और उनके देशों का भी विकास और उत्थान चाहते हैं। हिंदी के जरिए हम वर्चस्वमुक्त, परस्पर निर्भर और भरोसेमंद समाज एवं संसार बनाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हिंदी का शब्द–भंडार समृद्ध हो। हिंदी में विशिष्ट विषय–क्षेत्रों के संकल्पनावाची शब्दावलियों की उपलब्धतता हो। इसके वास्ते भाषांतरण, रूपांतरण, अनुकूलन के उपाय अपनाएं जाएं। हिंदी का व्यापक पैमाने पर तकनीक समर्थित संवर्धन हो। मानक निर्धारित हों। कहना न होगा कि इन उपायों के द्वारा हिंदी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा बनकर हमारे दैनिक काम–काज की गुणवत्ता बढ़ाने में हमारा सक्षम माध्यम बनेगी।

आज के समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बोलबाला है। तुरंत और तत्काल मंजिल छू लेने की आपाधापी मची हुई है। इस आपाधापी में सबसे ज्यादा नुकसान भाषाओं को उठाना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत विश्व भाषाओं का लोप होता जा रहा है। प्रतिवर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान के लगभग 225 लाख पृष्ठ शोध पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। ये सभी प्रकाशन अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में होते हैं। इनमें हिंदी कहीं नहीं है। इंटरनेट पर दुनिया की दस प्रमुख भाषाओं में भी हिंदी नहीं आती है। हिंदी भाषा–भाषी लोक को 21 वीं सदी में कूप–मंडूक बनने से रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हिंदी में ज्ञान और विज्ञान के साहित्य अनुवादित और प्रकाशित हों।

अनुवाद की एक बेहतर और व्यापक प्रणाली के अभाव में दुनिया के एक बड़े भू–भाग में, जिसमें भारत भी शामिल है, विकसित और उन्नत ज्ञान समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। समर्थ और सक्षम अनुवाद प्रणाली के नहीं होने से आज भारत सहित विकासशील दुनिया की भाषिक विविधताओं, सामुदायिक विशिष्टताओं, रीति–रिवाजों, सांस्कृतिक खूबियों, ज्ञानात्मक उपलब्धियों तथा क्षेत्रों और प्रांतों की बहुत सारी अच्छाइयों से हम अपरिचित और अनभिज्ञ रह जाते हैं। इस अपरिचय को मिटाने और क्षेत्रों की हदबंदी में जकड़े समाजों में आपसदारी, एकता और एक–दूसरे की सांस्कृतिक उच्चता से परिचित होने में अनुवाद की सार्थक और रचनात्मक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुवाद

के माध्यम से एक उन्नत ज्ञान समाज का विकास और विश्व–बंधुत्व को मजबूत किया जा सकता है। इसी ध्येय के साथ केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने सन् 2015 तक भारत सरकार की समस्त संहिताओं, प्रक्रिया–पुस्तकों, कोडों आदि के अनुवाद पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही साथ एक प्रभावी 'अनुवाद प्रयोगशाला' स्थापित करना चाहता है, ताकि अनुवाद के कार्य मशीन–साधित और ऑन लाइन किए जा सकें और अनुवादित कार्य का प्रेषण भी ऑनलाइन संभव हो सके। ब्यूरो में मुख्यालय को इसके मुंबई, बेंगलूर तथा कोलकाता स्थित केंद्रों से टेली कांफ्रेसिंग की सुविधा से जोड़ने का भी लक्ष्य है। इससे ब्यूरो के अनुवाद–प्रशिक्षण में परिष्कार आएगा, गुणवत्ता सुनिश्चित होगी तथा केंद्रों के निष्पादन में अभिवृद्धि होगी। निश्चय ही ब्यूरो के ये लक्ष्य अनुवाद तथा अनुवाद–प्रशिक्षण की दिशा में मानक बनकर विकासशील देशों की भाषाओं के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। पिछड़े समाजों को ज्ञान समाज में रूपांतरित करने में हमारा अनुवाद मॉडल विकासशील दुनिया और उसकी क्षयशील भाषाओं के लिए संबल बन सकता है।

इस प्रसंग में यह ध्यान देने वाली बात है कि अनुवाद मूलतः एक सृजनात्मक कर्म है। वह एक भाषा के विचारों, भावों और उद्गारों का दूसरी भाषा में कोरा रूपांतरण नहीं है। आज की दुनिया में ज्ञान का जिस तरह से स्फोट हो रहा है, उससे हिंदी भाषी समाज को परिचित कराने के लिए, उसे ज्ञान जगत में संवर्द्धन का हिस्सेदार बनाने के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि अनुवाद को व्यक्ति केंद्रित (Man-centric) कर्म से आगे ले जाकर समूह केंद्रिक (Team-centric) सृजनात्मक उत्पाद में परिणत किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि मशीनी–ट्रांसलेशन की संकल्पना को विकसित किया जाए। साथ ही अनुवादक, भाषाविद् और भाषा वैज्ञानिकों एवं इस काम में अभिरुचि रखने वाले वैज्ञानिकों के साथ औद्योगिक घरानों का समूह बनाया जाए। अनुवाद को निजी तथा सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर उद्यम का रूप दिया जाए। अनुवाद की मांग के आलोक में बाजार का समर्थन प्राप्त किया जाए। अनुवाद को अनुसृजन के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि मूल लेखन के समस्त विचार और भाव अनूदित पाठ में उद्भाषित हो सकें। ऐसा करने से रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे और अनुवाद के प्रति बाजार की रुचि भी बढ़ेगी।

हिंदी समाज की आकांक्षाओं और वास्तविकताओं के मद्देनजर अनुवाद को लेकर ऐसे मॉडल विकसित करना कोई आकाश–कुसुम नहीं है। इस मामले में मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। हिंदी का प्रयोक्ता और पाठक–समाज और बाज़ार इस मॉडल की प्रत्याशा लम्बे समय से कर रहे हैं। इस मॉडल को साकार करके विश्व की अन्य दमित भाषाओं और विकासशील समाजों के लिए आदर्श उपस्थित किया जा सकता है। दुनिया के विकासशील देश आज जिन वजहों से भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनमें भाषाई संकट से मुक्ति की आकांक्षा और उसके निराकरण की तलाश भी एक बड़ी वजह है। हम अपने अनुवाद मॉडल से भी अपने उत्तरदायित्व और नेतृत्वकारी दावेदारी को सशक्त बना सकते हैं। आज का भारत विकासशील समाज और देश की सर्वतोन्मुखी जरूरतों और सभी दिशाओं से मिलने वाले ज्ञान–प्रकाश से आँखें चुरा नहीं सकता। विकसित समाज बनने के लिए ज्ञान से आँखें चार करना अहम होता है। इस काम में अनुवाद से गति मिलती है और सुघड़ता भी, क्योंकि अनुवाद नैसर्गिक रूप से चार आँखों का कर्म होता है।

# www.हिन्दी.com

प्रणव शास्त्री
*उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश*

वर्तमान परिदृश्य में हिन्दी समूचे विश्व के आकर्षक का केन्द्र बनती जा रही है। विश्व के लगभग 140 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हिन्दी का पठन–पाठन होना एक शुभ संकेत है। आज बाजार में अपना पाँव पसारे कई टी वी चैनलों को लगने लगा है कि हमें अगर भारत में लोकप्रियता अर्जित करनी है और पैसा कमाना है तो यह हिन्दी के बिना संभव नहीं है। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल एवं बच्चों के लोकप्रिय चैनल पोगो को अन्ततः अपने प्रसारण का हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत करना ही पड़ा।

आज का युग सूचना–क्रान्ति का युग है, जहां ज्ञान–विज्ञान का निरन्तर विकास होता जा रहा है परस्पर सम्पर्क क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में वही भाषा सर्वप्रिय और सर्वोपयोगी मानी जा सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। भाषा के प्रायः दो रूप माने जाते हैं–सामान्य अभिव्यक्तिपरक रूप तथा प्रगतिपरक अभिव्यक्ति रूप जिसमें से प्रगतिपरक भाषा का सीधा सम्बन्ध ज्ञान–विज्ञान तकनीक के क्षेत्र से रहता है और ज्यों–ज्यों विकास के चरण बढ़ते जाते हैं इस प्रकार की भाषा की उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। यह तथ्य भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि तकनीकी भाषा साहित्यिक भाषा से अलग करके नहीं देखी जा सकती। उसका तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग उसके मूल संरचनात्मक स्वरूप को वैसा ही बनाये रखता है, मात्र उसके प्रयोगजनक प्रकार्य का स्तर, क्षेत्र बदल जाता है, अतः इसको विशेष भाषा भी मान लिया जाता है। उसका यह विशेषीकृत रूप ही उसे वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा का अभिधान ग्रहण करने के योग्य बनाता है। एक सामान्य शब्द है–बाजार। इसका विशेष प्रयोग है– 'विश्व बाजार', 'दाल बाजार' ,'काला बाजार' आदि। इसी प्रकार 'निजी' और 'सार्वजनिक' शब्द भी प्रयुक्त हैं – 'निजी क्षेत्र' ,'सार्वजनिक क्षेत्र'।

अतः यह सर्वमान्य तथ्य है कि भूमण्डलीकरण के दौर में जब तक कोई भाषा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को प्रस्थापित नहीं कर पाती है, अपने में इस प्रकार की सामर्थ्य क्षमता नहीं जगा पाती है जिसके आधार पर वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पा सके, तब तक वह सजीव भाषा नहीं बन पाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र – आज के दौर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्र खुले हैं और खुलते चले जा रहे हैं। यहाँ उनमें से कुछ का उल्लेख है '–

| | |
|---|---|
| 1. चिकित्सा और स्वास्थ्य | 2. यातायात |
| 3. व्यापार | 4. शिक्षा |
| 5. मीडिया | 6. चलचित्र |
| 7. तकनीक | 8. समाचार क्षेत्र |
| 8. विज्ञान | 10. औद्योगिक तकनीक |

11. आकाशवाणी 12. दूरदर्शन 13. कंप्यूटर

आज की हिन्दी भूमण्डलीकरण के दौर में वह सामर्थ्य अर्जित कर चुकी है, जिसके आधार पर वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना स्थान बनाने में पूर्ण समर्थ है। इसके दो आधार हैं –

1. प्रयासजनित, 2. सामान्य प्रक्रिया।

प्रयासजनित स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना गया, तो यह कहा गया कि इसमें उस तकनीकी क्षमता का अभाव है, जिसकी आवश्यकता आज के युग में अनिवार्य है। अतः हमारे देश में इस प्रकार के प्रयास हुए–

(1) सन् 1955 ई. मे ंश्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सम्पादन में 'राजकीय प्रशासन शब्दावली' का दो खण्डों में प्रकाशन हुआ।

(2) 1962 ई. में उत्तर प्रदेश शासन शब्दकोश प्रकाशित हुआ।

(3) इसी क्रम में मध्य प्रदेश में 'प्रशासनिक शब्दकोश' और 'शासन शब्द प्रकाश' का प्रकाशन हुआ।

(4) राजस्थान सरकार द्वारा 1971 में 'हिन्दी प्रयोग मार्गदर्शिका' 1971 ई. में प्रकाशित की गयी।

(5) हरियाणा और हिमाचल में भी 'प्रशासनिक शब्दकोश' प्रकाशित हुआ।

(6) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से अनेक तकनीकी प्रकाशन सामने आए। भारत सरकार द्वारा 'वृहद् प्रशासन शब्दावली' और 'विधि शब्दावली' सामने आयी।

(7) 1950 ई. में ही 'वैज्ञानिक शब्दावली मंडल' की स्थापना की गई। उसने लगभग दस वर्ष के अन्तराल में तीन लाख वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द तैयार किये, जिनका प्रकाशन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से 1981 के 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' नाम से किया गया।

(8) 1961 ई. में ही भारत सरकार ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया। यह आयोग आज भी हिन्दी की सेवा कर रहा है।

(9) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अन्तर्गत ही 'हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ भाषा कोश' की योजना बनाकर हिन्दी–अरबी, हिन्दी–चीनी, हिन्दी फ्रांसीसी तथा हिन्दी–स्पेनी आदि कोशों की रचना भी करायी गई।

हिन्दी को समर्थ बनाने के प्रयास स्वतन्त्रता के बाद से ही नहीं शुरू हुए हैं, यह प्रयास मुगल काल में ही प्रारम्भ हो गये थे। मुगल शासन काल में महाराजा शिवाजी के शासन–काल में पंडित रघुनाथ ने प्रशासन, खाद्य सामग्री, रक्षा–व्यवस्था आदि विषयों से सम्बन्धित लगभग डेढ़ हजार शब्दों का एक कोश तैयार किया था।

1845 में लन्दन में प्रो. डैकन कोसे द्वारा 'हिन्दी मैनुअल' के दो भाग प्रकाशित कराये गये। 1848 में उनका 'हिन्दी अंग्रेजी कोश' भी सामने आया। एच. एच. विल्सन ने 1855 में 'ग्लॉसरी ऑफ जूडिशियल एण्ड रेवेन्यू टर्म्स' ग्रन्थ प्रकाशित किया।

आइये हम हिन्दी के उत्स की कथा जानें। हिन्दी की जननी संस्कृत है। लिपि, शब्दावली की दृष्टि से हिन्दी संस्कृत पर आधारित है और संस्कृत को 'देव भाषा' इसी अर्थ में कहा जाता है कि वह पूर्ण है, समृद्ध है। संस्कृत में जो तकनीकी साहित्य रचा गया, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर आदि ने क्या अंग्रेजी का मुँह ताका था ? नहीं। हमारी वैदिक गणित (Vedic Mathematics) आज विश्व के दस

विश्वविद्यालयों में शोध का विषय बन चुकी है तो क्या गणित के प्रत्येक सूत्र संकेत का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया है ? चिकित्सा क्षेत्र में हमारे ग्रन्थ आज अन्तर्राष्ट्रीय महत्व पा चुके हैं, क्या चरक, सुश्रुत, धन्वन्तरि द्वारा प्रयुक्त शब्दावली अपर्याप्त है। आवश्यकता, अविष्कार की जननी होती है और यह बात हिन्दी पर भी लागू होती है। ज्यों–ज्यों व्यवहार बढ़ता जा रहा है हिन्दी मँजती चली जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी – इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार–पत्र के साथ ई–मेल (कंप्यूटर) इंटरनेट तथा वेबसाइट आदि का महत्वपूर्ण स्थान है।

आज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सूचना प्रौद्योगिकी का ऐसा विलक्षण विस्फोट हुआ, यह भी भारत में ही हुआ कि दुनिया में उसका महत्व स्वीकारा गया। आज बड़े–बड़े देश भारतीय तकनीकी व्यक्तियों को अपने यहाँ आमंत्रित करने में जुटे हैं। साथ ही हिन्दी का प्रयोग अब इन सभी क्षेत्रों में होने लगा है। आज ई–मेल हिन्दी में चल चुका है और उसका सार्वजनिक प्रयोग हो चुका है।

कंप्यूटर आरम्भ में विदेशी यंत्र माना जाता था। 1984 में इसको लोगों ने देखा था। यह अंग्रेजी का गुलाम था। कंप्यूटर में न तो कभी हिन्दुस्तानी ज्ञान को महत्व दिया गया, न ही यहाँ की भाषा को। पर हमारे भारतीय इंजीनियरों (1983 में आई.आई.टी. कानपुर) ने एक ऐसी तकनीक विकसित की, जिसके माध्यम से कंप्यूटर हिन्दी की देवनागरी लिपि में तो काम कर ही सकता था, भारत की अन्य भाषाओं में भी वह कार्य कर सकता था। इसका नामकरण हुआ–जिस्ट कार्ड (Graphic Indian Script Terminal)। यह कार्ड कंप्यूटर के CPU (Central Processing Unit) अर्थात् केन्द्रीय संसाधक एकांश में लगाते ही अंग्रेजी जानने वाला कंप्यूटर हिन्दी सीख जाता था और बड़ी सरलता से वह हिन्दी में काम करने लगता था। परिणाम यह हुआ कि हिन्दी का प्रयोग कंप्यूटर पर बड़ी सहजता से होने लगा। आज बैंक भी हिन्दी अपना रहे हैं, और वहाँ के कंप्यूटर हिन्दी में भी काम कर रहे हैं। बैंक के बाद कंप्यूटर का प्रयोग सार्वजनिक रूप के रेल विभाग में प्रारम्भ हुआ। वहां आरक्षण के क्षेत्र में यह प्रयुक्त हुआ। फल यह हुआ कि वहाँ के कंप्यूटर हिन्दी बोलने लगे और आरक्षण की स्थिति, गाड़ियों की स्थिति–आगमन, प्रस्थान के विषय में जानकारी मिलने लगी और अब तो और बेचारा कंप्यूटर घर बैठे आपका आरक्षण भी करा देता है।

अब एकदम नई तकनीक आ रही है। हिन्दी को कंप्यूटर के लिए उपयोगी बनाने में सबसे अधिक सहायता की, हमारी लिपि और वर्णमाला के ध्वन्यात्मक स्वरूप ने। इसी कारण जिस्ट तकनीक को आसानी से अपनाया जाने लगा। इसके सहयोग के लिए एक मानक कोडिंग प्रणाली की भी पर्याप्त महत्ता है जिसको 'इस्की' (Indian Standard Code for Information Interchange) कहा जाता है, इसके माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी (HI-Tech) के क्षेत्र में नागरी (हिन्दी) सहित अन्य भारतीय भाषाएँ भी आसानी से कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके लिए 'इनस्क्रिप्ट' (Indian Language Script) नाम से एक कुंजी पटल (Key Board) बनाया गया है जो हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी काम कर सकता है, साथ ही उसमें लिप्यांतर का भी उसमें सामर्थ्य है।

अनुवादः कंप्यूटर में अनुवाद की बड़ी समस्या थी, जिसे भी अब हल कर लिया गया है। पूना के 'सी–डेक' (उच्च कंप्यूटरी विकास केन्द्र) (Centre for Development of Advanced computers), ने 'टैग' (Tri Adjoining Gram) का भी विकास कर लिया है।

इतना ही नहीं अब तो हिन्दी के सॉफ्टवेयर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिनमें अक्षर, आलेख शब्दावली, शब्दरत्न, मल्टीवर्ड, संगम, देवबेस, नारद, चाणक्य, एप्पल, सुलिपि, भाषा आदि शब्दों का उल्लेख है।

धीरे–धीरे विकास की गति बढ़ती जा रही है और आज डॉस, विंडोज, और यूनिक्स परिवेश के अन्तर्गत हिन्दी में शब्द–संसाधन कार्य भी सहज सम्भव हो गया है। इसके साथ ही वर्तनी– संशोधक (Spell Checker) तथा 'ऑन लाइन शब्दकोश' सहित ई–मेल तथा वेब–प्रकाशन की तकनीक भी हिन्दी ज्ञाताओं ने विकसित कर ली है। 'इस्फॉक' (Intellingence Best Script Font Code), लिप्स (Language Indenpendent Programme Subtypes) जैसी तकनीकें भी सामने आ गयी हैं। साथ ही फिल्मों के हिन्दी में भी शीर्षक देने की सुविधा उपलब्ध है।

अनुवाद के क्षेत्र में मशीनी अनुवाद हेतु भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक तकनीक विकसित की गयी है जिसे 'अनुसारक' कहा जाता है साथ ही पूना के वैज्ञानिकों द्वारा मन्त्र (सी–डेक Machine Assistant Translation Load) का भी विकास हो चुका है। इसके साथ ही आई बी एम टाटा कम्पनी ने भी आर के कम्प्यूटर्स के सहयोग से 'हिन्दी डॉस' नाम से भी एक विशिष्ट तकनीक उपजायी है जिसमें 'कमांड' और 'मैन्यु' भी हिन्दी में ही उपलब्ध है। कंप्यूटर का हिन्दीकरण अभी रुका नहीं है और आगे भी नहीं रुकने वाला है। 'मोटोरोला' ने 1997 में ही हिन्दी में 'पेजर' का विकास कर दिया था।

खेल जगत में भी हिन्दी सर चढ़कर बोल रही है। खेल, हमारे लिए राष्ट्रीय सम्मान की वस्तु है, जिसने आज अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। खेलों की जानकारी, खेलते समय खिलाड़ियों की स्थिति उनकी क्षमता, योग्यता, जय–पराजय का आँखों देखा हाल दूरदर्शन पर दिखाया जाता है और आकाशवाणी पर सुनाया जाता है। यह अंग्रेजी में तो आता ही है, क्योंकि अभी हम में गुलामी की ठसक बाकी है, पर हिन्दी आज इतनी समर्थ एवं सक्षम हो गयी है कि उसके माध्यम से आँखों देखा हाल सुनाया जाने लगा है। अब वे ही शब्द बोले जाते हैं जो हिन्दी के हैं– बल्ला, गेंद, बल्लेबाजी, गेंदबाजी।

इसी प्रकार ट्रिपल जम्प को 'त्रिकुट', लांग जम्प को' लम्बी कूद', हाई जम्प को 'ऊँची कूद'। साथ ही दौड़ रन, पारी, अनिर्णीत, श्रृंखला, पगबाघा (L.B.W.) शब्दों का प्रयोग हो रहा है। साथ ही अंग्रेजी के वे प्रचलित शब्द जिन्हें आम आदमी भी समझ लेता है, वे भी डटकर प्रयोग हो रहे हैं, विकेट, बेट, पिच, स्टम्प, अम्पायर, ओपनिंग। हिन्दी का सामर्थ्य विकास का सही रूप यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का बरबस हिन्दीकरण न किया जाये। जो शब्द जनता की चेतना में बैठे हैं, उन्हें उसी रूप में प्रयुक्त होने दिया जाय। कार, प्लेटफार्म, स्कूल, कॉलेज, कैण्टीन, रेलवे लाइन, सिग्नल, टिकट आदि। इसके कारण हिन्दी की व्यावहारिक क्षमता का विकास ही होगा।

इस भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी कितनी समर्थ होती जा रही है यहाँ इसकी एक झलक मात्र ही प्रस्तुत की गयी है। हिन्दी सब दृष्टि से समर्थ थी, सक्षम थी। इस पर व्यर्थ के आरोप आज भी कम नहीं हुए हैं, पर हिन्दी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। आज मतदान में फोटो पहचान–पत्र, मतदाता सूचियाँ हिन्दी में आ चुकी हैं। साथ ही कई प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रन्थ (Classic), सी. डी. (Computer Disc or Vedio Cassettee) में समा चुके हैं। 'गीता', 'उपनिषद्' आप 'अंतरताने' (Internet) पर भी सुन सकते हैं। हमारे युवाओं (I.I.T. Kanpur) ने 'गीता सुपर साइट अन्तर क्षेत्र' का भी विकास करके यह बता दिया है कि हमारी हिन्दी विश्व भाषाओं में किसी से कम नहीं है।

हिन्दी में ग्लोबल संभावनाएँ – ज्यों–ज्यों दुनिया ग्लोबल हो रही है, हिन्दी की माँग बढ़ रही है। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी का अध्ययन हो रहा है। अनुवाद का काम भी हो रहा है। पिछले दिनों अमरीकी स्कूलों में भी हिन्दी पढ़ने की माँग बढ़ी है।

पहले भारत सरकार की भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् विभिन्न देशों मे तीन साल के लिए हिन्दी प्राध्यापक चुनकर भेजती थी, वह अब भी भेज रही है, पर अब अनेक देशों ने खुद भी

नियुक्तियाँ करनी शुरू कर दी हैं। जापान, कोरिया, सिंगापुर में अब सीधे हिन्दी प्राध्यापक भर्ती हो रहे हैं। खाड़ी देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका में भी हिन्दी शिक्षकों की माँग है।

## संदर्भ

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ नगेन्द्र, प. 200
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ. 317
3. आउटलुक : सम्पादक आलोक मेहता, नवम्बर 2009 अंक
4. इण्डिया टुडे : सम्पादक प्रभु चावला, सितम्बर 2010 अंक
5. हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य : प्रो. नरेश मिश्र, प. 27 – 31

# राजभाषा हिंदी–उद्‌भव तथा विकास के चरणः एक विश्लेषण

चन्दा आर्य

*गोविन्द बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड*

**सारांश**

हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ है। प्राचीन काल से वर्तमान तक की यात्रा तय करते हुए, मार्ग के अवरोधों को पराजित करते हुए उसने राजभाषा का स्थान प्राप्त किया है। यह लेख हिंदी की यात्रा, विशेषज्ञों द्वारा किया गया भाषा वर्गीकरण, उसका इतिहास, साहित्यिक समृद्धि, मानकीकरण तथा देवनागरी लिपि का क्रमानुसार तथा वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है। अग्रगणनीय भाषाओं में हिंदी की महत्ता स्वयं सिद्ध है जो प्रत्येक भारतवासी हेतु गौरव का प्रतीक है।

## प्रस्तावना

मनुष्य के मन की भावनाओं तथा विचारों के पारस्परिक आदान–प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा ही वह एकमात्र साधन है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करती है। साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि सभी क्षेत्रों में मनुष्य की समस्त उपलब्धियों का एकमात्र आधार भाषा ही है, अतः मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। हमारा सामाजिक जीवन व व्यवहार भाषा के द्वारा ही संपन्न होता है। किसी भी समाज के सदस्यों द्वारा भावों और विचारों के परस्पर आदान–प्रदान के लिए प्रयुक्त शब्दों तथा उनसे उत्पन्न ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था को ही भाषा कहते हैं। किसी भी समाज में भाषा के दो रूप प्रचलित होते हैं– पहला, साहित्यिक भाषा और दूसरी बोलचाल की भाषा।

## राजभाषा बनने की यात्रा

किसी राज्य विशेष में सार्वजनिक तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त विचार–विनिमय का साधन राजभाषा कहलाता है। राज्य के समस्त शासनादेशों, अभिलेखों और पत्र–व्यवहार में भी उसी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार किसी राष्ट्र विशेष की प्रतिष्ठित भाषाओं में से सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोग किये जाने वाले माध्यम को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्व के अवसरों, उत्सवों, पर्वों में उसका प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में हिंदी के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तथा विश्व की सबसे अधिक सरल, मधुर व वैज्ञानिक भाषा है। इसका साहित्य भी काफी समृद्ध है। इसके महत्व को देखते हुए ही 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।

आज हिंदी भारत की राजभाषा है, किन्तु इसे प्रादेशिक भाषा से राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वमान्य और लोकप्रिय भाषा बनने में और फिर भारत की राजभाषा बनने में कई शताब्दियाँ लगी हैं। उसको विकास की कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ा है। समय–समय पर उसके लिए कई आन्दोलन भी हुए हैं। जनभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा के विविध सोपानों में हिंदी के विकास के विविध आयाम हैं।

राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। एक ऐसी भाषा जो किसी राष्ट्र के अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो। राट्रीय एकता तथा भावात्मक एकता हेतु किसी एक

भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए सबसे सबल साधन भाषा की एकता ही है। आर्थिक दृष्टि से भी संपूर्ण राष्ट्र के विचार–विनिमय के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है।

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु किये गए संघर्ष की अपनी ही एक गाथा है। सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी भाषा थी जिसकी सार्वदेशिकता ने उसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया। राष्ट्र के नेता हिंदी को छोड़कर राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी दूसरी भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्हें हिंदी ही सबसे सबल भाषा प्रतीत हुई। इस उद्देश्य के आधार पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के चयन में अहिन्दी भाषी नेताओं ने भी अपनी विशाल राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में आरंभ हुआ और प्रारंभ से अंत तक इसे वहाँ के विद्वानों का सक्रिय एवं नैतिक बल प्राप्त होता रहा।

राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। भारत में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 15 है। यदि ज्ञान, विज्ञान, कोश ,विधि, प्रशासन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी भाषाओं में करनी तो उस पर कितना अधिक व्यय होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसी कारण एक मानक भाषा की सामाजिक आवश्यकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी भी क्षेत्र को ले लें, सभी बोलियों तथा भाषाओं में प्रशासनिक कार्य, साहित्य–रचना, शिक्षा देना या परस्पर बातचीत करना कठिन भी है तथा अव्यावहारिक भी। सभी बोलियों तथा भाषाओं के साहित्य का, अन्य बोलियों व भाषाओं के साहित्य में अनुवाद किये जाने के साधनों की कमी के कारण भी यह संभंव नहीं है। अतः सभी बोलियों तथा भाषाओं के ऊपर एक मानक भाषा को स्वीकार करना एक सामाजिक अनिवार्यता है। यह मानक भाषा अन्य भाषाओं के बीच में माध्यम का कार्य करती है।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से सभी भाषाएँ सामान होती हैं, किन्तु कई ऐसे कारण हैं जिनसे उनके महत्व में अंतर आ जाता है। जैसे बोलने वालों की संख्या के आधार पर अर्थात् जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या जितनी अधिक होगी वह भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में उतनी अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाती है। इसी प्रकार वितरण के आधार पर अर्थात् जो भाषा जितने अधिक भागों में फैली होती है उसका उतना ही महत्व होता है। आज भारत की एकमात्र यही भाषा है जिसे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रयोग किया जाता है। भारत में ही नहीं हिंदी का प्रसार भारत की सीमा से बाहर भी है। व्यवसायिक स्थिति के आधार पर देखें तो देश का अधिकतर वाणिज्य व्यवसाय भी हिंदी में होता है। अतः व्यवसायिक दृष्टि से भी हिंदी का महत्व दृष्टिगोचर होता है। औद्योगिक स्थिति पर भी यही बात लागू होती है। हिंदी–भाषी क्षेत्रों के मजदूर भारत में प्रायः सर्वत्र फैले हुए हैं, और स्पष्टतः उनके साथ उनकी भाषा भी। वैज्ञानिक स्थिति के आधार पर देखें तो हिंदी के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई वैज्ञानिक, पारिभाषिक और प्राविधिक शब्दावली को लेकर है। इस समस्या के निवारण हेतु भी प्रयास किये जाते रहे हैं। 27 अप्रैल 1960 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्तूबर 1961 में हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों से संबंधित मानक शब्दावलियों का निर्माण करना तथा विभिन्न भाषाओं के समन्वय संबंधित सिद्धांत निर्धारित करना था। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित शब्दावली का प्रयोग करते हुए मानक पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना भी इसके उद्देश्य में निहित था। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी भारत की किसी आधुनिक भाषा से पीछे नहीं है। यह साहित्यिक रूप से समृद्ध तथा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भाषा के महत्त्वपूर्ण बनने में कुछ राजनैतिक और सैनिक कारण भी आवश्यक होते हैं तथा उसकी व्यापकता के कारण हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है।

सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है "इस प्रकार कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा की समस्त घाटी में, बंगाल और पंजाब के बीच, अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित, केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी है। सर्वत्र

हिंदी अथवा हिन्दुस्तानी शासकीय भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है।"

## हिंदी भाषा का वर्गीकरण

### आर्य भाषाएँ

प्रारंभ में भाषा वैज्ञानिकों की धारणा थी कि भारत तथा यूरोप की भाषाओं को बोलने वाले आर्य ही थे, जो किसी एक ही स्थान पर रहते थे। आर्यों की भाषाओं को तीन प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जाता है: (क) ईरानी शाखायें (ख) दरद शाखायें (ग) भारतीय शाखा।

भारत की सभी आर्यभाषाओं की तरह हिंदी का जन्म और विकास भी प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं से हुआ है। विद्वानों ने सामान्य रूप से भारतीय भाषा के विकास क्रम को तीन भागों में विभाजित किया है। इनमें से भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम को 3 कालों में विभक्त किया गया है:

**1. प्राचीन आर्य भाषा काल (2000 ई. पू. से 500 ई. पू.)** : इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भाषाएँ आती हैं। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा के साथ–साथ ही बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिककालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः 8वीं शताब्दी ई.पू. में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रन्थ रचे गये। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति, विशाख, मम्मट, दंडी तथा श्रीहर्ष आदि संस्कृत की महान विभूतियाँ है। इसका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्य में से एक है।

**2. मध्य कालीन आर्य भाषा काल (500 ई. पू. से 1000 ई. पू. तक)** : इन जनभाषाओं को प्राकृत कहा जाता है, जिनके विकास को तीन भागों में बांटा जा सकता है :

क. प्रथम प्राकृत काल (500 ई. पू. से सन् के आरंभ तक) पालि युग

ख. द्वितीय प्राकृत काल (ई. सन् के प्रारंभ से 500 ई. तक) प्राकृत युग

ग. तृतीय प्राकृत काल (500 ई. से 1000 ई. तक) अपभ्रंश युग

**3. आधुनिक आर्य भाषा काल (1000 ई. से अब तक)** : संस्कृत भाषा के विकास के बाद के काल को हिंदी भाषा का मध्य कालीन युग कहा गया। इस काल की सभी भाषाओं में संस्कृत कहीं न कहीं मूल में दिखाई देती है, ठोस वस्तुओं की तरह उसका विभाजन संभव नहीं है। इस समय तक संस्कृतकालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते–होते 500 ई. पू. के बाद तक काफी बदल गई, जिसे 'पालि' कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पालि लोक भाषा थी और पहली ईसवी तक आते–आते पालि भाषा और परिवर्तित हुई, तब इसे 'प्राकृत' की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ई. से 500 ई. तक है। पालि की विभाषाओं के रूप में प्राकृत भाषायें, जिन्हें मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, ब्राचड़ तथा अर्धमागधी भी कहा जा सकता है। क्रमानुसार पालि, शौरसेनी, प्राकृत, नगर अपभ्रंश अपने अपने समय में अखिल भारतीय जनसंपर्क की भाषा के गौरवमय पद को सुशोभित करती रही है। आगे चलकर, प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से अपभ्रंश भाषायें प्रतिष्ठित हुई। इनका समय 500 ई. से 1000 ई.तक माना जाता है। प्राकृत का अर्थ है 'सहज' और यह बहुत सी से आधुनिक हिंदी उपभाषाओं की मूल भाषा है कुछ लोग अर्धमागधी, शौरसेनी, इत्यादि भाषाओं की जनक प्राकृत को ही मानते हैं। जैन धर्म का साहित्य प्राकृत में रचित है। प्राचीन भारत में यह आम नागरिक की भाषा थी, और संस्कृत अति विशिष्ट लोगों की भाषा थी।

भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कई मूर्धन्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनमें जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी का भाषा वर्गीकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सन् 1920

में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण के पहले भाग में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इंडियन एंटीक्वेरि सप्लीमेंट ऑफ फेब्रुअरी, 1931 में वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया। ध्वनि रूप तथा शब्दों पर आधारित इस वर्गीकरण में तीन उपशाखाओं के अंतर्गत छः समुदायों में 17 भाषाओं की गणना की गयी है। इतिहास, ध्वनि, व्याकरण और शब्द समूह को वर्गीकरण का आधार माना गया है। डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी ने 12 आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ स्वीकार की हैं, तथा उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया है। इस वर्गीकरण में डॉ चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं की गणना नहीं की है, किन्तु उनके बाद के भाषाविद् आधुनिक भारतीय भाषाओं में पहाड़ी भाषाओं को भी स्थान देते हैं। अतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 13 भाषाएँ प्रमुख मानी जाती हैं। जिनका भाषा वैज्ञानिक विकास क्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

**हिंदी भाषा का वर्गीकरण**

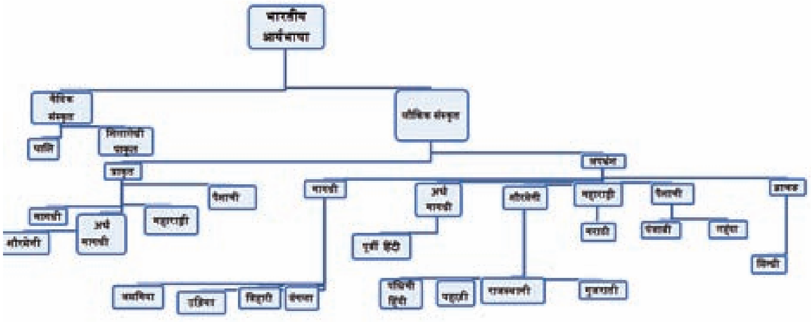

## हिन्दी भाषा का इतिहास

हिंदी को फारसी भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ होता है, भारतीय। हिंदी के वर्तमान रूप के विकास का एक कारण यह भी है कि भारत में कई भाषाएँ व बोलियाँ बोली जाती हैं। उनके बोलने वाले जब मातृभाषा–भाषियों से दूर शहरों में आजीविका हेतु कार्य करने लगे, तब पारस्परिक बोलचाल व सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित हिंदी काम आई। ऐसे परिवारों की अगली पीढ़ियों ने न केवल हिंदी को अपनाया वरन् समृद्ध भी किया। यही कारण है कि आज खड़ी बोली के जिस परिनिष्ठित रूप का शिक्षा, साहित्य तथा समाचार पत्र आदि में प्रयोग होता है, वह क्षेत्र विशेष की नहीं वरन् सारे भारत की भाषा है। कुछ भाषाविद् हिंदी शब्द की उत्पत्ति 'सिन्धु' से मानते हैं। 'सिन्धु' 'सिंध' नदी को कहते हैं। सिन्धु नदी के आस–पास का क्षेत्र सिन्धु प्रदेश कहलाता है। संस्कृत शब्द 'सिन्धु' ईरानियों के सम्पर्क में आकर हिन्दू या हिंद हो गया। ईरानियों द्वारा उच्चारित किए गए इस हिंद शब्द में ईरानी भाषा का 'एक' प्रत्यय लगने से 'हिन्दीक' शब्द बना है जिसका अर्थ है 'हिंद का'। यूनानी शब्द 'इंडिका' या अंग्रेजी शब्द 'इण्डिया' इसी 'हिन्दीक' के ही विकसित रूप है। आज हम जिस भाषा को हिन्दी के रूप में जानते है, वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा के उद्भव काल क्रम को इस प्रकार समझा जा सकता है।

## आदिकाल (1000 ई.–1500 ई.)

अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते है–पश्चिमी और पूर्वी। अनुमानतः 1000 ई. के आस पास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही हिन्दी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं में, जिनमें हिन्दी भी है, का जन्म 1000 ई.के आसपास हुआ था। अपभ्रंश का अर्थ है 'दूषित' अर्थात जो शुद्ध ना हो। यह भाषा ही आधुनिक हिंदी भाषा के मूल में है, उदाहरण के लिए पश्चिम प्रदेश की भाषा (उर्दू, पंजाबी आदि) के मूल में शौरशेनी अपभ्रंश है, और

मराठी तथा कोंकणी के मूल में महाराष्ट्री अपभ्रंश है। गुजराती, राजस्थानी आदि के मूल रूप में नगर अपभ्रंश है।

यद्यपि अपभ्रंश की भाषा रूप में अलग सत्ता है, किन्तु वो संस्कृत, पालि और प्राकृत की अपेक्षा हिंदी के व्याकरणिक ढांचे और शब्द भंडार के बहुत निकट है। अपभ्रंश को इसीलिए पुरानी हिंदी, भी कहा जाता है। इस प्रकार अपभ्रंश को मध्य कालीन और आधुनिक कालीन भाषाओं के बीच की कड़ी माना गया है। प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी के अतिरिक्त असमिया, उड़िया, गुजरती, पंजाबी, बंगला, मराठी और सिन्धी की भी गिनती की जा सकती है।

अपने प्रारंभिक दौर में हिंदी सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, इसी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। प्रारंभिक अपभ्रंश में अ, आ, ई, उ, उ ऊ, ऐ, औ केवल यही आठ स्वर थे। ई, औ, स्वर बाद में इसमें जुड़े। 1000 से 1100 ईसवी के आस–पास तक हिंदी अपभ्रंश के समीप ही थी। इसका व्याकरण भी अपभ्रंश के समान ही कार्य कर रहा था। 1500 ई. तक हिंदी ने स्वतंत्र रूप ले लिया। 1460 ई. के आस–पास हिंदी भाषा में साहित्य सर्जन प्रारंभ हो चुका था। इस अवधि में दोहा, चौपाई, छप्पय दोहा, गाथा आदि छंदों में रचनाएं हुई हैं। इस समय के प्रमुख रचनाकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नालह, चंदवरदाई, कबीर आदि हैं।

## मध्यकाल (1500 ई.–1800 ई.)

इस काल में हिंदी में बहुत परिवर्तन हुए। देश पर मुगलों का शासन होने के कारण उनकी भाषा का प्रभाव भी हिंदी पर पड़ा। परिणामस्वरुप फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के 2500 शब्द, पश्तों से 50 शब्द, तुर्की के 125 शब्द हिंदी शब्दावली में सम्मिलित हो गए। यूरोप के साथ व्यापार आदि के द्वारा सम्पर्क बढ़ने के कारण पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रजी के शब्दों का समावेश भी हिंदी में हुआ। इस समय तक अपभ्रंश का प्रभाव हिंदी से समाप्त हो गया था और जो आंशिक रूप से शेष था, वह भी हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढलकर हिंदी का भाग बन गया था। इसी समय हिंदी के स्वर्णिम साहित्य का सृजन हुआ। इस काल में भक्ति आन्दोलन ने देश की जनता की मनोभावनाओं को प्रभावित किया। इसी अवधि में दक्खिनी हिंदी का रूप सामने आया। इस काल के मुख्य कवियों में महाकवि तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीराबाई, मालिक मोहम्मद जायसी, बिहारी तथा भूषण है।

## आधुनिक काल (1800 ई. से अब तक)

इस काल में अंग्रेजी का प्रभाव देश की भाषा और संस्कृति पर दिखने लगा था। हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन होने लगा था। इस पूरी अवधि को 1800 से 1850 तक और फिर 1850 से 1900 तक और 1950 से 2000 ई. में विभाजित किया जा सकता है। संवत् 1830 में जन्मे मुंशी सदासुख लाल नियाज ने हिंदी खड़ी बोली को प्रयोग में लिया। इस बोली में पर्याप्त लोक गीत और लोक कथाओं का सृजन हुआ। हिंदी के अंतर्गत उन सभी बोलियों और उपबोलियों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो हिंदी प्रदेश में बोली जाती हैं। वास्तव में हिंदी कुछ बोलियों और उपबोलियों का ही सामूहिक नाम है। हिंदी की विभिन्न बोलियों को सामान्य रूप में पांच भागों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार हिंदी के विस्तृत प्रदेश में पांच उपभाषाओं और सत्रह बोलियों का व्यवहार होता है। हिंदी के विस्तृत निजी क्षेत्र में हरियाणा,राजस्थान, हिमांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश का एक सम्मिलित विस्तृत भूभाग है। इस समय बहुत सी उपभाषाएं प्रचलन में रहीं, उन्हीं में से एक मुख्य भाषा ब्रज थी जिसका स्थान उन्नसवीं शताब्दी में खड़ी बोली ने ले लिया। वर्तमान में बोली जाने वाली हिंदी भाषा इस खड़ी बोली का ही एक रूप है। खड़ी बोली पर ही उर्दू, हिन्दुस्तानी और दक्खिनी हिंदी निर्भर करती है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज के आलावा इंशा अल्लाह खान, लल्लूलाल तथा सदल मिश्र इसी अवधि के लेखक है।

1860 के आस–पास तक हिंदी गद्य का विकास भी हो गया था। इसका लाभ लेने के लिये अंग्रेजी पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार–प्रसार के लिए इंजील और बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद किया, जिसका लाभ हिंदी को मिला। इस समय तक 1857 का पहला स्वतंत्रता युद्ध हो चुका था, अतः अंगरेजी शासकों की कूटनीति के सहारे हिंदी के माध्यम से बाइबिल के धर्म उपदेशों का प्रचार –प्रसार हो रहा था। यहीं से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नव जागरण की नींव रखी। उन्होंने अपने नाटकों, कविताओं, कहावतों और कहानियों के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत कार्य किया। इस अवधि के लेखकों में पंडित बदरी नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोता राम, ठाकुर जग मोहन सिंह, श्री निवास दास, पंडित बाल कृष्ण भट्ट, पंडित केशवदास भट्ट, पंडित अम्बिकादत्त व्यास तथा पंडित राधारमण गोस्वामी आदि हैं।

1900वीं सदी का प्रारम्भ हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी समय में देश में स्वतंत्रता आन्दोलन प्रारंभ हुआ था। राष्ट्र में कई तरह के आन्दोलन चल रहे थे तथा इनका माध्यम हिंदी भाषा ही थी। अब हिंदी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रह गई थी। हिंदी अब तक पूरे भारतीय आन्दोलन की भाषा बन गयी थी।

बीसवीं शती के प्रथम दशक में भारत में राजनीतिक आन्दोलन अपने पूरे उठान पर था। समाज सुधारक और धार्मिक नेता अंग्रेजी दासता से मुक्ति पाना अपना अधिकार समझने लगे थे। इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्ति का आन्दोलन तीव्र होता गया तथा भारतीय क्रांतिकारियों के उग्र नीति के नेताओं द्वारा स्वदेशी को अपनाने और विदेशी का बहिष्कार, स्वराज्य, स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा को स्वाधीनता प्राप्ति का आवश्यक अंग समझा जाने लगा। परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं के प्रति, विशेषकर हिंदी के प्रति, लोगों का प्रेम जाग्रत हुआ तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में गौरवान्वित होने का अवसर मिला। हिंदी के साथ महात्मा गाँधी जी का नाम उसी अमिट अमरता के साथ जुड़ा हुआ है,जिस प्रकार देश की आजादी के साथ। सन् 19197 ई. में भरूच में होने वाले गुजरात शिक्षा परिषद् के अधिवेशन में सभापति पद से गाँधी जी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि भारत कि राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा बन सकती है। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मलेन की अध्यक्षता करते हुए गाँधी जी ने कहा कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। गाँधी जी के विचार में राष्ट्रभाषा के लिए निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए :

1. अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
2. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
3. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए ।
5. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

ये सभी लक्षण हिंदी भाषा में परिलक्षित होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्वतंत्र भारत की राजभाषा को तय करने का सवाल उठा और शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए इसका माध्यम क्या हो, इस पर भी निर्णय करने की आवश्यकता महसूस हुई। अखिल भारतीय स्तर पर एक भारतीय भाषा का चयन करना इसलिए भी आवश्यक हुआ क्योंकि भारत जैसे बहुभाषा –भाषी देश में, जहां अनेक भाषाओं व बोलियों का प्रचलन है, भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए एक संपर्क भाषा का होना नितांत आवश्यक है। जब संविधान सभा में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रश्न आया तब कुछ मतभेद अवश्य उठे। हिंदी के पक्ष व विपक्ष में अनेक बातें कही गयी। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा को मानने वालों में भाषा के प्रश्न पर वाद–विवाद आरंभ हुआ। इस मतभेद का मुख्य कारण राजभाषा का नामकरण था।

इसी बीच अगस्त, १६४६ में राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद् का एक विराट सम्मलेन नई दिल्ली में हुआ और इस सम्मलेन में अनेक अहिन्दीभाषी विद्वानों एवं नेताओं ने हिंदी का समर्थन किया। अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ कि देवनागरी में लिखित हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। अतः संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। साहित्य की दृष्टि से बंगला, मराठी हिंदी से आगे थीं परन्तु बोलने बालों की दृष्टि से हिंदी सबसे आगे थी। इसीलिए हिंदी को राज भाषा बनाने की पहल गाँधी जी समेत देश के कई अन्य नेता भी कर रहे थे। देश की आजादी के साथ ही हिंदी को राज भाषा का दर्जा मिला। संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) में हिंदी को राजभाषा बनाने का विवरण दिया गया है। सन १६०० से लेकर १६५० तक हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इसके विकास में योगदान दिया। इनमे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, दादा माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पन्त तथा महादेवी वर्मा आदि हैं ।

## हिंदी साहित्य का इतिहास

हिंदी साहित्य को यदि आरंभिक, मध्य व आधुनिक काल में विभाजित कर विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिन्दी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. हरदेव बाहरी कहते हैं, "हिन्दी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरम्भ होता है। किन्तु हिंदी भाषा के उद्‌भव और विकास के सम्बन्ध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न दसवीं शताब्दी के आसपास की प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है"। आरंभिक काल से लेकर आधुनिक व आज की भाषा में आधुनिकोत्तर काल तक साहित्य इतिहास लेखकों के कई नाम गिनाये जा सकते हैं।

१६वीं सदी में हिंदी भाषा और साहित्य दोनों के विकास की रूपरेखा स्पष्टतः प्रस्तुत करने के प्रयास होने लगे। प्रारंभ में निबंधों की भाषा और साहित्य का मूल्यांकन किया गया जिसे साहित्य के इतिहास की प्रस्तुति के रूप में भी स्वीकार किया गया। डॉ. रूपचंद पारीक, गार्सा–द–तासी के ग्रन्थ 'इस्त्वार द ल लितरेत्युर एन्दुई एन्दुस्तानी' को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। परंतु डॉ. गुप्त का विचार है कि ग्रियर्सन का 'द माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान' हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। डॉ. रामकुमार वर्मा ने इसके विपरीत अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति की दृष्टि से तासी के प्रयास को अधिक महत्त्वपूर्ण निरूपित किया है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखकर एक नये युग का आरंभ किया। उन्होंने लोकमंगल व लोक–धर्म की कसौटी पर कवियों और उनके कार्यों को परखा तथा लोक चेतना की दृष्टि से उनके साहित्यिक योगदान की समीक्षा की। इस युग में डॉ. श्यामसुंदर दास, रमाशंकर शुक्ल, सूर्यकांत शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉ. रामकुमार वर्मा, राजनाथ शर्मा आदि विद्वानों ने हिन्दी साहित्य के इतिहास विषयक ग्रन्थों की रचना करके महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'हिंदी साहित्य की भूमिका' (1940 ई.), 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल' (1952 ई.) और 'हिंदी साहित्य उद्‌भव और विकास' (1955 ई.) आदि ग्रन्थ लिखकर इतिहास लेखन के अभावों की पूर्ति की ।

वर्तमान युग में आचार्य द्विवेदी के अतिरिक्त साहित्य के इतिहास लेखन में अन्य प्रयास भी हुए परंतु इस दिशा में विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। वैसे डॉ. गणपति चंद्र गुप्त, डॉ. रामखेलावन पांडेय के अतिरिक्त डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉ. कृष्णलाल, भोलानाथ तथा डॉ. शिवकुमार की कृतियों के अतिरिक्त काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित 'हिंदी साहित्य का इतिहास' एवं डॉ नगेन्द्र के संपादन में प्रकाशित 'हिंदी साहित्य का इतिहास' आधुनिक युग की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

हैं। हरमहेन्द्र सिंह बेदी ने भी हिन्दी साहित्येतिहास दर्शन की भूमिका लिखकर साहित्य के इतिहास और उसके प्रति दार्शनिक दृष्टि को नये ढंग से रेखांकित किया है।

## हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनके ग्रन्थ

हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार और उनके ग्रन्थ निम्नानुसार हैं :

1. गार्सा द तासी, 1. शिवसिंह सेंगरः शिव सिंह सरोज, 2. जॉर्ज ग्रियर्सनरू द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिट्रैचर ऑफ हिंदोस्तान, 4. मिश्र बन्धुः मिश्र बंधु विनोद, 5. रामचंद्र शुक्लः हिन्दी साहित्य का इतिहास 6. हजारी प्रसाद द्विवेदीः हिंदी साहित्य की भूमिकाय हिंदी साहित्य का आदिकालय हिंदी साहित्यः उद्भव और विकास 7. रामकुमार वर्माः हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 8. डॉ. धीरेन्द्र वर्माः हिंदी साहित्य, 9. डॉ. नगेन्द्रः हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी वांड्मय 20वीं शती 10. रामस्वरूप चतुर्वेदीः हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1986, 11. बच्चन सिंहः हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, बूँद–बूँद इतिहास।

## हिंदीः एक समृद्ध भाषा

कालांतर में विकसित होते–होते हिंदी समृद्ध एक भाषा बन गई। भाषा के रूप में इसका क्षेत्र विस्तृत होता गया। आज हिंदी भाषा में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। सभी विधाओं में साहित्य लिखा हुआ है। जैसे कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि। इन विधाओं के लेखकों को महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी हैं। जैसे फारसी, अरबी आदि। कुछ शब्द तो बिलकुल वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं तो कुछ सरलीकृत करके व्यवहार में लाये जाते हैं। वे शब्द हिंदी में इतने घुल–मिल गए हैं कि अब वे अलग प्रतीत नहीं होते। हिंदी भारत की स्वयं सिद्ध राष्ट्रभाषा है। इसे बोलने वालों का प्रतिशत ६५ से भी अधिक है। हमारी हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि हमारे देश में रहने वाले भारतीय लोग किसी भी प्रांत के रहने वाले हों, उनकी कोई भी भाषा मातृभाषा हो, वे हिन्दी समझते हैं और किसी न किसी रूप में व्यवहार में लाते हैं। हिंदी भाषा के विकास में संतों, महात्माओं तथा उपदेशकों का योगदान भी कम नहीं आँका जा सकता है क्योंकि ये आम जनता के अत्यंत निकट होते हैं। इनका जनता पर बहुत प्रभाव होता है। उत्तर भारत के भक्तिकाल के प्रमुख भक्त कवि सूरदास, तुलसीदास तथा मीराबाई के भजन सामान्य जनता द्वारा बड़े उत्साह से गाए जाते हैं। इसकी सरलता के कारण ही ये कई लोगों को कंठस्थ हैं। इसका प्रमुख कारण हिंदी भाषा की सरलता, सुगमता तथा स्पष्टता है। संतों–महात्माओं द्वारा प्रवचन भी हिंदी में ही दिए जाते हैं क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसे समझ पाते हैं। उदाहरण के रूप में दक्षिण–भारत के प्रमुख संत वल्लभाचार्य, विट्ठल रामानुज तथा रामानंद आदि ने हिन्दी का प्रयोग किया है। उसी प्रकार महाराष्ट्र के संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर आदि, गुजरात प्रांत के नरसी मेहता, राजस्थान के दादू दयाल तथा पंजाब के गुरु नानक आदि संतों ने अपने धर्म तथा संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए एकमात्र सशक्त माध्यम हिंदी को बनाया। हमारा फिल्म उद्योग तथा संगीत हिंदी भाषा के आधार पर ही टिका हुआ है। हिंदी भाषा के साथ रुचिकर बात यह है कि यह जहाँ पर बोली जाती है वहाँ का स्थानीय प्रभाव ग्रहण कर लेती है।

## मानक भाषा तथा भाषा विज्ञान

हर भाषा का एक वैज्ञानिक रूप होता है। उसी प्रकार हिंदी भाषा का भी विज्ञान है। मानक भाषा को लोगों ने तरह–तरह से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। रॉबिन्स (१६६६) के अनुसार सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लोगों की बोली को मानक भाषा का नाम दिया जाता है। स्टिवर्ट (१६६८) ने प्रकृति, आंतरिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रयोग आदि के आधार पर भाषा के विभिन्न प्रकारों में अंतर दिखाने के लिए चार आधार माने हैं:

**1. ऐतिहासिकता:**— ऐतिहासिकता' का अर्थ है, भाषा की प्राचीन परम्परा और काल की दृष्टि से उसका विकास। अधिकांश भाषाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फिर दूसरी से तीसरी तक और ऐसे ही आगे पीढ़ी–दर–पीढ़ी चलती रहती हैं। यही उनकी ऐतिहासिकता है।

**2. मानकीकरण:**— भाषा को एक मानक रूप देना। ऐसा रूप जिसमें प्राप्त सभी विकल्पों में एक को मानक मान लिया गया हो तथा जिस भाषा रूप को उस भाषा के सारे बोलने वाले स्वीकार करते हों। यह बात ध्यान देने की है कि सारे विश्व की अधिकांश समुन्नत भाषाओं का मानक रूप होता है। मानकीकरण के कारण ही कोई भाषा अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप होती है, इसीलिए वह सभी लोगों के लिए समझने योग्य होती है। साथ ही वह सभी लोगों द्वारा मान्य होती है। अतः अन्य भाषा रूपों की तुलना में वह अधिक प्रतिष्ठित भी होती है।

**3. जीवंतता:**— जिस भाषा का समाज में बोलचाल तथा लेखन आदि में प्रयोग होता हो। जीवंत भाषा में निरंतर विकास होता रहता है। विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं और बोलियों में जीवंतता मिलती है।

**4. स्वायत्तता:**— स्वायत्तता से आशय है अपने अस्तित्व के लिए किसी भाषा का किसी अन्य भाषा पर निर्भर न होना। सामान्यतः भाषाएँ स्वायत्त होती हैं, किंतु बोलियाँ स्वायत्त नहीं होतीं, वे अपने अस्तित्व के लिए भाषा पर निर्भर करती हैं। इसीलिए हमें प्रत्येक बोली के लिए यह कहना पड़ता है कि वह बोली अमुक भाषा की है किंतु भाषा के संबंध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।

मानकता के निम्नांकित आधार भी हो सकते हैं–

मानकता का आधार मूलतः सामाजिक स्वीकृति है। समाज विशेष के लोग भाषा के जिस रूप को अपनी मानक भाषा मान लें, उनके लिए वही मानक हो जाती है। इस तरह भाषा की मानकता का प्रश्न भाषाविज्ञान का न होकर समाज–भाषाविज्ञान का है। भाषाविज्ञान भाषा की संरचना का अध्ययन करता है, और संरचना मानक भाषा की भी होती है और अमानक भाषा की भी। उसका इससे कोई संबंध नहीं कि समाज किसे शुद्ध मानता है और किसे नहीं। इस तरह मानक भाषा की संकल्पना को संरचनात्मक न कहकर सामाजिक कहना उपयुक्त होगा। जब हम समाज विशेष से किसी भाषा–रूप के मानक माने जाने की बात करते हैं, तो समाज से आशय होता है सुशिक्षित और शिष्ट लोगों का वह समाज जो पूरे भाषा–भाषी क्षेत्र में प्रभावशाली एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उस भाषा के बोलने वालों में यही वर्ग एक प्रकार से मानक वर्ग होता है। समाज द्वारा मान्य होने के कारण अन्य भाषाओं की तुलना में मानक भाषा की प्रतिष्ठा होती है। इस तरह मानक भाषा सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सामान्यतः मानक भाषा मूलतः देश की राजधानी में या अन्य दृष्टियों में महत्त्वपूर्ण केंद्रीय बोली होती है, जिसे राजनीति, धार्मिक अथवा सामाजिक कारणों से प्रतिष्ठा और स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। बोली का प्रयोग अपने क्षेत्र तक सीमित रहता है, किंतु मानक भाषा का क्षेत्र अपने मूल क्षेत्र सीमा से बाहर अन्य बोली–क्षेत्रों में भी होता है। यदि किसी भाषा का मानक रूप है तो साहित्य में, शिक्षा के माध्यम के रूप में, अंतःक्षेत्रीय प्रयोग में तथा सभी औपरचारिक परिस्थितियों में उस मानक रूप का ही प्रयोग होता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानक भाषा' किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा, के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है।

## हिंदी तथा देवनागरी लिपि

देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखीं जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्धी, कश्मीरी, नेपाली, तामाङ भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका,

मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, बिष्णुपुरिया मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बायें से दायें लिखी जाती है। इसका विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों (रोमन, अरबी, चीनी आदि) में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। भारत की कई लिपियाँ देवनागरी से बहुत अधिक मिलती–जुलती हैं, जैसे–बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे पाठ का लगभग 'हू–ब–हू' उच्चारण किया जा सकता है, इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था (विन्यास) भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर–व्यंजन, कोमल–कठोर, अल्पप्राण–महाप्राण, अनुनासिक्य–अन्तस्थ–उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं। एक मत के अनुसार देवनगर काशी में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। इस प्रकार सभी जानते हैं कि हिन्दी की देवनागरी लिपि शास्त्र–शुद्ध है। उसका वर्गीकरण एक विशेष ढंग से किया गया है। किन्तु हिन्दी के संस्कृतजन्य शब्द सुसंवादित एवं अर्थवाही भी होते हैं। हिन्दी में अंग्रेजी, अरबी की भांति स्पेलिंग पाठ करना नहीं पड़ता, उच्चरण के अनुसार उसे लिखा और पढ़ा जाता है। यह सारे गुण सभी शिक्षित समाज को सामान्य रूप से ज्ञात होते हैं। इसके कारण हिन्दी सीखने में सरलता प्राप्त होती है और भाषा को शीघ्रता से सीखा जाता है।

## उपसंहार

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का वैभव तथा महत्व, उसकी सरलता तथा वैज्ञानिकता में परिलक्षित होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ऐसे ही नहीं बन गयी, वरन् यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने एक लम्बी यात्रा तय की है तथा राष्ट्रभाषा की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध किया है। अपने मानक तथा वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत होकर निरंतर समृद्धि को प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त इसमे सीखने–सिखाने की स्पष्ट विधि, अक्षर और शब्द उच्चारण की स्पष्टता, समृद्ध शब्दकोष, शब्द रचना क्षमता, पारिभाषिक शब्दों की रचना क्षमता, परंपरा से और साहित्य से जुड़े रहने की क्षमता तथा शब्दों के विकास व विस्तार की क्षमता आदि सभी गुण हिंदी को लोकप्रिय तथा सुरुचिपूर्ण रूप प्रदान करते हैं। अतः हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ ही प्रत्येक भारतवासी का गौरव है, जिसको सहेजना हमारा परम कर्त्तव्य है।

## सन्दर्भ


1. चाटुजर्या, सुनीतिकुमार (1954), भारतीय–आर्य भाषा और हिंदी, राजकमल प्रकाशनः दिल्ली।
2. पाठक, हरिश्चंद्र (1952), हिंदी भाषा इतिहास और सरंचना, तक्षशिला प्रकाशनः नई दिल्ली
3. भारत का भाषा–सर्वेक्षण, खंड 1, भाग 1.
4. मलिक मोहम्मद, (1952), राजभाषा हिंदीः विकास के विविध आयाम, राजपाल एंड संस; दिल्ली।
5. शर्मा, देवेन्द्रनाथ (1965), राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान, राजकमल प्रकाशन; दिल्ली
6. शर्मा, रामविलास (1977), भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन; नई दिल्ली।
7. त्रिपाठी, सत्यनारायण (1964), हिंदी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास, विश्वविद्यालय 8 प्रकाशन; गोरखपुर।
8. http://rajbhashahindi2010-blogspot-in/2010/08/ii-html
9. http://www-hindikunj-com/2009/06/blog&post-htm
10. http://hi-wikipedia-org/wiki

# राजभाषा हिन्दी और देश का वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास

स्वामी प्यारी कौड़ा
*दयालबाग़ मानद् विश्वविद्यालय, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश*

26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष एक गणराज्य बना और उसका संविधान लागू हुआ। हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया और बताया गया कि 15 वर्ष के उपरान्त हिन्दी सन् 1965 तक पूर्णतया अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी। तब तक राजकाज अंग्रेजी में ही चलते रहने की बात स्वीकार की गई। संविधान के अनुच्छेद 352 में इस बात पर जोर दिया गया था कि इस समयावधि में सरकार हिन्दी का विकास करेगी ताकि हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति को ग्रहण कर राजकाज की सफल भाषा बन सके। परन्तु 1965 से पूर्व ही सन् 1963 में संविधान में संशोधन किया गया और हिन्दी तब से अब तक राजभाषा का अपना पद ग्रहण नहीं कर पाई।

गृह मंत्रालय के अधीनस्थ राजभाषा विभाग के द्वारा केन्द्र शासन के सभी मंत्रालयों, विभागों, अनुभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपक्रमों तथा उद्योगों में भी राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी है। यदि विशाल राष्ट्र में एक शासन के अन्तर्गत अनेक राज्य या प्रदेश हों और उनकी भाषाएँ भिन्न–भिन्न हों तो ऐसी दशा में उनके बीच नैकट्य स्थापित करने के लिए एक ऐसी भाषा का होना अति आवश्यक है जो विशाल गणतंत्र द्वारा समझी और बोली जाती हो। हिन्दी भाषा से भारतवर्ष की 95 प्रतिशत जनता परिचित है और हिन्दी भारतीय संस्कृति की वाहक है। गांधी जी ने कहा था–''भारत में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, अखिल–भारतीय संपर्क की भाषा हिन्दी हो। शिक्षा का उद्देश्य कर्त्तव्यपरायण नागरिक पैदा करना हो।'' लेकिन उनकी माँग ठुकरा दी गई कहा गया–भारत को जरूरत है विज्ञान की, तकनीक की, बड़े उद्योगों की और समाजवाद की ताकि भारत दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रों की टक्कर का राष्ट्र बने। इस सोच के साथ गांधीयुग का अंत और नेहरूयुग का सूत्रपात हुआ। बड़े–बड़े बाँध, राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इस्पात, कारखाने तथा पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला प्रारम्भ हुई, हरित क्रान्ति आई, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ, उद्योग धन्धों का विकास हुआ। शिक्षा के सभी स्तरों पर अच्छी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रही, इसके दो भयंकर दुष्परिणाम रहे–

1. भारत की 95 प्रतिशत जनता का विकास अवरुद्ध हुआ।
2. संविधान के साथ खिलवाड़।

हिन्दी की अवहेलना भारतीय संविधान की अवहेलना बन गई और देश में आरक्षण, जातिवाद और समाजवाद के नाम पर नए–नए संशोधनों द्वारा लूट–खसोट का वातावरण बन गया। क्योंकि उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाएं नहीं हैं। अतः जो 95 प्रतिशत आबादी है उनके लिए उच्च शिक्षा एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा के द्वार बन्द हैं। उन तक मातृभाषा द्वारा आधुनिक ज्ञान पहुँचाया जा सकता था। वे कुशल कारीगर, इंजीनियर वैज्ञानिक बनकर भारत को समर्थ बना सकते थे।

अधिकांश जो हिन्दी भाषी अप्रवासी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक तथा अन्य विशेषज्ञ हैं, वे हिन्दी के प्रति उदासीन हैं। भारत की शिक्षा पद्धति आत्मकेन्द्रित व्यक्ति पैदा करती है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य कर्त्तव्यपरायण व्यक्ति पैदा करना नहीं, अच्छे वेतन और सुरक्षित कॅरियर तलाश करना होता है। अधिकांश भारतवंशी अपने बच्चों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। भाषा संस्कृति की पोशक है। भाषा न जानने पर हम अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। हिन्दी के दो दायित्व है–एक भारत की सम्पर्क भाषा का, दूसरा अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा का। जैसा यूरोपियन यूनियन में होने जा रहा है, उनकी संपर्क भाशा अंग्रेजी होगी और छोटे–बड़े देशों नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, हंगरी से लेकर जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि देशों की भाषाएँ उन देशों के भाासन तथा उच्चतम शिक्षा का माध्यम बनी रहेगी। अधिकांश लोग अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखेंगे। कारण साफ है मैकाले की शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार। अंग्रेजों ने भारत से उसकी भाषा छीन ली। बिना अपनी भाषा के बुद्धि श्रेष्ठ उत्पादन कैसे दे सकती है? अपनी इस शिक्षानीति द्वारा आज ये देश भारतवर्ष से कहीं आगे निकल गए है जबकि प्रतिभा की भारतवर्श में कमी नहीं है। इससे स्पश्ट होता है कि भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा तथा शासन की अंग्रेजी भाषा ने भारत की सृजनात्मक तथा शोधात्मक प्रतिभा को नुकसान पहुँचाया है।

स्वार्थी तत्त्वों द्वारा यह प्रचार किया गया कि विश्व एक गाँव (ग्लोबल विलेज) है। इस कथन को हम भारतीय 'वसुधैव कुटुम्बकम्' मान लेते हैं और प्रसन्नतापूर्वक उस ग्लोबल विलेज से जुड़ना चाहते हैं। किन्तु हमें 'ग्लोबल विलेज' का वास्तविक अर्थ से परिचित होना आवश्यक है। 'ग्लोबल विलेज' का वास्तविक अर्थ है–'वसुधैव आपणः' अर्थात् 'विश्व एक बाजार है।' और बाजार जो कि खुला है, उसमें धन व बल से शक्तिशाली ही हावी हो सकता है। इसके सशक्त प्रमाण है विदेशी कम्पनियाँ व मनोरंजन साधन का वर्चस्व जैसे–मैकडोनल्ड, कोला, पॉप संगीत, माइकल जैक्सन, गल्प साहित्य, अंग्रेजी भाषा आदि। इसी बाजारवादी पाश्विक संस्कृति पर मानवीय संस्कृति द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक होता है। किन्तु शक्तिप्रेमी जानबूझ कर धर्म व संस्कृति को 'अफीम' का नशा कहकर संबोधित करते हैं ताकि उनके फैलाए इस बाजारवाद के जाल से कोई दूर न छिटक जाए। "खुला बाजार वास्तव में वस्तुओं के विनिमय का क्षेत्र नहीं वरन् शक्ति आजमाने का क्षेत्र है और इस शक्ति (प्रौद्योगिक विज्ञान) का स्रोत है–प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान की श्रेष्ठता। प्रौविज्ञान–श्रेष्ठता के बल पर पश्चिमी देश, इजरायल तथा जापान श्रेष्ठतम देश हैं। यह भी दृष्टव्य है कि लगभग बारहवीं शती तक भारत विज्ञान तथा उद्योग में सर्वश्रेष्ठ रहा लेकिन अब पीछे कैसे हो गया? और अब खतरा राजनीतिक गुलामी के बजाय आर्थिक गुलामी का अधिक है।"[2] आज हमें विश्व बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिक विज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त करनी होगी वरन् इस दिशा में विकसित देशों के लिए हम एक खुला बाजार मात्र बनकर रह जाएंगे। प्रौद्योगिक विज्ञान में श्रेष्ठता अर्जित करने हेतु विश्वमोहन तिवारी हमारा ध्यान आकर्शित करते हुए जो महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ बताते हैं वे हैं–

1. प्रौविज्ञान (प्रौद्योगिक विज्ञान) की समुचित शिक्षा।
2. विचार तथा कल्पना भाक्ति।
3. चरित्र।
4. संसाधन (मानवीय, पादार्थिक तथा आर्थिक)

लगभग 1000 वर्ष गुलाम रहने के उपरान्त सन् 1947 में स्वतन्त्र भारत के समक्ष प्रश्न था कि प्रौविज्ञान की शिक्षा किस भाषा में दी जाए? तर्क दिया गया कि भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिक विज्ञान की शिक्षा देने की क्षमता नहीं है। अतः भारत के कर्णधारों ने प्रौद्योगिक विज्ञान की शिक्षा तथा प्रशासनिक सेवाओं में चयन के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम चुना। "प्रश्न यह उठता है कि अंग्रेजी भाषा द्वारा भारत पर पूरे वर्चस्व के बावजूद विज्ञान तथा तकनीकी विकास में हम तानाशाही चीन तथा जनतान्त्रिक

इजरायल के भी पीछे कैसे रह गए। ये देश 47 में हम से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, आज बहुत आगे हैं।''[3] लगभग 65 वर्ष पूर्व भारत और चीन विदेशी चंगुल से मुक्त हुए थे, आज आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक सैनिक सभी दृष्टियों से चीन भारत से बहुत आगे है। समान परिस्थितियों से प्रारम्भ होकर भी चीन के आगे बढ़ जाने का प्रधान कारण है उसका अपनी प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में पूरी शक्ति लगा देना। ''चीन ने जो भी प्राथमिकताएं चुनीं, उन्हें पाने के लिए उसने पूरी शक्ति लगा दी, चाहे वह देश में परिवार नियोजन, शिक्षा के माध्यम अथवा विदेशों में निर्यात का काम हो। इससे चीन की साख बढ़ी। विकसित देशों द्वारा चीन में पूंजी निवेश बढ़ता गया। प्रारम्भ से ही चीन ने जनसाधारण को समर्थ बनाने में जोर दिया, पहली कक्षा से लेकर उच्चतम कक्षा तक, शिक्षा का माध्यम चीनी भाषा रहा, अंग्रेजी को एक पुस्तकालय भाषा के रूप में पढ़ाया गया, प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के एक ही प्रकार की शिक्षा दी गई। चीन में शिक्षा किताबी न होकर उपयोगी तथा समाज की जरूरतों से जुड़ी रही है। चीन में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर कॉलेजों के छात्र स्कूलों में घरेलू तथा औद्योगिक उपकरणों को बनाने तथा मरम्मत करने के व्यवसाय चलाते है।''[4]

गाँधी जी ने कहा था,''स्वतन्त्रता के पश्चात् चाहे अंग्रेज यहाँ रहें, किन्तु अंग्रेजी एक भी दिन न रहे।'' अंग्रेजी ने न केवल हमें प्रौद्योगिक विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा बना दिया वरन् हमारी दैनन्दिन संस्कृति को भी भ्रष्ट कर डाला। अंग्रेजी के रहते न केवल हम पिछड़े रहेंगे वरन् हमारा पिछड़ापन बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हमें व्यक्तिवादी, भोगवादी बना रही है। ''विदेशी भाषा से जो संस्कृति हम सीखते हैं वह गड्डमड्ड और खंडित रहती है। विदेशी भाषा हमारे अनुभवों को खण्डों में बाँट देती है। स्वभाशा में सीखने पर विभिन्न खण्डों के बीच वह अभेद्य दीवार नहीं रहती जो विदेशी भाषा में सीखने पर रहती है। क्योंकि जीवन के विच्छिन्न अनुभवों को भाशा समेकित करती है। विज्ञान को विदेशी भाषा में सीखने पर विज्ञान तथा जीवन के बीच दरार रहेगी ही। अतएव विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा हमारे व्यक्तित्व को खण्डित करती है। विदेशी भाषा के वे खण्ड जो संस्कृति शिक्षा प्रदान करते है डॉक्टरी, इंजीनियरी जैसे व्यावसायिक विशयों में नहीं पढ़ाए जाते।................ इस तरह जो संस्कृति विदेशी भाषा से सीखी जाती है वह हमारे लिए उतनी सटीक नहीं होती वरन् हानिकारक हो सकती है, क्योंकि संस्कृति का संबंध देशकाल की मिट्टी से बहुत गहरा होता है।''[5]

वैश्वीकरण और भूमण्डलीकरण के इस दौर में युवा पीढ़ी और ज्ञान विज्ञान के विषय में गहन विचार–विमर्श की आवश्यकता है। ''वर्तमान समय में नयी पीढ़ी एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। युवा पीढ़ी विकास के महत्त्वपूर्ण रास्ते पर है। अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर हमारी युवा पीढ़ी वर्तमान दुनिया की मांगों के अनुसार स्वयं को तैयार कर रही है।''[6] और इस क्रम में भारत के ज्ञान–विज्ञान के साहित्य के प्रकाशन को जब हिन्दी में प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है तब सोचना आवश्यक हो जाता है। ''प्रशासनिक प्रोत्साहन न मिलने के बावजूद हिन्दी में प्रौविज्ञान में बहुत लिखा गया है। 1998 तक केवल 13 भारतीय भाशाओं में प्रौविज्ञान विषयक लगभग 25000 पुस्तकें तथा हिन्दी में 2000 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और 1998 के बाद इस गति में वृद्धि हुई है। भारतीय विज्ञान परिशद्, इलाहाबाद 1915 से 'विज्ञान' नामक मासिक पत्रिका तथा 1952 से 'अनुसंधान' पत्रिका लगातार प्रकाशित कर रहा है। 'विज्ञान प्रगति' मासिक दिल्ली से कोई पचास वर्शों से लगातार प्रकाशित हो रही है जिसकी ग्राहक संख्या 70,000 से 10,00,000 होती है। 'अनुसंधान' पत्रिका में स्नातकोत्तर तथा पी एच डी स्तर के शोध पत्र प्रकाशित होते हैं। सी एस आई आर की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित करती आई है। आई आई टी में थीसिस भी हिन्दी में लिखी जा रहीं हैं। शब्दावली आयोग ने हिन्दी में अधुनातन लगभग 8 लाख प्रौवैज्ञानिक शब्दों का निर्माण कर लिया है। हिन्दी भाषा (के शब्दकोशों) में कुल लगभग 3 लाख शब्द होंगे। इससे हिन्दी में प्रौवैज्ञानिक शब्द निर्माण कार्य की महत्ता दिखती है, दूसरे हिन्दी भाषा में प्रौविज्ञान का बढ़ता हुआ महत्त्व भी।''[7]

अब हिन्दी ने प्रौद्योगिक विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य सिद्ध कर दी है तब भी हिन्दी में उच्च शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबन्ध क्यों ? ''आयुर्विज्ञान में हमारे पास हिन्दी में शिक्षा देने की पूरी क्षमता है, किन्तु 'मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया' हिन्दी में शिक्षा देने की अनुमति नहीं दे रहा है।''[8]

हमारी युवा पीढ़ी नये–नये सवालों का सामना कर रही है और समाधान खोज रही है। ''बीसवीं सदी के औद्योगिक समाज के बाद इक्कीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्शों में ही एक नए प्रौद्योगिक समाज ने जन्म लिया है। ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई इसकी अपेक्षाएं नितांत भिन्न हैं। उन्हें समझना होगा और हिन्दी के हर संचार माध्यम से उन्हें अभिव्यक्ति दिलानी होगी।......................नए समाज की रचना हो रही है। हर दिन ज्ञान विकसित हो रहा है। विकसित होते हुए ज्ञान को यदि हम अपनी भाषाओं में युवा पीढ़ी तक नहीं ले जाएंगें तो युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस ज्ञान से वंचित रह जाएगा। कम्प्यूटर अब हर भाषा में कार्य कर सकता है।''[9] अतः कोई कारण नज़र नहीं आता कि नए प्राप्त ज्ञान विज्ञान को हम हिन्दी में क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते।

डॉ. विश्वमोहन तिवारी इस संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए लिखते हैं–

1. प्रौविज्ञान की शिक्षा भारतीय भाशाओं में दें, हिन्दी में पर्याप्त प्रौवैज्ञानिक शब्दावली है, लेखक हैं और पाठक भी हैं। हमारा अंग्रेजी का मोह इसके प्रसार में सबसे बड़ा रोड़ा है। औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ प्रौवैज्ञानिक साक्षरता बढ़ाने के लिए भी कार्य करना चाहिए।

2. आज की गड्डमड्ड संस्कृति से बचने के लिए हमें एक समेकित भारतीय संस्कृति को जीवन्त रूप में लाना है। एतदर्थ शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, साथ ही समेकित भारतीय संस्कृति की शिक्षा भी हो।

3. अंग्रेजी की शिक्षा भी अवश्य देनी चाहिए किन्तु रोजी रोटी के लिए सर्वप्रथम उसकी अनिवार्यता हटाई जाए। तथा अंग्रेजी को वहीं रखा जाए जहाँ उसकी नितान्त आवश्यकता हो। उदाहरणार्थ–विप्रौद्योगिकी के साहित्य के अनुवाद आदि में। अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के समान ही स्थान मिलना चाहिए। त्रिभाषी सूत्र के स्थान पर द्विभाषी (हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा) सूत्र अपनाया जाए। संस्कृत तीसरी भाषा हो सकती है।

4. अंग्रेजी को घृणित सिंहासन से हटाकर, हिन्दी को उस पर आसीन नहीं होना है। उसे तो मित्रवत् संपर्क तथा राजभाषा का कार्य करना है। सभी प्रदेश अपनी–अपनी भाषाओं में अपनी सारा कार्य करें।

5. हिन्दी को रोटी के लिए अनिवार्य न बनाया जाए, हाँ 'अखिल भारतीय सेवाओं' में वे अधिकारी अपना कार्य कर सकें, बस इतना ही हिन्दी ज्ञान उनके लिए आवश्यक हो। हिन्दी में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक हो, और हिन्दी भाषियों को भी एक अन्य भारतीय भाषा में उतनी ही योग्यता आवश्यक हो। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में विभिन्न भाषाओं में उत्तर प्रपत्र जाँचने के लिए आवश्यक समान स्तर लाया जा सकता है। यह कोई असमाधेय समस्या नहीं है।

6. एक सशक्त अनुवाद सेना तैयार की जाए।

7. हिन्दी भाषा के विकास के लिए अनेक संस्थाएँ यथा–राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, हिन्दी ग्रन्थ अकादमियाँ आदि कार्य कर रही हैं। हिन्दी को प्रौविज्ञान शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु पर्याप्त विकास हुआ है। इन संस्थाओं के कार्य को समेकित कर युद्ध स्तर पर यह ध्येय पूरा करने वाली एक सशक्त शीर्ष संस्था ही आवश्यकता है, जिसे समुचित संसाधन तथा अधिकार दिए जाएँ ताकि वह अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकें। शासन प्रौविज्ञान के विकास हेतु एक सुनियोजित सुसंबद्ध नीति का कार्यान्वयन करे।[10]

उपरोक्त सारी चर्चा निरर्थक है यदि हम व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं और आपसी आदान प्रदान में सौहार्दपूर्ण एवं त्याग की भावना से देश प्रेम के रंग में रंग कर कार्य नहीं करते हैं। हमें एक तटस्थ विचारधारा में सृजन के नए आयाम खोलने होंगे। ''समाज तो एक समुद्र की तरह है। समुद्र में छोटी–छोटी नावें, स्टीम बोट, बड़े–बड़े जहाज तैरते रहते हैं, जो कभी भी लहरों की मरजी पर डूब सकते हैं, चूर–चूर हो सकते हैं, लेकिन समुद्र में ही एक और वस्तु खड़ी रहती है, जिसका सिर लहरों की मर्जी पर नहीं झुकता, जो डावांडोल होना नहीं जानता, वह है–प्रकाश स्तम्भ (लाईट हाउस) जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखलाता हैं।''[11] हिन्दी भारत के लिए लाईट हाउस का कार्य करती रहेगी। हमारे राष्ट्र में जो मूलभूत संस्कृति है उसका अस्तित्व संपूर्ण भारत में है। हमारी संस्कृति में एकता है, एकरूपता नहीं, एकात्मकता है। हम संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर हिन्दी की प्रगति में देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। हिन्दी में प्रौद्योगिकी और विज्ञान को अभिव्यक्त करने की उसकी शिक्षा देने की अपूर्व क्षमता है।

आवश्यकता है ''हिन्दी के लिए भाासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति की और जनता में राष्ट्रीय स्तर पर अटूट हिन्दी निष्ठा की। सरकार कल से हिन्दी में काम करने की घोषणा करके देखे तो सही। आज जो सामग्री उपलब्ध है उसका उपयोग करने का निश्चय तो करे। घोषणा होने भर की देर है लेखक विविध विषयों से हिन्दी का भण्डार भर देंगे और प्रकाशक उन्हें छापकर अम्बार लगा देंगे। सरकारी कर्मचारी तब अंग्रेजी से भी अधिक तेजी के साथ हिन्दी में कार्य करने लगे।..................विद्यार्थियों पर अनावश्यक रूप से पड़ा हुआ बोझ हट जाएगा।''[12]

गांधीजी ने विद्वत्‌जनों, रइसों, राजकुमारों, युवा छात्राओं, छात्रों, देश प्रेमी जनता को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा था–''अगर मैं तानाशाह हूँ तो आज से ही विदेशी भाषा में लड़के–लड़कियों की पढ़ाई बन्द कर दूँ और सारे प्रोफेसर और अध्यापकों को मातृभाषा में पढ़ाने का आदेश दूँ। जरूरत हो तो ऐसा न कर सकने वालों को सेवामुक्त करने की जहमियत भी उठा लूँ। मैं पाठ्य–पुस्तकें लिखे जाने तक इन्तज़ार नहीं कर सकता। वे लिख ली जाएंगी। माध्यम के बदलाव की अभी इस वक्त आवश्यकता है।''

यदि हम हिन्दी में सभी स्तरों पर, सभी व्यवसायों का श्रेष्ठ साहित्य निर्माण कर सकें तो वह अंग्रेजी साहित्य की तुलना में सरल, कारगर, प्रभावी तथा 95 प्रतिशत आबादी के हित में होगा जिससे देश विज्ञान व प्रौद्योगिकी की प्रगति के क्षेत्र में विश्व में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना सकेगा। भारतवर्ष विश्व के वैज्ञानिक विकास के साथ–साथ भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों व आदर्शों द्वारा शान्ति व प्रेम का पाठ भी पढ़ा सकेगा। आर्नल्ड टायनवी ने भारत के विषय में भविष्यवाणी की थी–'' भारत विश्व का आध्यात्म गुरू बनकर पाश्चात्य सभ्यता के तले रौंदी जा रही मानवता को बचा सकेगा।'' यह भविष्यवाणी हिन्दी के वर्चस्व से ही संभव हो सकती है, क्योंकि हिन्दी में ही हमारी संस्कृति अनुस्यूत है। हिन्दी प्रतिष्ठा का यह बोध जगाने और उस प्रतिष्ठा के अनुकूल एक बड़ी चुनौती स्वीकार करने का निमंत्रण देती है। हिन्दीभाषी जन किसी स्वाति की प्रतीक्षा न कर अपने तप, बल, साहस व देशप्रेम की भावना से भरकर स्वयं को बादल के रूप में रूपान्तरित करें। धरती को हिन्दी के पावस की जरूरत है। इस कार्य में विश्वभर के हिन्दी सेवियों का सहयोग अपेक्षित है। यह सहयोग ही भारतवर्ष को नई बाजार व्यवस्था के समक्ष टिके रहने का सामर्थ्य प्रदान कर सकेगा।

## सन्दर्भ

1. गगनांचल, विशेषांक, विश्व हिन्दी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007, वर्ष 30 संयुक्तांक, 3–4 जुलाई–दिसम्बर 2007, आलेख– 'भारतीय भाषाएं', रामचौधरी पृ. 70

2. स्मारिका, सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, 5–9 जून 2003 सूरीनाम, आलेख–'विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हिन्दी का महत्त्व, विश्वमोहन तिवारी पृ. 141

3. वही, पृ. 142

4. गगनांचल, विशेषांक, विश्व हिन्दी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007, वर्ष 30 संयुक्तांक, 3–4 जुलाई–दिसम्बर 2007, आलेख–'भारतीय भाषाए', रामचौधरी पृ. 71

5. स्मारिका, सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, 5–9 जून 2003 सूरीनाम, आलेख–'विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हिन्दी का महत्त्व, विश्वमोहन तिवारी, पृ. 143

6. सम्मेलन समाचार समग्र, 8वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007, संपादक–अशोक चक्रधर, आलेख– कथन और कथनांश, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी अपेक्षाएं, डॉ. वाई. लक्ष्मीप्रसाद, पृ. 118

7. स्मारिका, सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, 5–9 जून 2003 सूरीनाम, आलेख–'विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हिन्दी का महत्त्व, विश्वमोहन तिवारी, पृ. 145

8. स्मारिका, सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, 5–9 जून 2003 सूरीनाम, आलेख–'विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हिन्दी का महत्त्व, विश्वमोहन तिवारी पृ. 146

9. सम्मेलन समाचार समग्र, 8वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007, संवादक–अशोक चक्रधर, आलेख– कथन और कथनांश, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी अपेक्षाएं, डॉ. वाई. लक्ष्मीप्रसाद, पृ. 118

10. स्मारिका, सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, 5–9 जून 2003 सूरीनाम, आलेख–'विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हिन्दी का महत्त्व, विश्वमोहन तिवारी पृ. 146–147

11. कादम्बिनी, सितम्बर 2012, माखनलाल चतुर्वेदी का आलेख– 'धर्म का काम पुरानी भाषा से चल सकता है लेकिन' हिन्दी दिवस (14 सितम्बर) पर विशेष, प्रस्तुति डॉ. रवीन्द्र चतुर्वेदी, पृ. 33

12. गोपाल प्रसाद व्यास, 'बिन हिन्दी सब सून' पुस्तक में आलेख–'हिन्दी में क्या कुछ नहीं?' से उद्धृत, पृ. 75

# भाषा की खूबियाँ

अरुण कुमार झा
*गैस टरबाइन अनुसंधान प्रयोगशाला, बैंगलूरू*

यूँ तो भाषा–बोली के बारे में किसी शैक्षिक जानकारी के बगैर भी लोगों का काम मजे में चल जाता है। जब हजार–पाँच हजार शब्द भिन्न–भिन्न रूपों में जिंदग को इस पार से उस पार पहुँचा देने की काबिलियत रखते हों और बोनस में जिंदगी को जायकेदार भी बनाते चले जाएँ तो इनसे नफा–नुकसान की जिद कोई क्यों पाले? जिस प्रकार इस चराचर संसार में हर तरह की नैत्यिक क्रियाएँ जैसे – सूरज–चाँद का उगना, डूबना; पेड़–पहाड़–नदी–नालों का बढ़ना, बहना, बिखरना ... इत्यादि यूँ ही बेवास्ता रोज जारी रहती हैं, उसी प्रकार भाषा भिन्न–भिन्न स्वरूपों में समाज के विकास को रोज सरकाती है। भाषा जिंदगी की ज़रूरियात का गजब का पैरोकार है। हर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के निपटान के लिए किस्म–किस्म के भाषिक संकेतों का सहारा लेता रहता है। 'लैंग्वेज इज ए टूल' की अवधारणा आम आदमी की इन्हीं जरूरियात के मद्देनजर आलोक में आई होगी।

भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में 'शब्द' को ब्रह्म कहा जाता है– अनादि निधंन ब्रह्म शब्द तत्वंयदक्षरम – 'भर्तहरि'। आचार्य रामचंद्र वर्मा कृत हिंदी कोश में ब्रह्म का जो अर्थ दिया गया है उसके अनुसार यह सबसे बड़ी परम और नित्य चेतन सत्ता है जो जगत का मूल कारण और सत्, चित, आनंदस्वरूप मानी गई है। ब्रह्म के बारे में इन धारणाओं के सरलीकरण की कोशिश की जाए तो पकड़ में तुरंत जो शब्द आता है, वह है मन – जहाँ से विचार उपजते हैं; और जो मूक बातचीत के परिपाक हैं। इनका ध्वनि से जुड़ जाना ही भाषा–बोलियों की शक्ल अख्तियार कर लेना है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य का सोचना, बोलना अथवा किसी भाव या विचार का ग्रहण करना वाक्य में होता है जो एक प्रकार से एक पद–समूह है। पद और शब्द में मोटा भेद यह है कि शब्द जब वाक्य का हिस्सा बन जाए तो उसे पद का पद मिल जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा सन् 1983 (शक 1905) में प्रकाशित "मानक अंग्रेजी–हिंदी कोश" की भूमिका से संपादक (पृ.12) लिखते हैं– "देवताओं को असुरों से बड़ा भय रहता था। जब वे किसी शब्द की रचना करते थे, तो उन्हें वह शब्दों असुरों से छुपाना पड़ता था, जिससे कि असुर उनके अभिप्राय को समझ न पाएं। इस छिपाने के प्रयास में देव अपने शब्दों को थोड़ा सा विकृत कर देते थे। इस विकृति के उदाहरण शतपथ ब्राह्मण में ही नहीं, एतरेय और गोपथ में भी हैं। उदाहरण के लिए व्याकरण–सम्मत शुद्ध, और देवों द्वारा परिवर्तित 'परोक्ष' शब्द नीचे दिए जाते हैं –

अग्रे (अग्रि) ⟹ अग्रे (अग्रि); अश्रु ⟹ अश्मन्, अश्रव; इन्ध ⟹ इन्द्र; उदुम्भर ⟹ उदुम्बर; उरुकर ⟹ उलूखन; धीक्षित ⟹ दीक्षित; धूर्वा ⟹ दूर्वा; पूष्कर ⟹ पुष्कर; प्रख्य ⟹ प्लक्ष; मखवत् ⟹ मघवत्; श्मशात्र (शवात्र) ⟹ श्मशान; हिरम्य ⟹ हिरण्य। 'परोक्षं परोक्षकामाय हि देवप;' 'परोक्ष परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विष;' देवता प्रत्यक्ष के द्वेषी और परोक्ष–प्रिय होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण साहित्य में व्याकरण–सम्मत शब्दों को विकृत करके व्यवहार में लाया गया है।" 'मंत्र' के हाव–भाव से पाठक परिचित होंगे। इन्हीं मंत्रों की बदौलत, सुना व पढ़ा होगा, प्राचीन काल में अनेक

अस्त्र–शस्त्र बनाए व छोड़े गए; साम्राज्य टूटे, बिगड़े और बने भी। इन्हीं मंत्रों की बदौलत, अनेक ऐसा मानते हैं, साँप और बिच्छु के विष झर जाते हैं। आज भी शब्द रूपी बाण से लोगों के आहत होने की खबर अकसर अखबारों में छपती रहती है। अर्थात् यह शब्दों की खासियत हुई कि वे रंग–बिरंगी करतब दिखाने में माहिर हैं। आपने ऐसे लोगों का सामना जरूर किया होगा जो कुछ कहने या लिखने से पहले सौ बार सोचते हैं – 'ऐसा' बोलूं तो 'यही' मतलब निकलेगा न? ... इस वाक्य को अगर 'ऐसे' कहें तो मतलब 'यह' निकलता है; और 'इसे' अगर 'वैसे' में बदल दें तो अर्थ 'वह' होने जा रहा है। ... न ! ना !! पहले हिसाब लगा लें, तभी बोलेंगे। ... मुँह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती। ... 'भाषा बिगड़ी–जग बिगड़ा', ... 'उलटी बात–सीधी बकवास', ... 'प्रस्तुति हर हाल में गरिमामय होनी ही चाहिए' ... जैसे उदाहरण। यानी कि सारा खेल भाषा का, उसके अंदरूनी मिज़ाज का और उसकी प्रस्तुति के तौर तरीक़ों का।

कोई जरूरी नहीं कि बात–विचार केवल संकेतों, चिह्नों, बिंबों या/और प्रतीकों के जरिए ही व्यक्त हो। 'नयनों की भाषा' दुनिया जानती है; अलावा भी, संप्रेषण के ढेरों माध्यम हैं। छोटे–बड़े जीव–जन्तु विभित्र सुर–तान वाली ध्वनियाँ निकालते हैं ... जितने जीव, उससे कई गुणा अधिक संप्रेषण के तौर–तरीके और ध्वनि–गुण। क्या 'भाषा' धातु जिससे भाषा उत्पत्र हुई है, का मजलब होता है 'बोलना' या 'कहना'। डॉ. भोला नाथ तिवारी (भाषा विज्ञान, सत्रहवाँ संस्करण: 1984) के शब्दों में – "भाषा मानव–उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनिप्रतीकों की वह संरचानात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज–विशेष के लोग 'आपस में विचार–विनिमय करते हैं', तथा 'लेखक, कवि या वक्ता के रूप में' अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं, तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता (identity) के संबंध में जानकारी देते हैं।" यानी भाषा रूपी सामाजिक ढाँचा अगर किसी दिन किसी करण चरमराया तो समझ लें, समाज की लुटिया डूबी – ताना – बाना ध्वस्त ! विकास–विज्ञान बंद !! कला–संस्कृति गोल !!! ऐसे में तो आदमी निष्प्राण हो जाए। जरूरी नहीं कि भाषा के मामले में आपकी रुचि सच्ची या पक्की हो; क्योंकि, अपने प्रकट स्वरुप में भाषा आप पर निर्भर नहीं है; आप अपने विचार को साकार करने के लिए उस पर आश्रित हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता है भाषा की कि यह जनम में 'माँ' की तरह सबके साथ चलती हैं, बाप की तरह सबको 'बोलना' सिखाती है, परिवार से सबको प्यार दिलाती है और समाज में आदमी को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत देती है। हकीकत यही है कि आप जो हैं, जहाँ हैं – भाषा–बोलियाँ हर मौके–बेमौके आपकी समस्या में सहकार बन सदैव आपका साया थामे रहती है।

आज दुनिया में अनेक भाषाएँ विलुप्ति के कगार पर हैं और विलक्षणता देखिए – कई भाषाएँ ऐसी भी हैं जो अमरबेल की तरह देश–महादेश में बेरोक–टोक फैलती चली जा रही हैं। जेब में रूपये भले हों, उन्हें खर्चना जेब के मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है। भाष का मामला मगर, प्रजातांत्रिक है। कोई क्या बोले? कैसे बोले? कितना बोले? किस बोली में बोले? – ये बातें व्यक्ति–विशेष के स्वभाव, परिवेश, इच्छा, आकांक्षा और सोच पर निर्भर होती हैं। परंतु जिस प्रकार देश और राज्य की पहचान के लिए राजभाषा और राज्यभाषा की परिकल्पना की हुई है उसी प्रकार व्यक्ति–विशेष की पहचान के लिए हरेक के पास एक खास भाषा/बोली भी तो चाहिए? शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में जाकर कह लें, – 'ललित' या 'वेंकट' चार बज कर दो मिनट पर वही 'ललित' या 'वेंकट' नहीं रहते जो चार बज कर एक मिनट पर रहते हैं। पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि मानव को आपस में बांटने के लिए ही ऊपर वाले ने भाषाओं की बरसात कर दी। कल्पना कीजिए, सभ्यता के उत्स में किसी दिन रह व्यक्ति के नाम बँगला और कार के साथ एक भाषा या बोली भी उपयोग के लिए मुहैया हो जाए तो आगे क्या हाल होगा? ... तो क्या मान लें कि व्यक्ति ही भाषा को परिचालित नहीं करता, भाषा भी

व्यक्ति को चलाने का काम करती है? संभवतः इसीलिए जीवन में किसी खास मुकाम पर किसी खास भाषा के प्रयोग के प्रति लोग आग्रही हो जाते हैं और किसी/नहीं खास भाषा/ओं पर से उनकी नजर हट जाती है। स्पष्ट है कि भाग व्यक्ति विशेष के पकड़ में आने वाली चीज होकर भी आद्यांत अपना सामाजिक प्रभाव रखती है।

इस देश में राजभाषा के प्रयोग को चुस्त–दुरूस्त करने के लिए अकसर 'सरल हिन्दी' के प्रयोग की वकालत की जाती है। हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के प्रकरण में डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद (आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन, पटना, पृष्ठ 3–5) ने अनेक विद्वानों के विचार का जिक्र करते हुए निष्कर्ष दिया है – "प्राचीन आर्यभाषा–काल (1500 ई. पू. से 500 ई. पू.) के दौरान भाषा का स्वरूप योगात्मक था, शब्दों में धातुओं के अर्थ प्रायः सुरक्षित होते थे, भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी, भाषा संगीतात्मक थी, तीन लिंग और तीन वचन थे, पदों का स्थान निश्रिवच नहीं था, शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी और अनेक द्रविड शब्दों का उपयोग होता था। ...सन् 1000 ई. से जब यह आधुनिक काल में प्रवेश हुई तो अपभ्रंश के रूप में इसका चरम विकास हुआ। इसी अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिन्दी और अन्य कई भाषाएँ निकली हैं। ये सभी भाषाएँ सरलता की ओर अग्रसर हैं। संस्कृत, पालि आदि की तुलना में अपभ्रंश के शब्द–रुप कम हो गए। संस्कृत के आठों कारकों के तीन वचनों में 24 रूप बनते थे, प्राकृत हो में वे 12 रूप हो गए। अपभ्रंश में 6 और आधुनिक भाषाओं में दो रूप – मूल और विकृत – हो गए। क्रिया के रूपों में भी काफी कमी हो गई। संस्कृत में वचन तीन थे। हिंदी में केवल दो वचन रह गए। संस्कृत में तीन लिंग थे। हिंदी में दो ही लिंग रह गए।... चूँकि जन जीवन की गोद में हिंदी भाषा का जन्म हुआ, इसलिए आरंभ से ही इसमें तदभव शब्दों की प्रधानता रही।.. इस प्रकार भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक बन गई।" आज यही भाषा इस देश की राजभाषा है जिसके व्यापक विस्तार का एक बड़ा कारण 'समझ में ओ जाने की' इसकी अपरिमित शक्ति है। हाँ, ऐसी सरल प्रकृति के बावजूद सरकारी दफ़्तरों में अगर यह अपना मुकाम नहीं बना पा रही है तो इसमें दोष हिंदी का नहीं, अंग्रेजी भाषा के रूढ़ प्रचलन का है। आजादी के इतने सालों बाद भी स्कूलों, कालेजों, दफ्तरों और तमाम सरकारी–ग़ैरसरकारी संस्थाओं में कामकाज की सारी पीठिका पहले अंग्रेजी में बनाई जाती है और 'कांट–छांट' तथा 'पारित' होने की प्रक्रिया के तमाम राहों से गुजरने के बाद, अंतिम परिनिष्ठित पाठ का जरूरत के हिसाब से अनुवाद राजभाषा / राज्यभाषा/ओं में कराया जाता है। यह काम एक बोझिल बौद्धिक अभ्यास है; क्योंकि, द्वितीयक उत्पाद के रूप में अनूदित पाठ की उपयोगिता बँध जाती है। तथापि, कई बार इस अनूदित पाठ की माँग तब भी अचानक बढ़ती है। इसके पीछे सम्बद्ध भाषा/ओं की उर्वरा–शक्ति, शैली, शब्दावली, लोकप्रियता आदि का विशेष योगदान हो सकता है। मतलब साफ है कि 'कठिनतम' को 'सरलतम' रूप में बदलने की कवायद काफी हद तक भाषा–विशेष की अंदरूनी क्षमता पर भी निर्भर है।

भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था है, अर्थात् किसी भाषा में हर पर तार्किकता की कसौटी पर खड़े उतरें, यह जरूरी नहीं होता। संस्कृत का 'जल' शब्द हिंदी में 'पानी' कन्नड़ में 'नीर' है; फारसी में 'आब' है; अंग्रेजी में 'वाटर' है; रूसी में 'वदा' है, तमिल में 'तत्री' है,... इत्यादि ... इत्यादि। 'आँख का अंधा, नाम नयन सुख' की लोकोक्ति से आप अवगत हैं। 'आम' शब्द का मतलब देखिए, यह एक फल भी है और इससे 'सर्व साधारण' का भी बोध होता है। मात्रा के हरे–फेर से 'दिन' (उजाला) 'दीन' (गरीब) बन कर नए अर्थ किस बाजार से खरीद लाया, कुछ पता नहीं। 'चिंता' और 'चिता' में बस एक बिंदी का फर्क है पर पहले का संबंध जीवन से है और दूसरे का मरण से, क्यों? कोई तर्क नहीं। हिंदी में वाक्य व्यवस्था 'कर्ताक़र्मक़्रिया' के रूप में होती है, अंग्रेजी का वाक्य–विन्यास 'कर्ताक़्रियाक़र्म' के रूप में होता है और संस्कृत में यह क्रम किसी भी रूप में संभव है। ऊपर कहा जा चुका है कि हिंदी में

दो लिंग हैं, संस्कृत में तीन इत्यादि। निश्रचय ही ये सारी बातें यादृच्छिक अर्थात् मानी हुई हैं। इस प्रकार भाषा की एक विशेषता यह भी है कि यह सदैव 'तार्किकता' या/और 'वैज्ञानिकता' की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरती, तब भी मजे में रंग बिरंगी रूपों में दुनिया की महफिल को गुलजार बना देती है।

एक बार एक राजा अपने दल—बल के साथ शिकार करने जंगल की तरफ निकला। एक शिकार को पकड़ने के चक्कर में यह बिहड़ में घुस गया। वहाँ उसे प्यास लगी नतीजन पानी की खोज शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद एक खंडहर नुमा इमारत का सुराग मिला। .... सारा हुजूम उधर दौड़ गया। संयोग देखिए, खंडहर के बाहर बरामदे में एक आदमी भी बैठा मिल गया। भीड़ में से एक ने सवाल किया— 'सूरदास जी, यहाँ आस—पास कोई कुआँ है क्या? हमें बड़ी प्यास लगी है।' पीछे से गर्द पड़ी— 'भाई साहब, आप किससे पूछ रहे हो? ... ये अंधा है। भला क्या बताएगा?' अंधे ने शांति से कहा— 'आप सब परेशान न हों। इमारत के अंदर जाएँ, पीने का पानी भी मिलेगा और सुस्ताने की जगह भी।' सभी इमारत में घुस गए। कुछ देर बाद वहाँ एक और आदमी आया। उसने भी बरामदे में बैठे व्यक्ति से प्रश्न किया— 'साधु जी! मेरे लोग भटक गए हैं। आपको बारे में कोई अनुमान है क्या?' साधु ने उत्तर दिया— मंत्रिवर, शायद आपको भी प्यास लगी है। आपके लोग इमारत के अंदर गए है। वहीं मिल जाएंगे। कुछ देर बाद एक और आदमी आया और पूछा— 'हे प्रज्ञाचक्षु! में इस जंगल में भटक गया हूँ। मेरी दुनिया खो गई है, मुझे राह दिखाएँ।' प्रज्ञाचक्षु ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया—'राजन्! बगल में मीठे जल की पतली धार है। पहले अपनी प्यास बुझा लें, फिर बात करते है। जब 'राजन्' ने जल ग्रहण कर लिया तब प्रज्ञाचक्षु का खुलासा हुआ, — आपकी प्रजा, सरदार और महामंत्री इमारत के अंदर गए हैं। आप यहीं बैठें, वे सब कुछ देर में बाहर आ जाएंगें।' .... हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि आँख से न देख पाने वाला एक व्यक्ति 'अन्य लोगों' के बारे में उनकी सच्चाई का खुलासा उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा के आधार पर एकदम ठीक ढंग से कर रहा है। कह सकते हैं कि भाषा—प्रयोग में निज को सार्वजनिक कर देने की अद्‌भुत क्षमता उपस्थित होती है। शमशेर की एक पंक्ति याद आती है—बात बोलेगी/हम नहीं/भेद खोलगी/बात ही।

## संदर्भ


1. मानक अंग्रेजी—हिंदी की भूमिका।
2. प्रामाणिक हिंदी कोश।
3. भाषा विज्ञान, किताब महल।
4. आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना।

# संपर्क भाषा हिंदी का देश में स्थान

कैलाश चन्द्र मठपाल

*फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, पलौड़ा कैंप, जम्मू*

प्राचीन भारत में संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, किन्तु आधुनिक भारत में हिंदी ही संपर्क भाषा जानी जाती है। हिंदी की ग्राह्य क्षमता की सरलता ने ही उसे संपर्क भाषा का रूप प्रदान किया। डॉ जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में ठीक ही लिखा है, "हिंदी का विकास अन्तः भाषा के रूप में हुआ है।" हिंदी बोलने समझने वालों की दृष्टि से यह विश्व की भाषाओं में तीसरे स्थान पर आती है। विश्व में सर्वाधिक संख्या अंग्रेजी बोलने वालों की है और उसके बाद चीनी भाषियों के तद्नन्तर हिंदी भाषा बोलने वाले ही माने जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का जैसे–जैसे विकास हुआ हिंदी का भी प्रचार–प्रसार बढ़ता गया। वर्तमान समय में विश्व के सभी प्रसिद्व विश्वविद्यालयों मे हिंदी पढ़ाई जाती है। प्रायः सभी भाषाविदों का मत है कि भारत की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है, क्योंकि सभी आधुनिक भारतीय भाषाएँ जैसे बंगला तथा मराठी भाषाओं का उदय साहित्य के रूप में लगभग एक हजार ईसवीं पूर्व से माना जाता है। आधुनिक भारत की प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य में लोक जागरण का स्वर प्रमुख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का अभ्युदय भी भारतीय संस्कृति के इतिहास की युगान्तकारी घटना है। विद्वानों का मानना है कि दक्षिण भारत की भाषाओं में संस्कृत की शब्दावली को ग्रहण किया गया है।

1803 ईसवीं में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी तथा उर्दू के अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू भाषा में गद्य की पुस्तकें तैयार करवाई। आधुनिक हिंदी के आदि गद्य रचयिता लल्लू लाल और सदल मिश्रा इसी विद्यालय के पंडित थे। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में "प्रेमसागर" और सदल मिश्र ने "नासिकेतोपाख्यान" लिखा। इसके दो वर्ष पूर्व मुंशी सदासुखलाल ने "ज्ञानोपदेश" की एक पुस्तक, उर्दू के कवि इंशाअल्ला खाँ ने "रानी केतकी की कहानी" नामक पुस्तक लिखी। गद्य के विकास में हिंदी आध्यात्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे ईसाई मिशनरियों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा नवजागरण का मंत्र फूंकने वाली पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य के विकास में उल्लेखनीय प्रयास किया।

यह सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि हिंदी के विकास में अहिंदी भाषी विद्वानों का योगदान सर्वाधिक रहा। इन विद्वानों में राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, बंकिमचन्द्र, स्वामी विवेकानन्द, सुब्रह्मण्यम अय्यर कस्तूरी रंगा, बाल गंगाधर तिलक आदि विद्वान् जो कोई भी हिंदी भाषी नहीं थे उन्होंने हिंदी की व्यापकता एवं सरलता के कारण इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया। वे चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाशा बनाया जाये और सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी हो। इस बात का समर्थन सर्वाधिक जिन लोगों ने किया उनमें दो नाम विशेष उल्लेखनीय हैं –एक तमिलभाषी जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर तथा दूसरा बंगलाभाषी शारदाचरण मित्र ।

भाषा किसी की बपौती नहीं होती बल्कि जो लोग इसका सर्वाधिक प्रयोग एवं अध्ययन करते हैं सिर्फ उन्हें ही भाषा के प्रसार एवं प्रचारक के रूप में जाना जाता है, जो निम्न तथ्यों से सिद्ध की जा सकती है –

- 1771 में चार्ल्स मिलिकन ने देवानगरी टाइपराइटर का निर्माण किया था। 1830 में हिंदी शब्दकोश का निर्माण सबसे पहले पादरी एम टी एड्म में किया था। 19 वीं सदी में सबसे पहले हिंदी का व्याकरण अंग्रेजी में गिल क्राईस्ट ने बनाया।
- 1836 से 1896 के बीच फैड्रिक पिन कार्ड (Fedric Pin Card) भारतेन्दु हरिशचन्द्र जी को हिंदी कविता में पत्र लिखते थे।
- सर विलियम जोर्ज ने मनुस्मृति का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था जो कलकत्ता में तत्कालीन अंग्रेजों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश थे।
- मैक्समूलर ने हमारे प्रसिद्ध अष्टाध्यायी ग्रंथ (व्याकरण) का अध्ययन करके कहा था कि विश्व के 10,000 वैज्ञानिक 10,000 वर्ष तक भी ऐसा व्याकरण नहीं बना सकते।
- हमारी भाषा ध्वनि प्रधान (Phonetic) वैज्ञानिक भाषा है, जबकि अंग्रेजी के बारे में सरविलियम जोर्ज ने कहा था कि अंग्रेजी अत्यधिक फूहड़, अपूर्ण, अवैज्ञानिक भाषा है। ( English is the most disgraceful, imperfect and unscientific language) 1331 में जब अंग्रेजी आविर्भाव में आई थी तब वहाँ के लॉड्र्स एवं वायसराय इसे अनपढ़ एवं जाहिलों की भाषा मानते थे। इंगलैंड में पहले लैटिन, अंग्रेजी एवं फ्रैंच थी।
- आज भी अंग्रेजी केवल 11 राष्ट्रों की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है जो कि अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम रहे हैं। मुख्यतः ये देश हैं : भारत, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, बांगलादेश, आयरलैंड, स्काटलैंड आदि।
- बेल्जियम के भाषाविद् कामिल बुल्के द्वारा हिंदी शब्दकोश का निर्माण कियागया जो कि आज के युग में लोकप्रिय एवं व्यापक कोश के रूप में प्रयुक्त होता है।

1857 ईसवी का स्वतंत्रता संग्राम जब विफल हो गया तो उसे फिर से प्रारंभ करने के लिए हिंदी को ही उस समय राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया, क्योंकि हिंदी बोलने व समझने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक थी। यही कारण है कि जैसे–जैसे स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला प्रज्ज्वलित होती गई, वैसे–वैसे हिंदी गद्य की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती गई। साथ ही हिंदी गद्य में कई विधाओं का विकास हुआ। इस प्रकार हिंदी गद्य बहुमुखी प्रतिभा के साथ निरन्तर आगे बढ़ता रहा। छापेखाने में भी इस समय हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता था। पत्रिकाओं में तथा पुस्तकों में हिंदी का प्रचलन एवं प्रकाशन निरन्तर बढ़ने लगा था। साथ ही पाठकों की संख्या भी आशा से अधिक बढ़ती गई। यह आश्चर्य की बात है कि जब अंग्रेज यहाँ शासक थे तब अंग्रेजी का इतना प्रचलन इस देश में नहीं था जितना अंग्रेजों के चले जाने के बाद बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों के जाते ही अंग्रेजी द्वारा परोसी गई भरी थाली खाने को मिल गई और सब भूखे लोग उस थाली पर टूट पड़े। आधुनिक युग में राष्ट्रीय स्तर पर प्राचीन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना की प्रमुख वाहिका हिंदी ही रही है। भारत की अन्य भाषाओं में भी उच्चकोटि का साहित्य निरन्तर लिखा जा रहा है। इसका अनुवाद हिंदी में अवश्य होता है। यह दायित्व हिंदी पर है कि सभी भारतीय हिंदी के माध्यम से भारत की सभी भाषाओं का साहित्य पढ़ पाएँ। हिंदी भाषा का क्षेत्र अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक विशाल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल एवं कुमाऊँ, इनके साथ ही केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा भी हिंदी है। दिल्ली तो भारत का हृदय है। इसीलिए हिन्दी में हृदय की वह उदारता एवं विशालता सर्वदा परिलक्षित होती रही है।

भक्तिकाल में हिंदी का विकास उत्तर से दक्षिण तक सर्वाधिक हुआ। भक्ति के प्रमुख आचार्य रामानन्द एवं वल्लभाचार्य, आदि सभी दक्षिण भारत से आए थे। उनके अतिरिक्त जो भक्ति काव्य लिखा गया वह हिंदी में ही लिखा गया आज भी भारत के किसी भी कोने का कोई साधु है तो वह हिंदी का

ही प्रयोग करता है। इसलिए इन साधु–संन्यासियों के माध्यम से भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा। वर्तमान समय में हिंदी सिनेमा का बड़ा योगदान है। विदेशों में तो हिंदुस्तान की भाषा हिंदी ही मानी जाती है। आज भी सुबह–सुबह रेडियो अथवा दूरदर्शन से भक्ति गीतों का कार्यक्रम हिंदी में ही प्रसारित होता है। हिंदी लेखकों एवं कवियों ने अंग्रेजों के अनाचार एवं अत्याचार को समस्त भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए हिंदी की आत्मा में आज तक राष्ट्रीय भावना का स्वर विद्यमान है।

आरंभ से ही हिंदी साहित्य का चरित्र राष्ट्रीय रहा है और इससे समय–समय पर होने वाली राष्ट्रीय हलचलों की अनुगूँज सुनाई देती रहती है। दूरदर्शन पर हिंदी समाचार के चैनल अधिक लोकप्रिय हैं। अंग्रेजी जानने वाले भी अधिकांशतः लोग हिंदी चैनलों पर ही समाचार सुनाना पसन्द करते हैं, क्योंकि अपनी भाषा, देश की भाषा अन्तर्रात्मा का स्पर्श करती है। वह बात दूसरी है कि किसी हीन भावना के कारण दिखावे के लिए लोग अंग्रेजी चैनलों पर समाचार सुनें और उन्हें अधिक पसन्द करने का दिखावा करें, किन्तु वास्तविकता यह है कि अपनी भाषा में जो संवेदनशीलता है वह दूसरी भाषा में कदापि नहीं हो सकती।

हिंदी का कथा साहित्य चाहे वे कहानी हो या उपन्यास, नयी ऊँचाईयों पर है। उस समय जबकि हिंदी गद्य का प्रचलन प्रारम्भ ही हुआ था, बाबू देवकी नन्दन खत्री ने हिंदी में चन्द्रकान्ता सन्तति एवं भूतनाथ आदि उपन्यास लिखकर हिंदी का एक विशाल पाठक वर्ग तैयार किया था। ये सभी उपन्यास चाहे साहित्य की दृष्टि से अपनी जगह न बनायें किन्तु लोकप्रियता की दृष्टि से काफी लोकप्रिय थे। इन उपन्यासों में तिलस्मी एवं अय्यारी को अत्यन्त चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हिंदी उपन्यासों की श्रृंखला में जब मुंशी प्रेमचन्द ने प्रवेश किया तो जैसे युग ही बदल गया। मुंशी प्रेमचन्द ने समाज के निम्न एवं मध्यम वर्गों को अपनी रचनाओं के मध्य बिंदु में रखा। भारत के किसानों, पूँजीपतियों एवं सरकारी नौकरी करने वाले विवश भारतीयों की वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप से चित्रित करके भारतीय समाज को उन्होंने गहनता से व्यक्त किया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है–'गोदान, 'रंगभूमि', प्रेमाश्रम 'सेवा सदन आदि। मान सरोवर' में उनकी 300 कहानियों का संग्रह है। इसी समय महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भवनाप्रधान एवं ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी। यह युग था प्रेमचन्द के एवं प्रसाद के कथा साहित्य का। प्रसाद की कहानियों में भाषा की दृष्टि से तत्सम भाब्दों का प्रयोग अधिक होता था जबकि प्रेमचन्द की रचनाओं में उर्दू भाषा एवं मुहावरों का प्रयोग बहुतायत से दृष्टिगत होता है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुवस्वामिनी आदि में बीसवीं सदी की समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। उनके नाटकों में राष्ट्रीयता एवं समकालीन समस्याओं का खुलकर प्रयोग हुआ है।

जब गद्य के विकास का जिक्र होता है तो भारतेन्दु युग का स्थान सर्वप्रथम है। भारतेन्दु युग में गद्य का विकास हुआ और स्वयं भारतेन्दु ने सामाजिक समस्याओं से संबंधित कई नाटक लिखे। उन्हीं के द्वारा अनूदित नाटक सत्यवादी हरिश्चन्द्र, आज तक लोकप्रिय बना हुआ है। यह नाटक तब से लेकर अब तक मंच पर खेला जाता है। इसी युग में पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भ्टट आदि ने भी नाटक एवं उपन्यास लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास 'बाण भट्ट की आत्मकथा साहित्य की एक अमूल्य निधि है। हिंदी के गद्य लेखको की एक लंबी सूची हरिकृष्ण ''प्रेमी', उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, प्रभाकर, राहृल सांस्कृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा आदि ने निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण एवं रेखाचित्रों के माध्यम से गद्य साहित्य को उजागर किया एवं देश की सामाजिक एवं राजनितिक परिस्थिति से अवगत कराया।

यों तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य बहुआयामी और विविधतापूर्ण है, किंतु जैसा कि पहले कहा गया है कि उसका मुख्य चरित्र राष्ट्रीय है और राष्ट्रीयता की भावना होने के कारण भारत की बहुसंख्यक जनता की पीड़ा एवं वेदना तथा सुखी जीवन प्राप्त करने की छटपटाहट आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन

के लिए निरन्तर प्रयास हिंदी गद्य की प्रधान विशय वस्तु रहा है। हिंदी भाषा एवं साहित्य समृद्ध है, इसके संवर्धन की पर्याप्त संभावनाएँ दिखाई देती हैं। हिंदी भाशा का भविष्य निश्चय ही अत्यन्त उज्जवल है। आज समूचे विश्व में भाषा की दृष्टि से जब हिंदी का तीसरा स्थान है तो भला हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में महत्व देना या स्वीकार करना क्यों नहीं संभव है। आज भारत में अंग्रेजी के निरर्थक और आवश्यकता से अधिक प्रचलन ने न केवल हिंदी को अपितु अन्य भारतीय भाषाओं को भी बहुत हानि पहुँचायी है, जबकि आश्चर्य की बात यह है कि दुनियां के किसी भी कोने में होने वाला आन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, या खेलकूद दो ही भाषाओं के रूप में दिया जाता है– अंग्रेजी और हिंदी। स्पष्ट है कि सारे विश्व में हिंदुस्तान की भाषा हिंदी ही मान्य है। फिर भला भारत में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपेक्षित एवं उचित सम्मान क्यों नही मिल पाता। जैसे यह देखने में आता है कि भारत का वास्तविक रूप से उच्चकोटि का बुद्धिजीवी चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, जब वह परस्पर बातचीत करता है तो उसकी भाषा हिंदी ही होती है, किंतु एक विशष्ट अभिजात्य वर्ग ऐसा है जिसमें हिंदी बोलना भाान के खिलाफ और पिछड़ापन माना जाता है।

आज भी हमारे देश में आम जनता को राष्ट्रीय संदेश जन–जन तक पहुँचाने के लिए हिंदी भाषा ही सक्षम है न कि अंग्रेजी। दिनांक 21/09/2012 को तृणमूल कांग्रेस द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने पर प्रधानमंत्री महोदय ने देश को लोगों को खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश, डीजल की कीमतों में वृद्धि एवं रसोई गैस पर सब्सिडी हटाने के कारणों को देश के प्रत्येक अंतिम आदमी को समझाने के लिए राष्ट्र के नाम अपना संबोधन केवल हिंदी में ही दिया अन्यथा हमारे प्रधानमंत्री आमतौर पर अन्य अवसरों पर अंग्रेजी में ही अपना भाषण देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे देश में केवल हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान है।

## हिंदुस्तान में हिंदी का स्थान

सबसे अधिक हैरानी और दुःख तब होता है जब पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कार्यालयों में, विद्यालयों में तथा विभिन्न संस्थानों में विभिन्न प्रकार के हिंदी से संबंधित आयोजन होते हैं। अंग्रेजी विद्यालयों का चलन विदेशों की ओर गमन और अंग्रेजी का नमन भारत को किस कगार पर ले जा रहा है। विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का परिणाम ही महत्त्वपूर्ण हो सकता है जबकि हिंदी के शत–प्रतिशत की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। हिंदी की दुर्दशा की इंतहा तो यह है कि अनेक विद्यालयों में हिंदी के शिक्षकों को वेतन भी दूसरों से कम दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हिंदी शिक्षक, हिंदी लेखन, हिंदी भाषी स्वयं को हीन समझता है। इससे बड़े दुभार्ग्य की बात और क्या होगी कि आजादी के 65 वर्ष बाद भी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक रूप से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कह देते हैं, किंतु संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा ही है। यह हमारी हीन भावना का ही परिणाम है कि देश में हिंदी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस तथ्य को निम्न तरह से और भी स्पष्टतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। गद्दी वाले ही नहीं रद्दी वाले भी हिंदी को कम महत्व देते हैं। इसीलिए तो अंग्रेजी अकबार की तुलना में हिंदी अखबार को कम दाम में लेते हैं।

अंग्रेजों के देश छोड़ने से पहले ही लालची प्रकृति के भारतीय अंग्रेजों के रीति रिवाज़ एवं उनके रहन सहन पर लट्टू होने लगे थे। वे भारतीय अमरबेल की जड़ थे, उन्हीं के वंशज अमरबेल की भाँति भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति के वृक्षों पर फैलते जा रहे हैं और धीरे–धीरे उन वृक्षों की जड़ों को खोखला कर रहे हैं । अंग्रेजों ने अपने शासन काल में धनी वर्ग के भारतीयों के लिये अंग्रेजी विद्यालय खोले। उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आधे अंग्रेज तो हो जाते थे। आजादी की लड़ाई में यद्यपि उन आधे अंग्रेजों में से भी बहुत लोग शामिल थे मगर संविधान बनाते समय तब राष्ट्रभाषा का मुद्दा

सामने आया तो हिंदी को खिलाफत सहनी पड़ी, उसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के लिए अक्षम बताया गया। अतः फैसला इस बात पर हुआ कि पहले हिंदी को सक्षम बनाया जाए फिर उसे राश्ट्रभाशा का दर्जा दिया जाए। वह दिन आज तक नहीं आया क्योंकि उच्च पदों पर आसीन, लन्दन से डिग्रियाँ लेकर आये भारतीय हिंदी के घोर विरोधी थे। हिंदी विरोधियों की हमेशा यही दलील रही कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए संसार में अपना स्थान बनाने के लिये अंग्रेजी में महारत हासिल करना आवश्यक है। चलिए इस तर्क को मान भी लिया जाए तो उसके लिए भारत के हर बच्चे को वैज्ञानिक बनाने की महत्त्वकांक्षा क्यों है ? वैज्ञानिक बनने के लिये बच्चों में भी तो अभिरूचि होना आवश्यक है। भाषाएँ सभी अच्छी हैं, अधिकाधिक ज्ञान का स्रोत है, किंतु किसी एक भाषा के पीछे हीन भावना के कारण भागना हमारी नई पीढ़ियों और हमारी संस्कृति पर अत्याचार है। हम अंग्रेजी भाषा में कभी भी अग्रगामी नहीं बन सकते इसीलिए आज हम केवल अनुगामी बनकर ही रह गए हैं।

हिंदी भारत की ऐसी भाषा है जिसे काम चलाने लायक सभी भारतीय समझते हैं और मज़े की बात तो यह है कि सारी दुनिया हिंदी को ही हिन्दुस्तान की भाषा मानती है। दुनिया के किसी कोने में, चाहे क्रिकेट का मैच हो रहा हो, चाहे फुटबाल का, चाहे हॉकी का, कमेंट्री हिंदी या अंग्रेजी में ही आएगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सोवियत रूस बनने के बाद रूसी उनकी राष्ट्रभाषा थी, क्या वे वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में पीछे रहे? चीन, जापान अन्य योरोपीय देश जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है, उनकी अपनी भाषा ही राष्ट्रभाषा रही है और उसी के माध्यम से उन्होंने प्रगति भी की है। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की आत्मा को भाक्ति सम्पन्न बनाती है। संविधान निर्माण के समय कुछ लोग ऐसे थे, जो अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाए रखना चाहते थे। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर हर प्रकार से उनकी हानि थी। वे उच्च पदों पर आसीन थे, अंग्रेजी के पंडित थे। हिंदी उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी। अतः कुछ लोगों की स्वार्थपरता, अंग्रेजी परस्ती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिलने दिया।

भाषा को लेकर भाँति–भाँति के वाद विवाद होते होते रहे। तय यह हुआ कि सन् 1965 तक राजकाज अंग्रेजी में चलता रहे और इस बीच हिंदी को समर्थ बनाया जाए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हिंदी की पारिभाशिक भाब्दावली बनाई गई। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी अनिवार्य विषय बना दिया गया। मन से ओर बेमन से भाासन और जनता ने हिंदी को अपेक्षित स्थान दिलाने का भरसक प्रयास किया। दूसरी ओर बरसाती मेंढकों की तरह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अलग टर्र–टर्र करने लगे। लाभ कुछ नहीं हुआ, हिंदी केवल पाठ्यक्रम तक सीमित होकर रह गई। कॉन्वेंट्स और पब्लिक स्कूलों ने अपनी अंग्रेजी की चकाचौंध से हिंदी को बराबर पीछे ढकेला है। शायद इसीलिए वर्ष में एक बार 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी की लड़ाई जिस भाषा में हुई वह हिंदी थी। अहिंदी भाषियों ने फिर भी हिंदी भाषा को सम्मान दिया, उसकी अहमियत को समझा पर, अफसोस हिंदी की सबसे ज्यादा दुर्दशा हिंदी भाषियों ने की। हिंदी के शिक्षक भी विद्यार्थियों के मन में हिंदी के प्रति सम्मान जागृत नहीं कर पाते। हिंदी एक उपेक्षित विषय बन कर रह गई है ।

कुछ लोगों का विचार है कि हिंदी के प्रभाव से धीरे–धीरे प्रादेशिक भाषाएँ समाप्त हो जायेंगी। कोई भी प्रदेशवासी अपनी भाषा को छोड़ना कभी पसन्द नहीं कर सकता, परन्तु उनकी यह धारणा भी भ्रान्तिमूलक है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुविधा प्रदान की है कि अपने राज्य का कार्य प्रादेशिक भाषाओं में कर सकती हैं। बंगाल में बंगला, पंजााब में पंजाबी, मद्रास में तमिल राजभाषा घोषित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में भी प्रांतीय भाषाओं को राजभाषा बना दिया गया है। हिंदी हिंदी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की राजभाषा होगी। इतने निर्णय लेने के पश्चात् भी अंग्रेजी दीवार पर चिपकी छिपकली की तरह हिन्दी से चिपकी हुई है। जब तक हिंदी भाषी या हिंदी के साहित्यकार स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर एवं हीन भावना से मुक्त होकर हिंदी के लिये ठोस कार्य नहीं करेंगे

तब तक हिंदी अपना खोया हुआ सम्मान वापस नहीं पा सकेगी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पंक्तियों को भी नहीं भूला जा सकता –

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।"

अपनी भाषा की विशेषता यह है कि यह समझी एवं महसुस की जा सकती है। इसकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति अपनी भाषा में ही सपने देखता है। भला–बुरा, लाभ–हानि, सफलता–असफलता का अहसास व्यक्ति अपनी ही भाषा में करता है। जबकि मातृभाषा से अलग भाषा यानि अंग्रेजी को हम सीख सकते हैं लेकिन महसूस या अहसास नहीं कर सकते, केवल रट सकते हैं। क्योंकि मातृभाषा की संस्कृति, संस्कार दूसरी भाषा से भिन्न होते हैं। अपने व्यवसाय अथवा व्यापार हेतु सीखना ठीक है लेकिन मातृभाषा को उपेक्षित करके नहीं। हिंदी हमारी माता एवं अंग्रेजी केवल हमारी बीवी। माँ से हमारा खून का संबंध है और अंग्रेजी से दिल का। मां का स्थान हमेशा ऊँचा होता है।

अपनी भाषा के महत्त्व को समझना अत्यन्त आवश्यक है। नन्हें–नन्हें बच्चे जब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में आते हैं तब अपनी भाषा के एक लाख से भी अधिक सीखे हुए शब्द उनके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। विदेशी भाषा की उंगली पकड़ कर नये सिर से चलना सीखते हैं। न भाषा समझ पाते हैं न विषय। अधिकांश बच्चे ढेर सारी फीस देकर भी सम्मान से सिर नहीं उठा पाते। बार बार असफलता ही उनके हाथ लगती है, उनकी अपनी प्रतिभा मनोबल सबका हनन हो जाता है। हम यह नहीं कहते कि अंग्रेजी न पढ़ाई जाए, जरूर पढ़ाई जाए किंतु कक्षा पाँच तक माध्यम मातृभाषा हो, साथ में हिंदी भी पढ़ाई जाए। प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी को मौखिक रूप में अधिक पढ़ाया जाए। इस प्रकार शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और भारत में फिर प्रेमचन्द, प्रसाद, कबीर, निराला और पन्त जन्म ले सकेंगे।

# देवनागरी लिपि और सूचना प्रौद्योगिकी

विजय प्रभाकर नगरकर

*अहमदनगर, महाराष्ट्र*

आचार्य विनोबा भावे जी ने देवनागरी लिपि के बारे में कहा है कि ''हिन्दुस्तान की एकता के लिये हिन्दी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है।''

देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भाषाएँ भारतीय तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पालि, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तामांग तथा गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में सिंधि, गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं।

अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बायें से दायें लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खिंची होती है; कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती है। इसे शिरोरेखा कहते हैं। इसका विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों (रोमन, अरबी, चीनी आदि) में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इससे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल आई पी, लिपि है। भारत की कई लिपियाँ देवनागरी से बहुत अधिक मिलती.जुलती हैं, जैसे. बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। कम्प्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से भारतीय लिपियों का परस्पर परिवर्तन बहुत आसान हो गया है।सी. डैक पुणे के अनुसंधान के अनुसार देवनागरी लिपि का मूल आधार ब्राह्मी लिपि है। आजकल कंप्यूटर पर इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड सबसे लोकप्रिय की–बोर्ड है जिसका आधार भी ब्रह्मी लिपि है। सभी भारतीय भाषाओं का जन्म ब्रह्मी लिपि से हुआ है। इसलिए इनस्क्रिप्ट की बोर्ड की सहायता से किसी भी भारतीय भाषा को एक ही की–बोर्ड द्वारा टंकित किया जा सकता है। सभी भारतीय भाषाएं स्वराधारित हैं।

भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे पाठ को लगभग हू–ब–हू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में सम्भव नहीं है।

इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था (विन्यास) भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर.व्यंजन, कोमल–कठोर, अल्पप्राण–महाप्राण, अनुनासिक्य–अन्तस्थ–उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं। एक मत के अनुसार देवनगर (काशी) में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा।

भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग हैं (उर्दू को छोडकर), पर उच्चारण व वर्ण–क्रम आदि देवनागरी के ही समान हैं, क्योंकि वो सभी ब्रह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इन लिपियों को परस्पर आसानी से लिप्यन्तरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौन्दर्य की दृष्टि से सुन्दर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है।

देवनागरी लिपि को सूचना प्रौद्योगिकी में स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने देवनागरी लिपि को तकनीकी रूप में विश्वस्तरीय बनाया है। अब देवनागरी के अक्षर यूनिकोड में परिवर्तित किए गए

हैं। सूचना विनिमय के मानक के रूप में यूनिकोड की स्वीकृति संपूर्ण विश्व में बढ़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अधिकांश कंपनियों ने इसके पक्ष में अपने सहयोग की घोषणा कर दी है। भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड 'आइस्की 91' का प्रयोग न करके 'इस्की 88' का प्रयोग करता है जो अद्यतन सरकारी मानक है। यह आवश्यक समझा गया कि भारत सरकार, भारतीय भाषाओं के लिए कोड में आवश्यक संशोधन के लिए यूनिकोड कंसोर्टियम के समक्ष अपना पक्ष रखे। इस उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यूनिकोड कंसोर्टियम का मताधिकार के साथ पूर्ण सदस्य बन गया है।

16 बिट (2 बाइट) यूनिकोड - यूनिकोड मानक कंप्यूटर संसाधन के उद्देश्य से पाठ निरूपण के लिए एक सार्वदेशिक वर्ण कोडांतरण मानक है। यूनिकोड मानक विश्व की लिखित भाषाओं के लिए प्रयुक्त सभी वर्णों के कोडांतरण की क्षमता रखता है। यूनिकोड मानक वर्ण तथा उसके प्रयोग के संबंध में सूचना प्रदान करता है। बहुभाषी पाठों से संबंध रखने वाले व्यापारिक लोगों, भाषाविदों, शोधकर्ताओं, विज्ञानियों, गणितज्ञों तथा तकनीकज्ञों जैसे कंप्यूटर प्रयोक्ताओं के लिए यूनिकोड मानक बहुत ही उपयोगी है। यूनिकोड 16 बिट कोडांतरण का उपयोग करता है जिसमें 65000 वर्णों (65536) से भी अधिक के लिए कोड बिंदु उपलब्ध कराता है। यूनिकोड मानक प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित संख्यात्मक मान तथा नाम निर्धारित करता है ।

## यूनिकोड

यूनिकोड, प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, चाहे कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो। यूनिकोड स्टैंडर्ड को एप्पल, एचपी, आईबीएम, जस्ट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, सैप, सन, साईबेस, यूनिसिस जैसी उद्योग की प्रमुख कम्पनियों और कई अन्य ने अपनाया है। यूनिकोड की आवश्यकता आधुनिक मानदंडों, जैसे जावा, (जावा स्क्रिप्ट), एल.डी.ए. पी.ए. कोर्बा 3.0 डब्ल्यू एम एल के लिए होती है और यह आई एस ओ आई ई सी 10646 को लागू करने का अधिकारिक तरीका है। यह कई संचालन प्रणालियों, सभी आधुनिक ब्राउजरों और कई अन्य उत्पादों में होता है। यूनिकोड स्टैंडर्ड की उत्पत्ति और इसके सहायक उपकरणों की उपलब्धता, हाल ही के अति महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी रुझानों में से हैं। यूनिकोड को ग्राहक–सर्वर अथवा बहु.आयामी उपकरणों और वेबसाइटों में शामिल करने से परंपरागत उपकरणों के प्रयोग की अपेक्षा खर्च में अत्यधिक बचत होती है। यूनिकोड से एक ऐसा अकेला सॉटवेयर उत्पाद अथवा अकेला वेबसाइट मिल जाता है, जिसे री–इंजीनियरिंग के बिना विभिन्न प्लेटफॉर्मों, भाषाओं और देशों में उपयोग किया जा सकता है। इससे आँकड़ों को बिना किसी बाधा के विभिन्न प्रणालियों से होकर ले जाया जा सकता है।

## यूनिकोड क्या है?

यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नम्बर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लैटफॉर्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी भाषा हो।

कम्प्यूटर, मूल रूप से, नंबरों से सम्बंध रखते हैं। ये प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण संगृहीत करते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले, ऐसे नंबर देने के लिए सैंकडों विभिन्न संकेत लिपि प्रणालियां थीं। किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त अक्षर नहीं हो सकते हैं: उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ को अकेले ही, अपनी सभी भाषाओं को कवर करने के लिए अनेक विभिन्न संकेत लिपियों की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी जैसी भाषा के लिए भी, सभी अक्षरों, विराम चिन्हों और सामान्य प्रयोग के तकनीकी प्रतीकों हेतु एक ही संकेत लिपि पर्याप्त नहीं थी।

ये संकेत लिपि प्रणालियां परस्पर विरोधी भी हैं। इसीलिए, दो संकेत लिपियां दो विभिन्न अक्षरों के लिए, एक ही नंबर प्रयोग कर सकती हैं, अथवा समान अक्षर के लिए विभिन्न नम्बरों का प्रयोग कर

सकती हैं। किसी भी कम्प्यूटर (विशेष रूप से सर्वर) को विभिन्न संकेत लिपियां संभालनी पड़ती है; फिर भी जब दो विभिन्न संकेत लिपियों अथवा प्लेटफॉर्मों के बीच डेटा भेजा जाता है तो उस डेटा के हमेशा खराब होने का जोखिम रहता है।

## यूनिकोड से यह सब कुछ बदल रहा है!

यूनिकोड कन्सॉर्सियम के बारे में यूनिकोड कंसॉर्सियम, एक लाभ न कमाने वाला संगठन है जिसकी स्थापना यूनिकोड स्टैंडर्ड, जो आधुनिक सॉफ्टवेयर उत्पादों और मानकों में पाठ की प्रस्तुति को निर्दिष्ट करता है, के विकास, विस्तार और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस कन्सॉर्शियम के सदस्यों में, कम्प्यूटर और सूचना उद्योग से संबद्ध विभिन्न निगम और संगठन शामिल हैं। इस कन्सॉर्सियम का वित्तपोषण पूर्णतः सदस्यों के शुल्क से किया जाता है। यूनिकोड कन्सॉर्सियम में सदस्यता, विश्व में कहीं भी स्थित उन संगठनों और व्यक्तियों के लिए खुली है जो यूनिकोड का समर्थन करते हैं और जो इसके विस्तार और कार्यान्वयन में सहायता करना चाहते हैं।

यूनिकोड कंसॉर्सियम के अनुसार  इंडिक यूनिकोड यूनिकोर्ड के भारतीय लिपियों से सम्बंधित सेक्शन को कहा जाता है। देवनागरी के नवीनतम संस्करण 5.1.0 में विविध भारतीय लिपियों को मानकीकृत किया गया है जिनमें देवनागरी भी शामिल है। यूनिकोड 5.1.0 में निम्नलिखित भारतीय लिपियों को कूटबद्ध किया गया है:

देवनागरी

बंगाली लिपि

गुजराती लिपि

गुरुमुखी

कन्नड लिपि

लिम्बू लिपि (enLimbu script)

मलयालम लिपि

उड़िया लिपि

सिंहल लिपि

स्यलोटी नागरी (enSyloti Nagri)

तमिल लिपि

तेलुगू लिपि

यूनिकोड कॉन्सोर्टियम द्वारा अब तक निर्धारित देवनागरी यूनिकोड 5.1.0 में कुल 109 वर्णों/चिह्नों का मानकीकरण किया गया है अभी देवनागरी के बहुत से वर्ण जिनमें शुद्ध व्यंजन (हलन्त व्यंजन – आधे अक्षर) तथा कई वैदिक ध्वनि चिह्न एवं अन्य चिह्न यथा स्वस्तिक आदि, यूनिकोड में शामिल नहीं हैं। शुद्द व्यंजनों के यूनिकोडित न होने के कारण वर्तमान में उन्हें सामान्य व्यंजन के साथ अलग से हलन्त लगाकर प्रकट किया जाता है जिससे कि टैक्स्ट का साइज बढ़ने के अतिरिक्त कम्प्यूटिंग सम्बंधी कई समस्याएँ आती हैं।

यूनिकोड 16 बिट कोडिंग का प्रयोग करते हुए 65000 से अधिक वर्णों (65536) के लिए कोड–बिंदु निश्चत करता है । यूनिकोड मानक प्रत्येक वर्ण को एक विशिष्ट संख्यात्मक मूल्य तथा नाम प्रदान करता है । यूनिकोड मानक विश्व की सभी लिखित भाषाओं में प्रयुक्त सभी वर्णों की कोडिंग के लिए क्षमता प्रदान करता है । 'इस्की' 8बिट कोड है जो 'एकी' के 7बिट कोड का विस्तृत रूप है जिसके

अनुसार ब्राह्मी लिपि से उद्भूत 10 भारतीय लिपियों के लिए मूलभूत वर्ण सम्मिलित हैं । भारत में 15 मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं । फारसी–अरबी लिपियों के अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त अन्य सभी 10 लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं तथा इसकी ध्वन्यात्मक संरचना में समानता पाई जाती है जिससे समान वर्ण सैट संभव हो सकता। 'आज इस्की' कोड सारणी ब्राह्मी आधारित भारतीय लिपियों के लिए आवश्यक एक प्रकार का सुपर सैट है। सुविधा के लिए मान्यता प्राप्त देवनागरी लिपि के वर्णों को मानक में प्रयोग किया गया है।

बहुभाषी सॉफ्टवेयर के विकास के लिए यूनीकोड मानकों का उद्योग जगत द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय लिपियों के लिये यूनीकोड मानक ISCII–1988 पर आधारित हैं। सूचना आदान–प्रदान के लिये वर्तमान मानक ISCII & I 13194:1991(Indian Script Code for Information Interchange& I 13194:1991) है। भारतीय लिपियों की विशेषताओं के पर्याप्त निरूपण के लिए यूनिकोड मानकों में कुछ रूपांतरण शामिल किए जाने जरूरी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यूनीकोड कंसार्टियम का मताधिकार सदस्य है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने संबंधित राज्य सरकारों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और भाषाविदों के परामर्श से वर्तमान यूनीकोड मानकों में प्रस्तावित परिवर्तनों को अंतिम रूप दिया गया है। इन्हें TDIL समाचार पत्रिका विश्व भारत@tdil के अंक 4 (देवनागरी आधारित भाषाएं संस्कृत, हिन्दी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सिन्धी), अंक 5 (गुजराती, मलयालम तेलगू, गुरूमुखी, उड़िया), अंक 6 (बंगला, मणिपुरी और असमी), अंक 7 (तमिल, कन्नड़, उर्दू, सिन्धी, कश्मीरी) में प्रकाशित किया गया था। प्रस्तावित परिवर्तनों को यूनीकोड कंसार्टियम में प्रस्तुत किया गया था। यूनीकोड तकनीकी समिति ने प्रस्तावित परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन स्वीकार कर लिये हैं एवं अद्यतन यूनीकोड मानकों में इनका समावेश किया जा चुका है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने इस्की (सूचना विनिमय के लिए भारतीय मानक कोड) नाम से एक मानक निर्मित किया है जिसे 7 या 8 बिट वर्णों का प्रयोग करते हुए सभी कंप्यूटरों तथा संचार माध्यमों में प्रयोग किया जा सकता है। 8 बिट परिवेश में निचले 128 वर्ण वही हैं जो सूचना विनिमय के लिए IS 10315:1982 (ISO 646 IRV)7–बिट वर्ण सैट द्वारा परिभाषित हैं, जिन्हें एस्की वर्ण सैट के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर के 128 वर्ण सैट प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर आधारित भारतीय लिपियों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

7 –बिट परिवेश में, नियंत्रक कोड एस आई को एस्की कोड के आह्वान के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा नियंत्रक कोड एस ओ को एस्की कोड सैट के पुनर्चयन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत में 15 मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं। फारसी–अरबी लिपियों के अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त अन्य 10 लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि से उद्भूत हैं और इस्की कोड के अतिरिक्त वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी कोड सारणी ब्राह्मी आधारित भारतीय लिपियों में आवश्यक सभी वर्णों का एक सुपर सैट है। सुविधा के लिए, मान्यता प्राप्त देवनागरी लिपि के वर्णों को मानक में प्रयुक्त किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक संख्या IS 1319 :1991 सूचना विनिमय के लिए नवीनतम भारतीय मानक है। इसे भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

लिपि वर्ण सैट यह प्रमुख वर्ण सैट होता है जिसमें बहुधा प्रयुक्त अधिकांश भाषाएं वर्ण, चिह्न, संख्याएँ आदि सम्मिलित होती हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर चिह्नों का यह सैट सभी 'इस्फोक' वर्ण सैट में समान होगा। मैचिंग अंग्रेजी वर्ण सैट नीचे के आधे भाग में 'एस्की' वर्णों से युक्त मैचिंग अंग्रेजी फोंट के लिए सहयोगी वर्ण सैट होते हैं तथा उपर के आधे भाग में रोमन लिप्यँतरण के लिए बलाघात वर्ण होते हैं। अनुपूरक वर्ण सैट अनुपूरक वर्ण सैट मूलभूत लिपि वर्णों के सेट का एक विस्तृत सेट है जिसमें ऐसे संयुक्ताक्षर तथा चिह्न सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतया नहीं होता।

## देवनागरी से अन्य लिपियों में रूपान्तरण

"ITRANS(iTrans) निरूपण , देवनागरी को लैटिन (रोमन) में परिवर्तित करने का आधुनिकतम और अक्षत (lossless) तरीका है। (Online Interface to iTrans) आजकल अनेक कम्प्यूटर प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से देवनागरी में लिखे पाठ को किसी भी भारतीय लिपि में बदला जा सकता है।

(मोमियो क्रॉस लिटरेशन) कुछ ऐसे भी कम्प्यूटर प्रोग्राम हैं जिनकी सहायता से देवनागरी में लिखे पाठ को लैटिन, अरबी, चीनी, क्रिलिक, आई पी ए (IPA) आदि में बदला जा सकता है। (ICU Transform Demo)

यूनिकोड के पदार्पण के बाद देवनागरी का रोमनीकरण (romanization) अब अनावश्यक होता जा रहा है। क्योंकि धीरे–धीरे कम्प्यूटर पर देवनागरी को (और अन्य लिपियों को भी) पूर्ण समर्थन मिलने लगा है।

## विभिन्न प्रोग्रामों में लिप्यंतरण संबंधित तुलना निम्नानुसार है–

Vowels

Devanagari

IAST

Harvard-Kyoto

ITRANS

Velthuis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| इ | - | - | - | - | |
| इ | इ | । | ।इ̄ | - | |
| इ | प | प | प | प | |
| इ | इ | ए | प्इपप | पप | |
| इ | न | न | न | न | |
| इ | इ | न् | न्इनन | नन | |
| ? | e | e | e | e | |
| ? | ai | ai | ai | ai | |
| ? | o | o | o | o | |
| ? | au | au | au | au | |
| ? | ? | R | RRièR^i | | .r |
| ? | ? | RR | RRIèR^I | | .rr |
| ? | ? | lR | LLièL^i | .l | |
| ? | ? | lRR | LLIèL^I | .ll | |
| ?? | ? | M | Mè.nè.m | .m | |
| ?? | ? | H | H | .h | |

Consonants

The Devan?gar? consonant letters include an implicit 'a' sound. In all of the transliteration systems, that 'a' sound must be represented explicitly.

Devan?gar?

IAST

Harvard-Kyoto

ITRANS

Velthuis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ? | ka | ka | ka | ka |
| ? | kha | kha | kha | kha |
| ? | ga | ga | ga | ga |
| ? | gha | gha | gha | gha |
| ? | ?a | Ga | ~Na | "na |
| ? | ca | ca | cha | ca |
| ? | cha | cha | Cha | cha |
| ? | ja | ja | ja | ja |
| ? | jha | jha | jha | jha |
| ? | ña | Ja | ~na | ~na |
| ? | ?a | Ta | Ta | .ta |
| ? | ?ha | Tha | Tha | .tha |
| ? | ?a | Da | Da | .da |
| ? | ?ha | Dha | Dha | .dha |
| ? | ?a | Na | Na | .na |
| ? | ta | ta | ta | ta |
| ? | tha | tha | tha | tha |
| ? | da | da | da | da |
| ? | dha | dha | dha | dha |
| ? | na | na | na | na |
| ? | pa | pa | pa | pa |
| ? | pha | pha | pha | pha |
| ? | ba | ba | ba | ba |
| ? | bha | bha | bha | bha |
| ? | ma | ma | ma | ma |
| ? | ya | ya | ya | ya |
| ? | ra | ra | ra | ra |
| ? | la | la | la | la |
| ? | va | va | vaèwa | va |
| ? | ?a | za | sha | "sa |
| ? | ?a | Sa | Sha | .sa |
| ? | sa | sa | sa | sa |
| ? | ha | ha | ha | ha |

Irregular Consonant Clusters

Devan?gar?

ISO 15919

Harvard-Kyoto

ITRANS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ??? | k?a | kSa | kSaèkShaèxa |
| ??? | tra | tra | tra |
| ??? | jña | jJa | GYaèj~na |
| ??? | ?ra | zra | shra |

Other Consonants

Devan?gar?

ISO 15919

ITRANS

| | | |
|---|---|---|
| ?? | qa | qa |
| ?? | k?ha | Kha |
| ?? | ?a | Ga |
| ?? | za | za |
| ?? | fa | fa |
| ?? | ?a | .DaèRa |
| ?? | ?ha | .DhaèRha |

देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर टंकित करने के लिए 3 विकल्प है।

## तीन कुंजीपटल विन्यास हैं

**1. रोमनी, विन्यास** : रोमनी. विन्यासों में, हिंदी पाठ के टंकण में अंग्रेजी ध्वन्यात्मक मैपिंग का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए 'राम' टंकित करने के लिए raamaa (;k rAmA) का प्रयोग किया जा सकता है।

**2. टाइपराइटर विन्यास** : यह विन्यास हिंदी टाइपराइटर विन्यास के समान है तथा यह विन्यास हिंदी टंककों तथा हिंदी टाइपराइटर विन्यास तथा कुंजीक्रम चार्ट के जानकार लोगों के लिए उपयोगी है।

**3. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ध्वन्यात्मक** : यह विन्यास इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा मानकीकृत किया गया है। इस विन्यास का लाभ यह है कि यह सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान है। उदाहरण के लिए 'k' कुंजी का प्रयोग सभी भारतीय भाषाओं में 'क' वर्ण के कुंजीयन के लिए किया जाता है। कुंजीपटल विन्यास तथा कुंजीक्रम चार्ट का प्रयोग सही कुंजी संयोजकों के लिए किया जाता है।

भारतीय भाषाओं में टाइप करने की सुविधा वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस सुइट 2003 के आगमन से उस हर भारतीय भाषा में आप टाइप कर सकते हैं जिसे ऑफ़िस 2003 में समर्थन प्राप्त है। फिलहाल जिन भारतीय भाषाओं में आप ऑफ़िस 2003 में काम कर सकते हैं वे हैं– गुजराती, हिंदी, कन्नड, मलयालम, तमिल और बांग्ला। किसी भी भारतीय लिपि की वर्णमाला के जटिल अक्षरों और चिह्नों को आप ऑफ़िस 2003 में इंडिक आई एम ई या इनपुट मेथड एडिटर (कह लीजिए भाषा संपादक) की मदद से आप टाइप कर सकते हैं। भाषा संपादक या आई एम ई एक प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को मानक पश्चिमी की बोर्ड के जरिए जटिल वर्णों और चिह्नों (जैसे कि जापानी, तिब्बती, कोरियाई और भारतीय वर्णमालाओं) को टाइप करने की सुविधा देता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के किसी प्रोग्राम में भारतीय भाषाओं, जैसे कि हिंदी, कन्नड, मलयालम, तमिल, गुजराती या बांग्ला में टाइप करना चाहते हैं तो आपको आई एम ई की ज़रूरत

होगी। यह आई एम ई या आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की सी डी में या माइक्रोसॉफ्ट भाषाइंडिया वेबसाइट के Downloads लिंक पर उपलब्ध है। भारतीय लोगों के लिए हिंदी का अत्यधिक महत्व है। देश भर में 50 करोड़ से अधिक हिंदी भाषियों के होते हुए हिंदी वास्तव में प्रशासन और बहुसंख्यकों की भाषा है। कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आधारित कार्य हिंदी में करने के लिए एक सरल, 5 चरणों की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

1. आई एम ई में कार्य करने की संभावना के लिए कंप्यूटर में हिंदी आई एम ई स्थापित करना आवश्यक है। इसे bhashaindia.comds मुखपृष्ट से डाउनलोड किया जा सकता है।

   अगर कंप्यूटर पर Windows 2000 स्थापित है और हिंदी के लिए सपोर्ट भी सक्रिय है तो उपभोक्ता कंट्रोल पैनल पर जा कर रीजनल ऑप्शन पर जाएं, यहां पर "सेटिंग फॉर द सिस्टम" में "इंडिक बॉक्स" को सेलेक्ट करें। इसके बाद Windows 2000 की सी डी कंप्यूटर के सी डी रॉम ड्राइव में लगाएं और प्रोग्राम स्थापित करने के लिए निर्देश पूरे करें।

   अगर कंप्यूटर में Windows XP स्थापित है तो कंट्रोल पैनल पर जाकर "रीजनल एंड लैंगुएजेस" ऑप्शन पर जाएं। यहां आपको तीन विकल्प मिलेंगे; रीजनल ऑप्शन, लैंगुएजेस और एडवांस्ड। यहां पर एक बॉक्स होगा " जटिल लिपियों और बाएं से दाएं भाषाओं के लिए ( थाई भाषा समेत) फ़ाइल स्थापित करें। इस बॉक्स को सेलेक्ट करें और फिर "अप्लाई" बटन पर क्लिक करें।

2. हिंदी आई एम ई की "सेट अप" फ़ाइल चलाएं (रन करें) और कंप्यूटर पुनः आरंभ करें।

3. अब अगला कदम होगा कंप्यूटर द्वारा की–बोर्ड ले–आउट पहचानने की व्यवस्था करने का। इसके लिए भाषा में परिवर्तन ज़रूरी होगा।

   अगर कंप्यूटर पर Windows 2002 स्थापित है तो कंट्रोल पैनल पर जाएं, फिर "टेक्स्ट सर्विस" खंड में। इसमें "इंस्टाल्ड सर्विस" खंड में एक ऑप्शन होगा HI का। इसमें दिखाई देने वाला की–बोर्ड सेलेक्ट करिए और "Add" बटन क्लिक करिए। इसके बाद Input Language खंड में हिंदी का विकल्प चुनिए और Keyboard Layout @ IME बॉक्स को सेलेक्ट करिए। अब जो विकल्प आपको उपलब्ध नज़र आएं उनमें से इंडिक आई एम ई विकल्प सेलेक्ट कर लीजिए।

   अगर कंप्यूटर में Windows XP स्थापित है तो कंट्रोल पैनल पर जा कर "रीजनल एंड लैंगुएजेस" ऑप्शन बटन पर जाएं। यहां उपलब्ध तीन विकल्पों में से लैंगुएजेस ऑप्शन चुनिए। फिर "Text services and input languages" खंड में "Details…" पर क्लिक करिए। क्लिक करने पर हिंदी को इनपुट भाषा के रूप में चुनिए और की बोर्ड के रूप में ट्रेडीशनल हिंदी को चुनिए। इसके आगे Windows 2000 में स्थापना के कदम वैसे ही रहेंगे और ऑप्शन में इंडिक आई एम ई 1 को चुन लीजिए।

4. प्रोग्राम की इस स्थापना के पूर्ण हो जाने पर ऑफ़िस का कोई भी कार्यक्रम शुरू करिए, नोटपैड और वर्डपैड सहित। Windows के दाईं ओर, नीचे की तरफ़ आपको विभिन्न कार्यक्रमों के चिह्न दिखाई देंगे; उसी में आपको भाषा संकेतक भी दिखाई देगा। इसे क्लिक करिए और फिर जो छोटा मेन्यू नज़र आएगा उसमें " इंडिक आई एम ई" को सेलेक्ट करिए।

## अब आपका कंप्यूटर हिंदी में टाइप करने के लिए तैयार है।

हिंदी के लिए इंडिक आई एम ई 1 में छह प्रकार के की–बोर्ड आते हैं।

### हिंदी ट्रांसलिटेरशन (हू–ब–हू लेखन)

यह फ़ोनेटिक टाइपिंग पर आधारित होता है। यानी आप मानक अंग्रेजी की–बोर्ड पर रोमन लिपि में शब्द टाइप करेंगे तो वह इस्तेमाल किए गए अक्षरों के मुताबिक हिंदी अक्षर टाइप करेगा। उदाहरण

के लिए आप को ″क″ टाइप करना है तो आप अंग्रेज़ी का ″के″ अक्षर दबाएं और वह हिंदी का ″क″ अक्षर बन कर टाइप होगा। यह फ़ोनेटिक के सिद्धांत पर कार्य करता है और उन स्थितियों में सबसे अधिक उपयोगी है जहां आप शब्दों को ठीक उसी प्रकार लिखते हैं जैसा उनका उच्चारण होता है।

**हिंदी रेमिंगटन**

हिंदी रेमिंगटन सामान्य रेमिंगटन हिंदी टाइपराइटर है। इसमें रेमिंगटन की– बोर्ड के आधार पर टाइपिंग की जा सकती है।

**हिंदी टाइपराइटर**

एक और ऐसा की–बोर्ड जो आम तौर पर टाइपिंग में इस्तेमाल होता है। इसमें हिंदी टाइपराइटर की– बोर्ड के आधार पर टाइपिंग की जा सकती है।

**इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड**

एक ऐसा हिंदी की–बोर्ड जहां लेखक मूल वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है और एक अंतर्निहित ″लॉजिक″ यह तय करता है कि इनमें से किन वर्णों को जोड़ा जाए या निकाला जाए और वाक्य बनाया जाए।

**वेबदुनिया की–बोर्ड**

एक हिंदी की–बोर्ड जो वेबदुनिया की–बोर्ड के क्रमानुसार हिंदी टाइप करता है।

**हिंदी विशेष वर्ण**

एक ऐसा की–बोर्ड जिसमें हिंदी के सभी संभाव्य विशेष वर्ण होते हैं।

**एंग्लो नागरी की–बोर्ड**

एक और हिंदी की–बोर्ड जो टाइपिंग में इस्तेमाल होता है। इसमें भी टाइपिंग वेबदुनिया की–बोर्ड के क्रमानुसार होती है। हिंदी आई एम ई में इतनी अलग–अलग विशेषताओं के होते हुए लेखक सरलता से माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में हिंदी में किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ टाइप कर सकता है।

हिंदी आई एम ई के इस्तेमाल में कुछ खास बातें ध्यान रखने योग्य हैं। भारतीय लिपियों की जटिलता और उनके बारे में चल रहे अनुसंधान देखते हुए हिंदी में टाइपिंग करते समय कुछ बातें याद रखें।

1. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप कर रहे हैं तो टाइप किए हुए शब्द स्पेस, एंटर या टैब बटन दबाने से पहले नहीं दिखेंगे।
2. जब शब्दसूची की कस्टमाइज़ विंडो बंद कर दी जाती है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छोटी विंडो खुली रहेगी।
3. यदि माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज़ या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के HTML कंपोज़ ऑप्शन में हिंदी बहुत तेजी से टाइप की जाती है तो प्रोग्राम अचानक बंद हो सकता है। इसलिए मध्यम गति की टाइपिंग अपनाएं।
4. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हिंदी लिपि की टाइपिंग के दौरान बिना कारण प्रोग्राम बंद हो जाने की उच्च संभावना होती है, अतः समय–समय पर अपना कार्य 'Save" करते रहें।
5. माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज़ या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के HTML Mail ऑप्शन में हिंदी लिपि लिखते समय कार्य थोड़ा धीमा हो जाता है।
6. अंग्रेज़ी की– बोर्ड ऑप्शन या स्थापित किए गए किसी भी आई एम ई के बीच अदला–बदली के दौरान यदि आखिरी शब्द के बाद जगह नहीं दी गयी तो वह मिट जाता है।

7. माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज़ या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के HTML कंपोज़ ऑप्शन में नई पंक्ति पाने के लिए दो बार "Enter" बटन दबाना ज़रूरी है।
8. यदि कोई शब्द/अक्षर टाइप करने के बाद बिना कोई जगह दिए हुए ( जैसे कि स्पेस, एंटर या टैब दबाए हुए) तीर के निशान वाले बटन दबाए गए तो उसके काम करने के लिए उस बटन को दो बार दबाना होगा। अगर शब्दों के बाद जगह है तो बटन एक बार में काम करेंगे।

आज कल मोबाइल हैंडसेट पर हिंदी–मराठी में एस एम एस तथा शब्द संसाधनों का प्रचलन बढ़ गया है। मोबाइल धारकों में संवाद के लिए बातचीत के अलावा एस एम एस का प्रयोग बढ़ रहा है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के आँकड़ों के अनुसार मोबाइल धारकों की संख्या वर्ष 2007 के मई माह में 13,06,07955 है जो अब काफ़ी आगे निकल जाएगी। इसमें भेजे गए एस एम एस की संख्या 2003 में 11 दशलक्ष्य रही।

## मोबाइल में देवनागरी लिपि का प्रयोग

मोबाइल उपकरणों का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। भारतीय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नोकिया कंपनी ने अपने मोबाइल उपकरणों (मॉडेल 1100, 1160, 6030) में देवनागरी लिपि का प्रयोग एस एम एस के लिए उपलब्ध किया है। मोबाइल उपकरणों में हैंड–हेल्ड, वायरलेस, पॉकेट पी सी, पामटॉप, पामसाईज़, आई–फ़ोन उपकरणों की नयी श्रृंखला बाज़ार में उतारी गई है। इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग–अलग है। फ़ोटो पाम, ओ एस, पॉकेट पी सी विंडो, सिंबीएन (Symbian), इसमें भारतीय भाषाओं का स्थानीयीकरण करना एक जटिल प्रक्रिया है। सिबिएन नोकिया में एस डी के तीन विभिन्न सिरीज़ जैसे सिरीज–60, सिरीज–80, तथा सिरीज–90 मोबाइल उपकरण में अनेक एप्लीकेशन का डिज़ाईन करने के लिए विज़ूअल स्टूडिओ, विज़ूअल स्टुडिओ नेट, नेट, जे–बिल्डर, डेल्फि, सी++ तथा कोड वारीअर के टूल्स का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल एप्लिकेशन के विभिन्न प्लेटफ़ार्म्स जैसे विंडो– विन–32 तथा डॉट नेट, जावा तथा नेट एम–ई, सिंबिएन के लिए नोकिया ने अनेक थर्ड पार्टी टूल्स जैसे क्रास फ़ायर का प्रयोग किया गया है।

ग्राफ़िक्स युजर इंटरफेस(GUI) मोबाइल स्क्रीन के अनुरूप डिज़ाईन करना, भाषा प्रदर्शित करने के लिए समास चिन्हों के नियमों का विकास, अलग–अलग स्क्रीन, की–बोर्ड अथवा स्टाइलस्स द्वारा शब्द टाईप करने की प्रक्रिया, ऑपरेटींग सिस्टम में यूनिकोड की सहायता, अनुवाद शैली, स्क्रीन लै–आउट, आइकॉन का प्रयोग आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मोबाइल हैंडसेट में भाषा का प्रयोग किया जा सके।

भाषा को मोबाइल में स्थापित करने में कुछ समस्याएँ सामने आ रही हैं। भाषा के विशेष प्रतीक चिन्हों का प्रयोग, अनुवाद में संक्षिप्त अक्षरों की रचना आदि समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मोबाइल में भारतीय भाषाओं को पूर्णतः विकसित करने के लिए कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मोबाइल उपकरण के लिए, भारतीय भाषाओं के अनेक फॉट विकसित करने होंगे। भारतीय भाषाओं को सुव्यवस्थित चलाने के लिए ब्राउज़र को विकसित करना होगा। भारतीय भाषाओं की वेबसाइट का स्थानीयकरण हेतु मार्गदर्शक तत्वों का विकास करना होगा। मोबाइल पर भारतीय भाषाओं के शब्दकोश विकसित करने होंगे। मोबाइल उपकरण से भारतीय भाषाओं की वेबसाइट देखने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय भाषाओं का डेटाबेस खोजने के लिए अनुक्रमणिका(indexing) विकसित करनी होगी।

कनाडा की जी–कॉर्पोरेशन (Zi Corporation) कंपनी ने भविष्यसूचक पाठ (predictiive text) संक्षिप्त संदेश सेवा में हिंदी को विकसित किया। इस कंपनी ने हिंदी तथा देवनागरी लिपि की व्यवस्था मोबाइल उपकरण में विकसित की है। ezi text हिंदी के माध्यम से नूतन की–बोर्ड लेआऊट की सहायता

से टंकण का काम आसान हो गया है। मोबाइल पर टंकलेखन के लिए अब अनेक की टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रणाली में प्रयोग में लाए गए शब्दों का शब्दकोश (Used word dictionary) की सहायता से मोबाइल धारकों की सुविधा के लिए भविष्य सूचक पाठ तथा शब्दों को तुरंत प्रदर्शित किया जाता है। जिसके कारण टंकलेखन आसान तथा जल्द हो जाता है।

मोबाइल उपकरणों में बहुभाषिक सुविधा उपलब्ध होने के कारण नोकिया कंपनी ने अपने हैंडसेट नंबर – 1100, 1110, 1112, 1600, 1800, 2310, 6030, 6070 आदि हैंडसेट में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। यह हैंडसेट हिंदी में संदेश भेजने और पाने में सक्षम है। यह एक नेटवर्क आधारित सुविधा है। अपने नेटवर्क ऑपरेटर से इस सुविधा की उपलब्धता की जानकारी मोबाइल धारक को होनी चाहिए। हिंदी भाषा में 42 व्यंजन और 11 स्वर होते है। इन अक्षरों को टाइपराइटर तथा कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए विस्तृत की–बोर्ड उपलब्ध रहता है लेकिन मोबाइल हैंडसेट में सीमित की–बोर्ड उपलब्ध होता है। इसलिए सीमित की–बोर्ड की सहायता से व्यंजनों के मिश्रण, किसी व्यंजन के बाद स्वतंत्र स्वर तथा विशिष्ट अक्षरों का सूचीपत्र खोल के पाठ का टंकन किया जाता है। हिंदी पाठ्यलेखन की विधि नोकिया कंपनी ने प्रयोक्ता मार्गदर्शिका में हिंदी भाषा में प्रस्तुत की है। हैंडसेट के कुल 12 कुंजी दबाने पर हिंदी पाठ टंकित किया जाता है। इसके लिए हिंदी कुंजीपटल की संरचना ध्यान से पढ़नी चाहिए। नोकिया कंपनी ने लेखन भाषा सेटिंग, हिंदी कुंजीपटल, अक्षर–लेखन, अक्षर हटाना साधारण शब्द, व्यंजनों का मिश्रण, व्यंजन के बाद स्वतंत्र स्वर लगाना, विशिष्ट अक्षरों के सूचिपत्र को खोलना, रेफा अक्षर लिखना, हलंत अक्षर लिखना, रकार अक्षर लिखना, टी–9 शब्दकोश का प्रयोग, हिंदी पाठ्यलेखन को अन्य फीचरों के साथ इस्तेमाल करना आदि संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन नोकिया 2310 प्रयोक्ता मार्गदर्शिका में दिया है।

हिंदी भाषा के साथ–साथ अंग्रेज़ी भाषा के वाक्यों का मिश्रण एस.एम.एस. में किया जा सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं का पाठ हैंडसेट द्वारा टाईप करने की सुविधा प्रदान की जाती है। हैंडसेट उत्पाद करते समय क्षेत्रीय भाषाओं को स्थापित करना चाहिए। मोबाइल के आधुनिक उपकरणों में भाषा के बंधन टूटने चाहिए। भारतीय बाज़ार में स्थापित नोकिया, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन आदि मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं ने चेन्नई, दिल्ली में फैक्टरी खोल दी है। विदेशी कंपनियाँ भारतीय बाज़ार की माँग ध्यान में रखते हुए मोबाइल हैंडसेट में भारतीय लिपि का प्रयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ज़रूरत इस बात की है कि हम आधुनिक उपकरण तथा उसके भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने के लिए कितने सतर्क है।

AOL की कंपनी हेजीक कम्युनिकेशन ने मोबाइल हैंडसेट में टाइपिंग सुविधा हेतु T9 सिंगल टैब तकनीक का विकास किया है। मोबाइल फ़ोन हैंडसेट पर T9 ने अब तक चालीस भाषाओं को विकसित किया है। नोकिया ने Made For India Model 1100 में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। मोटोरोला कंपनी ने अपनी व्यवस्था के अनुसार iTAP की सुविधा प्रदान की है।

C-DAC पुणे ने लीला प्रबोध कोर्स अब मोबाइल हैंडसेट पर उपलब्ध किया है। कृत्रिम बुद्धि तकनीक पर आधारित लीला सॉफ्टवेयर अब कंप्यूटर के साथ मोबाइल पर उपलब्ध हो गया है। ध्वनि और चित्र के साथ हिंदी सीखना अब आसान हो गया है। यह सुविधा मल्टी मीडिया कार्ड MMC द्वारा उपलब्ध हो गई है। इस मोबाइल पॅकेज की सहायता से देवनागरी अक्षरों की पहचान, पढ़ना, सुनना, हिंदी शब्दों का उच्चारण, व्याकरण, विडयो क्लिप, हिंदी अनुवाद, हिंदी–अंग्रेज़ी शब्दकोश आदि सुविधाएँ मोबाइलधारक को मैत्रीपूर्ण शैली में प्राप्त हो गई है। यह मोबाइल प्रबोध मल्टिमीडिया कार्ड सी–डैक से प्राप्त किया जा सकता है।

सी–डैक के जिस्ट लैब ने सेल्यूलर फ़ोन्स में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीक का विकास किया है। मोबाइल हैंडसेट द्वारा भारतीय भाषाओं में एस.एम.एस. तथा ई–मेल, भेजा जा सकता है। सभी

भारतीय भाषाओं की लिपि ब्राह्मी लिपि पर आधारित है। सभी भारतीय भाषाएँ स्वराधित होने के कारण मोबाइल हैंडसेट के की–बोर्ड द्वारा किसी भी भारतीय भाषाओं में एस.एम.एस. भेजा जा सकता है। इस्की (ISCII) मानक के अनुरूप फाँट्स का निर्माण किया गया है। यूनिकोड के मुकाबले इस्की पर आधारित पाठ्य संकलन के लिए बहुत कम जगह लगती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक यू.टी.एफ., यूनिकोड के अनुरूप मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सैमसंग, मोटोरोला, सोनी हरीक्सन आदि कंपनियों ने सी–डैक जिस्ट के साथ करार किया है। सैमसन के सी.डी.एम.ए. आधारित भारतीय भाषाओं से संपन्न मोबाइल हैंडसेट बाज़ार में उपलब्ध हो गए।

मोबाइल पर विदेशी पर्यटकों के लिए अंग्रेज़ी–हिंदी शब्दकोश, अनुवाद, विडियो आदि सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसमें पर्यटन, बाज़ार, सामाजिक प्रसंग पर अनेक हिंदी के विकल्प उपलब्ध किए गए हैं। मोबाइल सेवा के अंतर्गत WAP 07, 3–जी तकनीक पर आधारित मल्टीमीडिया सेवाएँ जैसे मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस (MMँ), विडियो मैसेजिंग, संगीत, गेम, समाचार, चित्रपट, मनोरंजन आदि सेवाओं का आस्वाद मोबाइल इंटरनेट द्वारा किया जा रहा है। मोबाइल के क्षेत्र में संचार, मीडिया तथा मनोरंजन व्यवसायों का मिलाप हो गया है। इसलिए अब संबंधित सॉफ्टवेयर कंटेंट डेवलपर्स, उपकरण निर्माता, विपणन तथा विज्ञापन का क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। भारत में हिंदी फ़िल्मों तथा हिंदी गीतों ने हिंदी भाषा का प्रसार आम आदमी तक किया है। विश्व में बॉलीवुड की फ़िल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतीय संगीत तथा चित्रपट व्यवसाय के लिए अब मोबाइल फ़ोन धारक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। ध्वनि, चित्र के साथ–साथ भारतीय भाषाओं की लिपि का भी विकास बाज़ार की माँग के अनुरूप मोबाइल सेवा में धीरे–धीरे बढ़ जाएगा। मोबाइल हैंडसेट के लिए अब भारतीय भाषाओं में ई–बुक, ई–समाचार, ई–बैंकिंग, ई–कॉमर्स आदि सेवाएँ उपलब्ध होने के आसार दिखाई देने लगे हैं।

GSM Association ने मोबाइल उत्पादकों के लिए बहुभाषिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विश्वस्तर पर कुछ तकनीकी बाध्यता घोषित की है। विश्व स्तर पर किसी भी मोबाइल उत्पादक कंपनी को बहुभाषा सहायता के लिए सिफ़ारिश M<sup>a</sup>kV&TN (TWG 130/01), बहुभाषी सहायक मोबाइल उपकरण निर्माण करने के लिए (TWG 133/011) का अनुपालन करना होगा। जीएसंएम असोसिएशन ने जीएसएम ऑपरेटर्स तथा जीएसएम मोबाइल उपकरण उत्पादकों के लिए एक नियम प्रणाली PRD TW-12 तैयार की है। हमें यह देखना होगा कि भारतीय भाषाओं के अनुरूप इन मोबाइल उपकरण की तकनीकी बाध्यता पूरी हो रही है या नहीं। यूनिवर्सल सर्विस फंड के प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के नेटवर्क का विकास किया जाएगा। इस फंड में अमेरिकन डॉलर 1.12 मिलियन की राशि उपलब्ध है। जिसमें अबतक 73 प्रतिशत राशि का वितरण होना बाकी है। भारत में अनेक विदेशी मोबाइल कंपनियाँ अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। इस यूनिवर्सल सर्विस फंड के प्रावधान का उचित फ़ायदा भारत सरकार ने उठा कर मोबाइल सेवा में भारतीय भाषाओं को उचित सम्मान करना चाहिए।

भाषा के विकास में लिपि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत में राष्ट्रभाषा के नाम पर विरोध हो सकता है। राष्ट्रलिपि का सम्मान नागरी लिपि को मिलना चाहिए। राष्ट्रलिपि नागरी लिपि के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

## संदर्भ

1. हिंदी विकिपीडिया
2. भाषा इंडिया
3. नागरी लिपि परिषद
4. यूनिकोड.ओरजी

# राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगति के वैश्विक परिदृश्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का योगदान

अमित शुक्ल

*शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश*

विश्व के स्वतंत्र देशों में अपनी अस्मिता और पृथक पहचान बनाये रखने के लिये प्रतीकों की कल्पना व संरचना की गई है, जिसमें राष्ट्रचिन्ह, राष्ट्रमुद्रा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा हैं, इन प्रतीकों में अगर सबसे महत्त्वपूर्ण है तो वह है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय अस्मिता और विश्व में अपनी पहचान बनाये रखने के लिये राष्ट्रभाषा अत्यंत सशक्त माध्यम है। 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिये जाने वाली हिन्दी भाषा ने देश की आजादी के 65 वर्षों के अन्तराल में प्रगति के विविध आयाम स्थापित किये हैं और उसके विकास में अगर किसी की महत्ती भूमिका है तो वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। उसी का प्रतिफल है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी जो विश्व की तीसरी भाषा के रूप में जानी जाती थी वह अब दूसरे स्थान पर आ गई है। डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल ने अपने वर्षों के सर्वेक्षण में एक चौकाने वाले तथ्य को इंगित किया है। उनके अनुसार हिन्दी जानने वालों की संख्या 1 अरब 10 करोड़ 30 लाख है। जबकि चीनी भाषा जानने वालों की संख्या सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ है। इस तरह हिन्दी भाषा विश्व में पहले स्थान पर है। वास्तविकता यह है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के युग में उच्च सूचना प्रौद्योगिकी के सुखद परिवर्तन ने राष्ट्रभाषा हिन्दी को दूसरे स्थान पर ला दिया है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नित नये प्रयोगों से समृद्धि की ओर अग्रसर राष्ट्रभाषा हिन्दी विश्व में प्रथम भाषा के रूप में पहचानी जाये। भाषिक आंकड़ों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की छह आधिकारिक भाषाओं की तुलना में देखा जाये तो हिन्दी की स्थिति इस प्रकार है–

1. चीनी भाषा 80 करोड़
2. हिन्दी भाषा 55 करोड़
3. स्पेनिश भाषा 40 करोड़
4. अंग्रेजी भाषा 40 करोड़
5. अरबी भाषा 20 करोड़
6. रूसी भाषा 17 करोड़
7. फ्रेंच भाषा 9 करोड़

उपर्युक्त आंकड़ों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषा से अधिक है, किन्तु चीनी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिन्दी की अपेक्षा अत्यंत सीमित है।

विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का जो योगदान रहा है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से भारत में दिखाई देने लगा है। आज के भूमंडलीकरण के दौर में उच्च सूचना प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगति में आश्चर्यजनक परिवर्तन तो किये ही हैं साथ ही भारत के परमाणु शक्ति सम्पन्न

राष्ट्र बनने में भी उसकी महती भूमिका है। 112 करोड़ से भी अधिक की आबादी वाला यह देश अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक रसायन, खगोल विज्ञान आदि में वह विश्व के समक्ष महाशक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा है। उसने राजनैतिक संचार सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, सिनेमा, दूरसंचार, उपग्रह वायरलेस, सेलफोन, मोबाइल फैक्स, पेजर, वीडियो कांफ्रेन्स के रूप में आधुनिक भारत की कल्पना को साकार कर दिखाया है। आज चाहे प्रिन्ट मीडिया हो या दूरदर्शन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, विज्ञापन, फिल्मी प्रतियोगिता, संसदीय, स्वास्थ्य, ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी, बेवसाइट, एस.एम.एस., दूरसंचार यंत्रों, उपग्रह, वायरलेस, सेलफोन, मोबाइल, फैक्स, सभी के पास हिन्दी है। विश्व की प्रगति में सूचना प्रौद्योगिकी ने मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विशेषकर उपग्रह विमोचन, उपग्रह संप्रेषण और उपग्रह स्पेक्ट्रम आदि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी ने आज विश्व को ग्लोबल विलेज अर्थात् पूरे विश्व को एक गाँव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। भौगोलिक दूरियाँ, राष्ट्रीय सीमायें महत्त्वहीन हो गई हैं। भारत में इंसैट एक–ए, इंसैट 2–ए आदि ऐसे उपग्रह हैं जिन्हें अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है और इसके माध्यम से भारत के विभिन्न नगरों तथा समुद्र पार के देशों से टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, ई–मेल आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं। रेडियो, दूरदर्शन, नेटवर्क भी उपग्रह प्रौद्योगिकी पर ही आधारित हैं। इसे अंतरिक्ष युग संचार तकनीक कहा गया है। इस तकनीक के माध्यम से रेलवे, वायुयान, आरक्षण–व्यवस्था, बैकिंग–कार्य प्रणाली, स्टॉक एक्सचेंज, मौसम विज्ञान संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने आज जीवन की दशा व दिशा ही बदल दी है। इसका सबसे अधिक लाभ राष्ट्रभाषा हिन्दी को मिला है। वर्तमान समय में हिन्दी की वैश्विकता निरंतर बढ़ती जा रही है। वह केवल भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है। हिन्दी को वैश्विक सन्दर्भ देने में उपग्रह चैनलों, विज्ञापन एजेंसियों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा यांत्रिक सुविधाओं का विशेष अवदान है।

आज हिन्दी मीडिया की प्रमुख भाषाओं के केन्द्र में है, वह जनसंचार माध्यमों की सबसे अनुकूल भाषा बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। भारतीय महाद्वीप ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मारीशस, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा तथा अमरीका तक हिन्दी कार्यक्रम उपग्रह चैनलों के जरिये प्रसारित हो रहे हैं, जिसके दर्शकों की संख्या अधिक है। इंटरनेट में पाँच हजार से अधिक बेवसाइट हिन्दी से संबंधित हैं। समाचार चैनल में हिन्दी समाचार सर्वाधिक लोकप्रिय है। विश्व पटल पर हिन्दी का प्रयोग करना आसान हो गया है क्योंकि कम्प्यूटर में हिन्दी के सॉफ्टवेयर का निर्माण हो गया है। हिन्दी में लीप, अक्षर, ऑफिस एस्क पी. सुलिपि आदि डी.टी.पी. कार्यक्रम बने हैं। वर्तनी की जांच, टंकण, मुद्रण, टेपांकन, फिल्मांकन की सुविधायें हिन्दी भाषा में प्राप्त हो गई हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को बेवसाइट पर पढ़ा जा सकता है। टेलेक्स द्वारा हिन्दी में संदेश भेजना संभव है। प्रकाशनार्थ सामग्रियाँ ई–मेल द्वारा भेजी जा सकती हैं। बेव दुनिया, नेट जाल जैसे बेवसाइट बने हैं। वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी के सर्वाधिक सशक्त होने में हिन्दी सिनेमा, दूरदर्शन एवं रेडियो की विशष भूमिका रही है। उसे और अधिक व्यापक एवं विस्तृत बनाने में कैसेट सीडी कल्चर का योगदान अधिक है। हिन्दी के प्रचार–प्रसार में सिनेमा की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही है। विश्व में फिजी, मारीशस, कीनिया, युगांडा, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, थाइलैण्ड, हांगकांग, मलेशिया, रूस, सउदी अरब, मिस्र अल्जीरिया जैसे अनेक देशों में हिन्दी फिल्में देखी व पसंद की जा रही हैं। इस प्रकार विज्ञान, तकनीक, वाणिज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी अत्यंत सशक्त हुई है। देखा जाय तो सूचना प्रौद्योगिकी के निम्न माध्यमों में हिन्दी की समृद्धि में सशक्त योगदान रहा है।

## हिन्दी में ब्लॉगलेखन

वर्तमान समय में हिन्दी ब्लॉग्स अपनी बेबाक लेखनी और कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण विश्व में चर्चित है। राष्ट्रीय क्षितिज पर ब्लॉग लेखन से राष्ट्रभाषा हिन्दी समृद्ध तो हुई वहीं अंतर्राष्ट्रीय

क्षितिज पर भी हिन्दी के ब्लॉग लोकप्रिय हुये हैं। हिन्दी के लेखक गाँव से निकलकर वैश्विक गाँव में प्रवेश कर चुके हैं। वे मुक्त होकर लिखना चाहते हैं और दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी में आज भी वह ताकत है जो अमन और शांति के साथ जी सकती है। ब्लॉग लेखन इंटरनेट का सबसे प्रिय विषय होता जा रहा है, ब्लाग चिट्ठा वह डायरी है जिसमें निजी जीवन से जुड़ी बातें भी लिखी जा सकती हैं। यह अब लोकप्रिय हस्तियों के साथ–साथ आम आदमी के हिस्से में भी आ चुका है। छात्र, शिक्षक, नेता, व्यापारी, अधिकारी, अभिनेता आदि वर्ग के लोग ब्लॉग लेखन कर राष्ट्रभाषा हिन्दी को विश्व में लोकप्रिय बना रहे हैं।

## विज्ञापन में हिन्दी

आधुनिक जनसंचार के विभिन्न माध्यमों आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र–पत्रिकायें एवं इंटरनेट के सभी माध्यमों में हिन्दी के विज्ञापनों ने एक नई जीवन्तता प्रदान की है। वह जनसम्पर्क की सर्वोत्तम विधा है, यह अंग्रेजी के एडवरटाइजिंग, लैटिन शब्द **'एडभर'** पर आधारित है जिसका अर्थ है मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित करना। विज्ञापन लेखक की भाषा पर पूर्ण अधिकार होता है। विज्ञापनों से हिन्दी के शब्दों का सामर्थ्य बढ़ा है। साहित्यिक प्रयोगों से विज्ञापन में एक नवीनता और आकर्षण का समावेश हुआ है। टेलीविजन कंपनियों में मनोरंजन प्रधान और सूचनाप्रद कार्यक्रम दिखाने की होड़ लगी हुई है। सभी व्यावसायिक कम्पनियाँ अपने उत्पादनों का विज्ञापन, हिन्दी में देने को आतुर हैं। विश्व के सुप्रसिद्ध रेडियो स्टेशन वी.वी.सी. लन्दन, वॉयस ऑफ अमेरिका, रेडियो सिलोन, जर्मन रेडियो स्टेशन एवं विश्व के अन्य रेडियो स्टेशनों, एफ.एम. पर हिन्दी में विज्ञापनों का निरंतर प्रसारण किया जा रहा है। हिन्दी में विज्ञापन रचनात्मक व शैलीप्रधान होते हैं। विज्ञापन की भाषा सरल, सुगम, एवं पठनीय होती है। वाक्य छोटे एवं बोलचाल की भाषा में आमतौर पर प्रचलित होते हैं। शब्दों के उच्चारण द्वारा नाटकीयता उभारी जाती है और थोड़े से शब्दों में श्रोता तक अपना संदेश पहुँचाया जाता है। विज्ञापनों की हिन्दी में उपमाओं, अलंकारों, मुहावरों, कहावतों, तुकबन्दियों का पर्याप्त प्रयोग कर आकर्षक बनाया जाता है। इस प्रकार उच्च सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सर्वोत्तम जनसंचार माध्यमों में हिन्दी विज्ञापनों से हिन्दी में और भी अधिक निखार आया है और हिन्दी विज्ञापन विश्व में लोकप्रिय हुए हैं।

## हिन्दी अनुवाद

कम्प्यूटर में हिन्दी अनुवाद की जो समस्या थी, उसे हल कर दिया गया है। पूना के सी–डेक उच्च कम्प्यूटरी विकास केन्द्र ने टैग का भी विकास कर लिया है, हिन्दी के सॉफ्टवेयर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिनमें अक्षर, आलेख, शब्दावली, शब्दरत्न, संगम वेवबेस, नारद, चाणक्य, एप्पल, मल्टीवर्ड, सुलिपि भाषा आदि शब्दों का उल्लेख है। धीरे–धीरे विकास की गति बढ़ती जा रही है। आज डॉस, विंडोज और यूनिक्स परिवेश के अंतर्गत हिन्दी में शब्द संसाधन कार्य भी सहज व संभव हो गया है। इसके साथ वर्तनी व आनलाइन शब्दकोश सहित ई–मेल तथा बेब प्रकाशन की तकनीक भी हिन्दी ज्ञाताओं ने विकसित कर ली है। इस्फाक, लिप्स जैसी तकनीक भी सामने आ गयी है साथ ही फिल्मों के हिन्दी में शीर्षक देने की सुविधा उपलब्ध है। अनुवाद के क्षेत्र में मशीनी अनुवाद हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से एक तकनीक विकसित की जिसे अनुस्मारक कहा जाता है, साथ ही पूना के वैज्ञानिकों द्वारा सी.डेक का विकास हो चुका है। आई.बी.एम. डाटा कम्पनी ने भी आर.के. कम्प्यूटर्स के सहयोग से हिन्दी डॉस नाम से एक विशिष्ट तकनीक विकसित की है जिसमें कमाण्ड और मैन्यू भी हिन्दी में उपलब्ध है। विदेशी साहित्य हिन्दी में अनुवाद होकर लोगों तक पहुँच रहा है। हिन्दी का असर केवल मनोरंजन की दुनिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान, साहित्य और रचनात्मक लेखन आदि में भी उपलब्ध है। पेंग्विन के बाद हापर कालिंस ने हिन्दी साहित्य के प्रकाशन का रुख किया है यह कदम निश्चित रूप से विश्व की सर्वाधिक

बोली जाने वाली भाषा हिन्दी के रुतबे को बढ़ाता है। 2005 में पेंग्विन पब्लिकेशन ने जन्नत और अन्य कहानियाँ तथा शंकुतला के साथ हिन्दी के क्षेत्र में कदम रखा था। तब से अब तक वह कई पुस्तकों को हिन्दी में प्रकाशित कर चुका है और अनेक विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराया है। इसके अलावा, चेखव व टॉलस्टाय की कहानियाँ व रूसी विभूतियों की आत्मकथा के भी हिन्दी में अनुवाद हुए हैं। वर्तमान समय में अंग्रेजी पुस्तकों के हिन्दी संस्करण अनेक पुस्तक भवनों में आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इस प्रकार अनेक चर्चित अंग्रेजी पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद की माँग निरन्तर बढ़ रही है।

## उच्च सूचना प्रौद्योगिकी से हिन्दी की समृद्धि

21वीं सदी के दूसरे दशक में राष्ट्रभाषा हिन्दी ने और भी अधिक प्रगति की है। वर्तमान समय में उच्च सूचना प्रौद्योगिकी का ऐसा विलक्षण विस्फोट हुआ कि जिसे सारे विश्व ने स्वीकारा। ये विलक्षण विस्फोट भारत की प्रगति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज बड़े–बड़े देश भारतीय तकनीकी व्यक्तियों को अपने यहाँ आमंत्रित करने में जुटे हैं, साथ ही हिन्दी का प्रयोग अब इन सभी क्षेत्रों में होने लगा है। 1983 में भारतीय इन्जीनियरों ने ऐसी तकनीक विकसित की जिसके माध्यम से कम्प्यूटर हिन्दी की देवनागरी लिपि में काम कर सकता था, भारत की अन्य भाषाओं में भी कार्य कर सकता था। इसका नाम हुआ जिस्ट कार्ड, यह कार्ड कम्प्यूटर के सी.पी.यू. के केन्द्रीय संसाधन एकांश में लगाते ही अंग्रेजी जानने वाला कम्प्यूटर हिन्दी सीख जाता था और बड़ी सफलता से हिन्दी में काम करने लगता था। उसी का प्रतिफल है कि आज सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। घर बैठे दुनिया की सारी सुविधाएँ व जानकारियाँ इससे ली जा रही हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के निरन्तर विस्तार से अब उच्च सूचना प्रौद्योगिकी की एकदम नई तकनीक आ रही है, हिन्दी कम्प्यूटर के लिए उपयोगी बनाने में सबसे अधिक सहायता की है, लिपि और वर्णमाला के ध्वन्यात्मक स्वरूप ने, इसी कारण जिस्ट तकनीक को अपनाया जाने लगा। इसके सहयोग के लिए एक मानक कोडिंग प्रणाली का भी महत्व है जिसको इस्की कहा जाता है। इसके माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाएँ भी आसानी से कम्प्यूटर पर काम कर रही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके लिए इनस्क्रिट नाम से एक कुंजीपटल बनाया गया है जो हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी काम कर सकता है। साथ ही लिप्यांतर की भी उसमें सामर्थ्य है, इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में उच्च सूचना प्रौद्योगिकी ने एक विलक्षण विस्फोट किया है।

## राष्ट्रभाषा हिन्दी में ग्लोबल की सम्भावनाएँ

जैसे–जैसे दुनिया ग्लोबल हो रही है वैसे–वैसे हिन्दी की माँग भी बढ़ती जा रही है, विश्व के अनेक देशों में हिन्दी का अध्ययन व अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। अमेरिका के स्कूलों में भी अब हिन्दी पढ़ने की माँग बढ़ी है। पहले भारत सरकार की भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्धी परिषद् अनेक देशों में तीन साल के लिए प्राध्यापक चुनकर भेजती थी, वह अब भी भेज रही है पर अब अनेक देशों में स्वयं नियुक्तियाँ करनी प्रारम्भ कर दी है। जापान, कोरिया, सिंगापुर में अब सीधे हिन्दी के प्राध्यापक भर्ती हो रहे हैं। खाड़ी देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, में भी हिन्दी शिक्षकों की माँग है। इस प्रकार ग्लोबल हो रही दुनियाँ में हिन्दी की माँग निरन्तर बढ़ रही है।

## शोध का विषय और भाषा मिश्रण के दौर से गुजरती राष्ट्रभाषा हिन्दी और सृजनात्मक साहित्य

विगत वर्षों में पारम्परिक लोक ज्ञान विज्ञान की ओर विकसित देशों का रुझान तीव्र गति से बढ़ा है जिसमें लोकवार्ता साहित्य, लोक संगीत, लोकनृत्य, लोकविज्ञान, आदि सम्मिलित हैं। विदेशी शोधकर्ता गाँव–गाँव जाकर न केवल इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं बल्कि तत्सम्बन्धी सामग्री का संग्रह करते हुए स्थानीय बोलियों को हिन्दी के माध्यम से सीख रहे हैं। हिन्दी कम्प्यूटरीकृत के सचूना प्रौद्योगिकी

में उपयोग से हिन्दी की लोकप्रियता और बढ़ी है। विश्व फलक पर हिन्दी के बढ़ते चरणों के मूल में जहाँ संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वहीं उद्यम, व्यापार, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, विश्व हिन्दी सम्मेलनों के अतिरिक्त हिन्दी में उपलब्ध विश्वकोश, ई–कोश आदि का भी सराहनीय योगदान है। वैश्वीकरण के बदलते संदर्भों के कारण ही आज हिन्दी के मौखिक रूप में अनेक नए शब्दों, अभिव्यक्तियों, मुहावरों, व्याकरणिक रूपों के प्रयोग में अभिवृद्धि हुई है। कुछ उभयलिंगी शब्दों का प्रयोग बढ़ा है, जैसे कि कृषि कर्मी, मीडियाकर्मी, सैन्यकर्मी आदि संकर शब्दों का निर्माण भी हुआ है। भाषा मिश्रण या कोड मिक्सिंग की प्रवृत्ति भाषा व्यवहार में इतनी प्रबल हो गई है कि हिन्दी अंग्रेजी के मिश्रण का अभिनव रूप हिंग्लिश (रीमिक्स इंगलिस्तानी) का प्रयोग वाणिज्यिक हिन्दी, संचारी हिन्दी, समाचार पत्रों में निरन्तर प्रयुक्त हो रहा है।

निष्कर्ष यह है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी व भूमंडलीकरण और बाजार के युग में राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वरूप काफी बदल चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी ज्ञान के विस्फोट के बाद हिन्दी वैश्विक स्तर पर अत्यंत समृद्ध हुई है। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और इस बाजार में जिसे आना है उसे हिन्दी तो जाननी ही होगी। हिन्दी वैश्वीकरण और बाजारवाद की संवाहक भाषा बन पड़ी है। हिन्दी के और भी अधिक वैश्विक विस्तार के लिए कम्प्यूटर इंटरनेट, ई–मेल, ई–बुक तथा बेवसाइट की दुनिया से जुड़ना होगा। हिन्दी का प्रश्न केवल अभिव्यक्ति भर से नहीं जुड़ा है बल्कि अब वह राष्ट्रीय व सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न बन चुका है जिसके लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में आधारभूत ग्रन्थ तैयार करने होंगे।

हिन्दी को विश्व भाषा के रूप में और भी अधिक प्रतिष्ठित करने के लिए उसके व्याकरण, लिपि और वर्तनी के मानकीकरण का अनुपालन करने व कराने का वातावरण तैयार करना होगा। इसके लिए हिन्दी में बेवसाइट तथा कम्प्यूटर का जाल बिछाना होगा, जिससे हिन्दी अपने सम्पूर्ण विश्वकोश, शब्द संपदा, भाषिक अनुप्रयोग, लिखित वाङमय के साथ कम्प्यूटर लाइब्रेरी, इंटरनेट, ई–मेल तथा ई–कामर्स की दुनिया में अन्य भाषाओं की प्रतिस्पर्धा में अग्रणी हो सके। वर्तमान समय के रचनात्मक लेखन में हिन्दी की माँग को देखते हुए हिन्दी भाषा के व्याकरण की पर्याप्त जानकारी होना भी आवश्यक है। रचनात्मक लेखन पर बल देने के साथ ही भाषा की समृद्धि के लिए विभिन्न विषयों विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, अभियांत्रिकी कृषि, बैंकिग, व्यापार, आर्थिक जगत और प्रौद्योगिकी आदि अनेक क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मौलिक लेखन, स्तरीय पाठ्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने की अत्यंत आवश्यकता है। कम्प्यूटर में हिन्दी प्रयोग के नवीन आयामों, कम्प्यूटर साधित भाषा शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ भाषा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को दूर करने की दिशा में सार्थक प्रयास होना चाहिए। विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सशक्त भूमिका को देखते हुए अनेक हिन्दी सम्मेलनों व साहित्यिक संस्थाओं में आयोजित संगोष्ठियों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी के साहित्यिक पक्ष के साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि अन्य आधुनिक अनुशासनों से हिन्दी के गहन सम्बन्ध को उद्घाटित करने की परम आवश्यकता है।

वास्तविकता यह है कि विज्ञान तथा उच्च प्रौद्योगिकी ने आज जहाँ एक ओर आर्थिक प्रगति व विश्व को आधुनिक औद्योगिक समाज बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की है वहीं राष्ट्रभाषा हिन्दी को वैश्विक परिदृश्य में शक्तिशाली बनाने में भी उसका सबसे बड़ा योगदान है।

## संदर्भ

1. वीणा श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर की मुख्य मासिक पत्रिका, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर, जून 2010, प . 23
2. साहित्य क्रांति, अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका, सितम्बर 2011, भार्गव कालोनी, गुना, पृष्ठ 14

3. छत्तीसगढ़ विवेक त्रैमासिक शोध पत्रिका अंक 32, जनवरी–मार्च, 2011, भिलाई नगर छत्तीसगढ़, पृष्ठ 63–65
4. छत्तीसगढ़ विवेक त्रैमासिक शोध पत्रिका अंक 38, अंक 11, जुलाई–सितम्बर, भिलाई नगर छत्तीसगढ़, पृष्ठ 30
5. छत्तीसगढ़ विवेक त्रैमासिक शोध पत्रिका अंक 36, जनवरी–मार्च, 2012, भिलाई नगर छत्तीसगढ़, पृष्ठ 55
6. योजना मासिक पत्रिका, योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली सितम्बर 2012, पृष्ठ 10, 36, 40
7. कुरूक्षेत्र अप्रैल 2009 निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, प . 3, 30
8. योजना मासिक पत्रिका फरवरी 2012, योजना भवन नई दिल्ली, पृष्ठ 33
9. राष्ट्रवाणी, दवैमासिक शोध पत्रिका, मई–जून 2010, राष्ट्रभाषा भवन, 387 नारायण पीठ पुणे, पृष्ठ 29–32
10. संस्कार पत्रिका, सितम्बर 2012, कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा, मुम्बई, पृष्ठ 21, 25, 26, 27
11. राष्ट्रभाषा संदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग पाक्षिक मुखपत्र, 15 फरवरी 2012, एवं 15 मई 2012, पृष्ठ 1, 4, 5
12. साहित्य अमृत मासिक पत्रिका सितम्बर 2012, आसिफ अली रोड नई दिल्ली, पृष्ठ 69, 70
13. छत्तीसगढ़ विवेक द्वैमासिक शोध पत्रिका, अप्रैल–जून 2011, भिलाई नगर छत्तीसगढ़, पृ. 42
14. वीणा सितम्बर 2011, श्री मध्यभारती हिन्दी साहित्य की मासिक पत्रिका, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग इन्दौर, पृष्ठ11
15. राष्ट्रवाणी, नवम्बर–दिसम्बर 2010, दवैमासिक पत्रिका, राष्ट्रभाषा सभा पुणे, पृष्ठ 7, 9
16. इंडिया टुडे, 7 दिसम्बर 2011, लिविंग मीडिया इंडिया कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ 68
17. कथादेश, अप्रैल, 2011, सहयात्रा प्रकाशन, दिलशाद गार्डन, दिल्ली, पृष्ठ 92
18. आजकल मासिक पत्रिका, जुलाई, 2008, नई दिल्ली, पृष्ठ 40
19. जनसत्ता समाचार पत्र नई दिल्ली, पृष्ठ 5
20. स्वयं का सर्वेक्षण व निष्कर्ष।

# स्पेन में हिन्दी की व्यावहारिक समस्याएं

विजयकुमारन सी पी वी

*वल्लदोलिद विश्वविद्यालय, एशियाई अध्ययन केन्द्र, वल्लदोलिद, स्पेन*

वल्लदोलिद विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की योजना के अनुसार सन् 2004 से हिन्दी पढ़ाने के लिए अतिथि आचार्य भेजे जाते थे। यूँ ही स्पेन में यह ऐसा पहला विश्वविद्यालय रहा, जहाँ अकादमीय पाठ्य पद्धति में हिन्दी सम्मिलित की गयी थी। विश्वविद्यालय के भाषा केन्द्र के अधीन कक्षायें चलाने लगी थीं। कभी–कभी कक्षायें एशियाई अध्ययन केन्द्र में भी हुआ करती थीं। स्पेनी नागरिकों की हिन्दी विषयक रुचि इतनी बढ़ी थी कि वे फिल्मी मनोरंजन और भारत यात्रा के लिए इसे अनिवार्य मानते थे। जहाँ भी भारतीय फिल्म समारोह संपन्न होता था, थियटरों में नवअभिनेता और अभिनेत्रियों की फिल्म देखने को काफी भीड़ लगती थी। कक्षा में कुछेक छात्राएं साफ–साफ घोषणा करती हैं कि वे सलमान खान या ऋतिक रोशन से शादी करना चाहती हैं। यूँ तो यूरोप और पाश्चात्य देशों में शिक्षा जीविकोपार्जन का उपाय नहीं बनती थी। तीसरी दुनिया में ही  शिक्षा विकास के साधन के रूप में मानी जाती थी। कभी यह जीवनोपगामी या नौकरी प्राप्त करने का साधन मानी जाती थी। दरअसल जितनी भी पाठ्य पद्धतियां यूरोप की बनी हैं, अधिकांश में शिक्षार्थियों की ज्ञानाभिरुचि प्रथम रही। हिन्दी अध्ययन का भी यही लक्ष्य शिक्षार्थियों का रहा। इधर की जनता को भारत का मतलब ही हिन्दी और हिन्दू है। अतः इनका मानना है कि भारत से आने वाले हर किसी को हिन्दी राष्ट्रभाषा अवश्य आती है।

भारोपीय भाषाओं में स्पेनी भाषा आज दुनिया की दूसरी प्रमुख भाषा का स्थान ले चुकी है। मानक स्पेनी भाषा या कास्तिलिया का जन्म उत्तर स्पेन के कास्तीलिया प्रांत में हुआ, जो रूमानो–ऐबीरियायी भाषा विभाग में शामिल है। सदियों पहले व्यापार के लिए यह प्रयुक्त होती थी। अब स्पेनी भाषा बोलनेवाले देशों में दुनिया के बीस देश शामिल हैं, जिनमें उत्तर, दक्षिण, और मध्य अमरीका, करीबियायी द्वीप, अफ्रीका एवं युरप में स्पेन हैं, और बोलनेवालों की संख्या 32 करोड़ है। स्पेनी सरकार ने कास्तिलिया को सन् 1978 में राजभाषा घोषित कर लिया और तीन अन्य प्रमुख भाषाओं – गलीसियायी, बास्की, तथा कतलानी – को भी देश भाषा के रूप में मान लिया।

हिन्दी भाषा आधुनिक भारतीय आर्यभाषा के रूप में 10 वी. शदी में जन्मी, और अब संसार के 44 करोड़ लोग इस का, मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं, और यह भारत के 10 प्रांतों में तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रथम है तथा सांवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा है। भारोपीय भाषाओं के मूल में संस्कृत है, अतः यूरोपीय भाषाओं में और हिन्दी में कई समानतायें हैं, मगर काफी कुछ अपनी निजी विशेषतायें भी हैं। संसार के भाषा–प्रयोक्ताओं में प्रथम चीनी है, दूसरा स्थान अंग्रेज़ी का, तीसरा और चौथा यथाक्रम स्पेनी और हिन्दी का है। स्पेनी बोलनेवालों की संख्या 5.6 प्रतिशत तथा हिन्दी की 4.7 प्रतिशत है।

हिन्दी की पाठ्यचर्या एवं समयसारिणी ऐसी बनायी जाती थी कि वह शिक्षार्थियों के अनुकूल हो। इसीलिए सबसे अधिक ध्यान समय पर केन्द्रित हुआ करता था। दिन में दो–ढाई घंटे से ज़्यादा कक्षायें नहीं होती थीं। वह भी सायंकालीन सत्र को ही सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले थे। अभ्यर्थियों में नौकरीरत

स्त्री–पुरुष ज़्यादा थे। अधिकाँश की उम्र चालीस–पचास के ऊपर। छोटे पैमाने में वे बच्चे भी शामिल होते थे, जो अपने ऐच्छिक विषय के अध्ययन से थोड़ा हल्का होने के लिए भर्ती हो रहे हों। कुछेक का स्पष्ट लक्ष्य होता है कि वे विश्वभाषा को करीब से जाना चाहते हैं, और यूरोपीय भाषाओं से हिन्दी का साम्य–वैषम्य जानना चाहते हैं।

पाठ्य पद्धति को उपभोक्ता केन्द्रित बनाने के लिए भाषाध्यापन के साथ संस्कृत के अध्ययन पर भी बल दिया जाता था। यूँ तो इसमें भारतीय पर्यटन को मद्देनज़र रखा जाता था, या जिज्ञासायें अधिकांश उस ओर केन्द्रित थीं। स्पेनी भाषियों की भाषा–निष्ठा कट्टर है, इसलिए हिन्दी अध्यापक को भी स्पेनी ज़बान से ही अधिकांश बातों को समझाना पड़ता था। यूँ तो पोलैंड, इटली आदि राष्ट्रों से उप्रवासित कुछेक विद्यार्थी भी हिन्दी पढ़ने को उत्सुक होते थे। भारतीय संस्कृति के हस्तांतरण में अधिकांश ध्यान दिया जाता था। लेकिन पढ़ाने में काफी कठिनाई तब होती थी, जब कि सूचक सूच्य का, ज़मीन–आसमान का फरक दोनों भाषाओं में हुआ करता था। सांस्कृतिक चिह्नों के हस्तांतरण पर इस कठिनाई को मिटाने के लिए भरसक कोशिश करनी पड़ती थी। कक्षा में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साधन उपलब्ध थे, इसलिए मानचित्रों, रेखाचित्रों, तथा भौगोलिक मापचित्रों के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी। एतद् विषयक अधुनातन जानकारी जो भी अध्यापक से छूट जाती थी, बच्चे उसकी क्षतिपूर्ति करते थे।

स्पेन में हिन्दी पढ़ने–पढ़ाने का स्थाई विभाग नहीं है, भले ही कुछेक यूरोपीय विश्वविद्यालयों में यह है। यूँ कह सकते हैं कि अकादमीय स्तर पर इस विषय को स्पेनी सरकारी या विश्वविद्यालयी अधिकारियों की तरफ से आंतरिक संस्तुति नहीं है, भले ही वे हिन्दी के अध्ययन –अध्यापन के लिए आवश्यक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे हैं, जिससे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा भेजे जानेवाले हिन्दी आचार्य को अपना उत्तरदायित्व निभाने में कहीं भी कोई कमी नहीं रहे। हिन्दी में स्नातक, या परास्नातक जैसी पाठ्य पद्धतियाँ विश्वविद्यालयी पाठ्य पद्धति में सम्मिलित नहीं की गई है। प्रतिनियुक्त आचार्य के द्वारा हिन्दी अध्याय का क्रम जारी है, और पाठ्य विषय निर्धारण, समय सारिणी, परीक्षा, आदि सभी का समायोजन खुद करना पड़ता है। अव्वल छात्रों को विश्वविद्यालय समान प्रमाण पत्र दिया जाता था, जो अन्य भाषा विषयों के अध्येताओं को मिलता था। कहने का मतलब यह है कि हिन्दी के अध्येताओं को अन्य विषयों के समान मान्यता दी जाती थी। अतः भारत सरकार का यह प्रयास है कि स्पेन में हिन्दी की स्थायी पीठ हो, और अतिथि आचार्य को भेजने का ऐसा क्रम (2004 से) रखा है कि एक के सेवाकाल के समाप्त होते ही दूसरा प्रतिनियुक्त हों, और कभी भी यह पीठ अनाथ नहीं हो।

अब तक विश्वविद्यालय में हिन्दी की जो पाठ्यपद्धतियाँ अपनायी गयीं, उनका यही स्वरूप है– कर्नाटक विश्वविद्याल, धारवाड़ के प्रतिनियुक्त आचार्य के द्वारा 2004–05 और 2005–06 में हिन्दी उच्चारण पर यथाक्रम प्राथमिक और माध्यमिक पाठ्यपद्धति तथा हिन्दी भाषा की माध्यमिक कक्षा 20 फरवरी 2007 से 7 जून 2007 में चलायी गयी। तदनंतर दूसरे आचार्य, कण्णूर विश्वविद्यालय के पय्यनूर महाविद्यालय के सी.पी.वी.विजयकुमारन, की बारी आयी। उन्होंने पहले–पहल हिन्दी में एकमासी द्रुत पाठ्यपद्धति तैयार की और 3–27 सितंबर 2007 को उसे कार्यरत कराया। इसमें अध्येताओं का लक्ष्य बोलचाल की हिन्दी पर दक्षता प्राप्त करना था, कि उन्हें भारतयात्रा के लिए हिन्दी भाषा की ज़रूरत महसूस हुई थी। पाठ्य पद्धति का स्वरूप खुद प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया और विश्वविद्यालय ने आवश्यक सारी सुविधायें प्रदान कीं। अगले महीने 1 अक्तूबर 2007 से 23 जनवरी 2008 तक प्रारंभिक हिन्दी कक्षा शुरू की गयी, जहाँ हिन्दी वर्ण और अक्षराध्यापन, सुलेख से शुरू कर हिन्दी व्याकरण की इकाइयों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, वाच्य, वाक्य, को छोटे छोटे मापांकों में बांटा गया। पढ़ाने और छात्रोपयोगी नोट बनाते हुए उन्हें उचित समय दिया जाता था। कक्षांत में बच्चे हिन्दी पठन–पाठन और बोलने के लिए सक्षम होते थे। मैक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट का सहारा लेते

हुए, स्पेनी चित्रों, बिंबों और दृश्यों के सहारे पढ़ाई काफी दिलचस्प बनायी जाती थी। कक्षांत में अवश्य और कक्षाओं के बीचों बीच परीक्षा लेने से बच्चों में, पढ़े विषयों की स्थिरता बनी रहती थी।

आनेवाले कार्यक्रमों में अध्येताओं को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के विभिन्न स्तरों पर बांटा गया। प्राथमिक कक्षा की अवधि यथाक्रम 5 फरवरी से 28 जून 2008, 22 अक्तूबर से 17 जून 2008, 20 अक्तूबर 2008 से 15 जून 2009, 28 सितंबर 2009 से 31 मई 2010. आदि सुव्यस्थित हैं। माध्यमिक कक्षा की अवधि यथाक्रम 2 अक्तूबर 2007 से 31 जनवरी 2008, 20 अक्तूबर 2008 से 15 जून 2009, और 29 सितंबर 2009 से 18 मई 2010 है। उच्चस्तर की कक्षा के लिए 20 अक्तूबर 2008 से 15 जून 2009 की अवधि तय की गई तथा असल साहित्यिक अध्ययन शुरू किया गया। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, आधुनिक कवितायें तथा प्रेमचन्द और अन्य आधुनिक कहानीकारों को इसमें अध्ययन का विषय बनाया गया। रामचरितमानस, कबीरदास के दोहे आदि के चुने हुए प्रकरण, तथा भक्तिसाहित्य के अध्यापन के निमित्त कई पद्यांशों तथा उनके स्पेनी अनुवादों का भी सहारा लिया गया।

## भारत अध्ययन पर स्नातकोत्तर पाठ्यपद्धति

भारतीय अध्ययन पर आधारित स्नातकोत्तर उपाधि हेतु पाठ्य पद्धतियाँ निर्मित होती थीं, फिर भी ज़्यादा बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। अब तक वल्लदोलिद विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन पर तीन पाठ्यपद्धतियाँ स्नातकोत्तर स्तर पर चलायी गयी हैं, पहली 2004–05 को, फिर 2005–06 और अंतिम 2008–09 को। शिक्षार्थियों की संख्या पहले तीस–चालीस के करीब थी, मगर अंतिम पाठ्य पद्धति में 10–12 छात्र ही थे। सन् 2009–10 के लिए विज्ञापन निकाला तो भी अभ्यर्थियों की संख्या चार–पांच ही थी, अतः फिलहाल इसे विराम दिया गया। अन्य विषयों के समान हिन्दी को भी उक्त पाठ्यपद्धति का अनिवार्य मगर महत्वपूर्ण विषय चुना गया था। सबसे ज्यादा घंटा उस में हिन्दी विषय के लिए निर्धारित थे। एक ही आचार्य होने पर भी हिन्दी आचार्य को यह अतिरिक्त भार नहीं लगता था, मगर भाषा और साहित्य तथा भारत के प्रति स्पेनियों के लगाव की श्रीवृद्धि देखकर रुचि बढ़ती ही जाती।

## भारत और स्पेन के विश्वविद्यालयी कुलपतियों का संगम

पहली बार भारत और स्पेन के विश्वविद्यालों के चुने हुए कुलपतियों का संगम वल्लदोलिद, स्पेन में 17 अक्तूबर 2007 को हुआ। इसका कार्यक्षेत्र रहा – अंतरविश्वविद्यालयी सहकारिता। कासा आसिया और भारतीय विश्व कार्य परिषद तथा कासा इंडिया के संयुक्त तत्त्वावधान में यह संगम आयोजित किया गया। दोनों राष्ट्रों में उच्च शिक्षा के अकादमीय मामले में पारस्परिक संबंध बढ़ाने के क्षेत्र, ज़्यादा से ज़्यादा अंतरविषयी मामलों पर गौर करने का सुझाव, अनुदान योजनायें, अंतरविश्वविद्यालयी सांस्कृतिक आदान–प्रदान, सहयोगी पाठ्यचर्यायें आदि पर विस्तृत विचार विमर्श हुए और अकादमीय स्तर पर दोनों राष्ट्रों के आपसी सहयोग बढ़ाने के उपाय उक्त संगम में निर्णीत हुए। वल्लदोलिद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अब्रील दोमिंगो, कासा इंडिया के संरक्षक मंडल, और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय पंजाब सिंह की अध्यक्षता में सारे सत्र चले। भारतीय दल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सचिव श्रीमती पंकज मित्तल, तथा भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान बैंगलूर के निदेशक समेत 31 भारतीय विद्वान तथा भारत के 17 विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शामिल थे। कास्तिलिया इ लयोन के स्थानीय पार्षद खुआन खोसे मतियोस, दिल्ली के सेरवांतस संस्थान के निदेशक ओस्कार पुखोल और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उपमहानिदेशक ने भी इस समारोह को अपनी उपस्थिति से धन्य बनाया। सन् 2007 में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक सामयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो शिक्षा और विज्ञान समझौते के परागामी रहा।

तीसरा भारत–स्पेन संवाद भी इसी से जुड़ा कार्यक्रम रहा, जो भारतीय दूतावास मैड्रिड, स्पेनी दूतावास नई दिल्ली, कासा आसिया, स्पेनी विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय, स्पेनी शिक्षा एवं

विज्ञान मंत्रालय, स्पेनी संस्कृति मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, और वल्लदोलिद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 144 प्रतिभागियों के द्वारा वल्लदोलिद शहर में संपन्न हुआ। स्पेन का यह सबसे बड़ा बौद्धिक अधिवेशन रहा, जहां 80 सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के प्रतिभागी भाग ले रहे थे। इन के अतिरिक्त विश्व कार्य परिषद के 20 प्रतिभागी भारत से इस महासम्मेलन के सहभागी रहे।

नई दिल्ली राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के भूतपूर्व निदेशक वै.पी. आनंद के गांधीवादी लैगसी पर दिये गये भाषण में उन्होंने कहा कि गांधीजी के सामने अहिंसा को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेज़ी भाषा और उसकी सीमाएं रहीं। दूसरी बात यह गलत धारणा जो सदियों से मानव को घेरे हुए है कि हिंसा से ही सभी समस्याओं का हल कर सकता है। उन्होंने दो शब्दावलियां इस संदर्भ में सुझायी थीं –''पैसिव रसिस्टनस'' और ''सिविल डिसओबीडियनस''। मगर इन शब्दों में गांधीजी के मन की बात को अभिव्यक्त करने की सही क्षमता नहीं थी, अतः वे भारत आकर उनके लिए संस्कृत की शब्दावलियाँ – सत्याग्रह और असहयोग जैसे पदबंध चुने। फिर उन्होंने गांधीजी के अहिंसा शब्द की अर्थव्याप्ति को भी सोदाहरण प्रस्तुत किया तथा अहिंसा सिद्धांत की 21 वी. शताब्दी की प्रासंगिकता को ज़ोरदार शब्दों में समझाया जिससे सारे श्रोतागण उक्त भाषण से अभिभूत हुए।

स्पेन में भारतीयता को फैलानेवाले अन्य उपादानों में भारतीय स्कूल का भी अपना हाथ है। एस्कुएला द ला इंदिया (भारतीय विद्यालय) के नाम से यह संस्था कासा इंडिया का अभिन्न अंग बनकर काम करती रही। भारतीय जीवन रीतियाँ, संस्कृति के साधन, भाषा, खेल–कूद तथा मनोरंजन के सोदाहरण परिचय दिलाने में यह स्कूल कटिबद्ध रहा। अकादमीय शिक्षा इस की कार्यपद्धति में नहीं, मगर जो भा स्पेनी स्कूल या संस्था जो चाहे बच्चों के लिए वयस्क हो, का इस संस्था से संबंध स्थापित किया जा सकता है। भारतीय विद्यालय में अनौपचारिक अध्ययन हासिल करने के लिए पहले ही पंजीकरण करना होता है। इस विद्यालय का कार्यकाल देश के औपचारिक शैक्षिक संस्थाओं के समान चलता था, अतः दीर्घावधि को छोड़कर बची सारी छुट्टियों भारतीय विद्यालय का अध्ययन– अध्यापन जारी रहा। भातीय हिन्दी आचार्य और छात्रवृत्ति पाकर स्पेन में पहुँचे भारतीय बच्चे, सबके सब इस अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के अध्यापक का जामा पहनते थे। कासा इंदिया के आरंभकाल से अब तक यह अनौपचारिक विद्यालय अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता रहा है।

## हिन्दी संघ

हिन्दी संघ एक स्वयंसेवी संस्था है, जो वल्लदोलिद महानगर में भारतीय संस्कृति और हिन्दी विषयक रुचि साधारण जनमानस में उत्पन्न करने के लिए विविधमुखी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भार ले सकता है। हर महीने किसी न किसी विषय को लेकर परिचर्चा, कुछ न कुछ सांस्कृतिक कारोबार, स्पेनी और भारतीय संस्कृतियों का आदान प्रदान, कार्यशालायें, चर्चायें आदि कार्यक्रम इसकी क्रियाविधि में शामिल किया गया। इसकी सदस्यता उन सब के लिए खुली रखी गई हैं जो ऐसी रुचि रखते हों, मगर एक बार हिन्दी कक्षा में भर्ती होने वाला अध्येता हमेशा के लिए इसका स्वयंसेवी सदस्य बन सकता था। कासा इंदिया के निदेशक इसके संरक्षक और हिन्दी आचार्य इसके स्थायी निदेशक होते इसके मुख्य कार्यक्षेत्र कासा इंदिया रखा गया, भले ही महानगर में कहीं भी सुविधानुसार इसे आयोजित करने में कोई कोई भी दिक्कत नहीं आई। सालाना एक स्वयंसेवी सचिव या सचिवा नियुक्त हो जो निदेशक का साथ दे सके। महीने–वार बैठक का स्थान एवं मंच कासा इंदिया में आयोजित किया जाता है, लेकिन नगरपालिका या बाहरी संस्था में होने वाले कार्य के लिए उक्त संस्था के अधिकारी आवश्यक सुविधा प्रदान करते हैं। इससे यह विदित होता है कि स्पेन में भारतीयता के प्रचार–प्रसार के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक सहयोग प्राप्त होता आया है। प्रथम आचार्य के कार्यकाल में नाम के वास्ते एकाध ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, मगर जब से दूसरे की बारी आयी, तब से इसमें एक नियमितता आयी।

हिन्दी संघ की उल्लेखनीय चर्याओं में नवंबर 2007 के उद्घाटन सत्र के प्रस्ताव के अनुसार 2008 जनवरी–फरवरी में अष्टांगयोग –सिद्धांत एवं प्रयोग के चार कार्यक्रम प्रथम आकर्षण बने। बैशाखी–विषु–पोंगल का आयोजन अप्रेल 14–18 तक विविधरंगी परंपरागत भारतीय विधियों से किया गया। बोलिवुड सिनेमा मुंबई का सव्याख्या प्रस्तुतीकरण मई में हुआ। भारतीय पाक विद्या का सिद्धांत एवं प्रयोगशाला श्रीमती सुमा विजयकुमारन के द्वारा आयोजित जुलाई का कार्यक्रम रहा, जिसको कासा इंदिया के बाहर ग्रिगोरियस सेन्टर में आयोजित किया गया और प्रसिद्ध तीन स्पेनी पाकशास्त्रियों के साथ करीब 40 प्रतिभागी उसमें शामिल हुए। दिसंबर में क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम –भारत में ईसाइयों का तीर्थाटन विषयक प्रस्तुतीकरण रहा। 2009 –2010 को नई पाठ्यचर्या शुरू हुई और हिन्दी संघ का भी नया कलेवर तैयार होने लगा। इन में हिन्दू मिथक, भारत के हिन्दू एवं ईसाई तीर्थ, हिन्दू समाज, भारत का भक्ति आंदोलन, भारतीय साहित्य, आदि विषयों में प्रस्तुति के साथ–साथ दीवाली, बैशाखी, ओणम जैसे सांस्कृतिक समारोहों का भी आयोजन यथासमय होता रहा। नगरपालिका के कुछेक केन्द्रों में तनावविमोचन कार्यशालायें, योग के विविध पाठ, हिन्दू धर्म की प्रासंगिकता विषयक प्रस्तुतियाँ भी होती रहीं।

## संदर्भ


1. Ed: Renu Gupta, VISHWA, varsh 25, ank 4, October-December 2009, Vijayakumaran.C.P.V, 'Spen mem Ramayan ki Nautanki - 'Ramayan un viaje cien rupias", West Chester OH, USA, pp.51-54.
2. http:èèwww.embajadaindia.net
3. www.embassyindia.esèIndianEmbassyèIndianEmbassy
4. http:èèwww.globalexchange.orgècountriesèasiaèindiaègandhi.html

# संभावनाओं और संवेदनाओं के कवि धूमिल

प्रणव शास्त्री
*उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश*

धूमिल साठोत्तरी हिन्दी कविता के स्थापित कवि हैं। साठोत्तरी जनवादी कविता के केन्द्रीय कवि के रूप में धूमिल को विशेष स्थान प्राप्त है। डॉ शुकदेव सिंह का विचार है, ''धूमिल अपने समय का ही नहीं, हिन्दी का सबसे महत्वपूर्ण जन कवि और जनवादी कवि थे। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि धूमिल ने जिस जीवन की अभिव्यक्ति अपने काव्य में की उस जीवन को उन्होंने किसी अन्य को जीते नहीं देखा था, बल्कि स्वयं भोगा था और जिस आदमी की पीड़ा को वह अपनी कविता में वाणी देते रहे वह कोई और नहीं स्वयं धूमिल ही थे।''

जनवादी कविता जन–जन की भावनाओं का दर्पण होती है। जनवादी कविता की परिभाषा कहते हुए डा0 नरेन्द्र सिंह ने लिखा है–''जनवादी कविता से हमारा तात्पर्य उस कविता से है जो जनता के मानसिक परिष्कार, उसके आदर्श और मनोरंजन से लेकर क्रान्ति–पथ की तरफ मोड़ने वाला, प्राकृतिक शोभा और प्रेम, शोषण और सत्ता के घमण्ड को चूर करने वाला, स्वतन्त्रता और मुक्ति गीतों को अभिव्यक्ति देने वाला, ये सभी कोटियाँ जनवादी काव्य की हो सकती है बशर्ते वह मन को मानवीय, जन को व्यापक जन बना सके।

धूमिल का साहित्य उनकी जनवादी भावना का सबल प्रमाण है। उनकी काव्यचेतना 'संसद से सड़क तक' से लेकर 'सुदामा पाण्डेय का लोकतंत्र' तक आक्रोश और विद्रोही प्रतीत होती है। उनकी दृष्टि में जनवाद का अर्थ लोकतंत्र का विरोध है। उनके शहर में सूर्यास्त, मकान, एक आदमी, शहर का व्याकरण, नगरकथा, मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, मुनासिव कार्रवाई, कविता, प्रौढ़ शिक्षा, लोकतंत्र, ताजा खबर, जनतंत्र के सूर्योदय में, पतझड़, प्रजातंत्र के विरूद्ध, जनतंत्र एक हत्या सन्दर्भ, गाँव, समाजवाद देश–प्रेम मेरे लिए, अकाल दर्शन, किस्सा जनतंत्र, नक्सलवादी आदि ऐसी अधिकांश कविताएं हैं जिनमें धूमिल की जनवादी भावना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

धूमिल के काव्य में जनवादी चेतना कूट–कूटकर भरी हुई है। वह सच्चे अर्थो में हिन्दी के जनवादी कवि थे। डा0 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के शब्दों में ''उत्तेजनाओं से अलग धूमिल की कविता मनुष्य के केन्द्रिय प्रश्नों से जुड़ी हुई कविता है जिसमें रोटी और भूख, शहर और गांव, जनतंत्र और समाजवाद, संसद और सड़क प्रमुख हैं। यह प्रतिबद्ध, प्रगतिशील और संघर्षशील चेतना की कविता है। वह समकालीन वास्तविकताओं का साक्षात्कार करने वाली कविता है। इसका संसार ठोस और जीवित प्रासंगिक संसार है। कहना न होगा कि यही उनकी कविता की शक्ति है। इस प्रकार धूमिल ने अपने काव्य में जनवादी भावना का प्रखर परिचय दिया है। जनवादी दृष्टि या चेतना धूमिल के काव्य में विविध रूपों तथा विविध माध्यमों से प्रकट हुई है। उसका रूप बहुआयामी है। धूमिल की जनवादी चेतना का संक्षेप में निरूपण इस प्रकार है

## ग्राम और शहर का यथार्थ चित्रण

धूमिल जनवादी कवि हैं। वह गांव के आदमी थे, परन्तु आजीविका कमाने के लिए शहरों की

खाक छाननी पड़ी। उन्होंने गांव की विसंगतियों को निकट से देखा और स्वयं भोगा। बेकारी, गरीबी, मुकदमेबाजी, राजनीतिक, मिथ्याचार और गन्दगी ने ग्रामीण जीवन को नरक बना दिया। 'गाँव' कविता में उन्होंने लिखा है –

मूत और गोबर की सारी गन्ध उठाए
हवा बैल के सूजे कँधे से टकराए
खाल उतारी हुई भेड़–सी
पसरी छाया नीम पेड़–सी।

गांव में उत्पीड़न, दमन, गुंडागर्दी और नेताओं की साजिश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पीड़ित लोगों के प्रति कवि की सहानुभूति का भाव देखिए –

वहाँ न जंगल है न जनतंत्र
भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं
एक ठण्डी और गांठदार अंगुली माथा टटोलती है।
सोच में डूबे हुए चेहरों और दरकी हुई जमीन में
कोई फर्क नहीं है।

इस जनवाद की दृष्टि से भारत के शहर भी नहीं बचे। उन्होंने अनुभव किया कि शहर का व्यक्ति बेदर्द, मौकापरस्त, स्वार्थी, अमानवीय और पाश्विक होता है। नगर की विसंगतियों ने कवि को बहुत पीड़ा पहुंचाई। वह बड़े आक्रोश के साथ कहते हैं –

नगर के मुख्य चौराहे पर/शोक प्रस्ताव पारित हुए
हिजड़ों ने भाषण दिए/लिंग बोध पर
वेश्याओं ने कविताए पढ़ी/आत्म शोध पर
प्रेम में असफल छात्राएं/अध्यापिकायें बन गयी हैं।
और रिटायर्ड बूढ़े/सर्वोदयी।

## सामाजिक विसंगतियों के प्रति विद्रोह

जनवादी कवि होने के कारण धूमिल समाज में फैली मूल्यहीनता, स्वार्थ, अहंकार, अवसरवादिता, धर्मान्धता, आदि विसंगतियों के प्रति सजग है। सत्यता यह है कि धूमिल सामाजिक क्रूरता के घेराव में नए मानव मूल्यों से सदैव लड़ते रहे। कलम के सिपाही की हैसियत से उनमें वर्तमान की वस्तुगत स्थितियों की समझ है। इसीलिए वे जन–सामान्य को छोड़कर विद्रोह के रास्ते पर आए। गलत चीजों को सहते रहना व्यक्ति की आदत बनती जा रही है। अतः इस आदत को तोड़ना चाहिए। इसके लिए विद्रोह आवश्यक है –

और यह दीवार तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गयी है।
अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो
मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो
अब वक्त आ गया है कि तुम उठो
और अपनी ऊब को आकार दो।

धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, नारी के प्रति नयी दृष्टि एवं व्यंग्य का तीखापन भी उनकी कविता के विषय रहे हैं।

## व्यवस्था के प्रति क्षोभ

धूमिल जनता–जनार्दन के कवि होने के कारण वर्तमान व्यवस्था के प्रति क्षुभित हैं। उनके काव्य में विद्रोह का स्वर भी इसी कारण से अधिक मुखरित है। वह आज की व्यवस्था की असली तस्वीर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं –

हाँ, यह सही है कि कुर्सियाँ वही हैं
सिर्फ टोपियाँ बदल गयी हैं और
सच्चे मतभेद के अभाव में
लोग उछल–उछल कर
अपनी जगहें बदल रहे हैं।

कवि का विश्वास है कि पूंजीवादी सामाजिक, व्यवस्था और थोथी नैतिकता के रहते मनुष्य का कल्याण सम्भव नहीं है। आर्थिक और सांस्कृतिक विघटन के प्रति कवि की आक्रोशमयी वाणी का आस्वादन कीजिए –

एक सम्पूर्ण स्त्री होने के पहले ही
गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए
उसने जाना कि प्यार
घनी आबादी वाली बस्तियों में
मकान की तलाश है।

धूमिल ने सर्वहारा की जनवादी चेतना को 'मोचीराम' के माध्यम से व्यक्त किया है। 'सुदामा पाण्डेय का प्रजातंत्र' नामक संग्रह की कविताओं से यह तलखी बहुत व्यापक पैमाने पर अभिव्यक्त हुई है। इस संग्रह के टाइटिल पृष्ठ पर उन्होनें एक टुकड़ा दिया है जो अन्ततः इस व्यवस्था के प्रति आशा को निराशा में बदलता दिखायी देता है –

न कोई प्रजा है/न कोई तंत्र है
यह आदमी के खिलाफ/आदमी का खुला षड़यन्त्र है।

कवि को अपने देश के नाम पर धुआं और कुहासा, कुआँ और खाई दिखायी पड़ती है। चारों ओर फूहड़ इरादे दिखायी पड़ते हैं। हर आदमी अपने धन्धे में लगा है। अर्थात् सहानुभूति, प्यार, आत्मीयता, अहिंसा, ईमानदारी, विवेक की आड़ में दूसरे को छल रहा है–

मैंने देखा हर तरफ
रंग–बिरंगे झण्डे फहरा रहे हैं
गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए
गुट से गुट टकरा रहे हैं
वे एक–दूसरे से दांत किलकिल कर रहे हैं।
एक–दूसरे को हुर–हुर, बिल–बिल कर रहे हैं।

धूमिल अपनी कविता में उस आदमी की नीयत को नंगा करना चाहते हैं जो पूरे समुदाय में अपनी गिजा वसूल करता है। वह आदमी तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है वह सिर्फ रोटी से खेलता है। वह आदमी नेता है, अफसर है, पूँजीपति है। उसकी यह इच्छा है –

देश डूबता है तो डूबे/लोग ऊबते हैं तो ऊबें

जनता लट्टू हो/चाहे तटस्थ रहे/बहरहाल,
वह चाहता है/कि उसका स्वास्तिक/स्वस्थ रहे।

वह निरन्तर लोगों को धोखा दिए जा रहा है। विज्ञापनों, नारों और खूबसूरत शब्दों की आड़ में शोषण किए जा रहा है।

## राजनीतिक विसंगतियों के प्रति आक्रोश

धूमिल के लिए राजनीति कठोर सत्य बनकर आयी। राजनीतिक विसंगतियों के जो चित्र धूमिल की कविता में देखने को मिलते हैं, वे मन को कष्ट देते हैं। सत्यता यह है कि उनकी अधिकांश कवितायें व्यवस्था के विरोध में लिखी गयी सच्ची कविताएं हैं। संसदीय राजनीति अर्थात् संसद में चलने वाली राजनीति को सड़क पर लाने वाले धूमिल ही है। उनकी कविता में राजनीति स्पष्ट अवलोकनीय है

ओ, क्रान्ति की मुँहबोली बहन।
जिसकी आँखों में जन्मी है
उसके लिए रास्ता बन।

''धूमिल की कविता सच्चे अर्थो में 'संसद से सड़क तक' और 'संसद' अर्थात् जनता और जनतंत्र की कविता है। इसीलिए उनकी शब्दावली सामाजिक और राजीनतिक चेतना की विद्रूपता में विद्रूप की अभिव्यक्ति के अनुकूल वैसे ही कटु प्रतीत होने वाले शब्दों का चयन भी करती है, जिसका कोशगत अर्थ दुर्लभ है।'' राजनीति ने देश और जनता को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उसमें जन्मी हुई अनुभूति कवि को पीड़ा देती है –

और यह मेरे देश की जनता है/जनता क्या है ?
एक भेड़/जो दूसरे को ठंड के लिए
अपनी पीठ पर/ऊन की फसल ढो रही है।

धूमिल ने युग की राजनीतिक विसंगतियों को सहा था। यही कारण है कि उनकी कविता उनके हृदय के दर्द की सच्ची लिपि प्रतीत होती है। डॉ0 गुरूचरण सिंह के शब्दों में, ''समकालीन भ्रष्ट राजनीति का धूमिल ने अपनी कविताओं में खुलकर चित्रण किया है। जितनी साफ–सुथरी समझ धूमिल को आज की राजनीति की थी, उतनी किसी अन्य विषय में शायद नहीं थी। राजनीतिक विडम्बना उनकी कविता में अभिव्यक्त हुई है। आज की राजनीतिक स्थिति, उसकी विचित्रता ने धूमिल के मन में अनास्था को उपजाया और उसे अभिव्यक्त करने के लिए विवश किया। समकालीन राजनीतिक चेतना का स्वर उसकी कविता में मुखरित हुआ है।

हमारे देश में लोकतंत्र है। इस व्यवस्था का प्राण समाजवाद घोषित किया गया है। परन्तु समाजवाद केवल एक नारा है। इस वाद के नाम पर स्वार्थपरता, दल–बदल, भाई–भतीजावाद, झूठी नैतिकता और चरित्रहीनता का नंगा नाच हो रहा है। कवि की दृष्टि में समाजवाद का यथार्थ रूप देखिए –

समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का
एक आधुनिक मुहावरा है
मगर मैं जनता हूं कि मेरे देश को समाजवाद
मालगोदाम में लटकी हुई
उन बाल्टियों की तरह है जिन पर 'आग' लिखा है।
पर उनमें 'बालू' और 'पानी' भरा है।

धूमिल की दृष्टि में केवल एक शब्द और महज एक खोल है। यह गरीबों का प्रबल विरोधी है। धूमिल के शब्दो में —

और यह पेट है/मैंने उसे सहलाया
मेरा/समाजवाद की भेंट है।

जनवादी कवि धूमिल की दृष्टि से यह नहीं बच पाया कि भारतीय राजीनति भ्रष्ट हो गयी है। उन्होंने देखा कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका भ्रष्टचारियों के हाथों बिकी हुई है। इसीलिए धूमिल अपनी कविता को —

कविता/शब्दों की अदालत में
मुजरिम के कठघरे में खड़े बेकसूर आदमी का/हलफनामा है।

धूमिल ने अनुभव किया कि राजनीति रोटी कमाने का साधन बन गयी है। नेता दिखाने के लिए देशप्रेम की बात करते हैं परन्तु उन्हें देश के कुछ मतलब नहीं होता है। देशप्रेमी तो गरीब और मूर्ख है। धूमिल के शब्दों में —

मैंने भी नक्शे के ऊपर
लाल कलम से जगह घेर दी
और उस सीमा के भीतर
अपने घायल कबूतरों को
फिर से उड़ना सिखा रहा हूं।

प्रजातंत्र या जनतंत्र को जनवादी कवि ने अपनी आंखों से देखा और भोगा। उसकी इस व्यवस्था में आस्था नहीं है। उसका कारण यह है कि कवि इसे आदमी के खिलाफ आदमी का ही रचा षड़यन्त्र मानता है, जिसमें राजनेता ही नहीं सामाजिक दरिन्दे भी शामिल हैं —

ये सब के सब तिजोरियों के/दुभाषिए हैं
वे वकील हैं/वैज्ञानिक हैं/लेखक हैं/कवि हैं/कलाकार हैं।

कवि ने जनतंत्र शब्द का अपनी कविताओं में सबसे अधिक प्रयोग किया है। धूमिल की दृष्टि में यह शब्द जनता को गुमराह करने के लिए उसके बीच नमूने के रूप में फेंक दिया गया है —

और हवा में एक चमकदार गोल शब्द
फेंक दिया है — 'जनतंत्र'
जिसकी रोज सैकड़ों बार हवा होती है
और हर बार
वह भेड़ियों की जुबान पर जिन्दा है।

धूमिल ने 'जनतंत्र के सूर्योदय' नामक कविता में जनतंत्र को एक ऐसा धोखा बताया है जो देश के गरीबों को बहकाने के लिए कायम किया गया है, जिसका कोई अर्थ और उपयोग नहीं है क्योंकि वह साबुत बचा ही नही है —

सिर कटे मुर्गे की तरह फड़कते हुए जनतंत्र में सुबह
सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है।

धूमिल ने प्रजातंत्र की वास्तविकता से पाठकों को परिचित कराया है, यथा —

पेट और प्रजातंत्र के बीच का सम्बन्ध
उसके पाठ्यक्रम में नहीं है।

कवि ने जनतंत्र पर बहुत–कुछ लिखा है, इस व्यवस्था पर चोट करना ही उनकी कविता का मुख्य लक्ष्य था। उनका विश्वास है कि भारत की भोली–भाली जनता जनतंत्र की असलियत से बेखबर है –

दरअसल अपने यहां जनतंत्र
एक ऐसा तमाशा है
जिसकी जान/मदारी की भाषा है।

कवि धूमिल जनतंत्र की विडम्बनाओं से इतने दुःखी थे कि उन्होंने इस दलदल से निकलने के लिए जनता का आह्‌वान किया है –

इसलिए उठो और अपने भीतर/सोए हुए जंगल को
आवाजें दो/उसे जगाओ और देखो
कि तुम अकेले नहीं हो/और न किसी के मोहताज हो।

धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में इस देश की संसद का वास्तविक रूप उजागर कर दिया है –

एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ रोटी से खेलता है/मैं पूछता हूँ –
यह तीसरा आदमी कौन है ? मेरे देश की संसद मौन है।

चुनाव जनतंत्र प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा प्रजातंत्र की सरकार बनती है। साठोत्तरी जनवादी कवियों ने पक्षपातपूर्ण भ्रष्ट चुनाव पद्धति का विरोध किया है। धूमिल ने भी ताजा खबर नामक कविता में चुनाव प्रणाली और झूठे लोकतन्त्र पर व्यंग्य करते हुए लिखा है –

मैं सोचता हूँ अपना परिवार/कल तक–
हम अपने मतदान से बाहर/भरम में
एक हँसते–गाते, पालते–पलाते/लोकतंत्र थे।

नक्सलवाड़ी के किसान व्रिदोह का साठोत्तरी कविता पर गहरा प्रभाव पड़ा। जनवादी कवियों ने इस विद्रोह को अपनी कविताओं में स्थान दिया। धूमिल ने भी अपनी लम्बी कविता पटकथा में लिखा है –

एक ही संविधान के नीचे
भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम
'दया' है और भूख में
तनी हुई मुट्‌ठी का नाम/'नक्सलवाड़ी' है।

धूमिल ने पी0ए0सी0 के विद्रोह पर भी अपनी कलम चलाई। उन्होनें पी0 ए0 सी0 सेना को निहत्थे आदमी और सेना को बड़ी बन्दूक कहा है –

सुबह जब बड़ी बन्दूक/छोटी बन्दूक का नाश्ता कर रही थी
मैंने निहत्थे आदमी को/गांव की तरफ जाते देखा –
पगडण्डी पर खाली हाथ जाते हुए भाई !
क्या तुमने अपनी/वर्दी से बाहर निकलकर

रोटी माँगी थी  या किसी नागरिक प्रत्याशा में
छोटे भाई के सिर पर प्रहार करने से मना किया था ?

धूमिल सच्चे जनकवि थे। अतः उनकी दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं बचा, जिससे जनता का सम्बन्ध हो। उनकी कविता में भाषा आन्दोलन की भी चर्चा है। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक नेताओं ने भाषायी उन्माद को भी अपने स्वार्थ के लिए हवा दे दी। धूमिल ने 'भाषा की रात' कविता में राजनीति के इस दोमुँहे साँप की असलियत बताते हुए लिखा है –

भाषा और भाषा के बीच दरार में
उत्तर और दक्षिण की तरफ
फन पटकता हुआ
दोमुँहा विषधर/रेंग रहा है।

धूमिल जैसे महान कवि की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। उनका चिन्तन राजनीतिक विसंगतियों से कभी समझौता नहीं कर सका। उन्हें आजादी से कुछ अपेक्षाएं थी। परन्तु आजादी तीन थके हुए रंगों का यथार्थ बन कर रह गयी –

क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है
जिन्हें एक पहिया ढोता है
या इसका कोई खास मतलब होता है।

धूमिल ने देखा और अनुभव किया कि मानव के जनतंत्र का शासक वर्ग बड़ा चालाक है। वह शोषण के साथ–साथ उसे छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार भी करता है– 'वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिन्दे फेंकते हैं।' वह अपने खिलाफ उठने वाले विरोध का दमन नहीं करते बल्कि सुविधायें देकर विरोध की आग को दबा देते हैं –

वे जिसकी पीठ ठोकते हैं
उसके रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है
वे मुस्कराते हैं और/दूसरे की आँख में झपटती हुई प्रतिहिंसा
करवट बदलकर सो जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि धूमिल सच्चे अर्थो में जनवादी कवि हैं। उनकी कविता जनता और जनतंत्र की कविता है। उनके काव्य में जनतंत्र विरोध, व्यवस्था के प्रति विद्रोह, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। जनतांत्रिक व्यवस्था पर चोट करना धूमिल की कविता का मूल प्रतिपाद्य या उद्देश्य था। उसमें उन्हें अपार सफलता मिली। सत्यता यह है कि वे अपने समय के ही नहीं हिन्दी के सबसे महत्त्वपूर्ण जनकवि और जनवादी कवि थे।

## संदर्भ

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ0 नगेन्द्र
3. नई कविता की प्रवृत्तियां : डॉ. राजेश चन्द्र
4. नई कविता, प्रयोग और प्रतिमान : डॉ. नामवर सिंह

# अनूठे अज्ञेय

प्रणव शास्त्री
*उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश*

अज्ञेय हिन्दी–साहित्य की महान विभूति हैं। वह स्वयं में एक युग थे। डॉ0 डी. पी. सक्सेना के शब्दों में, ''अज्ञेय नूतन विचारधारा को लेकर चलने वाले कवि ही नहीं, अपितु नूतन काव्यधारा को लेकर चलने वाले कतिपय अन्वेषी कवियों को हिन्दी–पाठकों के सम्मुख लाकर खड़ा करने वाले कवि–नेता भी हैं। भले ही इन अन्वेषी कवियों में से कुछ ने अज्ञेय को अपना नेता नहीं माना है, किन्तु उन्हें सप्तकों के माध्यम से प्रकाश में लाने का काम अज्ञेय ने ही किया है। इस प्रकार अज्ञेय ने ही प्रयोगवादी नयी कविता और नए कवियों की पृष्ठभूमि तैयार की है, उन्हें हिन्दी काव्य–क्षेत्र में पदार्पित होने के लिए प्रेरित किया है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् वे कवितायें, जिनमें परम्परागत मूल्यों के स्थान पर नवीन जीवन–मूल्यों की प्रतिष्ठा हो रही थी और अभिव्यक्ति के नए तौर तरीके विकसित हो रहे थे, नयी कविता की सीमा में आती है। इस दृष्टि से 'इत्यलम', 'हरी घास पर क्षण भर, 'बाबरा अहेरी', 'इन्द्रधनुष रौंदे हुए ये', 'आंगन के पार द्वार', 'कितनी नावों में कितनी बार', 'क्यों मैं उसे जानता हूँ', 'नदी की नोंक पर छाया' आदि अज्ञेय के ऐसे काव्य–संग्रह हैं जिनमें नयी कविता की अनेक भावपक्षीय और कलापक्षीय विशेषतायें दृष्टिगत होती हैं। नयी कविता युगीन भाव–बोध की नयी अभिव्यक्ति है। अज्ञेय का कथन है, ''नयी कविता प्रयोगवाद के विरोध में नहीं आयी, वरन् मुक्त–भाव से आत्मसात् करते हुए उसका आविर्भाव हुआ।'' वास्तविकता यह है कि अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के तो जनक हैं ही, परन्तु नयी काव्यधारा के भी पुरोहित और प्रवर्तक ही नहीं, अपितु कवि, वकील और जज भी है।

## अज्ञेय की कविता में नयी कविता की प्रवृत्तियों या विशेषताओं का समावेश

अज्ञेय के द्वारा सम्पादित तीन सप्तकों में संकलित कवि नयी कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी लेखनी से तो नयी कविता का श्रृंगार किया ही, साथ ही अनेक ऐसे कवियों को हिन्दी की नयी काव्यधारा में प्रतिष्ठित किया, जो आज थाती बने हुए हैं। अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के साथ नयी कविता की विविध प्रवृत्तियों या विशेषताओं को अपने अन्तर में समेटे हुए हैं। संक्षेप में उनके काव्य में पायी जाने वाली कविता की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है –

**1 वैयक्तिकता** – नयी कविता में वैयक्तिा की प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें कवि अपनी निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति को विशेष महत्व प्रदान करता है। यह प्रवृत्ति अज्ञेय में भी देखने को मिलती है।, जैसे –

मैं कवि हूँ
द्रष्टा, उन्मेष्टा
संधाता
अर्थवाद
मैं कृतव्यय।

**2. नया रस–विधान** – नया कवि रस के प्राचीन संकीर्ण अवयवों के बन्धन में नहीं बंधा है। भाव यह है कि नयी कविता में मानव मनोभावों को अभिव्यक्ति मिली है, परंतु उनको परखने के परंपरागत मानदण्ड अब काम नहीं देंगे। यही विशेषता अज्ञेय के रस निरूपण में देखने को मिलती है। उनके विविध रसों के चित्रण में रस का नया विधान देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस की एक झलकी देखिए –

तुम्हारी पलकों का कँपना।
तनिक–सा खुलना, फिर झँपना।
तुम्हारी पलकों का कँपना।
मानो दीखा तुम्हें किसी लजीली कली के
खिलने का सपना।

**3. आस्था और अनास्था के स्वर** – अज्ञेय की कविता में आस्था और अनास्था से भरे स्वर एक साथ देखे जा सकते हैं। जीवन के प्रति आस्था नयी कविता की एक प्रमुख विशेषता है। अज्ञेय का जीवन संघर्षो की कहानी है। उनकी जीवन के प्रति आस्था देखिए –

तुम भले मान लो मुझे अकिंचन
पर क्या मेरी आस्था भी नगण्य है ?
देकर देते–देते चुक जाने पर
वही प्रेरणा देती है। मैं दे सकने को
और नया कुछ रचूँ, फिर रचूँ ? – 'आत्मा बोली'

**4. क्षण का महत्व** – पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रतिपादित अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव के नए कवियों ने क्षण की महत्ता पर विशेष बल दिया है। अज्ञेय ने भी अपनी कविता में क्षण को विशेष महत्व दिया है। यह जीवन के एक–एक क्षण के बोध को सत्य मानकर उसका पूर्ण उपभोग करना चाहते हैं। अज्ञेय जीवन के प्रत्येक क्षण को अमोघ मानते हुए कहते हैं –

क्षण अमोघ है,
इतना मैंने
पहले भी पहचाना है
इसलिए सांझ को
नश्वरता से नहीं बांधता।

**5. लघु मानव की प्रतिष्ठा** – नयी कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। अज्ञेय ने भी टूटन, भटकन और घुटन को अनुभव करते हुए अपने काव्य में अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं, उदाहरणार्थ –

छोटा–सा भी है स्वर रवि का प्रतिनिधि काली तमसा में
रक्षक अथक खड़ा हूँ लेकर उसकी थाती मंजूषा।

**6. वेदना का आग्रह** – अज्ञेय की कविता में वेदना का स्वर विशेष रूप से मुखरित हुआ है। उन्होंने इसे जीवन–दर्शन के रूप में ग्रहण किया है। दर्द या वेदना का एक उदाहरण द्रष्टव्य है –

दर्द कुछ मैला नहीं
कुछ असुन्दर, अनिष्ट नहीं,

दर्द की एक अपनी दीप्ति है
ग्लानि वह नहीं देता।

**7. बौद्धिकता** – नयी कविता आज के बौद्धिक युग से अनुप्राणित है। अतः उसमें बौद्धिकता के तत्व का होना स्वाभाविक है। अज्ञेय भी बुद्धिवादी कवि हैं। उनकी कविता में भावना की अपेक्षा बौद्धिकता की प्रधानता है। बौद्धिकता के समावेश से अज्ञेय की कितनी ही पंक्तियां सूक्ति बन गयी हैं। यथा –

शक्तियों से मैंने बस एक सीख पायी है
जो भरण–धर्मा हैं वे ही जीवनदायी हैं।

**8. जिजीविषा की भावना** – अज्ञेय की कविताओं में जीवित रहने की इच्छा भी अधिक तीव्रता एवं तीक्ष्णता के साथ व्यक्त हुई है। यह प्रवृत्ति नयी कविता में भी उजागर हुई है। अज्ञेय की जिजीविषा की भावना का एक उदाहरण देखिए –

हवा का एक बुलबुला–भर पीने को
उछली हुई मछली
जिसकी मरोड़ी हुई देह–वल्ली में
उसकी जिजीविषा की उत्कट आतुरता मुखर है।

**9. नूतन सौन्दर्य–बोध** – अज्ञेय परम्परावादी कवि नहीं है। वह नवीनता के पुजारी हैं। यही कारण है कि उन्होंने सौन्दर्य चित्रण में पुरानी परम्पराओं का परित्याग किया है। उसके लिए उपमानों और प्रतीकों का आश्रय लिया है। नवीन सौन्दर्य का एक चित्र देखिए –

अगर मैं यह कहूँ
बिछली घास हो तुम
लहलहाती हवा में कलंगी छरहरी बाजरे की ?

**10. नवीन यथार्थ–बोध** – नयी कविता में यथार्थ का स्वर विशेष रूप से मुखरित है। अज्ञेय की कविता में भी नवीन यथार्थबोध के दर्शन होते हैं। वह अपने समाज और राजनीतिक परिवेश के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान यांत्रित सभ्यता का एक यथार्थ चित्र दृष्टव्य है–

यंत्र हमें दलते हैं
और हम अपने को छलते हैं
थोड़ा और खट लो
थोड़ा और पिस लो।

**11. तीखा व्यंग्य** – नयी कविता में व्यंग्य को विशेष महत्ता प्रदान की गयी है। अज्ञेय अपने परिवेश के प्रति बड़े सजग कवि हैं। उनकी दृष्टि से समाज, राजनीति, संस्कृति आदि कुछ भी नहीं बचा है। उन्होनें साफ जुबान में व्यंग्य के ऐसे तीखे प्रहार किए हैं जो पाठक को भीतर तक हिला देते हैं। देश के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के ऊपर एक व्यंग्य देखिए –

जियो मेरे आजाद देश के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों
जो विदेश जाकर विदेशी नंग देखने के लिए पैसे देकर
टिकट खरीदते हो

पर जो घर लौटकर देसी नंग ढकने के लिए
खजाने में पैसा नहीं पाते

सारतः यह कहा जा सकता है कि अज्ञेय के काव्य में जहाँ एक ओर नयी कविता की भावपक्षीय अर्थात् अनुभूतिपूरक प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर नयी कविता की कलापक्षीय या शिल्पगत विशेषताएँ भी पूर्ण रूप से पल्लवित हुई हैं। उसी का परिणाम है कि अज्ञेय ने अपनी कविता में भाषा, शैली, अलंकार, छन्द, बिम्ब तथा प्रतीक–विधान में नवीनता का परिचय दिया है। उनकी भाषा सरल और व्यावहारिक बन पड़ी है। शैली की दृष्टि से अज्ञेय की कविता में प्रवाह और लयात्मकता के दर्शन होते हैं। कवि ने अलंकार प्रयोग में भी नवीनता का परिचय दिया है। अज्ञेय की कविता नूतनता के गुण से ओतप्रोत है। उनके काव्य में नयी कविता के आन्तरिक और बाह्य (भावपक्षीय और कलापक्षीय) दोनों रूप साकार हुए हैं। सत्यता यह है कि अज्ञेय नयी कविता के 'शलाका पुरूष' हैं। डॉ जगदीश गुप्त के शब्दों में, ''मैं अज्ञेय जी को इस तरह केवल प्रयोगवाद का पुरोहित मात्र कहकर मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नयी कविता और नये कवि के स्वरूप, संगठन एवं शक्ति संचय में उनका अद्वितीय योगदान रहा है............। वे स्वयं भले ही कहें कि कविता ने द्विवेदी युग के गुप्त जी और छायावाद के निराला की तरह कोई 'शलाका पुरुष' पैदा नहीं किया परन्तु मैं उन्हें निःसंकोच नयी कविता का 'शलाका पुरुष' कह सकता हूँ।

## सन्दर्भ

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ नगेन्द्र
3. नई कविता की प्रवृत्तियां : डॉ. राजेश चन्द्र

# हिंदी भाषा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृत

अजय कुमार मिश्र
*राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली*

भाषा और उसका साहित्य अपने देश की संस्कृति का अंतः साक्ष्य होता है और भाषा की मौलिकता को महफूज़ रखने की दृष्टि से यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि वक्ता या पाठक जिस भाषा के माध्यम से बोलता या सोचता है, क्या उसी माध्यम में उसे वह कार्यान्वित भी करता है? यदि ऐसा ही करता है तो उसकी भाषा तथा साहित्य जीवंत रहेगा और उसकी भाषा के जरिए उसमें समाविष्ट ज्ञान–विज्ञान की सामग्री जनमानस तक बड़ी आसानी से पहुँच सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि विज्ञान तथा तकनीकी के नये नये इजादों और आयामों को आम आवाम तक परोसने के लिए उसे उस देश की राष्ट्र भाषा में भी लिखा होना चाहिए। यही सबब है कि जापान, जर्मनी, चीन या रूस जैसे देश अपने विदेशी छात्र–छात्राओं को तालीम देने से पहले उन्हें अपने देश की राष्ट्रीय भाषा सिखाते हैं। लेकिन आज मुल्क के तमाम आम जन जीवन के कार्यालयों ख़ास कर विज्ञान तथा तकनीकी महकमे में काम काज का जरिया अंग्रेज़ी भाषा ही है। इस वजह से देश के सुदूर क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी की स्थायी तथा व्यापक प्रभाव से जनता अछूती ही रह जाती है। यह सच है कि संस्कृत इस मुल्क में कभी भी लिंक भाषा नहीं रही। लेकिन इस भाषा का बौद्धिक अवदान बड़ा ही दूरगामी रहा है। लेकिन व्यापक संप्रेषणीयता की लोकप्रियता की कमी के कारण इसमें लिखित ज्ञान–विज्ञान का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योकिं हिन्दुस्तान की तक़रीबन आम जीवन की भाषा हिंदी ही है और इस भाषा में भी संस्कृत भाषा में अंकित ज्ञान–विज्ञान की बातें अनूदित होनी चाहिए। इस पहल को भारतीय भाषाओं विशेष कर संस्कृत साहित्य को सरल, ललित तथा ठोस अनुवाद प्रोद्यौगिकी के मार्फत अमली जामा पहनाया जा सकता है।

यह तथ्य अलग है कि ग्लोबलाइज़ेशन, सूचना प्रौद्योगिकी के घातक दौर (कुछ मायने में) में भाषा और इसकी संस्कृति को निगलने के फिराक में लगा है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चलचित्र या दूरदर्शन ने देश के कोने कोने में हिंदी को पहुँचाया है। इस मायने में हिंदी साहित्य के मीडिया मैन धर्मवीर भारती को भी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने हिंदी धारावाहिकों के जरिए हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाया और चलचित्र ने हिंदी के मामले में उत्तर तथा दक्षिण की भाषायी खाई को क़ाफी पाटा है।

अतः भारतीय भाषाओं में लिखित ज्ञान–विज्ञान खजाना जो मौजूद है उसमें हिंदी भाषा का मेटल डिटेक्टर लगा कर दूर संचार के ध्वन्यांकन या दृश्यांकन के विविध माध्यमों से उन्हें प्रचारित और प्रसारित किया जाय। इस मायने में संस्कृत भाषा में लिखित आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुशास्त्र, कृषि विज्ञान, बागबानी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, नौका विज्ञान, वायुयान विज्ञान और यहाँ तक कि आचार्य भरत के रंगमंच कला विज्ञान आदि से जुड़ी सामग्री विशेष कर पाण्डुलिपियों के सरल और ठोस अनुवाद को, विज्ञान तथा तकनीकी के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाय। ग़ौरतलब है कि प्रबंधन की उच्च स्तरीय पढाई शायद ही हिंदी भाषा में कहीं होती हो। फलतः कस्बा या गाँव के दूर–दराज के इलाकों में जनता इसे ठीक ढंग से नहीं समझ पाती तो वह अपने लघु या

कुटीर आदि उद्योगों में इस विद्या प्रबंधन को कैसे मूर्त रूप दे पाएगी। क्या एक मरीज या कटघरे में खड़े अपराधी को क्रमशः इस बात का हक़ नहीं है कि वह अपने विषय में खुद पढ़ और जान सके कि आखिर उसके विषय में कौन सी जाँच डा. ने लिखी है या जज ने उसे क्या सज़ा सुनाई है अथवा उसका वकील क्या जिरह कर रहा है। जाँच और दवाई का नाम अंग्रेज़ी में लिखा होता है और कचहरी में जिरह भी कमोबेश अंग्रेज़ी भाषा में ही होती है। अतः हमारी राज भाषा जब तक विज्ञान और प्रोद्यौगिकी की भाषा में अपनी बात नहीं बताएगी या समझायेगी तब तक उसका लाभ देश में मुठ्ठी भर लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसका भी ध्यान रहे कि हमें भाषा के क्षेत्रवाद या तत्सम या तद्भव की गुटबाजी से भी बचना होगा। दूरदर्शन, सिनेमा या विशेष कर कार्टून की कुछ भद्दी भाषा से भी बचना होगा। संस्कृत को भारतीय भाषाओं के लिए ऊर्जागृह का काम करना चाहिए। लेकिन इसमें लिखित ज्ञान–विज्ञान को जनता की आम भाषा के जरिए आवाम तक पहुँचाने का भी प्रयास होता रहे। हमें मैकाले की शिक्षा नीति (सन् 1935) तथा आज संगणक से जुड़े हिंदी भाषा में विविध फॉन्टों के भरमार से उत्पन्न अराजकता पर भी ग़ौर फरमाने की ज़रूरत है। जबकि अंग्रेज़ी टंकण के लिए पूरी दुनिया में कोई ख़ास उलझन नहीं दिखता। अतः अंग्रेज़ों द्वारा देश को तोड़ने के लिए यहाँ के भाषा की सहकारी प्रवृत्ति पर कुठाराघात किया गया, वहीं आज भी भूमंडलीकरण के कई खतरों से भी बचने की ज़रूरत है। लेकिन समसामायिक सूचना क्रांति से हिंदी भाषा के माध्यम से संस्कृत की बौद्धिक समिधा को हिंदी की भाषा अग्नि से प्रज्ज्वलित करने की ख़ास ज़रूरत है ताकि भारतीय भाषाओं विशेष कर संस्कृत के साहित्य में निहित ज्ञान–विज्ञान को हिंदी भाषा के जरिये दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। लेकिन भ्रमित अनुवाद के गर्भपात से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाषा रूपी प्रसून में चिंतन पराग की सुरभि होगी तो क्या देशी क्या विदेशी, अपितु भौंरे भी इस पर मँडराने के लिए हिंदी भाषा के अपने डैनों की तलाश में लग जाएँगे।

यह संतोष का विषय है कि महात्मा गांधी हिंदी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा ने दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से प्रबंधन की पढाई शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय ज्ञान–विज्ञान को जनता तक पहुँचाने के लिए यह ज़रूरी है कि समसामयिक विज्ञान तथा तकनीक मसलन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, ई–लर्निंग, ई–लाइब्रेरी, दूरदर्शन तथा चलचित्र आदि माध्यमों से भी राज भाषा हिंदी को समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये।

प्रस्तुत शोध विषय हिंदी भाषा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृत के मामले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु की वह बात याद आती है जिसमें उन्होंने आज से तक़रीब़न पचहत्तर साल पहले कहा था कि – इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति इत्यादि पर हमारी भाषाओं में माकूल पुस्तकें बहुत कम हैं। (हिन्दुस्तान, 14 सिंतबर 2012, दिल्ली।)। उस दृष्टि से आज भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती है। लेकिन विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को योगदान को लेकर जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है उसे भारतीय वाङ्मय विशेषकर संस्कृत सामग्री को हिंदी भाषा के माध्यम से उजागर करने की दृष्टि से एक बड़ा ही मानीखेज़ माना जा सकता है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि विकास को सही मायने में वैज्ञानिक नजरिये से ही कोणे–कोणे तक पहुँचाया जा सकता है। यहाँ पर ख़ास कर के इस तथ्य पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संस्कृत भाषा के विषय में जो यह अवधारणा बना दी गयी है कि इसका दायरा पूजा या मंदिर तक ही सीमित है उसका भी समाधान थोड़ा खोजा जा सकता है। सच तो यह है कि संस्कृत वाङ्मय में अर्चना आदि से जुड़ी सामग्री तो संभवतः 10 प्रतिशत से भी अधिक नहीं होगी। आचार्य पाणिनि ने जो संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा का ईजाद किया और हमारे ऋषि–मुनियों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, शरीर वैज्ञानिकों, खगोलशास्त्रियों तथा कृषि और बागवानी वैज्ञानिकों आदि की ऐसी उम्दा

वैज्ञानिक भाषा में लिखी सामग्रियों से हमलोग सम्यक् रूप से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा सबब यह भी है कि शास्त्र की रक्षा के नाम पर उसके अध्ययन अध्यापन के आयामों को लोकजन्य अभी तक नहीं बनाया जा सका है। और इनका थोड़ा कुछ जो हिंदी आदि भाषाओं में अनुवाद हो भी रहे हैं तो उनमें अधिसंख्य को भाषिक दृष्टि से सही मायने में परकाया प्रवेश नहीं माना जा सकता है। मसलन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस का ही हिंदी अनुवाद लिया जाय– सावधान, कार्य प्रगति पर है के वनिस्पत यह किया जाय कि– सावधान, काम चल रहा है, ज्यादा सहज और सरल माना जा सकता है। उसी प्रकार स्टेशन शब्द के लिए लौहपथगामिनी शब्द भी सामान्यतः मन में शब्द के अर्थ को बिम्बित होने में थोड़ा समय ज़रूर लगाता है। भाषाएँ तो जनता बनाती है। इसे सिर्फ़ राजभाषा समिति के साहित्यिक कल कारखानों में नहीं गढ़े जाते हैं। इंजीनियर शब्द तो अभियंता से अधिक ज्यादा लोकप्रिय माना जा सकता है। ग़ौरतलब़ है कि इन दिनों तो कंप्यूटर से जुड़े शब्दावली को भी चीर–फाड़ कर के हिंदी भाषा की पटरी पर ठोक ठाक कर अनुवाद का जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयास को सर्वथा समुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी दार्शनिकता, तहजीब़ तथा उसकी भाषा की अन्तर्रात्मा से जीने का अपना फलसफा होता है। उसकी भाषिक संस्कृति की अन्तः धारा को ठीक–ठाक समझना ही तो परकाया प्रवेश है।

अतः यह बड़ा ज़रूरी जान पड़ता है कि गणित तथा खगोल विद्या में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर आदि वैज्ञानिकों ने दुनिया की मानव संस्कृति के लिए राह दिखाया और चरक तथा सुश्रुत ने जो क्रमशः आयुर्वेद तथा शल्य चिकित्सा में उम्दा योगदान दिया उनकी मौलिकता को महफ़ूज़ रखते हुए हिन्दुस्तान की आम बोल चाल की सरल हिन्दी भाषा में उनका अनुवाद भी होना चाहिए। यह तथ्य भी कोई कम बड़ा यक्ष प्रश्न नहीं है कि विज्ञान या दर्शन की बातों को आम बोल चाल की भाषा में प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति के मिज़ाज़ का अंदाज़ सर्वथा भिन्न ही होता है। कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेज / लैंग्वेजेज टेक्नोलॉजी (भाषा और साहित्य की दृष्टि से) तथा अनुवाद प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यहीं पर एक दूसरे के लिए परकाया प्रवेश का मामला काफ़ी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से आपस में अपना तालमेल ज़ायज़ ढंग से बैठा ले तो संस्कृत वाङ्मय में निहित विशालकाय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के योगदानों को विश्व के सामने बड़े ठीक ढंग से उपस्थित किया जा सकता है। भारत सरकार के पूर्व विज्ञान एवं तकनीकी सलाहकार तथा संस्कृत और विज्ञान की दुनिया के बहुचर्चित विद्वान् प्रो. ओम् प्रकाश पाण्डेय जी की बातें माने तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक के दशमलव के मूल सिद्धांत को जर्मनी भाषा में प्लेगेरिज़्म के जरिए अनुवाद करके नोबल पुरस्कार को झटक लिया। अतः अपनी बातों को पुख़्ता और ठोस ढंग से रखने में उस मुल्क की राष्ट्रीय भाषा की अहम भूमिका होती है। या तो आपकी भाषा ऐसी हो जिसे समूची दुनिया गले लगाती हो। आर्यभट्ट अपनी किताब में डंके की चोट पर स्वीकार करता है कि उसने जो सिद्धांत का ईजाद किया है उसे उसने अपने पिता तथा भारतीय परंपरा के विमर्श से सीखा है। इससे भी गणित विज्ञान की दुनिया में भारतवर्ष की सुदीर्घ परंपरा के योगदानों की कड़ी जुड़ती है। ग़ौरतलब़ है कि यूरोप वाले दशमलव गणना में संख्याओं को अरबी संख्या मानते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अरब के दार्शनिक इसे हिंदू संख्या कहते हैं। इस हक़ीक़त को जानने कि लिए इस तथ्य पर ग़ौर फ़रमाया जा सकता है कि उर्दू, अरबी तथा फारसी भाषाएँ दाहिने से बाएँ की ओर लिखी जाती हैं। लेकिन यदि हम इस भाषाओं को जानने वालो से कोई संख्या लिखने को कहें तो वे बाएँ से दाहिने की ओर लिखेंगे अर्थात् ये संख्याएँ अपने ही मुल्क भारत से गयी और अरब के लोगों ने इसकी नकल की। अतः ग्लोबलाइज़ेशन के इस ख़तरनाक दौर में भाषा के नाम पर जो आर्थिक और सांस्कृतिक आक्रमण की भीतरघाती मुहिम चल रही है उससे बचते हुए अपनी मौलिकता को सारे जमाने के सामने

उन्मीलित करना पड़ेगा अन्यथा विदेशियों द्वारा पेटेंट का घपला छुपा नहीं है। अतः यहाँ भाषाविदों, भाषा वैज्ञानिकों तथा साहित्यकारों का जितना उत्तरदायित्व है उससे तनिक भी कम वैज्ञानिकों का नहीं। तभी हम अपनी बातें सटीक और अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।

संस्कृत शास्त्र की रक्षा सबसे ज़रूरी है। लेकिन इसका भी ध्यान रहे कि उस शास्त्र में निहित ज्ञान विज्ञान को जनमानस के हित में आखिर कैसे पहुँचाया जाय? वह भी अर्थ स्खलन के बिना, इसके लिए भाषा का सधा और ठोस लेकिन सहज होना बहुत ज़रूरी है। अतः यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ सिर्फ़ इसके वैज्ञानिक आविष्कारों से ही नहीं सीमित समझा जाय अपितु भाषा तथा इसके शास्त्र की भाषा संरचना तथा विवेच्य शक्ति की जो वैज्ञानिक शैली है उस दृष्टि से भी इसका वैज्ञानिक नजरिया समझा जाना चाहिए। इस मामले में संस्कृत की भाषा संरचना का विश्व में कोई सानी है। जहाँ तक बात रही न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा जैसे दर्शन विधाओं की बौद्धिक परंपरा और विश्व को इसके योगदान की, वह भी कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रहे भरतीय परम्परा में नास्तिक मत वालों को भी कभी नहीं नकारा गया। इसके कारण ज्ञान का हमेशा परिमार्जन तथा परिवर्द्धन होता रहा और बौद्धिक चिंतन की यह सुदीर्घ परंपरा आज भी प्राचीनतम से आधुनिकतम कड़ी तक जुड़ती मालुम पड़ती है। चिंतन की यही कड़ी वैज्ञानिक सोच की भी पुष्टि करती है। भारतीय दर्शन परंपरा ने अपनी परंपरा को बलात् किसी पर कभी नहीं थोपा है। लेकिन याद रहे बाइबिल को खण्डन करने के इल्ज़ाम में गैलेलियो को खूब़ तबाह किया गया। सुश्रुत दुनिया के अपने नामचीन ग्रंथ सुश्रूत संहिता में लिखता है कि विज्ञान के विकास के लिए वाद, विवाद तथा विमर्श बड़ा आवश्यक होता है। ग़ौरतलब़ है कि यह तथ्य प्राचीन भारत का कोई दार्शनिक या इतिहासकार नहीं कहता है। बल्कि एक चिकित्सक कहता है जो शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। उन्हें तो आज के प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक माना जाना सर्वथा उचित ही जान पड़ता है। चरक भी अपने चरक संहिता में औषधियों के आतंरिक प्रभाव तथा संरचना की जो बात कहता है उसे सिर्फ़ ईलाज के नजरिये से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आज के वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में भी इसे व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए। इसका भी ध्यान रहे कि लंदन के विज्ञान संग्रहालय का एक ऐसा तल है जो दवाओं से संबंधित है। इसमें भारतवर्ष की प्राचीन औषधि क्षेत्र में हुई उत्तरोत्तर प्रगति तथा योगदानों की कहानी को प्रदर्शित किया गया है जिसमें सुश्रुत के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले शल्य औजारों का भी प्रदर्शन है। यह संग्रह प्रदर्शनी वाकई में भारत के प्राचीन वैज्ञानिक योगदान का चमकता स्तंभ है। यहाँ भारतीय बौद्धिक चिंतन की वैज्ञानिकता तथा उसको अभिव्यक्त करने की सम्यक् दृष्टि के बारे में आचार्य गौतम के न्यायसूत्र को भी नहीं भूलना चाहिए कि जिसमें वाद, जाप तथा वेदांत के जरिये चिंतन की संभावना उत्तरोत्तर बरकरार रखी जाती है। वाकई में न्याय और वैशेषिक दर्शनों में भी बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। न्यायदर्शन तो तर्क और अनुभव के अभाव में कुछ भी नहीं मानता जिसे नितांत ही वैज्ञानिक सोच कहा जाना चाहिए। वैशेषिक दर्शन परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत करता है जिसे प्राचीन भारत में भौतिकी के नाम से जाना जाता था। सांख्य दर्शन भी सृष्टि प्रक्रिया को लेकर विश्व विज्ञान को एक मौलिक चिंतन देता है। उसी प्रकार न्याय वैशेषिक का यथार्थवाद जहाँ तार्किक तथ्यों की पुष्टि करता है वही इसका दूसरा हिस्सा द्वैतवाद अपने बहुलतावादी चिंतन के जरिए चिंतन में समरसता की महत्ता पर बल देता है। आज के संवाद विहीन समाज के लिए यह एक अति महत्त्वपूर्ण पक्ष है। वही आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत भी बड़ा प्रासंगिक है।

अग्निपुराण में कलयुग, द्वापर, त्रेता तथा सतयुग को चतुर्भुज के रूप वर्णन किया जाना भी भारतवर्ष में काल की अवधारणा तथा गणना का एक अद्भुत वैज्ञानिक आधार है। उसी तरह मार्कण्डेय पुराण में पितरों के प्रति तर्पण और उसका चन्द्रमा की किरणों आदि से संबंध जोड़ना भी खगोलीय ज्ञान को दर्शाता है और विज्ञान भी यहीं आकर आस्तिक होता दिखता है। ध्यान रहे गरूड़ पुराण में भी जीवन

के विभिन्न योनियों विशेष कर गर्भाधान का जो प्रसंग उठता है आज उसे क्रमशः पुनर्जन्म विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान से भी जोड़ा जा सकता है। ब्रह्माण्ड में ओम ध्वनि के होने की बात की पुष्टि हो चुकी है जिसका तार भी कहीं न कहीं अणु परमाणु से जुड़ता है जिसका आज वैज्ञानिक महत्त्व के साथ नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। इसका जवाब संस्कृत भाषा में तफ़्तीश की जा सकती है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जिन भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार खड़ा करती है उन्हें कैसे जिया जाए यह तो साहित्य या कला ही सिखाती है। आध्यात्म तथा विज्ञान में सहकारी भाव का समन्वित चिंतन भारतीय परम्परा में ही है। ईशोपनिषद भी कहता है– तेन त्यक्तेन भुंजीथा : अर्थात् त्यागपूर्ण भाव से उपभोग करो। ऋग्वेद के धनान्नम् सूक्त के हिसाब से मनुष्य की मृत्यु भूख से कम और अधिक खाने से ही अधिक होती है। अतः विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी में नैतिकता की नसीहत की दृष्टि से भी भारत का बहुत बड़ा योगदान है। यह तो सर्वथा युगीन माँग है जिसके अभाव में दुनिया की पूरी संस्कृति ही संकट से घिरी दिखती है। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु को नहीं देखा गया। लेकिन भारतीय दर्शन का महत्त्वपूर्ण पक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा कणों के आधार पर उसका यह निर्णय कि धनात्मक अणुओं के चारों ओर ऋणात्मक अणु चक्कर लगाते हैं, यह भी विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष के महत्त्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। ब्लैकहोल को भी खगोल पिण्डों की गतिशीलता से ही अदाज़ लगाया जा सकता है।

उसी प्रकार स्थापत्य के क्षेत्र की महत्ता विशेष कर दक्षिण भारतीय मंदिरों को देख कर सहज ही ज्ञात की जा सकती है। सम्राट् अशोक कालीन बड़े बड़े पत्थर के पिलर का निर्माण तथा उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई की व्यवस्था भी प्रोद्यौगिकी की दृष्टि से कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ती है। हमारे पुरखों के पास कोई टेलीस्कोप नहीं था। फिर भी खगोलशास्त्र में उनका ज्ञान अद्भुत था। इससे पुष्टि होती है कि इस दिशा में भी हम बहुत आगे निकल चुके थे। नासा की बात माने तो इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ब्रह्माण्ड में आज भी ओम शब्द का गूंज मौजूद है। अतः संस्कृत न केवल एक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक भाषा है, अपितु इसे एक ब्रह्मण्डीय भाषा भी माना जा सकता है। इस दिशा में उत्तरोत्तर शोध तथा संस्कृत में निहित ज्ञान विज्ञान को सरल तथा सहज भाषा के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने से दुनिया की आँखें खुलेंगी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारतीय योगदान प्रकाश में आएगें। जैसाकि संस्कृत भाषा के विज्ञान के सरोकारों के जाने माने विद्वान् डॉ ओम् प्रकाश पाण्डेय अपने महत्त्वपूर्ण आलेख भाषा का अवतरण में खुलासा करते हैं कि जर्मनी के ध्वनि विशेषज्ञों ने यह पाया है कि ऊँ तथा गायत्री मंत्रों के सस्वर उच्चारण से कैंसर की बीमारी में काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है और मंद बुद्धि के लोगों को भी बहुत लाभ हुआ है। आचार्य पाण्डेय जी का यह भी मानना है कि तैत्तिरीय संहिता (1.7) में – आरोगो भ्राजः स्वर्णरो पतंग पटरः ज्योतिशीमान्, विभासः हिरण्यजिह्वस् हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये में जो नौ ऐन्द्र प्राण नामक ऊर्जा विशेष की बात की है, उनको आज के प्रसंग में सूर्य के किरणों के रंगों को क्रमशः लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, पैराबैंगनी तथा रक्तिम लाल से जोड़कर एक नया आयाम खोजा जा सकता है। ग़ौरतलब़ है कि न्यूटन ने सन् 1672 में सबसे पहले कांच के प्रिज्म से सूर्य किरणों को विभाजित कर विबगयोर का सात रंग के क्रम को समझा, जबकि धरती के दोनों तरफ़ से गुजरने वाला अल्ट्रा वॉयलेट (परा बैंगनी) तथा इन्फ्रारेड (रक्तिम् लाल) विकिरणों का रहस्य ऑस्ट्रिया के भौतिकशास्त्री विक्टर हेम ने 1912 ई0 में उजागर कर के सन् 1936 में नोबल पुरस्कार को अपने यश के झोले में डाल लिया। लेकिन यहाँ इस तथ्य को कभी भी नहीं भूला जाना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मण (6/1/11/13–'14 I) जो आठ वसु – फेन, मृद (कीचड़), शुष्क (सूखी परत), पयुश (ऊसर), सिकता (रेत), शर्करा (कंकड़), अश्मा (पत्थर) तथा अयः हिरण्यम् (लौह–स्वर्ण आदि धातु) की बात कहता है उसका यहाँ बड़ा ही अर्थपूर्ण महत्त्व है। ग़ौरतलब़ है कि बौद्धिक भाषा के रूप में जितना संस्कृत का महत्त्व है उतना ही संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भी। हिंदी सिनेमा, आकाशवाणी तथा हिंदी गीत इसके जबरदस्त मिसाल हैं। यही कारण

है कि हिन्दुस्तान में कई कंपनियाँ अपने अंग्रेज़ी चैनल्स के साथ तो ज़रूर आयी लेकिन अंततः उन्हें हिंदी चैनल्स का भी आगाज़ करना पड़ा। उसी तरह विदेशी कार्टूनों को भी हिंदी भाषा में तर्जुमा करना पड़ा। कई विदेशी फिल्मों को भी डविंग किया गया है। संस्कृत– हिंदी की गंगा–जमुनी संस्कृति के जरिए भारतीय बौद्धिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के योगदान के तथ्यों को विश्व समाज के आगे रखा जाना अनिवार्य आवश्यकता जान पड़ती है क्योंकि भाषा अपनी संस्कृति की वाहिका होती है और हिन्दुस्तान की भी राष्ट्रीय भाषा के बिना संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को खुलासा नहीं किया जा सकता है और न ही राष्ट्र भाषा की अस्मिता की रक्षा की जा सकती है। लेकिन चीन की मंदारिन भाषा के मिज़ाज़ से भी काफ़ी बचना होगा जिसमें वहाँ सांस्कृतिक क्रांति के पूर्व तमाम भाषाओं को मिला कर यह आधुनिक चीनी भाषा बना दी गयी है। भारतवर्ष तो अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ की लोक संस्कृतियों तथा बोलियों ने राष्ट्र की सांस्कृतिक अटूटता और राष्ट्रीय भाषा के निर्माण में महत्त्व की भूमिका निभायी है। पंडित नेहरु भाषा के स्वभाव तथा लक्षण के विषय में लिखते हैं– हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सभ्य हो और जिसे अधिक से अधिक जनता समझे। इसको हम बैठकर कुछ कोशों या एक दूसरे से मुकाबला करके नहीं बना सकते और न दो–चार साहित्यकार मिलकर ही पैदा कर सकते हैं। (हिन्दुस्तान, 14 सिंतबर 2012, दिल्ली।)।

लेकिन यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाश्चात्य विद्वान् वाल्टर बेंजामिन ने टेक्नोलॉजी के उदय में मनुष्य की मुक्ति का जो सपना देखा था वह कमोबेश टूटता सा दिख रहा है। टेक्नोलॉजी ने ख़तरनाक गुलामी की मानसिकता बना कर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया है। इसके कारण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी बाज़ारवादी होकर पुरुषार्थचतुष्ट्य के सिर्फ़ अर्थ और काम का पक्षधर हो गया है। विज्ञान तथा संस्कृति के संकट के दौर में संस्कृत अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यहा यह तथ्य भी साफ़ कर देना चाहिए कि हिन्दुस्तान के अदब में अकूत वैज्ञाानिक तथा प्रौद्योगिकी से जुड़ी सामग्री है। लेकिन उनका ठीक ढंग से प्रकाश में न आ सकने का बहुत बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ की प्रकृति, ऋतु तथा जलवायु आदि भी विविधता में एकता का भाव संजोये रखी है। यहा कई फसलों या फलों आदि को एक साल में कई बार उगाया जा सकता है, वहीं पाश्चात्य दुनिया में तो तक़रीब़न छः महीनों तक जमीन पर बर्फ़ ही जमी रहती है। यह तथ्य अलग है कि अब यहा आब़ादी का बोझ इस मान्यता को कमजोर कर रहा है। और आने वाले समय में भारतीय वाङ्मय में छुपे ज्ञान–विज्ञान को इसके कारण जम कर खोजबीन का सिलसिला शुरू भी हो जाय। लेकिन इसमें भारतीय नजरिया की मौलिकता को हमेशा महफूज़ रखना होगा और वेद पुराण तथा समरांगन सूत्रधार आदि जो इनवारमेंटल सांइस, जीवन प्रबंधन, कृषि विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा स्थापत्य शास्त्र की जो बात कहता है उसे भी काफ़ी तरजीह देने की ज़रूरत है।

# जापानी आरंभिक शिक्षणार्थियों के लिए अधिक विकसित हिंदी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए कुछ सुझाव

मिकि निशिओका एवं चैतन्य प्रकाश योगी
*ओसाका विश्वविद्यालय, जापान*

## परिचय

इन दिनों जापान में बहुत सारे लोग भारत और भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं। भारत की प्रमुख राष्ट्रभाषा हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी सामग्री है। इसमें से अधिकतर वॉलसॉल मैन के हंस की तरह एक के लिए ज़्यादा और दो के लिए कम जैसी है।

'जापान में हिंदी अध्ययन का लक्ष्य क्या है?' इस आधार पर जापान में उपलब्ध हिंदी शिक्षण सामग्री को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। आधे से अधिक शिक्षण सामग्री (सुविधा के लिए हम उनको यहाँ पाठ्यपुस्तकें कहेंगे) भ्रमण या व्यापार इत्यादि के लिए भारत (विशेषतः उत्तर भारत) की यात्रा करने वाले लोगों के लिए है। सामान्यतया इनका मुख्य उद्देश्य मूल हिंदी भाषी भारतीयों से बात करने के लिए बोलचाल की हिंदी सीखना भर है।

दूसरी ओर जापान में कुछ लोग हिंदी भाषा, साहित्य, भारतीय संस्कृति, और भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास या भारत विद्या जानने के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए हिंदी बोलने या सुनने की सामग्री की अपेक्षा हिंदी में लिखित पठन सामग्री की प्राथमिकता अधिक है। इनके लिए पाठ्यपुस्तकों की संख्या शिक्षणार्थियों की संख्या की तुलना में कम है। कुछ मूल अँग्रेज़ी भाषी लेखकों द्वारा अँग्रेज़ी में लिखित पाठ्यपुस्तकें भी इनके लिए उपयोग की जाती है, जिनमें से अधिकतर भाषा वैज्ञानिक तकनीकी पदों से भरी हैं।

एक और प्रकार मूल हिंदी भाषी विद्वानों द्वारा लिखित पाठ्यपुस्तकों का है। इनमें से अधिकतर या तो मूल हिंदी भाषी शिक्षणार्थियों के लिए लिखी गई हैं या हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में नहीं, बल्कि द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने वाले शिक्षणार्थियों के लिए लिखी गई हैं।

## जापान में उपलब्ध हिंदी पाठ्यपुस्तकें

मुख्यतः जापान में 15 प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें हैं। इनमें से कुछ पाठ्यपुस्तकें निम्नलिखित हैंः–
(जापानी भाषा में पाठ्यपुस्तकें)

1. *Hindi-go kaiwa renshuu-chou*. Tokyo: Daigaku shorin, 1979.
2. *Kiso Hindi-go*. Tokyo: Daigaku shorin, 1986.
3. *Express Hindi-go*. Tokyo: Hakusuisha, 1986.[1]
4. *Jitsuyou Hindi-go kaiwa*. Tokyo: Daigaku shorin, 1993.
5. *Kousureba hanaseru Hindi-go*.Tokyo: Asahi shuppansha, 2001.
6. *Tabi no yubisashi kaiwa shuu 22 Indo (Hindi-go)*. Tokyo: Jouhou Center Shuppankyoku, 2001.
7. *Hajimete no Hindi go*. London: eurotalk interactive, 2002.

8. *Kototabi Hindi-go*. Tokyo: Hakusuisha, 2003.
9. *Newexpress Hindi-go*. Tokyo: Hakusuisha, 2008.
(अँग्रेज़ी भाषा में पाठ्यपुस्तकें)
10. Outline of Hindi Grammar. Oxford: Oxford University Press, 1995.
11. Teach Yourself Hindi: Complete Course. Teach Yourself, 2003.
12. Teach Yourself Get Started in Hindi (Teach Yourself Beginner's Languages). Teach Yourself Books, 2010.[2]
(हिंदी में पाठ्यपुस्तकें)

अधिसंख्य हिंदी पाठ्यपुस्तकें मूल हिंदी भाषी लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। ये मूलतः प्रथम भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले बच्चों के लिए हैं। कुछ जापानी या भारतीय शिक्षक इन पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले पूर्ण आरंभिक शिक्षणार्थियों के लिए भी करते हैं। उदाहरणार्थ,उच्च–वा (स्नातक स्तर के विदेशी विद्यार्थियों के लिए उच्चारण–वाचन एवं बाल कवितायें और लघुकथा संकलन),ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फ़ोरेन स्टडीज़ (अब यह ओसाका विश्वविद्यालय में मिल चुका है) द्वारा प्रकाशित एक प्राथमिक पाठ्यपुस्तक है, जिसमें बच्चों की बहुत सारी कविताएँ और छोटी कहानियाँ शामिल हैं। प्रायः इसी तरह की सामग्री मौलिक रूप से भारत में प्रकाशित होने वाले बाल साहित्य (बाल भारती,बालहंस आदि) में मिलती है।

## पाठ्यपुस्तकों की विवेचनाः गुण और दोष

पहले हम जापानी भाषा में लिखी गई पाठ्यपुस्तकों की चर्चा करें। सहज ही जापानी लोगों के लिए लेखक द्वारा जापानी भाषा में व्याख्यायित विषय समझना आसान है। जापान में उपलब्ध इन पाठ्यपुस्तकों पर गौर करें तो उपर्युक्त में से क्रमांक 1,3,4,5,6,7 और 8 पाठ्यपुस्तकें 'हिंदी बातचीत' पर बल देती हैं। इन पाठ्यपुस्तकों का मुख्य अंश यात्रा में परिस्थिति आधारित संवाद और मनोरंजन है। संवाद में आए वाक्यों से संबंधित व्याकरणिक व्याख्या का महत्त्व दोयम है। कभी– कभी व्याख्या भाषा वैज्ञानिक पदों से भरी है जैसे पाठ्यपुस्तक क्रमांक 2,3 और 9। पाठ्यपुस्तक क्रमांक 9 जोकि क्रमांक 3 का संशोधित संस्करण है, के लेखक ने कठिन भाषा वैज्ञानिक पदों को कम करने की कोशिश की है। फिर भी, उन्होंने सहायक क्रिया (copul), कारक (case), कारक चिह्न (case marker/postposition), एवं अपूर्ण कृदंत (imperfect participle) और पूर्ण कृदंत (perfect participle) का प्रयोग किया है, जो अभी भी सामान्य जापानी शिक्षणार्थी के लिए मुश्किल हैं।

प्रारंभ में ही ऐसे पदों को प्रकट करने की यह प्रवृत्ति लातिन, ग्रीक और संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषाएँ सीखने के परंपरागत और रूढ़िवादी तरीके, व्याकरण–अनुवाद सिद्धान्त (Grammar-Translation method) जैसी है। स्पष्ट है कि इनका गंतव्य लक्ष्य भाषा[3] यानि हिंदी में लिखित साहित्य पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना है। इसीलिए पूर्ण आरंभिक शिक्षणार्थी, विशेषतः जो केवल मूल हिंदी भाषियों से बात करना चाहते हैं, वे इस तरीके से हिंदी सीखते हुए सहज महसूस नहीं करते। शायद यह भी एक कारण है कि हिंदी साहित्य पढ़ने या हिंदी भाषा पर शोध करने वाले शिक्षणार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षा यात्रा और मनोरंजन के लिए पाठ्य पुस्तकें अधिक प्रकाशित होती हैं।

अँग्रेज़ी में मूल अँग्रेज़ी भाषी लेखकों द्वारा लिखित पाठ्यपुस्तकों के भी दो प्रकार हैं– एक, जो व्याकरण–अनुवाद सिद्धान्त पर आधारित हैं और दूसरा जो श्रवण–भाषिक सिद्धान्त पर आधारित है। उदाहरणार्थ उपरोक्त सूची का क्रमांक 10 हिंदी के व्याकरणिक नियमों और शब्द भंडार को जानने वालों के लिए लिखित एक प्रारूपिक पाठ्यपुस्तक है। दूसरे शब्दों में पाठ्यपुस्तकों का यह प्रकार मुख्यतः व्याकरणिक नियमों पर ज़ोर देता है, मगर इसमें संवाद के अभ्यास की न्यूनता है।[4] यहाँ सुनने और

बोलने पर बहुत कम और उच्चारण पर लगभग नगण्य ध्यान दिया गया है। इसके विपरीत क्रमांक 11 और 12 पाठ्यपुस्तक सामान्य आरंभिक शिक्षणार्थियों के लिए लिखी गयी हैं जो वाक्य विधान और संवाद से भरी हैं। यहाँ भी लेखक ने यथासंभव तकनीकी पदों का प्रयोग किया है।[5]

इन पाठ्यपुस्तकों की एकमात्र समस्या यह है कि इनमें व्याख्या के प्रकार अलग हैं। अँग्रेज़ी और जापानी की अलग–अलग भाषिक व्यवस्था है। कुछ व्याख्याएँ मूल जापानी भाषियों के लिए अनावश्यक हैं जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रूपांतरण करने पर क्रिया–काल और पुरुसे अन्विति (agreement) 'Ramsaid that hewould go to watch a Hindi film vs. Ramsaid, "I will go to watch a Hindi film"। जापानी भाषा में इस तरह के मिश्र वाक्यों में अन्विति की व्यवस्था नहीं है। इसके विपरीत पाठ्यपुस्तकों में कभी–कभी आवश्यक व्याख्याओं की कमी नज़र आती है। उदाहरण के लिए भारोपीय भाषाओं के विशिष्ट संबंधवाचक सर्वनाम की व्याख्याएं कम मिलती हैं।

मूल हिंदी भाषी लेखकों द्वारा लिखी गई पाठ्यपुस्तकों के बारे में जैसा हमने ऊपर थोड़ा ज़िक्र किया है, ये हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में बोलने वाले बच्चों के लिए लिखी गई हैं। उनके लिए कविता संकलनों के माध्यम से भाषा सीखना आसान होता है। भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य का अवलोकन करते हुए कविता संकलनों की आवश्यकता का तर्क निम्न प्रकार पा सकते हैं:

The Indian literary tradition is the oldest in the world. It is primarily one of verse and essentially oral...

हिंदी साहित्य के बारे में इस तरह कहा गया है:–

Hindi literature started as religious and philosophical poetry in medieval periods in dialects like Avadhi and Brij…

Visual Arts and Literature – Literature

http://india.gov.in/knowindia/culture_heritage.php?id=98

जैसाकि हमने उपर्युक्त वर्णन में देखा, न केवल हिंदी बल्कि समूचे भारतीय साहित्य में पद्य पर बल है। इन पुस्तकों का कविताओं से भरा होना स्वाभाविक है क्योंकि भाषा शिक्षण सहज ही साहित्य से जुड़ा होता है। इसके अलावा, उनका उद्देश्य अ–(मूल) हिंदी भाषियों की आरंभिक आवश्यकता की तरह हिंदी वाक्यों को आत्मसात करने के लिए अभ्यास और संप्रेषण कौशल विकसित करना नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य की अपनी समझ को गहन करने के लिए उच्च शिक्षा में हिंदी पढ़ना है।

यह भी ध्यातव्य है कि रट कर याद करना/सीखना और वाचिकता भारत में शिक्षा की प्रमुख प्रणाली जैसे हैं।[6] इसी कारण सामान्यतया मूल हिंदी भाषी अध्यापक जिनका मुख्य विषय हिंदी साहित्य है, विदेशी भाषा सीखने वालों के लिए भी इस परंपरागत प्रणाली का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनकी शायद यह धारणा है कि चाहे हिंदी शिक्षणार्थी हिंदी भाषी हों या अन्य भाषी हों, याद करने और वाचिक अभ्यास के लिए पद्य ही सुविधाजनक है।[7]

तथापि, यह स्पष्ट है कि पद्य का शब्दक्रम गद्य से भिन्न है। क्योंकि किसी भी भाषा के पद्य में छंदबद्धता के कारण प्रतिलोमिता बार–बार आती है। इसलिए विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले पूर्ण प्रारंभिक शिक्षणार्थी, जिन्हें गद्य का सामान्य शब्दक्रम भी नहीं पता है, को इस तरह की पाठ्य–सामग्री निश्चित ही भ्रमित करती है। यह स्वीकारणीय तथ्य है कि ऐसी सामग्री प्रथम भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले शिक्षणार्थी के लिए उपयोगी है, मगर विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखने वाले जापानी शिक्षणार्थियों के लिए यह तथ्य उपयुक्त नहीं है।[8]

## कुछ सुझाव

जैसे कि हमने चर्चा की है, यद्यपि जापान में बहुत सारी हिंदी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध है, तथापि

उनमें से अधिकतर एक के लिए ज़्यादा और दो के लिए अपर्याप्त जैसी हैं। पूर्ण आरंभिक शिक्षणार्थियों के लिए जो केवल भ्रमण या व्यापार के लिए नहीं बल्कि, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों को अकादमिक स्तर पर समझने के लिए हिंदी सीखना चाहते हैं, अधिक उपयोगी पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए हम दो बिन्दुओं में सुझाव देना चाहेंगे।

पहला, जापान में अहिंदी भाषी जापानियों को पढ़ाते समय हमें परंपरागत हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का भाषाविज्ञान समझाने के लिए तकनीकी पदों के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भाषा विज्ञान या भाषा अनुसंधानों में रुचि रखने वालों के अतिरिक्त सभी पूर्ण आरंभिक शिक्षणार्थी तकनीकी पदों को समझने में उलझ जाएँगे।

दूसरा, हिंदी भाषा की संरचना को प्रकट करना आवश्यक है। विदेशी भाषा के रूप में और शायद द्वितीय भाषा के रूप में भी हिंदी पढ़ाते हुए वाक्य विन्यास समझाना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। जापानी लोग द्वितीय भाषा सीखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि जापान में जापानी ही एकमात्र राष्ट्र भाषा और राजभाषा है। अतः यहाँ भारत की तरह विविधता या बहुभाषिकता की समस्या नहीं है, जिसके कारण वहाँ द्वितीय भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि अँग्रेज़ी समान्यतया जूनियर और हाई स्कूलों में पढ़ाई जाती है, फिर भी यह एक विदेशी भाषा ही है, क्योंकि दैनिक जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है।इसके अलावा जैसाकि हमने ऊपर बताया है, अँग्रेज़ी और जापानी भाषा की भाषिक संरचना बिल्कुल भिन्न है। अँग्रेज़ी मूलतः हिंदी से संबंधित है, क्योंकि दोनों भारोपीय परिवार की भाषाएँ हैं, पर जापानी ऑल्टैक परिवार की भाषा मानी जाती है।

यह विषय प्रकट करते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि यथाशीघ्र जापान में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले आरंभिक शिक्षणार्थियों के लिए अधिक उपयोगी पाठ्यपुस्तक विकसित हो सकेगी।

## संदर्भ


1. Behar, Anurag. “Elemental tensions in education”. liveMint & the Wallstreet Journal, Oct 17, 2012. Available from http://www.livemint.com/Opinion/fygNyp3meWf1D58B6wpl3N/Elemental-tensions.html , accessed Oct 25, 2012.
2. Doi, Hisaya (ed.). Hindi-go kaiwa renshuu-chou.Tokyo: Daigaku shorin, 1979
3. Fuller, Chris. “Orality, literacy and memorisation: priestly education in contemporary south India.” LSE Reserach Online [LSE Reserach Online], 2001: pp.1-31.
4. Hajimete no Hindi-go. London: eurotalk interactive, 2002.
5. Okaguchi, Ryouko. Tabi no yubisashi kaiwa shuu 22 Indo (Hindi-go). Tokyo: Jouhou Center Shuppankyoku, 2001.
6. Koga, Katsurou. Kiso Hindi-go. Tokyo: Daigaku shorin, 1986.
7. Satou, Yoshitaka. “Nihon no gaikokugo gakushuu oyobi kyouiku no rekishi-wo furikaeru: nihon no eigo gakushuu oyobi kyouiku mokutekiron saikou”, Gifu joshi daigaku kiyou vol.31. Gifu joshi daigaku, [2002]: pp.43-52.
8. Ishida, Hideaki. Jitsuyou Hindi-go kaiwa. Tokyo: Daigaku shorin, 1993.
9. Kachru,Yamuna. Aspects of Hindi Grammar. New Delhi: Manohar, 1980.
10. Kimura, Muneo (ed.). Kouza nihon-go to nihon-go kyouiku: nihon-go kyouiku norekishi, vol.15. Tokyo: Meiji shoin, 1991.
11. Know India: National Portal of India. Visual Arts and Literature –
12. Literature, available from http://india.gov.in/knowindia/culture_heritage.php?id=98, accessed on Oct 15, 2012.

13. Larsen-Freeman, Diane. Techniques & Principles in Language Teaching. 1st. Oxford: Oxford University Press, 1986.
14. Machida, Kazuhiko. Kototabi Hindi-go. Tokyo: Hakusuisha, 2003.
15. Newexpress Hindi-go. Tokyo: Hakusuisha, 2008.
16. Machida, Kazuhiko & Bhatiya, Tej K. Kousureba hanaseru Hindi-go.Tokyo: Asahi shuppansha, 2001.
17. McGregor, S.R. Outline of Hindi Grammar. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press, 1995.
18. Mikami, Akira. Bumpou shouron shuu. Tokyo: Kuroshio publisher, 1970.
19. Mishra, Ramesh C., & Dasen, Pierre R."The Influence of Schooling on Cognitive Development: A Review of Research in India",Ongoing themes in psychology and culture (Online Ed.). [International Association for Cross-Cultural Psychology], 2004. Available from http://ebooks.iaccp.org/ongoing_themes/chapters/mishra/mishra.php?file=mishra & output = print, accessed on Oct 25, 2012.
20. Okuda, Yasuo & Kokubun, Ichitarou (ed.). Kokugo kyouiku no genri <zoku>. Tokyo:mugishobou, 1966.
21. Tanaka, Toshihiko & Machida, Kazuhiko. Express Hindi-go. Tokyo: Hakusuisha, 1986. (revised as CD Express Hindi-go in 2003.)
22. The Times of India: Bangalore. "Rote Learning Prevalent in Top Schools too". Aug13, 2012, available from http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-13/bangalore/33181988_1_open-book-system-cbse-students, accessed Oct 25, 2012.
23. शर्मा गीता, (संपा.)उच्च.वा ;स्नातक स्तर के विदेशी विद्यार्थियों के लिए उच्चारण वाचन बाल कविताएँ एवं और लघु कथा संकलन),ओसाकाः ओसाका विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, 2005
24. Snell, Rupert. Teach Yourself Get Started in Hindi (Teach Yourself Beginner's Languages). 2nd Revised. Teach Yourself Books, 2010. (The revised version of Teach Yourself Beginner's Hindi published in 2003.)
25. Snell, Rupert&Weightman, Simon. Teach Yourself Hindi: Complete Course. 2nd edition. Teach Yourself, 2003.

# राजभाषा हिन्दी के अन्तर्विरोध

राम प्रताप सिंह
*डी वी पी जी कॉलेज उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश*

राजभाषा किसी भी देश के राजकाज की भाषा होती है। भारत में मुगलकाल में उर्दू फारसी राजकाज की भाषा रही तो अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी। मैकाले ने भारत आकर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जिनमें निम्न स्तर पर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी। भाषा केवल विचार–विनिमय एवं राजकाज तक ही सीमित नहीं होती उसके साथ एक पूरी सांस्कृतिक परम्परा होती है जिसको वह अपने आंचल में समेटे रहती है। प्रत्येक देश में किसी न किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में संवैधानिक रूप से हिन्दी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को राजभाशा का पद प्रदान किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक की भाषा में हो अतः राजभाषा के रूप में हिन्दी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायेगा परन्तु यथा स्थिति लोक सभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संवोधित करने की अनुमति दे सकता है।

धारा 210 के अन्तर्गत राज्यों के विधान मण्डलों का कार्य अपने–अपने राज्य की राजभाषा या हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से सम्बन्धित उपबन्धों की व्यवस्था की गयी है जिसमें राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार की बात कही गयी है।

संवैधानिक रूप से हिन्दी को अनुच्छेद 343 में राजभाषा का पद तो मिल गया किन्तु राजभाषा का गौरव उसे प्राप्त नहीं हो सका। उसके साथ हमेशा छल किया गया। अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गयी कि पन्द्रह वर्षों तक सारे काम अंग्रेजी में किए जायेंगे। यही सबसे बड़ी भूल हो गयी इसी धारा के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया कि 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा और देवनागरी अंकों का प्रयोग किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा।

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 1965 तक हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति, राजभाषा आयोग, संसद और सरकार तथा गृहमंत्रालय के राजभाशा विभाग ने आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश निर्धारित किए जिनके द्वारा राजभाशा हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर प्रान्तों के गठन की जोरदार मांग उठी, जिसके कारण 1956 में भाषायी आधार पर प्रान्त बनाए गए। हर प्रान्त को अपने प्रादेशिक भाषा के विकास की चिन्ता सताने लगी। कुछ दक्षिण भारत के अहिन्दी प्रदेशों खासकर तमिलनाडू के नेताओं ने जनता में यह भ्रम फैलाया कि हिन्दी अगर राजभाषा बन जाएगी तो उनकी प्रादेशिक भाषा का विकास रुक जाएगा और अखिल भारतीय सेवाओं में हिन्दी वालों का बोलबाला हो जाएगा। हिन्दी विरोधियों ने भाषा के आधार

पर राजनीति शुरू की और हिन्दी को पटरानी बना दिया। राजभाषा आयोग (1955) ने जो सुझाव दिए थे, वे मुख्यतः निम्नलिखित हैं–

1. सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है।
2. हिन्दी सर्वाधिक बोली और समझी जाती है। यही सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरो सकती है।
3. पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना चाहिए परन्तु आवश्यकता पड़े तो अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए।
4. चौदह वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दी का ज्ञान करा देना चाहिए।
5. भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिन्दी में किए जाएं।
6. संसद और विधानसभाओं में हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए।
7. उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए।
8. प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाय।
9. यदि एक लिपि रखने का प्रश्न हो तो सभी भाषाओं के लिए एक लिपि रखा जाये।
10. भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

परन्तु खेद है उक्त सुझावों पर भारत सरकार ने हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।

भारत ने गुलामी को एक लम्बे समय तक भोगा है। गुलाम हमेशा शासक की नकल करता है। सम्भवतः यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी सत्ता की भाषा बनी। इसी अंग्रेजी मानसिकता के कारण कहा जाता था कि अंग्रेजी संसार की भाषाओं में सबसे बड़ी भाषा है। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की खिड़की है आदि। डॉ राम विलास शर्मा ने लिखा है कि ''प्रत्येक जाति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक हर तरह की सामाजिक कार्यवाही अपनी भाषा के माध्यम से करे। हर तरह के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में अपनी भाषा का प्रयोग उसकी प्रभुसत्ता की उन्मुक्त घोषणा है। जातीय भाषा का व्यवहार राष्ट्र के स्वाधीन होने की पहचान है। भाषा के समृद्ध या दरिद्र होने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। संसार के किसी भी देश ने किसी समय यह नियम स्वीकार नहीं किया कि विश्व की सबसे समृद्ध भाषा को वह राष्ट्रभाषा बनाएगा। ऐसा नियम होता तो सारे संसार में संस्कृत या लैटिन का ही प्रभुत्व होता।'' निश्चित रूप से अंग्रेजी से अधिक समृद्ध यूरोप में लैटिन भाषा थी किन्तु लैटिन को इग्लैण्ड में राजभाषा नहीं बनाया गया। ऐनी बेसेन्ट ने इण्डिया बाउण्ड एण्ड फ्री में लिखा है।'' जब मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था, तब वह भारत के महान साहित्य को घृणा की दृष्टि से देख रहा था। उसने यह न अनुभव किया कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देकर वह विशाल जनता को अज्ञान के हवाले कर रहा था। किसी देश में राष्ट्रीयता के भाव नष्ट करने का इससे अधिक कुशल उपाय नहीं है कि एक विदेशी भाषा को उच्च वर्गों की भाषा, कानून और अदालतों की भाषा, कालेजों की भाशा बना दिया जाय और सरकारी नौकरियों के लिए उस विदेशी भाषा की जानकारी आवश्यक कर दी जाय।'' यही कारण है कि आज का युवा वर्ग अपनी जड़ो और अपनी सांस्कृतिक विरासत से कटता जा रहा है तथा उसे अपनी भाषा में बात करना अपमान जनक लग रहा है। महात्मा गाँधी ने लिखा है– ''मुझे यह बरदाश्त नहीं होगा कि हिन्दुस्तान का एक भी आदमी अपनी मातृ भाषा भूल जाये, उसकी हंसी उड़ाये उससे शरमाये या उसे ऐसा लगे कि वह अपने अच्छे से अच्छे विचार अपनी भाषा में नहीं रख सकता।''

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। किसी भी राष्ट्र के विकास का मूल उसकी अपनी राष्ट्र भाषा है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। इसीलिए इसे राजभाषा का पद दिया गया, किन्तु स्वतंत्रता के पैसंठ वसन्त बीत जाने के बाद भी आम आदमी को उसकी भाषा में न्याय नहीं मिला। ज्ञान और तकनीकी एक विशेष भाषा के कारण आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। इसी कारण डॉ रामविलास शर्मा लिखते है– ''भारत का भविष्य निन्यानवे फीसदी जनता पर निर्भर नहीं है बल्कि भविष्य निर्भर है डेढ़ फीसदी अंग्रेजी जानने वालों पर जो इस खिड़की से आधुनिक संसार की ओर झाँकते है। वे कहते हैं राजसत्ता जनता के लिए है। जनता राजसत्ता के लिए नहीं है। यह सत्य उनकी समझ से परे है। वे राज्यतंत्र को उसी पुराने नौकरशाही ढंग से चलाना चाहते हैं जिसमें नौकरशाह जनता के नौकर न होकर शाह होते है। आधुनिक युग जनतंत्र का है। जनता अधिक से अधिक शासनतंत्र में भाग लेगी। भाासनतंत्र जनता के उत्पीड़न का यंत्र न होकर सेवा का माध्यम बनेगा। इस भाासन तंत्र में जनता अपनी भाषाओं द्वारा और केन्द्रीय राजभाषा में हिन्दी द्वारा ही भाग ले सकती है।'' वास्तव में अगर राजभाषा हिन्दी या मातृभाषा द्वारा ज्ञान–विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ होता तो एक नए भारत का निर्माण होता जिससे भारतीय प्रजातंत्र की जड़ें और अधिक शक्तिशाली होती और ज्ञान विज्ञान की गंगा समाज के निचले तबके को भी सिंचित करती।

राजभाषा हिन्दी पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह विज्ञान और प्रोद्योगिकी की भाषा नहीं बन सकती। जबकि भारत के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नाम कमाया है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी घूमती है सूर्य स्थिर है। आर्यभट्ट के बहुत बाद कोपरनिकस और गैलेलियो ने यह बात कही। आज पूरी दुनिया में योग का परचम लहरा है। दुनिया आयुर्वेद की ओर भाग रही है। विश्व के बहुत सारे देश रूस, जर्मनी, फ्रांस यही नहीं पड़ोसी चीन भी अपनी भाषा में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में नए–नए कीर्तिमान बना रहे है। वहीं भारत के नीति नियंता भारत में एक अलग प्रकार की वर्णवादी व्यवस्था विकसित कर रहे है जिसमें ज्ञान–विज्ञान मुट्ठी भर लोगों के लिए ही है।

राजभाषा हिन्दी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें जो लिखा जाता है उसका उच्चारण किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता जैसे KNOW- PSYCHOLOGY KNIFE आदि।

कुछ लोगों का तर्क यह है कि हिन्दी का शब्दकोश समृद्ध नहीं है। ऐसे लोग हिन्दी का कभी भला नहीं होने देंगे। हिन्दी में हर सम्बन्धों के लिए अलग–अलग शब्द है जैसे ताऊ, चाचा, फुफा, मामा, ताई, चाची, बुआ, मामी जबकि अंग्रेजी में इनके लिए मात्र अंकल या आंटी का प्रयोग होता है। कुछ लोगों को अंग्रेजी के शब्द अन्तर्राष्ट्रीय लगते है उनके लिए यूरोप की भाषाओं में अलग शब्द है। रूसी में जेट को स्त्रूया कहा जाता है। आक्सीजन के लिए रूसी और जर्मन के अपने शब्द किसेलरोद और जाबर स्टौफ है। नाइट्रोजन के लिए इतावली, फ्रांसीसी और रूसी में अजोत शब्द का प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी और भारतीय भाषाएं भी किसी भाषा से कम नहीं है। वे अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को आत्मसात कर सकती हैं।

राजभाषा हिन्दी पर व्याकरण व लिंग सम्बन्धी कठिनाइयों का आरोप लगाया जाता है। अंग्रेजी भाषा में भी व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयाँ कम नहीं हैं। फिर भी अंग्रेजी प्रेमी देशभक्त अपनी प्रिय भाषा की व्याकरणगत कठिनाइयों से जरा भी विचलित नहीं होते। भाषा का निर्माण किसी अकादमी में नहीं होता न उसका व्याकरण बनाने का काम राजनीतिक चिन्तक करते है। संस्कृत के महान वैयाकरण भी भाषा को व्यवस्थित करने में अपना सानी नहीं रखते फिर भी इस कठिनाई से पार नहीं पा सके।

शत्रु पुल्लिंग, मित्र नपुसंक लिंग वृक्ष जैसा जड़ पदार्थ पुल्लिंग हृदय जैसा कोमल गतिशील अंग नपुसंक लिंग वाण जैसा निर्जीव वस्तु पुल्लिंग है। शरीर जैसा सजीव पदार्थ नपुसंक लिंग है। यही नहीं यूरोप की प्रमुख भाषा लैटिन में भी लिंग भेद वर्तमान है। जनता के लिए दो शब्द है गेन्स (जन) और पोपूलुस पहला स्त्रीलिंग है दूसरा पुल्लिंग है। लैटिन की अधिकारिणी भाषाओं में फ्रांसीसी भाषा भी है– फ्रांसीसी लेाग पर्वत जैसी विशाल वस्तु की स्त्रीलिंग मानते हैं, पुस्तक जैसी छोटी चीज को पुल्लिंग। निश्चय ही हिन्दी व्याकरणिक रूप से भी विश्व की भाषाओं से हीन नहीं है।

राजभाषा हिन्दी के विकास में सबसे बड़ी बाधा हिन्दी को अनुवाद की भाषा बना देना। किसी भी भाषा का विकास उस भाषा में मौलिक सर्जना करके ही होता है। किन्तु यह चिन्ता का विषय है हिन्दी और भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के अनुवाद की भाषा बना दिया गया। इतना ही नहीं उसका अनुवाद इतना क्लिष्ट किया गया जिसके कारण वह अंग्रेजी से भी दुरूह और अग्राहय हो गयी। कहा जाता है कि 'शाखा बहता 'नीर' अर्थात उसी भाषा का विकास होगा जो सरल और सहज हो इसके साथ ही जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी आत्मसात कर ले। जैसे अंग्रेजी ने लैटिन के बहुत सारे शब्दों को आत्मसात कर लिया है। हिन्दी भी अपने परिवेश से शब्दकोश को समृद्ध करती आ रही है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पूर्व जिस हिन्दी ने राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण कर स्वाधीनता का बिगुल बजाया। स्वतंत्रता के पश्चात् वही हिन्दी राजनीति की शिकार हो गयी। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि जिस भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा का पद दिया गया वह दासी हो गयी और भारतीय जनों के लिए एक विदेशी भाषा कण्ठ का हार हो गयी। यद्यपि आज अंग्रेजी का बोलबाला है, फिर भी जन भाषा हिन्दी ही है। हिन्दी राजभाषा के पद पर भले ही आसीन नहीं हो पायी किन्तु आज दुनिया में हिन्दी इन अर्न्तविरोधों में भी विकसित हो रही है। शायद अर्न्तविरोधों में विकसित होना ही उसकी नियति है।

## सन्दर्भ


1. राष्ट्रभाषा की समस्या – डॉ राम विलास शर्मा पृ सं 154
2. राष्ट्रभाषा की समस्या – डॉ राम विलास शर्मा पृ सं 109
3. मेरे सपनों का भारत – महात्मा गाँधी पृ सं 186
4. राष्ट्रभाषा की समस्या – डॉ राम विलास शर्मा पृ सं 109

# राजभाषा हिन्दी में तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान

अन्जु पांचाल
*कालिन्दी महाविद्यालय, दिल्ली*

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हिन्दी में 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता। सबसे पहले सन् 1949 ई. में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में 'नैशनल लैंग्वेज' (National language) के समानान्तर 'स्टेट लैंग्वेज' (State Language) शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि 'राष्ट्रभाषा' (National Language) और 'राजभाषा' (State Language) में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। संविधान सभा की कार्यवाही के हिन्दी–प्रारूप में 'स्टेट लैंग्वेज'(State Language) का हिन्दी–अनुवाद 'राजभाषा' किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। बाद में, संविधान का प्रारूप तैयार करते समय 'स्टेट लैंग्वेज' (State Language) के स्थान पर 'ऑफिशियल लैंग्वेज'(Official Language) भाब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और 'ऑफिशियल लैंग्वेज' का हिन्दी–अनुवाद 'राजभाषा' ही किया गया ('सरकारी' या 'कार्यालयी' भाषा नहीं)। इस परिप्रेक्ष्य में 'राजभाषा' शब्द का तात्पर्य है–राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में भाासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, अतः दूसरे शब्दों में 'राजभाषा' का तात्पर्य है–संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान–मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा।

राजभाषा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास का तात्पर्य इस क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से है दूसरे शब्दों में, राजभाषा हिन्दी के आधुनिकीकरण से है। 'भाषा' के आधुनिकीकरण के दो संदर्भ है–पहला यह कि भाषा आधुनिक प्रयोजनों के अनुकूल विकसित हो तथा दूसरा यह कि भाषा से संबंधित यांत्रिक साधनों का विकास हो। आम तौर पर यांत्रिक साधनों के विकास को तकनीकी विकास तथा भाषिक क्षमताओं के विकास को वैज्ञानिक विकास भी कहा जाता है।

भाषा आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो सके, इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि भाषा आधुनिक जीवन के सारे प्रसंगों को समाविष्ट करती हो। इसका अर्थ यह हुआ कि इन्टरनेट से लेकर मार्केट इकॉनामी तक जितनी स्थितियाँ हमारे सामने हैं, उन सबके लिए हमारी भाषा में सरल तथा सहज शब्द हों। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक प्रशासन तंत्र में जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, उनका विकास हो। तीसरी बात यह है कि भाषा अपने सभी स्तरों पर मानकीकृत हो। इन स्तरों में ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य रचना, लिपि, वर्तनी तथा प्रोक्ति सम्मिलित है। इस विकास के स्तर को छूने वाली भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा जा सकता है।

राजभाषा हिन्दी के वैज्ञानिक विकास का दूसरा प्रमुख कार्य है–पारिभाषिक शब्दों का विकास। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा के आधुनिकीकरण में एक मुख्य समस्या पारिभाषिक शब्दावली के विकास की है क्योंकि उसके बिना कोई भी भाषा विश्व के विकास स्तर के बराबर नहीं चल सकती। हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रयास हुए हैं। सबसे पहले इतिहास में एक प्रसंग मिलता है कि मध्यकाल में शिवाजी के कहने पर रघुनाथ पंत ने राजकीय शब्दावली के निर्माण

का प्रयास किया था। वर्ष 1871 में तत्कालीन बंगाल सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसे यह निश्चित करना था कि विज्ञान एवं विधि आदि क्षेत्रों के यूरोपीय भाषाओं के शब्द भारतीय भाषाओं में किस प्रकार रूपांतरित किए जायें। 1877 ई. में इस समिति के निर्णय को प्रकाशित किया गया। इसके बाद 1898 ई. में 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' ने इसी उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की जिसकी बनाई हुई 'हिन्दी साइंटिफिक ग्लॉसरी' 1901 में प्रकाशित हुई। 20वीं शताब्दी में 'नागरी प्रचारिणी सभा' एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं ने इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त प्रयास किये। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1950 में शिक्षा मंत्रालय ने 'Board of Scientific Terminology' का गठन किया। 1955 में राजभाषा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने दो आयोगों का गठन किया–वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तथा विधायी (शब्दावली) आयोग। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग को विधि क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी विषयों के पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया।

विधायी (शब्दावली) आयोग का काम था कि विधि क्षेत्र में काम आने वाली सभी प्रयुक्तियों को वह हिन्दी में समतुल्य रूप में प्रस्तुत करे। वैज्ञानिक एंव तकनीकी शब्दावली आयोग वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है तथा इसने विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी क्षेत्रों से संबधित कई विषयों की मानक शब्दावली तैयार की है। विधायी (शब्दावली) आयोग, जो कि अब विधि मत्रांलय के एक विभाग के रूप में काम कर रहा है, ने भी विधि क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली का तीव्र विकास किया है। इस संबंध में एक समस्या यह आती है कि केन्द्र सरकार तथा राज्यों की सरकारें कुछ पारिभाषिक शब्दों को लेकर एकमत नहीं हैं। इस वजह से एक ही मूल शब्द के कई हिन्दी पारिभाषिक शब्द बन जाते है। जैसे 'डायरेक्टर' शब्द के लिये निर्देशक, निदेशक तथा संचालक, इसी प्रकार 'लेक्चरर' शब्द के लिये व्याख्याता, प्राध्यापक आदि। इन दोनों आयोगों के प्रयासों से शब्दकोश के स्तर पर सिद्धांततः हिन्दी एक वैज्ञानिक भाषा बन गयी है, किन्तु इन शब्दों के प्रचलित न होने के कारण व्यावहारिक स्तर पर अभी भी स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है।

भाषा की वैज्ञानिकता का तीसरा आधार है अनुवाद कार्य की प्रगति अनुवाद की प्रगति इसलिए आवश्यक है कि संभावनाशील होने के बावजूद ऐतिहासिक कारणों से हिन्दी विश्व स्तर के संदर्भो को अपने आवरण में नहीं समेट सकी है। आज की दुनिया राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर संबद्ध है। ऐसे समय में बाहर की दुनिया की जानकारी तथा उन संदर्भो की अपनी भाषा में अभिव्यक्ति आवश्यक है तथा इस कार्य के लिए अनुवाद की सहायता लेना जरूरी है। अनुवाद की जरूरत प्रशासन में इसलिए भी है कि भारत सरकार अभी द्विभाषिक नीति पर चल रही है। भारत सरकार ने इस संबंध में 'केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो' का गठन किया है जो राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के अधीन कार्य करता है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो लाखों शब्दों का अनुवाद कर चुका है तथा प्रत्येक वर्ष अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है।

राजभाषा विषयक नवीन अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में यांत्रिक उपकरणों के विकास की बहुत बड़ी भूमिका है इस विकास की प्रक्रिया को दो चरणों में बाँटा जा सकता है।

**1.कम्प्यूटर पूर्व यांत्रिकीकरण**:–इसमें टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर व इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर आते है।

**2.कम्प्यूटरीकरण**:–वर्तमान समय में हिन्दी के तकनीकी विकास के कारण कम्प्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। आज सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, इसलिए अब प्रयास किया जा रहा है कि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर उसी प्रकार काम करे जैसे रोमन लिपि के लिए कर रहा है।

1977 तक हिन्दी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। 1977 में हैदराबाद की ई सी आर एल नामक कंपनी ने फोर्ट्रान नामक कम्पयुटर भाषा में पहली बार हिन्दी को कम्प्यूटर पर उतारा। 1980 के आस–पास दिल्ली की डी सी एम नामक कंपनी ने 'सिद्दार्थ' नामक मशीन पर 'शब्दमाला' कार्यक्रम

तैयार किया। यह हिन्दी मशीन द्विभाषी शब्द–संसाधक थी, एक साथ दोनों भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। इसी समय हैदराबाद की सी एम सी नामक कंपनी ने तीन भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी और एक भारतीय भाषा) में शब्द संसाधन के लिए 'लिपि' नामक मशीन तैयार की। इसी तरह कई और कंपनियों तथा राजभाषा विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार किए, जिनमें प्रमुख है –शब्दरत्न, अक्षर, सुलेख आदि।

इस संदर्भ में पुणे स्थित भारत सरकार की कंपनी सी डैक (c-dac-center of developmnt of Advanced computing) का योगदान महत्वपूर्ण है। इस कंपनी ने 1984 के आसपास GIST (Graphic based Indian Standard Terminolagy) नामक तकनीक का विकास किया। 'जिस्ट' एक कम्प्यूटर कार्ड हैं, जिसे कम्प्यूटर में लगा देने पर हिन्दी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कम्प्युटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते है। इसमें सारी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही कुंजीपटल हैं, इसलिए किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में लिप्यंतरण किया जा सकता है। यही नहीं इस कार्ड की सहायता से आँकड़ा संसाधन के कार्यक्रम भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में चल सकते हैं।

हिन्दी के कम्प्यूटरीकरण में कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है जिसमें 'अनुवाद' तथा 'शिक्षण' प्रमुख है। ऐसे कुछ कार्यक्रम विकसित भी हुए है। मोदी जीरोक्स ने ऐसे ही एक कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए एक फोटोकॉपी मशीन बनाई है जो अंग्रेजी के पाठ को हिन्दी में फोटोकॉपी करती है। नए लोग हिन्दी को कम्प्यूटर के माध्यम से सीख सके, इसके लिए 'लीला' नामक एक पैकेज तैयार किया गया है जो उच्चारण, लिपि तथा चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिन्दी का ज्ञान कराता है। अन्य प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रयास 'स्पेलिंग चेकर' (हिज्जे जाँचक) का विकास करना है।

## राजभाषा हिन्दी के तकनीकी भाषा के रूप में नए विकास

1. कुछ समय पहले तक हिन्दी में अपना सिस्टम सॉफ्वेयर (system Software) नहीं था। इस क्षेत्र में (Centre of Development and advanced Computing) C-DAC ने पहल की और 'लीप' (Leap) नामक सॉफ्टवेयर बनाया। इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय भाषाओं के लिए देहरादून में अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया और 15 अगस्त 2004 को ''हिन्दी विंडोज'' नामक सॉफ्टवेयर प्रस्तुत कर दिया।

2. एक आवश्यकता यह थी कि हिन्दी और अंग्रजी के शब्दकोश कम्प्यूटर पर जुड़ सकें। राजभाषा विभाग के तकनीकी विभाग ने 'शब्दिका' नामक सॉफ्टवेयर बनाया जो अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) ने ओपन सोर्सिगं (Open Sourcing) के माध्यम से 'अनुस्मारक' नामक साफ्टवेयर तैयार किया जिसमें हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के परस्पर अन्तरण की सुविधा है।

3. कुछ समय पूर्व एक नई एनकोडिंग प्रणाली विकसित हुई जिसे यूनिकोड (Unicode) कहते हैं। यूनीकोड का अर्थ है सभी संकेतों को एकीकृत करने वाली व्यवस्था। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त बहुत सारे कस्टम या एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर यूनिकोड संगत हो चुके है, जैसे–माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इत्यादि। अब कम्प्यूटर पर सॉफ्टवेयर के सभी कार्य, वर्तनी जाँच कार्य तथा ई–मेल से संबधित समस्त कार्य हिन्दी में ही किए जा सकते है। नई वेबसाइटें भी यूनिकोड पर आधारित हैं, न कि पुराने फोन्ट्स पर। गूगल, याहू, एम एस एन और बी वी सी तो भारतीय भाषाओं में भी यूनीकोड पर आधारित अपनी वेबसाइट जारी कर चुके हैं। यूनीकोड के महत्व को देखते हुए प्रसिद्ध कवि अंशोक चक्रधर ने ठीक ही कहा है–

''सबको प्यारी अपनी भाषा, कम्प्यूटर से जागी आशा,<br>
माँ हिन्दी की मिली गोद है, यूनिकोड का महामोद है।''

4. आज इन्टरनेट की दुनिया में हिन्दी की उपस्थिति बढ़ी है–कुछ एसे पोर्टल उपलब्ध है जो हिन्दी की वेबसाइटों से पाठक को जोड़ते हैं। इनमें प्रमुख है वेबदुनिया.कॉम (Webdunia.com) हिन्दीनेस्ट. कॉम (Hindinest.com) प्रभासाक्षी.कॉम (Prabhasakshi.com) आदि। कुछ साहित्यिक पत्रिकाएँ जैसे हंसमंथली.कॉम (Hansmonthly.com) तद्भव.कॉम भी इन्टरनेट पर उपलब्ध है। इंटरनेट पर अंग्रेजी में बहुत सारे विश्वकोश विद्यमान हैं। एक नया विकास 'विकिपीडिया' अर्थात् ऐसा एनसाइक्लोपीडिया है जो ओपन सोर्सिंग (Open Sourcing) पर आधारित है जिसमें कोई भी इन्टरनेट प्रयोक्ता उसमें सूचनाओं को जोड़ सकता है। हाल ही में हिन्दी में यह व्यवस्था शुरू हुई है। एक प्रसिद्ध विश्वकोश है 'सर्वज्ञ' जो विकीपीडिया पद्धति पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त विकीपीडिया प्रबंधन की ओर से एक औपचारिक विश्वकोश हिन्दी विकीपीडिया भी शुरू कर दिया गया है।

5. ई–कॉमर्स के क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी में कुछ सुविधाएँ उपलब्ध है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे से कोई टिकट खरीदने के लिए उसकी साइट का प्रयोग किया जा सकता है। आई टी सी (ITC) का प्रसिद्ध प्रगल्प 'चौपाल' भारतीय भाषाओं पर ही आधारित है जो लोकभाषा तथा ई–कॉमर्स के सुंदर समन्वय का उदाहरण है। चलभाष (मोबाइल) तकनीक में भी हिन्दी भाषा का प्रयोग होने लगा है। अब मोबाइल उपकरण बनाने वाली कंपनियाँ ऐसे उपकरण तथा सॉफ्टवेयर बना रही हैं जिनमें न केवल सभी विकल्प हिन्दी में आते हैं बल्कि यूनिकोड संगत होने के कारण 'लघु संदेश सेवा' (SMS) का टंकण भी हिन्दी में किया जा सकता है।

6. पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की नीति समन्वयकारी है। इस संदर्भ में आदर्श नीति के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं:

वे शब्द जिनके लिए उपयुक्त शब्द हमारी भाषा में मौजूद हैं उनका अनुवाद किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए Battalion के लिए वाहिनी Calculus के लिए कलन Surgery के लिए शल्य चिकित्सा आदि। यदि अन्य भारतीय भाषाओं से सरल अनुवाद मिल रहा हो तो ग्रहण कर लेना चाहिए उदाहरण के लिए Acknowledgement के लिए 'पावती' शब्द स्वीकार किया गया है जो कि मूलतः मराठी का है।

कहीं–कहीं अंतर्राश्ट्रीय शब्दवली का ग्रहण तो किया गया किन्तु ध्वनि व्यवस्था का अनुकूलन कर–Academy अकादमी Technique तकनीक Tragedy–त्रासदी Comedy-कामदी ध्वनियों का अनुकूलन विश्व की अन्य भाषाओं ने भी अपने अनुसार किया है। उदाहरण के लिए ईरानी भाषा में Television को 'टेलीविज्यों' तथा Radio को 'रादियो' बना दिया गया एवं जापान में Bridge को 'बुरूज्जि' बना दिया इसका लाभ यह है कि विदेशी शब्द भी स्वदेशी प्रतीत होने लगता है।

वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग 5 लाख के लगभग शब्दों का अनुवाद कर चुका है और विधायी शब्दावली आयोग भी विधि क्षेत्र के लगभग सभी शब्दों का अनुवाद प्रस्तुत कर चुका है किन्तु समस्या उनके प्रचलन की है। भाषा का जन्म प्रयोगशाला में नही, समाज में होता है। यदि शब्दों के निर्माण हो जाने के बावजूद उनका प्रचलन न हो तो विकास की संपूर्ण प्रकिया निरर्थक हो जाती है। उदाहरण के लिए कम्प्यूटर के लिए संगणक शब्द का निर्माण तो कर लिया गया किन्तु प्रचलन न होने के कारण विकास की प्रक्रिया को निरर्थक घोषित करता है।

## नई सभावनाएँ

भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में तीसरा स्थान बना चुका है। विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि भारत में अधिक से अधिक निवेश कर रहे है। अपने उत्पादों के प्रसार हेतु हिन्दी का सीखना उनकी जरूरत के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में राजभाषा के विकास की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई सम्भावनाएँ दिखाई दे रही हैं।

# राजभाषा का सफल कार्यान्वयन

अशोक कुमार बिल्लूरे

*इसरो उपग्रह केंद्र, बैंगलूरु*

**सारांश**

संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संघ के कार्यालयों, सरकारी बैंकों एवं उपक्रमों आदि में इसके प्रयोग व सुचारू कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इनके अनुसार सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा हिंदी का कार्यन्वयन करना नितांत आवश्यक हो गया है। किस तरह राजभाषा का सफल कार्यान्वयन किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है।

## परिचय

14 सितंबर 1949 को संघ सरकार द्वारा हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 120, 210 तथा अनुच्छेद 343 से 351 तक सरकारी कामकाज में भाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 351 कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी संघ सरकार की है। संघ सरकार ने राजभाषा विकास की गति की समिक्षा करते हुए विभिन्न कदम उठाए हैं।

## राजभाषा का विकास

सन् 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। जो भाषा के विकास के बारे में कार्य करती है। इसी तरह वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग शब्द के निर्माण पर कार्य करता है। शब्दावली आयोग ने प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने व शब्दों की एकरूपता बनाए रखने के लिए हिंदी–अंग्रेजी एवं अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली बनाई है। शब्दावली आयोग की मंशा है कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग प्रत्येक कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि शब्दों में एकरूपता रहे। कोई भी मंत्रालय/विभाग जब अपनी शब्दावली का निर्माण करता है तो शब्दावली आयोग से परामर्श एवं अनुमति के आधार पर ही इन्हें बनाना चाहिए।

## संसदीय राजभाषा समिति

1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। 1969 में इस समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा। जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने 1960 में आदेश जारी किए। इस समिति ने हाल ही में अपना 9वां प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा है। इसके पहले वाले सभी प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए हैं।

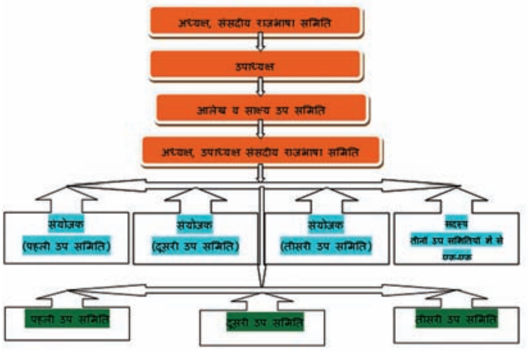

**समिति निम्नानुसार है–**

**पहली उप समिति**

- रक्षा मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- मानव संसाधन मंत्रालय
- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- परमाणु ऊर्जा विभाग
- योजना आयोग
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- जनजातीय कार्य मंत्रालय
- अल्पसंख्यक मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
- विधि और न्याय मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय

**दूसरी उप समिति**

- रेल मंत्रालय
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- नागर विमानन मंत्रालय
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- जल संसाधन मंत्रालय
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- विद्युत मंत्रालय
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- कृषि मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- अंतरिक्ष विभाग
- पर्यटन मंत्रालय

**तीसरी उप समिति**

- वित्त मंत्रालय
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- भारी उद्योग मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- वस्त्र मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
- शहरी विकास मंत्रालय
- श्रम मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- खान एवं खनिज मंत्रालय
- संसदीय कार्य मंत्रालय
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**मौखिक साक्ष्य** पूर्ण समिति द्वारा गणमान्य व्यक्तियों का साक्ष्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।'' आलेख एवं साक्ष्य उप समिति: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से विचार विमर्श करती है। **उप समितियां** केंद्र सरकार के कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों का राजभाषा निरीक्षण करती है।

## राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए गठित समितियां

राजभाषा का कार्यान्वयन सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए निम्न समितियां बनाई गई हैं–

**केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति–** इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं । यह समिति हिंदी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कदम उठाती है ।

**संयुक्त हिंदी सलाहकार समितिः** यह समिति मंत्रालय/विभाग के लिए होती हैं जिसमें संबंधित मंत्रालय के मंत्री अध्यक्ष व लोक सभा व राज्यसभा के 2–2 संसद व संसदीय राजभाषा समिति के 2 नामित सदस्य गैर सरकारी सदस्य/हिंदी विद्वान आदि होते हैं। यह समिति संबंधित विभाग के हिंदी कार्यान्वयन की समिक्षा करने के बाद बेहतर कार्य करने की सिफारिश करती है ।

**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितिः** प्रत्येक नगर जहां 10 से अधिक केंद्र सरकार के कार्यालय हैं वहां समिति गठित की जाती है। नगर के वरिष्ठतम अधिकारी इसके अध्यक्ष व सभी कार्यालय के प्रधान इसके सदस्य होते हैं। नगर में स्थित सदस्य कार्यालयों के कार्य की समीक्षा इसकी बैठकों में की जाती है। सभी कार्यालयों को इसका सदस्य होना अनिवार्य है।

**विभागीय/कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितिः** कार्यालय के प्रधान इसके अध्यक्ष व अन्य अधिकारी (जो राजभाषा कार्यान्वयन करने वाले) इसके सदस्य होते हैं। समिति कार्यालय में हिंदी कार्य की समीक्षा करती है व आगे की तिमाही के लिए दिशा निर्देश भी तय करती है। विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन को गति प्रदान की जाती है।

## प्रशिक्षण

हिंदी में कार्य करने के लिए हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि आदि का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है । हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ के लिए राजभाषा विभाग की साइट www.rajbhasha.nic.in पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन पाठ्यक्रमों की सी डी भी उपलब्ध है जिसे अपने पी सी में लोड करके प्रशिक्षण लिया जा सकता है। उसी तरह केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रचालनीय स्टाफ व जहां हिंदी शिक्षण के केंद्र उपलब्ध नहीं है उनके लिए पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। कई शहरों में स्थित हिंदी शिक्षण योजना के द्वारा हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय व्यवस्था करके या पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है।

## कार्यान्वयन संबंधित रिपोर्ट

राजभाषा कार्यान्यन की समीक्षा करने हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, हिंदी कार्यशाला, हिंदी पखवाड़े एवं हिंदी संगोष्ठी आदि के आयोजन की रिपोर्ट मुख्यालय, नराकास एवं क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यालय को भेजनी होती है।

## विभिन्न समारोहों का आयोजन

कार्यालय में हिंदी का माहौल बनाए रखने एवं राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस उसके साथ हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन करना चाहिए। बीच–बीच में हिंदी में विशेष व्याख्यान, सद्भावना दिवस/सप्ताह, सुरक्षा दिवस/सप्ताह आदि में हिंदी प्रतियोगियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इन प्रतियोगिताओं के लिए नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र आदि का वितरण किया जा सकता है।

साल में कम से कम चार कार्यशालाओं का आयोजन करके कार्यालय में हिंदी कार्य को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी माध्यम में तकनीकी सेमिनार का आयोजन करना भी वांछनीय है।

## प्रोत्साहन योजनाएं

भारत सरकार ने राजभाषा के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं जारी की है।

- हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नकद प्रोत्साहन योजना एवं वेतन वृद्धि।
- हिंदी मूल कामकाज करने के लिए प्रोत्साहन योजना।
- इंदिरा गांधी मौलिक पुस्तक लेखन योजना।
- राजीव गांधी पुरस्कार योजना।

## हिंदी पदों का सृजन

राजभाषा विभाग ने सन् 2004 में प्रत्येक कार्यालय में न्यूनतम हिंदी पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार हिंदी पदों को भरना चाहिए। मंत्रालय/विभाग में 100 या अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर उप निदेशक का पद, यह पद सहायक निदेशक के अतिरिक्त भी हो सकता है। कार्य की मात्रा के अनुसार संयुक्त निदेशक का पद भी सृजित किया जा सकता है। अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या के आधार पर अनुवादक के पद भरे जाने चाहिए।

अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 100 या अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 1 सहायक निदेशक व अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या के आधार पर अनुवादक के पद भरने चाहिए।

हिंदी के पद निर्धारित मानदंड के आधार पर भरने पर कार्यान्वयन आसानी से किया जा सकता है।

## प्रभावी जांच बिंदु

राजभाषा का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए समय–समय पर जांच बिंदु स्थापित करना आवश्यक है। कार्य की समीक्षा करने एवं उसमें वृद्दि करने के लिए निम्न जांच बिंदु स्थापित किए जाएं –

- सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी करना।
- 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य सरकारों को हिंदी में पत्र भेजना।
- 'क' व 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों पर पते हिंदी में लिखना।
- रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी में बनवाना।
- सर्विस बुक में हिंदी में प्रविष्टियां करना।
- विज्ञापन हिंदी में भी जारी करना।
- परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प प्रदान करना।
- पुस्तकों के खरीद की 50 प्रतिशत की राशि हिंदी पुस्तकों पर खर्च करना।
- कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रनिक उपकरण में देवनागरी लिपि में काम करने की सुविधा उपलब्ध कराना।
- धारा 3(3) के दस्तावेज द्विभाषी में जारी करना आदि।

## पत्राचार व फाइलों में हिंदी को बढ़ाना

सरकार ने ''क' 'ख' व 'ग' क्षेत्र में मूल पत्राचार के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2012–13 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनका अनुपालन करना सभी कार्यालयों के लिए अनिवार्य है । उसी तरह प्रत्येक कार्यालय को हिंदी में मूल टिप्पणी के लिए 75%, 50%एवं 30%का लक्ष्य रखा है, जिसे प्राप्त करना होगा।

## वेबसाइट

कार्यालय की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाना व अद्यतन रखना जरूरी है। अतः इसके लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए।

कार्यालय की इन्ट्रानेट साइट होने पर कार्यालय में प्रयोग होने वाले सभी फार्म आदि द्विभाषी में लोड़ करवाए जाएं। उसमें यह व्यवस्था हो कि उन्हें हिंदी में भी भरा जाए। जारी होने वाले सभी परिपत्र आदि द्विभाषी में ही इस में लोड़ करवाए जाएं। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पत्र शीर्ष एवं टिप्णियों को भी रखा जाए ताकि आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारी उनका प्रयोग अपने पत्राचार एवं नोटिंग में करें। कार्यालय में प्रदर्शित होने वाले आज के शब्द व विचार आदि को भी इस में रखा जाए। इस प्रकार की सुविधाएं देने पर कार्यालय में हिंदी में काम को बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

## प्रकाशन सामग्री

कार्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका और टेलीफोन निर्देशिका आदि का प्रकाशन हिंदी एवं द्विभाषी में करवाया जाए।

## फाइलों में हिंदी

कार्यालय का हर काम फाइलों के माध्यम से होता है। अतः फाइल पर लिखी सारी जानकारी अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी में भी हो। फाइल के अंदरूनी हिस्से पर दैनंदिन प्रयोग की जाने वाली आम टिप्पणियों को द्विभाषी में मुद्रित किया जाए ताकि स्टाफ सदस्य लिखते समय हिंदी टिप्पणी का प्रयोग कर सकें।

## वार्तालाप में हिंदी

कार्यालय में यह आदत बनाई जाए कि सभी स्टाफ वार्तालाप में हिंदी का प्रयोग करें। खासकर अधिकारी जब हिंदी का प्रयोग बातचीत में करेंगे तो अन्य स्टाफ उनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में बात करना शुरू करेंगे। इससे बहुत शीघ्र ही कार्यालय में हिंदी का माहौल बन जाएगा। बातचीत में जब हिंदी की झिझक मिटेगी तब लिखने में भी आसानी होगी ।

## कंप्यूटर में हिंदी

कंप्यूटर में हिंदी में कार्य करने की सुविधा सबसे पहले आईआईटी, कानपुर द्वारा सन् 1978 में शुरू की गई। पहले कंप्यूटर पर डॉस आधारित प्रोसेसर से कार्य करना पड़ता था। विंडोज 95 के बाद से सारा कार्य विंडोज वातावरण में किया जाता है। विंडोज वातावरण में कार्य करने के लिए बाजार में अनेक शब्द संसाधक, जैसे–लीप ऑफिस, आकृति ऑफिस, आई एस एम, अंकुर, ए पी एस आदि आए, जिनका प्रयोग होता रहा। प्रत्येक कार्यालय अपनी सुविधा के अनुसार सॉफ्टवेयर लगवाता रहा, अतः किए गए कार्य को एक दूसरे के यहां भेजना टेढ़ी खीर हो गई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वातावरण अलग–अलग होने से जंक कैरेक्टर आने लगे। फांट पढ़ने की सबसे बड़ी समस्या आ गई। तभी अनेक सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने कन्वर्टर (लिप्यतंरण) की सुविधा प्रदान की। उस समय सॉफ्टवेयर खरीद कर लगवाना जरूरी था। इन सबसे निजात पाने के लिए भारत सरकार ने सी डॉक की मदद से भारत की सभी भाषाओं में सॉफ्टवेयर उपकरण विकसित करने का जिम्मा उठाया । संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं के सॉफ्टवेयर अब www.rajbhasha.nic.in या www.ildc.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयरों में टंकण, वर्तनी जांच, लिप्यतंरण, इमेल, ओपन ऑफिस, फांट एवं शब्दकोश आदि अनेक सुविधाएं दी गई है। अपनी आवश्यकतानुसार इन्हें उक्त साइट से डाउनलोड करके या राजभाषा विभाग से सीडी मंगवाकर कंप्यूटर में लोड़ करवाकर हिंदी या अन्य भाषाओं में कार्य किया जा सकता है।

# हिंदी साफ्टवेयर

## यूनिकोड

यूनिकोड वह कोड है जिसमें किसी फांट का निर्माण किया जाता है। इसे विश्व भर में प्रत्येक अनुप्रयोग में प्रयोग किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट नें विंडोज 2000 व तत्पश्चात के सॉफ्टवेयरों में भारतीय भाषाओं को यूनिकोड फांट को इनबिल्ट के रूपमें विंड़ोज रूपांतर में ही लगवा दिया। इन्हें विंडोज को लोड करते समय ही लोड करना पड़ता है। अन्यतः सभी भाषाओं के होने के बावजूद भी इनमें कार्य करना संभव नहीं है। अब बाजार में यूनिकोड को लोड करने के लिए IndicXP_Plus_v1-0,win7HindiIndicInput2_32&bit, win7HindiIndicInput2_64-bit, XP32bitHindi_IME_setup, googlehindiinputsetup, microsofthindisupport आदि अनेक साइट आ गए है। कंप्यूटर के प्रोसेसर के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से इन्हें लोड किया जा सकता है। इंडिक, गुगल, माइक्रोसाफ्ट आदि में इनस्क्रिफ्ट, टाइपराइटर एवं फोनेटिक की बोर्ड की सहायता से टाइप किया जा सकता है। अब तो एडवान्सड फोनेटिक में तो टाइप करना बहुत ही आसान है। पहले अक्षर के टाइप करते ही कंप्यूटर बहुत सारे अनुमानित शब्दों को दिखाने लगता है जिसमें से वांछित शब्द को लिया जा सकता है। प्रत्येक कार्यालय के सभी कंप्यूटरों को यूनिकोड समर्थित करने के लिए सरकार ने आदेश भी जारी किया है। अतः शनै–शनै इस पर प्रत्येक कार्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है।

## श्रुतलेखन साफ्टवेअर

सीडॉक ने हिंदी में श्रुतलेखन (dictation) देने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसे मंगवाकर लोड करने पर श्रुतलेखन की सहायता से कंप्यूटर में हिंदी भाषा के पाठ्य को टंकित किया जा सकता है। थोड़े से प्रयास के बाद इसका सफल उपयोग किया जा सकता है। यह ध्यान रखा जाए कि इसमें यूनिकोड में ही सामग्री प्राप्त होती है।

## मशीनी अनुवाद

मशीन द्वारा अनुवाद के लिए www.rajbhasha.nic.in पर मंत्र साफ्टवेअर से ऑनलाइन या अपने कंप्यूटर पर इसे लोड करके इसकी सहायता से अनुवाद कराया जा सकता है। इसके अलावा गूगल ने अपने साइट पर भारतीय भाषाओं के लिए भी अनुवाद प्राप्त करने की सुविधा अनुवाद (translate) के जरिए दी है। जिसमें स्रोत भाषा से लक्ष्य में अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है। अनुवाद की सुविधाएं अभी परीक्षणाधीन है अतः शत–प्रतिशत परिणाम नहीं मिल पाता है। फिर भी शब्द टंकण से बचने के अलावा थोड़ा बहुत अनुवाद मिल जाता है। जिसे पढ़कर सारगर्भित अनुवाद में परिवर्तित किया जा सकता है।

## शब्दकोश

बाजार में अनेक शब्दकोश उपलब्ध हैं। जो अंग्रेजी और हिंदी के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। राजभाषा विभाग की साइट पर ई–महाशब्दकोश उपलब्ध है जिसका प्रयोग साइट पर जाकर किया जा सकता है। इसमें श्री शीलनिधि गुप्ता की शीलस डिक्शनरी को www.sheelgupta.blogspot.com पर से मुफ्त में डाउन लोड किया जा सकता है। यह शब्दकोश हिंदी–अंग्रेजी एवं अंग्रेजी–हिंदी दोनों रूपांतरों में उपलब्ध है। इसका प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है।

## निष्कर्ष

इस लेख में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा संसदीय समिति, हिंदी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले विभिन्न् कार्य एवं कंप्यूटर के द्वारा हिंदी में कार्य करने संबंधी यथोचित जानकारी दी गई है जिससे कि हम सजग होकर सही मायने में कार्यान्वयन कर सकें।

# राजभाषा की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएँ

कौस्तुभ मणि दिवेद्वी
*पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़*

वस्तुतः जितने व्यक्ति हैं, उतनी भाषाएँ हैं, कारण कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बोलने का ढंग एक सा नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि अंधकार में भी किसी की वाणी सुनकर हम उसे पहचान लेते हैं। यह अंतर केवल बोलने के ढंग में ही नहीं, उच्चारण, शब्द–भंडार, यहाँ तक की वाक्य–विन्यास में भी देखा जाता है। साहित्य में इसी का अध्ययन शैली–विज्ञान के अंतर्गत होता है। प्रेमचंद्र की भाषा, प्रसाद की भाषा से भिन्न है और पंत की भाषा, निराला की भाषा से भिन्न है। हिंदी का प्रयोग तो यों सभी करते हैं, फिर यह अन्तर क्यों ? जो इन लेखकों या कवियों की रचनाओं से परिचित हैं, वे दो चार पंक्तियाँ पढ़ते–पढ़ते ही अचानक कह देते हैं कि यह अमुक की भाषा है। यह इसलिए होता है कि उस भाषा के पीछे उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का यह प्रभाव शिक्षित व्यक्तियों की भाषा में ही नहीं, बल्कि अशिक्षितों की भाषा में भी उसी रूप में पाया जाता है जिसका जैसा व्यक्तित्व है, उसकी भाषा उसी साँचे में ढल जाती है।

इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर भाषा के अनंतरूप हो जाते हैं, वस्तुतः उसके अनंत रूप हैं भी। भाषा के पार्थक्य में उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त इतिहास, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धर्म आदि का भी पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। इसी अनेक कारणों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने भाषा को कई रूपों में विभाजित किया है। जिनमें प्रमुख हैं–मूल भाषा (Parent language), व्यक्ति बोली (Idiolect), स्थानीय बोली (Local Dialect), उपबोली (Sub-Dialect), बोली (Dialect), उपभाषा (Sub-language), परिनिष्ठित भाषा (Standard language), राजभाषा (Official language), राज्य भाषा (state language), राष्ट्रभाषा (National language), गुप्त भाषा (Secret language), कृत्रिम भाषा (Artificial language) आदि। भाषा का इन विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण इसके अनेक प्रकार से उपयोग को देखते हुए किया गया है।

## राजभाषा

राजभाषा के रूप में हिंदी आज जिस स्वरूप में मान्य है। उसे उसके सार्थक उपयोग के रूप में लाना और उसके विकास में निरपक्ष भाव से योगदान देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

## राजभाषा की परिभाषा

किसी देश या प्रदेश के राज–काज या शासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसका अर्थ यह है कि केंद्र अपना कार्य हिंदी में करे, साथ ही विभिन्न प्रदेश शासन–संबंधी आपसी पत्र–व्यवहार या केंद्र के साथ पत्र–व्यवहार हिंदी के माध्यम से करें। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में बहुत कम अंतर पाया जाता है इसलिए इसे समझने में कुछ लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्र राष्ट्रों की दृष्टि से यह बात ठीक भी है, पर परतंत्र राष्ट्रों में इन दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। यदा–कदा आक्रान्ता जब किसी देश पर अधिकार कर लेता है, तब वह अपनी सुविधा के लिए अपनी

भाषा को आक्रान्ता देश पर थोप देता है। परिणामस्वरूप उस देश की संस्कृति, सभ्यता विवश होकर उस भाषा को स्वीकार करती है और यही भाषा कुछ दिनों के पश्चात् राष्ट्रभाषा का पद भी प्राप्त कर लेती है। मुगलकाल में फारसी और अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी भारत में राजभाषाएँ थीं। पाकिस्तान में उर्दू किसी भी प्रदेश की न बोली है और न भाषा ही, किंतु उर्दू को पाकिस्तान में राजभाषा का पद प्राप्त है। ''किसी राष्ट्र के समस्त सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं।''

यदि ये प्रदेश राजनीतिक इकाइयाँ भी हों और उनका सरकारी कामकाज अपनी–अपनी प्रादेशिक भाषाओं में चलता हो, तो वे प्रादेशिक भाषाएँ भी राजभाषाएँ कहलाएँगी, किंतु केन्द्रीय शासन द्वारा प्रयुक्त राजभाषा का महत्व सर्वोपरि होना स्वाभाविक है। राजभाषा के विषय में डॉ दान बहादुर सिंह के अनुसार– ''यह देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इसे अंग्रेजी में Official Language कहते हैं। राजकीय कार्यालयों, राजाज्ञाओं आदि में प्रयुक्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्रभाषा ही प्रायः उसकी राजभाषा होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से वहाँ का राजकार्य चलता है। राजकीय कार्यालयों, लेखों और पत्र–व्यवहार में उसी का प्रयोग होता है। राजाज्ञाएँ उसी में प्रसारित होती हैं।''[1] इस तरह भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनुच्छेद 343 (i) में उल्लेख मिलता है कि हिंदी 15 वर्ष के लिए राजभाषा के रूप में रहेगी उसके बाद राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होगा परंतु ऐसा नहीं हुआ। यही आज भाषागत उठने वाली अनेक समस्याओं का मूल कारण रहा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा का मुख्य भेद निम्न हैं :––

1. राजभाषा देश की प्रशासनिक भाषा होती है, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा प्रयुक्त होने वाली राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क भाषा होती है।
2. राजभाषा की संवैधानिक मान्यता होती है, राष्ट्रभाषा यह पद बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहृत होने के कारण स्वतः प्राप्त कर लेती है।
3. राजभाषा का सम्बन्ध शिक्षित वर्ग से होता है, राष्ट्र भाषा शिक्षित–अशिक्षित सभी वर्गों में लोकप्रिय होती है।
4. राजभाषा मानक भाषा होती है, राष्ट्र भाषा अन्य भाषाओं के क्षेत्रीय प्रभावों को ग्रहण करती है।
5. राजभाषा का राजनीतिक व संवैधानिक महत्व होता है, राष्ट्रभाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती है।
6. एक देश में एक से अधिक राजभाषा हो सकती है, किंतु राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र में एक ही होती है।
7. विदेशी भाषा किसी देश की राजभाषा बनाई जा सकती है, राष्ट्र भाषा देश की कोई स्वदेशी भाषा ही होती है।
8. राजभाषा प्रशासनिक–राजनीतिक सत्ता के उलटफेर में बदली भी जा सकती है, राष्ट्रभाषा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है।

हिंदी देश की राष्ट्रभाषा प्राचीन काल से रही है। जब मध्य काल में फारसी और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी देश की राजभाषा पद पर सुशोभित थीं, तब भी हिंदी राष्ट्र के जन–जन की भाषा थीं। वर्तमान में राजनीतिक कारणों से देश के कई राज्यों में हिंदी राजभाषा नहीं है, तो भी वहाँ के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने में संकोच नहीं करते।

हिंदी के भाषा और समाज के सापेक्ष अंतर संबंध को दर्शाते हुए अज्ञेय जी लिखते हैं कि ''भाषा पूरे मानव समाज की चीज है, उसके किसी एक वर्ग की नहीं। शब्दों की रचना और शब्दार्थ की वृद्धि में भी पूरे समाज का योग होता है। सामान्य प्रयोजनवती भाषा अपने ढंग से बढ़ती है, विज्ञान का मुहावरा और पारिभाषिक शब्दावलियाँ अपने ढंग से विकसित होती हैं। अन्य अनेक शास्त्र अपने ढंग से भाषा

को रचते और समृद्ध करते चलते हैं। संचार–साधन अपने ढंग से भाषा का प्रसार ओर विस्तार भी करते हैं–और साथ–साथ उसका अवमूल्यन भी करते चलते हैं। इस सारी परिवर्तनशील प्रक्रिया के बीच साहित्यकार रचना और संप्रेषण का काम करता है .....साहित्यकार को यह सुविधा जरूर है कि उसका चिंतन केवल वैज्ञानिक तर्क–पद्धति के अनुशासन से बँधा नहीं है, जैसेकि वह केवल दैनंदिन व्यवहार की भाषा से बँधा नहीं है। हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि यद्यपि दी हुई भाषा में पौराणिक शब्दावली अथवा शब्दों के पुराने संस्कार भी आ जाते हैं, तथापि साहित्यकार उनसे बँधा नहीं हैं–उन ऐतिहासिक संस्कारों और अनुगूँजों का वह उपयोग कर सकता है और उसमें अपने चयन–विवेक से भी काम ले सकता है। ऐसा करने में वह न केवल पौराणिक अभिप्रायों को अपने काम में लगा लेता है वरन् उनमें नए अर्थ डाल सकता है। पुराण वह है जो पुराने को नया करता है; साहित्यकार की कल्पना पुराने को भी नया करती चलती है।''[2] इस तरह भाषा पर साहित्य एवं अन्य माध्यमों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिनमें से कुछ का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं–

1. **दूरदर्शन**–दूरदर्शनों के माध्यम से हिंदी जन–जन तक पहुँची है। देशभर में खेलों का 'आखों देखा हाल' हिंदी में सफलता से चल रहा है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले सीरियलों – हम लोग, रामायण, महाभारत, कक्काजी कहिन, विक्रम बेताल, चाणक्य आदि की वजह से हिंदी भारत में ही नहीं अपितु विदेशों तक भी पहुँची है। इसके अतिरिक्त लोक–गीत, लोकनृत्य, कृषि दर्शन, ऐतिहासिक धरोहरों, ज्ञान–विज्ञान, संस्कृति और व्यवसाय आदि की जानकारी भी दूरदर्शन के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाई जाती है। पर कुछ जगहों में मिश्रित भाषा का प्रयोग हिंदी के स्वरूप में विकृति उत्पन्न कर रहा है जो भाषा का विकास नहीं बल्कि भाषा का गलत स्वरूप विकसित कर रहा है।

2. **फिल्म**–हिंदी फिल्मों ने विश्व के काने–कोने में अपनी अपूर्व कला का परिचय दिया है। फिल्मों की प्रसिद्धि और विशेषतः गानों की वजह से केवल अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। हिंदी को जन–जन तक पहुंचाने में फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है।

3. **आकाशवाणी**–राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में रेडियो तथा आकाशवाणी की भूमिका महत्व की रही है। आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाला कोई भी कार्यक्रम दूर–दूर के प्रदेश में एक साथ पहुँचता है। जिस प्रकार देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास 'चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी उसी प्रकार सिलोन केंद्र से हर बुधवार प्रसारित किये जाने वाले 'बिनाका गीत माला' कार्यक्रम को सुनने और आनंद लेने के लिए लोगों ने हिंदी को अपनाया ।

4. **समाचारपत्र**–समाचारपत्रों के माध्यम से भी हिंदी दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुँच जाती है। खासकर राजनीति की खबरों, देश में होने वाले उथल–पुथल, खेल, युद्ध आदि से संबंधित खबरों को ग्रामीण इलाके के लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। आंकड़ों के आधार पर हिंदी में सबसे ज्यादा 15 हजार 670 प्रतियाँ समाचारपत्र की निकलती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदी भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित भाषा है।

5. **विज्ञापन**–हिंदी को जन–जन तक पहुँचाने में विज्ञापनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता को आसानी से समझ में आती है और उसका परिणाम भी बहुत जल्दी होता है। साथ ही विज्ञापनों को देखकर नई–नई वस्तुओं की जानकारी भी लोगों को होती है। विज्ञापनों की भाषा में प्रभाव को व्यक्त करते हुए डॉ मोहसिन खान लिखते हैं कि ''आज कुल विज्ञापनों का 75 प्रतिशत प्रयोग हिंदी भाषा को लेकर हो रहा है। अकेले 'कौन बनेगा करोड़पति' ने मीडिया के क्षेत्र में हिंदी के झण्डे गाड़ दिये हैं। आज सभी चैनल हिंदी भाषा को अपना रहे हैं। यह हिंदी चैनल केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका में भी देखे जाते हैं।''[3] इस तरह विज्ञापन द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार तो हो रहा है पर अपनी सुविधा एवं ग्राहकों को लुभाने के लिए अन्य कई भाषाओं के शब्दों को जोड़कर हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो रहा है जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला।

**6. कंप्यूटर और हिंदी**—कंप्यूटर से अब केवल गणना ही नहीं होती वरन् यह संचार, मनोरंजन, प्रकाशन, संगीत आदि का माध्यम हो गया है। भारतीय भाषाओं विशेषतः हिंदी में कम्प्यूटर पर कार्य करने की प्रथमतः तब आवश्यकता पड़ी जब डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधाओं का भारतीयकरण किया गया। आज हिंदी और सामान्य भाषाओं में विभिन्न प्रकार के सुंदर फॉन्टस हैं। इसके लिए हिंदी के प्रमुख शब्द है प्रोसेसर, आईनीप, विन्की, श्रीलिपि प्रकाशक तथा शब्द भण्डार इत्यादि।

इस तरह कंप्यूटर का आज के सन्दर्भ में हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही इंटरनेट का माध्यम इसे और अधिक सुबोध एवं सरल बना रहा है। पर इसके साथ ही साफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध साहित्य के साथ यह मीडिया कुछ गलत चीजों को भी उपस्थित कर रही है। साहित्य के विषय में इस प्रश्न पर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं—''सिनेमा—दूरदर्शन—केबल के बाद इंटरनेट साहित्य को श्रव्य—पठ्य से अधिक त्वरित चालित छवियों के रूप में उतारने को कृतसंकल्प है। रचना का 'पाठ' अब टी वी स्क्रीन पर सुलभ होगा जो 'पाठक' की इच्छानुसार आगे—पीछे तो किया जा सकेगा, पर पाठक न वहाँ अपना रेखांकन कर सकता है और न हाशिए में अपनी टिप्पणी।''[4] इस तरह भाषा और साहित्य की शुद्धता की ओर थोड़ा सजग रह कर ही हम हिंदी राजभाषा को उसके सही स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए किस प्रकार भाषा का प्रयोग होना चाहिए इस विषय पर अज्ञेय जी लिखते हैं—''भाषा संस्कृति का सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध उपकरण है, क्योंकि इस संगति और सम्बन्ध के बोध का सब से महत्वपूर्ण वाहक है। निःसंदेह नकारात्मक ढंग से बात को यों भी कहा जा सकता है कि भाषा एक बहुत बड़ी विभाजक शक्ति भी हो सकती है। इस नकारात्मक शक्ति के उदाहरण ढूँढने के लिए हमें दूर भी नहीं जाना होगा। लेकिन यह नकारात्मक शक्ति एक संकटग्रस्त अस्मिता बोध से ही उत्पन्न होती है। क्योंकि –'कोई किसी भाषा का है' इसके निर्णय से पहले यह आवश्यक है कि वह भाषा 'उसकी' हो; और यह ममत्व जन्म या व्याकरण के अध्ययन से नहीं आता, भाषा के उपयोग से—जीवित भाषा से आता है। भाषा का उपयोग जितना ही व्यापक और गहरा होता है, उतनी ही भाषा समृद्धतर होती है और अपने व्यवहारकर्ता को समृद्धतर बनाती है। और भाषा का ऐसा प्रयोग काम—चलाऊ, आनुषंगिक, अपधर्मी प्रयोग नहीं है, वैसा प्रयोग नहीं है जो शासक के या लोक—सम्पर्क कर्मचारियों के या व्यवसायियों के या पण्डितों के द्वारा भी किया जा सकता है। भाषा का व्यवहार समृद्धि देने वाला तभी होता है जब उसके साथ लगाव (कमिटमेण्ट) उसी भाषा के माध्यम से अनुभव के प्रति लगाव होता है। ऐसी ही भाषा, ऐसी ही प्रयुक्त भाषा—अनुभव की भाषा—संस्कृति का और अस्मिता का उपकरण होती है।''[5] आज के सामाजिक विकास एवं शिक्षा पद्धति ने राजभाषा के कुछ नये स्वरूप हमारे सामने खड़े किए हैं, राजभाषा के विकास को सही दिशा देने के प्रयास उत्पन्न हो रहे हैं। भाषा का विकास एवं अस्तित्व उनके बोलने वाले लोगों के उच्चारण एवं उपयोगकर्ता की संख्या को आधार बनाकर ही देखा जाता है। इस आधार पर हमारी राजभाषा सभी क्षेत्र में उन्नत है।

## संदर्भ


1. पाठक दानबहादुर, मनहर गोपाल भार्गव, भाषाविज्ञान, प्रकाशन केंद्र, लखनऊ।
2. अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, साहित्य, संस्कृति और समाज परिवर्तन की प्रक्रिया, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, पृ.—87—88.
3. खान मोहसिन सूचना प्रौद्योगिकी—हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, सम्मेलन पत्रिका, सं.—विभूति मिश्र, भाग—97 सं.—3, प्रकाशक—हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, पु.—191.
4. चतुर्वेदी रामस्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, सं.—2002, पु—287
5. अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कवि निकश, प्रभात प्रकाशन, संस्करण—2002, पृ.—133.

# विश्व–प्रगति में भाषा प्रौद्योगिकी और तकनीक की भूमिका

बृजेश कुमार यादव, ओमप्रकाश प्रजापति, तथा कालु लाल कुलमी
*महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र*

विज्ञान के सहारे आज कोई भी समाज अपने को किसी से भी कम नहीं आँक रहा है, ऐसे में भाषा भी प्रौद्योगिकी के साथ ताल से ताल मिलाने में पीछे नहीं। आज जब पूरा विश्व सूचना क्रांति के इस दौर में प्रौद्योगिकी को देखने, समझने, प्रयोग में लाने और विकसित करने में लगा हुआ है, ऐसे में सूचना क्रांति के इस युग में भाषाविदों एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के शोध चिंतन का प्रमुख ध्यान सूचना संप्रेषण, ज्ञान प्रबंधन एवं भाषा संसाधन के अंतः संबंधों पर जाना स्वाभाविक सा हो गया है। जिसके परिणाम स्वरूप एक नया ज्ञानानुशासन 'भाषा प्रौद्योगिकी' उभर कर सामने आया है। भाषा प्रौद्योगिकी, भाषाविज्ञान, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धि (AI) और वाक् प्रौद्योगिकी (Speech Technology) के साहचर्य से बना एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है जो कि भाषाविदों एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल कर काम करने से 'भाषा प्रौद्योगिकी' एक नए ज्ञानानुशासन के रूप में सामने आया जो आज की भाषा एवं तकनीकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर रहा है अर्थात भाषाई कंप्यूटर का रूप मात्र है। 'भाषा प्रौद्योगिकी' भाषा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सम्मिलित रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाने वाला अनुप्रयोग या उपकरण आदि को कह सकते हैं।

इस प्रकर से हम देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धि (AI) की एक शाखा जो कि प्राकृतिक भाषा संसाधन के रूप में विकसित होती है। प्राकृतिक भाषा संसाधन ही नहीं बल्कि प्राकृतिक भाषा समूह ने भी भाषाविज्ञान की कमी को हमेशा महसूस किए। इस संदर्भ में प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक 'मिस्की' ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धि (AI) उस यंत्र से कार्य करने वाली युक्ति है जिसे बुद्धि की आवश्यकता है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासो के संतोषजनक परिणाम नहीं मिले तो उन्हें भाषाविदों की सहायता लेना ही पड़ा, जिसके परिणाम में कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान (CL) का जन्म हुआ। कंपूटेशनल भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का कम्प्युटर में अनुप्रयोग है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों और भाषाविदों के इसी समागम ने तो भाषा–प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। जिसके प्रयोग का क्षेत्र तो सबसे तेजी से बढ़ता नज़र आ रहा है। इसका कारण यह है कि भाषिक नियमों की सहायता से आज नए–नए उपकरणों का विकास सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसलिए भाषा प्रौद्योगिकी के उद्भव के विषय में भी जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर यह अवधारणा आई कहाँ से...? चूँकि अभी भाषा–प्रौद्योगिकी स्वयं अपने–आप में एक नया ज्ञानानुशासन (Discipline) है, ऐसे में इसे समझा पाना खुद मेरे लिए एक बड़ा कार्य है। यद्यपि फिर भी हम इसे एक आरेख के माध्यम से समझाने का प्रयास आगे करेंगे।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धि (AI) का विकास हो जाने के बाद भी वह पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है, जिसका कारण यह नहीं कि हम तकनीक विकसित करने में सफल नहीं हो रहे हैं। तकनीक तो हमने उच्च कोटि की विकसित कर ली है किंतु उसमें भाषा संसाधन व भाषा समझ (NLP - NLU) को उस तकनीक में विकसित नहीं कर पाए जिससे वह मानव कि सहायता कर सके। तभी से कृत्रिम बुद्धि (AI) का विकास करने वाले वैज्ञानिकों ने भाषाविदों की सहायता से

तकनीक में भाषिक ज्ञान का विकास करना भी करना प्रारंभ किया। कंप्यूटर में भाषिक नियमों को जोड़कर एक नया ज्ञानानुशासन विकसित हुआ जो कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान कहा जाता है। कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान के ही अधुनातन (Modern) क्षेत्र भाषाप्रौद्योगिकी में कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म पर भाषा से संबंधित उपकरण (Tools) व अनुप्रयोग (Application) बनाए जा रहे हैं जो कृत्रिम बुद्धि (AI) की सहायता करने में काफी मददगार साबित हुए हैं। विश्व प्रगति में कृत्रिम बुद्धि (AI) को मानव का पर्याय बनाने की बात की जा रही थी लेकिन परिणाम को देख कर लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता किंतु भाषाप्रौद्योगिकी के विकास के बाद से स्थिति बदलती नज़र आ रही है और अब संभावनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषाविज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण क्रम बद्ध रूप से जैसे– स्वन, स्वनिम, रूपिम, शब्द, वाक्य और प्रोक्ति आदि में होते हैं। इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतो का प्रयोग प्रौद्योगिकी से साधनों कंप्यूटर, मोबाइल, रोबोट इत्यादि में करने के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता पड़ी उसे भाषा प्रौद्योगिकी कहते हैं।

भाषाई क्षेत्र में तकनीक के योगदान पर विचार करने के बाद यदि हम उसके अन्य पक्षों पर विचार करें तो हमें ज्ञात होता है कि तकनीक ने जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। आलेख में आगे इसके तमाम पक्षों पर विचार करने की कोशिश की गई है।

तकनीक मनुष्य के जीवन को हर युग में प्रभावित करती रही है। इसका विकास मनुष्य के जीवन में आसानी पैदा करने का महती कार्य करता रहा है। जहाँ इसका विकास नहीं हुआ वह समाज अपने विकास में भी पीछे ही रहा। आज के समाज के लिए तकनीक का उपयोग हर क्षेत्र में अनिवार्य हो गया है। विज्ञान और तकनीक का मानव सभ्यता के विकास में सबसे ज्यादा योगदान है। विज्ञान ने तकनीक का विकास किया और उससे हर क्षेत्र में आसानी हुई। उत्पादन का स्वरूप बदला। खेती किसानी की जगह औद्योगीकीकरण से उत्पाद की प्रक्रिया ही बदल गई। उससे व्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल गया। जिस तरह की कुप्रथाएँ समाज में हैं वह तकनीक से दूर हुई हैं। चाहे मजदूरों का जीवन हो या फिर स्त्री का घरेलू काम हो उसके लिए सुगमता तकनीक से ही संभव हुई। महिलाएं अपने घरों में जितना काम करती है वह श्रम होता है। जिसे घरेलू श्रम कहा जाता है। लेकिन उसे उत्पाद नहीं माना जाता जबकि वह होता उत्पाद ही है। समाज में जिस तरह से परिवर्तन होता है वह पहले के स्वरूप को बदलता है। उससे स्वाभाविक ही लोगों का जीवन बदलता है।

समाज में परिर्वतन के बीच तकनीक का सबसे अहम योगदान रहा है। जहाँ समाज बदलता है वहां समाज का जीवन स्तर बदलता है, जीवन शैली बदलती है, विकास का स्वरूप बदलता है। आनेवाला समय तकनीक और विज्ञान का है। मनुष्य तकनीक के माध्यम से जिस तरह की दुनिया बनाता जा रहा है उसके अपने खतरे भी हैं। तकनीक ने परमाणु बम भी बनाया और तकनीक ने रेल भी बनाई। इतना ही नहीं बाकी और बहुत कुछ बनाया। तकनीक के कारण आदान–प्रदान बहुत आसान हुआ है। तकनीक से समाज में वर्ग भेद और वर्ण भेद में भी दरार पैदा हुई। जिस तरह से विज्ञान के कमाल ने समाज के जीवन को बदला है वह आगे भी उसके जिए काम करता रहेगा। जिस तरह से युद्धों का स्वरूप बदला जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। तकनीक ने क्या नहीं बदला है। आभासी दुनिया पैदा की है। जिसका काम वास्तविक दुनिया में बदलाव करना है। वह लगती तो आभासी दुनिया है पर हमारे आसपास के संसार को बदलने का काम कर रही है। वह हमारे जीवन के तमाम पक्षों को प्रभावित कर रही है। इसलिए जिसके पास अधिक विकसित तकनीक होगी वह हर युग में आगे ही जाएगा। उसका विकास और उसकी गति अन्य की अपेक्षा अधिक ही होगी। यह गति उस समाज का अग्रगामी कदम होगा। जिससे स्वाभाविक ही वह समाज विकास के पैमाने में आगे जाएगा। चाहे

मानवीय विकास में भले ही पीछे हो पर भौतिक विकास उसके पास बहुत ज्यादा और अपने समय के विकास के आगे का विकास होगा। तकनीक का यह भी काम है कि अपने समय की ज्ञान व्यवस्था को सबके बीच लोकप्रिय बनाए, जिससे ज्ञान जन–जन तक जाए तथा उसका लाभ सभी को प्राप्त हो।

तकनीक को लेकर सवाल यही उठता है कि वह किसके हाथ में हैं और उसका प्रयोग कौन कर रहा है? आखिर पावर का खेल कौन खेल रहा है? क्या तकनीक को मनुष्य चला रहा है या मनुष्य को वह चला रही है? सबसे ज्यादा समस्या यही होती है। यही हो भी रही है। जिस तरह की मशीन तकनीक बना रही है वह मजदूर को बेरोजगार या बेकार कर रही है। पर जो भी हो काम आसान कर रही है। सैकड़ो आदमी का काम एक मशीन कर रही है। जिस तरह से तकनीक से सड़क बनाना आसान हो गया उसी तरह से उसपर  यातायात दौड़ाना आसान हो गया। डाक आसान हो गया आसान का अर्थ गति से है, समय की बचत से है। ऐसे में तकनीक को कई तरह से देखा जा सकता है। तकनीक से पढ़ना आसान हो गया। ज्ञान हर आदमी को सहज ही सुलभ हो गया है। यह बहुत बड़ी बात है। ज्ञान पर किसी का भी एकाधिकार समाप्त हो गया है। यह तकनीक से ही संभव हुआ है। अगर तकनीक न होती तो शायद यह संभव हो ही नहीं पाता। यह तकनीक का ही कमाल है कि उसने किसी के विचार को सभी के लिए सुलभ कराया। उसका प्रभाव है कि हर काम आसान हुआ है। लेकिन तकनीक ने जिस तरह से विकास किया है उससे पर्यावरण को नुकसान और विस्थापन भी हुआ है। जल जमीन और जंगल को भारी खतरा भी इससे पैदा हुआ है। विज्ञान ने जितनी तेजी से विकास किया है वह प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। कारण यह है कि विकास के नाम पर उसका गलत उपयोग भी कम नहीं हो रहा है। ऐसे में इसको दोनों ही तरह से देखा जाना है। प्राकृतिक संपदा जो कि आने वाले सौ वर्षों में समाप्त हो जाएगी उसके बाद कैसे काम चलेगा। आने वाली नस्लें क्या करेंगी? प्रकृति की संपदा मनुष्य के लिए है। उसका वह प्रयोग करे और आने वाली नस्लों को देता जाए। ऐसा नहीं कि उनका इतना दोहन करे कि आने वाली नस्लों के पास कुछ भी नहीं रह जाए।

सवाल यह है कि विकास का मानदंड क्या है और विकास किसके लिए किया जा रहा है। उसका उद्‌देश्य क्या है? भोपाल गैस कांड तकनीक और विज्ञान के विकास का ही परिणाम था। इराक युद्ध भी उसके मार्फत ही संभव हुआ। लेकिन इसको क्या कहा जाए। आखिर आज तकनीक के माध्यम से जिस तरह का सूचना तंत्र विकसित हो रहा है वह किसके लिए है, किसके लिए सारा कुछ हो रहा है? गरीबी और भूखमरी का सारा पैसा परमाणु बम बनाने में लगाया जा रहा है या फिर शांति के लिए। भारत या कोई भी देश बम बनाकर शांति की बात करता है। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, दुनिया में शांति आ रही है। फिर जिस तरह की तकनीक का विकास और उसका प्रयोग और समाज में जिस तरह का विभाजन है उसके कारण समस्याएं हैं चाहे महिलाओं की के स्वतंत्रता की समस्या हो या फिर दलित और आदिवासी के जीवन का। उनके लिए तकनीक किस तरह से मददगार साबित हो रही है जबकि तकनीक की कोई जाति नहीं है। जिसके पास पैसा है वह उसका लाभ लेगा। आज यदि बाजार का विकास समाज को लाभ पहुँचा रहा है तो वह समाज को भीड़ भी बना रहा है। वह उसको उपभोक्ता भी बना रहा है। जिस तरह से मनुष्य के विकास की बात की जाती है और जिस तरह से उसके लिए तकनीकी विकास किया जा रहा है उसके परिणाम भी सामने हैं।

आज विश्व के सामने जिस तरह की समस्याएँ हैं उनका तकनीक से समाधान भी खोजा जा रहा है। मंगल पर जाना और तमाम रहस्यों की पड़ताल भी तकनीक के माध्यम से ही हल की जा रही है। विज्ञान ही उसके लिए रास्ता दिखाता है और तकनीक उसको संभव करती है। विज्ञान उसके तमाम आयामों की खोज करता है, उसके पक्ष–प्रतिपक्ष पर विचार करता है, उसके बारे में राय बनाता है। जिस तरह से तकनीक का विकास पिछली तकनीक को खारिज करता जाता है एवं उसके स्थान

पर नया करता जाता है उसी तरह से मनुष्य के विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं। वे भी अपने को लगातार परिष्कृत करते रहते हैं। समाज में परिवर्तन के लिए तकनीक का सबसे अहम योगदान रहा है। पिछली सदी में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वह तकनीक के मार्फत ही संभव हुए हैं। ऐसे में आगे के विकास और परिवर्तन में भी उसके योगदान को समझा जा सकता है लेकिन उसके प्रत्येक पक्ष पर विचार करना जरूरी भी है। अगर मनुष्य उसका गुलाम बनता है तो यह बात मनुष्य के लिए घातक होगी। मनुष्य उसका संचालक होता है तो वह मनुष्य को बहुत आगे ले जाएगी–जैसे मैला ढोने की समस्या है जिसका समाधान तकनीक ने किया। जो लोग यह काम करते हैं समाज उनको बहुत हेय समझता है। उनके प्रति खराब धारणा रखता है लेकिन वे जिस समाज को साफ करते हैं वही समाज उनको इस तरह का सम्मान देता है, जिसको वे अस्वीकार करते हैं।

असल बात यही है कि जिस तरह का समाज बनाना है उसके लिए तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। उसका प्रयोग इस तरह से किया जाए कि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो। उनके जीवन में सुगमता आए, वह उनको मशीन न बनाए। आनेवाला समय तकनीक और विज्ञान का है। उसके लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह उसके बेहतर प्रयोग का रास्ता है। जहाँ बहुत आबादी है वहाँ के लिए तमाम संसाधन विकसित करने हैं और लोगों को रोजगार के साथ–साथ बाकी तमाम सुविधाएँ प्रदान करनी हैं, वहाँ तकनीक का प्रयोग उनके लिए किया जाना आवश्यक है। तकनीक सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं उसको प्रयोग समाज के जीवन को बेहतर करने के लिए जरूरी है। अगर कहा जाए तो उसका प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे कि वह बहुआयामी विकास को संभव कर सके, उसके तमाम पक्षों को खोल सके, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सके। उसके तमाम संस्थानों को मजबूत करे तथा जनता के साथ संवाद के लिए सुगत रास्ता बनाने में तकनीक का प्रयोग होना चाहिए।

अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान एवं तकनीकी के इस सागर में आज दुनिया भी छोटी होती दिखाई दे रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है जो आज हम पूरी दुनिया के साथ बड़ी आसानी से संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। यही इसकी सार्थकता भी है।

# हिन्दी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर

फूलदीप कुमार एवं विजय वर्मा
*रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली*
*करावल नगर, दिल्ली*

हिन्दी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर हिंदी विभाग की तिमाही रिपोर्ट जोकि इसके पूर्व साधारण रूप से कागज कलम के माध्यम से पूर्ण की जाती थी उसको ऑनलाइन बिना कागज कलम के उपलब्ध करवाता है।

यह सॉफ्टवेयर कागजी फार्म का एक रूपांतरण है जिसे हम ऑनलाइन उपलब्ध करवा सकते हैं। अब किसी भी विभाग के अधिकारी को रिपोर्ट देने के लिये कागजी फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल लोकल लेन पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म को भर कर कोई भी विभागीय अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। जो कि सर्वर पर सेव हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर की विशेषता यह है कि इसने कागजी कार्यवाही को जल्द पूरा होने वाले ऑनलाइन प्रोसेस में तब्दील कर दिया है तथा कागज कलम पर निर्भरता को कम कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं:

1. इसमें सभी विभागों के नाम उपलब्ध हैं जिसे हम बदल भी सकते हैं अपनी–अपनी सुविधानुसार तथा यदि कोई नया विभाग जोड़ना है तो वह भी संभव है।
2. सभी विभागों के अध्यक्षों के नाम भी हम फार्म पर ही उपलब्ध करा देते हैं ताकि किसी को बार–बार टाइप न करना पड़े तथा किसी गलत नाम की प्रविष्टि न करें।
3. विभागों के अध्यक्षों के नाम भी जोड़ने/मिटाने/बदलने की सुविधा उपलब्ध है।
4. यह फार्म ऑनलाइन उपलब्ध है अर्थात् वेब ब्राउसर पर चलता है, इसके लिये किसी भी प्रकार का इंस्टॉलेशन आवश्यक नहीं है। सिर्फ वेब ब्राउसर चाहिये जोकि हर सिस्टम के साथ फ्री आता है।
5. यह सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से ओपन सोर्स लैंग्वेज एवं सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है जो इंटरनेट पर आसानी से फ्री में उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनका लिंक संदर्भ में उपलब्ध है।
6. इस सॉफ्टवेयर में वो सभी फील्ड उपलब्ध हैं जोकि कागजी फार्म में उपलब्ध थीं।
7. इसमें प्रतिशत आदि की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। सॉफ्टवेयर अपने आप आपके द्वारा उपलब्ध आंकडों से गणना करके अगली फील्ड भर देता है।
8. यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में आसान है। यदि गलती हो भी जाये तो आप तुरंत सही कर सकते हैं, कोई काटने या मिटाने की आवश्यकता नहीं।
9. यह सॉफ्टवेयर फार्म भरने के बाद उसको प्रस्तुत करने की सुविधा देता है जिसके बाद यूजर्स को एक संदर्भ संख्या मिलती है जोकि प्रत्येक रिपोर्ट के लिये एक यूनिक संदर्भ संख्या होती है।

10. यदि यूजर चाहे तो रिपोर्ट का एक प्रिंट भी ले सकता है तथा उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी कर सकता है।
11. दूसरी तरफ हिन्दी अधिकारी जब चाहे अभी भरी हुई रिपोर्ट को देख सकता है तथा इनका प्रिंट भी ले सकता है।
12. इसके अलावा हिन्दी अधिकारी जब चाहे सभी जमा रिपोर्टों की भी एक रिपोर्ट देख सकता है जिसमें विभाग का नाम, विभाग अध्यक्ष का नाम, दिनांक (जमा करने की), संदर्भ संख्या, क्रम संख्या, उपलब्ध होंगे प्रत्येक तिमाही के । इसके आधार पर हिंदी अधिकारी यह जान सकता है कि किन–किन विभागों की रिपोर्टें आ गई हैं तथा किन–किन विभागों की रिपोर्टें बाकी हैं।

अन्य लाभः

1. कागज पर कम निर्भरता।
2. जल्द कार्यवाही पूर्ण होना।
3. अपने डेस्क से ही फार्म भरने की सुविधा।
4. आसानी से फार्म की उपलब्धता।
5. समय की बचत।
6. आसानी से सभी रिपोर्ट का रिकार्ड रखना।
7. कागजों को संभालने से मुक्ति।
8. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस।
9. हिंदी अधिकारी को कार्य करने में सुगमता।

**तकनीकी जानकारी**

| | |
|---|---|
| Front end: | JSP, HTML |
| Back end: | MySQL Server, Tomcat Apache |
| Reports: | Japer Report |

# विज्ञान–लघुकथा

जे एच आनन्द
*पीली कोठी, जबलपुर, मध्य प्रदेश*

## चिड़ियाघर

राजधानी में अक्टूबर का महीना आते ही टूरिस्टों का बाढ़ आ जाती है। देश के कोने–कोन से पर्यटक 2 अक्टूबर को राजधानी पहुँच जाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी के जन्म–दिन पर प्रोफेसर सरकार का विशाल श्वेत–अन्तरिक्षयान आकाश से प्रगति मैदान में उतरता है–केवल बारह घण्टों के लिए। प्रोफेसर सरकार हर वर्ष अपने साथ अन्तरिक्ष से विशेष जीव–जन्तु नुमाइश के लिये लाते हैं। राजधानी के लोग–बच्चे, बूढ़े, स्त्री–पुरूष आतुरता से इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं।

राजधानी के पश्चात् प्रोफेसर सरकार कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूरू और मुंबई भी जाते हैं। अन्तरिक्षयान रात के विद्युत–प्रकाश में छोटा सा चांद नजर आता है और सूरज की रोशनी में चांदी का गोल पहाड़।

प्रगति मैदान के चारों ओर दीवार है और दो विशाल प्रवेश–द्वारा जहाँ प्रातःकाल होते ही बच्चों और जवानों की लम्बी कतारें लग जाती हैं। हर एक के हाथ में अंतरिक्षयान में प्रवेश शुल्क के लिये हजार रूपये का नोट होता है और आँखों में कौतूहल कि इस बार प्रोफेसर सरकार किस प्रकार के जीवजंतु लाए हैं। पिछली बार राजधानी के दर्शकों को शुक्रग्रह के तीन पैरों वाले जीव–जंतुओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उससे पहले वे मंगलग्रह के कृशकाय, प्राणी भी देख चुके हैं जिनके धड़ के ऊपर बड़े–बड़े सिर थे। एक बार तो प्रोफेसर सरकार न मालूम किस ग्रह से भूमि पर रेंगने वाले सांप के सदृश प्राणी लाए थे।

प्रोफेसर सरकार के अन्तरिक्षयान के भीतर चारों ओर अनेक पिंजरे थे। दर्शकों और पिंजरों के मध्य मोटी–मोटी सलाकें थीं। दर्शक केवल दूर से पिंजरों में बन्द छोटे–छोटे प्राणियों को देख सकते थे।

ये लघु प्राणी देखने में तो घोड़ों जैसे थे। लेकिन हिरन के समान कूद–कूद कर दौड़ रहे थे। वे आपस में इतनी ऊँची आवाज में बात कर रहे थे कि मानों सुननेवाला बहरा हो।

प्रोफेसर सरकार के कर्मचारियों ने दर्शकों से तुरंत शुल्क जमा कर लिया। कुछ समय बाद स्वयं प्रोफेसर सरकार दर्शकों के सामने आए! रंग बिरंगी पोशाक। सिर पर भारतीय पगड़ी। उन्होंने अपने कर्मचारी के हाथ से माइक्रोफोन लिया ओर दर्शकों का आह्वान किया, "पृथ्वी के निवासियों ........मेरे प्रिय भारतवासियों............।"

प्रोफेसर सरकार की आवाज सुनते ही भीड की मिला–जुला उत्तेजित स्वर शांत पड़ गया। प्रोफेसर सरकार कह रहे थे, "इस वर्ष आपके हजार रूपये के बदले में उससे कहीं अधिक आप को मनोंरजन प्राप्त होगा। अज्ञात कर्णग्रह के अज्ञात अश्व–मकड़ीनुमा प्राणी को लेकर अत्यधिक व्यय करने के पश्चात दिक–काल की लाखों किलोमीटर दूरी तक करने के बाद आपके मनोरंजन के लिये मेरा

अंतरिक्षयान आपके महानगर में आया है। पास आइए। अजीबो–गरीब प्राणियों को देखिये। इनकी आवाज सुनिये। घर लौटकर अपने मित्रों को बताइए और उनको यह चिड़ियाघर देखने के लिये भेजिए।" जन समूह पिंजड़ों के नजदीक गया। स्त्री–पुरूष, बाल–बूढ़े पिंजरों में बन्द प्राणियों को देखकर आश्चर्य और आंतक में डूब गए। उन्होंने घोड़ों को मकड़ी के समान पिंजरों की दीवार पर दौड़ते कभी नहीं देखा था।

राजधानी के एक नागरिक ने कहा, "निस्संदेह यह हजार रूपये के लायक 'शो' है। मैं घर जाता हूँ, और अपनी 'वाइफ' को यह चिड़ियाघर दिखाने के लिये ले कर आता हूँ। यह अद्भुत अनुभव है।"

सबेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक राजधानी के लाखों लोगों ने अंतरिक्षयान के पिंजड़ो में बन्द प्राणियों को देखा। ठीक 8 बजे रात को प्रोफेसर सरकार ने माइक्रोफोन पुनः हाथ में लिया और यह घोषणा की, "राजधानी के निवासियो, अब हम प्रस्थान करेंगे, लेकिन अगले वर्ष, ठीक इसी दिन हम लौटेंगे। यदि आपको हमारा यह चिड़ियाघर पसन्द आया है तो आप कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूरू और मुंबई में रहने वाले अपने मित्रों को फोन पर बताइए। हम इन शहरों में भी जा रहे हैं। हमारा इरादा अन्तरिक्ष लौटने के पूर्व लन्दन, न्यूयार्क, मास्को, रोम, पैरिस, टोक्यो, हांगकांग, बीजिंग भी जाने का है।"

प्रोफेसर सरकार ने हाथ हिलाकर राजधानी के लोगों से विदा ली। अंतरिक्षयान धीरे–धीरे उठा, और पलभर में वायु मण्डल में लुप्त हो गया। राजधानी के निवासी इस बात में एकमत थे कि प्रोफेसर सरकार का यह चिड़ियाघर अब तक उनके द्वारा लाए गए चिड़ियाघरों में श्रेष्ठ था।

प्रोफेसर सरकार के अंतरिक्षयान ने तीन–चार ग्रहों को पार किया और अंत में कर्णग्रह की सुपरिचित चट्टानी धरातल पर उतरा। उसके ठहरते ही अश्व–मकड़ीनुमा लघु प्राणी अपने–अपने पिंजरे से बाहर निकले। प्रोफेसर सरकार ने उनसे विदा के कुछ शब्द कहे, और लघु प्राणी आस–पास की सैकड़ों चट्टानी गुफाओं में कूदते–फांदते चले गये।

एक गुफा में मादा लघु प्राणी अपने नर और बच्चों को सकुशल लौट आया देख प्रसन्न हुई उसने अपनी भाषा में उनका स्वागत किया, और उनको गले लगाया।

"इस बार तुम लोगों ने लौटने में बहुत देर की। कार्यक्रम कैसा रहा?"

नर ने कहा, "बढ़िया, विशेषकर बच्चों को बड़ा मजा आया। हमने आठ दुनिया का सफर किया, और अनेक नई–नई चीजें देखीं।"

एक बच्चा दौड़कर गुफा की दीवार पर चढ़ गया और वहाँ से बोला, "प्रोफेसर सरकार हमें पृथ्वी पर भी ले गए थे। वहाँ हमें सबसे ज्यादा मजा आया। पृथ्वी के प्राणी अपने शरीर पर कपड़ा पहनते हैं, और दो पैरों पर चलते हैं।"

मादा डर गई।

"उनसे कुछ खतरा तो नहीं था?"

"खतरे की कोई संभावना नहीं थी। प्रोफेसर सरकार ने उन प्राणियों से हमारी रक्षा करने के लिये मोटी–मोटी सलाखें लगा दी थीं। हम यान के भीतर ही रहे। हजार सोने के सिक्कों के बदले में हमारा बड़ा मनोरंजन हुआ। अगली बार तुम भी हमारें साथ पृथ्वी पर चलना।" नर ने कहा। बच्चे ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की "पृथ्वी का चिड़ियाघर सब चिड़ियाघरों से श्रेष्ठ था।"

# वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन

मीनाक्षी गौड़
*राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, नई दिल्ली*

हम सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है तथा सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा संबंधी नियमों का अनुपालन अति अनिवार्य है। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रशासनिक विभागों में तो राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किसी हद तक फिर भी किया जा सकता है परन्तु वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों के वैज्ञानिक विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन इतना सरल नहीं है। इस क्षेत्र विशेष में राजभाषा के समुचित कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है और इन प्रयासों का आरम्भिक बिन्दु है स्वयं वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मी हैं जो अपने अनुसंधान के मूल विचारों को हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रसारित कर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को भारत के जनमानस तक जोड़ सकते हैं। आम आदमी के लाभ के लिए किये गये किसी भी अनुसंधान के लोकप्रिय तथा सफल होने के लिए उसकी जानकारी जन–जन तक पहुंचाना अनिवार्य है और यह तभी संभव है जब अनुसंधान संस्थान अपने अनुसंधान का प्रचार–प्रसार जनभाषा में यानि हिन्दी में करें।

किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। जन साधारण तथा सरकारी तंत्र के बीच बेहतर समझ और तालमेल का विकास जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त भाषा के ही माध्यम से संभव है। इसी आधार को लेकर हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा बनाया गया क्योंकि हिन्दी ही देश की सबसे बड़ी सम्पर्क भाषा है। संपर्क के लिए प्रयुक्त भाषा में लिखा या पढ़ा जाना उतना आवश्यक नहीं जितना सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा का समुचित प्रयोग करना आना आवश्यक है। यदि कोई ऐसी भाषा है जो जन साधारण की संपर्क भाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी हो तो एक–दूसरे यानि जन साधारण तथा सरकारी तंत्र को आपस में समझने समझाने में सहायता मिलती है तथा परस्पर सम्पर्क होने से आपसी विश्वास बढ़ता है जो किसी भी प्रजातंत्रीय राष्ट्र के लिए मूल तत्व है।

महात्मा गांधीजी का कहना था कि बच्चों के विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान अति आवश्यक है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अंग्रेजी (एक विदेशी भाषा) में शिक्षा देकर उसके विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं और उनका यह कथन आज सर्वथा सटीक बैठ रहा है क्योंकि मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को वह शीघ्र आत्मसात कर सकता है परन्तु विदेशी भाषा जिसे वह समझता नहीं, का प्रयोग वह रट कर करता है।

मेरा मानना है कि अंग्रेजी या किसी भी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारे ज्ञानकोश को बढ़ाने के लिए उचित है परन्तु यह कार्य मातृभाषा की कीमत पर हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। पर हम ऐसा ही कर रहे हैं। भाषा का प्रयोग समाज में होता है लेकिन समाज के संदर्भ सदैव एक से नहीं रहते। प्रयोजन के अनुसार, अभिव्यक्ति के अनुसार, परम्परा के अनुसार एवं विषय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिन्दी के मुख्य प्रयोजनमूलक सात रूप है। सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रयोजनमूलक भाषा को कार्यालयी हिन्दी/प्रशासनिक हिन्दी इत्यादि कहा

जाता है। इन सात प्रयोजनमूलक रूपों में से एक रूप वैज्ञानिक/तकनीकी हिन्दी का भी है जिसे विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है।

तो आइए, सर्वप्रथम वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं।

## वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन के सम्मुख आने वाली समस्याएं

**हिन्दी के प्रति सौतेला व्यवहार** – सैद्धान्तिक रूप से चाहे हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है परन्तु व्यावहारिक रूप में वह अभी भी पूर्णतः कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। शायद इसका कारण हम स्वयं व हमारा समाज है जो हिन्दी बोलने वालों को निम्न दर्जे का व कम पढ़ा–लिखा मानता है। अतः उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद हिन्दी का अच्छा ज्ञान होते हुए भी सर्वथा अंग्रेजी के उपयोग को उपयुक्त मानते हैं।

**प्राथमिक स्तर के भाषा ज्ञान का अभाव** – कई वैज्ञानिक जो हिन्दीतर भाषी हैं तथा दक्षिण भारत व अन्य किसी ऐसे क्षेत्र से हैं जहां हिन्दी का प्राथमिक भाषा ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो संभव है कि वे हिन्दी का प्रयोग करने में असमर्थ हों।

**शिक्षा के माध्यम का चयन** – आधुनिक युग विज्ञान का युग है और पश्चिमी देश इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ने भी विकास की ओर अग्रसर होने के लिए विज्ञान की महत्ता को स्वीकारा है परन्तु अध्यापन के लिए विषय से अधिक माध्यम का चयन कहीं बड़ी कठिनाई बनकर सम्मुख आया है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक हिन्दी के प्रयोग से कतराते हैं।

**हिन्दी के प्रयोग में आत्मविश्वास की कमी** – वैज्ञानिक समुदाय के बहुत से वैज्ञानिकों को हिन्दी भाषा का शैक्षिक ज्ञान होता है और वे भाषा के प्रयोग से बखूबी परिचित होते हैं परन्तु उनमें कहीं थोड़ा डर होता है कि अगर वे हिन्दी का प्रयोग अपने लेखन में करेंगे तो क्या वह सही भाषा, शब्दों का चयन कर पाएंगे अथवा नहीं।

**सम्बन्धित शब्दकोशों/तकनीकी शब्दावलियों का संस्थान में अभाव** – वैज्ञानिक अपने अनुसंधान/प्रौद्योगिकी के विषय में मौलिक लेखन के लिए राजभाषा का प्रयोग करना चाहते हैं परन्तु उनके अनुसंधान/प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित शब्दों का उचित हिन्दी पर्याय उपलब्ध न होने के कारण भी वे अक्सर अपने हिन्दी लेखन के विचार को त्याग देते हैं। संस्थान में विषयों से संबंधित शब्दकोशों तथा तकनीकी शब्दावलियों के उपलब्ध न होने से भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

**मौलिक लेखन की अपेक्षा अनुवाद को प्राथमिकता** – वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के विषय से सम्बन्धित जानकारी को मूलरूप से अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तथा बाद में हिन्दी अनुवाद के लिए अन्य लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। अनुवाद पर निर्भर रहने से वैज्ञानिक के मूल भावों की अभिव्यक्ति सही से न हो पाने तथा अनुवाद में होने वाली देरी से विषय की रोचकता में कमी आ सकती है।

**पुस्तकों की खरीद के लिए लक्ष्य की प्राप्ति** – वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में हिदी पुस्तकों की खरीद के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को संस्थान के लिए उपयोगी पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण पूरा करने में आने वाली समस्या भी संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक प्रश्न चिह्न है।

## समाधान

**प्रशासनिक स्तर पर** – हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं – साहित्यिक और कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा में साहित्यिक भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से उस भाषा विशेष की ओर से आम आदमी का आकर्षण कम हो जाता है तथा मानसिक विरोध बढ़ता है। अतः आज के

परिवर्तनशील वातावरण में कामकाजी हिन्दी के रूप को हमें सरल तथा बोधगम्य (आसानी से समझ आने वाला) बनाना होगा। राजभाषा में कठिन तथा अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से इसे अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ती है। अतः भाषा की शालीनता तथा मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए इसे सुबोध तथा सुगम बनाना समय की मांग है।

जब–जब सरकारी कामकाज में हिन्दी में मूलरूप से कार्य न कर उसे अनुवाद की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका स्वरूप और अधिक जटिल तथा कठिन हो जाता है। आज अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की शैली को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। अच्छे अनुवाद में भाव को समझकर वाक्य संरचना करना आवश्यक है न कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद करते हुए वाक्यों का निर्माण करने की। बोलचाल की भाषा में अनुवाद करने से भाषा की जटिलता तथा दुरुहता कम होती है। बोलचाल की भाषा से तात्पर्य अन्य भाषाओं यथा अंग्रेजी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग करना है। भाषा का यही लोकप्रिय तथा संयोजित रूप बोलचाल तथा कामकाज के लिए प्रयुक्त होना चाहिए।

अनुवाद की आवश्यकता होने पर ही अनुवाद का सहारा लेना चाहिए अन्यथा मौलिक स्तर पर ही लेखन राजभाषा में किया जाना चाहिए। यदि अनुवाद करना आवश्यक भी हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो सरल तथा स्वभाविक हो तथा आम व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाने वाली हो। वाक्य संरचना बहुत विस्तृत न हो। हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को सरल हिन्दी में लिखा जाए। कुछ ऐसे शब्द जिनका हिन्दी पर्याय उपलब्ध नहीं है तो उसे देवनागरी में जस का तस लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्टरनेट, वेबसाइट, ब्लॉग, डिजिटल व पेन ड्राइव आदि।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी संस्थानों को विशेष प्रयास की आवश्यकता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमें सटीक व उपयुक्त पुस्तकों का चयन कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। संस्थान के कार्मिकों से भी उनके विषय तथा रूचि के आधार पर सूची तैयार कर यह कार्य किया जा सकता है।

## वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समाधान

व्यक्ति विशेष अपनी मानसिकता को बदलें व हिन्दी को दोयम दर्जे की भाषा बनाने या मानने की अपेक्षा हिन्दी के प्रयोग को बल दें। उनका यह एक प्रयास उन्हें कहीं और अधिक लोकप्रिय बना सकता है।

प्रो यशपाल तथा डॉ कुलकर्णी जैसे विज्ञान विशेषज्ञ भी मानते हैं कि विज्ञान की शिक्षा बच्चे को उसकी अपनी भाषा में सबसे अधिक अच्छे प्रकार से दी जा सकती है। उनका मानना है कि हम अपना अधिक समय तो शिक्षा के माध्यम को सीखने में ही व्यर्थ कर देते हैं, और विषय पर पूर्ण ध्यान नहीं देते।

राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय ने प्राथमिक स्तर के भाषा ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी प्रबोध, प्राज्ञ व प्रवीण जैसे पाठ्यक्रम चलाए हुए हैं, हिन्दीतर भाषी वैज्ञानिक इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर हिन्दी के प्राथमिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम हिन्दीतर भाषी लोगों के लिए अनिवार्य भी है। इससे उनके हिन्दी के मौलिक स्तर का ज्ञान बढ़ेगा व वे इसे बोलने तथा पढ़ने में होने वाले संकोच से निवृत्त होकर हिन्दी बोलने व लिखने का प्रयास करेंगे।

**कार्यालयी स्तर पर** – यदि किसी वैज्ञानिक/तकनीकीविद को अपने अनुसंधान लेखन इत्यादि में कठिनाई आती है तो वे अपने संस्थान की राजभाषा इकाई में तैनात हिन्दी अनुवादकों इत्यादि की सहायता से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। संस्थान में उपलब्ध विषयों से संबंधित शब्दकोशों तथा तकनीकी शब्दावलियों की सहायता से भी वे अपना लेखन कर सकते हैं।

मेरा मानना है कि मौलिक लेखन की गुणवत्ता अनूदित लेखन की तुलना में कहीं अधिक अच्छी होती है तथा लेखक अपने विचारों व भावों की अभिव्यक्ति भली–भांति कर पाता है, वहीं अनूदित लेखन में अनुवादक मात्र शब्दार्थ पर ही सीमित रह सकता है तथा भावों की अभिव्यव्ति उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता जितना मूल लेखक कर पाता है। अतः वैज्ञानिकों/तकनीकीविदों को चाहिए कि वे मूल रूप से अपने अनुसंधान कार्य के विषय में हिन्दी में भी लिखने का प्रयास करें ताकि अनुसंधान के लाभों के आम आदमी तक पहुंचाने के जवाहर लाल नेहरू जी के स्वप्न को साकार किया जा सके।

आज देश में विभिन सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं/संगठनों इत्यादि में नित नये आविष्कार/अनुसंधान किए जा रहे हैं जो देश के आम आदमी के हित में हैं। परन्तु प्रौद्योगिकी/आविष्कारों/अनुसंधानों को आम आदमी की जानकारी में लाने के लिए तथा इससे होने वाले लाभ बताने के लिए सरल सहज भाषा में उन्हें आसानी से समझ आने वाली भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठन अपने वैज्ञानिकों के अनुसंधान को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसका प्रचार–प्रसार आम आदमी की भाषा में कर उसे लोकप्रिय बना सकते हैं, वहीं वैज्ञानिक स्वयं भी इस कार्य में सहायता कर सकते हैं।

किसी भी लेखन कार्य को करने से पूर्व इसके विषय में भरपूर जानकारी आवश्यक है, उसी प्रकार अगर वैज्ञानिक हिन्दी भाषा में मौलिक लेखन करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें विषय के साथ–साथ हिन्दी भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अगर कोई वैज्ञानिक अपने अनुसंधान/नवोन्मेष के विषय में कोई जानकारी हिन्दी भाषा के माध्यम से अन्य लोगों को देना चाहता है तो उसे हिन्दी भाषा का व्यावहारिक तथा शैक्षिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

## राष्ट्र के स्तर पर

भारत सरकार ने भी निस्संदेह समय–समय पर वे सभी कदम उठाए हैं जो हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक थे। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग की स्थापना। सरकार द्वारा स्थापित इस आयोग ने बहुत कम मूल्य में सभी तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों की शब्दावलियां उपलब्ध करायी हैं।

वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन के लिए राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय द्वारा भी तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर उच्च स्तर के मौलिक हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना परिचालित की गयी है। ये पुस्तकें आधुनिक/तकनीकी ज्ञान की निम्नांकित विधाओं पर लिखी जा सकती हैं:

इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साइंस, भौतिकी, जैवविज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, मनोविज्ञान आदि। इसके अतिरिव्त समसामयिक विषयों जैसे, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण आदि विषयों पर भी पुस्तक लिखी जा सकती है।

## भविष्य के सुझाव

देश की उभरती हुई प्रतिभाओं के समुचित विकास के लिए और ज्ञान विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कदम यह हो सकता है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुवाद संस्था की स्थापना करें जो अंग्रेजी अथवा विश्व की किसी भी प्रमुख भाषा में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान की नवीनतम उपयोगी पुस्तकों का शीघ्र हिन्दी में अनुवाद करें तथा उसे उच्च शिक्षा संस्थाओं को उपलब्ध कराएं ताकि छात्र उसे हिन्दी में पढ़कर उसका उपयोग अपने क्षेत्र में करें। यह कार्य निरन्तर चलते रहना चाहिए जिससे सभी छात्रों की मामूली बातों के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर निर्भता नहीं रहेगी और वे माध्यम के बजाय विषय को जानने पर अधिक ध्यान दे पाएंगे।

यह कहना कि हिन्दी भाषा को अन्य विदेशी लोग नहीं समझ पाते, मेरी समझ से परे है। आकंड़े बताते हैं कि विश्व के लगभग एक अरब लोग हिन्दी को बड़ी आसानी से बोल सकते हैं और हिन्दी समझने वालों की संख्या तो इससे कहीं अधिक हैं।

हमें स्वयं भी अपनी भाषायी सोच को नई दिशा देने की आवश्यकता है। हिन्दी हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के साथ–साथ हमारी अपनी संवेदनाओं, अभिव्यक्ति की सहज वाटिका है। हमें अपनी मानसिकता को बदलकर इस तथ्य पर ध्यान देना ही होगा। आज भारत व्यापारिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उभर कर विश्व के सम्मुख आया है और भारत से व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध बनाने के इच्छुक देशों के लोगों को हिन्दी सीखनी पड़ रही है जो एक मायने में विश्वभर में हिन्दी के प्रचार–प्रसार में सहायक सिद्ध हो रही है। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी कुछ ऐसे संगठन बनाए हैं जो देश की संस्कृति के द्योतक त्यौहारों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर हिन्दी तथा हिन्दुस्तान का ऐसा वातावरण सृजित करते हैं जिसमें उनका हिन्दी भाषा प्रेम तथा भारतीयता के प्रति सम्मान झलकता है।

भारत की शक्ति इसकी विविधता में निहित है और यह विविधता जलवायविक, भौगोलिक, पारिस्थितिक तथा धार्मिक जैसे कई आयामों में पायी जाती है। भारत की इस विविधता के प्रबंधन के साथ–साथ नवाचार को बढ़ावा देना भी अत्यन्त आवश्यक है। नवाचार का अर्थ है पारम्परिक ज्ञान में नये अनुभवों के समावेश से उसमें मूल्यवर्धन करना। यह असंख्य लोगों में स्वप्न देखने और उसे क्रियान्वित करने का हौसला है। ऐसे कुछ व्यक्ति जो यह हौसला दिखा पाये हैं, उनमें प्रमुख हैं– जे आर डी टाटा, विक्रम साराभाई, एम नारायण मूर्ति, वी कुरियन आदि जिन्होंने नवीन खोजों के साथ साथ देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार को अपनाया। और इसी नवाचार के चलते आज विदेशों में भी हिन्दी को बढ़ावा मिल रहा है।

वैसे भी आज की हिन्दी वो हिन्दी नहीं रही जो पूर्व में थी, क्लिष्ट और जटिल। बदलती परिस्थितियों में उसने स्वयं को परिवर्तित किया है। आज विज्ञान–प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि अन्य सभी विषयों पर भी हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन्टरनेट पर अब हिन्दी की असंख्य वेबसाइट उपलब्ध हैं, सूचना–प्रौद्योगिकी की कई कम्पनियों ने हिन्दी भाषा में परियोजनाएं आरम्भ की हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में कम्प्यूटर पर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सी–डैक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कम्पनियों ने भी नवीन हिन्दी सॉफ्टवेयर जारी किये हैं।

हम सभी जानते हैं कि इन्टरनेट पर अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में है और अपने देश में मात्र 13% लोगों को ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। इसी का सामाधान प्रदान करने के लिए गूगल ने कई भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की है जिसमें हिन्दी भी सम्मिलित है। अतः अंग्रेजी न जानने वाले लोग भी अब अपना काम इन्टरनेट के माध्यम से सरलता से कर सकते हैं। इन सभी कार्यों से हिन्दी भाषा को एक नवीन प्रतिष्ठा मिली है।

हमें सोचना चाहिए कि यदि चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी व जापान जैसे विकसित देशों की राष्ट्रभाषा भी अंग्रेजी नहीं है तो हम ही क्यों अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं ? इन राष्ट्रों ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंग्रेजी के बिना विकास नहीं हो पाने की अवधारणा को पूर्णतः नकार दिया है तो फिर हमें ही अपनी मातृभाषा हिन्दी से परहेज क्यों है?

कवि भारतेन्दु हरीशचंद ने सर्वथा सत्य कहा है कि–

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल

# विज्ञान के प्रसार में वैज्ञानिक अनुवाद की भूमिका : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

हेमचन्द्र पाँडे
*हौज़ ख़ास, नई दिल्ली*

## अनुवाद और ज्ञान का हस्तान्तरण

मानव–जाति के विकास में भाषाओं के ज्ञान की एक निश्चित भूमिका रही है क्योंकि विभिन्न जातियों और देशों के बीच आपस में ज्ञान का आदान–प्रदान एक दूसरे की भाषा को जाने बिना सम्भव नहीं है। भाषाओं के ज्ञान से ही अनुवाद सम्भव होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान के विस्तार का एक प्रमुख आधार अनुवाद ही है। इसलिए मानव–जाति के विकास के कारकों में अनुवाद को भी सम्मिलित किया जा सकता है। किसी भी देश की उन्नति में वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की निश्चित भूमिका होती है क्योंकि ज्ञान और प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, मुख्य रूप से, अनुवाद (और परोक्ष रूप से अनुवादकों) के द्वारा ही सम्भव होता है। इसलिए विभिन्न देशों में अनुवाद के इस महत्व को बहुत पहले ही पहचान लिया गया था।

ज्ञान का सृजन प्राचीन काल से ही आरम्भ हो गया था जिसमें प्राचीन भारत के साथ–साथ यूरोप, अरब–जगत और चीन का विशेष योगदान रहा है। जहाँ तक वैज्ञानिक अनुवाद की बात है, यूरोप और अरब देश, ऐसा प्रतीत होता है, इस मामले में कम–से–कम भारत से तो आगे रहे ही हैं, जैसाकि आगे उदाहरणों के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अनुवाद की यह परम्परा मध्य युग से भी पहले शुरू हो चुकी थी।

## यूरोप में अनुवाद की परम्परा

यूनानी (ग्रीक) और रोमन सभ्यता यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का आधार रही है। आज से दो–ढाई हजार साल पहले प्राचीन यूनान में बड़े–बड़े विचारक, दार्शनिक और साहित्यकार हुए थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से ग्रीक भाषा को अत्यन्त समृद्ध बना दिया था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन यूनान में आश्चर्यजनक रूप से इतना अधिक रचनात्मक काम हुआ था कि उसका प्रभाव आने वाले सहस्राब्दियों तक पूरे विश्व में किसी–न–किसी रूप में लगातार बना हुआ है। किन्तु प्राचीन यूनान के साहित्य में एक भी अनूदित कृति शामिल नहीं है। जो कुछ भी अनुवाद हुए वे सब मेसोपोटामिया पर अलेक्ज़ेंडर की विजय के बाद ही हुए।

यूनानी सभ्यता के बाद यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य का युग आता है जिसका प्रभाव शताब्दियों तक इस क्षेत्र में छाया रहा। रोमन साम्राज्य के युग में भी बड़े–बड़े विचारक, दार्शनिक और साहित्यकार हुए थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से लैटिन भाषा को समृद्ध किया। यूरोप में अनुवाद की परम्परा की नींव भी, एक प्रकार से, रोमन साम्राज्य के काल में ही पड़ी और सबसे पहले ग्रीक भाषा के ग्रन्थों का लैटिन में अनुवाद किया जाने लगा। तेरहवीं शताब्दी तक ग्रीक भाषा के लगभग सभी महत्वपूर्ण ग्रन्थों का लैटिन में अनुवाद हो गया था जिनमें दार्शनिक रचनाएँ भी शामिल थीं। वस्तुतः, उस जमाने में विज्ञान को भी दर्शन के ही अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता था। यूनान के प्रमुख दार्शनिकों

की रचनाओं के अनुवादकों में बोथियस (Boethiu) का नाम सबसे पहले लिया जाता है जिन्होंने पाइथागोरस, टॉलमी, यूक्लीड, प्लैटो, अरस्तू की रचनाओं का अनुवाद किया। बोथियस बाद में सन्त सेवेरिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका काल 480–524 ईसवी माना गया है।

अपने मौलिक और अनूदित साहित्य के बल पर मध्य युग तक आते–आते यूरोप में लैटिन भाषा ज्ञान की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। आगे चल कर लैटिन में अरबी भाषा के ग्रन्थों का भी अनुवाद होने लगा था जिसकी नींव, ऐतिहासिक कारणों से, पहले–पहल स्पेन में पड़ी थी। यूरोप में वैज्ञानिक अनुवाद को विकसित करने में इटली के अतिरिक्त स्पेन का योगदान अपने–आप में विशिष्ट माना जाता है क्योंकि अरबी से लैटिन में अनुवाद स्पेन में ही सबसे अधिक हुए थे जहाँ अरबों का शासन रहा था और इसलिए अरबी भाषा के अनेक विद्वान वहाँ उपलब्ध थे। अरबी भाषा के उन विद्वानों ने मुख्यत: अरबी के वैज्ञानिक ग्रन्थों का लैटिन में अनुवाद किया। इसी के साथ प्राचीन ग्रीक और प्राचीन हिब्रू की वैज्ञानिक और दार्शनिक पुस्तकों के भी लैटिन में अनुवाद किए गए। अनुवाद की इन गतिविधियों का केन्द्र था स्पेन का तोलेदो नगर। सन् 1085 में ईसाइयों ने तोलेदो को अरबों से जीत कर वापस प्राप्त कर लिया था। इसीलिए अरबी के अनेकों विद्वान वहाँ उपलब्ध थे। तोलेदो स्वाभाविक रूप से अनुवाद का केन्द्र बन गया और वहीं पर 'तोलेदो अनुवाद सम्प्रदाय' की स्थापना हुई जिसके माध्यम से अरबी भाषा में रचित वैज्ञानिक साहित्य यूरोप तक पहुँचा और यूरोप के देश उससे लाभान्वित भी हुए।

## तोलेदो अनुवाद सम्प्रदाय

तोलेदो अनुवाद सम्प्रदाय को दो कालों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम पूर्ववर्ती काल तथा परवर्ती काल कह सकते हैं। इन दोनों कालों की अपनी–अपनी विशेषताएँ थीं जिनका परिचय आगे दिया जा रहा है।

पूर्ववर्ती काल में प्राचीन ग्रीक और प्राचीन हिब्रू में रचित वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रन्थों का लैटिन में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में प्राचीन अरबी की वैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक पुस्तकों का भी अनुवाद किया गया। 'तोलेदो' अनुवादकों ने गणित और खगोलविज्ञान की पुस्तकों के अनुवाद पर अधिक बल दिया था। अनुवाद की इन गतिविधियों में बारहवीं शताब्दी में तीव्रता आ गई थी जिसका श्रेय तोलेदो के आर्चबिशप राइमोन्द को दिया जाता है। तोलेदो का तत्कालीन कैथेड्रल पुस्तकालय अनुवाद का सबसे अधिक विख्यात केन्द्र था। अरबी से लैटिन में अनुवाद की गई कृतियों में से इब्न सीन (Aviccen) की कृतियों का विशेष महत्व है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी फ़ारसी विद्वान इब्न सीन द्वारा अरबी भाषा में लिखे गए चिकित्साविज्ञान (आयुर्विज्ञान) के आधारभूत ग्रन्थों जैम Cure और Canon का लैटिन अनुवाद बारहवीं–तेरहवीं शताब्दी में सम्पन्न हुआ था। वैज्ञानिक अनुवाद के माध्यम से विज्ञान के प्रसार में इन दोनों ही अनुवादों का अभूतपूर्व महत्व रहा है क्योंकि आयुर्विज्ञान की शिक्षा में इन दोनों ही पुस्तकों का यूरोप में लम्बे समय तक उपयोग होता रहा था। इब्न सीन की इन दोनों रचनाओं में से ब्ंदवद तो यूरोप में कई शताब्दियों तक आयुर्विज्ञान की मानक पाठ्य–पुस्तक के रूप में इस्तेमाल की जाती रही थी।

उल्लेखनीय है कि ब्रह्मगुप्त के सूर्यसिद्धान्त और ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त के अरबी अनुवादों के आधार पर मुहम्मद अल–फ़ज़री ने Great Sindhind नामक पुस्तक की रचना की थी जिसका अरबी से लैटिन में अनुवाद 'तोलेदो' अनुवादकों द्वारा 1126 में सम्पन्न हुआ था।

परवर्ती काल में लक्ष्य भाषा के रूप में लैटिन का स्थान कैस्टीलियन भाषा ने ले लिया जो आधुनिक स्पेनी का पूर्ववर्ती रूप थी और इस तरह, हम कह सकते हैं, वैज्ञानिक अनुवाद ने आधुनिक स्पेनी भाषा की नींव रखी। तोलेदो अनुवाद सम्प्रदाय का यह दिशा–परिवर्तन कैस्तिले के राजा अल्फ़ोन्सो

दशम् के शासन–काल में शुरू हुआ था। अल्फ़ोन्सो दशम् ने इस बात पर बल दिया था कि अनुवाद सुपाठ्य होने चाहिए ताकि लोग उन्हें समझ सकें तथा उनका पाठक–वर्ग केवल स्पेन तक ही सीमित न रहे बल्कि यूरोप के अन्य देशों तक भी उनकी पहुँच हो। अल्फ़ोन्सो दशम् के शासन–काल में ही अरबी से कैस्टीलियन में पंचतन्त्र का भी अनुवाद हुआ था जिसे अरबी में कलील–व दिम्ना नाम दिया गया था। अल्फ़ोन्सो दशम् के शासन–काल में अनुवाद के प्रमुख केन्द्र के रूप में तोलेदो का महत्व बढ़ता जा रहा था। यही वह समय था जब तोलेदो ने यूरोप के अन्य देशों के विद्वानों तथा अनुवादकों को अपने यहाँ आकर्षित किया जिन्होंने प्राचीन अरबी, प्राचीन यूनानी और प्राचीन हिब्रू से विविध विषयों की पुस्तकों के अनुवाद किए। इन पुस्तकों में चिकित्साविज्ञान (आयुर्विज्ञान), धर्म, दर्शन तथा ललित साहित्य की पुस्तकें शामिल थीं। इस तरह के एक उल्लेखनीय अनुवादक थे गेरार्द (1114–1187) जो क्रेमोना (Gerard of Cremona) के रहने वाले थे। उन्होंने देखा कि अरबी में सभी विषयों का विशाल साहित्य मौजूद है जिसकी तुलना में उन्हें लैटिन बहुत ही दरिद्र भाषा प्रतीत हुई थी। इसलिए उन्होंने अरबी सीखी और उसमें पारंगत होकर अरबी से लैटिन में अनेकों अनुवाद किए। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ तक लगभग सभी प्रमुख प्राचीन रचनाओं के अनुवाद लैटिन में उपलब्ध हो गए थे और विश्वविद्यालयों तथा मठों के माध्यम से वैज्ञानिक विचारों का प्रसार होने लगा था।

तत्कालीन अनुवाद–विधि की एक विशेषता यह थी कि अनुवाद को सम्मिलित गतिविधि माना गया था और इसलिए किसी एक कृति के अनुवाद में एक से अधिक अनुवादक शामिल होते थे। सबको एक दूसरे के अनुभवों का लाभ मिलता था। अनुवादकों को अच्छा पारिश्रमिक मिलता था जिस कारण से स्पेन तथा यूरोप के अन्य भागों से अच्छे–अच्छे अनुवादक तोलेदो की ओर आकर्षित हो रहे थे। अपने देश वापस लौट कर उन अनुवादकों तथा विद्वानों ने अपनी–अपनी भाषाओं को समृद्ध किया।

वैज्ञानिक अनुवाद के क्षेत्र में तोलेदो अनुवाद सम्प्रदाय का महत्व इस बात में है कि अरबी भाषा के सम्पर्क में आने से 'तोलेदो' अनुवादकों ने अपने अनुवादों द्वारा लैटिन और स्पेनी भाषाओं को प्रतिष्ठा प्रदान की जिसका लाभ पूरे यूरोप को मिला। अनुवादों से प्रेरित होकर यूरोपीय भाषाओं में वैज्ञानिक विषयों पर मौलिक पुस्तकें भी लिखी जाने लगी थीं। निस्संदेह, यूरोप में वैज्ञानिक चेतना जगाने में 'तोलेदो अनुवादकों' ने ऐसा प्रभावशाली काम किया कि जिसकी अभिव्यक्ति आगे चल कर पुनर्जागरण काल में भी दिखाई देती है।

## पुनर्जागरण काल

यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण काल को उसकी अन्य विशेषताओं के साथ–साथ 'अनुवाद का महान युग' भी कहा जाता है। यह वह काल था जब ग्रीक पुस्तकों का लैटिन के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होना शुरू हुआ। अर्थात् अब प्राचीन भाषाओं से समकालीन भाषाओं की ओर संक्रमण शुरू होने लगा था जिसे तत्कालीन स्थिति के सन्दर्भ में हम 'भाषाओं का आधुनिकीकरण' भी कह सकते हैं। सबसे अधिक अनुवाद ग्रीक से फ़्रेंच में हुए। सन् 1528 तक ज़ेनोफ़ोन (Xenophon), सैलस्ट (Sallust), सुएतोनिउस (Suetoniu), थूसीडाइड्स (Thucydides) और सीज़र (Caeser), की कृतियों के अनुवाद फ़्रेंच में हो चुके थे। इसी तरह यूरोप की अन्य भाषाओं में भी ग्रीक और लैटिन से अनुवाद हो रहे थे। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, पन्द्रहवीं–सोलहवीं शताब्दी तक अनुवाद के मामले में यूरोप की कुछ भाषाएँ अंग्रेजी से आगे थीं क्योंकि इंग्लैण्ड में पुनर्जागरण काल का आगमन ही कुछ देर से हुआ था। ग्रीक रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद मुख्यतः फ़्रेंच अनुवादों के अनुवाद थे। इस सन्दर्भ में प्लैटो की रचनाओं के अनुवादों का उल्लेख किया जा सकता है। मूल ग्रीक से अंग्रेजी में अनूदित प्लैटो की सम्पूर्ण रचनाएँ पहली बार उन्नीसवीं शताब्दी में जाकर प्रकाशित हुई थीं।

पुनर्जागरण काल में भी पश्चिमी देशों ने अरबी से अनुवाद की परम्परा को जारी रखा था। अरबी के अतिरिक्त फ़ारसी की वैज्ञानिक और दार्शनिक पुस्तकों के अनुवाद भी यूरोपीय भाषाओं में हुए। अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध इस प्रचुर साहित्य ने पश्चिम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जिसके फलस्वरूप वैज्ञानिक सोच में पश्चिमी देश अरबों से आगे निकल गए। गणित तथा अन्य वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया जिनके द्वारा प्रगति को समझने में मदद मलती है। पुनर्जागरण काल में स्थापित हुए विश्वविद्यालयों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई।

## अन्य देशों में अनुवाद

यूरोप के अतिरिक्त अन्य देशों ने भी दूसरी भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान की सामग्री के अनुवाद को पर्याप्त महत्व दिया था और इस तरह विज्ञान–प्रसार को बल मिला था। इनमें से कुछ का उल्लेख आगे किया जा रहा है।

### अरब देशों में अनुवाद

अरब के लोगों ने अन्य भाषाओं से अरबी में ज्ञान की सामग्री का प्रचुर मात्रा में अनुवाद किया। ग्रीक, लैटिन, फ़ारसी, चीनी और संस्कृत से विज्ञान, दर्शन, राजनीति तथा राजनय की पुस्तकों के अरबी में अनुवाद हुए। किसी जमाने में बगदाद ज्ञान का बड़ा केन्द्र रहा था जहाँ यूनान के वैज्ञानिक तथा दार्शनिक ग्रन्थों के सुव्यवस्थित ढंग से अरबी में अनुवाद करवाए गए थे। इन अनूदित पुस्तकों का अध्ययन प्रमुख इस्लामी अध्ययन–स्थलों में किया जाता था, जैसे–मोरोक्को का अल–क़रावी विद्यापीठ, मिस्र का अल–अज़हर विद्यापीठ तथा बगदाद का अल–नूमिया विद्यापीठ।

### जापान में अनुवाद

जापान ने भी पश्चिमी ज्ञान की सामग्री के अनुवाद की ओर पर्याप्त ध्यान दिया था। जापान में अनुवाद की मुख्य स्रोत भाषा डच थी। सत्रहवीं शताब्दी जापान में डच भाषा से अनुवाद करनेवालों का एक विशेष वर्ग तैयार हो गया था जिन्हें रांगाकुशा कहा जाता था। इन रांगाकुशा अनुवादकों ने गणित, खगोलविज्ञान, आयुर्विज्ञान और वनस्पतिविज्ञान की मानक यूरोपीय पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया। अर्थात् जापान में भी वैज्ञानिक अनुवाद पर ही विशेष बल दिया गया था।

### पड़ोसी देशों में अनुवाद

प्राचीन भारतीय (संस्कृत और पाली) साहित्य का एशिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ था। श्रीलंका, म्याँमार, तिब्बत, थाईलैण्ड, वियतनाम, चीन, जापान, कोरिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। बौद्ध साहित्य के चीनी अनुवादकों में कुमारजीव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। संस्कृत के कई मूल ग्रन्थ जो विभिन्न कारणों से आज उपलब्ध नहीं हैं केवल तिब्बती अनुवाद के रूप में ही सुरक्षित रह गए हैं। इस तरह का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है धर्मकीर्ति का प्रमाणवार्तिक जो बौद्ध तर्कशास्त्र की पुस्तक है। इसके तिब्बती अनुवाद के आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने संस्कृत में इस पुस्तक का पुनरुद्धार किया था।

## भारत में वैज्ञानिक अनुवाद

भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से वैज्ञानिक अनुवाद की स्थिति बिल्कुल भिन्न रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में वैज्ञानिक अनुवाद को उस तरह का महत्व नहीं दिया गया जैसा कि अन्य देशों में दिया गया था। संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान की विपुल सामग्री आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनूदित नहीं हुई है। संस्कृत, प्राकृत और पाली में उपलब्ध ललित साहित्य तक का आधुनिक भारतीय भाषाओं

में बहुत कम अनुवाद हुआ है। देखा जाए तो रामायण और महाभारत का भी आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ है बल्कि रूपान्तर हुआ है।

समय–समय पर अन्य देशों की भाषाओं से भारत का सम्पर्क हुआ है। मध्य युग में भारत तुर्की, अरबी, फ़ारसी भाषाओं के सम्पर्क में आया और इन भाषाओं के विद्वान भी हमारे यहाँ हुए हैं। परन्तु इन भाषाओं से भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक अनुवाद की कोई परम्परा हमारे यहाँ नहीं रही है। यदि ऐसा हुआ होता तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक चेतना और विज्ञान–प्रसार की स्थिति बिल्कुल ही भिन्न होती। आधुनिक काल में हमारा सम्पर्क फ्रान्सीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं से हुआ। अंग्रेजी के ज्ञान का हमने अनुवाद करने के लिए कोई उपयोग नहीं किया बल्कि उसे हमने पूरी तरह से अपना ही लिया है। अन्य भाषाओं को लेकर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन भाषाओं के जानने वाले लोग कम हैं परन्तु अंग्रेजी के मामले में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यदि शुरू से ही अंग्रेजी से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की पुस्तकों के अनुवाद पर बल दिया गया होता तो भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक शैली सहज रूप से विकसित हो गई होती और हमारी भाषाओं में ज्ञान का विपुल भण्डार बन गया होता जिसमें अनूदित और मौलिक दोनों ही प्रकार की रचनाएं शामिल होतीं। हमारे समाज में ज्ञान का जो भाषिक अवरोध आज विद्यमान है उससे भी हम काफ़ी हद तक मुक्त रह सकते थे। भारत की तुलना में अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, जापानी, चीनी, फ्रेंच आदि भाषाएँ आज भी अनुवाद के मामले में बहुत आगे हैं क्योंकि किसी अन्य भाषा में प्रकाशित महत्वपूर्ण रचना का अनुवाद इन भाषाओं में कम–से–कम समय में प्रकाशित हो जाता है।

इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में वैज्ञानिक अनुवाद को पर्याप्त महत्व दिया जाता रहा है जो आज विकास के मामले में अन्य कई देशों से आगे हैं। निश्चय ही किसी भी देश की प्रगति में तथा विज्ञान के प्रसार में वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लेख के आरम्भ में वैज्ञानिक अनुवाद और ज्ञान के विस्तार की बात की गई है। इस सम्बन्ध में एक रोचक उदाहरण आधुनिक काल से भी दिया जा सकता है। मृदाविज्ञान के सिद्धान्तों को विकसित करने का श्रेय रूसी वैज्ञानिक व.व.दाकुशेव को दिया जाता है। इस विषय पर उनकी पुस्तक सन् 1878 में प्रकाशित हुई थी। परन्तु रूसी में लिखी होने के कारण रूस से बाहर के वैज्ञानिक उससे अनभिज्ञ थे। मूल प्रकाशन के छत्तीस साल बाद सन् 1914 में पहली बार इस पुस्तक का जर्मन अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस जर्मन अनुवाद से प्रभावित हो कर अमेरिका के कृषि विभाग के अध्यक्ष ने स्वयं उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और तब जाकर मृदाविज्ञान सैद्धान्तिक विषय के रूप में स्थापित हुआ (शिवगोपाल मिश्र–'माता भूमिः, पुत्रोअहम्', विज्ञान प्रगति, जून 2012, पृ. 35)। ऐसा अनुवाद की बदौलत ही सम्भव हो सका था।

## सन्दर्भ


1. http://www.hermes-press.com/translations1a.htm
2. http://en-wikipedia-org/wiki/High_Middle_Ages
3. http://en-wikipedia-org/wiki/Latin_translations_of_the_12th_century
4. http://en-wikipedia-org/wiki/Translation
5. http://en-wikipedia-org/wiki/Translation_studies
6. K-M-Panikkar - Asia and Western Dominance] Allen & Unwin] 1961] p- 254-
7. शिवगोपाल मिश्र. 'माता भूमिः, पुत्रोअहम्', विज्ञान प्रगति, जून 2012, पृ. 33–37.

# रूस में हिंदी भाषा और साहित्य का विस्तारः नया अनुसंधान

इंदिरा गाजिएवा

*रूसी सरकारी मानविक विश्वविद्यालय, मॉस्को, रूस*

**सारांश**

इस लेख में हिन्दी पाठ्यक्रम की आधुनिक संरचना, रूस में हिंदी भाषा और साहित्य का विस्तार तथा इंटरनेट में हिंदी शिक्षण के सन्दर्भ में भारत–रूस के वैज्ञानिक सहयोग का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया हैं।

## रूस में भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रसार का इतिहास (सन् 1980 से आज तक)

रूस में भारतीय संस्कृति, कई भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की पहचान बीसवीं सदी के छठे दशक से शुरू हो गई थी। अनेक भारतीय लेखकों तथा महाकवियों की रचनाएँ–कविताएँ रूसी में अनुवाद की जाती रही थीं–जैसे प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, वृंदावनलाल वर्मा, कृशण चंदर, भीष्म सहनी, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, अमृता प्रीतम, हरिवंशराय बच्चन, अज्ञेय, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा आदि। सन् 1980 साल से हिंदी के अपेक्षाकृत युवा पीढ़ी के कवियों की रचनाओं के अनुवाद भी रूसी में प्रकाशित किए गये थे, जैसे–विश्वनाथप्रसाद सिंह, गोरख पांडेय, मंगलेश डबराल, उदयप्रकाश, नरेंद्र जैन, अरुण कमल, अनिल जनविजय, गगन गिल और स्वप्निल श्रीवास्तव आदि। भारतीय साहित्य के रूसी के अनुवादों का इतना बड़ा संग्रहण सोवियत संघ के शासन में किया गया था। उस समय हिंदी, बांग्ला, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ओड़िया भाषाओं का साहित्य रूसी भाषा में अनूदित हुआ था। हर एक सोवियत गणतंत्र में विज्ञान अकादमियाँ बनी हुई थीं जिनके पूर्व विभागों में कई भारतीय भाषाओं के साहित्य, इतिहास, संस्कृति और अर्थ–व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा अनुसंधान किया गया था।

सोवियत विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा शास्त्र और साहित्य, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति सीखने–सिखाने का पंचवर्षीय शिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया। डिग्री प्राप्त करने को भारतीय भाषाएँ सीखना अनिवार्य था। उस समय का गुण वैसे ही था कि ओरिएंटल इंस्टिट्यूट के हर ग्रेजुएट छात्र को आसानी से नौकरी मिल सकती थी। चाहे मास्को रेडियो में, चाहे विदेश मंत्रालय में, या प्रगति प्रकाशन या अनुसंधानी संस्थान में। सन् 1980 में रूस में भारतीय साहित्य के अनुवाद का बड़ा विस्तार शुरू हुआ था। भारतीय साहित्य की प्रगति जटिल रूप से भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई थी।

रूसी प्रगति प्रकाशन के पब्लिशिंग हाउस में भारतीय कवियों व लेखकों की नयी किताबें प्रकाशित की जाती थीं जैसे –

1) बीसवीं सदी की भारतीय कविता ( हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, कैलाश वाजपेयी, अशोक वाजपेयी)। खंड 1,2. अलग अलग भाषाओं से अनूदित. मास्को, 1990.
2) अलेक्जेंडर सेन्केविच ने बीसवीं सदी के प्रतिष्ठित हिन्दी कवियों की कविताओं का रूसी में अनुवाद किया जैसेकि "संमकालीन हिंदी साहित्य" जिस में अज्ञेय, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, सर्वेश्वर

दयाल सक्सेना, कैलाश वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, गंगा प्रसाद विमल की रचनाएँ उस समय अलेक्जेंडर सेन्केविच की दो पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया था जैसे–''बच्चन रचनात्मकता की टिप्पणी'' का संग्रह तथा हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक ''हिंदी भाषा का आधुनिक साहित्य''।

3) "आधुनिक भारतीय कविता" के संग्रह में 50–70 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय और भारतीय चार आधुनिक भारतीय कवियों की कविताएँ–सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो हिंदी में लिखते थे, बंगाली कवि प्रेमेंद्रो मित्रा, गुजराती कवि उमशंकार जोशी और दे.ब.तिलक प्रकाशित हुई थीं। संग्रह के विविध विषय थे–दार्शनिक, नागरिक और अंतरंग गीत, परिदृश्य, और शैली नमूने।

4) सोवियत विद्वान इगोर सेरेब्रकोव ने "भारतीय जनता का साहित्य" की किताब मास्को में छपी हुई थी। प्रोफेसर सेरेब्रकोव न केवल संस्कृत, हिंदी और पंजाबी भाषाओं के अनुवादक थे बल्कि आपने पंजाबी–रूसी शब्दकोश संकलित भी किया। प्रोफेसर सेरेब्रकोव को जवाहरलाल नेहरू का पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

5) रूसी विशाल विद्वान, साहित्यिक आलोचक, संस्कृति ज्ञानी, अनुवादक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर एवगेनीय चेलिशेव की बहुत ज्यादा लेख, रचनाएँ छपी हुई थीं जैसे–"आधुनिक भारतीय साहित्य" का संग्रह सन् 1981 मास्को में प्रकाशित किया गया था। अपनी रचनाओं में उन्होंने नए और नवीनतम भारतीय साहित्य रूसी पाठकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया था। भारतीय अध्ययन व तुलनात्मक साहित्य के आधार पर उन्होंने 15 पुस्तकें और 500 से अधिक लेख लिखे थे। प्रोफेसर चेलिशेव की "भारतीय साहित्य कल और आज" की किताब रूसी छात्रों को भारतीय प्रगतिशील साहित्य के समाचार का परिज्ञान देती है।

6) प्रेमचंद के सृजन के बारे में रूसी विद्धानों तथा साहित्यकारों का "भारतीय लेखकों और अनुसंधाताओं के मूल्यांकन में हिन्दी साहित्य का विकास (1980–1990 के आधार पर)" की पुस्तक सन् 1999 में पूर्वी साहित्य प्रकाशन गृह द्वारा "बीसवीं सदी उत्तरार्ध में हिन्दी उपन्यास का विकास" की कृति सन् 2000 में प्रकाशित की गई। आजकल डॉ नीना गव्रयूशीना ''बीसवीं सदी के मोड़ पर हिन्दी साहित्य (भारत में आधुनिक साहित्यिक प्रक्रिया के विकास में विशेष प्रक्रिया)'' के संदर्भ लिखती रहती हैं।

7) प्रोफेसर आन्ना सुवोरोवा रूसी इन्डोलोजी शास्त्र में बहुत बड़ी तथा प्रसिद्ध विद्वान मानी जाती हैं। उर्दू से रूसी में उन्हों ज्यादा रचनाएँ अनूदित की हैं। प्रोफेसर को सुवोरोवा से

   I) सन् 1981 में ''भारतीय परी की कहानी का संग्रह छपा था जिस में तीन कहानियाँ शामिल हैं– (क) नहलचंदा लहोरी ''बकावली गुलाब'' की कहानी, (ख) मीर अम्मान ''गार्डन और बहार'' व (ग) ''फूल की चिन'' खलील अलीखान आश्क की कहानी हैं।

   II) उनकी दूसरी पुस्तक सन् 1992 में "भारतीय प्रेम कविता (Masnavi)" मास्को के "पूर्वी साहित्य प्रकाशन गृह" में छपी हुई थी।

8) डॉ ल्यूदमीला वासिल्येवा की किताब "फैज अहमद फैज, पसंदीदा रचनाएँ" मशहूर शायर फैज अहमद फैज के 100 वीं वर्षगांठ पर मास्को के प्रकाशन गृह में सन् 2009 में छपी हुई थी।

9) डॉ एलेना कालिन्निकोवा सन् 1974 में ''ऑक्सफोर्ड पेरगामोन प्रेस'' के प्रकाशन गृह में ''भारत के अंग्रेजी साहित्य'' की पुस्तक छपी हुई थी। सन् 1981 में मास्को के ''नाउका'' प्रकाशन गृह में उनकी दूसरी किताब ''राजीतुराम कृष्णास्वामी नारायण'' की पुस्तक निकली हुई थी।
   सन् 1982 में ''मुल्कराज आनंद'' की पुस्तक ''ऑक्सफोर्ड पेरगामोन प्रेस'' के प्रकाशन गृह में भी प्रकाशित हुआ था।

10) प्रोफेसर अलेक्जेंडर द्रव्यनस्कीय तमिल साहित्य के इतिहास के विशेषज्ञ हैं। उनकी किताब "तमिल

साहित्य" सन् 1987 में मास्को में छपी थी। सन् 1989 में उनकी पुस्तक "पूजा और प्राचीन तमिल कविता की पौराणिक उत्पत्ति" मास्को से प्रकाशित हुई थी।

## रूस में हिंदी भाषा और साहित्य के नये अनुसंधान

क्लासिकल और समकालीन भारतीय और रूसी साहित्य दोनों देशों की भाषाओं में लगातार अनुवाद किया गया है। सन् 2009 में "विदेशी साहित्य पत्रिका" में विशेष आधुनिक भारतीय साहित्य का समर्पित प्रकाशन किया गया था। पत्रिका का संस्करण रूस में भारत के वर्ष मनाने के लिए समर्पित किया गया था। सन् 2009 के सितंबर में, भारत देश मास्को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का सम्मान अतिथि माना गया था जहां चौबीस प्रसिद्ध भारतीय लेखक आये हुए थे। आधुनिक भारतीय लेखक अपनी रचनाओं में ऐसे विषय का वर्णन करते हैं जिनमें देश ग्रामीण और पिछड़े हुए देश से उच्च सामाजिक और आर्थिक विकसित देश के रूप में परिवर्तन हो जाता है और इन से विकास की जटिलता की समस्या व विदेशों में भारतीय समुदाय के आप्रवास का वर्णन किया गया है।

## आजकल रूसी विज्ञान अकादमी के पूर्व विभागों के विद्वानों द्वारा कई भारतीय भाषाओं के साहित्य, के क्षेत्र में बड़ा अनुसंधान किया गया है।

1) सन् 2011 में डॉ ल्यूदमीला वासिल्येवा हिन्दी में "फैज और मास्को" का लेख भारत साहित्यिक अकादमी के "नया पाठ" के प्रकाशन गृह में छपा हुआ था। इन के साथ "नजीर अहमद" और "आर के नारायण" के लेख बड़े रूसी इनसाइक्लोपीडिया में छपे हुए थे।
2) डॉ एलेना कालिन्निकोवा का लेख नामक "विश्व साहित्य में भारत के अंग्रेजी साहित्य की प्रक्रिया" "आज एशिया और अफ्रीका" की पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। भारत के आधुनिक अंग्रेजी भाषा के साहित्य की डॉ एलेना कालिन्निकोवा की मुख्य विशेषज्ञता है। सन् 2009 में मास्को के "रूसी दौर" के प्रकाशन गृह में उनकी किताब "सलमान रुश्दी की घटना" की पुस्तक निकली हुई थी।
3) डॉ नाताल्य कोलेस्नीकोवा का एक लेख "वी सी नायपोल व्यक्तित्व का विरोधाभास" पूर्व की पत्रिका में छपा हुआ था। उनका दूसरा लेख "त्रिनिदाद में भारतीय समुदाय" "डायस्पोरा" की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।
4) प्रोफेसर आन्ना सुवोरोवा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रॉयल एशियाटिक सोसायटी के सदस्य हैं। सन् 2000 से आज तक प्रोफेसर सुवोरोवा की कई किताबों के प्रकाशन हुए हैं जैसे–"Lahore: Topophilia of Space and Place".(Karachi: Oxford University Press, 2011), "Muslim Saints of South Asia"(London-N.Y Routledge,2011)
5) प्रोफेसर अलेक्जेंडर दुब्यनस्कीय अन्दल्स की कृष्णा कविता "तीरुप्पवेय" का लेख सन् 2006 में तथाा सन् 2007 में "भारत में कविता की उत्पत्ति (बारिश की कविता)" के लेख छपे हुए थे।
6) प्रोफेसर गूजेल स्त्रेलकोवा ने हजारीप्रसाद द्विवेदी, महाश्वेता देवी की कहानियों का रूसी भाषा में अनुवाद किया ताकि रूसी विद्यार्थी भारतीय साहित्य से परिचित हो जाएँ।

## रूसी सरकारी मानविक विश्वविद्यालय में हिन्दी पाठ्यक्रम की आधुनिक संरचना

सन् 1990 से रूस में पुनर्निर्माण शुरू हुआ। पूरे देश का वातावरण बदल गया। विज्ञान की प्रतिष्ठा गिर गयी थी। तब भारतीय साहित्य तथा संस्कृति व भाषा सीखने की कोई रूची नहीं थी क्योंकि नए रूस में भारतीय भाषाओं का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता था। रूसी "प्रगति" प्रकाशन के पब्लिशिंग हाउस का कार्य खत्म हो गया।मास्को रेडियो के भारतीय भाषाओं का प्रसारण धीरे–धीरे कम होने लगा। इन्डोलोजी शास्त्र का अनुसंधान लोगों को फीका लगने लगा।

इक्कीसवी सदी में भाषा सीखने की नई पद्धति सामने आई–''गहन और भाषा–संस्कृतिपरक भाषाशिक्षण पद्धति'' या "Intensive and lingo&cultural method of teaching"। आधुनिक विद्यार्थी लोग भाषा सीखने में अनेक पद्धति का चयन कर सकते हैं।

सन 2011 से बोलोन्या समझौते के अनुसार रूसी सरकारी मानविक विश्वविद्यालय में शैक्षिक वर्ष का हिन्दी पाठ्यक्रम चार साल के लिये चलाया जाता है। इससे पहले शिक्षण की योजना पाँच वर्षीय कार्यक्रम चलता रहा। नये हिन्दी पाठ्यक्रम से हमारे विश्वविद्यालय में केवल हिंदी भाषा तथा व्याकरण सिखाये जाते हैं। पहले हिंदी के पाठ्यक्रमों में हिंदी व्याकरण, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, हिंदी साहित्य, गद्य एवं पद्य, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी शिक्षण के सिद्धांत तथा अनुवाद के सिद्धांत भी पढ़ाए जाते थे। सप्ताह में हिन्दी सीखने में 6 घंटे निर्धारित किए गए है।

बी ए पाठ्यक्रम में छात्र लोग साहित्यिक भाषा तथा बोलचाल की भाषा, दोनों सीख लेते हैं। भाषा सिखाने में हिंदी की अमरीकी, ब्रिटिश और अन्य पाठ्य–पुस्तकें भी इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे– रूपर्ट स्नेल की "टीच योरसेल्फ हिन्दी", तेज भाटिया की "कोलोक्वीयल हिन्दी", कविता कुमार, मोहिनी राव, आशुतोश प्रकाश शुक्ल, वीणा शर्मा की हिन्दी पाठ्य–पुस्तकें, मैक्ग्रेगर, शपीरो, पीटर हुक, कामता प्रसाद गुरु, वी रा जगन्नाथन, हिन्दी व्याकरण व निबंध रचनाएँ।

आज हिंदी शिक्षण में भारतीय कविताओं और आधुनिक रचनाओं का अनुवाद विस्तार होता रहता है। समकालीन रूसी पाठक उत्कृष्ट भारतीय लेखिका महाश्वेता देवी की रचनाओं से परिचित हैं जिनमें पिछड़ी जानजातियों के जीवन के वर्णन का मुख्य विषय है। उनके ग्राम बंगला,''झांसी की रानी'' जैसे उपन्यासों से रूसी विद्यार्थी परिचित हैं। अपनी रचनात्मकता में महाश्वेता देवी ने गरीब भारतीय लोगों, विशेष रूप से आदिवासी जनजातियों की समस्या का पता लगाया है, ।

कुछ समय वह उनके साथ रहते थे, इसी वजह से उनकी कथाओं का मुख्य लाभ उनकी विश्वसनीयता में है, कि सभी पात्र वास्तविक जीवन से लिया जाता है। "धौली" की एक छोटी कहानी में मुख्य पात्र एक चरित्र का नाम धौली था। वह दुसध की जाति और विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी सो आभूषण पहनने, बिंदी लगाने या आइने में देखने की अनुमति नहीं थी।

मगर भाग्य से कौन दूर जा सकता है। मिश्रीलाल नाम के एक जवान आदमी ने उससे प्यार किया था। वे ब्राह्मण थे, सज्जन थे जिनके घर में धौली खेती में लगी हुई थी। इस प्यार का पता पूरे गांव में फैला हुआ था। धौली से उसका प्यार भयानक था। पर वह जवान थी, उसकी उम्र 19 वर्ष की थी और वह विधवा थी। मिश्रीलाल को खुशी थी कि धौली एक बच्चे की माँ भी थी परंतु उनके परिवार ने धौली को छोड़ने को और अपने ही वर्ण की एक लड़की से शादी करने को मजबूर कर दिया था। बच्चे को खिलाने के लिए धौली को अपनी देह बेचनी पड़ती थी। बाद में ब्राह्मणों के निर्णय से उसे गांव के बाहर निकाल दिया गया। भारतीय सिद्धांत के अनुसार परिवार की आदर्श महिला माँ या गृहस्थी को अपनाया जाता है। वास्तव में नेतृत्व और शासन आदमी के हाथ में रहते रहे हैं। भारतीय साहित्य में तथा रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है, कि पुरुषों और महिलाओं के अधिकार अलग–अलग होते हैं। मर्दानगी की सामाजिक छवि न केवल दुनिया में विशेष रूप से अवतीर्ण होती है बल्कि लेखक और नायक के विशेष दृश्य में प्रकट भी होती है।

## इंटरनेट हिन्दी का विस्तार

भारतीय साहित्य का ज्ञान तथा हिंदी भाषा अध्ययन सोशल नेट्वर्किंग वेबसाइट फेसबुक (Facebook), वकोन्तात्के (Vkontakte) में विकसित होते जा रहे हैं। रूसी सरकारी मानविक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से ब्लोग – http://hindi-lesson.livejournal.com/ बनाया गया था जिस

से वे हिन्दी भाषा और साहित्य के बारे में सूचना जोड़ते–जोड़ते ज्ञान फैला रहे हैं। इस वेबसाइट में मास्को के हिन्दी स्कूल के छात्र–छात्राओं के लिए हिन्दी में छोटी कहानियों के अभ्यास बनाये गए हैं, ताकि हिन्दी सीखने वाले लोग उत्सुक्ता से पढ़ें। इसी तरह हिन्दी पन्चतंत्र (http://hindi-lesson-livejournal.com/9223.html), भीष्म साहनी (http://hindi-lesson-livejournal.com/7377-html) तथा महाश्वेता देवी की कहानियाँ मिली हुई हैं।

वकोन्ताक्ते वेबसाइट (http://vk-com/hindi_indi) सन् 2012 में हमारे छात्रों से बनाया गया है।

आजकल नये बी ए पाठ्यक्रम के अनुसार भारत के इतिहास, साहित्य, संस्कृत और संस्कृति विद्यार्थियों को नहीं सिखाया जाता है तो ब्लॉग में इन सभी विषयों पर जानकारी रखी जा रही है जैसे– संस्कृत के मंत्र, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की रचनाएँ, पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की कविताएँ (http://www.facebook.com/hindi.pu) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट (http://www.hindisamay.com) है जिसके माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित अध्ययन/शोध/अनुसंधान आदि के व्यापक डेटाबेस के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ साहित्य का अद्‌भुत संग्रह तथा 40 हजार कविताओं का संचालन, व्यक्तिगत नेट पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं, भारतीय साहित्य के ऑनलाइन उपलब्ध विश्वकोश में (http://www-gadyakosh-org/) हिन्दी और उर्दू के अलावा और भी बहुत–सी भारतीय भाषाओं व बोलियों में रचा गया साहित्य उपलब्ध है। भारतीय काव्य का इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित कोश है (http://www-kavitakosh-org/) जिस में रूसी तथा भारतीय लेखकों या कवियों की हिन्दी–रूसी और रूसी–हिन्दी की अनूदित रचनाएँ, कविताएँ इकट्ठी हुई हैं, अभिव्यक्ति अनुभूति के ब्लॉग में (http://www.anubhuti-hindi.org/1purane_ank/2012/11_05_12.html) कविताओं को बड़ा तुक–कोश है, डॉ कविता वाचक्नवी के ब्लॉग में (http:èèwww.hindi-bharat.comè2009è11èblog-post_18.html) मशहूर आधुनिक लेखक–लेखिकाओं, कवियों–कवित्रियों की रचनाएँ मिली हुई हैं और आदि।

आजकल इक्कीसवीं सदी में रूस–भारत की मैत्री और साझेदारी में नई दिशाएँ निकलीं, संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं, जिनके आधार पर न केवल आर्थिक–व्यापार तथा ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों में, बल्कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग में भी नई परियोजनाएँ तथा नये अवसर बन रहे हैं। यह बहुत आनंददायक बात है, क्योंकि रूस और भारत के पिछले बीस साल बहुत कठिन रहे और इस अवधि में कोई स्थाई शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान नहीं हुआ। रूसी जनता भारत को सदा प्यार करती रही है और आशा है कि दोनों देशों के बीच फिर से विज्ञानिक–सांस्कृतिक संबंध उत्पन्न होंगे और रूसी लोगों में हिन्दी भाषा तथा आधुनिक साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेंगी।

अंत में मैं अपनी सहकर्मी लुदमीला खोखलोवा जो हिंदी मास्को विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं, मैं उनकी बात कहना चाहती हूँ कि "कुछ और समस्याएं भी हैं जिनको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे बस की बात नहीं है। यह है हिंदी के उपयोग का विस्तार। जब हिंदी हर औपचारिक क्षेत्र में इस्तेमाल की जाएगी, हमारे विद्यर्थियों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कभी–कभी ऐसा कहते हैं, कि जवान पीढ़ी नालायक है, उसको पैसे का लालच है, ज्ञान का नहीं। हमारे विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं। वे भारत के बारे में बहुत रुचि लेते व ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिये विश्वास से कहा जा सकता है कि रूस में हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है।"

# विश्व की प्रगति में राजभाषा के विकास में जन संचार माध्यम का योगदान

एन दालय्या

*आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखपट्टनम, आंध्र प्रदेश*

राजभाषा के रूप में हिन्दी की वर्तमान स्थिति को लेकर वातानुकूलित बंद कमरों में बैठकर प्रतिवेदनों को बनाकर या तो सरकार की नीति की आलोचना करना या कर्मचारियों में निष्ठा की कमी की बात को लेकर छाती पीटना एक आम बात–सी हो गई है। लेकिन यह गलत रवैया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय रूप बलवती होता जा रहा है। हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण युगीन माँग के अनुरूप होता जा रहा है। सरकारी संस्थाओं की ओर से अभूतपूर्व ढंग से इस दिशा में कई प्रयत्न हो रहे हैं, परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में क्षिप्र गति से हिन्दी विकसित हो रही है।

ग्लोबलाइजेशन या बाजारवाद के इस दौर में भाषाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज खुली अर्थव्यवस्था ने विश्व को भौतिक रूप से जुड़ने के लिए और भी आसान कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप आज 'विश्व एक मंडी' बन गया है, और इन मंडियों में भारत सबसे बड़ी मंडी के रूप में विश्व के सामने है। भारतीय भाषाओं को 'विश्व बाजार' के लिए तैयार करना है। उन्हें औद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं लोक व्यवहार का अंग बनाया है। हिन्दी हिन्दी के जनमन में पोषित लोक भाषा है। हिन्दी सदियों से हमारे राष्ट्र की भाषा रही है। हमारे देश के संतों, नाथों, सिद्धों, साहित्यकारों, दार्शनिकों, पंडितों एवं महान नेताओं ने इसे बनाया है, संवारा है, प्रयोग में लाकर इसे गौरवान्वित किया है। दुनिया जैसे–जैसे ग्लोबल होती जा रही है, वैसे–वैसे हिन्दी की माँग भी बढ़ती जा रही है।

हमने अपने देश का राजनैतिक एकीकरण सम्पन्न किया है। अंगेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही एक दूसरे के और भी नजदीक आ सकेंगे। इसके पूर्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था कि "हिन्दी का पेट महासागर की तरह विस्तृत है, जिसमें सब भाषाएं समा सकती हैं। वह राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रांत और न तो किसी जाति की है, वह सारे भारत की भाषा है, इसके लिए जरूरी है कि सारे भारत के लोग इसे समझ सकें और अपनाने में गौरव हासिल कर विश्वबंन्धुत्व, विश्व संस्कृति की भावना हिन्दी में पूरी तरह समायी है। हिन्दी ने देश एवं विदेशों में सांस्कृतिक, भावात्मक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश–विदेश में साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, संगणक, इंटरनेट आदि क्षेत्रों में हिन्दी सक्षम भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि– अंग्रेजी और अंग्रेजियत के कुचक्रों का मुंहतोड़ जवाब तब ही दिया जा सकता है, जब भारत की सभी बोलियां और जातीय भाषाएं पत्तों की तरह डालियों से जुड़कर हिन्दी को एक भरे–पूरे वृक्ष का रूप देंगी। पेड़ का जीवन जैसे पत्तों से है, वैसे ही हिन्दी का जीवन भारतीय जातीय भाषाओं और बोलियों से है। वे फलेंगी, फूलेंगी तो हिन्दी भी फलेगी, फूलेगी। हिन्दी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहला स्थान चीनी का, दूसरा स्थान हिन्दी का तथा तीसरा स्थान अंगेजी का है।

सन् 1816 ई.में विलियम कोरी ने हिन्दी के व्यापक प्रसार पर लिखा था कि "हिन्दी का कोई अपना प्रदेश नहीं है जिसके लिए कहा जा सके कि हिन्दी वहां की भाषा है। भंडार की दृष्टि से देखे

तो, हिन्दी का शब्द भंडार काफी विशाल है। अंग्रेजी की बढ़ाई करने वालों को यह जानना जरूरी है कि हिन्दी में मूल शब्दों की संख्या दो लाख पचास हजार है वहीं, अंग्रेजी में उसकी संख्या मात्र दस हजार है। इसके अलावा हिन्दी ने विश्व की अनेक भाषाओं और बोलियों को आत्मसात किया है। अत: इसमें आर्य और द्रविड परिवार की भाषाओं के साथ–साथ आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मनी, फेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जपानी आदि शब्दों का समावेश है। इसलिए हिन्दी स्वयं में विश्व समाज को समाहित कर चुकी है। भारतीय लोकतंत्र में राजकाज की भाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी स्वीकृत है परंतु हो कुछ अन्य ही रहा है। भारत के ही नहीं प्रशांत महासागर के द्वीप समूह फीजी के राष्ट्र कवि पं. कमला प्रसाद जी लिखते हैं –

भारत आज स्वतंत्र देश है, नारा देश लगाये।
क्रिकेट और अंग्रेजी अब तो सबका मन बहुलाये।।
जो अंग्रेजी नहीं जानता वह असभ्य मानव है।
दिल्ली अब हर परदेशी को यह संदेश सुनाए।।

इतना ही नही उन्होंने तो हिन्दी को धोखा देने वालों को गद्दार बता दिया है। कहा है कि – "भारत के नहीं तुम लंदन के पाले और कहा है कि

भारत में पढ़ा लगता अछूत वह।
लंदन में शिक्षित जो स्वर्ग का दूत वह।।
अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी संस्कृति के
अब भी तुम दास हो अपनी ही अवनति के।
साथ अंगेजी के करके तुम मेल गये।
बापू के साथ भी चाल तुम खेल गये।।

राष्ट्र की परिकल्पना इस प्रकार भावात्मक सम्बन्धों की संवृद्धि में सहायक होती है। एक कविता है जिसमें कवि मारे, काटो, हमारे लोग आ रहे हैं, जागो, हम मजदूरी करते हैं, तुम उसका फायदा उठाते हो, अब हमारी जातवालों की नदी–बाढ़ चली आई है। कहकर कवि अपने लोगों को जगाते हैं, समाज को चेतावनी देते हैं। यहाँ हालाँकि 'मारने–काटने' सम्बन्धी प्रचोदन है, अपने लोगों के अधिकार और हक को जताने की भी कोशिश है।

महात्मा गांधी ने कहा था–" मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निःसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोडों भूखों मरने वालों और दलितों और अंत्यजों का हो और उन सबके लिए होने वाला हो तो हिन्दी ही एक मात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है हिन्दी जन, गण, मन की भाषा है। हिन्दी पेट की भाषा है। कामिल बुल्के का कथन–हिन्दुस्तान एक भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत बूढी दादी है संस्कृत, इस संस्कृत रूपी बूढ़ी दादी की 22 बहुएं हैं, और इनकी दासी अंग्रेजी है।

जन संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे–समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो कैसेट से सूचना के प्रचारक या प्रसारक का अभिपेत प्राप्तकर्ता तक पहुँच जाता है। इस दिशा में भाषा एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करती है। भाषा के उद्भव तथा विकास से तो संचार का संसार ही बदल गया है। आज हिन्दी भाषा व्यापक रूप से फैल गई है, इसीलिए इस भाषा की छवि सभी कार्यक्षेत्रों में अनुप्रयोगिक रूप में प्रसारित हो रही है। आज संचार के प्रत्येक माध्यम पर हिन्दी भाषा ने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है।

संचार एक तकनीकी शब्द है जो अंग्रेजी के Communication का हिन्दी रूपान्तर है। इसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुँचाना। इसके माध्यम से मनुष्य समाज से जुड़ता

है और उसके सामाजिक सम्बन्ध बनते और विकसित होते हैं। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर आधारित हैं।

संचार का पहला माध्यम हैं 'भाषा', इसी के माध्यम से व्यक्ति से देश–विदेश के जुड़ाव की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। अतः सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने की कला का नाम संचार है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की गति–प्रगति का आधार स्तम्भ है।

'संचार' के संदर्भ में देखा जाए तो यह शब्द संस्कृत के बंत धातु से विकसित है जिसका अर्थ चलना या संचरण करना भी है। अंग्रेजी का Communication शब्द लैटिन के कम्यूनिट से जुड़ा है। जिसका तात्पर्य मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार, भाईचारा, मैत्री भाव, सहभागिता एवं न्यायपरायणता भी है। संचार के बिना समाज में मनुष्य का रहन–सहन असंभव है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों का संप्रेषण ही 'संचार' है। संचार के कार्यों के मूल में छिपा है हमारा उद्देश्य, यों तो हम समाज में रहते हुए स्थिति और आवश्यकतानुसार परस्पर 'संचार' करते हैं। हमारी आवश्यकताएँ असीमित हैं। इसलिए संचार के उद्देश्य भी असीमित हैं। जब हमें किसी विषय की जानकारी या सूचना देनी हो या फिर लेनी हो और अपने विचारों, मतों या अवधारणाओं को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए संचार का माध्यम आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि संचार के बिना हमारे जीवन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ता।

हमारी गति–प्रगति का मूल आधार ही संचार है। वास्तव में संचार अनिश्चित और अनेकार्थक तो है ही सर्वव्यापी भी है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो संचार की परिधि में न हो। ऐसे महान संचार माध्यम के फलस्वरूप समाज में सूचना की एकरूपता, मनोरंजन, विचारों का आदान–प्रदान, विचारों की एकरूपता, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति जैसी विप्लवात्मक परिवर्तन आ गए हैं, जिससे समाज में भावात्मक एकरूपता बढ़कर सामाजिक व्यवस्था समृद्ध बन गई है। 'जवरीमल्ल पारीख जी' ने संचार माध्यम की गरिमा एवं महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि–संचार का अर्थ हैं जन के लिए संचार के माध्यम। इसमें जनता न तो निष्क्रिय भागीदार होती है और न ही प्रत्येक प्रेषित संदेश को आसानी से स्वीकार कर लेती है बल्कि इन माध्यमों को प्रभावित भी करती हैं और इनसे प्रभावित भी होती है। आज के विकसित प्रौद्योगिकी युग में व्यक्ति अकेले ही घर बैठे–बैठे दुनिया से संपर्क कर सकता है।

डेविड जी का कथन है कि संचार ही बताता है कि राज सत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो? सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राज या सैनिक अधिकारियों का शासन हो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो।

इनके अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वान Dr.J.Paul leagans जी के विचार संचार माध्यम के चरित्र के वैशिष्ट्य को प्रमाणित करते है।

"It is a process by which two or more People Exchange ideas, facts, feeling or impressions in a way that each gains a common Understanding of the message in essence.It is the act of getting a sender and receives together for particular message or series of message"

पाश्चात्य विद्वान ही नहीं भारतीय विद्वानों ने भी जनसंचार के बारे में अपने विचार को विभिन्न रूपों में प्रस्तावित किया है। उनमें डॉ हरिमोहन जी प्रमुख हैं। इनके शब्दों में कहें तो कह सकते है कि संचार एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण सन्देशों का आदान–प्रदान किया जाता है। ये अर्थ पूर्ण सन्देश 'सन्देश' भेजने वाले और सन्देश पाने वालों के बीच एक समझदारी या साझेदारी बनाते हैं।

जन संचार के क्षेत्र में आयी क्रान्ति ने कुटुम्बकम की संकल्पना को साकार बना दिया है। संपूर्ण संसार एक ग्राम समुदाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसके पीछे संचार माध्यम ही काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, समय और स्थान की दूरी कम होती जा रही है।

जन संचार माध्यम विज्ञान की प्रगति और तकनीकी विकास के साथ–साथ मानवीय जीवन में परिवर्तन के सर्वशक्तिशाली साधन बन गए हैं। सूचना और विचार के सम्पेषण से मानव–मन को प्रभावित करने के जरिए आज के जन संचार माध्यम जिस तेजी और मजबूती के साथ लोकमत बनाने या बदलने की क्षमता रखते हैं वैसे सामाजिक क्षेत्र का कोई और उपकरण नहीं रखता। संचार और यातायात के अत्यन्त विकसित साधनों वाले आज के युग में जन संचार माध्यम भूमंडल की विस्तृत दुनिया के देशों को जोड़ने और प्रभावित करने वाली बहुत बड़ी शक्ति है।

21वी सदी का जन संचार ³mass media´ हमारे जीवन तथा राष्ट्रीय विकास और उसकी दिशा–निर्धारण का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रातः होते ही अधिकतर लोग समाचार–पत्र पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं तो सुदूर गाँवों के कुछ लोग रेडियो चला लेते है। कुछ अन्य लोग दूरदर्शन पर आँख–कान लगाएँ बैठ जाते हैं। इन विविध माध्यमों से हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेलकूद आदि से सम्बन्धित गतिविधियों के समाचारों के अतिरिक्त विविध प्रकार के मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। इन माध्यमों से प्रसारित विभिन्न विज्ञापन हमें उपभोक्ता–संस्कृति से अनायास ही जोड़ रखते हैं। वास्तव में, जन संचार के इन विभिन्न माध्यमों ने व्यक्ति से लेकर जन–समूह तक तथा एक देश से लेकर विश्व के विभिन्न देशों को एक सूत्र में बाँध दिया है।

आज के इलैक्ट्रॉनिक युग में उपग्रह एवं कम्प्यूटर–प्रणाली के सहयोग से संचार माध्यमों ने अधिक गति से काम करना शुरू किया हैं। डॉ हरिमोहन जी ने व्यापक स्तर पर सूचना प्रसारित करने वाले संचार माध्यमों को मुद्रण माध्यम, इलैक्ट्रानिक माध्यम, नव–इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में विभाजित किया है। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, जर्नल, पुस्तकें, पोस्टर, पम्फलेट आदि आते हैं। इलैक्ट्रानिक माध्यमों के रूप में दृश्य–श्रृव्य माध्यमों को प्रमुख रूप में कह सकते हैं, श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रेडियो, ऑडियो कैसेट को, दृश्य माध्यम के अंतर्गत फिल्म, टेलीविजन, वीडियो कैसेट, सी डी को प्रत्येक रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नव–इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत उपग्रह, कम्प्यूटर, प्रणाली, इंटरनेट एवं वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक्स आदि उल्लेखनीय है। संचार का क्षेत्र जब तक दो व्यक्तियों तक सीमित है, तब तक तो हम सामान्य पत्र, टेलीफोन, पेजर, मोबाइल फोन, सेल्यूलर या सेल फोन वायरलैस, फैक्स और कम्युनिकेटर तक को ही संचार के माध्याम मानकर चलेंगे, किन्तु जैसे ही सूचना या सन्देश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का दायरा बढ़ जाएगा, वैसे ही इसमें अधिक–से–अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ जाएगी और तब ये संचार माध्यम 'जन–माध्यम' बन जाएंगे।

जन संचार के साधन विद्यार्थियों को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा प्राप्त ज्ञान छात्रों के दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से सूचना मिलती है और जीवन की ऐसी यथार्थताओं से परिचय प्राप्त होता है जो विद्यालय के बन्द कमरे में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सुनने, नोट करने एवं भाषा सम्बन्धी सुधार की दिशा में जन संचार के साधन लाभप्रद सिद्ध होते हैं। राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द और समर्पित सेवा भावना सम्बन्धी बातों को सरस एवं मनोरम ढ़ंग से उपस्थित कर जन संचार के साधन शिक्षा–जगत में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। स्वराज्य की प्राप्ति और स्फूर्ति बढ़ाने के लिए शंखनाद किया। उनकी गर्जना कौमी आवाज बनकर घर–घर में पहुँची और संचार ने जन–जन में जागरण के भाव को भर दिया।

भक्रद्द हैं इसके मालिक हिन्दुस्तान हमारा।
पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी ।।

शताब्दियों की परतंत्रता से मुक्ति की व्यग्रता को जन संचार के माध्यमों ने स्पष्ट किया है। जन संचार के माध्यमों ने राष्ट्र–हित में आत्मज्ञान, आत्म विश्वास तथा आत्मोन्नति का मार्ग बतलाया। श्रीमती 'इन्दिरा गाँधी जी' ने नामीविया के एक सम्मेलन में कहा है कि सूचना शक्ति है तो यह केवल लादने वाली शक्ति नहीं है बल्कि विरोध करने वाली शक्ति भी है हमारे लिए यह हमारे लोगों में जागरूकता बढ़ाना एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में लोगों की हिस्सेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण सम्पदा का काम करती है। इससे भी ज्यादा यह विश्व–शांति एवं सद्भाव के लिए प्रभावशाली माध्यम है। हिन्दी के माध्यम से ही ये सब धारणाएँ सिद्ध हो सकती है।

देशवासियों को सूचित कर, जन हितकरी नीतियों में उनको सहभागी बनाकर, विकास हेतु सम्यक स्थितियों के सृजन द्वारा जन–संचार राष्ट्र निर्माण में अह्म भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में जन संचार के साधन राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, और साम्प्रदायिक सद्भाव के स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। 'बहुजन हिताय', अहर्निश सेवामहे के साथ संचार माध्यम घोषित करते हैं।

हितार्थाय विवेकालोक वर्थिनी।
उद्बोधनाय लोकस्य लोकसत्ता ।।

प्रजातीय एकता, धार्मिक एकता, भाषायी एकता, भौगोलिक सीमा तथा राजनैतिक प्रभुत्व–इन पाँच तत्वों से राष्ट्र सुसंगठित होता है। राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीयता किसी देश के सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बाँधने वाली वह भावनात्मक शक्ति है जिसके अभाव में उस देश का अस्तित्व स्थिर नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे नागरिकों के पारस्परिक भेद–जैसे जाति भेद, वर्ण–भेद, भाषा–भेद, प्रान्त–भेद सभी समाप्त हो जाते हैं। देश के प्रति, देश वासियों के प्रति, उस देश की भाषा एवं संस्कृति के प्रेम और निष्ठा ही राष्ट्रीय भावना के प्रमुख तत्व हैं। हिन्दी हमारी भारत की राजभाष,ा राष्ट्र भाषा और संपर्क भाषा है। हिन्दी से ही जन संचार की महत्ता अपने–आप में ही परिपूर्णता प्राप्त कर सकती हैं।

जनसंचार क्षेत्र में कार्यरत बुद्धिजीवी क्लिष्ट प्रौद्योगिकी तत्वों को आत्मसात कर लें, इस कारण उनकी प्रतिभा निखर उठ जाएगी। भारत की राजभाषा के माध्यम से जन संचार का विकास हो सके तो उस देशवासियों में बौद्धिक विकास, उनके जीवन में कौशल–प्राप्ति, सांस्कृतिक उन्नयन, विचार–क्षितिज का निरन्तर विकास होता रहेगा।

हिन्दी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के नागरिकों की जीवन–शैली, भारतीय सभ्यता प्रचीन परंपराओं और संस्कारों की संवाधिका के रूप में हिन्दी अपनी गरिमा को प्रकट करती है। विभिन्न भाषाकर प्रान्तों के बीच विचारों के आदान–प्रदान हेतु सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को समृद्ध बनाना वर्तमान युग की माँग है। संस्कृतिक सेतु के रूप में हिन्दी भारत को अविभाज्य रखने में समर्थ हुई है। भावात्मक एक्य–संधान हेतु हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बहु भाषा–भाषी समाज में अपने विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक सम्पर्क भाषा का होना नितांत आवश्यक हैं तथा भारत के संदर्भ में ऐसी सम्पर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है। इस प्रकार राजभाषा की विकास यात्रा में विभिन्न पड़ावों का अध्ययन करने से राजभाषा संकल्पना स्पष्ट हो जाती है।

# वैज्ञानिक प्रस्थापनाएं और आधुनिक हिंदी काव्य

रोहित सिंह एवं आशीष कुमार शुक्ला
*इंस्टीट्यूट आफ अपैरल् मैनेजमेंट, गुड़गांव, हरियाणा*

## काव्य में चिंतन के आयाम

पिछले निबंध में साहित्य अथवा काव्य और विज्ञान के अन्योन्य सम्बन्ध की रेखाओं को स्पष्ट किया गया है। इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में, आधुनिक हिन्दी काव्य का अनुशीलन अपेक्षित है। वैसे तो आधुनिक काव्य में हमें वैज्ञानिक चिंतन के प्रभाव का अनेक आयामों में दर्शन प्राप्त होता है, जिसका सम्पूर्ण विवेचन एक पुस्तक के द्वारा ही क्रमबद्ध रूप में रखा जा सकता है। फिर भी, विषय की विशालता को ध्यान में रखकर, मैं अपने अध्ययन को निम्न शीर्षकों में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो अध्ययन की बहुत ही प्रमुख विशेषताएं है –

1. परमाणु रहस्य
2. विकासवादी सिद्धान्त और चिन्तन (जीव तथा वनस्पति जगत)
3. सृष्टि रहस्य (ग्रह, नीहारिकायें, नक्षत्रादि)
4. मूल्यगत चिंतन

## परमाणु–रहस्य

विज्ञान ने भौतिक पदार्थ की सूक्ष्मतम् इकाई को 'परमाणु' की संज्ञा प्रदान की है। परमाणु के भी अन्दर उसकी विद्युत शक्ति की व्याख्या करने की लिए इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पाजिट्रॉन आदि की कल्पना की गई। इलैक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत–शक्ति का और प्रोटान धनात्मक विद्युत–शक्ति का केन्द्र या प्रतीक माना गया है। दोनों ही शक्तियाँ निष्क्रियावस्था में रहती हैं। इसी भाव की सुन्दर काव्यात्मक अभिव्यक्ति कविवर प्रसाद ने इस प्रकार प्रस्तुत की है –

आकर्षणहीन विद्युतकरण बनें भारव्राही थे भृत्य।[1]

पूरे महाकाव्य में प्रसाद जी परमाणु की रचना तथा प्रकृति के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं। बीसवीं शताब्दी के पहले चरण तक परमाणु के रहस्य का उद्घाटन, डाल्टन, बोर आदि वैज्ञानिकों ने किया था। परमाणु की प्रकृति अत्यन्त चलायमान होती है। प्रत्येक परमाणु दूसरे के प्रति आकर्षित ही नहीं होता है, वरन् उस आकर्षण में सृष्टि–क्रम की न जाने कितनी सम्भावनाएं समाई रहती हैं। इसीलिए परमाणु जो स्वयं एक–एक ब्रह्मांड है, स्वयं अनादि 'ब्रह्मरूप' है और सौर–मण्डल की रचना का प्रतिरूप है, ऐसे परमाणु के प्रति कवि क्यों न संवेदनशील हो उठे। गिरिजाकुमार माथुर ने परमाणु को इसी रूप में देखा है –

हो गया है फिशन अणु का,
परमब्रह्म अनादि मनु का
ब्रह्म ने भी खूब बदला नाम
लोक हित में पर न आया काम।[2]

अणु के ब्रह्मांड रूप के प्रति डॉ रामकुमार ने अपने "एकलव्य" महाकाव्य में कहा है –

भरता है व्यौम का विशाल मुख निःक्षत
एक एक विश्व मौन एक–एक कण में।[3]

सत्य में, परमाणु की यह गुप्त शक्ति ही जब प्रकट होती है, तभी संहार तथा निर्माण दोनों की समान सम्भावनाएँ दृष्टिगत होती हैं। परमाणु का निष्क्रिय रहना या विश्राम करना मानो प्रकृति की गतिशील विकासशीलता में व्यवधान उपस्थित करना है। अतः प्रो आइन्स्टीन के अनुसार परमाणुओं में वेग (Velocity) कंपन (Viberation) और उल्लास (Veracity) तीनों की अन्विति प्राप्त होती है। तीनों के सम्यक् समन्वय या समरसता में ही दृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। प्रसाद ने इसी तथ्य को सुन्दर काव्यात्मक रूप प्रदान किया है जिसमें वैज्ञानिक चिन्तन का रसात्मक बोध प्रकट होता है–

अणुओं को है विश्राम कहाँ,
यह कृतिमय वेग भरा कितना।
अविराम नाचता कंपन हैं,
उल्लास सजीव हुआ कितना।[4]

इसी भाव को पंत ने इस प्रकार रखा है –

महिमा के विशद् जलधि में
हैं छोटे–छोटे से कण।
अणु से विकसित जग जीवन
लघु–लघु का गुरुतम साधन।[5]

अणु हैं तो लघु, पर इन्हीं लघु तत्वों के संयोग से गुरुतम सृष्टि–कार्य भी सम्पन्न होता है। इसी कारण से प्रसाद ने परमाणुओं को चेतनयुक्त भी कहा है जिनके अन्योन्य संबंधों में, उनके बिखरने तथा विलीन होने में सृष्टि का विकास एवं निलय निहित रहता है–

चेतन परमाणु अनन्त बिखर
बनते विलीन होते क्षण भर।[6]

परमाणु का यह विकास तथा निलय, उसके चिरन्तन रूप का द्योतक है। यही कारण है कि वैज्ञानिक परमाणु को विकास का केन्द्र मानते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि में देखा जाय तो एक वैज्ञानिक के किए परमाणु की सत्ता "असीम" के रूप में मानी जा सकती है और यहां पर आ कर वह एक रहस्यवाद की ओर प्रेरित होता है जो वैज्ञानिक–रहस्यवाद के अन्तर्गत आता है। इसी भाव की काव्यात्मक पुनरावृत्ति 'अज्ञेय' ने निम्न रूप में प्रस्तुत की है–

एक असीम अणु,
उस असीम शक्ति को जो उसे प्रेरित करती है;
अपने भीतर समा लेना चाहता है।
उसकी रहस्यमयता का परदा खोलकर
उसमें मिल जाना चाहता है
यही मेरा रहस्यवाद है।[7]

बटरंड रसल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "मिस्टिसिज्म एन्ड लाजिक" (Mysticism and Logic) में वैज्ञानिक रहस्यवाद का विश्लेषण उपस्थित करते हुए इस सत्य की ओर संकेत किया है कि जब

व्यक्ति समय तथा दिक् की सीमाओं को लांघकर या उन्हें आत्मसात् कर एक अन्तर्दृष्टि की अनुभूति प्राप्त करता है, तब वहाँ वैज्ञानिक रहस्यवाद की सृष्टि होती है।[8] अज्ञेय का उपर्युक्त कथन इसी अन्तर्दृष्टि को समक्ष रखता है।

## विकासवादी सिद्धात और चिंतन

परमाणु की गतिशीलता के विवेचन के पश्चात् आधुनिक काव्य में डार्विन के विकासवादी चिन्तन का एक स्वस्थ रूप प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त की पुष्टि तथा परिमार्जित करने में लामार्क, मैडिल, हक्सले तथा लूकांमटे डूॅ नू आदि वैज्ञानिकों, दार्शनिकों का काफी योगदान है। आज के काव्य में इन चिन्तकों के विचारों का यदाकदा संकेत प्राप्त हो जाता है जिसकी और प्रसंगवश इंगित किया जायगा।

डार्विन का विकासवादी सिद्धान्त सारी दार्शनिक समस्याओं को सुलझा नहीं पाता है। फिर भी वह एक ऐसी क्रांतिकारी धारणा है जिसने आदिम मान्यताओं की नींव हिला दी है। डार्विन के विकासवाद की तीन प्रमुख मान्यताएँ हैं। प्रथम अस्तित्व के लिए संघर्ष, द्वितीय उस संघर्ष में समर्थ का विजयी होना और तृतीय विकास–क्रम का रूप प्राकृतिक निर्वाचन के द्वारा सम्पन्न होना। वह अस्तित्व का संघर्ष जड़ तथा चेतन दोनों में समान रूप से दृष्टिगत होता है। इसी कारण डार्विन ने इस मान्यता को सामने रखा कि जीवन का विकास जड़ तथा चेतन पदार्थों का एक क्रमागत रूप है या दूसरे शब्दों में जैव (organic चेतन) तथा अजैव (inorganic जड़) जगत में एक सम्बन्ध है, उनके विकास में दोनों का अन्योन्य सम्बन्ध है। कविवर पंत के शब्दों में :–

जड़ चेतन है एक नियम के वश परिचालित।
मात्रा का है भेद, उभय है अन्योन्याश्रित।[9]

जैसा कि ऊपर कहा गया कि विकासवादी सिद्धांत में संघर्ष एक शाश्वत नियम है जो विकास की गति को आगे बढ़ाता है। संघर्ष के प्रति प्रसाद जी पूर्ण रूप से सजग हैं जब वे कहते हैं–

द्वन्दों का उद्‌गम तो सदैव,
शाश्वत रहता यह एक मन्त्र।[10]

यद्यपि प्रसाद दार्शनिक क्षेत्र में इस संघर्ष मूलक विकास को मान्यता देते है, परन्तु फिर भी उनकी मान्यता 'विकासवाद' के एक तत्व को प्रमुखता किसी न किसी रूप में अवश्य देती है। यह स्पर्धा वैज्ञानिक–दर्शन को एक नई दृष्टि देती है और वह दृष्टि है लोक काल्याण की भावना। डार्विन ने जीवन के लिए अन्धसंघर्ष का प्रतिपादन किया था जो आगे चलकर अन्य विकासवादियों (हक्सले, लामार्क) को मान्य नहीं हुआ। प्रसाद की भी दृष्टि केवल जड़–संघर्ष तक ही सीमित नहीं रही पर उन्होंने समर्थ के विजयी होने का (Survival to the Fittest) एक मूल्य भी माना है और वह मूल्य है कि ऐसे समर्थवान् व्यक्ति संसृति का कल्याण करें–

स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें वे रह जावें।
संसृति का कल्याण करें शुभ मार्ग बनावें।[11]

इस कथन में प्रसाद का चिंतन मुखर होता है। पर एक अंग्रेजी कवि ग्रेन्ट एलन ने अपनी कविता "वैले आफ इवोल्यूशन" में इस तथ्य को नितांत उसी रूप में रख दिया है जो विकासवादी सिद्धान्त में है–

For the Fitiest will always survive
While the weakest go to the Wall[12]

अस्तु, विकासवादी सिद्धान्त में "समय" का समावेश एक तथ्य है जिसे डार्विन ने अपने विकासवाद का केन्द्र माना है। उसके अनुसार यह समस्त मानवीय इतिहास "परिवर्तन" और "प्राकृतिक

निर्वाचन" के द्वारा विकासशील रहा है। 'परिवर्तन' जहां एक ओर प्रकृति का शाश्वत नियम हैं, वहीं वह विकास का आधार भी माना गया है। अतः परिवर्तन और प्रकृति में सापेक्षिक सम्बन्ध है और इसी से विकासवाद भी वैज्ञानिक चिंतन के लिए सापेक्षिक दृष्टि की मान्यता प्रदान करता है।[13] परिवर्तन और प्रकृति के इसी सापेक्षिक महत्व को प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में यदा कदा संकेत किया है –

पुरातनता का यह निर्मोक,
सहन करती न प्रकृति पल एक।
नित्य नूतनता का आनन्द,
किये हैं परिवर्तन में टेक।।[14]

यह तो हुआ विकास–क्रम का मानवीय धरातल तक विकास। यहाँ पर आकर अनेक विकासवादी–चिंतन रुकते नहीं हैं, पर वे आशावादी दृष्टि से विकास की गति को आगे की ओर भी देखने में प्रयत्नशील हैं। हक्सले और लीकामटे डूँ नू का विचार है कि 'मानव' ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना विकास आगे कर सकता है।[15] जहाँ तक भौतिक या शरीरी विकास का प्रश्न है, मानव नामधारी प्राणी में वह विकास उच्चतम् दशा में प्राप्त होता है। इसी विकास की चरम परिणति की ओर श्री गिरिजा कुमार माथुर ने एक पंक्ति में सम्पूर्ण स्थिति को मानो केन्द्रित कर दिया है–

"तन रचना में मानव तन सबसे सुन्दर।"[16]

परन्तु प्रश्न है कि अब मानव किस ओर विकास की गति को मोड़ सकता है या मोड़ रहा है। मस्तिष्क–संगठन (Brain Organisation) में वह अन्य जीवधारियों से कहीं श्रेष्ठ है, अतः इस दिशा में वह कदाचित् अपना भावी विकास न कर सकेगा। वह अपना भावी विकास मानसिक तथा आध्यात्मिक चेतना की ओर ही कर सकेगा। इसी मानसिक चेतना को उसके भावी विकास का विज्ञान कहा जा सकता है।[17] इसी दशा का संकेत हमें पंत की अनेक काव्य–पुस्तकों में प्राप्त होता है जिस पर अरविन्द–दर्शन का प्रभाव दृष्टिगत होता है जो एक अखण्ड चेतना का विकास द्रव्य से लेकर अतिचेतना क्षेत्र (Super conscient) तक मानते हैं। पंत की निम्न दो पंक्तियां उपर्युक्त दशा को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करती है–

बदल रहा अब स्थूल धरातल
परिणत होता सूक्ष्म मनस्तल।[18]

अथवा

यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित।
एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित।[19]

यह "एक विश्व" क्या है? यह है मानव मस्तिष्क की प्रक्रिया पर उसकी गतिशील मानसिक चेतना। मन तथा आत्मा की अतल गहराइयों में ही मानव नाम सदा के लिये चिरन्तन रहेगा। प्रसाद ने, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो करोड़ों वर्षो के जैव विकास (Organic Evolution) से उद्भूत चेतना के शिखरस्थ मानव के सारे मूल्यों को एक जगह पर समेट लिया है। इसी भावी–विकास की रूपरेखा की ओर हमें अंग्रजी कवि एलक्जेन्डर पोप का यह कथन याद आ जाता है कि "जैसे–जैसे सृष्टि का दूरगामी क्षेत्र बढ़ता जाता है, उसी अनुपात से ऐन्द्रिय मानसिक शक्तियाँ भी ऊर्ध्वगामी होती है" :–

For as Creation's ample range extends
The scale of sensual mental pow'rs ascend[20]

## सृष्टि–रहस्य

अभी तक जीवशास्त्रीय विकास की वैज्ञानिक रूप रेखा का काव्यात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। यदि व्यापक रूप में देखा जाय, तो सम्पूर्ण सृष्टि रहस्य में जीवशास्त्रीय–विकास केवल एक चरणमात्र है या केवल एक अंश है। परन्तु यहां पर जिस सृष्टि–रहस्य की चर्चा की जायेगी, वह ग्रहों, नीहारिकाओं, नक्षत्रों तथा इस सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना–प्रक्रिया से सम्बन्धित होगी।

ग्रहों (Planets) की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध मत अधिकतर उन ज्योतिष–देवताओं (Astronners) का है जो यह मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति एक ऐसे वाष्पपिंड से हुई है जो निरन्तर तेजी से गतिशील परिक्रमा में निरत था। वह वाष्प पिंड हाइड्रोजन था जिसके क्रमशः शीतल होने पर, उस पिंड के अनेक भागों के क्रमशः विच्छित्र होने का कारण संघनन–क्रिया को माना जाता है जिसे अंग्रेजी में (Condensation) कहते हैं। इस प्रकार केन्द्र का भाग सूर्य और घूर्णन संवेग (Rotational Momentum) के कारण एक के बाद एक ग्रह सूर्य से दूर ही नहीं होते गए, वरन स्वयं ग्रहों के मध्य भी दूरी बढ़ती ही गई।[21] इस सिद्धान्त के प्रति आज का कवि अवश्य सचेत है और जाने–अनजाने वह इस सिद्धांत को, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रख भी देता है। उदाहरण स्वरूप प्रसाद ने वाष्प के उजड़ने तथा सौर–मण्डल में आवर्त्तन का जो संकेत कामायनी में प्रस्तुत किया है, वह उपर्युक्त प्रस्थापना को प्रत्यक्ष काव्यात्मक रूप इस प्रकार देता है –

वाष्प बना, उजड़ा जाता था,
था वह भीषण जल संघात।
सौर चक्र में आवर्त्तन था
प्रलय निशा का होता प्रात।।[22]

यह जल संघात, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, तो हाइड्रोजन तथा अन्य ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है, जिसे अनेक वैज्ञानिकों ने "आधारभूत पदार्थ (Background material) कहा है। जिससे ग्रहों तथा नक्षत्रों का उद्‌भव तथा विकास सम्पन्न हुआ है। यही नहीं, इसी "आधारभूत पदार्थ" से नीहारिकाएँ (Galaxies) भी उद्‌भूत हुई हैं। अतः यह रहस्यमय ब्रह्मांड का विस्तार दिक् और समय (Space and Time) की प्राचीरों के अन्दर ही हुआ है। अपरोक्ष रूप से, इसी विस्तार का एक सफल संकेत हमें निराला की निम्न पंक्तियों में मिलता है:

घूमायमान वह घूर्ण्य प्रसर
घूसर समुद्र शशि ताराहर,
सूझता नहीं क्या उर्ध्व, अधर, क्षर–रेखा[23]

समय और दिक् की सीमाओं में से समस्त दृष्टि का विकास हुआ है। इसका बहुत ही स्पष्ट संकेत हमें नरेन्द्र शर्मा की इन पंक्तियों में प्राप्त होता है–

तिनके से बनती सृष्टि,
सृष्टि सीमाओं में पलती रहती।
वह जिस विराट का अंश,
उसी के झोंकों को फिर–फिर सहती।।[24]

इन उदाहरणों से एक अन्य प्रसिद्धतम–वैज्ञानिक सिद्धान्त की ओर भी स्वतः ध्यान जाता है, और वह है अनिश्चितता या आकस्मिकता का सिद्धान्त (Principle of Improbablity or Uncertainity) आज के वैज्ञानिक चिंतन में और मुख्यतः सृष्टि रचना के संदर्भ में इस सिद्धान्त के प्रति काफी आस्था है।

वैसे तो यह सिद्धान्त गणित तथा भौतिक–शास्त्र से सम्बन्ध रखता है, पर उसकी विशालता का जयघोष आज के समस्त दार्शनिक–चिंतन पर प्रभाव डाल रहा है। सृष्टि के संदर्भ में इसी आकस्मितकता का एक सुन्दर संकेत हमें श्री रामधारी सिंह "दिनकर" की संरचना में प्राप्त होता है –

देख रहे हम जिसे,
सृष्टि वह आकस्मिक घटना है।
यों ही बिखर पड़े?
हम सब आकस्मिकता के कारण हैं।[25]

यहाँ पर जाने जॉन का कथन याद आ रहा है जो उसने 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण में कहा था कि 'नया दर्शन प्रत्येक वस्तु को शंका की दृष्टि से देखता है'[26] और मेरा यह विचार है कि इस चिंतन में कवि ने एक ऐसे तथ्य की ओर संकेत किया है जो आगे चलकर वैज्ञानिक चिंतन का आधारबिन्दु ही बन गया।

अब मैं सृष्टि के ऐसे रहस्यमय लोक में जाना चाहता हूँ जो आज के वैज्ञानिक अनुसंधानों का एक आश्चर्यमय लोक है। सृष्टि रचना सम्भावनाओं तथा प्रक्रियाओं का रंगस्थल है। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रियाओं को 'फैलता हुए विश्व' (Expanding Universe) के रहस्यमय सिद्धान्त के रूप में सामने रखा है। यहां पर सृष्टि रहस्य का जो विशाल सागर लहराता हुआ दृष्टिगत होता है, वह आज के कवियों के लिये एक नवीन सृजन–शक्ति का सिंहावलोकन करता है। यह विश्व निरन्तर विकास को प्राप्त हो रहा है जो नीहरिकाओं के सृजन तथा विनाश की क्रमिक क्रिया है। न जाने कितने सौर मंडल और हैं जो हमारी दृष्टि से परे हैं, कितने बनते जाते है और कितने "आधारभूत पदार्थ" में तिरोहित होते जाते हैं। यह चक्र निरन्तर चला करता है।[27] गिरिजाकुमार माथुर ने इसी सत्य को इस प्रकार रखा–

अंतरिक्ष सा अंतर, जिसमें अगणित
ज्योति ब्रह्मांड समाये
सूरज के बड़े बड़े साथी
बनते मिटते हैं आये।।[28]

आकाश गंगा (Milky way) तो केवल एक ही नीहारिका है और ऐसी कितनी अन्य नीहारिकायें और हैं, जो दृष्टि से परे हैं तथा शक्तिशाली टेलीस्कोप भी उनको भेदने में असमर्थ है। परन्तु फिर भी वैज्ञानिकों ने इस अदृश्य ब्रह्मांड को जानने का भरसक प्रयत्न किया है और उनका यह प्रयत्न उनके प्राप्त निष्कर्षों से सम्बन्ध रखता है। शून्य या दिक् (Space) के अथाह समुद्र में न जाने कितनी नीहारकायें, कितने सौर मंडल, और कितने नक्षत्र गतिशील है और प्रवाहमान हैं। इस स्थिति को डॉ0 धर्मवीर भारती ने बहुत ही सुन्दर रूप में हमारे सामने रखा–

अक्सर आकाश गंगा के,
सुनसान किनारों पर खड़े होकर
जब मैने अथाह शून्य में
अनन्त प्रदीप्त सूर्यों को
कोहरों की गुफाओं में पंख टूटे,
जुगनुओं की तरह रेंगते देखा है।[30]

इस कल्पना में वैज्ञानिक तथ्य है जो कवि की सृजन शक्ति को एक नवीन संदर्भ में अवतीर्ण करती है। महाकवि मिल्टन भी दृष्टि के इस अबाघ रहस्य सागर को देखकर ही, शायद कह उठा था –

Thus far extend, thus far thy bounds
Thus be thy just Circumference. O world[31]

अर्थात् "हे विश्व इतनी दूर तक विस्तृत और इतनी दूर तक तेरी सीमायें सत्य में, ये तरी यथार्थ परिधि हैं।"

इन सभी उदाहरणों में सृष्टि की अनुपम एवं रहस्यमय रचना का संकेत प्राप्त होता है। यह समस्त रचना दिक् तथा काल की सीमाओं में बंधी हुई है। न्यूटन ने समय तथा दिक् को असीम माना था, पर डॉ आइंस्टीन तथा इटिंगटन आदि ने समय तथा दिक् को असीम न मानकर ससीम माना है, पर साथ ही उन्हें अपरमित भी। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो आधुनिक वैज्ञानिक चिंजन की यह धारा 'दर्शन' की ओर उन्मुख है प्रो आइंस्टीन का उपर्युक्त कथन एक तात्विक अधिभौतिकीय सत्य (Metaphysical Truth) भी माना जा सकता है जो विज्ञान को भी तात्विक चितन का माध्यम बनाता है। दिक् तथा समय की यह धारणा इस सत्य को हमारे सामने रखती है कि दृश्य तथा अदृश्य सृष्टि 'दिक्' के अन्तर्गत विकास प्राप्त करती रही है और करती रहेगी। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक चिन्तन में चतुर्आयामिक दिक् काल (For Dimensional space Time) की धारणा एक विशेष महत्व रखती है। आधुनिक काव्य में इस विराट दिक् को शून्य की संज्ञा दी गई है। इसी शून्य की विराटता के अन्दर कोटि–कोटि नक्षत्र तथा ग्रह और न जाने कितनी नीहारिकाएँ आर्विभूत तथा तिरोभूत होती रहती है। इन्हीं कोटि–कोटि नक्षत्रों का "विलास रास" ही उनकी विराटता का द्योतक है–

कोटि–कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में,
लास रास कर रहे लटकते हुये अधर में।32

तथा इसी भाव को दिनकर ने पुरुरवा के द्वारा इस प्रकार व्यंजित किया है।

महाशून्य के अन्तरगृह में, उस अद्वैत–भवन में
जहाँ पहुँच दिक्काल एक है, कोई भेद नहीं है।
इस निरभ्र नीलान्तरिक्ष की निर्जर मंजूषा में
सर्ग–लय के पुरावृत्त जिसमें समग्र संचित है।।33

इसी महाशून्य रूपी मंजूषा में प्रलय–सृजन की क्रमागत लीला निरन्तर चला करती है इस प्रकार के अनेक वर्णन हमें आज की कविता में प्राप्त होते हैं जिनका यहाँ पर व्यर्थ ही विस्तार करना उचित नहीं है।

## मूल्यगत चिन्तन

अंत में, मैं मूल्यों (Values) की बात उठाना चाहता हूँ उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के संदर्भ में मैने यदा कदा मूल्यों के प्रति संकेत दिया है। अनेक विचारकों का यह मत है कि मूल्यगत चिन्तन, जो दार्शनिक चिन्तन का विषय है, विज्ञान के बाहर की वस्तु है। परन्तु उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं इस भ्रमपूर्ण धारणा का पक्षपाती नहीं हूँ। मैंने अपने सीमित अध्ययन के द्वारा जिस प्रस्थापन को समक्ष रखने का प्रयत्न किया है, उसमें 'मूल्यों' का एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर मैं कुछ मूल्यों की विवेचना आधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन के आधार पर करने का प्रयत्न करूंगा।

सबसे प्रथम जो "मूल्य" विज्ञान ने हमारे सामने रखा है, वह है "अस्तित्व" के प्रति। आज का कवि दो दिशाओं की ओर अपनी सृजन–शक्ति को गतिशील कर सकता है, एक विकासवाद की ओर जो इस ग्रह से सम्बन्धित है और दूसरी ब्रह्मांड की ओर, जो हमारी कल्पना को दिक् और समय के सापेक्षिक रहस्यलोक में ले जा सकती है। आधुनिक विज्ञान हमारे ही नहीं, पर समस्त ब्रह्मांड के अस्तित्व के प्रति सचेत है। जब वह इस विराट रचना को देखता है जिसमें असंख्य ग्रह, नक्षत्र, नीहारिकाएं और

सौन–मण्डल है, तब वह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो जाता है। "उसका" तथा इस विराट रचना का क्या अनुपात है, वह यह जानने को उत्सुक हो जाता है कि और आज का कवि भी इस अनुपात की स्थिति के प्रति पूर्ण रूप से सजग है, तभी तो वह इस स्थिति को अत्यन्त सुलझे हुये रूप में रखने में समर्थ है –

अनगिन नक्षत्रों में
पृथ्वी एक छोटी
करोड़ों में एक ही
सबको समेटे है।
परिधि नभगंगा की
लाखों ब्रह्मांडों में
अपना एक ब्रह्मांड
हर ब्रह्मांड में –
कितनी ही पृथ्वियाँ
कितनी ही भूमियाँ
कितनी ही सृष्टियाँ

x x x

यह है अनुपात
आदमी का विराट से[34]

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस दशा के द्वारा विज्ञान में पलायन (Escapism) तथा निराशा की प्रवृत्ति नहीं है। जब वह नीहारिकाओं तथा अपने ही सौर–मण्डल के प्रति अनिश्चित है, तो वह उसके एक अंश–हमारे ग्रह के प्रति केवल सम्भावना ही दे सकता है जो विगत घटनाओं तथा परिस्थितियों पर आश्रित है। इसी तथ्य की प्रतिध्वनि गिरिजाकुमार माथुर की निम्न पंक्तियों में व्यज्जित होती हैं :–

सशर्त – सम्भावना की जमीन
बीज का विकास
परिस्थिति की खाद
और आस पास ........... |35

उसके अनुसार हमारी पृथ्वी, मंगल और बुद्ध करोड़ों, अरबों वर्ष बाद सूर्य में समाहित हो जायेंगे और इसके स्थान पर कोई दूसरा सौर–मण्डल आ जाएगा। यही बात नीहारिकाओं के प्रति भी सत्य है।[36] यह क्रम समय तथा दिक् की सीमाओं में आबद्ध है। यही "अनन्त–सृष्टि" विज्ञान का सत्य है। अतः, यहाँ पर "मृत्यु" या 'निलय' ही सत्य है जो रूपांतर क्रिया का फल है। इस दृष्टि से हमारा अस्तित्व भी महत्वहीन है। जब हम अपने अस्तित्व का कहीं पर्यवसान चाहते हैं तब हम उस दशा को एक "अन्तिम–धारणा" का रूप दे देते हैं। यह अन्तिम–धारणा ही सत्य या ईश्वर है जिस पर मैं आगे विचार करूंगा। यहाँ पर हमें सुरक्षा का एक माध्यम मिल जाता है।[37] परन्तु मैं यह कहूँगा कि यह 'सुरक्षा' भी एक छाया मात्र है, पर आवश्यक भी है। आज का काव्य, जीवन के इस सत्य पर एक नए रूप से विचार करने की ओर उन्मुख है। अस्तु, हमारा अस्तित्व एक आभासमात्र है, जिस प्रकार बिन्दु केन्द्र का आभास

है – स्थिति कुछ इस प्रकार है –

बिन्दू हूँ मैं ––
मात्रा केन्द्राभास; वह जो
हर असीम ससीम
हर रूप, हर आकार का विस्तार।[38]

यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इस कथन में अस्तित्व के अर्थ की सुन्दर लय है और यहाँ पर 'नई कविता' में जो अर्थ लय की बात कही गई है,[39] उसका एक सुन्दर संकेत भी प्राप्त होता है।

दूसरा प्रमुख मूल्यगत चिन्तन है सत्य अथवा ईश्वर के प्रति। सबसे प्रथम बात जो हमें 'ईश्वर' की धारण में ध्यान रखनी चाहिये, वह यह है कि 'ईश्वर' केवल धर्म का या दर्शन का विषय नहीं है, वह अन्य ज्ञान क्षेत्रों का भी विषय है। आज का वैज्ञानिक–दर्शन हमें इस तथ्य की ओर उन्मुख करता है। सर आर्थर वाइटहेड, लीकांमटे डूॅ नू, फ्रेड होयल, न्यूटन, सर जैम्स जीन्स, प्रो आइंस्टीन आदि वैज्ञानिक–चिन्तकों ने विज्ञान के विशाल क्षेत्र में भी 'ईश्वर' को किसी न किसी रूप में ग्रहण किया है मगर उनकी ईश्वर की धारणा तर्कमय तथा सापेक्षिक सत्य को लिए हुए हैं। वह इस दृष्टि से निरपेक्ष नहीं है, जिस दृष्टि से वह धर्म तथा दर्शन में मान्य है। यही कारण है कि डूॅ नूॅ ने ईश्वर को एक ऐसी सत्ता के रूप में ग्रहण किया है जो विकास की गति के साथ है और उनसे अलग नही है।[40] इसी प्रकार का चिन्तन हमें आज के काव्य में भी प्राप्त होता है। दिनकर की निम्न पंक्तियाँ मेरे कथन की पुष्टि करती हैं–

ईश्वरीय जग भिन्न नहीं है, इस गोचर धरती से
इसी अपावन में अदृश्य, वह पावन सना हुआ है।[41]

इस दृष्टि से प्रो वाइटहेड का यह निष्कर्ष कि ईश्वर की धारणा से असीम तथा ससीम, सापेक्ष तथा निरपेक्ष आदि भावनाओं का सन्निवेश रहता है, तभी वह विज्ञान के क्षेत्र में चिन्तन का माध्यम बन जाता है।[42] अस्तित्व मूल्य के प्रकाश में मैं प्रथम ही संकेत कर चुका हूँ कि अस्तित्व की दृष्टि से भी विराट या ईश्वर की धारणा हमारे लिए एक सुरक्षा का माध्यम है। यह आभास का सत्य है। इन विविध दृष्टिकोणों के अन्तराल में एक सत्य यह है कि जिसे प्रो आइस्टीन तथा सर–जेम्स जीन्स ने भी स्वीकार किया है कि एक ऐसी शक्ति या "मैथेमैटिकल माइन्ड" (Mathematical Mind) अवश्य है जो इस वृहद् रचना का केन्द्र है। यह वृहद् रचना का केन्द्र नियम तथा आकस्मिकता है जो कोई साकार रूप नहीं है, पर है उसकी सत्ता अवश्य। यदि पन्त की शब्दावली में कहें तो यह महाशून्य जिसमें सह दिक् निरन्तर विस्तार को प्राप्त कर रहा है, और यही महाशून्य जो नित्य है, कैसे और कहां से इसका उद्‌भव हुआ, यह ज्ञान नहीं, यह ही महाशून्य, वह सत्य है जिसे हम 'ईश्वर' कहते है –

कौन सत्य वह। महाशून्य तुम
जिससे गर्भित होकर
महाविश्व में बदल गये
धारण कर निखिल चराचर।[43]

इसी स्थिति को अज्ञेय ने भी एक नितांत दूसरे रूप में ग्रहण किया है जो वैज्ञानिक चिन्तन के नितांत अनुकूल है। विज्ञान में 'सत्य' एक है, पर वह अनेक रूपों में अनेक सूत्रों में खो सा गया है, मगर है वह अवश्य गुप्त तथा अव्यक्त रूप में है। तभी तो कवि के लिए सत्य एक ग्रन्थि है और

वैज्ञानिक इसी ग्रन्थि को उसके सूत्रों को खोजने में तत्पर है एक तर्क तथा अनुभव सम्मत रूप में –

सत्य एक है–
क्योंकि वह एक ग्रन्थि है
जिसके सब सूत्र खो गये है।[44]

इसमें भी स्पष्ट वैज्ञानिक चिन्तन पर आधारित 'ईश्वर' की धारण का जो रूप निम्न पंक्तियों में प्राप्त होता है वह जो आज के वैज्ञानिक दर्शन का प्रतिरूप माना जा सकता है–

एक शून्य है
मेरे और अज्ञात के ब़ीच
जो ईश्वर से भर जाता है।[45]

इन उदाहरणों से एक अन्य तथ्य भी ज्ञात होता है कि जहाँ पर हमारी विचार श्रृंखला एक ऐसे बिन्दु पर आकर आगे सोचने में असमर्थ हो जाय, तो इस अन्तिम–धारणा को हम ईश्वर या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। मैं अपने इस विवेचन को प्रो0 वाइटहेड के इस कथन से समाप्त करता हूँ जो वैज्ञानिक चिंतन का मधु है– "हम सीमाओं (Limitations) के लिये कोई न कोई आधार अवश्य अपनाएं जो आधारभूत प्रक्रिया के अवयवों के मध्य प्रतिष्ठित हो सके। यह लक्ष्य एक ऐसी सीमा की ओर संकेत करता है जिसके अस्तित्व के लिए कोई कारण नहीं दिया जा सकता है। ईश्वर अंतिम सीमा है और उनका अस्तित्व अंतिम तर्कहीनता है। ईश्वर व्यक्त नहीं है, पर "वह" व्यक्त सम्भावनाओं की आधारशिला है।[46]

तीसरा मूल्य, जिस पर मैं प्रथम ही विचार कर चुका हूँ, वह है सौन्दर्यबोध। इस मूल्यगत चिन्तन के अन्तर्गत जिस तथ्य की प्रस्थापना की गई है, वह विषय तथा विषयीगत–दोनों स्तरों पर घटित हो सकती है। यही कारण है वैज्ञानिक के लिये ज्ञान बोध, सौंदर्य बोध का पर्याय हो जाता है। वह समरसता तथा ज्ञान को जीवन में सापेक्षिक महत्व देते हुये भी, ज्ञान को ही सर्वोपरि मानता है। यहाँ पर कुछ उसी प्रकार की स्थिति दृष्टिगत होती है जो दार्शनिक ज्ञान के बारे में भी कही जा सकती है। यही कारण है कि प्रत्येक मानवीय ज्ञान का पर्यवसान दर्शन के विज्ञान ज्ञान में माना जाता है। मेरे मतानुसार वैज्ञानिक का सौंदर्यबोध इसी ज्ञान की अर्थवत्ता (Significance) में समाहित है क्योंकि –

अनुभूति कहती है कि जो
नंगा है वह सुन्दर नहीं है
यद्यपि सौन्दर्य – बोध
ज्ञान का क्षेत्र है।[47]

चौथा मूल्य नैतिकता से सम्बन्धित है। विज्ञान के क्षेत्र में नैतिकता भी सापेक्षिक मानी जाती है। उसके अन्तर्गत प्रयोगकर्ता की ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति निष्काम भावना जो विज्ञान के विकास की प्रथम आवश्यकताएं हैं– जिनका पालन करना वैज्ञानिक की नैतिक जागरूकता ही कही जायगी। साहित्य–सृजन में भी लेखक या कृतिकार इसी नैतिक–मूल्य को चरितार्थ कर सकता है और वह उसी समय कर सकता है, जब वह व्यक्तिगत विरोध के वात्याचक्र से ऊपर उठकर, एक निष्पक्ष तथा निष्काम 'साधना' को अपना सकेगा। सत्य तो यह है कि आधुनिक काव्य तथा साहित्य में दलबन्दी तथा व्यक्तिवादी विरोधी वृत्तियाँ ही अधिक नजर आती हैं। वैज्ञानिक ज्ञान–साधना आज के काव्य तथा साहित्य के लिए भी अपेक्षित है। वैज्ञानिक चिन्तन पर आधारित काव्य–ज्ञान–काव्य का प्रतिरूप होता है और उसमें अर्थ की लय ही प्राप्त होगी। इस काव्य में कल्पना तथा भावना, ज्ञान को मनोरम बनाने के लिए माध्यम

ही हो सकती है, साध्य नहीं। इस प्रकार दर्शन और विज्ञान एक साथ मिलकर, 'ज्ञान' या 'सत्य' का नव्य निरूपण कर सकते हैं। कवि पन्त के शब्दों में–

दर्शन युग का अन्त, अन्त विज्ञानों का संघर्षण
अब दर्शन–विज्ञान, सत्य का करता नव्य–निरूपण।[48]

## सन्दर्भ


1. कामायनी द्वारा प्रसाद, चिन्ता सर्ग पृष्ठ 20.
2. धूप के धान द्वारा श्री गिरजाकुमार माथुर, पृष्ठ 79.
3. एकलव्य द्वारा डा0 राजकुमार वर्मा, पृष्ठ 5.
4. कामायनी काम सर्ग, पृष्ठ 65.
5. गुंजन द्वारा सुमित्रानन्दन पंत, पृष्ठ 28.
6. कामायनी द्वारा प्रसाद, पृष्ठ 82.
7. इत्यलम् द्वारा अज्ञेय कविता 'रहस्यवाद' पृष्ठ 93.
8. मिस्टिसिज्म एण्ड लॉजिक द्वारा बटरंड रसल–देखिए इसी नाम पर उनका लेख।
9. युगवाणी द्वारा सुमित्रानन्दन पंत, 'भूत–जगत' पृष्ठ 54.
10. कामायनी द्वारा प्रसाद, इड़ा सर्ग, पृष्ठ 163.
11. कामायनी द्वारा प्रसाद, पृष्ठ 195 संघर्ष सर्ग।
12. ए बुक आफ साइन्स वर्स से उद्धृत, पृष्ठ 158.
13. मैन इन द मार्डन वर्ल्ड द्वारा जूलियन हक्सले, पृष्ठ 203.
14. कामायनी, श्रद्धा सर्ग, पृष्ठ 55.
15. द ह्यूमन डेस्टनी द्वारा लीकांमटे डूं नू, पृष्ठ 79.
16. धूप के धान, द्वारा गिरिजाकुमार माथुर, पृष्ठ 107.
17. द ह्यूमन डेस्टनी, पृष्ठ 88.
18. उत्तरा द्वारा पंत, कविता "युग पथ पर मानवता का रथ" पृष्ठ 1.
19. कामायनी, संघर्ष सर्ग, पृष्ठ 192.
20. ए बुक आफ साइन्स वर्स, "द क्रियेटिव चेन आघ बीइन्स", पृष्ठ 74.
21. द नेचर आफ द यूनीवर्स द्वारा फ्रेड़ हायल (Hoyle) पृष्ठ 55–56.
22. कामायनी, चिन्ता सर्ग, पृष्ठ 20.
23. तुलसीदास द्वारा निराला, पृष्ठ 55.
24. हंसमाला द्वारा नरेन्द्र शर्मा, पृष्ठ 24.
25. नीलकुसुम द्वारा दिनकर, पृष्ठ 46.
26. साइंस एण्ड इमेजिनेशन द्वारा मारजोरी निकाल्सन से उद्धृत, पृष्ठ 53.
27. द नेचर आफ यूनिवर्स द्वारा हायल और द लिमीटेशंस ऑफ साइंस द्वारा जे सूलीवैन, पृष्ठ 19–25.
28. धूप के धान, द्वारा गिरिजाकुमार माथुर, पृष्ठ 114.

29. कनुप्रिया द्वारा डॉ भारती, पृष्ठ 50.
31. पैराडाइज लास्ट द्वारा मिल्टन पृष्ठ 230 से उद्धृत।
32. कामायनी, संघर्ष सर्ग, पृष्ठ 190.
33. उर्वसी द्वारा दिनकर, पृष्ठ 70.
34. शिला पंख चमकीले द्वारा गिरिजा कुमार माथुर, पृष्ठ 65.
35. शिलापंख चमकीले, पृष्ठ 48.
36. द नेचर आफ द यूनीवर्स द्वारा फ्रेड हॉडल, पृष्ठ 59–53.
37. वही, पृष्ठ 103.
38. तीसरा सप्तक, "मैं बिन्दु" कविता द्वारा प्रयागनारायण त्रिपाठी, पृष्ठ 59.
39. नई कविता (5–6) डॉ जगदीश गुप्त का लेख 'कविता और अकविता' पृष्ठ 21.
40. ह्यूमन डेस्टनी, पृष्ठ 125 यही मत वाइटहेड का भी है जो विकासवादी दृष्टिकोण है।
41. उर्वशी द्वारा दिनकर, पृष्ठ 77.
42. प्रोसेस एण्ड रियाल्टी द्वारा वाइटहेंट, पृष्ठ 155.
43. युगपथ द्वारा पंत, पृष्ठ 137.
44. इत्यलम् द्वारा अज्ञेय, पृष्ठ 197.
45. चक्रव्यूह द्वारा कुंवर नारायण, पृष्ठ 79 "शून्य और अशून्य" कविता से।
46. साइंस एन्ड द माडर्न वर्ल्ड द्वारा वाइटहेड, पृष्ठ 179.
47. इत्यलम्, पृष्ठ 94.
48. युगवानी द्वारा पन्त, पृष्ठ 39.

# शैक्षणिक मूल्यांकन और हिन्दी

रेखा अग्रवाल
*मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक*

भारत में शैक्षणिक परीक्षण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में भी ज्ञान–विज्ञान के अन्य क्षेत्रों की तरह ही अंग्रेजी का वर्चस्व हैं। इस विषय में शिक्षकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की सामग्री भी बहुधा अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। इस क्षेत्र की शीर्ष संस्था–राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद् का पूरा मानक पाठयक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सत्य है कि ढेर सारी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं एवं अन्य लोग इस क्षेत्र में हिन्दी के माध्यम से संस्थागत स्तर पर एवं व्यक्तिगत स्तर पर सराहनीय योगदान दे रहे हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम भारतीय ज्ञाषा संस्थान, मैसूर का है। इसके तहत एक परीक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र वर्ष 1984 से ही विधिवत कार्यरत है जहाँ शैक्षणिक परीक्षण एवं मूल्यांकन की सामग्री लगभग 13 भारतीय भाषाओं में तैयार की गई है। 1 जुलाई सन् 2006 से इसी केन्द्र के तत्वावधान में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की शुरुआत की गई है जो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक योजना (स्कीम) हैं। इसमें हिन्दी के साथ–साथ तमिल एवं उर्दू भाषाओं में परीक्षण एवं मूल्यांकन सामग्री का सतत विकास किया जा रहा है।

इस सेवा के तहत तीन क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। पहला है, हिन्दी में परीक्षण एवं मूल्यांकन से संबंधित आधारभूत संदर्भ सामग्री का निर्माण। दूसरा है–परीक्षण एवं मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों, कार्य–प्रणालियों एवं इसके उपकरणों का विकास और तीसरा है इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास।

## आधारभूत संदर्भ सामग्री

किसी भी भाषा में किसी विषय या शैक्षणिक अनुशासन के विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि उसमें आधारभूत संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो। इसके अंतर्गत संकल्पना आधारित सामग्री (Concept based Matirial) ढांचा या रूपरेखागत सामग्री (Frameworks), शब्दावली (Glossary) शब्दकोश (Dictionary) और प्रश्नकोश (Question Bank) आदि सामग्रियाँ आती हैं।

## संकल्पना आधारित सामग्री

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा निम्नलिखित संकल्पना आधारित सामग्री हिन्दी में तैयार की गई है जो शैक्षणिक परीक्षण एवं मुल्यांकन के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से कार्य करने वालों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है।

## एक परिचय

इस ग्रंथ में मूल्यांकन से संबंधित लगभग 1000 पारिभाषिक शब्दों की संकल्पनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ये पद भाषा, साहित्य, शिक्षा, मनोविज्ञान और सांख्यिकी की विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित हैं जिनका प्रयोग परीक्षण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा इसमें लगभग पांच दर्जन सारणियों और आरेखों की सहायता से विषय को और अधिक स्पष्ट और सुबोध बनाने का

प्रयास किया गया है। यह कृति राष्ट्रीय परीक्षण सेवा के संस्थापक अध्यक्ष प्रो. पोन सुब्बैया के संपादन में तैयार ही गई है।

## सामान्य संदर्भ संधार

इसमें भाषा, साहित्य और मनुष्य के व्यक्तित्व से संबंधित लगभग 700 अवयवों के हिन्दी समांतर रूपों को उनकी प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार सजाया गया है जो पूर्ण–अंश सिद्धांत (Part-whole Theory) पर आधारित है। इसमें एक वैचारिक अवधारणा के रूप में भाषा को चार स्तरों में विभाजित किया गया है। ये हैं -- वर्ण विचार (Phonology), शब्द विचार (Morphology), वाक्य विचार (Syntax) और अर्थ विचार (Semantics)। इन चारों स्तरों के विभिन्न अवयवों, फिर उन अवयवों से संघटक तत्वों तथा उन तत्वों के अंगीभूत घटकों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई ताकि भाषा की लघुतम इकाईयों की खोज की जा सके।

इसी प्रकार साहित्य को एक उवधारणा के रूप में चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये हैं -- उभ्दव और विकास, विद्या–विचार, सौन्दर्यशास्त्र और भाव–विचार या आलोचना। इस चारों क्षेत्रों में अवधारणा के स्तर पर लघुतम इकाईयों की खोज की गई है और उसे श्रेणीक्रम से सूचित किया गया हैं।

शिक्षण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में इन इकाइयों की दोहरी उपयोगिता है। शिक्षण के समय ये शिक्षण की इकाइयों का कार्य करते हैं और परीक्षण के समय ये परीक्षण की इकाइयों का कार्य करते हैं जिनको आधार बनाकर प्रश्नपदों का निर्माण किया जाता है जिनका उपयोग कर प्रश्न का विकास किया जाता है।

मनुष्य के व्यक्तित्व को अध्ययन की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने तीन प्रक्षेत्रों (Domains) में विभाजित किया है। ये हैं - संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र (Cognitive Domain), भावात्मक प्रक्षेत्र (Affective Domain) और क्रियात्मक या मनोदैहिक प्रक्षेत्र (Psychomotor Domain)। ये तीनों प्रक्षेत्र क्रमशः मनुष्य के चिंतन, संवेदन और क्रिया पक्ष से संबंधित हैं। इस प्रक्षेत्रों की भी अवयवों, उनके खंडों तथा उप–खंडों में विभाजित करके व्यक्तित्व की अवधारण की इकाइयों की खोज की गई है। ये इकाइयों ब्लूम, क्रैथवोल और दबे आदि शिक्षाशस्त्रियों द्वारा पहले से ही खोजी जा चुकी हैं। इस ग्रंथ में इस पूरी व्यवस्था को हिन्दी में प्रस्तुत किया गया है।

मनुष्य के व्यक्तित्व के इन तीनों ही प्रक्षेत्रों का सम्यक विकास ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य माना गया है। परीक्षण का उद्देश्य यही जाँचना है कि विकास के इन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक की गई है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक शैक्षणिक परीक्षण के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से कार्य करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है।

## संकल्पना आधारित पाठयक्रम सांतत्यक

यह कृति पाठयक्रम निर्माण की दिशा में एक दिशा निर्देशक यंत्र का काम करती है। इसमें प्राथमिक से लेकर अनुसंधान स्तर तक सामान्य शिक्षा के सातों स्तरों के लिए एक आदर्श पाठयक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। इसके तीन आयाम हैं। हर स्तर के लिए प्रथम आयाम उन शैक्षणिक इकाइयों की सूची प्रस्तावित करता है जिनका अध्यापन उस स्तर पर होना अपेक्षित है। दूसरे आयाम में उन कौशलों और क्षमताओं की सूची दी गई है जिनका विकास छात्र/छात्रा के व्यक्तित्व के भीतर होना संभावित है। तीसरे आयाम में उन सामाजिक आवश्यकताओं (Societal Needs) की सूची दी गई है जिनकी पूर्ति उन कौशलों और क्षमताओं के माध्यम से हो सकती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समाज मे सभी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है और उनका संचालन किया जा रहा है। देश भर के शैक्षणिक पाठयक्रमों में समरूपता लाने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में यह

संकल्पना आधारित श्रेणीकृत पाठयक्रम एक सामान्य संदर्भ बिन्दु के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

## मूल्यांकन की पारिभाषिक शब्द–सूची

इसमें उन 928 पारिभाषिक पदों के हिन्दी समांतर दिये गये हें जिनका प्रयोग शैक्षणिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में किया जाता है। इन्हीं पारिभाषिक पदों की संकल्पनात्मक व्याख्या 'मूल्यांकन शब्दावली: एक परिचय' नामक कृति में दी गई है। इसके एक भाग में हिन्दी से अंगरेजी तथा दूसरे भाग में अंग्रेजी से हिन्दी समांतरों को वर्णक्रम से व्यवस्थित किया गया है। हिन्दी माध्यम से मूल्यांकन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह कृति बहुत ही सहायक है।

## प्रश्नकोश

प्रश्न अनादि काल से लेकर आज तक मूल्यांकन का प्रमुख हथियार बना हुआ हैं। विभित्र उद्देश्यों और स्तरों के लिए परीक्षा पत्रों का निर्माण करने के लिए बड़ी मात्रा में विभित्र प्रकार के प्रश्नों का भण्डार होना बहुत की आवश्यक है। इसे ही प्रश्नकोश कहते हैं। राष्ट्रीय सेवा की महत्वाकांक्षी योजना है हिन्दी में एक ऐसे प्रश्नकोश का निर्माण करना जिसमें 16 लाख प्रश्न हों। वर्त्तमान में 16 हजार प्रश्नों का एक कोष है जिसकी संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है।

## त्वरित प्रश्नपत्र निर्माण सॉफ्टवेयर

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हिन्दी भाषा और साहित्य के लिये किसी भी स्तर और किसी भी प्रकार का प्रश्नपत्र कुछ ही क्षणों में तैयार किया जाता है। उपयोगकर्त्ता द्वारा दी गई आवश्यकताओं के अनुसार या उसकी माँग के अनुसार जानकारियाँ संगणक में भरने में समय अधिक लगता है, प्रश्न पत्र तैयार होने के कम। यह प्रविधि परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्रों के जाहिर (Paper out) होने की अवस्था में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं हालाकि अभी इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया है।

## राष्ट्रस्तरीय भाषा परीक्षण

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा द्वारा पूरे देश में व्याप्त अपनी क्षेत्रीय इकाईयों (Regional Field Unit) के माध्यम से उच्चमाध्यमिक और स्त्रातक स्तर पर हिन्दी भाषा एवं साहित्य में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि के सामान्य स्तर (Norm) की खोज के लिये परीक्षणों का आयोजन किया गया है। इन परीक्षणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रतिवेदन भी मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में यह पहला अवसर है जब कि इस प्रकार के नतीजों पर पहुँचने कर राष्ट्रव्यापी प्रयास किया गया है।

इस प्रकार प्रयासों से शिक्षण और अधिगम के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि इससे हमें इस पूरी प्रक्रिया के दोषों का पता चलता है जिन्हें सुधार कर हम इस दिशा में प्रगति प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा द्वारा शैक्षणिक परीक्षण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में हिन्दी में किये गये इन उपायों की महत्ता यह है कि ये भाषा और विषय के बंधन से मुक्त हैं। इनका उपयोग किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से परीक्षण और मूल्यांकन का कार्य करने के लिए किया जा सकता है।

## प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसके अलावा यह संगठन प्रतिवर्ष हजारों शिक्षकों को हिन्दी माध्यम से परीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य करने के लिए प्रेरित करने और इस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं

का आयोजन करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए कोई भी व्यक्ति (अध्यापक/शैक्षणिक प्रशासक) अपनी संस्था के माध्यम से आवेदन पत्र या प्रस्ताव इस पते पर भेज सकता है ..

अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर–570006.

## शोधवृत्ति

परीक्षण एवं मूल्यांकन से जुड़े विषयों पर हिन्दी में शोध कार्य करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण सेवा द्वारा 10 कृतियाँ पी एच डी के लिए और 5 वृत्तियाँ डी लिट करने के लिये दी जाती हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इसको जानने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट्स का अवलोकन करते रहना चाहिए -- www.ciil-miles.net www.ciil.nts.net

# हिन्दी सॉफ्टवेयरों का विकास और उनकी कार्यक्षमता

वीरेश कुमार
*भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, कर्नाटक*

## भाषा अनुप्रयोग उपकरण (Language Application Tools)

### निर्माण परियोजना के तहत निम्नलिखित सॉफ्टवेयर बने हैं

1. लीला – राजभाषा सॉफ्टवेयर हिन्दी सीखने हेतु।
2. मंत्र – राजभाषा सॉफ्टवेयर–अंग्रेजी से हिन्दी में मशीन ट्रांसलेशन हेतु बना है जिसमें प्रशासन, सूचना प्रोद्योगिकी और स्वास्थ क्षेत्रों से संबंधित अंग्रेजी अभिलेखों की हिन्दी में अनूदित किसा जाता है।
3. श्रुतलेखन – राजभाषा – हिन्दी वाक् अभिज्ञान सॉफ्टवेयर (Hindi Speech Recognition Software) इसमें हिन्दी में बोल कर हिन्दी में टंकण कार्य किया जाता है।
4. प्रवाचक (Hindi Text to Hindi Speech)।
5. वाचांतर (English Speech recognition to Hindi Text)।

इन सबका विकास राजभाषा विभाग और C-DAC (Centre for Development of Advanced Computation) पुर्ण (प्रगंत संगणन विकास केन्द्र) द्वारा मिलकर किया गया है।

## इन सबका विस्तृत विवरण

**LILA** = Learing Indian Language Through Artificial Intelligence

- यह हिन्दी सीखने का अंत : क्रियात्मक (Interactive) पैकेज है। यह विशेषकर सरकारी विभागों, बैकों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बना है। इसकी सहायता से हिन्दी सीखकर प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास कर सकते हैं। इसका पाठयक्रम केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के पाठयक्रम पर आधारित हैं।
- अभी मलयालम सहित 14 भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सीख सकते हैं। यह राजभाषा विभाग के पोर्टल का उपलब्ध हैं।

इसके अलावा इसका स्वतंत्र संस्करण (stand alone version) भी है जो टूल–किट के साथ आता है। इसे आप अपने कम्प्यूटर में स्थापित (install) कर सकते हैं।

हिन्दी प्रबोध पाठयक्रम तो अब मल्टीमीडिया के साथ मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध हैं।

इस सॉफ्टवेयर में हिन्दी/अंग्रेजी से अन्य भारतीय भाषाओं के लिए शब्दकोश भी हैं।

## लीला को चलाने के लिए आवश्यक

पेन्टियम IV 1GH$_{2,}$ मल्टीमीडिया किट के साथ। कम से कम 56 kbps का इन्टरनेट कनेक्शन और 6.0 या उसके अधिक का फ्लैश प्लेयर।

फिर भी इसका प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है। साल 2007 तक प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ इन तीनों ही पाठयक्रमों के लिए इनको प्रयोग करने वालों की संख्या सिर्फ 26,603 थी।

जिसमें मलयालम माध्यम से इसका प्रयोग करने वालों की संख्या 2099 थी।

सर्वाधिक संख्या 10735 ऐसे लोगों की थी जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से इसका प्रयोग किया –

मंत्र MANTRA - (MACHINE ASSISTED TRANSLATION TOOL) इसमें प्रशासन, सूचना तकनीकी कृषि, लघु उद्योग, वित्त और स्वास्थ्य से संबंधित अंग्रेजी अभिलेखों का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। इसके इन्टरनेट, इन्ट्रानेट और स्वतंत्र संस्करण उपलब्ध हैं।

ये सॉफ्टवेयर अंग्रेजी दस्तावेजों की या तो सॉफ्टकॉपी लेता है या इसमें इनकी स्कैनिंग भी की जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर के स्वतंत्र संस्करण के लिये तकनीकी आवश्यकताएं हैं –पेन्टियम IV 1GHz, विन्डो 2000, एम एस ऑफिस 2000 और माइ SQL कनेक्टर।

इसका इन्टरनेट संस्करण भी मौजूद है जो एक खास फॉन्ट की डाउनलोड करने पर प्रयोग में लाया जा सकता हैं।

लेकिन बिना उचित प्रशिक्षण के इस सॉफ्टवेयर को स्थापित (install) करना आसान नहीं है।

## श्रुतलेखन

यह एक वाक् अभिज्ञान सॉफ्टवेयर (Speech Recognition Software) है जिसके द्वारा हिन्दी में बोले गये पाठ को हिन्दी में टंकित किया जा सकता है। इसके विकास के लिए C-DAC को IBM से सहयोग लेना पड़ा। इसमें थोड़ा बहुत कुंजीपटल (की बोर्ड) का प्रयोग भी करना पड़ता है। कम्प्यूटर की कम जानकारी रखने वाले लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वर्त्तनी जाँच सुविधा (Spell Checker Facility) भी है। इसका टंकण UNICODE में होता है जो बहुत स्वीकृत फॉन्ट है।

इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए एक माइक्रोफोन, विण्डोस 2000/XP और Indic enabled language setting option चाहिए। इसका प्रयोग सुगम है। फिर भी इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है और C-DAC की सूचना के अनुसार अभी तक इस सॉफ्टवेयर की सिर्फ 500 प्रतियों ही बिकी है।

## प्रवाचक

यह सॉफ्टवेयर हिन्दी में लिखित/टंकित पाठ को हिन्दी वाक् (बोली या आदाज़) में बदल देता है।

## वाचांतर

यह सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बोले गये पाठ को लेता है और 'मंत्रा' प्रणाली की सहायता से इसे अनूदित करके हिन्दी में टंकित कर देता है।

- वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं तकनीकी विषयों में संबंधित 38 परिभाषा कोशों का प्रकाशन किया था। उनमें से एक है–प्रबंध विज्ञान परिभाषा कोश, पृष्ठ सं.–200, प्रकाशन वर्ष–1991–92, प्रविष्टियों की संख्या–1024.
- हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी ऑनलाइन पर्याय सूचक हैं।
- बेब अड्रेस–www.cstt.nic.in

इसके अलावा दर्जनों निःशुल्क हिन्दी शिक्षण या अनुवाद सॉफ्टवेयर है –– जैसे – वर्ड, फाइल गुरू, बेब जर्मन, यू टयूब, वाशिंगटन एडु, ई हाव, लिंगों, ट्रांसपेरेन्ट, मल्टीलिंगुआ, रॉकेट लैंग्बुएज, लाइव मोचा आदि।

## अतिरिक्त सूचना

- कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों को NIC, C-DAC और NPTI द्वारा प्रशिक्षण देश भर में विभिन्न स्थानों पर दिया जाता हैं।
- इसमें कम्प्यूटर से संबंधित विषयों जैसे– विन्डो, लैंग्युएज टूल्स, फाइल मैनेजमेंट, इन्टरनेट और ई–मेल आदि का प्रयोग बताया जाता हैं। लैंग्यूएज टूल्स के अंतर्गत लीला और श्रुतलेखन जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी सिखाया जाता है।

# राजभाषा हिन्दी की राष्ट्रीय कामकाज में अनिवार्यता

चन्द्रमोहन

*जोधपुर, राजस्थान*

संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है—भाषा। न सिर्फ व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ती है, बल्कि सामाजिक प्राणी के तौर पर मनुष्य को गढ़ने में मदद करती है। वह एक भू– भाग पर रहने बसने वालों में आपसी संवाद सरोकार पैदा करती है और कला साहित्य का सौरभ बनती है। भाषा से मनुष्य को पहचान मिलती है। और समाज को एक किस्म की सार्थकता हासिल होती है। भाषा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक एक सामाजिक क्रिया है जो कि विचार अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा को अर्थमय जगत का अभिव्यंजक समझाना सर्वथा उचित होगा। जब भाषा का प्रयोग अतिव्यापक और विस्तृत रूप से सारे राष्ट्र में होता है तो उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है। उसी का प्रयोग जब सरकारी कार्यों में होता है तो उसे राजभाषा कहते है।

हम जानते है कि हिन्दी को भारतवर्ष की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर 1949 को स्वीकृति मिली और 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित होने के साथ साथ हिन्दी को यह दर्जा संवैधानिक रूप से प्राप्त हुआ। भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या लगभग 55 करोड़ है। यहॉ 18 प्रमुख भाषाऍं है तथा हजारों अन्य भाषाएं देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती है। राजभाषा के रूप में हिन्दी को यह स्थान इसलिए दिया गया कि यह भाषा भारत के अधिकांश भागों में अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। निश्चय ही भारतवर्ष की कोई और भाषा यह कार्य नही कर सकती इसलिए सम्पर्क की दृष्टि से हिन्दी सबसे उपयुक्त भाषा है। सदियों से भारत के सूफी, संतों, विचारकों और महानायकों ने भारत को एक सूत्र में बांधनं के लिए इसका उपयोग किया है। हिन्दी भाषा और साहित्य का समग्र इतिहास हमारी इसी समन्वित संस्कृति का इतिहास है। हिन्दी भाषा तीस करोड़ लोगों की भाषा है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से अंग्रेजी और चीनी के बाद हिन्दी दुनियॉ की तीसरी सबसे बडी भाषा है। विदेशों के 120 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग चल रहे हैं। हजारो विदेशी लगन से हिन्दी सीख रहे हैं। चेक विद्वान औदन स्मेलेक, रूस के वारन्निकोव और जर्मनी के लोथर लुप्से जैसे विद्वान टकसाली हिन्दी बोलते और लिखते है।

हमारे देश में हिन्दी के विकास हेतु झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य सम्मिलित है। इन सभी प्रदेशों के अतिरिक्त सबसे अधिक दायित्व केन्द्र सरकार का हैं जिसने गृह मंत्रालय के अन्तर्गत राजभाषा विभाग, संसदीय राजभाषा समिति, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, हिन्दी अनुवाद ब्यूरों तथा पॉच हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी ग्रंथ अकादमियों इत्यादि अनेक संस्थाऍं हिन्दी परिषद के विकास हेतु चला रखी है।

स्वाधीन भारत ने संघ के कामकाज के लिए हिन्दी को राजभाषा बनाने का निश्चय किया। तत्संबंधी प्रावधान संविधान में किया गया। दिसम्बर 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प में भी यह अपेक्षा है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय

प्रयोजनों के लिए, उसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाय। इस संकल्प की पूर्ति करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। हिन्दी को अपनाने और उसके माध्यम से अधिकाधिक काम करने से प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होती जायेगी तथा काम का निपटान सहज रूप में हो सकेगा। जिस प्रकार अपने देश के संविधान के अन्य उपबंधो का पालन करना हमारा कर्तव्य है उसी प्रकार राजभाषा संबंधी को ध्यान रखना और उसके अनुसार कार्य करना भी हमारा कर्तव्य है।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सरकार की नीति हैं कि इसे प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भाव से लागू किया जाय। पर साथ ही संवैधानिक उपबंधों, अधिनियम, नियमों एवं राजभाषा संबंधी आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। इस नीति की सही रूप में जानकारी सभी स्तरों पर नही है। इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि इसके कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस विषय के विविध पहलुओं से स्वयं भलिभांति परिचित हो और इसकी जानकारी विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस प्रकार कराएँ कि हिन्दी का प्रयोग अनावश्यक झंझट न माना जाये। अपितु ऐसा करना गौरव की बात समझी जाय। इस नीती के सफल कार्यान्वयन के लिए बड़ी सूझ–बूझ की जरूरत है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबध में अब तक जो प्रयास हुए है। उसका सुपरिणाम पर्याप्त रूप में दिखाई पड़ रहा है।

हिन्दी का देश के लिए क्या महत्व है, राजभाषा के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है, क्या देशभर में राजभाषा के रूप में सर्वत्र हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना है, क्या हिन्दीतर भाषी अधिकारियों से भी हिन्दी में कामकाज करने की अपेक्षा की जाती है, क्या हिन्दी का कम ज्ञान रखने वाले अधिकारी हिन्दी में विभिन्न काम कुशलतापूर्वक कर पांएगे, क्या हिन्दी अपनाने से उसकी प्रतिष्ठा मे कमी नही आएगी आदि कई ऐसे प्रश्न कई बार बैठकों आदि में पूछे भी जाते हैं अन्यथा हृदय के किसी कोने में दबे पड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ इन प्रशनों का ध्यान में रखकर विभिन्न सांविधानिक उपबंधों और समय समय पर जारी हुए आदेशों का आश्य सही ढंग से समझाने का प्रयत्न हुआ है,, ऐसे अधिकारियों का असीम सहयोग प्राप्त हुआ हैं जो पहले हिन्दी का विरोध करते रहते थे।

सरकारी कामकाज की हिन्दी का स्वरूप क्या हो इसकी चर्चा भारत सरकार की उच्च स्तरीय बैठकों में एक बार नहीं अनेकों बार हुई है और उसके आधार पर गृहमंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर आदेश जारी होते रहे हैं। इस मुद्दे को कितना महत्व दिया गया है यह इससे स्पष्ट होता है कि ऐसा एक आदेश भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

केन्द्रीय सरकार सरकारी कामकाज मे इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी के स्वरूप के बारे में अपनी नीति कई बार स्पष्ट कर चुकी है। इसके बावजूद इस सम्बन्ध में भ्रम पूरी तरह से दूर नहीं हो पाया है। और लोगों के मन में यह विचार है कि सरकारी हिन्दी कोई अलग किस्म की हिन्दी होती हैं। इसी कारण वे अपने कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं जैसा कि इसके पहले भी कई बार कहा जा चुका है, सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिए, जटिल और बोझिल नहीं।

भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी की गई व्यवस्था इस प्रकार है: सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर संघ के राज्यों को 'क' 'ख' एंव 'ग' श्रेणियों में रखा गया है। 'क' श्रेणी के राज्य वह है जिनकी बोलचाल तथा कामकाज की भाषा सामान्यतया हिन्दी है वे राज्य है– उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ़, राजस्थान और दिल्ली। 'ख' श्रेणी के राज्य वे है जहाँ क्षेत्रीय भाषा के साथ– साथ

हिन्दी भी बोली और समझी जाती है और सामान्य कामकाज में क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग भी होता है वे राज्य है: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह। 'ग' श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी अन्य राज्य आते हैं जहॉ हिन्दी न तो आम बोलचाल की भाषा है और न कामकाज की ही। इन विभिन्न श्रेणियों के राज्यों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा पत्रादि किस सीमा तक हो इसके लिए भारत सरकार ने 1976 में राजभाषा नियम लागू किया। फिर 9 अक्टूवर 1987 को इस राजभाषा नियम में कुछ संशोधन कर अपनी बातें प्रस्तुत की। इस राजभाषा नियम की मुख्य बातें निम्न थी:–

1. यह नियम संद्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग से संबंधित है।
2. यह तमिलनाडु को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।
3. इसके अनुसार 'क' क्षेत्र के राज्यों द्वारा आपसी या संघ (केन्द्र) के साथ पत्र–व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग होगा। यह प्रावधान भी किया गया कि पत्र–व्यवहार अंग्रेजी या हिन्दी में हो सकता है। लेकिन हिन्दी में पत्र–व्यवहार उसी अनुपात में होगा जिसे केन्द्रय सरकार सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुपित्रवधाओं के आधार पर तय करेगी।
4. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों आदि के कार्यालयों का आपसी पत्र–व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है।
5. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी में भेजे जाएँगे।
6. राजभाषा अधिनियम 1973 की धारा 3 उपधारा 3 बताए गए सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित कर लें कि दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में हैं।
7. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन आदि में हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। हिन्दी में प्रस्तुत या हस्ताक्षरित आवेदन आदि का उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी लेखन हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाएगा। उसका अनुवाद देना आवश्यक देना आवश्यक नही होगा।

   हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कोई कर्मचारी किसी हिन्दी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद तभी मॉग सकता है। जब वह दस्तावेज विधि संबंधी या तकनीकी प्रकृति का हो। इस बात का निर्णय संबंद्ध विभाग या कार्यालय का अध्यक्ष करेगा कि मॉगा गया दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं।
9. उन कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीण माना जाएगा जिन्होंने (क.) मैट्रिक तक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली हो, (ख.) स्नातक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, (ग.) जो यह घोषणा करें कि उन्होंने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।
10. हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान (क.) मैट्रिक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण करना, (ख.) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 'प्राज्ञ' परीक्षा या सरकार द्वारा किसी विशेष प्रवर्ग के लिए निर्दिष्ट परीक्षा पास कर लेना। (ग.) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा पास कर लेना। (घ.) कर्मचारी द्वारा यह घोषणा करना कि उसने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसकी पूष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी करेगा।

11. केन्द्रीय सरकार की सभी मैन्युअल संहिताएँ, प्रकिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में होगा। रजिस्टरों के प्रारूप व शीर्षक आदि भी हिन्दी और आदि पर दी जाने वाली सामग्री भी द्विभाषिक होगी। किन्तु केन्द्रीय सरकार, आवश्यक समझने पर उपर्युक्त उपबंधों में छूट दे सकती है।

12. केन्द्रीय कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उपर्युक्त उपबंधों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करे।

इस तरह से हिन्दी को राजभाषा बनाने में सरकार ने सार्थक प्रयास किए। इस दिशा में सरकार को सफलताएँ भी मिलीं। यद्यपि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने उद्देश्यों में सफल हो पाई है। किन्तु आगे के प्रयास जारी हैं जो कई सम्भावनों का जन्म देते हैं।

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार, प्रसार व विकास में सदा लोकतंत्रीय उदार व सहयोग समन्वय का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आज सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम, डाक कार्यालय, रेलवे विभाग आदि में भी सभी प्रकार के कागजात हिन्दी में है, किन्तु हममें से ऐसे कितने है जो उन हिन्दी पत्र–प्रपत्रों आदि पर ध्यान देते हैं यदि हम सच्चे राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के करोडों लोगों से हमारा सच्चा सरोकार है तो हम आज से ही निश्चय करें कि घर बाहर, नौकरी व्यापार, समाज तथा बाजार के हर कार्यकलाप में हिन्दी अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ही हम हिन्दी को वह गौरव प्रदान कर पांएगे, जिसे प्राप्त करने के लिए आज तक वह उपेक्षित है।

यदि हम सभी भारतवासी मिलकर हिन्दी भाषा को अपनी अस्मिता तथा अपने स्वाभिमान का प्रतीक मानकर उचित सम्मान देंगे तो वह दिन दूर नही कि दुनिया की प्रमुख भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का नाम होगा। हिन्दी भाषा के लिए हमें आवश्यक एवं प्राथमिक कदम व्यावहारिक प्रयोग द्वारा सामूहिक रूप से उठाने होंगे तभी हम हिन्दी को भारत की भाषा ही नहीं बल्कि विश्व की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकेंगे।

# भाषा–शिक्षण एवं भाषा प्रौद्योगिकी

नितीन कुमार जानबाजी रामटेके
*महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र*

भाषा शिक्षण का अर्थ है 'भाषा की शिक्षा देना'। भाषा की शिक्षा देने में चार चरण आते हैं: सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की शिक्षा। इन्हें क्रमशः सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना या श्रवण, भाषण, पठन (वाचन) तथा लेखन कहते हैं। संक्षेप में भाषा शिक्षण से आशय है–किसी भाषा के बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की शिक्षा देना। यह भाषा के चार कौशल हैं, जिन पर शिक्षार्थी को अधिकार प्राप्त करना होता है। इसमें बोलने (भाषण) का अर्थ है–स्वर–व्यजंन के उच्चारण, संगम, अनुतान, बलाघात तथा व्याकरणिक नियमों आदि की दृष्टि से ठीक बोलना तथा श्रवण का अर्थ है–किसी को बोलते सुनना तथा सुनकर उसे समझ लेना। पठन का अर्थ है–मौन या बोलकर किसी लिखित सामग्री को पढना और उसे समझ लेना तथा लेखन का अर्थ है– वर्तनी और व्याकरण आदि की दृष्टि से तर्कसंगत रूप में लिखना। किसी भी भाषा के सर्वांगीण शिक्षण में उपर्युक्त सारे चरण आते हैं, किंतु भाषा–शिक्षण, भाषा शिक्षार्थी की आवश्यकतानुसार, कभी तो इन चारों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) की शिक्षा देता है और कभी इनमें से तीन या दो को ही चुन लेता है।

भाषा में एक व्यवस्था होती है। व्याकरण के नियम उसी व्यवस्था को प्रकट करते हैं। भाषा शिक्षक का काम भाषा–शिक्षार्थी के मन में भाषा की व्यवस्था का ज्ञान देना होता है। मूलतः भाषा वक्ता–श्रोता के बीच की लिखित भाषा, वक्ता–श्रोता के बीच की बोलचाल की भाषा पर ही आधारित होती है। इसीलिए भाषा सीखने में सुनने–बोलने का विशिष्ट स्थान है।

भाषा अर्जित (Acquisition) की जा सकती है या सीखी (Learn) जा सकती है। मातृभाषा समाज से अर्जित की जाती है और अन्य भाषा शिक्षक एवं पुस्तक आदि से सीखी जाती है। भाषा में सृजनात्मकता होती है, अर्थात भाषा की व्यवस्था के आधार पर वक्ता या लेखक संदर्भ, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार नित नए–नए वाक्य बना सकता है तथा बनाता रहता है। 'भाषा प्रौद्योगिकी' में भाषा एवं प्रौद्योगिकी दो अलग शब्द हैं जिसमें 'भाषा' शब्द 'भाषा विज्ञान' से लिया गया है और 'प्रौद्योगिकी' (Technology) मूलतः भूमंडलीकरण की उपज तथा उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के मांग की देन है। यहां 'प्रौद्योगिकी' का अर्थ संगणक से है।

आज मशीन से मानव का संवाद होने लगा है। मानव–मशीन अंतरक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर प्रणाली (Application) से उठने वाली भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों को काम में लिया जाता है। इसमें प्राकृतिक भाषा संसाधन (Natural language Processing) के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रक्रिया और नियमों का अनुप्रयोग होता है। ध्वनि, रूप–रचना, वाक्य–विन्यास, प्रोक्ति संरचना और अर्थ संरचना का कंप्यूटर संसाधन करता है, इसको समझने के लिए भाषा और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध स्थापित हो गया है। इसमें मानव भाषा शक्ति के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भाषा विज्ञान के नियमों और प्रक्रिया का अनुप्रयोग होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें विभिन्न प्रकार के भाषायी तत्वों के अभिकलनात्मक (Computational)

मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। वस्तुतः अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान (Computational Linguistics) प्राकृतिक भाषा के बोधन (Comprehension) और जनन (Generation) के लिए कंप्यूटर प्रणाली का विकास करता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक भाषा को संप्रेषण के माध्यम के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टि से मानव और मशीन के बीच अंतरक्रिया (Interaction) होती है। मानव–मशीन की इस अंतरक्रिया का संबध संप्रेषण से है और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में इसका अनुसंधान और विकास किया जाता है। भाषा विज्ञान में प्राकृतिक भाषा संसाधनों के विभिन्न संभाव्य अनुप्रयोगों पर ध्यान दिया जाता हैं और अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान मानव–मशीन अंतरक्रिया से संबंधित क्षेत्रों में उठने वाली भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धातों और पद्धतियों का प्रयोग करता है।

भाषा प्रौद्योगिकी के मूलतत्व अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान है, किंतु इनमें कृत्रिम बुद्धि (Artificial Intelligence) अर्थविज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन आदि अन्य क्षेत्र भी सहायता करते हैं जबकि वे एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। प्राकृतिक भाषा संसाधन (Natural Language Processing) इसका उपक्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक मानव भाषाओं के स्वचलित (Automatic) जनन और बोधन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता हैं। प्राकृतिक भाषा जनन प्रणाली (Application) सूचना को कंप्यूटर डेटाबेस–से–सामान्य मानव भाषा में परिवर्तित करती है और प्राकृतिक भाषा बोधन प्रणाली मानव भाषा के प्रतिदर्शों (samples) को अधिक औपचारिक प्रतिरूपों (Models) में परिवर्तित करती है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को काम में लाने में सरल होती है।

भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा शिक्षण का अटूट संबध है। संगणक के माध्यम से भाषा का शिक्षण शिक्षार्थी को उपलब्ध होता है। भाषा के संदर्भ में संगणक के माध्यम से शिक्षार्थी को मानक उच्चारण सिखाना, मुख विवर में वर्णो के एवं शब्दों के उच्चारण स्थान को दिखाना आदि से मानक उच्चारण करने में मदद मिले। भाषा के बोलने के संदर्भ में भाषा के व्यवहार को दिखाया जाता है जिससे शिक्षार्थी को भाषा सीखने में मदद मिलती है। 'पठन' कौशल के संदर्भ में भाषा के वर्ण, शब्द, पदबंध, उपवाक्य या वाक्य को संगणक पढ़कर सुनाता है और लिखने के संदर्भ में भाषा के वर्णों को कैसे लिखा जाए, वर्तनी की दृष्टि से क्या सही है? वर्तनी के परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन से क्या समस्या आ सकती है? आदि संगणक के माध्यम से दिखाने से शिक्षार्थी को शिक्षा ग्रहण करणे में मदद मिलती है। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम के द्वारा शिक्षार्थी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर पाता है और जो अधिक समय तक याद रहती है।

संगणक के पास भाषा का ज्ञान होने से शिक्षार्थी भाषा सीखने के किसी क्रम में यदि कोई गलती करता है तो, संगणक शिक्षार्थी की गलती को बताकर उसकी गलती सुधारने में मदद करता है जिससे भाषा के कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलती है। भाषा शिक्षण के संबंध में विचार करते समय पहला आधारभूत प्रश्न यह उठता है कि क्या भाषा शिक्षण में अध्यापक की भूमिका संगणक निभा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर के दो रूप हो सकते हैं– पहला यह कि भाषा–शिक्षण में अध्यापक का स्थानापन्न संगणक हो, दूसरा यह कि संगणक अध्यापक का स्थानापन्न तो नहीं, पर अध्यापक के भाषा–अध्यापन कार्य में संगणक अवश्य सहायक होना चाहिए। संगणक सदैव संभावित प्रश्नों के आधार पर संभावित समाधानों को लेकर ही कार्यरत होता है। कई बार यह देखा गया है कि अध्ययन–अध्यापन के समय ऐसे अनेक प्रश्न सामने उभरकर आते हैं, जो भाषा के संदर्भ में किसी भी भाषा अध्येता (अध्ययन करने वाला) ने पहले कभी नहीं उठाए। ऐसे प्रश्नों का समाधान संगणक नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रश्न पहली बार आ रहे हैं। इसलिए संगणक को अध्यापक का स्थानापन्न मानकर कोई कार्यक्रम तैयार करना निश्चित रूप से भूल होगी। अध्यापक अपने भाषा–अध्यापन के समय जैसे अन्य साधनों का प्रयोग करता है, वैसे ही संगणक भी उसके तमाम सारे औजारों में से एक औजार है।

भाषा अध्येता संगणक (भाषाई ज्ञान प्राप्त) के साथ अधिक समय तक मन से बैठकर अध्ययन करेगा, तो स्वाभाविक रूप में संगणक को भाषा शिक्षण से संबंधित दी गई सामग्री के साथ उस भाषा

अध्येता का जुड़ाव अधिक समय तक और मन से होगा, अतः उसकी भाषा अर्जन या सीखने की गति अन्य साधनों की तुलना में संगणक के साथ जुड़ने पर अधिक होगी। भाषा अध्येता जो अपनी भाषा अर्जन या सीखने की प्रक्रिया में तमाम सारी साधारण गलतियां/त्रुटियां करता है, संगणक उन त्रुटियों को सुधारकर भाषा शिक्षक के समय को बचा सकेगा, जिससे भाषा शिक्षक अपने समय को भाषा शिक्षण के अन्य बिंदुओं के अध्यापन कार्य में प्रयोग कर सकेगा। प्रायः यह देखा गया है कि छात्र लेखन में वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। इन वर्तनी संबंधित त्रुटियों को संगणक का लिपि–शोधक प्रोग्राम आसानी से बताकर शिक्षक के समय को बचा सकता है। मान लिजिए कि भाषा अध्येता अपनी त्रुटियों के समाधान के लिए एक लंबे समय तक अपने कार्य का परीक्षण कराना चाहता है तो वह संगणक का प्रयोग जितने समय तक चाहे, उतने समय तक सहज रूप से कर सकता हे, जबकि भाषा शिक्षक यदि कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे उतने ही समय में पूरी कक्षा के छात्रों को विषय बिंदुओं की संकल्पनाओं के संबंध में संतुष्ट करना होगा, अतः वह एक छात्र को पर्याप्त समय नहीं दे पाएगा। उपयुक्त लाभों को देखकर यह लगता है कि संगणक की सहायता से भाषा अर्जन एवं सीखने के कार्यक्रम (Program) तैयार किए जाएं।

'भाषा शिक्षण' के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसमें शिक्षार्थी जब तक उस संकल्पना को समझ नहीं लेता संगणक शिक्षार्थी को आगे बढ़ने नहीं देता। संगणक शिक्षार्थी को सरल–से–कठिन की ओर ले जाता है और उसे विषय से संबंधित प्रश्न पूछने पर यदि शिक्षार्थी उत्तर नहीं दे पाता है तो संगणक उसे सही उत्तर एवं संकल्पना को स्पष्ट करता है। संगणक के माध्यम से शिक्षार्थी स्वयं एवं शिक्षक के माध्यम से भी पढ़ सकता है। आज इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ऑन–लाइन विषय–विशेषज्ञ (Virtual ClassRoom) से संपर्क किया जाता है जिससे शिक्षार्थी को भाषा सीखने में मदद मिलती है।

भाषा शिक्षण की दिशा में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के सहयोग से सी–डैक पुणे ने हिंदीतर सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य हिंदीतर भाषा भाषियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा पाठयक्रमों के लिए लीला सॉटवेयरों (Learn Indian language through Artificial Intelligence) का निर्माण किया है। पाठ में आए वाक्यों, शब्दों एवं वर्णो के मानक उच्चारण का सुनना और उनका अभ्यास कराना सिखाया जाता है। देवनागरी के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं को सीखने की सुविधा उपल्बध है। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से मैजिक सॉटवेयर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा निर्मित मल्टीमिडिया, सीडी–रोम गुरू भी महत्त्वपूर्ण हैं। 'गुरू' जीवंत और वास्तविक जीवन स्थितियों को लेकर मार्गदर्शन करता है। इसमें संवादों के माध्यम से विदेशी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें देवनागरी लिपि का शिक्षण और अभ्यास कराया गया है। इसमें व्याकरण, कोश, चित्रकोश, लोककथा, सचित्र विश्वकोश, वर्ग–पहेली, शिशु गीत आदि से हिंदी शिक्षण कराने का एक अच्छा प्रयास है।

इस प्रकार भाषा प्रौद्योगिकी प्राकृतिक भाषा संसाधन की एक ऐसी विधा है जिसका हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रोद्योगिकी परक विकास में विशिष्ट योगदान होगा। भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे अनेक उपकरणों का विकास हो रहा है, जिनकी भूमिका मानव कल्याण और राष्ट्रोत्थान में तो स्पष्ट है ही, हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण है।

## संदर्भ


1. गोस्वामी, डॉ कृष्ण कुमार की नोट्स
2. जैन वृषभ प्रसाद,1995, अनुवाद और मशीनी अनुवाद, नई दिल्ली, सारांश प्रकाशन प्रा. लि.
3. तिवारी, डॉ भोलानाथ, भाटिया डॉ कैलाशनाथ, 1990, हिंदी भाषा शिक्षण, नई दिल्ली, लिपि प्रकाशन

# विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हमारी हिन्दी

रानू अग्रवाल एवं अमरकांत पाण्डेय
*पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़*

आज कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सभी क्षेत्रों के कामकाज में यांत्रिक और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। चहुं ओर विज्ञान एवं वैश्वीकरण की चर्चा है। इन क्षेत्रों में सतत् विकास के साथ हमारा वैश्विक सरोकार जैसे–जैसे बढ़ता जा रहा है, हम बड़ी उदारता के साथ विदेशी शब्दों को भी आत्मसात् करते जा रहे है। आज हिन्दी भाषा में हजारों की संख्या में अंग्रेजी की शब्दावली समाहित हो चुकी है। जिस देश से प्रौद्योगिकी आ रही है, वहीं की शब्दावली अन्यान्य भाषाओं में अपना स्थान सुरक्षित कर रही है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यमों ने भी हिन्दी भाषा के उस नगरीय स्वरूप को ही स्वीकार किया है, जिसमें सुरूचि या सौंदर्य कम विकृति ज्यादा है। वे भाषा को ज्यादा सुसंबद्ध, अर्थवान और जीवित रूप देने का संघर्ष नहीं करते। हम स्पष्ट देखते हैं कि इन प्रायोजित कार्यक्रमों में विकृति केवल भाषा में नहीं है, बल्कि उनकी पूरी संरचना में एक गिरावट है, जो मनुष्य के विवेक कल्पनाशक्ति और संघर्ष का क्षय करती है। वह उसे जागरूक, आलोचक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के बजाय निष्क्रिय और प्रतिगामी बना रही है।

अंग्रेजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या, शिक्षित भारतीयों का विदेशों की ओर आकर्षण एवं अंग्रेजी भाषा की हिमायत भारत को किस ओर ले जा रहे हैं, यह विचारणीय पहलू है। हर हिन्दुस्तानी को इस विषय पर सजग होने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह होती जा रही है कि हिन्दी लेखक, हिन्दी शिक्षक एवं हिन्दी भाषी स्वयं को हीन समझने लगे हैं।

**महात्मा गांधी ने कहा है**–कि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गए होते, तो यह समझने में देर नहीं लगती कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कटकर दूर हो गई है। हम अपनी जनता से अलग हो गए हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रूक गया है और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में असमर्थ रहे हैं। जो विरासत हमें अपने–अपने बाप–दादा से हासिल हुई, उसके आधार पर नव निर्माण करने के बदले हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है, यह तो राष्ट्रीय शोक का विषय है। आज की सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़े और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें।''

दुर्भाग्य से गांधी जी का हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने का सपना आज भी अधूरा है। आजादी के 65 वर्ष के बाद भी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान के अनुसार हिन्दी आज भी राजभाषा ही है। ये भारतीयों की हीन भावना का ही परिणाम है कि देश में हिन्दी की स्थिति बद् से बद्तर होती जा रही है।

भारतीय हिन्दी को विज्ञान एवं नई तकनीकों के साथ चलने में असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। परंतु क्या यह हम भारतीयों का ही फर्ज नहीं है कि हम नित नए शब्दों का विकास करके हिन्दी के शब्दकोश का वैज्ञानिक विस्तार करें। क्यों हम किसी और की भाषा के पीछे भागे? क्यों न हम अपनी ही भाषा को इतना समृद्ध बनाएं कि वह आ चुके

और आगे आने वाले तकनीकी शब्दों को आत्मसात कर सके। भाषाएं सभी अच्छी हैं, परंतु उनका अंधानुकरण तर्कसंगत नहीं है। उल्लेखनीय है कि सोवियत रूस बनने के बाद रूसी उनकी राष्ट्रभाषा थी, क्या वे वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में पीछे रह गए है? चीन, जापान एवं बहुत से यूरोपीय देशों को विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है, उनकी अपनी भाषा ही राष्ट्रभाषा रही है और उसी के माध्यम से उन्होंने प्रगति भी की है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा को शक्ति संपन्न बनाती है, वह सदैव सम्माननीय होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति में कभी बाधक नहीं हो सकती, अपितु वह तो प्रगति के मार्ग खोलती है। हमारी हिन्दी भाषा कतई अस्पष्ट एवं असमृद्ध नहीं है, यह तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। बहुत से विकसित देशों के विश्वविद्यालयों में आज हिन्दी पढ़ाई जा रही है। यह केवल इसीलिए संभव हुआ है, क्योंकि यह अत्यंत व्यवहारिक, समर्थ, समृद्ध एवं वैज्ञानिक भाषा है। अमेरिका के 51 महाविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा दी जाती है, जिनमें कुल 1430 छात्र है। अमेरिका के ही पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी में एम बी ए के छात्रों के लिए हिन्दी का दो वर्षीय कोर्स अनिवार्य है। कनाडा में हिन्दी एब्रोड सबसे अधिक बिकने वाला हिन्दी अखबार है। भारत को छोड़कर शोध विश्व में 136 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी उच्चतर शिक्षण के रूप में पढ़ाई जा रही है। एक कैनेडियन का तो यहां तक कहना है, कि आगामी दशकों में विश्व की हजारों भाषाओं में केवल 18 भाषाएं ही प्रौद्योगिकी से जुड़ पाएंगी, जिनमें हिन्दी भी एक होगी। तो क्या इतनी सक्षम भाषा अस्पष्ट एवं असमृद्ध हो सकती है? कभी नहीं। सच तो यह है कि अहिन्दी भाषियों ने फिर भी हिन्दी का महत्व समझा और इसका सम्मान किया पर अफसोस सबसे ज्यादा दुर्दशा हिन्दी की हिन्दी भाषियों ने ही की है। शायद इसलिए वर्ष में एक बार 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। तभी कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे भारत की मरती हुई भाषा का श्राद्ध भी कहा है। अतः बदलते परिवेश में राजभाषा हिन्दी के उज्जवल भविष्य और उसकी सम्यक् प्रतिष्ठा के लिए आवश्यकतानुसार शब्द–संरचना का सतत् प्रयत्न वांछनीय है।

भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन सन् 1961 ई. में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। आयोग को विभिन्न विषयों की तकनीकी शब्दावली, अखिल भारतीय शब्दावली परिभाषा–कोशों, चयनिकाओं, पाठ्यसंग्रहों तथा विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी पुस्तकों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। आयोग अब तक अनेक पारिभाषिक शब्द संग्रह और विभिन्न विषयों पर शब्दावलियां तथा परिभाषा–कोश प्रकाशित कर चुका है। आयोग तथा प्रदेशों की हिन्दी ग्रंथ अकादमियों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे – धर्मशास्त्र, वाणिज्य, विज्ञान, सैन्य विज्ञान आदि विषयों पर विश्वविद्यालय स्तर की सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। पुस्तकों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि उनकी विषय सामग्री उपयोगी और सुबोध हो। हिन्दी के विकास और संवर्धन की दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने अनेक बहुभाषा, त्रिभाषा, और द्विभाषा कोश प्रकाशित किये हैं।

## हिन्दी का सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर के साथ विकास

21 वीं सदी को कम्प्यूटर युग की संज्ञा दी जा रही है। सभी क्षेत्रों में कामकाज में यांत्रिक और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए राजभाषा विभाग ने इन उपकरणों द्वारा हिन्दी में काम करने की सुविधाएं जुटाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। विभाग ने अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने के लिए पुणे की सी–डेक नामक सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास में पहल की जिसकी मदद से कम्प्यूटर स्वतः ही अनुवाद करने में सक्षम होगा। व्यवहारिक दृष्टि से यह अत्यंत लाभप्रद होगा। इसकी सहायता से प्रशासकीय क्षेत्र में प्रयोग में आने वाली अंग्रेजी पत्र–प्रपत्र आदेश और ज्ञापन आदि का अनुवाद स्वतः सुलभ हो जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में एक हिन्दी कम्प्यूटर साक्षरता

केन्द्र खोला है। राजभाषा विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भी कम्प्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान तथा हिन्दी में शब्द संसाधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे है। कुछ बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों ने भी अपनी व्यवस्था अलग से की है। कम्प्यूटर की सहायता से हिन्दी सिखाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने 'प्रबोध', 'प्राज्ञ' पाठ्यक्रमों के स्तर के कम्प्यूटर प्रोग्राम तैयार करवाएं है। कम्प्यूटर के लिए हिन्दी शब्द अभिकलित्र मान्य है, परंतु यह शब्द अब तक लोगों की जुबां पर नहीं चढ़ा है। यदा–कदा कम्प्यूटर के हिन्दी शब्द का प्रयोग करना हो तो संगणक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जो कि केल्कुलेटर का हिन्दी शब्द है।

हिन्दी को इंटरनेट से परिचित कराने के लिए अनेक सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास किए गए है। इसके लिए वैश्विक हिन्दी फॉन्ट विकसित करने के लिए फॉन्ट को 'यूनिकोड' में ढाला गया है। विश्व के प्रसिद्ध वेबपोर्टल 'याहू' ने हिन्दी समेत अनेक भाषाओं को अपना लिया है। गूगल, जैसे सर्च इंजन हिन्दी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। गूगल ने ब्लॉगर में हिन्दी ट्रांसलेशन और हिन्दी वर्तनी जांच सुविधा प्रदान की है। इतना ही नहीं गूगल पर लैंग्वेज टूल में अनुवाद की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। उल्लेखनीय है कि दिन–प्रतिदिन विकसित होती नेट–तकनीक ने प्रस्तुति की नई–नई पद्धतियां विकसित की है। विदित है कि नेट पर हिन्दी को पहचान देने का प्रथम सार्थक प्रयास 16 जनवरी 1997 को इंदौर से इंटरनेट पर प्रकाशित समाचार पत्र नई–दुनिया द्वारा किया गया। आज नेट पर तरह–तरह की मैग्जीन का हिन्दी संस्करण उपलब्ध है। हिन्दी में बहुत से ब्लॉग भी सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कुछ ब्लॉगवाणी, चिट्ठाजाल, नारद, चिट्ठा विश्व, चिट्ठानामा, फिल्मी ब्लॉग, हिन्दी यूनीवर्स, हिन्दी ब्लॉग–पॉडकास्ट आदि चिट्ठा संलग्न है। ज्ञातव्य हो ब्लॉग को हिन्दी नाम 'चिठ्ठा' दिया गया है। अब चिट्ठा के माध्यम से हिन्दी साहित्यकार भी अपने विचार दुनिया के सामने रखने में सक्षम है।

अब हमें यह मान लेना चाहिए कि हिन्दी असमृद्ध भाषा कतई नहीं है, अपितु जितना समृद्ध साहित्य हिन्दी भाषा में है, शायद ही किसी अन्य भाषा में मिले। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हीनभावना से मुक्त होकर हिन्दी के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाना होगा ताकि वह अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी से जुड़ी हुई हमारी जकड़ी मानसिकता को तोड़ा जाए। इसके साथ ही हमें अपनी सोच को बदलना होगा तथा अपनी भाषा की उपेक्षा व तिरस्कार के बजाए उसे आदर–सम्मान प्रदान करना होगा तभी हम वास्तव में विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। हिन्दी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह अपने आप में बहुत समर्थ एवं समृद्ध भाषा है, इसलिए किसी अन्य भाषा की अपेक्षा हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने का संकल्प लेना होगा।

**महात्मा गांधी ने कहा है** ''कोई भी देश अपनी स्वयं की भाषा से ही समृद्ध हो सकता है। उधार ली हुई भाषा से कोई भी राष्ट्र महान नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी ही सशक्त भाषा क्यों न हो।''

## संदर्भ


1. कृपाशंकर सिंह (अप्रैल–जून 2011) ''हिन्दी थी सात सौ साल पहले दक्खिन की भाषा'', खोज, पेज 9 2. डॉ ज्योत्सना सिंह (मई 2012) '' हिन्दुस्तान में हिंदी का स्थान'', ज्ञान विज्ञान, पेज 58
3. डॉ पवन अग्रवाल (मई 2010) ''इन्टरनेट पर अभिव्यक्ति के नए माध्यम और हिंदी'' ज्ञान विज्ञान, पेज 60–64 4. डॉ सुरेन्द्र विक्रम (नवम्बर 2010) ''उच्चतर हिंदी शिक्षण के समक्ष 21 वी सदी की चुनौतियां'', ज्ञान विज्ञान, पेज 55
5. प्रो चन्द्रकला त्रिपाठी (सितम्बर 2004) '' संचार माध्यम और हिंदी'', ज्ञान विज्ञान, पेज 42
6. विनोद चन्द्र पाण्डेय ( मई 2009) '' बदलते परिवेश में राजभाषा हिंदी का भविष्य'', ज्ञान विज्ञान, पेज 36

# राजभाषा आंदोलन के समानांतर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का विज्ञान के क्षेत्र में योगदानः एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण

राकेश कुमार दूबे
*वाराणसी, उत्तर प्रदेश*

काशी नगरी अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के साथ ही ज्ञान–विज्ञान का भी केन्द्र रही हैं। प्राचीन काल में संस्कृत और आधुनिक काल में हिंदी भाशा एवं साहित्य को जो स्थान, महत्व और प्रसिद्धि प्राप्त है, उसका भी अधिकांश श्रेय काशी को ही है। ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में भी काशी का विशिष्ट योगदान रहा है जिसके महत्व को आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय तक ने रेखांकित किया कि ''काशी सभ्यता की लीलाभूमि है। बहुत प्राचीन समय से यह सभ्यता का केन्द्र बना हुआ हैं। यूरोप में जब प्राचीन रोम और एथेन्स का जन्म भी नही हुआ था उस समय बनारस हिन्दू विचार और हिंदू शिक्षा का केन्द्र स्थान था।..... बनारस शल्य विज्ञान (चीड़ा फाड़ी शास्त्र) का जन्म स्थान है। कहावत है कि शल्यशास्त्र के जन्मदाता धनवन्तरि श्री महाराज बनारस मे जन्में थे। बनारस अंकशास्त्र तथा ज्योतिशास्त्र का केन्द्र स्थान है। जयपुर के स्वर्गीय महाराजा सवाई जयसिंह ने बनारस का मान मंदिर बनवाया था।''[1] इसी काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई जिसने अपनी व्यापक सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राजभाषा आंदोलन के साथ ही उसके समानांतर विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई, 1893 ई को काशी में हुई थी जिसके मूल में नागरी (हिंदी भाषा और नागरी लिपि) का प्रचार प्रमुख था। इसके स्थापनकर्ता त्रय पं रामनारायण मिश्र, बाबू शिवकुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे।[2] स्थापनोपरांत सभा ने जो उद्‌देश्य निर्धारित किये उनमें नागरी (हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि) के प्रचार के साथ ही हिंदी साहित्य एवं अन्य ज्ञान–विज्ञान की विधाओं का सृजन एवं संवर्धन शामिल था। स्थापनोपरांत सभा ने राजभाषा आंदोलन (जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्वत्र राष्ट्रभाषा आंदोलन ही कहा गया) की बागडोर संभालते हुए 1894 ई से हिंदी हस्तलिपि परीक्षा का आयोजन किया।[3] 1896 ई में हिंदी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में स्थान दिलाने में सफल रही[4] और 2मार्च, 1898 ई को दिये गये 'नागरी मेमोरियल' के आधार पर 18 अप्रैल, 1900 ई की राजाज्ञा संख्या 585/3–343 सी–68, 1900 धारा कचहरियों एवं सरकारी दफ्तरों में हिंदी को स्थान दिलाने में सफल रही।[5] देश के विभिन्न भागों में नागरी प्रचारिणी सभाओं की स्थापना के साथ ही 1910 ई में हिंदी साहित्य सम्मेलन की भी स्थापना की। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रव्यापी बना दिया। हिंदी–हिंदुस्तानी विवाद में अपनी पत्रिका 'हिंदी' के माध्यम से हिंदुस्तानी का सच आमजन तक को दिखाया[6] और अंत में आंदोलन करते हुए न पूर्णरुपेण वरन् आंशिक रूप से ही सही, हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाया।

राजभाषा आंदोलन के समानांतर विज्ञान के क्षेत्र में कार्य आरम्भ करते हुए 4 जून, 1894 ई की सभा की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि 'हिंदी भाषा एवं साहित्य के साथ ही मस्तिष्क–विज्ञान इत्यादि के ग्रंथ भी लिखवाये जायें।'[7] जब सभा ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय हमारा देश अंग्रेजों द्वारा दलित रहा। उपनिवेशकों ने उपनिवेशीकरण और नियंत्रण के एक बहुत प्रभावशाली औजार के

रूप में विज्ञान का प्रयोग किया। विज्ञान की उनकी अवधारणा साम्राज्य की जरूरतों से नजदीकी से जुड़ी थीं।[8] वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों में जागरूकता ला सकता था इसलिए भारत में वैज्ञानिक ज्ञान को हमेंशा हतोत्साहित किया गया। ब्रिटिश शासन के अभिमत में यदि भारत में विज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया तो भारतीय अपने अधिकार की मांग करेंगे इसीलिए ब्रिटिश लोग हमेशा इस देश में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार में उदासीन रहे।[9]

सभा ने अपनी स्थापना के बाद से ही लोकभाषा के माध्यम से सरकार की कुटिल नीति का प्रचार आरंभ किया कि–''ईश्वर पक्षपाती नहीं है। वह सब प्रकार पक्षपात रहित है। वह सबसे बड़ा न्यायी है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यूरोप अथवा अमेरिका वालों को ही उसने नये–नये आविष्कार करने की शक्ति दी है। सब देश, सब जाति और सब अवस्था के मनुष्यों में ईश्वर समान रूप से स्थित है। उसका लक्षण सज्ञानता सब में बराबर विद्यमान है। अभ्यास, मनन और शिक्षा आदि कारणों से यह सज्ञानता किसी–किसी में विशेष उद्‌दीप्त हो उठती है और अनेक आश्चर्यजनक काम करने लगती है। इसके उद्‌दीपन के जो कारण हैं वे और देशों में अधिकता से पाये जाते हैं।''[10]

इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए सभा ने जून, 1896 ई से 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्रिका में साहित्य और संस्कृति के साथ ही ज्ञान–विज्ञान की सारगर्भित सामग्री का भी प्रकाशन किया गया। इस सन्दर्भ में 11 मई, 1896 ई की सभा की साधारण बैठक में सर्वसम्मति से जो निश्चय किया गया, विज्ञान के सम्बन्ध में निम्न बातें महत्वपूर्ण थी[11]।

''इस पत्र में इतिहास, साहित्य, भाषा–तत्व, भू–तत्व, पुरातत्व आदि विद्या– विषयक तथा सभा–संबंधी आवश्यक लेख रहा करेंगे।'' ''प्रथम अंक में निम्नलिखित लेख रहें–दुमदार तारे, समालोचना और पं लक्ष्मीशंकर मिश्र का एक लेख।''

इस प्रकार जून, 1896 ई में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का जन्म हुआ। प्रथम वर्ष में पत्रिका के चार अंक निकले, जिनमें प्रथम अंक की प्रस्तावना के अतिरिक्त आठ लेख प्रकाशित हुए थे जिनमें विज्ञान पर निम्नलिखित लेख थे[12]–

1. केतुतारों का संक्षिप्त वृतांत (बाबू गोपाल प्रसाद खत्री)
2. अद्‌भुत रश्मि (पं लोकनाथ त्रिपाठी बीए और बाबू कृष्णबलदेव वर्मा)

सभा ने भारतवासियों के बीच यह बात उपस्थित की कि शासक जाति की उन्नति, उनका गौरव और सभ्यतागत श्रेष्ठता का उनका दावा विज्ञान ही के कारण है। अपनी पत्रिका 'नागरी प्रचारिणी' के तीसरे ही भाग में सभा ने यह प्रकाशित किया कि ''आजकल की सभ्य जाति का गौरव विज्ञान से ही है अर्थात् केवल विज्ञान की चर्चा और विज्ञान की उन्नति साधन ही इस समय का पूर्ण गौरव है।''[13] इसी प्रकार 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के 13 वें भाग में यह मत रखा कि उन्नतशील जातियों ने जो कौशल और बल प्राप्त किया है उसके मूल में वैज्ञानिक शिक्षा ही है और लिखा ''आजकल उन्नतिशील जातियों ने जो महाकौशल और बल प्राप्त किए हैं वे इसी वैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव है। नवीन यंत्र, इंजन, तार आदि का विज्ञान के द्वारा ही आविष्कार हुआ है जिनसे कार्य की गति शीघ्र और सहज हो गई है।''[14] सभा ने भारतीयों के समक्ष जापान का उदाहरण रखा और उसी का अनुसरण कर औद्योगिक उन्नति करने का आह्‌वाहन किया–''जापान ने कुशल प्रबन्ध द्वारा व्यावसायिक और औद्योगिक उन्नति की है। इस विषय में भारतवर्ष की स्थिति पूर्व जापान जैसी हो रही है अतएव उसी का अनुकरण करना श्रेयस्कर है।''[15]

सभा ने प्रारम्भ से ही विशुद्ध साक्ष्यों के आधार पर यह मत स्थापित किया कि प्राचीन काल में भारत का विज्ञान अत्यधिक उन्नत था परन्तु, भारतीय समय के साथ न चल सके और ज्ञान–विज्ञान के अभाव में देश पतन को प्राप्त हुआ। सभा ने भारतवासियों को इस ध्रुव सत्य से भी परिचित कराया

कि इसी विज्ञान के बल से ही पश्चिम वालों ने उन्नति की है और उनकी औद्योगिक उन्नति और समृद्धि का मूल कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' ने इस सन्दर्भ में लिखा ''नवीन–नवीन आविष्कारों ने और सुशिक्षा के प्रचार ने इंग्लैण्ड को एक सौ वर्ष के अर्न्तगत ही समस्त संसार में अत्यन्त बलशाली और धनवान देश बना दिया। यह कहना नहीं होगा कि भारतवर्ष इसी क्रम से शक्तिहीन, दीन, दरिद्र और निरूद्यमी होता गया।''[16]

नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रथम अंक से ही सभा ने संसार में जो वैज्ञानिक उन्नति हो रही थी उसको जनभाषा के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने का उद्योग आरम्भ किया। 'अद्‌भुत रश्मि' शीर्षक लेख में स्पष्ट लिखा गया ''यद्यपि यूरोप और अमेरिका के तत्ववेत्ता बहुत सी पदार्थ विज्ञान संबन्धी बातें निकाल चुके हैं परन्तु एक बड़ी ही आश्चर्यजनक परीक्षा वर्तमान काल में वर्जवर्ग के प्रख्यात विद्वान प्रो रुन्टगेन ने की है। उक्त प्रोफेसर ने परीक्षा करते हुए एक भांति की किरणों का पता लगाया है जो अन्धकार में पाई जाती हैं और जो हमारी प्रकाश की साधारण किरणों के किसी प्रकार से सदृश नहीं है। प्रो रुन्टगेन ने अपनी भाषा में इन किरणों का नाम X-Rays रखा है।[17]

सन् 1900 ई में सभा के अनुमोदन से 'सरस्वती' नाम की जिस पत्रिका (हिंदी मासिक) का प्रकाशन आरम्भ हुआ उसमें भी विज्ञान विषय को महत्व दिया गया और उद्‌देश्य ही इस प्रकार वर्णित था ''यह केवल इसी से अनुमान करना चाहिए कि इसका नाम सरस्वती है। इसमें गद्य, पद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, चम्पू, इतिहास, जीवन चरित, पश्च, हास्य, परिहास, कौतुक, पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्प, कलाकौशल, आदि साहित्य के यावतीय विशयों का यथावकाश समावेश रहेगा और आगत ग्रन्थादिकों की यथोचित समालोचना की जायेगी।''[18] सरस्वती पत्रिका ने विज्ञान को कितना महत्व दिया यह बात पत्रिका के प्रथम वर्ष के समस्त अंकों के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है। प्रथम वर्ष में पत्रिका में विज्ञान विषय में प्रकाशित लेख इस प्रकार थे–

| लेख | लेखक |
|---|---|
| 1. फोटोग्राफी | बाबू श्यामसुन्दर दास। |
| 2. जन्तुओं की सृष्टि | बाबू श्यामसुन्दर दास। |
| 3. चन्द्रोदय (बिम्बद्धि) | पं किशोरी लाल गोस्वामी |
| 4. चन्द्रोदय (पूर्ण बिम्ब रक्ताया) | पं किशोरी लाल गोस्वामी। |
| 5. कोहनूर | बाबू केशव प्रसाद सिंह। |
| 6. रेल | बाबू दुर्गाप्रसाद। |
| 7. चन्द्र लोक की यात्रा | बाबू दुर्गा प्रसाद। |
| 8. मानवी भारीर | बाबू केशव प्रसाद सिंह। |
| 9. भारत वर्ष की शिल्प विद्या | बाबू श्यामसुन्दर |

श्रोतः सरस्वती पत्रिका, जनवरी से दिसम्बर, 1900 ई तक।

सभा ने हिंदी में वैज्ञानिक कोश के अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया और संवत् 1955 (31 अक्टूबर, 1898) में एक उपसमिति इस कार्य के लिए बना दी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य चुने गये थे–सर्वश्री लक्ष्मी शंकर मिश्र, म म सुधाकर द्विवेदी, अभयचरण सान्याल, कार्तिक प्रसाद, रामनारायण मिश्र और श्याम सुन्दरदास।[19] इस समिति ने यह निश्चय किया कि आरम्भ में भूगोल, गणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, पदार्थ–विज्ञान, रसायन–शास्त्र तथा दर्शन के शब्दों का संग्रह वेवस्टर की डिक्शनरी से किया जाये। इस संग्रह के प्रस्तुत हो जाने और सातों विषयों के शब्दों की अलग–अलग सूची लिखकर तैयार हो जाने पर प्रत्येक शब्द के लिए हिंदी–शब्द चुनने का काम भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को दिया गया और अस्थायी शब्दकोश (Tentative glossary) सभा के निम्नलिखित सभासदों द्वारा तैयार की गई[20]–

| | |
|---|---|
| नक्षत्र शास्त्र | महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी |
| रसायन शास्त्र | बाबू ठाकुर प्रसाद |
| गणित शास्त्र | महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी |
| दर्शन शास्त्र | पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी |
| भौतिक शास्त्र | बाबू ठाकुर प्रसाद |
| राजनीतिक अर्थशास्त्र | पंडित माधवराव सप्रे बी ए |

इस प्रकार सभा के अथक प्रयास से यह वैज्ञानिक कोश 1906 ई में छपकर तैयार हुआ। इस शब्दकोश के विषय, लेखक, शब्द संख्या इस प्रकार थे :

| विषय | लेखक | अंग्रेजी शब्द | हिंदी शब्द |
|---|---|---|---|
| भूगोल | बाबू श्यामसुन्दरदास | 457 | 532 |
| खगोलशास्त्र | पं सुधाकर द्विवेदी | 813 | 948 |
| राजनीतिक अर्थशास्त्र | पं माधवराव सप्रे | 1320 | 2115 |
| रसायन शास्त्र | बाबू ठाकुर प्रसाद | 1638 | 2212 |
| भौतिक शास्त्र | बाबू ठाकुर प्रसाद | 1327 | 1541 |
| दर्शन शास्त्र | पं महावीरप्रसाद द्विवेदी | 3511 | 7198 |
| गणितशास्त्र | पं सुधाकर द्विवेदी | 124 | 1580 |

**स्रोत– हिंदी साइंटिफिक ग्लॉसरी**

किसी भी भारतीय भाषा में वैज्ञानिक शब्दकोश निर्माण का प्रथम संगठित प्रयास 1888 ई में प्रो टी के गज्जर द्वारा श्री सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के संरक्षकत्व में और दूसरा प्रयास 'बंगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता' द्वारा किया गया पर असफल रहे परन्तु सभा ने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। 1906 ई में इस कोश के प्रकाशित होने पर देशभर के विद्वानों और सभा समाजों से सभा को बधाई पत्र प्राप्त हुए, यहां तक कि इंग्लैण्ड के वैज्ञानिक पत्रों में भी इस कृति की सुन्दर समालोचना हुई।[21] इस प्रकार सभा ने प्रथम बार किसी भी भारतीय भाषा में शब्दकोश का निर्माण कर विज्ञान–लेखन को बल प्रदान किया।

हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों की वृद्धि को ध्यान मे रखकर जून 1901 ई से सभा ने दुर्लभ पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करना आरम्भ किया। इस श्रृंखला में 'कालबोध' 'खेती विद्या की पहिली पुस्तक' एवं 'रेखागणित' सदृभा विज्ञान विशयक पुस्तकों का प्रकाशन किया। सभा ने हिंदी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए पुरस्कार एवं पदक प्रदान करने का आयोजन भी किया। सन् 1901 ई से अच्छे वैज्ञानिक लेख पर चांदी का पदक देना निर्धारित किया गया। प्रतिवर्ष यह पदक किसी न किसी को दिया जाने लगा। यह क्रम संवत, 1964 तक चलता रहा। सं 1965 से विज्ञान विषयक लेख पर दिये जाने वाले पदक का नाम 'रेडिचे पदक'[22] कर दिया गया। 1914 ई तक विज्ञान विषय पर पदक पाने वाले लेखकों के नाम और विषय इस प्रकार हैं–

| सन् | नाम | विषय |
|---|---|---|
| 1902 | श्री गणपत जानकी राम दूबे, बी ए | मनोविज्ञान |
| 1903 | श्री अच्युतप्रसाद द्विवेदी बी ए | मंगल ग्रह |
| 1904 | श्री ठाकुरप्रसाद | भूगर्भ विद्या |
| 1905 | श्री ठाकुरप्रसाद | ज्योतिष शास्त्र |

| | | |
|---|---|---|
| 1906 | किसी को नहीं दिया गया | |
| 1907 | श्री ठाकुरप्रसाद | ध्रुवीय देश |
| 1914 | श्री उमराव सिंह शर्मा | हवाई जहाज |

**स्रोतः वार्षिक विवरण ना प्र सभा 1902 से 1915 ई तक।**

1904 ई में सभा ने वैज्ञानिक शिक्षा के देशी भाषाओं में प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से 'सुबोध व्याख्यानमाला' आरंभ किया। 1902 में 'युनिवर्सिटी कमीशन' के सम्मुख काशी नागरीप्रचारिणी सभा के प्रतिनिधि बाबू गोविन्ददास ने गवाही पेश करते हुए यह सम्मति रखी थी कि "विश्वविद्यालयों द्वारा कानून की शिक्षा के साथ ही इंजिनियरी, चिकित्सा एवं कृषि की शिक्षा भारतवासियों को भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए"[23] परन्तु, सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई कार्य न करने पर सभा ने एक समिति इस कार्य के लिए बनाई और समिति के उद्योग से पहले ही वर्ष सात व्याख्यान हुए।[24] व्याख्यान के दौरान गूढ़ और रूखे विषयों को भी रोचक और बोधगम्य बनाने हेतु सभा ने एक 'मैजिक लालटेन' और 'स्लाइड' इंग्लैंड से मँगाई। अपने इस कार्य में सभा आशातीत सफल रही और व्याख्यान के दौरान हॉल तो क्या बरामदों तक में तिल रखने की जगह नहीं बचती थी।

वैज्ञानिक भंडार की पूर्ति के लिए सभा ने जहां व्यापक मात्रा में अनुवाद कार्य करवाया वहीं, 'नागरी प्रचारिणी लेखमाला, मनोरंजन पुस्तक माला, महिला पुस्तकमाला, 'महेंदुलाल गर्ग विज्ञान ग्रन्थावली' सदृभा कितनी ही ग्रंथमालाओं का प्रकाशन किया और हिंदी में विज्ञान विषय में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सं 1963 से 'डॉ छननूलाल मेमोरियल स्वर्णपदक' तक देने का प्रावधान किया।[25]

नागरी प्रचारिणी सभा ने जब हिंदी में विज्ञान लेखन का कार्य आरंभ किया उस समय हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक पक्ष अत्यन्त बलहीन था। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के साथ ही प्रथम बार संस्थागत रूप में हिंदी के वैज्ञानिक साहित्य के प्रचार का आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन की प्रथम पंक्ति में हिंदी साहित्यकारों ने विज्ञान विषयों पर गम्भीरतापूर्ण लेखन किया। एक तरफ जहाँ सरकार की विज्ञान नीति की कटु आलोचना की तो, वहीं दूसरी तरफ, भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता पर हर्ष प्रकट कर उनका उत्साहवर्द्धन किया।

इस प्रकार अपनी स्थापनोपरांत ही काशी की नागरी प्रचारिणी सभा ने नागरी आंदोलन के साथ ही उसके समानांतर विज्ञान–लेखन एवं लोकप्रियकरण का आंदोलन भी आरंभ किया। अपनी पत्रिकाओं नागरीप्रचारिणी और सरस्वती के माध्यम से जहां विज्ञान विशयक जानकारी को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया वहीं, अंग्रेजों की भेदभाव की नीति का विरोध भी किया। हिंदी वैज्ञानिक कोश का निर्माण कर न केवल हिंदी वरन् अधिकांश भारतीय भाषाओं में हिंदी में विज्ञान–लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। व्याख्यानमाला का आयोजन कर आम जन तक वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाने का जो कार्य किया वह आज भी एक प्रभावशाली माध्यम है। हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए कितनी ही ग्रंथमालाओं का प्रकाशन किया और उससे भी बढ़कर रेडिचे पदक और शोध तक को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु डॉ छननूलाल मेमोरियल स्वर्णपदक तक देने का प्रावधान किया साथ ही उन अनेक पत्रिकाओं एवं संस्थाओं के लिए प्रेरणाश्रोत बनी जिसने आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## संदर्भ

1. 6 फरवरी, 1916 ई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर दिया हुआ व्याख्यान। स्रोत–भारतजीवन (साप्ताहिक), 21 फरवरी, 1916ई, पृष्ठ–3।
2. शास्त्री, वेदव्रत, नागरी प्रचारिणी सभा का अर्द्ध–शताब्दी का इतिहास, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी, सं 2000 वि, पृष्ठ 5।

3. नागरी प्रचारिणी सभा का प्रथम वार्षिक विवरण, 1893–94ई0, पृष्ठ 7–8, ना प्र पत्रिका, भाग–3, 1899 ई, सम्पादकीय में प्रकाशित ''उत्तम नागरी लिपि के लिए पारितोषिक'' पृष्ठ–1।
4. नागरी प्रचारिणी सभा का चतुर्थ वार्षिक विवरण 1896–97, पृष्ठ–3–4।
5. सरस्वती पत्रिका, भाग–1, संख्या–4, 1900 ई, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, पृष्ठ–127–126, अर्द्ध–शताब्दी का इतिहास, पृष्ठ–130।
6. हिंदी–हिंदुस्तानी विवाद के लिए देखिए 'हिंदी' पत्रिका 1939–44 ई तक, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी।
7. नागरी प्रचारिणी सभा का प्रथम वार्षिक विवरण, 1893–94 ई, पृष्ठ 10।
8. कुमार, दीपक, विज्ञान और भारत में अंग्रेजी राज, आक्सफोर्ड युनि प्रेस, दिल्ली,1995, पृष्ठ–239।
9. बिस्वास, अरुन कुमार, साइंस इन इंडिया, फर्मा के एल मुखोपाध्याय, कोलकाता, 1969, पेज 85।
10. सरस्वती पत्रिका, भाग–4, संख्या–6, (1903 ई) पृष्ठ–205–206।
11. नागरी प्रचारिणी सभा का तृतीय वार्षिक विवरण, 1895–96 ई, पृष्ठ 6।
12. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग–1, 1897 ई।
13. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग–3, 1899 ई, प्रस्तावना, पृष्ठ 1।
14. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग–13, 1908 ई0, पृष्ठ–20।
15. वही, पृष्ठ–29।
16. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग–13, 1908 ई, पृष्ठ–5।
17. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग–1, 1897 ई, पृष्ठ 82।
18. सरस्वती पत्रिका, भाग–1, अंक–1, 1900ई, प्रस्तावना पृष्ठ–1।
19. शास्त्री, वेदव्रत, अर्द्ध–शताब्दी का इतिहास, पृष्ठ–200।
20. दास, श्यामसुन्दर संपादक हिंदी साइंटिफिक ग्लॉसरी, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी,1906, प्रीफेस, पेज 8।
21. दास, श्यामसुन्दर, मेरी आत्मकहानी, इंडियन प्रेस, प्रयाग, 1957 ई, पृष्ठ–62।
22. सरस्वती पत्रिका, भाग–3,संख्या–4,1902 ई पृष्ठ 121–22।
23. अर्द्ध–शताब्दी का इतिहास, पृष्ठ 161–62।
24. नागरी प्रचारिणी सभा का वार्षिक विवरण, 1905–6, पृष्ठ 14।
25. अर्द्ध–शताब्दी का इतिहास, पृष्ठ 162।

# कृषि अनुसंधान संस्थानों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग और पारिभाषिक शब्दावली

संतराम यादव

*केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश*

## सारांश

मनुष्य समाज से ही भाषा सीखता है और समाज के परिप्रेक्ष्य में ही सीखता है। साथ ही भाषा का प्रयोग भी वह समाज के भीतर रहकर ही करता है। यही कारण है कि भाषा का अध्ययन समाज के संदर्भ के बिना अधूरा है तथा समाज में रहकर भाषा के बिना मनुष्य की कोई गति नहीं है। वस्तुतः भाषा ही मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है और भाषा की सहायता से ही समाज बनता है। भाषा, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता ये चार ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य जाति को परस्पर मिलाते भी हैं और अलग भी करते हैं। भाषा ही एकमात्र वह साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है और उसे मनुष्य बनाती है। साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला सभी क्षेत्रों में मनुष्य की समस्त उपलब्धियों का एकमात्र आधार भाषा ही है। स्वभावतः भाषा का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। देश के इस विशाल भू–भाग पर स्थित अनेक अनुसंधान संगठनों में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी एक संगठन है जिससे देश का कोई भी कोना अछूता नहीं है और इसका सीधा संबंध देश के हर वर्ग से है। संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हिंदी भाषा को इसके संस्थानों ने भी अपनाया है। केंद्र सरकार के कार्यालय के नाते जहाँ प्रशासन में हिंदी सरलता से प्रयोगरत है वहीं तकनीकी क्षेत्रों में इसके मार्ग में अनेक बाधाएँ अब भी विराजमान हैं। प्रशासन के कामकाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रशासनिक शब्दावली के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने प्रशासनिक शब्दावली हिंदी–अंग्रेजी और अंग्रेजी–हिंदी में जारी कर रखी है तो तकनीकी शब्दावली को अद्यतन बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी 'मंत्र' सॉफ्टवेयर प्रशासन में सहायक साबित हुआ है तो तकनीकी क्षेत्र में कम सफल रहा है। देशकाल की परिस्थितिनुसार शब्दार्थ भी परिवर्तित हुए हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का शाब्दिक अर्थ 'भारतीय राष्ट्रीय सेना' होता है जबकि नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी ने इसके लिए 'आजाद हिंद फौज' नाम दिया था। कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छत्रछाया में केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान भी अनुसंधानरत है इसलिए यहाँ भी अनेकानेक शब्दों के कई अर्थ प्रयोग में आते हैं। ड्राइलैंड हेतु इस संस्थान ने 'बारानी' शब्द अपनाया तो अन्यत्र 'शुष्क भूमि' या सूखी भूमि प्रयोगरत हैं। डायरेक्टर शब्द हेतु निर्देशक व निदेशक शब्द क्रमशः फिल्म उद्योग व केंद्र सरकार कार्यालयों में प्रयोग हेतु उपयुक्त हैं परंतु मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में इसके लिए संचालक शब्द भी प्रयोगरत है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों में भेद करते समय हमें विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पद, वाक्य, अर्थ के संबंध में शब्दावली का उचित चयन आवश्यक है। इसी तरह इकारांत शब्दों की विशेष पहचान होनी चाहिए। अतः कह सकते हैं कि

कृषि अनुसंधान संस्थाओं में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अवश्य बढ़ रहा है परंतु पारिभाषिक शब्दावली के नवीन शब्दों को अंगीकार करने की नितांत आवश्यकता है। वह दिन दूर नहीं जब केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ता नजर आएगा।

मनुष्य समाज से ही भाषा सीखता है और समाज के परिप्रेक्ष्य में ही सीखता है। साथ ही भाषा का प्रयोग भी वह समाज के भीतर रह कर ही करता है। यही कारण है कि भाषा का अध्ययन समाज के संदर्भ के बिना अधूरा है तथा समाज में रहकर भाषा के बिना मनुष्य की कोई गति नहीं है। वस्तुतः भाषा ही मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है और भाषा की सहायता से ही समाज बनता है। भाषा, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता ये चार ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य जाति को परस्पर मिलाते भी हैं और अलग भी करते हैं। यह बात विरोधाभास जैसी दिखती है कि एक ही वस्तु एकीकरण और पृथक्करण दोनों का साधन हो, फिर भी बात ऐसी ही है। भाषा ही एकमात्र वह साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है और उसे मनुष्य बनाती है। साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला सभी क्षेत्रों में मनुष्य की समस्त उपलब्धियों का एकमात्र आधार भाषा ही है। स्वभावतः भाषा का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य 'दण्डी' के मतानुसार मनुष्य के समस्त क्रिया–कलाप भाषा के द्वारा ही निष्पन्न होते हैं :–

''इदमन्धतमरू कृत्स्ने जायेत भुवनत्रयम्। यदि शब्दाह्यर्य ज्योतिरासंसार न दीप्यते ?'' यह त्रिभुवन ओर अंधकार में निम्गन हो जाता यदि सृष्टि आरंभ से शब्द (भाषा) की ज्योति न जानती होती। इसी बात को विख्यात दार्शनिक वैयाकरण 'भर्तृहरि' इस प्रकार कहते हैं–

'अर्थप्रवृत्तितत्वानां शब्दा एव निबंधनम्।' काव्यादर्श, वाक्यपदीय (ब्रह्मकांड)

कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लौकिक व्यवहार संपन्न होता है वह भाषा के द्वारा ही होता है। मनुष्य प्रेम भी करता है तो भाषा की ही सहायता से और झगड़ने के लिए भी भाषा की ही जरूरत पड़ती है। इस तरह भाषा मेल का भी कारण है और विरोध का भी कारण है। दूर देश में जब कभी अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिल जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है और उसके प्रति कितनी आत्मीयता का बोध होता है। कोई कितना भी गुणी, कितना भी विद्वान, कितना भी आकर्षक क्यों न हो, जब तक हम उसकी बात नहीं समझते तब तक उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो पाते हैं। भाषा ने जन समुदाय के एकीकरण में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

देश के इस विशाल भू–भाग पर स्थित अनेक अनुसंधान संगठनों में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी एक संगठन है जिससे देश का कोई भी कोना अछूता नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के हर वर्ग से है। ग्रामीण परिवेश हो, कस्बा या नगरीय सभ्यता से परिचय हो या फिर महानगरी की चकाचौंध ही क्यों न हो, साधारण जन से लेकर उच्च वर्ग तक का इससे वास्ता है। कृषि को भारत की रीढ़ कहा जाता है। आज भी हमारी अधिकांश जनसंख्या इसी के माध्यम से अपना पालन–पोषण कर पा रही है। समय की मांग है कि इस संगठन में हिंदी अधिकाधिक रूप से बढ़नी ही चाहिए। हम मानते हैं कि सभी को उनकी भाषा में तत्काल संबंधित सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए परंतु क्या यह संभव है? यदि किसी परिवार का एक सदस्य उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो फिर उसकी स्वयं की जिंदगी ओरों से अलग ही हो जाती है। वह महानगरीय संस्कृति की चकाचौंध में खो जाना चाहता है। उस ग्रामीण परिवेश में उसे बू नजर आती है जिसमें वह पला बढ़ा है। इसके पीछे अधिकांशतया पारिवारिक कारण ही होते हैं। हर परिवार का मुखिया अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना चाहता है जो कि अंग्रेजी भाषा में ही उसे उपलब्ध नजर आती है।

विश्व परिदृश्य द्रुतगामी रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आज की परिस्थितियों में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अपने कड़े दौर से गुजर रही है। इसी क्रम में राजभाषा हिंदी भी अपना उचित स्थान प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे उसने कुछ तरक्की अवश्य कर ली है परंतु अभी भी अंग्रेजी की अपेक्षा उसकी गति बहुत धीमी है। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है परंतु आजादी उपरांत ही परिस्थितियों के चक्रव्यूह में हिंदी ऐसी फंस गई कि उससे न ही तो वह उभर पाती है और न ही समर्पण कर पाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी भाषा अंग्रेजी के समकक्ष उन्नति नहीं कर पा रही है। अंग्रेजी विश्व के मानस पटल पर पूर्णतया छा गई है। हिंदी धीरे–धीरे प्रगति अवश्य कर रही है।

केंद्र सरकार के कार्यालय के नाते सभी को राजभाषा में कार्य करने के स्पष्ट निर्देश है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी में कार्य करना सरल भी है। सफल प्रशिक्षण और समय–समय पर यदि प्रशासनिक कार्मिकों के ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती रहे तो उन्हें हिंदी कार्य करने में इतनी कठिनाई महसूस नहीं हो सकती है। इस संबंध में भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने प्रशासनिक शब्दावली हिंदी–अंग्रेजी और अंग्रेजी–हिंदी में जारी कर रखी है। केंद्र सरकार के कार्मिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे उन्हीं शब्दों का चयन करें जिन्हें आयोग ने अधिकृत किया है। हिंदी में तकनीकी या वैज्ञानिक कार्यों हेतु शब्दावली की अत्यंत ज्वलंत समस्या बनी हुई है। शब्दावली में एकरूपता न होने की बात स्पष्ट झलकती है। राजभाषा विभाग ने 'मंत्र' सॉफ्टवेयर तो जारी किया है परंतु वह भी तभी पूर्णतः कामयाबी हासिल करेगा जब उसे नवीनतम शब्दावली भी उपलब्ध होगी। आज दिन–प्रतिदिन नए–नए शब्द प्रचलन व प्रयोग में आ रहे हैं। जब इन शब्दों के समकक्ष अर्थ कंप्यूटर की शब्दावली में या अन्य शब्दकोशों में खोजे जाते हैं तो हमें उनका अर्थ वहाँ नहीं मिल पाता है। इसलिए हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया पर तीव्र गति से कार्य किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि हम अपना कार्य यदि सुचारु रूप से करना चाहें तो हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी वह भाषा है जो अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों को ज्यों का त्यों भी आत्मसात करने में सक्षम है। आजकल हमारे शब्दकोश में अधिकांश भाषाओं के प्रचलित शब्दों को यथावत प्रयोग में लाया जा रहा है। आज का सामान्य व्यक्ति भी बैंक, बस, कार, स्कूटर, कंप्यूटर, रिजर्वेशन, सिगरेट, ट्रेन इत्यादि शब्दों को आसानी से समझ लेता है।

## प्रशासनिक शब्दावली

प्रशासन के कामकाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रशासनिक शब्दावली के रूप में जाना जाता है। परंतु साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य संरचना हेतु जिन शब्दों का चयन किया जाए वे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुमोदित या निर्धारित शब्द ही होने चाहिए ताकि कार्य में एकरूपता बनी रहे। वाक्य विन्यास के समय शब्दों के चयन का विशेष प्रभाव रहता है। उदाहरणतः अंग्रेजी के Communication के कई अर्थ हैं, जैसे संचार, संप्रेषण, पत्राचार आदि। इसी तरह कुछ और शब्द भी दिए जा रहे हैं, जैसे Director के लिए फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक शब्द प्रयुक्त करना चाहिए वहीं केंद्र सरकार के कार्यालयों में निदेशक शब्द का प्रयोग उपयुक्त है परंतु मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसके लिए संचालक शब्द भी प्रयोग किया जा रहा है ।

Workshop के लिए कार्यशाला, कार्यगोष्ठी, कर्मशाला, गोष्ठी, संगोष्ठी आदि शब्द दर्शाए गए हैं इसलिए हमें कार्य की पहचान करते हुए इन्हीं शब्दों का चयन करना चाहिए। Charge हेतु कार्यभार (adm), व्यय (acc), उधार (com), धावा (pol-sc.), आरोप (law) आदि शब्द हैं जिन्हें यथानुसार प्रयोग करना ही उचित रहेगा। Post के लिए प्रशासनिक कार्यों में जहाँ पद (adm) शब्द

का चयन करना चाहिए वहीं कोष्ठक में दी गई परिस्थितिनुसार चौकी, स्तंभ (arch), डाक (commun) शब्द चयन करना चाहिए। अतः अधोलिखित शब्दों का प्रयोग करना भी उचित रहेगा। Charge आवेश, आरोप, कार्यभार, प्रभार, बारूद, वसूलना शब्दों को सूचित करता है तो Reaction प्रतिक्रिया, अनुक्रिया (Botany), अभिक्रिया (Chemistry), दुष्प्रभाव, प्रत्युत्तर आदि। Operation संक्रिय, शल्यक्रिया, प्रचालन, कार्य; Object वस्तु, पदार्थ, उद्देश्य, कर्म; Commission आयोग, कमीशन, स्थापना, चालू करना; Agreement करार, सहमति, समझौता, मेल, अनुबंध, संवाद; Article–अनुच्छेद, उपपद, वस्तु, मद, लेख; Sanction के लिए स्वीकृति, संस्वीकृति, मंजूरी, रोक लगाना (प्रतिबंध लगाना) उचित है। Incumbrance जहाँ विलंगम शब्द को सूचित करता है तो Treasurer Trove निखार निधि, Suspence Account उचंत खाता, Draft–प्रारूप; Drafting–प्रारूपण,आलेखन आदि को उद्घृत करते प्रतीत होते हैं।

प्रशासन में हमें कभी–कभी क्षेत्रवार और कार्यालयवार विभिन्न शब्दावली प्रयोग में आती दिखलाई पड़ती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों की अपनी अलग ही शब्दावली हैं। ये राज्य सदैव Government के लिए 'शासन' और डायरेक्टर के लिए संचालक शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि अन्यत्र Government शब्द के लिए 'सरकार' प्रयोग में आता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सभी साइन बोर्डों पर By Order के लिए 'आज्ञानुसार' शब्द प्रयोग में लाया जाता है जबकि अनेक स्थानों पर इसके लिए 'आदेशानुसार' शब्द प्रयोग किया जाता है।

## देशकाल की परिस्थितिनुसार बदलता शब्दार्थ

Indian National Army का शाब्दिक अर्थ 'भारतीय राष्ट्रीय सेना' बनता है जबकि नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी ने इसके लिए 'आजाद हिंद फौज' नाम दिया था। जेल या कारागार शब्दों को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि आजादी के समय राजनीति से जुड़े व्यक्तियों का जेल जाना 'शान' या 'इज्जत' का प्रतीक था तो आज की परिस्थितियों में राजनीतिज्ञों का जेल जाना उनके चरित्र पर धब्बा माना जाता है। भारतीय रेल के कार्यालयों में Call Boy–कॉल ब्वाय शब्द पुरुषों के लिए प्रचलित है परंतु इसी पद पर जब किसी महिला की नियुक्ति हो जाती है तो क्या उसे कॉल ब्याय कह सकते हैं ? इस संबंध में कुछ अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं–Take care ध्यान, सावधानी रखना, care of देखभाल करना, effect प्रभावी होना, exception आपत्ति उठाना, for granted मान लेना, मानकर चलना, notice ध्यान में लाना, over ले लेना, प्रभार लेना, कार्यभार संभालना, part in में भाग लेना, place –होना, घटित होना, step–पग, कदम उठाना, अग्रसर होना, Stock of the situation स्थिति को समझ लेना, such measure–ऐसे उपाय करना, the Chair सभापति बनाना, the Salute सलामी लेना, up हाथ में लेना, उठा लेना, ले लेना।

अंग्रेजी के शब्द में केवल एक स्ट्रोक से अर्थ बदल जाता है, जैसे Commission के लिए आयोग, कमीशन, आढत, (अपराध) करना। वहीं Commissioner के लिए आयुक्त तो Commissionaire के लिए चपरासी, अटेंडर का प्रयोग करना चाहिए। Vice Chancellor of a University के लिए अनेक लोग उपकुलपति शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि इसके लिए कुलपति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि Chancellor के लिए कुलाधिपति व राष्ट्राध्यक्ष शब्द मौजूद हैं। इसी तरह Draft के लिए मसौदा, आलेखन, प्रारूपण आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। Petrol का अर्थ तेल है जबकि Patroling का अर्थ पुलिस गश्त होता है। Degree के लिए उपाधि, सेंटीग्रेड, अंश, कोटि आदि हैं। General के लिए साधारण, सामान्य(जनरल इलेक्शन), सार्वजनिक, जनरल (मेजर जनरल) आदि होते हैं तो वही General Secretary के लिए महासचिव शब्द उपलब्ध है। accept

का अर्थ मानना होता है परंतु अन्य समकक्ष शब्दों में स्वीकृति, स्वीकार्य, स्वीकार्यता, स्वीकरण भी आते हैं।

Law के लिए कानून या विधि सर्वमान्य है परंतु वाक्य संरचना के अनुसार वैध, वैधता, अवैध, विधान, विधायी, विधायक भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह aeroplane का सीधा अर्थ हवाई जहाज या विमान होता है परंतु इसी के लिए वैमानिक, विमानीय, विमानचालू भी प्रयोग में आते हैं।

प्रस्तुत संस्थान कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छत्रछाया में अनुसंधानरत है इसलिए यहाँ भी अनेकानेक शब्दों के कई अर्थ प्रयोग में आते हैं, जैसे Agriculture के लिए कृषि सर्वमान्य है परंतु कुछ लोग खेती–बाड़ी भी प्रयोग में लाते हैं। इसी तरह Fisheries के लिए मत्स्य, मात्स्यिकी, मछली पालन आदि शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। Dryland के लिए 'बारानी' शब्द हमने अपनाया है तो कई जगह सूखी खेती व शुष्क भमि या खेती भी प्रयोग किए जा रहे हैं।

## तकनीकी शब्दावली

शब्दावली निर्माण का कार्य भाषा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक अंग है। शब्दावली का विकास एक अविरत प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान और तकनीकी शब्द दोनों का विकास साथ–साथ होता है। ज्ञान की कोई भी नई खोज स्वभावतः भाषा से नई शब्दावली, अभिव्यक्ति या शैली की अपेक्षा करती है। जो व्यक्ति किसी भी नए विचार या वस्तु की खोज करता है, वही अपनी भाषा में उसे शब्द भी दे देता है। जैसे Risk Management जोखिम प्रबंधन, Stress Management दबाव प्रबंधन, Strategy Management रणनीति प्रबंधन। पारिभाषिक शब्दावली योजनाबद्ध है (Planned)। इसलिए Plan करते समय कुछ प्रतिबंध होना स्वाभाविक है। उदाहरण Family Planning अधिक बच्चे पैदा करना संबंधित प्रतिबंध परिवार नियोजन। इसी तरह शब्दों का गठन करते समय भी अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है Call Boy कॉल ब्बाय (रेलवे से संबंधित) परंतु इसी पद पर जब किसी महिला की नियुक्ति हो जाती है तो उसे क्या कॉल ब्बाय कह सकते हैं ?

इसके साथ ही साथ नए शब्दों के अंतर्गत कुछ उदाहरण National Innovative Agricultural Project (NIAP) राष्ट्रीय उन्नयन (नवोन्मेषी) कृषि परियोजना, Arid Zone निर्जल क्षेत्र (CSTT), परंतु प्रयोग में शुष्क क्षेत्र/मरुभूमि (ICAR में) आ रहा है। Dryland-बारानी/शुष्क भूमि/सूखी खेती, Plant Protection वनस्पति संरक्षण, जड़ी–बूटी रखरखाव, Vegetable Oil वनस्पति तेल आदि।

उपरोक्त शब्दों में Innovative का अर्थ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और प्रस्तुत संस्थान में नवोन्मेषी प्रयोग किया जाता है तो डी आर डी ओ की प्रयोगशालाओं में उन्नयन शब्द हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। यदि अंग्रेजी शब्द के समीप अर्थ के रूप में देखा जाए तो नवोन्मेषी ही अधिक उपयुक्त बैठता है क्योंकि उन्नयन शब्द अन्यत्र भी प्रयोग में आ रहा है। इसी तरह Arid Zone के लिए शुष्क क्षेत्र और मरु भूमि शब्द परिषद के संस्थानों में प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि एक शब्द का चयन किया जाए तो मरुभूमि एरिड के लिए अधिक उपयुक्त बैठता है क्योंकि शुष्क शब्द को अन्यत्र शब्द के अर्थ रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह Dryland के लिए प्रस्तुत संस्थान ने 'बारानी' शब्द का चयन किया है जबकि परिषद के ही अन्य संस्थानों में 'शुष्क भूमि' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। परिषद की ही वार्षिक रिपोर्ट का मूल्यांकन करने से ज्ञात होता है कि एक अनुवादक ने शुष्क भूमि शब्द का प्रयोग किया है तो

दूसरे अनुवादक ने बारानी भूमि का प्रयोग किया है। इस शब्द का विश्लेषण करने से पता चला कि Dryland के लिए शुष्क भूमि ही आसानी से ग्राह्य शब्द है जिसे हर वर्ग के लोग आसानी से समझ सकते हैं। बारानी शब्द का सीधा अर्थ अधिकांश की समझ में नहीं आ पा रहा है। Plant Protection के लिए वनस्पति संरक्षण शब्दकोश में दिया गया है जबकि प्लांट शब्द हेतु वनस्पति शब्द की अपेक्षा पादप या पौध शब्द अधिक सटीक बैठता है। परिषद के दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पादप शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है जबकि परिषद की वार्षिक रिपोर्ट में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। शोधकर्ता के अनुसार Vegetable Oil के लिए वनस्पति (वानस्पतिक) तेल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो प्लांट के लिए पादप शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त बैठता है।

इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द हैं Bureau of Promotion of Urdu उर्दू संवर्धन ब्यूरो/तरक्की–ए–उर्दू ब्यूरो, Fresh Water स्वच्छ/निर्मल जल का प्रयोग जबकि ICAR में मीठा जल, Breakish Water खाराजल, Agricultural कृषि व खेती बाड़ी, (IAS भारतीय कृषि सेवा), Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, MIDHANI–मिधानी और मिश्र धातु निगम, Biochemistry जीव रसायन, जैव रसायन, Experimental Medicine प्रायोगिक औषधि, Research Farm  अनुसंधान क्षेत्र, शोध क्षेत्र या प्रक्षेत्र, अनुसंधान फार्म, Public–जन, लोक, जनता, सार्वजनिक, (CPWD, Public Undertaking लोक उपक्रम) Pulses दलहन, Oilseed तिलहन/बीजतेल, Space नभ, गगन, आसमान, अंतरिक्ष (ISRO), Indian Standards Institute(ISI) (भारतीय संदर्भ पाकिस्तानी नहीं) भारतीय मानक संस्थान, Waste Land बंजर भूमि, Basic मूल वेतन (Salary), बुनियादी शिक्षा (Education), Rapeseed mustard रेपसीड सरसों, Correspondence पत्र व्यवहार, Correspondent पत्रकार, MCD–दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, Ground Water भूमिगत जल तो Underground Railway भूमिगत रेल, Central Institute of Fisheries Technology (CIFT) व Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) में Fisheries के लिए मत्स्य या मात्स्यिकी शब्द लिया तो आयोग ने इसके लिए 'मत्स्य उद्योग' शब्द निर्माण किया। Rice धान और चावल (CRRI, DRR) परंतु आयोग (CSST) ने चावल ही अपनाया। Community Centreè Development Block] Development Project समुदाय केंद्र, सामुदायिक, खंड, परियोजना। PRESS प्रैस, प्रिंटिंग मुद्रण, रिपोर्टर पत्रकार, PIB अर्थात् Press Information Bureau पत्र सूचना कार्यालय, With regards सद्भावनाओं के साथ, सहित परंतु मानक शुभकामनाओं सहित, Thesis शोध कार्य, शोधप्रबंध आदि, Research अनुसंधान, शोध, Researcher शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता या अनुसंधाता, Under Age कम उम्र, अल्प वय, अल्पायु, Under Estimate अवप्राक्कलन, कम कूतना, अनुमान, Under Developed अल्पविकसित, Undeveloped अविकसित, The Bill was under fire विधेयक की कड़ी आलोचना की गई, Under his hand and Seal अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित।

## पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द

पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों में भेद करते समय कुछ बातें हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें मुख्य बात यह है कि जब 'आ' से बहुवचन के समय 'ए' हो तो शब्द पुल्लिंग है परंतु 'आ' से 'आएं' हो तो स्त्रीलिंग है। जैसे कान, आंचल, पेट, मातृत्व इत्यादि सदैव पुल्लिग शब्द होते हैं जबकि अपवाद स्वरूप कुछ शब्द पुल्लिग होते हुए भी स्त्रीलिंग हैं, जैसे मर्द की मूंछ, पीठ आदि। इसी तरह प्रस्तुतिकरण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पुल्लिग और स्त्रीलिंग शब्द कौन–कौन से हैं। जैसे प्रयोगशाला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया तो लैबोरटरी में संगोष्ठी

आयोजित की गई। पद, वाक्य, अर्थ के संबंध में शब्दावली का उचित चयन आवश्यक है। इसी तरह इकारांत शब्दों की पहचान होनी चाहिए। बड़ी 'ई' से समाप्त अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, अधिकारी जैसे कुछ अपवाद स्वरूप शब्दों को छोड़कर। दही पुल्लिंग है। संस्कृत शब्द 'आ' से समाप्त होने वाले 90 प्रतिशत शब्द सत्रीलिंग होते हैं, जैसे दीक्षा, शिक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा इत्यादि। इसी तरह जिसमें बहने का गुण है, वह सब पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, पानी, घी आदि। महीने, नदी, पर्वत, लोहा (धातु) आदि पुल्लिंग शब्द हैं। नकल, फसल आदि स्त्रीलिंग हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि कृषि अनुसंधान संस्थानों में हमें केवल प्रशासनिक व तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्राधिकृत किए गए शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए अन्यथा प्रशासनिक व पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में सदैव विभिन्नता नजर आएगी और राजभाषा कार्यान्वयन के रूप में इनका प्रयोग अधूरा दिखलाई पड़ेगा। आयोग को भी नित नवीन शब्दों के आगमन को ध्यान में रखकर अपनी शब्दावली को अपडेट करते रहना चाहिए।

# प्रौद्योगिकी और राजभाषा हिन्दी

सरिता शुक्ला एवं अनिता
*वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक, राजस्थान*

''अगर हमारे देश का स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं का होने वाला है, तो निःसंदेह अंग्रेजी राजभाषा होगी, लेकिन अगर हमारे देश के करोड़ों भूखे मरने वालों, करोड़ों निरक्षर बहनों और दलितजनों का है और इन सब के लिए होने वाला है, तो हमारे देश में हिन्दी ही एकमात्र राजभाषा हो सकती है।'' .....महात्मा गांधी

आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इसने राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में काफी अहम भूमिका निभाई है। प्रौद्योगिकी का विकास भूमण्डलीकरण का एक प्रभाव है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की भाषा भी स्वतंत्र होती है तथा संवैधानिक स्तर पर राज–काज की भाषा होती है पर हमारे देश में ऐसा नही हो सका। भारत देश भी प्रौद्योगिकी को उतनी ही तेजी से अपना रहा है जिस तरह विश्व के अन्य उन्नत देश इसे स्वीकार कर रहे हैं। महज एक कम्प्यूटर के द्वारा एक व्यक्ति अपनी लगभग सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। वर्तमान में कम्प्यूटर कथाओं में मशहूर अलादीन का चिराग हो गया है। यह स्थिति विश्व की एक सामान्य प्रचलित स्थिति कही जा सकती है। राजभाषा कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी बाधक है, पूर्वाग्रह के सिवाय कुछ नहीं है। राजभाषा और प्रौद्योगिकी के क्षितिज निर्माण में सर्वप्रथम राजभाषा अधिकारियों और राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े कर्मियों में प्रौद्योगिकी की कम जानकारी बाधक है। प्रौद्योगिकी के द्वारा राजभाषा के कार्यों को संपादित करने की धीमी गति और अंग्रेजी के बिना कम्प्यूटर पर कार्य करना कठिन है जैसी धारणाएँ कहीं न कहीं राजभाषा की गति को प्रभावित करती हैं। ऐसी सोच वाले अधिकांश राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लोगों को बस तथ्य से भी अवगत होना चाहिए कि भाषा प्रौद्योगिकी में बाधक नहीं है बल्कि बाधक अपूर्ण सोच है। अपूर्ण सोच से सिंचित मानसिकता को स्वभाविक मानसिकता में परिवर्तित करने के लिए हिन्दी, राजभाषा और प्रौद्योगिकी की अद्यतन प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी अतिआवश्यक है। इस प्रकार की जानकारियों के लिए महज अध्ययन पर ही निर्भर रहना परिणामदायी नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसके लिए स्वयं कार्य करना भी जरुरी है।

लोकतंत्रात्मक भारत ने सातवें दशक तक आते–आते सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह यहां के युवा वर्ग की 'स्वमेव विजयेत' कौशल का परिणाम है जिसके सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति भी नमन करती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही भाषा प्रौद्योगिकी के प्रयास का उल्लेख न किया जाना तथ्य एवं सत्य की अनदेखी कही जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की चर्चा चीन से की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति जहां चीन में दस गुना अधिक है वहीं भारत में तो आरंभ ही कहा जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ हिन्दी भाषा को अनन्यता भी स्वीकार करनी होगी, क्योंकि राजभाषा हिन्दी के प्रयोजनमूलक स्वरुप के अनवरत विकास भाषा को कोड में बदल दिया है यद्यपि इस कोडीकरण में भाषा के व्यवस्थित संस्कार में भी आमूल परिवर्तन की अपेक्षा और सामंजस्य की अनिवार्यता है। वैश्वीकरण के नाम पर विस्तारित बाजारवाद ने हिन्दी को देवनागरी

लिपी प्रयोगपरक वैज्ञानिकता का आधार दिया है तथा संस्कृत एवं हिन्दी को कम्प्यूटर के लिए सर्वाधिक सहज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान क्रान्ति के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हिन्दी ही नही, हिन्दीतर भाषाओं के लिए भी नये क्षितिज खोले हैं, वहीं बहुत सी आई टी आई में अध्ययनरत मेधा छात्रों को भी खुली चुनौती और अवसर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन आविष्कारों ने हिन्दी के साहित्यिक स्वरूप से आगे बढ़कर उसके प्रयोजनमूलक स्वरूप को बहुत विस्तार दिया है तथा राजकाज हिन्दी के साथ व्यावसायिक हिन्दी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ हिन्दी इंटरनेट पर भी स्थान पा चुकी है। अनेक हिन्दी और हिन्दीतर भाषाई सामाचार पत्रों के इंटरनेट संस्करण उपलब्ध हैं। आज हिन्दी शब्द संसाधन डेटाबेस प्रबंधन, प्रकाशन, पृष्ठिकरण के रूप में हिन्दी के प्रयोजनमूलक स्वरूप का विकास हो चुका है।

आज संचार माध्यमों और बहु माध्यम के क्षेत्र में हिन्दी भाषा की प्रौद्योगिकी विशेषता का समाहार उपलब्धि मूलक है। बहु माध्यम ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं पैदा की हैं। टेलीविजन हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार और सम्पर्क भाषा के विस्तार का उन्नायक रहा है। इसी प्रकार फिल्म मनोरंजन का साधन बनकर अधिक विस्तार पा चुकी है। भरतीय हिन्दी गीतों के माध्यम से अनेक विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रयोग कम नहीं है। पत्र–पत्रिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न पुस्तकों के हिन्दी संस्करण, हिन्दी लेखकों, नेताओं और कलाकारों के 'ब्लॉग' लेखन का रूप भी हिन्दी की महता दर्शाता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम के रूप में मुक्त विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रम आज हिन्दी में उपलब्ध हैं। बैंक सेवाएं, ब्रॉडबैण्ड, टेलीकांफ्रेंसिंग, टेलीटेक्स के स्तर पर हिन्दी प्रयोग आज व्यापक रूप लेता जा रहा है। ई–मेल के रुप में हिन्दी की सुविधा हो रही है। आज सूचना प्रौद्योगिकी जिस प्रकार विकसित हो रही है, हमारे प्रविधिकार भी इतनी ही श्रमशीलता के साथ हिन्दी प्रयोग की व्यापकता को विस्तार देने में लगे हुए हैं। अतः प्रौद्योगिकी के साथ हिन्दी भाषा प्रौद्योगिकी के उन्नयन से किसी प्रकार का संशय निर्मूल है।

एशिया के देशों से यदि राजभाषा हिन्दी की तुलना करें तो यह स्थिति स्पष्ट होती है कि चीनी, जापानी, कोरियन आदि राजभाषाएं हिन्दी की तुलना में प्रयोग में कहीं आगे हैं। प्रौद्योगिकी में राजभाषा हिन्दी का अन्य विकसित और कतिपय विकासशील देशों से पीछे होने का प्रमुख कारण है राजभाषा में प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग न होना। ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकी में राजभाषा के अधिकतम प्रयोग एवं प्रयास की कोई सीमा नही होती है तथापि निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देकर प्रगति की जा सकती हैः–

- राजभाषा विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, राजभाषा प्रशिक्षण की सामग्री, विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, सामान्य पत्राचार आदि को पूर्ण किया जाये। आवधिक अंतराल पर इसकी जांच की जाये और समीक्षा की जाये।
- यूनिकोड पत्येक कम्प्यूटर में सक्रिय किया जाये और देवनागरी लिपि में टंकण हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाये और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- देवनागरी टंकण न जानने वाले कर्मियों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं में से यथोचित सुविधा प्रदान कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देवनागरी टंकण में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो अन्यथा इसका दूरगामी विपरीत परिणाम हो सकता है।
- नवीन अथवा नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं का उपयोग किया जाये।
- मंगल फॉन्ट के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य यूनिकोड फॉन्ट का भी प्रयोग किया जाये जिससे देवनागरी टाईपिंग और आकर्षक बन सके।
- राजभाषा के कामकाज से सीधे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी के विभिन्न सॉफ्टवेयर की न केवल जानकारियां प्रदान की जाये बल्कि उन सॉफ्टवेयर आदि का गहन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाये।

- राजभाषा विभाग प्रौद्योगिकी का उपयोग निरंतर कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों के साथ संबंधित कार्यालय के आई–टी विभाग को निगरानी का दायित्व सौंपा जाये।

''यदि भारतीय लोक कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं तो इसका माध्यम हिन्दी हो सकता है।'' .....चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

''राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिन्दी है।'' .....डॉ जाकिर हुसैन

भारत का हित चाहने वाले और उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले लोग ये समझते रहे हैं कि विभिन्नता के बावजूद भी भारत की राजभाषा हिन्दी ही हो सकती है। यह सिर्फ भावुकता से कही गई बात नहीं है, बल्कि ठोस आधार पर कही गई बात है। प्राचीन काल में संपर्क भाषा संस्कृत थी तो मध्यकाल में फारसी का प्रयोग हुआ। अंग्रेजों ने आकर अंग्रेजी को फैलाया, परंतु हिन्दी कभी भी मरी नहीं, बल्कि अपनी व्यापकता का परिचय देती हुई सभी से मिलकर चलती रही। यही कारण है वह राजभाषा के पद पर आसीन हुई।

हिन्दी एक पूर्ण विकसित भाषा है और अनेक पड़ावों से गुजरकर इस रुप में पहुंची है जो इसकी विशालता और व्यापकता के साथ–साथ गतिशीलता का भी परिचायक है।

# देवनागरी लिपि बनाम रोमन लिपिः एक तुलनात्मक दृष्टि

एस बी प्रभुदेसाई
*गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को–द–गामा, गोवा*

## प्रस्तावना

भाषा परस्पर विचारों के आदान–प्रदान का सशक्त माध्यम है। उसे लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ भाषा संकेतों का सहारा लिया जाता है, जो लिपि चिहन कहलाते हैं। अक्षर लिखने की प्रणाली लिपि कहलाती है। 'लिपि' शब्द संस्कृत की 'लिप्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है 'लपेटना'। मानव भाषा को अंकित करने का साधन लिपि है। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित है। ध्वनियां केवल तभी सुनी जा सकती है जब बोली जाती हैं तथा वहीं तक सुनी जा सकती है जहां तक आवाज आ सकती है। काल और स्थान की इस सीमा के बंधन से भाषा को निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ। लिपि और भाषा का संबंध यह है कि भाषा अपने मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित है, लिपि में उन ध्वनियों को रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता हैं। भाषा भाव के प्रकाशन का मौखिक साधन हैं, तो लिपि लिखित। अतः भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित है। लिपि उच्चारित भाषा को चिह्नों के माध्यम से अंकित करने की सुव्यवस्थित पद्धति का नाम है। लिपि का जन्म भाषा के जन्म के बहुत समय बाद हुआ। लिपि एक प्रकार से दृश्य भाषा ही है। भाषा उच्चारित एवं मौखिक है और लिपि अंकित एवं दृश्य है। लिपि के बिना भाषा का विकास नहीं होता है। लिपि के माध्यम से भाषा में विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक पीढी से पीढ़ियों तक एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है।

भारतवासियों को लेखन कला का ज्ञान किस काल में हुआ यह ठीक बताया नहीं जा सकता, पर यह निर्विवाद है कि अशोककालीन भारत में (ई. पू. तीसरी शती) विविध लिपियां जैसे (1) चित्र लिपि, (2) सूत्र लिपि, (3) प्रतीकात्मक लिपि, (4) भावमूलक लिपि, (5) फन्नी लिपि, (6) गढ़ाक्षरिक लिपि, (7) क्रीट लिपि, (8) हिट्टाइप लिपि, (9) सिंधु घाटी की लिपि, (10) चीनी लिपि, (11) ध्वनि मूलक लिपि प्रचिलित थी। अशोक के शिलालेखों से पूर्व के ब्राह्मी में उत्कीर्ण अनेक लेख मिले है। ब्राह्मी लिपि एक अति प्राचीन भारतीय लिपि है और उसका उपयोग मूलतः संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था।

लिपि का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। विद्वानों ने लिपि का इतिहास 10,000 वर्ष पूर्व मान्य किया है। विद्वानों का मानना है कि लगभग 4,000 वर्ष पूर्व से ही लेखन का कार्य समुचित और ढंग से चलता आ रहा है। भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार यहां 325 भाषाएं और कई सौ बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। भाषाओं की भांति ही यहां अनेक लिपियां भी प्रचिलित हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 26 लिपियों का प्रयोग होता है।

वर्तमान भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी से माना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में ब्राह्मी के विकसित रूप को "शारदा" कहा जाता था। ब्राह्मी के एक रूप को "गुप्तलिपि" के नाम से जाना जाता है जो सारे उत्तर भारत में प्रचलित रही और इसी से नागरी या देवनागरी विकसित हुई। देवनागरी लिपि से ही राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, मैथिली और असमियां विकसित हुई हैं। देवनागरी शब्द का प्रयोग नवीं शताब्दी से मिलता हैं। दक्षिण में तो आठवीं शताब्दी से ही यह शब्द

प्रयोग में आ चुका था। लगभग नौवीं शती में नागरी की प्राचीन लिपि का विकास तथा प्राचीन नागरी से ही वर्तमान, नागरी या देवनागरी लिपि विकासित हुई हैं। ब्राहमी की दक्षिणी शैली से पल्लव लिपि का विकास हुआ, फिर ग्रंथ, तमिल, तेलुगू, कन्नड और मलयालम आदि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि केवल हिंदी की ही लिपि नहीं है। यह लिपि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित संस्कृत, मराठी, डोंगरी, मैथिली, बोडो तथा नेपाली की भी अधिकृत लिपि है। कोंकणी और सिंधि तथा संथाली भाषाएं भी इसे अपना रही हैं। उर्दू के लिए भी इसका प्रयोग बढ रहा है। प्राचीनकाल में प्रचलित ध्वनि मूलक लिपि के दो भेद किए गए हैं, अक्षरात्मक लिपि जिसे देवनागरी लिपि कहा गया है और वर्णात्मक लिपि जिसे रोमन लिपि कहा गया है।

देवनागरी में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण एक अक्षर को घोषित करता है। प्रत्येक वर्ण लेखन की इकाई होने के नाते इसका एक निश्चित स्वनिक नियम होता है। इसलिए किसी भी शब्द या अक्षर का सही उच्चारण जानने पर देवनागरी लिखने के नियमों से परिचित कोई भी व्यक्ति उसे शुद्ध/सही रूप में लिख सकता है। सरल शब्दों में कहें तो 'देवनागरी लिपि' में वही लिखा जाता है जो बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिहन है। यह विशेषता विश्व की अनेक लिपियां, जैसे रोमन तथा फारसी आदि में नहीं है। देवनागरी लिपि भारत के एक विशाल भाषा क्षेत्र की लिपि है। देवनागरी लिपि को संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि या पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है।

नागरी लिपि, जो संघ की राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार की गई है, एक ध्वनि को व्यंजित करने के लिए एक ही प्रतीक चिन्ह का उपयोग करती है। किसी भी लिपि की यह अदभुत शक्ति कही जा सकती है। रोमन से तुलना करें तो हम पाएंगे कि रोमन को कई वर्ण उपयोग में लाने पडते हैं। सबसे बडी समस्या यह है कि रोमन में उच्चारण की एकरूपता भी नहीं है जैसे Psychology, Iron इस तुलना से बात स्पष्ट होती है कि नागरी लिपि में ध्वनियों को लिप्यंतरित करने की अदभुत क्षमता तो है। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को "नंदिनागरी" कहा जाता है। नागरी से आधुनिक नागरी, कैथी, मैथिली, असमिया, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री आदि लिपियां विकसित हुई हैं। नागरी लिपि ने स्वर और व्यंजनों के तथा व्यजनों और स्वर सहित व्यंजनों के संयोग से जिन संयुक्त वर्णों का निर्माण किया है, उनमें विजातीय ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता तो है, तथापि कुछेक ध्वनियां ऐसी हैं, जिनके उच्चारण अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। लिप्यंतरण और प्रतिलेखन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त लिपि देवनागरी ही है। रोमन लिप्यंतरण की दृष्टि से ही उपयुक्त नहीं है, रोमन लिपि सरल है और इसमें केवल 26 लिपि चिह्नों से ही काम चल जाता है, जबकि देवनागरी में इसके दोगुने लगभग 52 चिह्न हैं याने अक्षरों की संख्या अधिक हैं। चीनी जैसी चित्रात्मक भाषा के लिए 50,000 चित्रों को ध्यान में रखना पडता हैं। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। रोमन लिपि में ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ आदि महाप्राण ध्वनियों अथवा ड़, ज्ञ, ण आदि अनुनासिक ध्वनियों के लिए कोई संकेत नहीं है। इसीलिए महाप्राण ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए अल्प्राण ध्वनि के साथ एच का प्रयोग किया जाता है, यथा ख-Kh, छ-Chh, ठ-Th, फ-Ph, घ-Gh, ध-Dh आदि। रोमन लिपि में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की व्यवस्था का सर्वथा अभाव है, परिणामस्वरूप रोमन में लिखित Jala को इनमें से किसी भी रूप में पढ़ा जा सकता है– Jala= जल, जाल, जला, जाला। रोमन लिपि में लिखे शब्द KAMAL को कमल, कमला, कमाल, कामल, कामाल आदि भी पढ़ा जा सकता हैं।

रोमन में 'क' ध्वनि के लिए कई वर्ण प्रयुक्त होते हैं– जैसे Cat में C, kite में K, Queen में, Q, Christ में Ch और duck में ck आदि। अर्थात एक ही ध्वनि को पांच तरह लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 'C' का उच्चारण जहां 'क' के रूप में है, वहीं 'स' के रूप में भी मिलता है जैसे– cat, come और cinema, ceremony, centre आदि। अतः रोमन में एक वर्ण को एक निश्चित स्वानिक मूल्य नहीं

दिया जा सकता, जबकि देवनागरी लिपि की विशेषता यही है कि यदि 'क' लिखा गया है, तो उसे 'क' ही पढ़ा जाएगा। देवनागरी में लिखे शब्द का बिना उस शब्द के पूर्व–ज्ञान के भी उच्चारण किया जा सकता है, किंतु रोम में लिखे शब्द के लिए आवश्यक नहीं कि आप उसका बिना पूर्व ज्ञान के सही उच्चारण कर सकें। जैंसे– cut, but में U की ध्वनि 'अ' के रूप में उच्चारित होती है। किंतु put में यह 'उ' की ध्वनि के रूप में उच्चारित होती है। कुछ ध्वनि–चिहनों का उच्चारण ही नहीं होता जैसे - Catch, Daughter, Half and Budget में क्रमशः t, gh, L और d का उच्चारण नहीं किया जाता। रोमन लिपि का प्रयोग अंग्रेजी लेखन में होता है। रोमन लिपि में प्रत्येक चिह्न के Capital और Small दो रूप (यथा–A-a, B-b, D-d) होने के कारण पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अरबी लिपि में भी शब्द के आदि, मध्य और अंत में लिपि चिह्न के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अतः एकरूपता के आधार पर देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में निश्चित रूप से कहीं अधिक वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि का पठन अन्य लिपियों की तुलना में अधिक सरल, सुगम और संदेहरहित है। विलियम जोम्स कहते हैं ''देवनागरी की पूर्णता के समक्ष अंग्रेजी लिपि उपहासास्पद है''। देवनागरी लिपि रोमन लिपि से श्रेष्ठ, सहज, सरल और पूर्ण वैज्ञानिक लिपि है।

## निष्कर्ष

केवल नागरी लिपि में एक लिपि चिह्न के लिए एक ही ध्वनि है। उर्दू की लिपि फारसी पर आधारित है। यहॉ ज ध्वनि के लिए वर्ण है। जे, जाद, जोए और जॉल। किस शब्द में 'ज' ध्वनि के लिए इन चारों में से कौन–सा वर्ण प्रयुक्त होगा। यह तय कर पाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि प्रयोक्ता उस शब्द के परंपरागत रूप से परिचित न हो। फ्रेंच में भी 'रेस्तोरॉ' पढ़ा जाता है कितु लिखा 'रेस्टोरेंट' जाता है। इंटरनेट और एस एम एस (SMS) पर हिंदी संदेश भी अब रोमन में ही भेजे जा रहे है। लेखनी उठाने की आवश्यकता ही नहीं, रोमन में हिंदी टाइप कर दीजिए इंटरनेट पर, बस चला गया हिंदी संदेश। यह प्रवृत्ति भारत में भी बढ़ रही है। विदेशों में जहां–जहां हिंदी का प्रचलन है वहॉ देवनागरी का भी प्रयोग स्वतः ही होता है। किंतु यह भी देखने में आया है कि सूरीनाम, त्रिनिडाड एवं टोबेगो जैसे देशों में जहां भारतीय मूल के लोग बहुत संख्या में रहते है हिंदी के लिए रोमन लिपि का भी प्रयोग करने लगे हैं। सूरीनाम में 'सरनामी हिंदी' को रोमन में लिखा जाने लगा है। विज्ञापन की इस दुनिया में रोमन का ही बोलबाला है। अब हिंदी के विज्ञापन भी रोमन लिपि में लिखे जाने लगे हैं। लगता है कि बाजार की भाषा को रोमन में बदलने के प्रयत्न हो रहे हैं। यदि दो–तीन नए अक्षरों को दाखिल कर दिया जाए तो नागरी लिपि हिंदुस्तान की सब भाषाओं में तो चल ही सकती है, इतना ही नहीं विश्व की जापानी और चीनी भाषाओं के लिए भी चल सकती है, अनेक भाषाएं लिखी जा सकती हैं अतः देवनागरी का प्रयोग ही सर्वाधिक होता है। इसी कारण देवनागरी को ही राष्ट्र लिपि या संपर्क लिपि के रूप में मान लिया जा रहा है। देवनागरी लिपि अपने ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक गुणों के आधार पर विश्व की एक सर्वोत्तम लिपि है जो कुछ नए परिवर्तनों, परिवर्धनों के साथ एक विश्व लिपि बनने की क्षमता रखता हैं।

# राजभाषा से संबंधित रचनाएँ

गीतांजली पुरी
*गॉधी विहार, दिल्ली*

भूमि, जन, सरकार और संप्रभुता मिलकर किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान को बनाए रखने से उसकी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिलने की बहुत आवश्यकता होती है। इससें राष्ट्रीयता की भावना भी बलवती होती है।

भारतवर्ष कई शताब्दियों तक दासता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। स्वतंत्रता मिलने पर संविधान सभा ने एकमत होकर 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया कि भारत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

हिन्दी भारत के सर्वाधिक लोगों की भाषा है। यह समझने में सरल तथा तर्कपूर्ण भाषा है। इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है –

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होते प्रवीन
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल
निज भाषा ज्ञान के मिटत ने हिय कौ सूल।।

देश के आज़ाद होने पर बी बी सी लंदन के अधिकारी गांधी जी से कोई ऐसा संदेश लेने पहुँचे जिसे वह रेडियो पर सुना सके। उन दिनों बी बी सी पर हिन्दी सें प्रसारण नहीं होता था। इसलिए गांधीजी ने उन्हें कोई संदेश नहीं दिया। गांधीजी कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज की विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता और सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएँ अपनाने को मजबूर कर देता।

जिस भारत भूमि ने पंतजलि जैसे दार्शनिक, हर्ष और कालिदास जैसे कवि और नाटककार, राम और कृष्ण तथा सूर और तुलसी को जन्म दिया उसी भारत भूमि ने मैथिलीशरण गुप्त जैसे साहित्य साधक को जन्म देने का भी गौरव प्राप्त किया है। मैथिलीशरण गुप्त को हिन्दी राष्ट्र कवि होने का सम्मान प्राप्त हुआ क्योंकि इनकी रचनाएँ राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। 'भारत–भारती' गुप्त जी की प्रथम रचना कवियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत थी। गुप्त जी ने अनेकों ग्रंथ युग–संबंधी 'नंहुष' रामायण, कालीन 'साकेत' महाभारत कालीन 'द्रवापर' बौद्ध कालीन 'यशोधरा' इत्यादि महत्त्वपूर्ण ग्रंथों से हिन्दी साहित्यागार को भरा है। 'साकेत' गुप्त जी की कीर्ति का मुख्य आधार है। यूँ तो प्रत्येक ग्रंथ के साथ उनका यश, गौरव और सम्मान बढ़ा है लेकिन 'यशोधरा' और 'साकेत' ने गुप्त जी की कीर्ति–पताका साहित्याकाश के शिखर पर पहुँचा दी।

गुप्त जी की भाषा परिमार्जित और सुगठित है। अतः भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। एक विद्वान के शब्दों में–'अगर आप प्राचीन संस्कृति के वैतालिक है तो नवीन सभ्यता के अग्रदूत'।

रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण के ओजस्वी कवि है। भारत सरकार ने 'पद्‌मभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरूक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम तथा उर्वशी आदि है।

महादेवी वर्मा भी रहस्यवादी कवयित्री तथा लेखिका हैं। इन्हें 'ज्ञानपीठ' तथा 'पद्मभूषण' की उपाधियों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा तथा 'अतीत के चलचित्र' आदि है।

राजभाषा के महत्त्व तथा अंग्रेजी का त्याग करने के लिए प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि "मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के साधारण लोग अपनी अंग्रेजी की अज्ञानता पर लज्जाएँ नहीं बल्कि घमंड करें।

# वैश्विक परिदृश्य में राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम

विष्णु कुमार अग्रवाल
*शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, मुरैना, मध्य प्रदेश*

कुछ समय पूर्व राजभाषा हिंदी को लेकर लोगों में हीनताबोध और संकोची वृत्ति घर कर गई थी। अंग्रेजी बोलने वालों की जमात हिंदी भाशी समुदाय को निरंतर दबाव में जीने को विवश कर रही थी। ऐसा लगने लगा था कि कदाचित भविष्य में हिंदी बीते युग की बात हो जाएगी। हिंदी ने आज अपने दम पर इन समस्त भ्रांतियों खारिज कर यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी को हाशिये पर फेंक कर कोई भी संस्था या व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत में अपनी जड़ें नहीं जमा सकता। उसे भारत में व्यापार करने के लिए हिंदी को अपनाना ही होगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ हिंदी नहीं आई तो सफलता नहीं मिली। जब अमेरिका जैसे वैश्विक प्रभुता सम्पन्न देश का राष्ट्रपति राजभाषा हिंदी की लोकप्रियता से घबराकर अपने देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में एक साथ हिंदी विभाग खोलकर हिंदी अध्ययन को बढ़ावा देता है तो भले ही इसके मूल में हिंदी के माध्यम से भारत पर प्रभुता कायम करने की मंशा हो परंतु लाभ तो सीधे हिंदी को होता है और हिंदी समुदाय को विश्व परिदृश्य में अपनी धाक जमाने का अवसर मिलता है। हिंदी के वर्तमान वैश्विक विस्तार के आयामों को समझने से पूर्व विश्व में हिंदी–विस्तार के आंकडों पर भी दृष्टि डालना समीचीन होगा। ये तथ्य तर्क की कसौटी पर इस बात का प्रमाण होंगे जो वैज्ञानिक रूप से राजभाषा हिंदी की विश्वव्यापी प्रगति को साबित कर सकेंगे।

## विश्व की प्रमुख भाषाओं की वर्तमान स्थिति (आंकड़ों में)

आज सम्पूर्ण विश्व सिमट जाने से सम्पर्क के निमित्त एक विश्व भाषा की जरूरत सतत् अनुभव की जा रही है। अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ मानने की मानसिकता अब बदल चुकी है। अतः इसकी प्रासंगिकता प्रश्नांकित है। फलतः विश्व के अग्रणी देशों में विशिष्ट भाषाओं की क्षमता का पता लगाने का उद्यम किया जा रहा है। हिंदी भी चर्चा के केन्द्र में है। प्रचलन की दृष्टि से बोलने वालों की संख्या के आधार पर संसार की समस्त भाषाओं के मध्य हिंदी का तीसरा स्थान है। यह तथ्य निर्विवाद है।

''अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर सिडनी कुलवर्ट के निर्देशन में किये गये एक गहन अध्ययन के आधार पर इस विषय पर जो निष्कर्ष निकाला गया उसे 'वर्ल्ड एलमनायक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स' में सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार संसार में 15.2 प्रतिशत लोग चीनी समूह की भाषाएं बोलते हैं। 7.6 प्रतिशत अंग्रेजी, 6.4 प्रतिशत हिंदी, 6.1 प्रतिशत स्पेनिश, 4.9 प्रतिशत रूसी और 3.5 प्रतिशत लोग अरबी भाषा बोलते हैं। परंतु इन आंकड़ों में मॉरीशस, टोबैगो, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, फिजी, ब्रिटिश गुयाना आदि के वे लोग सम्मिलित नहीं हैं जो प्रधानतः हिंदी बोलने वाले हैं।''[1]

## प्रमुख विश्व भाषा के रूप में चीनी व अंग्रेजी की यथार्थ स्थिति

विश्व की दोनों प्रमुख भाषाओं को लेकर कई प्रसंग ऐसे हैं जो विचारणीय हैं जिनको केन्द्र में रखकर इनकी स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है संसार में 15.2 प्रतिशत लोग चीनी समूह की भाषाएं बोलते हैं। इस भाषा समूह में कई भाषाएं हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो इस समूह की केवल एक ही भाषा को जानते हैं, दूसरी भाषा का ज्ञान प्रायः बिल्कुल नहीं है। इस समूह

में सबसे अधिक लोगों द्वारा व्यवहृत भाषा 'कोय' (KOY) है। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 19 करोड़ है, अतः संसार के 15.2 प्रतिशत लोगों द्वारा चीनी भाषा के रूप में एक ही भाषा का व्यवहार स्वीकार किया जाना उचित नहीं है, और यदि ऐसा किया जाता है तो हिंदी भाषियों का औसत भी आर्य भाषा समूह की भाषाओं–पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया को जोड़कर तो निकाला ही जाना चाहिए और उर्दू जो हिंदी की प्रकृति के सर्वथा निकट है, को हिंदी की ही उपबोली मान लेना चाहिए।

उक्त क्रम में ही 7.6 प्रतिशत लोगों द्वारा व्यवहृत अंग्रेजी का भी विश्व स्तर पर दूसरा स्थान निर्विवाद नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कही जाने के बावजूद यह संसार के मात्र पाँच विशिष्ट देशों की प्रमुख भाषा है। ये देश हैं ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड। इनमें भी अमेरिका में प्रचलित अंग्रेजी का स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित अंग्रेजी के स्वरूप से सर्वथा भिन्न रूप में विकसित हो चुका है। अतः संसार के 7.6 प्रतिशत लोगों द्वारा अंग्रेजी भाषा का व्यवहार किया जाना निर्विवाद सत्य नहीं माना जा सकता।

## विश्व की प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी की वस्तुस्थिति

चीनी भाषा समूह की भाषाओं एवं अंग्रेजी की विश्व स्तरीय अवस्था के परिप्रेक्ष्य में यदि हिंदी की स्थिति पर विचार किया जाए तो उसके तृतीय स्थान को परिवर्तित करने वाले अनेक कारक दृष्टिगत होते हैं। मारीशस, टोबैगो, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, फिजी, ब्रिटिश, गुयाना, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में भारतीय मूल के 1.5 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। 1834 ई0 में पहली बार यहाँ पदार्पण करने वाले भारतीय मूल के लोग आज भी वहाँ अपनी भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को जीवंत बनाये हुए हैं। इनकी प्रेरणा से घोर संकट के बीच भी इनकी जिजीविषा जिस प्रकार इनकी अस्मिता की रक्षा करती रही है, उसके कारण उनके संपर्क में रहने वाले अन्य भाषा–भाषी लोग भी भारतीय संस्कृति व हिंदी भाषा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस यथार्थ का सबसे बड़ा प्रमाण है–भारत के बाहर 172 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था तथा विश्व के अनेक देशों में हिंदी की पत्र–पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन। इनमें कुछ विशिष्ट पत्र–पत्रिकाओं के नाम उल्लेखनीय हैं–सृजन, इन्द्रधनुश, बसंत, अनुराग, रिमझिम (मारीशस); दर्पण, प्रकाश (सूरीनाम); ज्योति (वेस्टइंडीज–टोयागो, ट्रिनिडाड); शांतिदूत, ज्ञान प्रकाश, साहित्यकार पत्रिका, उदयाचल, प्रकाश, फीजी दर्शन, जय फीजी, भांख, राजदूत (फीजी); वसुधा, अमरदीप, भारती (कनाडा); शांतिदूत, परिचय, पहचान, अप्रवासी टाइम्स (नार्वे); हिमालिनी, साहित्यलोक, ब्रह्मभूमि, प्राचीकलश, लोकमत, संडे टाइम्स, नेपाली, विश्लेषण, इंकलाब(नेपाल); हिंदी(दक्षिण अफ्रीका); ज्वालमुखी, सर्वोदय(जापान); प्रवासिनी, साप्ताहिक अमरदीप (इंग्लैंड), नवजीवन, आर्य युवक, जागृति (म्यांमार); विश्वा, विश्वविवेक, सौरभ (अमेरिका); हिंदी पत्रिका (नीदरलैंड)। अब विदेशों में भी हिंदी भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा रही है। मॉरीशस के अभिमन्यु अनत, डॉ. हेमराज सुन्दर के साथ ही ट्रिनिडाड के प्रोफेसर हरीशंकर आदेश का नाम उल्लेखनीय है जिनके लिखे हिंदी के दो महाकाव्य 'अनुराग'(1976) और 'शकुन्तला'(1997) प्रकाशित हो चुके हैं। इन अप्रवासी भारतीयों का हिंदी–प्रेम और उसके विकास का उद्यम किसी तपस्वी के त्याग से कम श्रेयस्कर नहीं है।

## विश्व भाषा के रूप में हिंदी की दावेदारी के प्रमुख आधार

वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में हिंदी के विश्व भाषा बनने का प्रथम गुण है, इसका प्रयोग बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों द्वारा किया जाता है जो भारत के बाहर विश्व के बहुत बड़े भूभाग में फैले हुए हैं। उनकी अपनी समृद्ध संस्कृति है। साथ ही इस भाषा की एक उपादेय विशिष्टता किसी भी विदेशी शब्द को अपनाने एवं पचा लेने की है। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि हिंदी, संस्कृति की परंपरा में

विकसित हुई है जिसका मूल आधार पाणिनी का व्याकरण है। विद्वानों की राय है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण चीन और जर्मनी की भाषाओं पर इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा। अतः इन भाषाओं में अन्तर्सबंधों की तलाश होनी भी चाहिए। इससे हिंदी के प्रचलन का क्षेत्र और भी व्यापक हो सकता है।

हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित होने में सुयोग देने वाले कुछ अन्य कारक हैं–इसकी लिपि को सीखने की सरलता। देवनागरी लिपि संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपियों में से एक है। इसकी विशिष्टता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। कुछ विसंगतियाँ थीं जिन्हें सुधार लिया गया है। इस प्रसंग में एक विशिष्ट उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आने वाले समय में कम्प्यूटर के लिए ऐसे साफ्टवेयरों के निर्माण की भी योजना है जिनमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे में एक श्रेष्ठ ध्वनिमूलक लिपि की तलाश की जा रही है। इसके लिए देवनागरी लिपि की उपादेयता पर गंभीरता से विचार हो रहा है।[2]

## हिंदी के विश्व स्तर पर विस्तार के नवीन आयाम

### विश्व बाजार और व्यापार के क्षेत्र में

विश्व बाजार में व्यापार करने वाली कंपनियाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी में विज्ञापन देने को मजबूर हुईं हैं जिससे हिंदी का वैश्विक बर्चस्व बढ़ा है। इन विज्ञापनों ने हिंदी को अहिंदी भाषी लोगों की जुबान पर भी सहज ही चढ़ा दिया है। 'ठंडा मतलब कोका कोला', 'कर लो दुनियाँ मुठ्ठी में', कुछ ऐसे ही विज्ञापन वाक्य हैं। ''इलैक्ट्रोनिक मीडिया में तो 'हिंदी का वाक्य' चाहे वह रोमन में ही क्यों न हो अपना बड़ा प्रभाव श्रोता पर छोड़ देता है। अंग्रेजी में ही व्यवहार करने वाली देशी–विदेशी कंपनियाँ हिंदी में ही विज्ञापन देकर अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। विदेशी कंपनियाँ अपने पौंछा या कसरत करने की मशीनों का विज्ञापन बड़े विश्वास के साथ हिंदी में दे रही हैं। गुजरात की 'निरमा' अपने हिंदी–विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध है। विज्ञापन की दुनिया में शायद हिंदी भाषा सबसे अधिक प्रभावक तथा चित्रात्मक बनती जा रही है। यह हिंदी के वैश्वीकरण का एक पहलू है।''[3]

### सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक के क्षेत्र में

कम्प्यूटर और वेब दुनियां के साजो सामान से लैस सूचना–सदी के नाम से विख्यात इस सदी में प्रश्न उठता है कि हिंदी के लिए कहाँ जगह बचती है जहाँ अंग्रेजी का स्वाभाविक वर्चस्व है। किंतु ऐसा नहीं है। ''भारतीय भाषाओं पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का फौरी बाजार लगभग 300 से 600 करोड़ रूपये के बीच है। ........अंग्रेजी आधारित उत्पादों का बाजार धीरे–धीरे ठहराव (सैचूरेशन) बिंदु पर पहुँच रहा है। दूसरी ओर गैर–अंग्रेजी भाषियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और ज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में उनकी आवश्यकताएं बढ़ी हैं। इस तथ्य पर आईटी कंपनियों की पैनी नजर है जो कारोबार के मामले में बहुत आगे की सोचकर चलती हैं। कुछ साल पहले शायद यह सोचना काफी मुश्किल लगता था कि अन्तर्राष्ट्रीय इंटरनेट पोर्टल एम एस एन या याहू हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। लेकिन वे हो गये हैं। विकीपीडिया भी आ गया है तथा कई और महत्वपूर्ण पोर्टल जल्दी ही हिंदी युक्त होने वाले हैं।''[44] बालेंदु दाधीच–सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी अब कोई पिछड़ी भाषा नहीं–मीडिया (केन्द्रीय हिंदी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका)।

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम एस ऑफिस नामक लोकप्रिय पैकेज का हिंदी रूपांतर बाजार में उतारा है। दूसरी ओर ओपन ऑफिस ऑर्ग नामक लगभग उतना ही सक्षम एक अन्य निःशुल्क पैकेज भी हिंदी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यह पैकेज दफ्तरों में रोजमर्रा के काम आने वाले कई सॉफ्टवेयर्स का संकलन है। माइक्रोसॉफ्ट का लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी पहले ही हिंदी में उपलब्ध है। यही नहीं इस कंपनी के प्रतिस्पर्धी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हिंदी सॉफ्टवेयर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय रुझान के अनुसार भारत में भी यूनीकोड स्टैंडर्ड धीरे–धीरे अपनी जगह बना रहा है। जिससे

विभिन्न हिंदी सॉफ्टवेयर्स के बीच आंकडों का आदान–प्रदान, हिंदी में सर्च, शॉर्टिंग और इंटरनेट–अनुकूलता संभव हो जाएगी। आने वाला सॉफ्टवेयर टेली भी अब हिंदीकृत हो गया है और अनेक दूसरे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों का भी हिंदीकरण हो रहा है। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने यूनीकोड पद्धति से हिंदी टंकण के लिए 'माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंगुएज इनपुट टूल फॉर हिंदी'(Microsoft Indic Language Input Tool for Hindi) सॉफ्टवेयर लाकर क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से रोमन में टाइप करने से वह हिंदी में बड़ी सुगमता से परिवर्तित हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह हिंदी के प्रचलित शब्दों के मानक रूप प्रस्तुत करता है। इसे निःशुल्क माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर कम्प्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें भारतीय भाषाओं के बहुविकल्प सुगमता से उपलब्ध हैं। यह ऑन और ऑफ लाइन दोनों प्रकार से कार्य करता है।

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी डवलपमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेज (टीडीआईएल) नामक परियोजना के माध्यम से देश में भारतीय भाषायी तकनीकी विकास को गति देने का प्रयास जरूर किया है। दुनियाँ की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी ओरेकल हिंदी में समर्थ डेटाबेस ला रही है। आईबीएम का लोट्स नोट्स भी अब हिंदी समर्थ है तो डाट–नेट और जावा जैसी प्रोग्रामिंग तकनीकों में भी हिंदी में काम करना आसान हो गया है। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल अब हिंदी में भी उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार एमएसएन, याहू, गुरूजी या रफ्तार जैसे सर्च इंजनों पर भी हिंदी में सामग्री को खोजा जा सकता है। इसी तरह हैंडहेल्ड डिवाइसिस (पीडीए) और मोबाइल फोन पर भी अब हिंदी प्रयोग की सुविधा उपलब्ध हो गयी है। इंटरनेट पर हिंदी पोर्टलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से अनेक हिंदी अखबार ऑनलाइन उपलब्ध हैं जिन्हें विश्व के किसी भी कौने में बैठा व्यक्ति पढ़कर अपने हिंदी ज्ञान को बढ़ा सकता है। हिंदी में ब्लॉगिंग और फेसबेक का प्रचलन भी हिंदी के वैश्विक संचार और संवाद का बहुत ही प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है। दुनिया के तमाम प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने अपने विशाल ग्रंथालयों का डीमेटीकरण कर हिंदी की पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध करा दी हैं जिसमें महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (भारत) का योगदान सराहनीय है। अब हिंदी में शोध करने वाले शोधार्थियों को अन्य वैज्ञानिक विषयों की तरह बहुत सी सामग्री ऑनलाइन मिलने लगी है।

समग्रतः निष्कर्ष रूप में दो बातें प्रमुख रूप से कही जा सकती हैं। हिंदी अब विश्व समुदाय की अनिवार्य आवश्कता बन गयी है। बाजार की भाषा में यदि कहा जाय तो मजबूरी बन चुकी है। वर्तमान सदी बाजारवाद से पूरी तरह आच्छादित है और बाजार का सिद्धांत है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वह हर संभव प्रयास करे। हिंदी भाषी समुदाय एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है इसलिए वाणिज्य के लिए हिंदी का प्रयोग हिंदी–विस्तार के लिए लाभकारी है। जब तक लाभ का लोभ है तब तक हिंदी इसी प्रकार बढ़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट को यदि अपने उत्पाद जैसे विंडोज, ऑफिस आदि सॉफ्टवेयर को विश्व–बाजार में बेचना है तो उसे इनका हिंदी संस्करण तैयार करना ही होगा और उसने काफी ना नुकर के बाद ऐसा किया भी है। वेब दुनियाँ के तमाम चर्चित सर्च इंजिन जैसे–गूगल, याहू आदि ने इसी मजबूरी की वजह से अपने–अपने हिंदी संस्करण प्रस्तुत किये हैं। यही नहीं दुनियाँ की तमाम व्यावसायिक वेबसाइट्स अब तेजी से हिंदी संस्करण उतारने में लगी हैं।

दूसरी प्रमुख बात है कि वैश्वीकरण के मद्देनजर दुनिया के प्रभावशाली राष्ट्रों को भारत के सांस्कृतिक वैभव और ज्ञान के आदि स्रोतों जिसमें योग भी शामिल है, को जानने के लिए हिंदी सीखना आवश्यक है। पूरी दुनिया के जिज्ञासु और शोधपरक ज्ञान के पिपासुओं में भारत के बारे में गहराई से जानने की ललक बढ़ी है। इससे हिंदी अध्ययन को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र

में हिंदी ने अपनी जगह बनायी है। भारत में बनी अनेक ऐसी मिसाइलें, तोपें और दूसरे आण्विक सामरिक उपकरणों का नामकरण भी हिंदी–संस्कृत शब्दों से किया गया है, जिनका निर्यात भी कई देशों में होता है। इससे हिंदी का वर्चस्व कहीं न कहीं बढ़ता ही है। अस्तु, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी निरंतर विस्तारित होती जा रही है और हिंदी जानने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का भविष्य सुरक्षित व उज्ज्वल है।

## सन्दर्भ


1. प्रो. रामचरण मेहरोत्रा–राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर की मासिक पत्रिका 'मधुमती' के दिसम्बर'98 अंक में प्रकाशित "हिंदी की सामर्थ्य और उसका भविष्य" शीर्षक लेख से।
2. उल्लेखनीय है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक 'राजभाषा हिंदी' में राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि' शीर्षक के अतंर्गत पृष्ठ 117 से 157 तक देश में प्रचलित सभी प्रमुख लिपियों के साथ–साथ रोमन लिपि की देवनागरी लिपि से तुलना कर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि मात्र 5 ध्वनि–चिह्नों के समन्वय से देवनागरी लिपि देश की सभी प्रमुख भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त कर सकती है।
3. रघुनाथ भट्ट–हिंदी विश्व रंगमंच पर–मीडिया (केन्द्रीय हिंदी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका), अंक 3, वर्ष 2007, पृ0 206–07 अंक 3, वर्ष 2007, पृ0 94–95

# राजभाषा हिन्दी आवश्यकता, उपयोगिता तथा सरल बनाने के लिए कुछ सुझाव

कामिनी
*केन्द्रीय विद्यायालय, थिरूपरनकुंदरम, मदुरै, तमिलनाडु*

## राजभाषा

राजभाषा का अर्थ वास्तव में राज्य की भाषा से हैं चूंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए राजभाषा से अभिप्राय से जनता की भाषा से है। राजभाषा भारत के किसी भी कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषा को कहा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया कि 'आज से भारत का राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी' लेकिन उस समय क्योंकि तुरंत हिन्दी को पूरे भारत में लागू करना संभव नहीं था, इसलिए अंग्रेजी को उसके एक विकल्प के रूप में रखा गया। अंग्रेजी को हिन्दी के विकल्प के रूप में रखने का यह कतई आशय नहीं था कि हम हिन्दी की जगह अंग्रेजी को ही अपना ले, बल्कि यह था कि जब तक हम अपनी हिन्दी में कठिनाई महसूस कर रहे है तब तक उसे सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करे, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो आज स्थिति इसके बिलकुल उलट है अपने इस लेख में मैं इन्हीं कुछ मुद्दों के ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।

## आवश्यकता

किसी भी भाषा को राजभाषा बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर क्षेत्र, हर राज्य की अपनी अलग–अलग भाषाएँ होती है। अगर हर क्षेत्र में कार्यालयी कामों में अलग–अलग भाषा का प्रयोग होने लगे तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपनी सूचना पहूंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारा भारत विभिन्न राज्यों का संघ है। जिस तरह विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक नाम दिया गया है भारत ठीक उसी प्रकार हमे अपने पूरे भारत के लिए एक भाषा कि आवश्यकता थी। हिन्दी चूंकि भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए यह ही सर्वतः राजभाषा बनाने की क्षमता रखती थी।

## उपयोगिता

आवश्यकता के बाद दूसरा स्थान आता है उपयोगिता का। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि आखिर किसी भी भाषा को राजभाषा बनाना किसी देश के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है। वस्तुतः जब भी हम कहीं बाहर जाते है तो हम भारत देश के नागरिक के रूप में जाने जाते है, उसी तरह हम अपने देश की भाषा के रूप में हिन्दी का नाम ले सकते है। राजभाषा की उपयोगिता पूरे देश के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में है। राजभाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को बड़ी सहजता के साथ उक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते है। जब भी केंद्र सरकार को को राज्य सरकार तक कोई भी सूचना भेजनी होती है तो वह केवल राजभाषा में भेजी जाती है। किसी भी भाषा का ठीक उसी तरह अनुवाद करना संभव नहीं है। यदि केंद्र सरकार कोई पत्र हिन्दी में भेजे और राज्य सरकार उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कर ग्रहण करे तो शायद वह उस अर्थ में नहीं रह जाएगा, जिस उद्देश्य

से वह भेजा गया था। इसलिए राजभाषा हिन्दी भारत देश के विकास और एकता को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है।

## सुझाव

अगर हमे राजभाषा हिन्दी को सरल और सबके लिए बोधगम्य बनाना है तो कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी होगी। जैसे कि हम अपनी राजभाषा के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते है, ऐसे शब्द जो कई भाषाओं में मिलते–जुलते हैं। इसके द्‌वारा हम अपनी राजभाषा हिन्दी को और सरल और व्यापक बना सकते है। जैसे कि स्टेशन के लिए मराठी शब्द स्थानक का प्रयोग कर सकते है जो जहां हमारी राजभाषा का भी हो जाएगा वही क्षेत्रीय भाषा का भी हो जाएगा और सबके लिए सुगम भी हो जाएगा। इसके साथ ही राजभाषा हिन्दी को और व्यापक बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठा सकते है।

# वैश्विक समाज में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता

सुधा रानी सिंह

*शहीद मंगल पाण्डे गर्ल्स पी जी कालेज, माधवपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश*

भाषा मात्र संप्रेषण का ही माध्यम नहीं होती अपितु व्यक्ति के संस्कार, विचार एवं विवेक का भी परिचय कराती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही भली–भांति व्यक्त कर सकता है। भाषा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला एवं विकास की महत्त्वपूर्ण कड़ी होती है। यह देशवासियों को सांस्कृतिक अपनेपन से एक सूत्र में पिरोए रखती है तथा एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का अवसर प्रदान करती है। हिंदी भाषा का भारतीय जनमानस से सदियों पुराना नाता रहा है। जनमानस में देश प्रेम की अलख जगाते हुए हिन्दी साहित्य की विभूति भारतेन्दु ने जहाँ अपनी भाषाओं को राष्ट्र की उन्नति का मूलमंत्र कहा था, वहीं मैथिलीशरण गुप्त ने प्रभु से आग्रहपूर्वक स्वर में कहा था, ''भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती।''[1] पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के सभी साहित्यकारों, संतों, योगियों, मनीषियों तथा राष्ट्रपुरुषों ने इसी भाषा में अपनी रचनात्मक साधना द्वारा भारतीय चिंतन को एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसको पुष्पित और पल्लवित करने में न केवल चंदबरदाई, सूर, तुलसी, मीरा, भूषण तथा केशव आदि ने अपना योगदान दिया वरन अहिंदी भाषी सूफियों और संतों ने इसे समृद्ध बनाया है। यह विश्व की सबसे सरल, सारगर्भित और लचीली भाषा है। संत विनोबा के अनुसार, ''मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से केरल तक के गांवों में जाकर भूदान और ग्रामदान का संदेश जन–जन तक न पहुंच पाता।''[2]

आज भूमंडलीकरण के दौर में व्यक्ति किसी भी कार्य, व्यवसाय तथा भाषा को स्वेच्छानुसार अपना सकता है तथा अपना विकास कर उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है। किसी भी व्यक्ति व देश के विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसकी भाषा। भारत भी इस तथ्य से अछूता नहीं है। भारत की राजभाषा हिंदी है जो कि अभिव्यक्ति का नैसर्गिक एवं सशक्त माध्यम है। हिन्दी हमारी राजभाषा होने के पश्चात् भी जन भाषा नहीं बन पा रही है। इसका अभिप्राय साफ है, हमारे प्रयासों में कहीं न कहीं कोई कमी है। हमारे प्रयासों में ईमानदारी का अभाव है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिये। भारत विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र है जहाँ प्रचलित तथ्य है कि ''तीन कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी।'' इन परिस्थितियों में हिन्दी को 'सम्पर्क भाषा' के रूप में स्थापित करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। भारत में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सम्पर्क भाषा की भूमिका निभा सकती है। हिन्दी को 'सम्पर्क भाषा' के रूप में स्थापित करने के लिए अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए न ही उनकी कीमत पर यह कार्य होना चाहिए। स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान व पहचान देकर बिना किसी विवाद को जन्म दिए इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। एस आई एल इण्टरनेशनल एक विश्वस्तरीय संगठन है, जो विश्व स्तर पर विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करता है, के अुनसार भारत में लगभग 415 से भी अधिक भाषाएँ और 1652 बोलियाँ बोल–चाल में प्रयोग होती हैं जिनमें से 63 भाषाएँ गैर भारतीय हैं। भाषायी स्तर पर इतनी विविधता के पश्चात् भी हिन्दी को 'लिंग्वा फ्रांका' के रूप में स्थापित करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, अमेरिका इसका एक अच्छा उदाहरण

है। संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रवासियों के द्वारा बसाया गया देश है। विश्व के विभिन्न कोनों में से आकर लोग यहाँ बसे हैं, वे अपने साथ अपनी भाषा व संस्कृति लाए हैं। ''विश्व में प्रत्येक भाषा का अपना समाज होता है। व्यक्ति जहां जाता है वहां अपनी भाषा वह अपने आप ले जाता है।''[3] अमेरिका भी भारत की भाँति एक बहुभाषी राष्ट्र है लेकिन वहाँ की मुख्य भाषा 'अंग्रेजी' है और भाषा को लेकर वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। इसलिए सम्पर्क भाषा के तौर पर हिन्दी को स्थापित करने के प्रयासों में हमें सावधानीपूर्वक कार्य करने की जरूरत है, जिससे हमें 1968 में तमिलनाडु में हिन्दी के विरोध में चले भाषाई आन्दोलन जैसे अवरोधों का सामना न करना पड़े, जिससे राष्ट्र के सामने एक नया संकट उत्पन्न न हो और राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण बनी रहे।

हिन्दी का सबसे मजबूत पक्ष हिन्दी भाषियों का एक बहुत बड़े वर्ग का होना है, विश्व में 500 से लेकर 600 मिलियन लोग हिन्दी भाषी हैं। विश्व स्तर पर हिन्दी दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। वैश्विक स्वीकार्यता का ही परिणाम है कि मेण्डारिन (चीनी) व अंग्रेजी के बाद हिन्दी जानने व समझने वालों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। हिन्दी भाषा–भाषी भारत के साथ–साथ अमेरिका, ओमान, ईराक, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, इजराइल, ग्रीस, रूस, जर्मनी, फ्रांस, पेरू, कतर, म्यांमार (बर्मा), दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो, सऊदी अरब, बांग्लादेश, सूरीनाम, फिजी तथा नेपाल आदि देशों जहाँ अनिवासी भारतीय तथा हिन्दी भाषी लोग रहते हैं, के बीच बोली जाती है।

हिन्दी के प्रचार–प्रसार में सभी अपने–अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं लेकिन कुछ गैर हिन्दी भाषी लोगों के व्यक्तिगत प्रयास व हिन्दी प्रेम उल्लेखनीय है, मसलन मॉरीशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम ने द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के समय कहा था–''मुझे विश्वास है कि हिन्दी प्यार और एकता की भाषा है। यह जनता की भाषा रही है। भारत और मारीशस को आजाद कराने में हिन्दी का हाथ रहा है।'' ध्यातव्य है कि हिन्दी प्रसार की पहल किसी हिन्दी भाषी क्षेत्र से नहीं हुई बल्कि गैर हिन्दी इलाके बंगाल से बांग्ला–भाषी राजा राममोहन राय ने हिन्दी भाषा में अखबार निकालने की प्रेरणा देते हुए की। आजादी के पूर्व नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने 'आजाद हिन्द' नाम के हिन्दी समाचार पत्र का प्रकाशन सिंगापुर से किया था। ''हिंदी में गद्य का पहला ग्रंथ 'प्रेमसागर' लिखने वाले लल्लूलाल जी गुजराती थे और हिंदी प्रदेश में प्रथम समाचार पत्र 'बनारस अखबार' का संपादन करने का गौरव एक मराठी बंधु श्री हरि रघुनाथ थत्ते को है। 1870 में 'भाषा–तत्व–दीपिका' नाम से एक हिंदी व्याकरण लिखने वाले हरि गोपाल पाध्ये मराठी भाषी ही थे। बंबई के फ्री चर्च कॉलिज के अध्यापक पेठे ने सन् 1864 में 'राष्ट्रभाषा' नामक मराठी पुस्तक में अंकों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया था कि भारत के लिये एक भाषा होना आवश्यक है और वह भाषा हिंदी है।''[4]

भारत में हिन्दी भाषी 10 राज्यों के अलावा लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों की भाषा हिन्दी है, अर्थात आधा भारत अन्य स्थानीय व आंचलिक भाषाओं के साथ ही हिन्दी बोल रहा है। हिन्दी का इतना विशाल संसार होने के पश्चात् भी देश में हिन्दी को वह गौरव क्यों नहीं प्राप्त है, जो विश्व के अन्य देशों में उनकी राष्ट्रभाषा को है? उदाहरणार्थ, जर्मनी में जब कोई नई पुस्तक, साहित्य या शोध पत्र किसी भाषा में आता है तो सर्वप्रथम सरकार द्वारा उसका अनुवाद जर्मन भाषा में किया जाता है फिर उसको अंग्रेजी के साथ ही प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रभाषा के प्रति इस प्रकार के सम्मान की कमी हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ऐसा जर्मनी में ही नहीं बल्कि इटली, जापान, फ्रांस आदि देशों में भी होता है।

भूमण्डलीकरण ने भी हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना योगदान दिया है जिसे नजर–अंदाज नहीं किया जा सकता। भूमण्डलीकरण के इस दौर में 'वर्ल्ड ग्लोबल विलेज' (वैश्विक गाँव) की अवधारणा ने पूरे विश्व को एक बाजार में परिवर्तित कर दिया है। बाजारीकरण के इस दौर में भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है और इसी बड़े बाजार भारत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया

है। इस बाजार में हिन्दी भाषा–भाषियों के एक बड़े तबके का होना ही विश्व व्यापार जगत को विवश कर रहा है कि अपने उत्पाद को बेचने के लिए वह ग्राहक को उसी की भाषा में अपने उत्पाद की विशेषता बताए और बाजार में खड़े ग्राहक की भाषा हिन्दी है। धन्यवाद, वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था को जिसने हिन्दी को एक बड़े बाजार के रूप में देखा और सरकारी उदासीनता की शिकार हिन्दी को जाने–अनजाने शीर्ष पर पहुँचा दिया। यहाँ सरकारी उदासीनता का ज़िक्र इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हिन्दी की वैश्विक स्वीकार्यता व मांग के बावजूद भी सरकार के स्तर से देश भर में संचालित लगभग 450 विश्वविद्यालयों में हिन्दी के लिए वर्ष 1997 में स्थापित मात्र एक हिन्दी विश्वविद्यालय है–महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), जो बाजार की मांग के दृष्टिकोण से अपर्याप्त है। आज हिंदी की अनिवार्यता एवं आवश्यकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भी महसूस की जा रही है। आज बाजार में हिन्दी के महत्व का ही परिणाम है कि विश्व की नामी–गिरामी कम्पनियों ने अपने यहाँ हिन्दी विशेषज्ञों को रखना शुरू कर दिया है। आज अमेरिका के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग कार्य कर रहा है और हिन्दी पर शोध कार्य हो रहा है। हिन्दी में अधिकाधिक ज्ञानोत्पाद हो रहा है। पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन एक सरकारी ट्रेवल एजेन्सी 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' (आई सी सी आर) विभिन्न देशों में तीन साल के लिए हिन्दी प्राध्यापक चुनकर भेजती थी, अब भी भेज रही है मगर विश्व स्तर पर हिन्दी की बढ़ती मांग का ही परिणाम है कि जापान, कोरिया, सिंगापुर आदि देशों ने सीधे हिन्दी प्राध्यापकों की भर्तियाँ शुरू कर दी हैं।

एक अन्य माध्यम, जो हिन्दी के प्रचार–प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वह है संचार माध्यम। संचार माध्यमों में भारत के वर्ल्ड लीडर (वैश्विक नेता) होने का परिणाम है कि हिन्दी विश्व पटल पर अपनी आभा बिखेर रही है, चाहे इण्टरनेट पर सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर आदि हों, सभी जगह हिन्दी ही हिन्दी नजर आ रही है। केरल विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में विश्व मलयाला महोत्सव में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भाषा की सांस्कृतिक समृद्धि के संरक्षण हेतु भारतीय भाषाओं के प्रचार करने के आधुनिक तरीके अपनाने की अपील की गयी है। उन्होंने कहा–''एक भाषा कितनी भी समृद्ध और पारंपरिक मूल्यों से पूर्ण क्यों न हो अगर समय के साथ वह विकसित नहीं होती है तो वह अपनी प्रासंगिकता खो देगी।''[5] स्पष्ट है कि देश में लगभग 5 प्रतिशत अंग्रेजी बोलने वालों के एक मजबूत वर्ग, जो हिन्दी के प्रति हीन भावना रखता है व इसे पिछड़ों की भाषा कहता है तथा देश के विकास में बाधक मानता है, को करारा जवाब देना होगा। हिंदी को माथे की बिंदी बनाना होगा, हिंदी को गंगा से समुद्र बनाना होगा, हिंदी को विश्व मंच पर लाना होगा, हिंदी को हर दिल और सर आँखों पर बिठाना होगा। नवें विश्व हिंदी सम्मेलन में दिग्गज विद्वान इस मत पर एकमत थे कि–''कम्प्यूटर ने हिंदी के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे हिंदी किसी पर थोपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह खुद दिलों पर राज करेगी।''[6] कहा जा सकता है कि आने वाला कल हिन्दी का होगा। ऐसे में डॉ0 सिंधवी की पंक्तियाँ याद आती हैं–

> ''कोटि–कोटि कण्ठों की भाषा, जन–जन की मुखरित अभिलाषा,
> हिन्दी है पहचान हमारी, हिन्दी हम सब की परिभाषा।''

## संदर्भ


1. संस्कृति के इंद्रधनुष : डॉ शांति मलिक, पृष्ठ 97, 95.
2. अपने साहित्यिक निबंध : डॉ बाबूराव देसाई, पृष्ठ 46.
3. राष्ट्रीय एकता और हिंदी : विष्णु प्रभाकर, पृष्ठ 29.
4. राष्ट्रीय सहारा (30.10.2012).
5. अमर उजाला (25.09.2012).

# संवैधानिक दायित्व और राजभाषा हिंदी

अखिलेश गौड़

*ठोसावस्था भौतिकी प्रयोगशाला, दिल्ली*

सवंधिान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यह एक वाक्य राष्ट्र की अस्मिता का सूचक है तथा बहुत व्यापक है। हो भी क्यों ना ? जब देश का अपना ध्वज है, गान, गीत, पक्षी, चिह्न है तो इन सबको अभिव्यक्त करने का माध्यम वाणी/भाषा भी तो होनी चाहिए अन्यथा राष्ट्र गूँगा हो जाएगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा। यह प्रश्न हल करना कोई आसान कार्य नहीं था। विशेषकर, भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां पर कि अनेक भाषाएं तथा बोलियां विद्यमान हैं।

भाषाई गम्भीरता को लेकर व्यापक सर्वेक्षण हेतु उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया गया। माननीय राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में समिति बनी, जिनमें विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि थे। सर्वेक्षण से जो आंकडें/तथ्य प्राप्त हुए उनसे निष्कर्ष निकाला गया कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक बोला व समझा जाता है यह सर्वसम्मत निर्णय था। इसी के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।

संविधान की धारा 351में स्पष्ट कहा गया कि ''संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार–प्रसार बढ़ाए उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी से और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी स्मृति सुनिश्चित करें।

**आठवीं अनुसूची**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. असमिया | 6. कोंकणी | 11. नेपाली | 16. मराठी | 21. सिंधी तथा |
| 2. उड़िया | 7. गुजराती | 12. बंगला | 17. मलयालम | 22. हिंदी |
| 3. उर्दू | 8. डोगरी | 13. पंजीबी | 18. मैथली | |
| 4. कन्नड | 9. तमिल | 14. बोडो | 19. संथाली | |
| 5. कश्मीरी | 10. तेलगु | 15. मणिपुरी | 20. संस्कृत | |

उक्त धारा से स्पष्ट हो गाया कि हमार राष्ट्र गूंगा नहीं उसकी एक भाषा है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करना बहुभाषी संस्कृति का सम्मान करना है।

पूर्व राष्ट्रपति, डॉ शंकर दयाल शर्मा भाषायी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि ''हर राष्ट्र के पास अपना चिंतन होता है, कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती बल्कि उसमें बोलने वालों की संस्कृति और संस्कार भी जुड़े होते हैं। भाषा जहां अपनी सांस्कृतिक विरासत से उपजी हुई होती हैं वहीं वह इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती भी है। इसलिए भाषा का प्रश्न नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कुतिक विरासत और देश के लोगों के संस्कारों से भी जुड़ा हुआ है। फिर लोकतंत्रात्मक शासन पद्यति में तो भाषा का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि

जनता तभी कामकाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है, जबकि राजकाज ऐसी भाषा में हो जिसे वहाँ की जनता अच्छी तरह समझ सके।

उपरोक्त विचार से स्पष्ट है कि जन सामान्य में प्रचलित भाषा ही राजकाज की भाषा हो सकती है और वही सर्वव्यापक तथा संस्कृति को समावेशिक रूप होगी।

इस प्रकार संविधान तथा विचारकों द्वारा भाषायी मुद्दे को स्पष्ट दिशा दी गई। संविधान में उल्लेखित सभी विषयों/अधिनियमों को सरकारी कार्यालयों, अर्ध सरकारी कार्यलयों तथा निकायों/संस्थानों पर लागू किया गया।

राजभाषा हिंन्दी के कार्यान्चयन प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं तथा बजट की व्यवस्था की गई, लक्ष्य निर्धारित किए। यह सब करने का उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम हिन्दी को प्रतिष्ठित कर सकें। संसदीय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। वह प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन कर समेवित रिर्पोट माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करती है ताकि देश में हो रहे कार्यान्वयन का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र संघ को भी हिंदी को स्थान दिलाया जा सके।

अंत में, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। हिन्दी ने अपना स्थान सूचना प्रौद्यागिकी/पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थय सेवाएं, विज्ञान के क्षेत्र में भी बनाया है। वह दिन दूर नहीं जब कठिन विषयों की पुस्तकें हिन्दी में भी लिखी जाने लगेंगी।

# हिन्दी का साहित्यिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं वैधानिक स्वरूपः अतीत और वर्तमान परिदृश्य

श्याम किशोर वर्मा एवं बी यू दुपारे
*सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश*

## सारांश

हिन्दी साहित्य का इतिहास समय–समय पर हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं दार्शनिक प्रभावों और परिस्थितियों का परिणाम है। हिन्दी साहित्य के इतिहास के लेखन की परम्परा के प्रवर्तक फ्रेंच विद्वान गर्सादतासी थे। इसके पश्चात हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख कड़ी में ठाकुर शिवसिंह सरोज, डॉ. ग्रिर्सन और मिश्र बंधुओं का इतिहास प्रमुख रूप से मील का पत्थर माना जाता है। जार्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिन्दी इतिहास का नाम ''माडर्नवर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दन हिन्दुस्तान'' एवं मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिन्दी इतिहास का नाम ''मिश्र बंधु विनोद'' है। तत्पश्चात् आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा लिखित हिन्दी साहित्य का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो कि प्रमाणिकता और वैज्ञानिकता में अकेला है। आधुनिक काव्य धारा का प्रथम उत्थान भरतेन्द्र हरीशचन्द्र के नाम पर भारतेन्दु युग (1875–1900) कहलाता है। भारत में हिन्दी पत्रकारिता का उद्‌भव, विस्तार में हिन्दी में प्रथम समाचार पत्र होने का गौरव व हिन्दी पत्रकारिता के प्रारम्भ का श्रेय उदन्त मार्तण्ड को प्राप्त है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। उदन्त मार्तण्ड के बाद कलकत्ता से ही द्वितीय उल्लेखनीय पत्र राजाराम मोहनराय द्वारा सम्पादित हिन्दी हैराल्ड था जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी व हिन्दी में चार भाषाओं में प्रकाशित होता था। मालव अखबार मध्य भारत का प्रथम अखबार था इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता की विकास यात्रा निरंतर चलती रही। सन् 1867 तक विदेशी शिक्षा के कारण परम्परावादी विचारधारा का लोप हो रहा था। इस समय तक देश में नवीन राजनीतिक, सामाजिक चेतना का उदय होना प्रारम्भ हो गया था। हिन्दी पत्रकारिता का यह युग हिन्दी गद्य निर्माण का युग माना जाता है। इस युग का नेतृत्व बाबू हरीशचन्द्र कर रहे थे।

इस युग में महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। 09 जनवरी 1874 को भारतेन्दु ने ''बाल बोधिनी'' पत्रिका निकाली, यह पत्रिका महिलाओं की मासिक पत्रिका थी यहां से हिन्दी साहित्य में नारी जागरण की शुरूआत हुई। इसी काल में हिन्दी आलोचना एवं मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाना शुरू हुआ। देशी राज्य सरकारों ने भी पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया तथा अहिन्दी और अंग्रेजी संस्करण निकाले गए। सन् 1885 में राजा रामपाल सिंह ने हिन्दोस्तान हिन्दी–अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया। यह हिन्दी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिन्दी दैनिक पत्र था। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र के द्वारा निरंतर होता रहा। हिन्दी बंगवासी 1890 में कलकत्ता से पं. अमृतलाल चक्रवर्ती के संपादन में निकाला गया जो कि हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकारों का प्राथमिक विद्यालय सिद्ध हुआ। सन् 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगान्तकारी पत्रिका रही है। सन् 1900 का वर्ष हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण है। अंग्रेज सरकार ने सन् 1881 में यह निर्णय लिया था कि भारतीय सिविल सेवा में वही अधिकारी चुने जायेंगे जिन्हें हिन्दी और दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं की समझ होगी। हिन्दी का पहला व्याकरण डच भाषा में 1698 में लिखा गया था। फेदरिक पिस्अले ने हिन्दी को भारत देश की राजभाषा बनाने के लिए जोरदार अभियान चलाया था। सर विलियम जोन्स के हिन्दी प्रेम ने ही लुप्तप्राय हो चुके ग्रन्थों को खोजकर इनका प्रकाशन करवाया इनके प्रकाशन के पश्चात् ही अंग्रेज सरकार की मुद्रा में देवनागरी का प्रयोग हुआ था। अंग्रेज विद्वान एडम गिलक्रिस्ट ने प्रथम बार हिन्दी–अंग्रेजी शब्दकोष को तैयार किया था। अंग्रेजी शासन में सिविल सेवा में हिन्दी की अनिवार्यता के कारण एक हिन्दी कॉलेज खोलने की आवश्यकता महसूस की गई। सन् 1800 में कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई।

हिन्दी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिवान और स्वतंत्रता संग्राम के चैतन्य का शंखनाद घर–घर तक पहुंचाया। आज हमें हिन्दी के अतीत बोध से चलकर यथार्थ बोध के अप्रिय सत्य को समझना होगा। हमारे राष्ट्रीय अपराध बोध को स्वीकार करना होगा और एक नए कर्तव्यबोध की अलख जगाने का अभियान संयोजित करना होगा। हिन्दी का प्रश्न सभी भारतीय भाषाओं के एवं राष्ट्र के अस्तित्व बोध का प्रश्न भी है। भारतीय भाषाओं में साइबर स्पेस की प्रौद्योगिकी को समाहित करने का प्रश्न भी है। संविधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी को अत्यधिक बहुमत से भाषा विषयक प्रावधानों में स्वीकार कर संघ की प्रशासनिक भाषा के रूप में लागू किया गया। समय–समय पर भारत में भाषायी विरोधाभास की जडों को गहरा किया गया लेकिन हिन्दी तो भाषाओं का एक संघ है– परिसंघ है। आज विश्व के 135 विश्वविद्यालयों में न केवल हिन्दी का अध्ययन–अध्यापन किया जाता है बल्कि शोध कार्य भी हो रहा है। इस प्रकार हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी तक विश्व स्तर पर हिन्दी के आठ विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है जिसमें से दो सम्मेलन मॉरीशस में सन् 1976 एवं 1993 में आयोजित किये जा चुके है। मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, म्यांमार, मालदीव में हिन्दी लगभग 45–50 प्रतिशत आबादी की बोलचाल की भाषा है। थाईलैण्ड, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, यूरोप और अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रिया, हालैण्ड, पौलेण्ड, चैक गण्राज्य, कनाड़ा, रूस में हिन्दी का अध्ययन–अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। हिन्दी आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के विराट फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है। वह आज विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाओं में शामिल करने के समर्थन में दुनिया भर से आवाजें उठ रही है। कृषि अनुसंधान की प्राणशक्ति और सम्प्रेषण की प्रमुख भाषा हिन्दी ही है और यह हमारे लोक व्यवहार की भाषा भी है। हिन्दी ही कृषि अनुसंधान को पल्लवित और पुलकित करने में समर्थ है। हिन्दी ने आज के युग में कई प्रकार की तकनीकी ऊँचाईयाँ हासिल कर ली है और यह तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है। इन तकनीकों को शासन प्रशासन ने प्रयुक्त करने की महती आवश्यकता है।

हिन्दी संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा और अनुच्छेद 343(2) में शासकीय कार्य अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्ष यानि 25 जनवरी 1965 तक जारी रखने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यो के लिए अंग्रजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रख सकती है। तद्नुसार राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 से संशोधित) की धारा 3(2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रहेगी। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत सन 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए जिसमें राजभाषा नीति, राजभाषा समिति, पुरस्कार योजनाएं, प्रशिक्षण, तकनीकी प्रकाशन संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाईट www.rajbhasha.gov.in स्थापित की है।

## प्रस्तावना

हिन्दी साहित्य के मध्य काल में सर्वप्रथम कुछ ऐसे ग्रन्थ मिलते है जो साहित्य के इतिहास तो नहीं कहे जा सकते है किन्तु आगामी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए आधार भूमि अवश्य प्रस्तुत करते है। ऐसे ग्रंथों में भारतकाल, चौरासी वैष्णववार्ता और दो सौ वैष्णव वार्ता आदि का नाम लिया जा सकता है।

हिन्दी साहित्य का इतिहास समय–समय पर हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं दार्शनिक प्रयासों और परिस्थितियों का परिणाम है। साहित्य की धाराएँ जब निरंतर गतिशील बनी रहती हुई एक लम्बी यात्रा तय कर लेती है तो आवश्यकता होती है कि सृजित साहित्य की परम्परा को सुरक्षित रखा जाए जिस हेतु संकलित सामग्री की व्यवस्था, क्रम निर्धारण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण आदि गुण तत्वों की आवश्यकता होती है। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परम्परा का प्रवर्तक एक फ्रेंच विद्वान गर्सादतासी द्वारा किया गया जिसमें प्रमुख बातें थी, कवियों और लेखकों की विस्तृत सूची, प्रमुख इतिहासकारों की रचनाओं का परिचय इस इतिहास में इतिहास तत्व कम है तथा सन संवत् का कोई

विशेष ध्यान न रखकर विवेचन किया गया है। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी गर्सादतासी का हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने इतिहास लेखन की प्रवृत्ति की परम्परा का सूत्रपात किया और आगामी इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शन का काम किया। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण कड़ी में ठाकुर शिवसिंह सरोज, डॉ. ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं का इतिहास प्रमुख रूप से मील का पत्थर माना जाता है। जार्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिन्दी इतिहास का नाम ''माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दन हिन्दुस्तान'' एवं मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिन्दी इतिहास का नाम ''मिश्र बन्दु विनोद'' है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा लिखित हिन्दी साहित्य का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो कि अपनी प्रमाणिकता एवं वैज्ञानिकता में अकेला है। जब वह इतिहास लिखा गया तब सबसे पहले शुक्ल जी ने अपने से पूर्व के इतिहासों का मन्थन किया तत्पश्चात् उन्होंने अपना वैज्ञानिक इतिहास प्रस्तुत किया। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्ष के इतिहास को निम्न कालखण्डों में प्रस्तुत किया है–

(1) वीरगाथा काल संवत् 1075 से 1375 तक।

(2) भक्ति काल संवत् 1375 से 1700 तक।

(3) रीति काल संवत् 1700 से 1900 तक।

(4) आधुनिक काल संवत् 1900 से आज तक।

उपरोक्त काल विभाजन शुक्ल के मौलिक चिन्तन का परिणाम है। उनकी मौलिकता यह है कि उन्होंने किसी दूराग्रह और पूर्वाग्रह से काम नहीं लिया।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति का नाम 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' है एवं दूसरी कृति का नाम 'हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास' है। इसके अतिरिक्त उनकी एक कृति 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल' के नाम से भी प्रकाशित हुई है। आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक युंग के साहित्य की कृतियों के निर्धारण में युगीन परिस्थितियों को प्रमुखता दी थी जबकि आचार्य द्विवेदीजी ने इस देश की प्राचीन परम्पराओं, संस्कृति और धारावाहिक रूप और शास्त्रीय एवं लोक परम्पराओं के व्यापक संदर्भ में प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्यांकन किया है।

डॉ रामकुमार वर्मा ने हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रस्तुत किया। डॉ नगेन्द्र द्वारा सम्पादित इतिहास आधुनिक युग में इतिहास लेखन के क्षेत्र में कुछ विशेष उल्लेखनीय है। यह इतिहास लगभग एक हजार पृष्ठों का इतिहास चार खण्डों में है जो हिन्दी साहित्य के इतिहास में चारों युगों के सूचक है।

## हिन्दी साहित्य का पुनर्जागरण काल (भारतेन्दु युग)

आधुनिक काव्य धारा का प्रथम उत्थान भारतेन्दु हरीशचन्द्र के नाम पर भारतेन्दु युग (1875 से 1900) कहलाता है। 1850 के बाद का यही काल ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय पुनर्जागरण का भी काल है। स्वरूप की दृष्टि से भारतेन्दु युगीन साहित्य प्राचीन और नवीन का संधि–काल है। प्राचीनता के रूप में इस युग की काव्य भाषा और कविता के स्वरूपगत ढांचे को देखा जा सकता है। काव्य भाषा ब्रज रही और कविता का ढांचा सवैया, कविता, दोहा, रोला और विविध लोक गीतों का रहा। भारतेन्दु युगीन साहित्य अपने मूल रूप में पत्रकारिता के माध्यम से प्रचार और प्रसार का साहित्य है। इस युग के कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेज शासकों की स्वार्थपरकता, अधिकारियों की लूट–खसोट, पुलिस अत्याचार, अदालतों में बरती जाने वाली न्याय विरोधी नीति तथा किसान और मजदूरों की गिरती दुर्दशा का खूब–खूब प्रचार किया।

## भारत में हिन्दी पत्रकारिता उद्‌भाव विस्तार

हिन्दी में प्रथम समाचार–पत्र होने का गौरव व हिन्दी पत्रकारिता के प्रारम्भ का श्रेय उदन्त मार्तण्ड को प्राप्त है। यह साप्ताहिक पत्र 30 मई 1826 को युगलकिशोर शुक्ल ने कलकत्ता के कोलटोला मोहल्ले से निकाला था। उदन्त मार्तण्ड के बाद कलकत्ता से ही द्वितीय उल्लेखनीय पत्र राजा राममोहन राय द्वारा सम्पादित हिन्दू हेराल्ड था जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी व हिन्दी में निकाला और जो बंगदूत के नाम से जाना जाता है। यह पत्र 10 मई 1829 को प्रकाशित हुआ। उत्तरप्रदेश से श्री गोविन्द नारायण थन्ते के सम्पादन में जनवरी 1845 में बनारस अखबार निकाला इसके संचालक मनीषी राजा शिवप्रसाद सितारहिन्द थे। ''बनारस अखबार'' के बाद कलकत्ता से 11 जून 1846 को इंडियन सन् समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इन्दौर से 6 मार्च 1848 को मालवा अखबार प्रकाशित हुआ। यह पत्र मध्य भारत ही नहीं वरन् वर्तमान मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम पत्र था। 1850 में पी. तारामोहन मैत्रेय नामक बंगाली भाषी ने बनारस से सुधाकर पत्र निकाला। यह पत्र साप्ताहिक था तथा बंगला और हिन्दी दोनों में प्रकाशित होता था।

भाषा की दृष्टि से सुधाकर हिन्दी प्रदेश का पहला पत्र कहना चाहिए। सन् 1853 में यह केवल हिन्दी में ही प्रकाशित होने लगा। मुंशी सदा सुखलाल के सम्पादन में 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश निकला। यह पत्र नुरूल बसर प्रेस से प्रकाशित होता था। यह पत्र पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं वरन् भाषा एवं शैली के विकास के विचार से विशेष महत्व रखता है। भरतपुर के राजा ने शासन की ओर से 1852 में एक मासिक पत्र निकाला यह पत्र उर्दू व हिन्दी का था अर्थात् द्विभाषी पत्र था। इसकी जुबान उर्दू थी तो लिपि देवनागरी थी। यह दो कालम का पत्र था दोनां भाषाओं एक–एक कालम में होती थी जिसका नाम मंजहरूल सरूर था। उदन्त मार्तण्ड हिन्दी पत्र का पहला साप्ताहिक पत्र था। इसके विपरीत समाचार सुधावर्णन हिन्दी का प्रथम दैनिक पत्र था। जून 1845 में कलकत्ता से प्रकाशित इस पत्र का सम्पादन श्याम सुन्दर सेन करते थे जो बंगाली थे।

तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नेता अजीम वला खां ने 8 फरवरी 1857 में दिल्ली में पयामे आजादी नामक एक राष्ट्रीय अखबार निकाला। यह पत्र एक ऐसा शोला था जो अपनी प्रखर एवं तेजस्वी वाणी से जनता में स्वतंत्रता का प्रदीप्त स्वर फूंककर जनता में नया जोश पैदा करता था।

## हिन्दी पत्रकारिता की विकास यात्रा

सन् 1867 तक विदेशी शिक्षा के कारण परम्परावादी विचारधारा का लोप हो रहा था। इस समय तक देश में नवीन राजनीतिक, सामाजिक चेतना का उदय होना प्रारम्भ हो गया था। हिन्दी पत्रकारिता का यह युग हिन्दी गद्य निर्माण युग माना जाता है। इस युग का नेतृत्व बाबू हरीशचन्द्र कर रहे थे। यह समय अंग्रेज अधिकारियों की गुलामी का था, परन्तु भारतेन्दुजी निडर भाव से राजनीतिक लेख लिखकर जनता जनार्दन को झकझोर रहे थे। यही कारण है कि यह युग भारतेन्दु युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस युग में अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ।

कविवचन सुधा 15 अगस्त 1867 में बाबू हरीशचन्द्र ने काशी में मासिक पत्र का प्रकाशन किया जो कि सन् 1875 में मासिक से साप्ताहिक हो गया। हिन्दी पत्रकारिता के नए युग का आरम्भ ही कविवचन सुधा से माना जाता है। 15 अक्टूबर 1873 को काशी से भारतेन्दु हरीशचन्द्र ने ही ''हरीशचन्द्र मैगजीन'' मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 9 जनवरी 1874 को भारतेन्दु ने बालबोधिनी पत्रिका निकाली, यह पत्रिका महिलाओं की मासिक पत्रिका थी। इसके प्रथम अंक में प्रथम पृष्ठ पर जो निवेदन प्रकाशित हुआ था वह नारी जागरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही भाषा शैली और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। यथा – मेरी प्यारी बहिनों में एक तुम्हारी नयी बहिन ''बाल बोधिनी'' आज तुमसे मिलने आयी हूं और मेरी यही इच्छा है कि तुम, लोगों से, सब बहिनों से महिनों में एक

बार मिलूं। मैं तुम लोगों से अवस्था में कितनी छोटी हूं क्योंकि तुम सब बड़ी हो चुकी हो और मैं अभी जन्मी हूं और इस नाते से तुम सबकी छोटी बहन हूं पर मैं तुम लोगों में हिलमिल कर सहेहिलयों–संगिनी की भांति रहना चाहती हूं इससे मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर और आंचल खोलकर यही मांगती हूं कि मैं जो कभी कोई भली–बुरी, कड़ी–नरम, कहनी–अनकहनी कहूं उसे मुझे अपनी समझकर क्षमा करना क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूंगी सो तुम्हारे हित में ही कहूंगी।''

1 सितम्बर 1877 को प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने ''हिन्दी प्रदीप'' नाम का मासिक पत्र निकाला। यह पत्र घोर संकट के बाद भी 35 वर्षों तक निकला। इसने हिन्दी पत्रकारिता को एक नयी दिशा प्रदान की। इसका स्वर राष्ट्रीय, निर्भिकता तथा तेजस्विता का था अतः सरकार इस पर कड़ी नजर रखती थी। 17 मई 1876 को कलकत्ता से भारत मित्र पत्र प्रकाशित हुआ जो कि 57 वर्षो तक चला। 13 अप्रैल, 1879 को पं. सदानंदजी के सम्पादन में सार सुधानिधि पत्र प्रकाशित हुआ इसकी भाषा संस्कृत हिन्दी मिश्रित थी। मेवाड़ के महाराजा सज्जनसिंह के नाम पर सन 1879 में सज्जन कीर्ति सुधाकर देशी राज्यों से निकलने वाला पहला हिन्दी पत्र था। 7 अगस्त 1880 को उचित वक्ता, 1881 में मिर्जापुर से आनन्द कादम्बिनी तथा सन 1883 में कानपुर से ब्राह्मण पत्र उसी वर्ष 1883 में अम्बिकादास व्यास ने पियुष प्रवाह नामक पत्रिका को जन्म दिया।

बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 3 मार्च 1884 को भारत जीवन प्रकाशित किया। सन् 1885 में राजा रामपाल सिंह ने हिन्दोस्थान हिन्दी–अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया। तत्पश्चात् यह हिन्दी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम सम्पूर्ण दैनिक हिन्दी दैनिक पत्र था। जिसे पं. मदनमोहन मालवीय ने सम्पादित किया। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र द्वारा निरन्तर होता रहा। सन् 1887 में जबलपुर में पं. रामगुलाम अवस्थी के सम्पादन में सप्ताहिक शुभचिन्तक पत्र प्रकाशित किया गया।

हिन्दी बंगवासी 1890 में कलकत्ता से पं. अमृतलाल चक्रवर्ती के सम्पादन में निकाला यह पत्र हिन्दी के वरिष्ठ पत्रकारों का प्राथमिक विद्यालय सिद्ध हुआ। हिन्दी बंगवासी के बाद मुजफ्फरपुर से 01 जनवरी 1893 को बाबू देवकीनन्दन खत्री ने साहित्य सुधा निधि का प्रकाशन किया।

नगर प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन सन 1890 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने त्रैमासिक रूप में प्रकाशित की थी। सन् 1900 में प्रकाशित ''सरस्वती'' पत्रिका अपने समय की युगान्तरकारी पत्रिका रही है। सन् 1900 का वर्ष हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसे बंगाली बाबू चिंतामणी घोष ने प्रकाशित किया था। सन 1903 में इसके सम्पादन का भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। ''सरस्वती का उद्देश्य हिन्दी भाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक, जागरण करना था, राष्ट्रीय जागरण तो इसका अंग था।'' इस प्रकार 17वीं शताब्दी में हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव व विकास बड़ी ही विषम परिस्थिति में हुआ। इस समय जो भी पत्र–पत्रिकाएं निकलती उनके सामने अनेक बाधाएँ आ जाती थी, लेकिन इन बाधाओं से टक्कर लेती हुई हिन्दी पत्रकारिता शनैः शनैः गति पाती गई।

## हिन्दी का अंग्रेजी शाासनकाल में ऐतिहासिक उत्थान

अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश अधिकारी मैकाले मेक्लर्क बनाने के नाम पर अंग्रेजी जानने भर की अनिवार्यता शुरू की थी लेकिन उसी सरकार ने सन् 1881 में यह निर्णय लिया था कि भारतीय सिविल सेवा में वहीं अधिकारी चुने जायेंगे जिन्हें हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं की समझ होगी, लेकिन इसके पूर्व ही अंग्रेज सरकार ने हिन्दी के प्रशासनिक महत्व को सन 1800 में पहले ही समझना शुरू कर दिया था। हिन्दी का पहला व्याकरण डच भाषा में 1698 में लिखा गया था जो कि हालैण्ड निवासी जान जीशुआ कैटलर ने हिन्दुस्तानी भाषा नाम से लिखा था। इसके बाद सन 1745 में

हिन्दुस्तानी व्याकरण के नाम से सर्वा बेंजामिन शुल्ज एवं 1771 में कैसियानों बेलजति ने ''अल्पा बेतुम बहम निकुम'' नामक पुस्तक लिखी। लेकिन हिन्दी के सार्वकालिक सार्वदेशिक महत्व को सबसे पहले एडवर्ड टेरी नामक अंग्रेज विद्वान ने समझा था। उन्होंने 1655 में कहा था कि हिन्दुस्तान की भाषा अरबी–फारसी जुबानों से मिलती जुलती है। एडवर्ड टेरी को यह जानकर और प्रसन्नता हुई थी कि हिन्दी भी अंग्रेजी की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है। अंग्रेजी की यह पीढ़ी पूर्वाग्रह से मुक्त थी।

एडवर्ड टेरी से करीब एक सदी बाद 1782 में एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी थॉमस काल बुक हिन्दुस्तान आए इनका बंगाल सर्विस के योग्यतम अफसरों में नाम था उन्होंने हिन्दी का अध्यापन किया और संस्कृत में उनकी दिलचस्पी थी। गिलक्रिस्ट हिन्दी को खड़ी बोली का नाम दिया और खड़ी बोली को ही मानक हिन्दी की मान्यता दिलाई। सन् 1826 में हिन्दी पर लंदन में एक बेहद अहम पुस्तक ''ॲल ऑरिजन स्ट्रक्चर ऑफ द हिन्दुस्तानी टंग एण्ड जनरल लैंग्वेज'' प्रकाशित हुई जिसके लेखक अंग्रेज विद्वान आर्नाल्ड थे। उनकी इस परम्परा को फोर्ब्स नामक अंग्रेज विद्वान ने आगे बढ़ाया उन्होंने हिन्दी मैन्युअल तैयार किया जो 1845 में लन्दन में प्रकाशित हुआ। फ्रेंडरिक पिस्टले ने तो इस दौरान हिन्दी को इस देश की राजभाषा बनाने के लिए जोरदार अभियान चलाया।

जॉनशोर की 1837 में प्रकाशित पुस्तक ''नॉट ऑन द इंडियन अफेयर्स'' पढ़ने के बाद यह प्रतीत होता है कि यह शख्स दिल से हिन्दुस्तानी था। इसके बाद नाम आता है जेम्स रॉहर्ट वैलेटाइन का जिन्होंने ब्रज और दक्खिनी हिन्दी को मिलाकर व्याकरण की एक पुस्तक तैयार की। लेफ्टिनेन्ट थॉमस रोशेक ने हिन्दी कहावतों, मुहावरों का संग्रह तैयार किया था जो 1824 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली का संग्रह एच एस विल्सन से ''ग्लॉसरी ऑफ ज्यूडिशियल एण्ड दे वेन्ड टर्म्स'' नाम से तैयार किया जो सन् 1855 में लंदन में प्रकाशित हुआ। इन सभी विद्वानों की हिन्दी सेवा पर लार्ड मैकाले की मिंट योजना ने पानी फेर दिया फिर भी यह योजना अंग्रेजी शासन के दौरान उतनी बड़ी रूकावट नहीं बनी जितनी 1950 में संविधान लागू होने के बाद बनी। अंग्रेज विद्वानों ने हिन्दी के सार्वजनिक–सार्वभौमिक रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस भाषा का व्यवहार पूरे हिन्दुस्तान के लोग करते है जो पढ़े–लिखे और अनपढ़ हर तरह के लोगों की सामान्य बोलचाल की भाषा है जिसे हर एक गांव के लोग समझ लेते उस भाषा का नाम ही हिन्दी है।

सर विलियम जोन्स के हिन्दी प्रेम ने पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और लगभग लुप्तप्रायः हो चुके ग्रन्थों को खोजकर इनका प्रकाशन करवाया इनके प्रकाशन के पश्चात् ही अंग्रेज सरकार की मुद्रा में देवनागरी का प्रयोग हुआ था। अंग्रेज विद्वान एडम गिलक्रिस्ट ने प्रथम बार हिन्दी–अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार किया था। जो कि सन् 1787–91 में हिन्दुस्तानी इतिहास डिजाइनरी के नाम से दो खण्डों में प्रकाशित हुआ था। यह पहला हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन था। जो कि सन् 1798 में ओरिएन्टल लिंग्विस्ट के नाम से प्रकाशित हुआ और 1799 में उन्होंने ओरियन्टल सेमिनरी नाम से एक संस्था की स्थापना की थी जिसके तहत हिन्दुस्तानी का अध्ययन किया जाता था। यह संस्था यूरोपीय लोगों को अंग्रेजी के माध्यम से हिन्दी को सिखाती थी। सन् 1799 में एक अफसर विलियम वतरवर्थ वेली–वे भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश लिया यह गौर करने योग्य बात है कि तब तक सिविल सेवा में प्रवेश पाने के लिए हिन्दी की जानकारी होना औपचारिक तौर पर जरूरी था। बेली ने न सिर्फ हिन्दी का गहरा अध्ययन किया बल्कि सन् 1800 को हिन्दी परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। सन् 1802 में उन्होंने हिन्दी वाद–विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता का मेडल प्राप्त किया। सिविल सेवा में हिन्दी की अनिवार्यता के कारण एक हिन्दी कॉलेज खोलने की आवश्यकता महसूस की गई जिसकी जिम्मेदारी अंग्रेज अधिकारी मॉकम वेलेजली को सौंपी गई जिसके तहत 4 मई 1800 को कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई।

## हिन्दी और भाषा की राजनीति

भारत देश को विभिन्न साम्राज्यों ने भाषाओं की अधिकता बताकर इसे देश नहीं उपमहाद्वीप कहा इन्होंने इस देश की संस्कृति, सौन्दर्य, सह–संबंध और सह–अस्तित्व की अनदेखी की और इस राष्ट्र के विरूद्ध विभाजित करने लायक उपमाद्वीयता दिखाई। भारत वर्ष में लगभग 300 भाषाएँ हैं। पपुआ न्यूगिनी में लगभग 832 भाषाएँ है और इंडोनेशिया में लगभग 650 से अधिक भाषाएँ है लेकिन इन्हें इस विरोधाभास में खड़ा नहीं किया गया और भारत में भाषायी विरोधाभास की जड़ों को गहरा किया गया। लेकिन हिन्दी तो भाषाओं का एक संघ है–परिसंघ है।

सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक पुरातन देश है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास एक नए सिरे से ब्रिटेन के शासनकाल में स्वतंत्रता संग्राम के साहचर्य में और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नवोन्मेष के सोपान में हुआ। हिन्दी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम के चैतन्य का शंखनाद घर–घर तक पहुंचाया। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दिया, नवयुग के नव–जागरण में राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिल रूप से जोड़ दिया।

आज हमें हिन्दी के अतीत बोध से चलकर यथार्थ बोध के अप्रिय सत्य को समझना होगा। हमारे राष्ट्रीय अपराध बोध को स्वीकार करना होगा और एक नए कर्तव्य बोध की अलख जगाने का अभियान संयोजित करना होगा। हिन्दी का प्रश्न सभी भारतीय भाषाों के एवं राष्ट्र के अस्तित्व बोध का प्रश्न भी है, भारतीय भाषाओं में साइबर स्पेस की प्रौद्योगिकी को समाहित करने का प्रश्न भी है।

अब हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रश्न संविधान और राजनीति तक ही सीमित रह गया है। भाषा का प्रश्न संस्कृति, अस्मिता और विकास का प्रश्न भी है, समग्र भारतीय जनगण की सार्थक चेतना का प्रश्न भी है और हमारे भविषय का एक ज्वलंत प्रश्न भी है। यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय दिशा–बोध का प्रश्न है। आजादी आई और हमारा संविधान बनाने का उपक्रम शुरू किया। संविधान का प्रारूप अंग्रेजी में बना संविधान की बहस अधिकांश अंग्रेजी में हुई। यह बहस 12 सितम्बर 1949 को 4 बजे दोपहर में शुरू हुई और 14 सितम्बर 1949 के दिन समाप्त हुई। संविधान में हिन्दी भाषा (संकलित) संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अंग्रेजी में ही एक संक्षिप्त भाषण दिया उन्होंने कहा कि भाषा के विषय में आदेश उत्पन्न करने या भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए कोई अपील नहीं होनी चाहिए और भाषा के प्रश्न पर संविधान सभा का विनिश्चय समूचे देश को मान्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाषा सबंधी अनुच्छेदों पर लगभग तीन सौ या उससे भी अधिक संशोधन प्रस्तुत हुए। 14 सितम्बर की शाम बहस के समापन के बाद जब भाषा संबंधी संविधान का तत्कालीन भाग 14–क और वर्तमान भाग 17 संविधान का भाग बन गया तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे, वे शब्द आज भी प्रतिध्वनित होते है। उन्होंने तब कहा था कि ''आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी।'' उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा में ''अत्यधिक बहुमत'' से भाषा विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने व्यक्तित्व के उपसंहार में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा ''यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है कि जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केन्द्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक–दूसरे के निकटतम आते जायेंगे। आखिर अंग्रेजी से हम निकटतम आए है क्योंकि यह एक भाषा थी। अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है, इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे। विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएं एक ही है, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही है। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार

नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत–सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासंभव बुद्धिमानी का काम किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी सन्तति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।'' संविधान सभा की भाषा विषयक बहस लगभग 278 पृष्ठों में मुद्रित हुई है। भाषा विषयक समझौते की बातचीत में यह सहमति हुई थी संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

## विश्व मंच पर हिन्दी भाषा का स्वरूप एवं तकनीकी रूप

हिन्दी एक भाषा नहीं, भारतीय संस्कृति की सबल, समर्थ संवाहिका भी है। भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो, विश्व में हिन्दी जानने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर है। सन् 1999 में मशीन ट्रांसलेशन सम्मिट में टोकियों विश्वविद्यालय के प्रो. होगुमितनाका ने जो भाषाई आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उनके अनुसार विश्व भर में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिन्दी का द्वितीय है। अंग्रेजी तीसरे स्थान पर ही रह जाती है। एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में निवास करते है जो अधिकतर हिन्दी से परिचित ही नहीं उसे व्यवहार में भी लाते है। आज विश्व के 135 विश्वविद्यालयों मे तो हिन्दी का पठन–पाठन ही नहीं शोध कार्य भी हो रहा है। इस प्रकार आज हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है और विश्व के मानचित्र पर हिन्दी का उदय एक विश्व भाषा के रूप में हो रहा है।

भारत के बाहर जिन देशों में हिन्दी को बोलने, लिखने–पढ़ने तथा अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से प्रयोग होता है उन्हें 5 वर्गो में विभक्त कर सकते है– (1) जहां प्रवासी भारतीय विपुल संख्या में रहते है जैसे– मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनीदाद तथा टोबेगो और दक्षिण अफ्रीका आदि। (2) भारत के पड़ोसी देश जैसे– पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आदि। (3) भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जैसे– इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि। (4) अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाड़ा, यूरोप के देश जहां हिन्दी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। (5) अरब और अन्य इस्लामी देश जैसे– संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), अफगानिस्तान, कतर, मिस्र, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कगेनिस्तान आदि। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या कुल आबादी का 52 प्रतिशत से अधिक है। यहां ''गिरमिटिया'' मजदूरों के रूप में भारतीयों का आगमन 1830 ई. से आरंभ हुआ, ये लोग अपने साथ रामचरित मानस, हनुमान चालीसा और आलहा जैसी पुस्तकें लेकर आये थे यही उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर थी। यों 1910 में आर्य समाज की स्थापना के बाद हिन्दी को विशेष बल दिया गया। यहां हिन्दी सेवी संस्थाएं– आर्यसभा, हिन्दी प्रचारिणी सभा, हिन्दी परिषद तथा हिन्दी लेखक संघ हिन्दी के शिक्षण तथा प्रचार–प्रसार में सक्रिय है। फिजी यहां भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या 51 प्रतिशत है। फिजी में 70 प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दी बोलते और समझते है। सूरीनाम– यहां भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या 40 प्रतिशत है। यहां की स्थानीय हिन्दी का रूप ''सूनामी हिन्दी'' के नाम से विकसित हुआ है। जो देवनागरी के साथ–साथ रोमन लिपि में भी लिखी जा रही हैं। 2003 में सातवां विश्व हिन्दी सम्मेलन सूरीनाम में हुआ था। त्रिनीदाद एवम् टोबेगो– यहां भारतीयों की आबादी 45 प्रतिशत से अधिक है। 1996 में यहां पांचवां विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया था। गुयाना– यहां कुल जनसंख्या के 51 प्रतिशत लोग भारतीय मूल के है। यहां के विश्वविद्यालय में बी.ए. स्तर पर हिन्दी के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है। केरेबियन सागर के इन द्वीपों में भारतीय लोग ''गिरमिटिया मजदूरों'' के रूप में आए थे। उन्होंने यहां भारतीय संस्कृति और हिन्दी को अनेक भावनाओं को सहते हुए भी बढ़ाकर रखा है।

भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहां की राजभाषा उर्दू है, जो कि हिन्दी का ही एक रूप है। बोलचाल दोनों में में कोई विशेष अंतर नहीं है। लिपि भेद से ही दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। मानक हिन्दी और उर्दू दोनों का आधार खड़ी बोली ही है। श्रीलंका और नेपाल में भी विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी पढ़ाई जाती है। नेपाल में अधिकांश लोग हिन्दी बोलते और समझते है। यहां की प्रमुख भाषा नेपाली और हिन्दी में बहुत समानता है। दोनों की लिपि देवनागरी है। काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पठन–पाठन की व्यवस्था हो गई है। म्यांमार (बर्मा) में हिन्दी प्रचार–प्रसार पहले से ही है। मांडले चोगल में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शाखाएं है। ''राष्ट्रभाषा प्रचार समिति'' वर्धा की परीक्षाएं भी आयोजित की जाती है। मालदीव की भाषा ''दीलेही'' यूरोपीय परिवार की भाषा है जो हिन्दी से मिलती–जुलती है। एक प्रकार से दक्षेस सार्क देशों में हिन्दी खूब सराही जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का प्रवेश रहा है। वैदिक और बौद्विक संस्कृति के कारण यहां की भाषाओं में हजारों शब्द भारतीय मूलक है। थाईलैण्ड में काफी संख्या में भारतीय प्रवासी है। यहां पर हिन्दी जानने वालों की संख्या लगभग एक लाख है। सिंगापुर में व्यापारिक क्षेत्रों में भी काफी संख्या में भारतीय बसते है जो बोलचाल में हिन्दी का प्रयोग करते है। यहां आर्य समाज और भारतीय भवन द्वारा हिन्दी की कक्षाएं चलाई जाती है। मलेशिया और इण्डोनेशिया में हिन्दी जानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। बाली द्वीप में हिन्दुओं का बहुमत है। वहां संस्कृत का पठन–पाठन होता है। चीन में पेदचिड विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग है। पेदचिड रेडियो से हिन्दी प्रसारण होता है। चीन की दीवार की स्वागत शिला पर अंकित यह पंक्ति ''ओम नमो भगवत्ये'' भारत और चीन के प्राचीन भाषाई सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाती है। जापान के क्योटो और ओनस्का विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाई जाती है। यहां ज्वालामुखी नाम से हिन्दी में वार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है यहां डॉ गोदाई ने गोदान का जापानी भाषा में अनुवाद किया है। दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित हांकुक विश्वविद्यालय तथा पूसान स्थित कॉलेज ऑफ फॉरेन स्टडीज में हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था है।

मंगोलिया में हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ रही है। 1994 से यहां हिन्दी की कक्षाएं चलाई जाती है। बौद्व धर्म के कारण यहां भारतीय संस्कृति और साहित्य में लोगों की विशेष रूचि है। यूरोप और अमेरिका के देशों में हिन्दी के अध्ययन और अध्यापन के प्रति रूचि में तेजी से वृद्धि हो रही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटेनवासियों ने हिन्दी के प्रति बहुत पहले से रूचि लेनी प्रारम्भ कर दी थी। गिलक्राईस्ट, फोवर्स प्लेटस, मोनियर विलियम्स, केलाग होली, शोलबर्ग, ग्राहम वेली तथा ग्रियर्सन जैसे विद्वानों के ग्रंथ लिखें। आज की मेकगेर और रूपर्ट स्नेल जैसे विद्वान हिन्दी साहित्य सृजन में योगदान दे रहे है। यहां लंदन, कैब्रिज तथा यार्क विश्वविद्यालयों में हिन्दी पठन–पाठन की व्यवस्था है। यहां से ''प्रवासिनी'' ''अमरदीप'' जैसी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। बी.बी.सी. से निरंतर हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित होते है। फ्रांस के सॉरबन और पेरिस विश्वविद्यालयों, बेल्जियम केब सेल्स तथा लवेन ऑलथेज विश्वविद्यालयों, इटली के वेनिस और नेपल्स तथा स्वीडन के स्टाकहोम विश्वविद्यालयों, आस्ट्रिया के वियाना विश्वविद्यालयों में हिन्दी के पठन–पाठन की व्यवस्था है। हालैण्ड में तो सूरीनाम से आए भारतीय मूल के लाखों अप्रवासी भारतीय हिन्दी और ''सरनामी'' का प्रयोग करते है। यहां लेडेन तथा उत्रेख्त विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्यापन होता है। पौलेण्ड में बहुत पहले से ही वार्सा विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ने–पढ़ाने की व्यवस्था है। प्रो वृस्की हिन्दी के प्रख्यात विद्वान है जो भारत के राजदूत रह चुके है।

चैक गणराज्य में प्रो ओएनेल स्मेकल हिन्दी के प्रसिद्व रचनाकार रहे है, जो भारत में राजदूत के पद पर थे। जर्मन, रोमानिया, बल्गारिया और हैंगरी में भी हिन्दी पठन–पाठन की व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रोल विश्वविद्यालय में 1815 से ही हिन्दी की व्यवस्था है। विश्व के सबसे बड़े गणराज्य

भारत की राजभाषा हिन्दी में अमेरिका की विशेष रूचि है और आज वहां 30 विश्वविद्यालयों तथा अनेक स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में पाठ्यक्रम आयोजित होते हैं। 1875 में केलाग ने हिन्दी भाषा का व्याकरण तैयार किया था। गत वर्षों में मैक्सिको तथा लैटिन अमेरिका के देशों में हिन्दी को बढ़ावा मिला है। क्यूबा, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, अर्जेन्टीना इसके प्रमुख तौर पर ज्वलंत उदाहरण है। कनाड़ा में भी अप्रसासी भारतीयों की संख्या कुछ कम नहीं है। बैकूबर, टोरंटो, मैगलिक तथा विंडसर विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग है। आस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी पढ़ाई जाती है। दिनांक 29 अक्टूबर 2012 दैनिक भास्कर समाचार के अंश में आस्ट्रेलिया के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी हिन्दी शीर्षक के अंतर्गत आस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मूलिया गिलर्ड ने एशियन संचूरी व्हाइट पेपर जारी करते हुए इसकी घोषणा की। जहां रूस का सवाल है वहां हिन्दी पुस्तकों का जितना अनुवाद हुआ है उतना शायद ही विश्व की किसी भाषा का हुआ है। वारान्निकोव ने तुलसी के रामचरित मानस का अनुवाद किया था। डॉ. दीमशित्स, डॉ उर्लात्सफेरोव, ई. चौलीरोव गफरोव तथा श्री गुवामोवा प्रभृति विद्वानों ने हिन्दी की उल्लेखनीय सेवा की है। भारत के अनेक हिन्दी कवियों और लेखकों की रचनाओं का रूसी में अनुवाद हो चुका है। अरब और अन्य इस्लामी देशों में भी हिन्दी लोकप्रिय हो रही है। तुर्की, इराक, मिस्र, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में हिन्दी फिल्में बड़े चाव से देखी जाती है। इस प्रकार हिन्दी आज भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भाषा के विराट फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है। वह आज विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अब तक भारत और भारत के बाहर आठ विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित हो चुके है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो शेष है वह है– संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को एक अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाना। इसके लिए हमें गंभीरता से प्रयत्न करने होंगे। आज कला, साहित्य, संगीत, खेलकूद, पर्यटन, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन आदि के क्षेत्र में हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिफल फल–फूल रही है। हिन्दी में निष्ठा ही हिन्दी के प्रगामी विकास की ध ूरी है धरा है। हिन्दी की प्रगति का रूप विश्व स्तर पर हिन्दी गीत–संगीत, हिन्दी के कवि सम्मेलन, हिन्दी दिवसों, पखवाडों, मास, सम्मान समारोह, विदेश में हिन्दी फिल्मों का प्रचलन आदि इसके प्रचार–प्रसार के वाहक है। शिक्षण व्यवसायिक, वाणिज्यिक, धार्मिक ज्ञान, पर्यटन, संस्कृति कार्यक्रम से हिन्दी को बढ़ावा मिलता रहता है। प्रकाशन के क्षेत्र, चिकित्सकों, वैश्वीकरण के क्षेत्रों में हिन्दी ने विश्व मंच पर अपनी स्थापना कर ली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिन्दी के माध्यम से उपभोक्ता बाजार में पकड़ मजबूत कर रही है। प्रत्येक भाषा के अपने शब्द होते है, शब्द शरीर होते है और अर्थ उनकी पहचान इसमें हिन्दी सहज, सरल और स्पष्ट भाषा है जिसका परिणाम है कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाओं में शामिल करने के समर्थन में दुनिया भर से आवाजें उठ रही है। अंग्रेजी का अभिजात्य वर्ग के पीछे भागने वाला बाजार आज देश के बहुसंख्यक हिन्दी भाषी मध्यम और निम्न वर्ग की चौखट पर नाक रगड़ रहा है और देहातों में बसने वाली देहाती जनता भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आंखों का तारे बन चुकी है और अब हिन्दी को लेकर नाक, भौं सिकोड़ने वाले अभिजात्य अंग्रेजी लोग अपने बच्चों को तमाम जगहों पर सफलता के लिए मजबूरी बन चूंकी हिन्दी को सीखने के लिए प्रेरित कर रहे है। हिन्दी भाषी लोगों की जबरदस्त तादाद की पीछे छिपे मुनाफे को देख आज बाजार में आम बोलचाल और नई पीढ़ी में हिन्दी जानने वालों की मांग काफी ज्यादा है जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का विज्ञापन हिन्दी में कर रही है और मीडिया, दूरदर्शन भी अंग्रेजी चैनलों पर हिन्दी भाषा के विकास को मात दे रहा है। बाजार, दूरदर्शन, दूरसंचार आज नई पीढ़ी को हिन्दी की तरफ लाने में बड़ी बेहद अहम भूमिका निभा रहा है।

कृषि अनुसंधान की प्राण शक्ति और सम्प्रेषण की भाषा हिन्दी है। यह इसलिए कि हमारे लोक–व्यवहार की भाषा हिन्दी है। कृषि अनुसंधान का वह क्षेत्र जिसमें कृषि उत्पादन की विधियों, तकनीकियों और आधुनिक वैज्ञानिक खेती तथा औषधि खेती का अनुसंधान करके कृषकों तक पहुंचाने

हेतु एक अपनी भाषा से संप्रेषण की आवश्यकता होती है जो कि अनुसंधान का प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाने का सुलभ, सहस माध्यम एक भाषा से ही हो सकता है जो कि सार्थकता और विस्तार का माध्यम होती है। वह सर्वव्यापक भाषा हिन्दी ही है। कृषि अनुसंधान की हिन्दी प्रयोग की भाषा और प्रयोगशाला है। किसानों, खेतीहर मजदूरों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए समर्थ है। हिन्दी भाषा ही मजदूर किसान, मेहनतकश गरीबों से संबंधित अनुसंधान को संवेदनशील होकर सम्पूर्ण कृषक समाज में पहुंचाकर राष्ट्रीय एकात्मकता को हासिल करवा सकने में समर्थ है। हिन्दी के द्वारा ही अनुसंधान कार्यक्रमों को आम जनता के बीच स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए प्राथमिकताएं तय करने के लिए संकल्प लेना होगा कि कृषि अनुसंधान में फैले अंग्रेजीयत के बोलबाले को कम करना होगा क्योंकि प्रगतिमूलक मंत्र और असल कृषि क्रांति के बीज कृषक योजना में ही निहित है जो कि हिन्दी के प्रयोग के बिना असंभव है। हिन्दी ही कृषि अनुसंधान को पल्लवित और पुष्पित करने में समर्थ है।

हिन्दी ने आज के युग में कई प्रकार की तकनीकी ऊंचाईयां हासिल कर ली है और यह तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है। इन तकनीकियों को शासन–प्रशासन में प्रयुक्त करने की महती आवश्यकता है। कम्प्यूटर में हिन्दी उपयोगकर्ताओं के लिए कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, फाईल मैनेजमेंट के कई हिन्दी प्रकार आ गए हैं। लीला प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ डिक्टेशन साफ्टवेयर, नवीन अक्षर जैसी बहुत–सी प्रणालियां विकसित हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने बहुत लोकप्रिय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, फ्रंटपेज, पावर पाईन्ट और आउटलुक का हिन्दी वर्जन जारी किया है। ऑफिस हिन्दी इसके दो प्रोडक्ट ऑफिस हिन्दी प्रोफेशनल और ऑफिस हिन्दी स्टेन्डर्ड है। आज इंटरनेट पर देवनागरी में लाखों पृष्ठ उपलब्ध है अब हिन्दी गुगल भी है जो कि हिन्दी गूगल टूलबार है। इन्टरनेट एक्सप्लोरर के लिए हिन्दी पोडकास्ट सर्विसेज भी है। हिन्दी ने हाल ही में जो तकनीकी अग्रताएं हासिल की है उनको सावधानी से देखने एवं शासन–प्रशासन में प्रयुक्त करने की जरूरत है। भारत में भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर भाषा का विकास जरूरी है। कोटा के शिवा ने ''विभा'' नामक हिन्दी कम्प्यूटर भाषाा का आविष्कार किया है। अब तो हिन्दी भाषी कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए इंडलाइनक्स आर्क नामक फ्री सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है। इंडलाईनक्स मिलन 37 एक हिन्दी इंटरफेस है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए यह वेबसाईट पर फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसकी कोई लाइसेन्सिंग फीस भी नहीं है। मिलन सॉफ्टवेयर के जरिए आपके कम्प्यूटर को अपनी भाषा में उपयोग करने के काबिल दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम का न होना दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इनके स्थानीकरण का अभियान चलाना होगा। इन्हें डिजिटल मुख्य धारा में लाने के लिए रफ्तार के नाम से हिन्दी सर्च इंजन है। हिन्दी विकिपिडिया है। हिन्दी ब्लॉगजीन निरंतर आगे है– न्यूज ब्लॉग, मेल, सर्च इंजन, अनुवाद मैसेन्जर जैसी सेवाओं और सॉफ्टवेयर आदि को पेश करने के लिए देशी–विदेशी कंपनियों में घमासान मचा हुआ है। बॉलीवुड ने हिन्दी को राष्ट्रव्यापी लोकप्रिय हिन्दी थी तो इंटरनेट ने विश्वव्यापी दुनिया की ऑनलाईन आबादी 71 करोड 30 लाख है, भारत 1 करोड़ 82 लाख लोगों के बाद फिलहाल दुनिया में नौंवे स्थान पर है। दिग्गज साईबर कंपनियां यह जान चुकी है कि भारत के महज 2–3 फीसदी अंग्रेजी जानने वाले लोगों में सिमटे इंटरनेट बाजार में अगर बाकी करोड़ों की आबादी वाली हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को उतारा जाए तो आसमान ही सीमा हो सकती है। जक्स कंसल्ट इंडिया का एक सर्वे बताता है कि 44 प्रतिशत इंटरनेट उपभोक्ता अंग्रेजी की जगह हिन्दी का और 25 प्रतिशत शेष भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री को तरजीह देते है। जिन लोगों को अंग्रेजी का भूत है, वे देखें कि इंटरनेट बाजार में शीर्ष 4 स्थानों पर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, अमेरिका में साइबर की भाषा अंग्रेजी है तेा बाकी तीन देशों में प्रभुत्व उनकी अपनी भाषाओं का है। इस प्रकार हिन्दी में यूनिकोड सॉफ्टवेयर का भी प्रवेश हिन्दी के प्रगामी विकास में प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित साधन है। अतः हिन्दी को बादशाहत हिन्दी के प्रेमी नहीं बख्शेंगे बल्कि वे मल्टीनेशनल कंपनियां बख्शेंगी जिनको हिन्दी से नहीं अपने मुनाफे से मतलब है।

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सन, याहू, आईबीएम और ओरेकल जैसी इन ग्लोबल कंपनियों ने हमसे किसी मुनाफे की अपार संभावनाओं के चलते इस बाबत दूरगामी बाजार नीति बना ली है।

आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहलाने वाले सोस्यूर ने भाषा की उपमा शतरंज के खेल से दी है जिस तरह शतरंज के खेल में चौपड़ की स्थिति निरंतर बदलती रहती है उसी तरह से भाषा के प्रांतर में भी जड़ता नहीं है। हिन्दी के समकालीन परिदृश्य में भी नहीं है और हमारी आशा का आधार बिन्दु भी यही है।

## राजभाषा का संवैधानिक एवं वैधानिक परिवेश

हिन्दी, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा है। अुनच्छेद 343(2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से 15 वर्ष, यानि 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रख सकती है। तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 से संशोधित) की धारा 3(2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिन्दी के अलावा, अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कुछ विशेष कार्यो, जैसे– संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रशासकीय और अन्य रिपोर्टे, लाइसेंस, परमिट, ठेकों आदि में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग अनिवार्य होगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(4) के अंतर्गत सन 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इनकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है– (1) ये नियम केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू है, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या ट्रिब्यूनल एवं इसके नियंत्रण वाले निगम या कंपनियां भी शामिल है। (2) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र 'क' के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली) के बीच पत्र–व्यवहार की भाषा हिन्दी होगी। (3) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र 'ख' (पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़) को पत्र आदि हिन्दी में भेजे जायेंगे, किन्तु क्षेत्र 'ख' में किसी व्यक्ति के पास भेजे गए पत्र आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजे जायेंगे। (4) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भेजे जाने वाले पत्र 'ग' क्षेत्र के लिए (जिसमें क्षेत्र 'क', 'ख' के अन्य राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश शामिल नहीं है) अंग्रेजी में भेजे जायेंगे। (5) केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच, केन्द्र सरकार के कार्यालयों से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के सरकारी कार्यालयों तथा व्यक्तियों आदि के बीच पत्र–व्यवहार उस अनुपात में हिन्दी में होगा, जो समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा। (6) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावलियां, संहिताएं तथा प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार कराये जायेंगे। सभी फार्म, रजिस्टरों के प्रमुख पृष्ठ, नाम पट्टिकाएं, सूचना पट्ट तथा स्टेशनरी की वस्तुएं हिन्दी और अंग्रेजी में होगी। (7) अधिनियम के धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले का यह दायित्व होगा कि वह देखें कि ये दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी हों। (8) केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि उपनियम (2) के तहत जारी नियमों और निर्देशों तथा धारा की व्यवस्थाओं का पूरा पालन हो रहा है तथा इस पर नजर रखने के लिए समुचित एवं कारगर चेक पाईन्ट बनाए जाएं।

## राजभाषा नीति

राजभाषा के संकल्प, 1968 का पालन करते हुए राजभाषा विभाग हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, जिसमें केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिन्दी में पत्र–व्यवहार, हिन्दी जानने वाले

कर्मचारियों की भर्ती, हिन्दी पुस्तकों की खरीद, निरीक्षण बैठकों और दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद कार्य आदि का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में केन्द्र सरकार के कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मांगी जाती है। इस तिमाही रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। यह वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है और इसकी प्रतियां राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में भेजी जाती है।

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंगलोर, कोचिन, मुम्बई, कोलकत्ता, गुवाहाटी, भोपाल, दिल्ली और गाजियाबाद, आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किए गए है।

## राजभाषा समिति

राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 4 के निहित राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया। इसका गठन सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के लिए किया गया था। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य है। समिति ने यह रिपोर्ट हिस्सों में देने का फैसला लिया है। समिति ने अब तक आठ खण्डों में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की है। राष्ट्रपति ने सात खण्डों पर आदेश जारी कर दिए है आठवें खण्ड पर अभी काम चल रहा है।

केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन सन 1967 में किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते है। यह नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, जो राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बारे में दिशा–निर्देश तय करती है।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्देश पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। ये अपने–अपने मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों, प्रति ठानों में हिन्दी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव देती है।

इसके अलावा केन्द्रीय राजभाषा क्रियान्वयन समिति (जिसके अध्यक्ष राजभाषा विभाग के सचिव होते है, सभी मंत्रालयों के संयुक्त सचिव (राजभाषा इंचार्ज) समिति के पदेन सदस्य होते है) सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग की समीक्षा करती है, कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने, राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करवाने तथा इन निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों/कठिनाईयों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देती है।

ऐसे शहर जहां पर 10 या इससे अधिक केन्द्र सरकार के कार्यालय है, उनमें हिन्दी के उपयोग की समीक्षा करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई है। पूरे देश में अभी तक 257 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है।

## पुरस्कार योजनाएं

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना 1986–87 से शुरू की गई हैं इस योजना के अंतर्गत हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले मंत्रालयों/विभागों, बैंको, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों को प्रत्येक वर्ष शील्ड प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्र सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार दिए जाते है।

आधुनिक विज्ञान/प्रौद्योगिकी और समकालीन विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार योजना थी, उसका नाम पहले 'ज्ञान–विज्ञान' के लिए मौलिक

पुस्तक लेखन था, इसे अब हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार योजना कर दिया गया है। यह योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए है।

हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते है।

## प्रशिक्षण

राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए 119 पूर्णकालिक और 49 अंशकालिक केन्द्र है। इसी प्रकार 23 पूर्णकालिक और 38 अंशकालिक केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए 229 केन्द्र बनाए गए है। हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत पूर्व, पश्चिम, उत्तर–मध्य, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सहायता के लिए कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिन्दी प्रशिक्षण की भारी मांग को देखते हुए गुवाहाटी में एक नया क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया है तथा इम्फाल, आइजोल और अगरतला में नए हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए है।

हिन्दी भाषा और हिन्दी टंकण में पूर्णकालिक के साथ–साथ पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए 31 अगस्त, 1985 को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। 1988 में मुम्बई, कोलकाता और बैंगलोर में तथा 1990 में हैदराबाद में इसके उप–कार्यालय खोले गए। देश के लगभग सभी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी केन्द्रों में हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको आदि के अनुवाद कार्यो के लिए मार्च 1971 में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। जैसे गैर–वैधानिक साहित्य, मैन्युअल/कोड्स, फार्म आदि का अनुवाद करने का कार्य। ब्यूरो को अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद कार्य से संबंधित प्रशिक्षण देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रारंभिक तौर पर दिल्ली में 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुम्बई, बाद में बैंगलौर, कोलकाता में ऐसे अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लघु–अवधि के प्रशिक्षण कोर्स भी आयोजित करता है।

## तकनीकी

मैकेनिकल और इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर, विशेषकर कम्प्यूटर पर राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अक्टूबर, 1983 में राजभाषा विभाग में एक तकनीकी कक्ष की स्थापना की थी। इस कक्ष की प्रमुख गतिविधियाँ निम्न प्रकार से है – (1) भाषा विकास के आवश्यक उपकरण जुटाना, इस कार्यक्रम, "लीला राजभाषा" के अंतर्गत बांग्ला, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलगू माध्यम से स्वंय हिन्दी सीखने का एक पैकेज विकसित किया गया है। अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद के लिए एक सहायक उपकरण भी विकसित किया गया है। (2) हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, कम्प्यूटर पर हिन्दी के इस्तेमाल के लिए हर साल करीब 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। (3) हिन्दी साफ्टवेयर के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उपभोक्ताओं और निर्माताओं को आमने–सामने लाया जाता है तथा इसके लिए द्विभाषी कम्प्यूटर प्रणाली के बारे में प्रदर्शनियों और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in स्थापित की है।

## प्रकाशन

राजभाषा विभाग ने "राजभाषा भारती" त्रैमासिक पत्रिका निकाली है जिसका उद्देश्य साहित्य, तकनीकी सूचना–प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में हिन्दी में लेखन को बढ़ावा देना और सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रचार–प्रसार करना है। इस पत्रिका के अभी तक 112 अंक प्रकाशित किए जा चुके है। राजभाषा नीति से संबंधित वार्षिक क्रियान्वयन कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के कामकाज की समीक्षा संबंधी वार्षिक आकलन रिपोर्ट जारी की जाती है और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। राजभाषा हिन्दी के कामकाज को बढ़ावा देने से संबंधित हुए कामकाज की जानकारी देने के लिए राजभाषा मैन्युअल, कैलेण्डर, फिल्में, पोस्टर आदि जारी किए जाते है।

## निष्कर्ष

हिन्दी साहित्य का इतिहास समय–समय पर हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं दार्शनिक प्रभावों और परिस्थितियों का मिलाजुला परिणाम है। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परम्परा के प्रवर्तक एक फ्रेंच विद्वान गार्सादतासी थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण कड़ी में ठाकुर शिवसिंह सरोज, डॉ. ग्रियर्सन, मिश्र बन्धुओं का इतिहास प्रमुख रूप से मील का पत्थर माना जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का इतिहास प्रमाणिकता एवं वैज्ञानिकता में अकेला है जो कि उनके मौलिक चिंतन का परिणाम है। उनकी मौलिकता यह थी कि उन्होंने किसी दुराग्रह और पूर्वागृह से काम नहीं लिया। भारतेन्दु युग हिन्दी साहित्य का पुनर्जागरण काल माना जाता है। हिन्दी पत्रकारिता का प्रथम साप्ताहिक समाचार–पत्र उदन्त मार्तण्ड था यह हिन्दी समाचार–पत्र का प्रथम प्रयास था। उसके बाद बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। राजा शिवप्रसाद सिंह सितारेहिन्द ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। कलकत्ता से इण्डियन सन समाचार का प्रकाशन किया गया। इन्दौर से मालवा अखबार का प्रकाशन किया गया यह मध्य भारत का प्रथम समाचार–पत्र था। हिन्दी एवं बंगाली द्विभाषी समाचार पत्र सुधाकर का प्रकाशन हुआ जो कि साप्ताहिक था। द्विभाषी समाचार पत्र मजहरूल सरूर उर्दू एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में था जिसकी लिपि देवनागरी थी।

उदन्त मार्तण्ड हिन्दी का पहला साप्ताहिक पत्र था इसके विपरीत समाचार पत्र सुधावर्णन हिन्दी का प्रथम दैनिक पत्र था कलकत्ता से प्रकाशित होता था। दिल्ली से समाचार पत्र पयामें आजादी राष्ट्रीय समाचार पत्र निकाला गया जो कि जनता में स्वतंत्रता का प्रदीप्त स्वर फूंककर नया जोश पैदा करता था। अतः हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से बंगाल में हिन्दी प्रेम और हिन्दी के प्रति राष्ट्र प्रेम भाषा प्रेम की स्थली रही है। हिन्दी के प्रति पूरे देश में कोई भेदभाव नहीं देखा जाता था जो कि स्वतंत्र भारत में हिन्दी का विरोध और राजनैतिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और भाषाई वैमनस्यता जोर पकड़ती रहती है। भारतेन्दु हरीशचन्द्र ने हिन्दी को साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाया उन्होंने नारी जागरण की शुरूआत की और बालबोधिनी पत्रिका निकाली। यह पत्रिका महिलाओं की पहली मासिक पत्रिका थी। इसके बाद कई मिश्रित भाषी तथा द्विभाषी पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा देशी राज्यें से भी समाचार पत्र निकाले जाने लगे तथा आलोचनात्मक लेखों का भी प्रकाशन शुरू होता गया। यह हिन्दी के प्रति राष्ट्र प्रेम के रूप में अगाध प्रेम की भावना ही थी। तत्पश्चात् हिन्दी–अंग्रेजी संस्करण का भी प्रकाशन शुरू होने लगा और लिपि देवनागरी भाषा में लेखन का कार्य शुरू हो गया। अंग्रेजों ने भी हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रेडरिक पिस्टले ने तो हिन्दी को भारतवर्ष की राजभाषा बनाने के लिए जोरदार अभियान भी चलाया था। अंग्रेजी सरकार की मुद्रा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था अंग्रेज विद्वान एडम गिलक्रास्ट ने प्रथम बार हिन्दी–अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार किया। अंग्रेज सरकार द्वारा सिविल सेवा में अंग्रेजी को अनिवार्य

कर दिया था और इसी के मद्देनजर कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अंग्रेजों की यह पीढ़ी हिन्दी के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त थी। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक पुरातन देश है लेकिन राजनैतिक दृष्टि से एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास एक नए सिरे से ब्रिटेन के शासनकाल में स्वतंत्रता संग्राम के सहचर्य में और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नवोन्मेष के सोपान में हुआ। हिन्दी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता–संग्राम के चैतन्य का शंखनाद घर–घर तक पहुंचाया। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दिया। नवयुग के नवजागरण में राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिंल रूप से जोड़ दिया। आज हमें हिन्दी के अतीत बोध से चलकर यथार्थ बोध के अप्रिय सत्य को समझना होगा, हमारे राष्ट्रीय अपराध बोध को स्वीकारना होगा और एक नए कर्तव्य बोध की अलख जगाने का अभियान संयोजित करना होगा। हिन्दी का प्रश्न सभी भारतीय भाषाओं के एवं राष्ट्र के अस्तित्व बोध का प्रश्न भी है। भारतीय भाषाओं में साइबर स्पेस की प्रौद्योगिकी को समाहित करने का प्रश्न भी है लेकिन अब हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रश्न संविधान और राजनीतिक तक ही सीमित रह गया है। भाषा का प्रश्न संस्कृति, अस्थिरता और विकास का प्रश्न भी है, समग्र भारतीय जनगण की सार्थक चेतना का प्रश्न भी है और हमारे भविष्य का एक ज्वलंत प्रश्न भी है। यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय दिशा बोध का प्रश्न भी है। हिन्दी मात्र एक भाषा नहीं, भारतीय संस्कृति की सबल सार्थक संवाहिका भी है। भाषाई दृष्टि से देख जाए तो विश्व में हिन्दी जानने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर है। आज विश्व के 135 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन–अध्यापन ही नहीं शोध ा कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है और विश्व के मानचित्र पर हिन्दी का उदय एक विश्व भाषा के रूप में हो रहा है। प्रत्येक भाषा के अपने शब्द होते है। शब्द शरीर होते है और अर्थ उनकी पहचान इसमें हिन्दी सहज, सरल और स्पष्ट भाषा है।

कृषि विकास, प्रसार एवं अनुसंधान की प्राणशक्ति और संप्रेषण की भाषा हिन्दी ही है। हिन्दी ही कृषि अनुसंधान को पल्लवित और पुष्पित करने में समर्थ है। हिन्दी ने आज के युग में कई प्रकार की तकनीकी ऊँचाईयाँ हासिल कर ली है औ यह तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है। हिन्दी आज भारत में ही नहीं वरन विश्व के विराट फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है। वह आज विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो शेष है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को एक अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाना। इसके लिए हमें गंभीरता से प्रयत्न करने होंगे।

## संदर्भ


1. विश्व में हिन्दी की स्थिति, डॉ परमानंद पांचाल, राजतरंगिणी अंक 24 पृष्ठ 19।
2. कृषि अनुसंधान में हिन्दी का प्रयोग, श्यामकिशोर वर्मा, लोकप्रिय लेख।
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, सूर्या प्रकाशन, इन्दौर।
4. हिन्दी भाषा की शतरंज पर, श्री मनोज श्रीवास्तव, इंदूर संचार वर्ष 29 अंक 1/2008 पेज 4–5
5. संविधान में हिन्दी भाषा और भाषा की राजनीति, संकलित इंदूर संचार पेज 13 अंक 1/2008.
6. राजभाषा हिन्दी का अतीत बोध और यथार्थ बोध, राष्ट्रीय दिशा बोध का प्रश्न, श्यामकिशोर वर्मा लोकप्रिय आलेख।
7. दैनिक भास्कर, दैनिक समाचार पत्र, अंक दिनांक 29 अक्टूबर 2012।
8. विश्व मंच पर हिन्दी के बढ़ते चरण, डॉ मधु धवन, संचार समन्वय अंक 24/2007 पेज 6–7।
9. भारत 2008, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन।
10. पत्रकारिता प्रशिक्षण, सूर्या प्रकाशन, इन्दौर।

# रक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में राजभाषा हिंदी: स्थिति और सम्भावनाएँ

राज बहादुर

*उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे, महाराष्ट्र*

## प्रस्तावना

किसी भाषा का सक्षम होना उसके प्रयोग से सम्बंध रखता है। भाषा के निर्माण की यदि कोई प्रयोगशाला है तो केवल वास्तविक जीवन जिसमें भाषा–भाषी उसका प्रयोग करते हैं। भाषा के क्षेत्र में तो समस्या और समाधान समवर्ती होते हैं, जैसे–जैसे नए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, शैक्षणिक या अनुसंधानपरक अवसर अस्तित्व में आते हैं उनकी परिभाषा साथ–साथ करनी पड़ती है। कोई भी भाषा पूर्णतया सक्षम नहीं हो सकती है क्योंकि भाषा संदर्भ और जीवन की समस्याओं का अंत संभव नहीं हैं। भाषा की सक्षमता और सफलता का एकमात्र उपाय उसका प्रयोग है। भाषा का निर्माता केवल प्रयोगकर्ता है – चाहे वह संसद भवन में हो अथवा विश्वविद्यायालय में। प्रस्तुत लेख में रक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति तथा उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने में क्या कठिनाईयाँ हैं, इसके बारे में विवरण दिया गया है।

## वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में हिंदी

रक्षा तथा वैज्ञानिक संस्थानों में हिंदी के प्रयोग की शुरूआत काफी पहले से हो चुकी है किंतु विभिन्न विषयों से संबंधित हिंदी संदर्भ ग्रंथों के अभाव और शोध प्रकल्पों के लिए विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग की स्थिति के कारण हिंदी के पक्ष में अपेक्षित वातावरण तैयार नहीं हो सका है। लोगों में यह भ्रम की स्थिति बन गई है कि हिंदी इतनी सशक्त नहीं है कि हम विज्ञान और तकनीकी में इसका प्रयोग कर सकें। विज्ञान में सबसे ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग होता है और कई देश अंग्रेजी को ही विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को माध्यम बना रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अंग्रेजी के कपार बिल्कुल बंद कर दें लेकिन यह कहना कि हिंदी में विज्ञान और टेक्नॉलाजी को व्यक्त करना संभव नहीं है, बहुत गलत और भ्रामक है। वैज्ञानिकों और साधारण जनता के लिए विज्ञान और तकनीकी, जीवन का एक अंग बन गया है तथा हर क्षण विज्ञान से किसी न किसी तरह प्रभावित है और भविष्य में यह प्रभाव बढ़ेगा।

आज आम आदमी भी ट्रैक्टर, मोटर, पम्प, डीजल, आपरेटर, कल्टीवेटर, राकेट, मिसाइल जैसे तकनीकी शब्दों का अर्थ सहित प्रयोग कर रहा है और उसे हिंदी माध्यम से ही जानता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ती हुई टेक्नॉलाजी के ज्ञान को आम जनता तक पहुँचाने के लिए हिंदी माध्यम का होना अति आवश्यक है। आज रक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, वही तकनीकी हिंदी है। यह मुख्यतया अंग्रेजर के तकनीकी शब्दों का हिंदी रुपांतरण है जिनमें बहुत से शब्दों को हमने अपनी परम्परा के अनुसार निर्माण कर लिया है और शेष शब्दों को अंग्रेजी उच्चारण के अनुरूप ज्यों का त्यों हिंदी में अपना लिया है। अनेक विद्वानों द्वारा पिछले कई दशकों के कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप तकनीकी हिंदी पर मौलिक तथा अनुदित पुस्तकें उपलब्ध
ा हुई हैं जिनमें तकनीकी हिंदी के साहित्य–भण्डार को बढ़ाने के लिए सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठियों में इस विषय पर लेख और शोध

ापत्र प्रस्तुत किए गए हैं और विभागीय स्तर पर तकनीकी हिंदी सरकारी कार्यालयों में अपना स्थान बना रही है। बहुत से संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक विषयों पर पत्रिकाएँ निकाली जा रही हैं जिनमें 'बाल विज्ञान' विज्ञान पत्रिका, आविष्कार, पर्यावरण आदि प्रमुख हैं।

जिस गति से आज विज्ञान और टेक्नॉलाजी का विकास हो रहा है उस अनुपात में राजभाषा के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों का हिंदीकरण एक कठिन कार्य है। हिंदी प्रचार–प्रसार की दिशा में प्रयास तो बहुत हुए है। वैज्ञानिक प्रगति के दौर में हिंदी का प्रयोग कम्प्यूअर पर करने में सफलता मिली है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा हैं इंदौर का प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र ऐसा ही एक संस्थान है जहाँ हिन्दी का प्रयोग प्रचुरता से हो रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने भाभा अनुसंधान केंद्र मुम्बई में विज्ञान प्रौद्योगिकी के दो अत्यंत उच्च क्षेत्रों, त्वरक व लेसर के क्षेत्र में की जा रही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को विस्तृत रूप देने के उद्देश्य से इंदौर में नए अनुसंधान केन्द्र प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की है। आज विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित काफी सामग्री यहाँ हिंदी में भी उपलब्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) द्वारा वर्ष 2007 में बंगलोर में तकनीकी हिंदी पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न संस्थानों से आए वैज्ञानिकों ने हिंदी में अपना आलेख प्रस्तुत किया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, परियोजनाएँ, उपलब्धियाँ इत्यादि से संबंधित जानकारी इसके द्वारा द्विभाषी रूप में भी तैयार की जाती हैं। तकनीकी संगोष्ठियों में हिंदी में आलेख प्रस्तुत करने तथा विभागीय पत्रिका 'अंतरिक्ष भारत' में हिंदी में लेख लिखने पर संस्था द्वारा विशेष प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। इन सबके बावजूद रक्षा तथा वैज्ञानिक संस्थानों में हिन्दी में काम करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाईयाँ भी हैं।

## व्यावहारिक कठिनाईयाँ

भाषा के प्रति लोगों में यह भ्रम है कि हिंदी अभी सक्षम नहीं है। शब्दावली का अभाव है क्योंकि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शोध कार्यों की भाषा अंग्रेजी है। अधिकतर अनुसंधान विदेशों में हुए हैं और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही उसकी जानकारी मिल पाती है। विभिन्न संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि एक समान नहीं है। हिन्दी क्षेत्र के वैज्ञानिक हिंदी में बेझिझक काम कर सकते हैं किंतु उन्हें ऐसा वातावरण मिलता है कि अंग्रेजी में काम करना शुरू कर देते हैं और बाढ़ में उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो कठिनाई होना स्वाभाविक है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित हिंदी शब्दावली का अभाव नहीं है। हिंदी के साथ विडम्बना यह है कि नए मानक शब्दों, पदबन्धों और पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने के बावजूद भी उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वे शब्द सिर्फ शब्दकोशों में सिमट कर रह गये हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कार्यालयों मं हिंदी में काम करने वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है जबकि अंग्रेजी में काम करने वाले फाइलों में पहले किए हुए नोटिंग व पत्राचार को आधार बनाकर नकल द्वारा अंग्रेजी में कार्य करने के अभ्यस्त हैं। हिंदी भाषा पूर्णतया सक्षम है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी में काम सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। इस संबंध में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की लगभग सभी प्रयोगशालाओं में हिंदी के प्रचार–प्रसार का कार्य तकनीकी तथा वैज्ञानिक अधि ाकारियों को सौंपा गया है। वे अधिकारी इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि विभाग में उन्हें कम महत्व का व्यक्ति समझा जाता है। विभागीय पदोन्नति में उनके हिंदी के कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है जबकि हिंदी का प्रचार–प्रसार करना गौरव की बात है तथा एक संवैधानिक दायित्व भी है। हिंदी में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को मान्यता मिलनी चाहिए और अनेक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में हिन्दी के कार्य की प्रविष्टि भी की जानी चाहिए जिससे उनका मनोबल बना रहे।

रक्षा तथा वैज्ञानिक संस्थानों में हिंदी का प्रयोग अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। आई आई टी कानपुर के वैज्ञानिकों न 1983 में भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी टर्मिनल बनाया था और दिल्ली में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में उसका प्रदर्शन किया था। इस जिस्ट कार्ड के प्रयोग द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिप्यांतरण एवं भारतीय भाषाओं से रोमन लिपि में लिप्यांतरण सम्भव हो सका है। इस तकनीक के द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक सराहनीय प्रयास था। इसके बाद इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान हुए और लगातार नई–नई खोज सामने आ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढावा देने में इन खोजों का विशेष योगदान है क्योंकि कम्प्यूटर का प्रयोग बढने से प्रारंभ में हिंदी के प्रयोग में कमी आई थी किंतु इन नई खोजों एवं सॉफ्टवेयर के कारण हिंदी का प्रयोग अधिक गति से बढने लगा है। इस प्रकार विभिन्न अन्य गतिविधियों के माध्यम से रक्षा तथा वैज्ञानिक संस्थानों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति बदल रही है।

## शोध–पत्र लेखन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव जगत के विकास एवं समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस शताब्दी के प्रमुख एवं प्रखर स्वर हैं। आज के युग को विज्ञान का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, परंतु इसके साथ–साथ आज का युग जनसाधारण का भी युग है। इस युग को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान का लाभ जन–जन तक पहुंचाने के लिए हमें अधिक से अधिक विज्ञान लेखन हिंदी में करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुसंधान संगठनों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करने एवं वैज्ञानिक जागरूकता लाने की विशेष आवश्यकता है। हिंदी में शोध–पत्र लेखन से भाषा की महत्ता बढ जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक लेखन में हिंदी का उपयोग बढाने के लिए जरूरी है कि हिंदी में लिखने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाय, उनके मौलिक लेखन और शोध को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी सरकार उठाए तथा पदोन्नति के समय उनके काम को दूसरे दर्जे का समझने के बजाय विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

आज का युग वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति का युग है। सूचना क्रांति ने पूरे भूमंडल को समेट कर छोटा कर दिया है। राष्ट्रभाषा की जगह विश्वभाषा की बात चल रही है। राष्ट्रीय स्तर से आगे बढकर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ विविध मामलों में संपर्क करता है। कोई भी राष्ट्र चाहे कितना की विकसित क्यों न हो लेकिन वह अकेला नहीं रह सकता है। उसे सांस्कृतिक, वाणिज्यपरक तथा शैक्षणिक आदान–प्रदान करना ही पडता है। राजभाषा हिंदी का भविष्य बहुत कुछ देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बावजूद आज संसद से लेकर जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हिंदी व्यवहार की भाषा बन चुकी है और सभी के व्यावहारिक और आर्थिक हित इसके साथ जुड़ चुके हैं। हिंदी की उपयोगिता ही इसके प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूरे देश के जनमानस पर अपना प्रभाव डाल रहा है।

## निष्कर्ष

रक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक है कि भाषा का मानकीकारण तथा सरलीकरण किया जाना चाहिए। अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अद्यतन हिंदी साफटवेयर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे अपना काम हिंदी में बेझिझक संपन्न कर सकें। हिंदी में प्रकाशित शोध–पत्रों को अंग्रेजी के समकक्ष ही महत्व दिया जाना चाहिए जिससे वैज्ञानिकों का हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भारतीय भाषाओं से भी शब्द ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी भी भाषा का विकास उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। जब तक तकनीकी हिंदी को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक इसके विकास की संभावना नहीं है। इसको अधिकाधिक व्यावहारिक बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसे अधिक सरल और स्पष्ट बनाया जाय। प्रोत्साहन के बारे में सुझाव है कि हिंदी

में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को 05 वेतनवृद्धि (Variable increment) प्रदान किया जाय। हमारी सारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ जनकल्याण के साथ जुड़ी हैं। इन उपलब्धियों की सही जानकारी और प्रयोग जनता अपनी भाषा में ही समझ सकती है और देश की अधिसंख्यक जनता हिंदी भाषी है या हिंदी समझती है। अतः सभी शोधकार्य राजभाषा हिंदी के माध्यम से ही अधिक लाभप्रद हो सकते है। यह विचारणीय है कि जो दक्षता, मौलिकता हम हिंदी माध्यम से अपनी तकनीकी या अपने शोधकार्यों को दे सकते है वह अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा में नहीं।

समय की माँग है कि आज साहित्यकार और वैज्ञानिक एक साथ बैठें तथा एक दूसरे के सहयोग से ऐसे साहित्य का निर्माण करें जिसे आम आदमी आसानी से अपने व्यवहार में उतार सके, तभी हमारा विज्ञान उपयोगी माना जाएगा। हिंदी को राजभाषा के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित करने और उसके विकास के लिए समस्त भारतीयों में राष्ट्रीयता जागृत करनी होगी। उन्हें यह हृदयंगम कराना होगा की विदेशी भाषा अंग्रेजो को अनिश्चित काल तक के लिए सह–राजभाषा बनाए रखना राष्ट्रीय आत्म सम्मान के विरूद्ध है, और भारतीय भाषाओं के विकास में बाधक भी है। हिंदी भाषा का स्वरूप केवल अखिल भारतीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित करने की आवश्यकता है।

# सूचना प्रौद्योगिकी और देवनागरी लिपि

अंतरिक्ष

*एमेटी इंस्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज एंड रिसर्च, एमेटी विश्वविद्यालय, नोएडा*

विश्व इतिहास में औद्योगिक क्रान्ति के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एक सबसे बड़ी क्रान्ति के रूप में सामने आई है, जिसने देखते ही देखते हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तेज़ी से अपनी पैठ बना ली है। कल का 'औद्योगिकी समाज' आज 'सूचना समाज' में परिवर्तित हो गया है। यह कहना व्यर्थ नहीं होगा कि कम्प्यूटर के आने से इसकी गति में चार चाँद लग गए है, फिर इन्टरनेट ने तो वह चमत्कार कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सूचना के एकत्रीकरण, संग्रहण और संप्रेक्षण की प्रविधि एक नयी प्रौद्योगिकी के रूप में विश्व के सामने आई जो सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित हुई।

इस प्रौद्योगिकी से संचार, व्यापार, उत्पादन, सेवाएं, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, मनोरंजन, अनुसंधान, राष्ट्रीय रक्षा ही क्या, मानव के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आया है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पहले सैन्य क्षेत्र में हुआ, कालांतर में सिविल, व्यापारिक, वाणिज्य और शैक्षिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होने लगा।

सूचना प्रौद्योगिकी भाषा आधारित प्रतीत होती है, क्योंकि भाषा के बिना यह आगे नहीं बढ़ सकती। विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान अथवा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसे पहुंचाने में भाषा की भूमिका अत्यंत बढ़ जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू के अनुसार ´In science, a written language is absolutely essential in which scientific ideas can be expressed with great precision and logic´´(2009); अर्थात विज्ञान में लिखित भाषा नितांत अवश्यक है जिसके द्वारा वैज्ञानिक विचारों को अत्यन्त सूक्षम और तर्क सांगत रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

प्रो मोनियर विलियम्स के अनुसार ''संसार में यदि कोई पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं तथा देवनागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरे नहीं हैं''। जॉन स्कॉट तो यहाँ तक कहते हैं की मानव मस्तिक्ष से निकली हुई वर्णमाला 'नागरी' सबसे पूर्ण वर्णमाला है। सर विलियम जॉन्स,जो रोमन लिपि के पक्षधर थे, नागरी को रोमन की जगह श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं, ''हमारी भाषा अंग्रेजी की वर्णमाला तथा वर्तनी अवैज्ञानिक तथा किसी रूप से हास्यापद भी है''।

डा आर्थेरमक्दोनाल्ड ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखा है कि 400 ई पूर्व में पाणनी के समय भारत ने लिपि को वैज्ञानिकता से सम्रद्ध कर विकास के उच्चतम सोपान पर प्रतिष्ठित किया , जबकि हम यूरोपियन लोग इस वैज्ञानिक युग में 2500 वर्ष बाद भी उस वर्णमाला को गले लगाये हुए हैं, जिसे ग्रीको ने पुराने सेमेटिक लोगों से अपनाया था, जो हमारी भाषाओं के समस्त ध्वनि–समुचच्य का प्रकाशन करने में असमर्थ है तथा 3000 साल पुराने अवैज्ञानिक स्वर मिश्रण का बोझ अब भी हम पीठ पर लादे हुए हैं।

यहाँ हम इसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसते हुए इसके विशेष गुणों पर विचार करेंगे। सामान्यतः वैज्ञानिक लिपि में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :–

### एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न हो

नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न है। यह विशेषता विश्व की अन्य लिपियों, जैसे रोमन तथा फ़ारसी आदि में नहीं है। रोमन में ''क'' ध्वनि के लिए कई वर्ण प्रयुक्त होते हैं, जैसे: cat में c, kite में k, queen में q, Christ में ch, black में ck और x *भी* ''क'' की ध्वनि देता है, जैसे ox है।

उर्दू की लिपि फ़ारसी पर आधारित है , जहाँ ''ज'' ध्वनि के लिए पांच वर्ण हैं : ज़े, जुवाद, जोए, और जाल, किस शब्द में ''ज'' ध्वनि के लिए इन पांचों में से कौन सा वर्ण प्रयुक्त होगा, यह तय कर पाना तब तक संभव नहीं होगा, जब तक कि प्रयोक्ता उस शब्द के परम्परागत रूप से परिचित न हो। एक और उदहारण है ''अ'' ध्वनि के लिए अलिफ़ और ऐन। अलिफ़ से 'आदमी' लिखा जाता है जबकि ऐन से 'औरत'।

### एक लिपि चिह्न एक ही ध्वनि को व्यक्त करे

नागरी कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक लिपि चिह्न एक ही ध्वनि को व्यक्त करता है। रोमन में ''D'' वर्ण, ''ड'' की ध्वनि को भी व्यक्त करता है और ''द'' की ध्वनि को भी।

फ्रेंच में भी लेखन और उच्चारण में भिन्नता है–पेरिस को लिखा ''Paris'' जाता है और पढ़ा ''पारी'' जाता है। इटालियन में ''via'' को ''विया'' पढ़ा जाता लेकिन अंग्रेजी में ''वाया''। ध्वनि एवं लिपि में सामजस्य किसी भी भाषा एवं लिपि के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है।

### लिपि चिह्न के नाम उनकी ध्वनि के अनुरूप हों

नागरी की एक बड़ी विशेषता यह है कि जो लिखित चिह्न की पहचान है, वही उच्चारण है। ''क'' को उसी रूप में पहचाना जाता है वही उसका उच्चारण है। पतंग में ''प'' और कलम में ''क'' की ध्वनि मूल रूप में वही रहती है। रोमन लिपि में यह वैज्ञानिकता नहीं के बराबर है। उदहारण के लिए ''H'' की मूल ध्वनि में ''ए+च'' की ध्वनि हैं, किन्तु शब्द में प्रयुक्त होने पर यह ''ह'' या ''अ'' की ध्वनि देता है, जैसे Horse होर्स में ''ह'' तथा Hours अवर्स में ''अ'' शब्द का उच्चारण होता है। कुछ स्थतियों में तो रोमन वर्ण की द्वितीय ध्वनि का उच्चारण होता है, प्रथम का नहीं जैसे Lamp में L (एल) का प्रयोग ''ल'' ध्वनि के रूप में होता है। लेकिन Ball में B (बी) की ध्वनि ''ब'' ही रहती है। कुछ वर्ण आपस में मिलकर एक अलग ही ध्वनि के रूप में उच्चारित होते हैं जैसे : Nation में tio 'k, Character में ch 'क' और Champagne में ch ''श'' का बोध कराते हैं, यद्यपि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

### वैज्ञानिक लिपि में प्रयाप्त चिह्न होने चाहिए

नागरी लिपि में चिह्नों की आवश्यक संख्या मौजूद है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरूप नए चिह्न भी शामिल किये जाते रहे हैं, जो इनाग्री की विकासशील प्रकृति का गुण है। रोमन में आज तक वही 26 वर्ण हैं, जबकि ध्वनियाँ 42 से अधिक हैं। चीनी जैसी चित्रात्मक लिपि के लिए 50,000 से भी अधिक चित्रों का ध्यान रखना पड़ता है। रोमन और उर्दू में महाप्राण की ध्वनि के लिए अलग लिपि चिह्न नहीं है। उर्दू में ''हे'' वर्ण के चिह्न को तथा रोमन में H वर्ण को जोड़कर महाप्राण बनाया जाता है, जैसे G+H मिलकर ''घ'' और Chh ''छ'' की ध्वनि के लिए लिखना पड़ता है। इसके विपरीत हिंदी में प्रथक महाप्राण वर्ण हैं, जैसे–ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ।

### प्रत्येक लिपि चिह्न का प्रयोग उच्चारण में भी हो

नागरी लिपि की विशेषता यह है की इसके प्रत्येक लिपि चिह्न का प्रयोग होता है। समय के अनुरूप हिंदी में अब अनावश्यक स्वर चिह्न हटा दिए गए हैं, जैसे ऋ। अंग्रेजी में Colonel (कर्नल), Lieutenant (लेफ्टिनेंट), Psychology (सेकोलोजी) तथा Budget (बजट) में अक्षर कुछ हैं और उच्चारण कुछ है। क्या यह लिपि का दोष नही ?

### मात्रा एवं वर्ण चिह्नों में भिन्नता हो

नागरी लिपि एक ध्वनियात्मक लिपि है। इसकी वर्णमाला बड़ी वैज्ञानिक है। इसमें स्वर की मात्राएँ अलग हैं तथा ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का भेद सुस्पष्ट है। यदि किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलकर लिखना है तो उसकी मात्रा लगा दी जाती है, पूरा स्वर नही लिखा जाता। प्रत्येक व्यंजन के साथ ''अ'' स्वर मिला होता है, जैसे ज=ज+अ द्य रोमन लिपि में लिखे शब्द Kamal को कमल, कमाल, कामल भी पढ़ा जा सकता है जो कि नागरी में असंभव है।

### वर्णमाला व्यवस्थित हो

नागरी वर्णमाला में ध्वनियों का मुख के उच्चारण के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। पहले स्वरों के लिपि चिह्न हैं बाद में व्यंजनों के लिए, जबकि रोमन, अरबी या फ़ारसी लिपि में ऐसा नही है। वहाँ स्वर और व्यंजन प्रथक प्रथक नहीं, बल्कि मिले हुए हैं। नागरी लिपि का प्रत्येक वर्ण चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, उसका निर्माण एक विशिष्ट स्थान तथा स्थिति में होता है। वर्णों को कंठ, तालु, मूर्धा, दन्त, एवं ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर वर्गीकृत कर इसे पूर्ण वैज्ञानिकता प्रदान की गई है।

### लिपि सरल और स्पष्ट होनी चाहिए

एक वर्ण एक ही प्रकार से लिखा जाए। रोमन लिपि में लिखे जाने वाले और पुस्तकों में छपने वाले रूपों में भिन्नता है।

## लिप्यान्तरण और प्रतिलेखन

इस दृष्टि से यह लिपि सबसे उपयुक्त है। इसमें निहित अपार संभावनाओं का उपयोग कर हम भूमंडलीकृत होते विश्व कि सेंकडों भाषाओं के साथ न्याय कर सकेंगे और देवनागरी लिपि विश्व की भाषाओं का माध्यम और उनकी कुंजी बन सकेगी। इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी आदि सभी यूरोपीय भाषाओँ के उच्चारण सुरक्षित रह सकते हैं। विश्व की भाषाओं के सही उच्चारण का एकमात्र उपाय उनका नागरी लिपि में लिप्यान्तरण ही हो सकता है।

## मानकीकरण

देवनागरी लिपि आरम्भ से ही एक विकासशील लिपि रही है। समय–समय पर इसमें आवश्यकतानुसार संवर्धन और परिवर्धन होता रहा है। नई ध्वनि के अनुकूल ही इसके वर्णों में बदलाव आता रहा है। हाल ही में भारत सरकार की संस्था ''भारत मानक ब्यूरो'', ने देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में नई पहल की है और 11 तथा 19 जुलाई 2012 की बैठकों में इसे अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया। इसमें भारत सरकार के कई कार्यालयों, जैसे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, एन सी ई आर टी, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सी–डेक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो आदि के अतिरिक्त नागरी लिपि परिषद, विश्व नागरी संस्थान के प्रतिनिधियों तथा कई प्रतिष्ठित भाषाविदों ने भाग लिया। अब इसका मानकीकरण 29 अगस्त 2012 को विधिवत लोकार्पण किया गया।

## कंप्यूटर और सूचना प्रद्योगिकी के युग में

विश्व की सक्षम लिपि के रूप में भी देवनागरी को उपयुक्त माना जा रहा है। विश्व नागरी अपने ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक गुणों के आधार पर नागरी लिपि कुछ नए परिवर्तनों, परिवर्धनों के साथ एक विश्वलिपि बनाने की क्षमता रखती है। इसी लिए विनोबा जी ने ''विश्वनागरी'' के रूप में इसकी कल्पना की थी। दक्षिण–पूर्व के एशियाई देशों की भाषाओं के लिए तो यह बहुत ही सुकर है, क्योंकि इनमे से अधिकांश की लिपियाँ तो ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने 17 फरवरी 2012 के अपने आदेश में कहा कि–भारत सरकार के सभी मंत्रालय और कार्यालय यूनीकोड कम्लाएंट फोंट्स एवं यूनिकोड के अनुरूप सोफ्टवेयर तथा इन–स्क्रिप्ट कुंजी–पटल का ही इस्तेमाल करें, जो भारत सरकार का मानक की–बोर्ड है और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफाल्ट (पहले से मौजूद) रहता है। इनके अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वेब पर ''डोमेन नेम'' नागरी में भी स्वीकार्य हो। वर्तनी जांच संबंधी क्रमादेश सारे सॉफ्टवेयर निर्माताओं के लिए एक ही होना चाहिए, जो मानक वर्तनी के आधार पर हो। फिर देखिये देवनागरी कितनी तीव्र गति से आगे बढती है।

जब हम भाषा पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि भाषा का आधार उसकी लिपि होती है, क्योंकि भाषा का अंकित रूप ही लिपि है। भाषा जहाँ मौखिक एवं श्रव्य है, वहीं लिपि अंकित एवं दृश्य है। कम्प्यूटर और इंटरनेट भी इसी का सहारा लेते हैं। लिपि जितनी सरल, व्यवस्थित और विज्ञान–सम्मत होगी, भाषा भी उतनी ही सक्षम और प्रभावपूर्ण होगी। कहना न होगा कि इस दृष्टि से देवनागरी लिपि विश्व की श्रेष्ठ और सर्वोपयुक्त लिपि है। आज के संदर्भ में तो क्षमता का लोहा विश्व के शीर्षस्थ वैज्ञानिक भी मानते हैं। नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिक ब्रिग्गस ने तो 1985 के अपने लेख में घोषित ही कर दिया है कि संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि ही कम्प्यूटरी ध्वन्यात्मक सटीकता की दृष्टि से आदर्श लिपि है और हमें गर्व है कि यही देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है।

# हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन

घनश्याम तिवारी

*राजभाषा एवं संगठन पद्धति निदेशालय, नई दिल्ली*

## सारांश

किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास राष्ट्र के तकनीकी विकास से सीधे तौर पर जुड़ा है । आजकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में द्रुत प्रगति हो रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक साहित्य हिन्दी में उपलब्ध हों जो कि हमारे राष्ट्र की राजभाषा है। इससे जन मानस में वैज्ञानिक सोच (साइन्टीफिक टेम्पर) भी बढ़ेगा जो कि राष्ट्र के विकास के लिए हितकर होगा। इन कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। जब तक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद अपनी मानसिकता को बढ़ाकर हिन्दी में लेखन की ओर अग्रसर नहीं होंगे तब तक आशातीत सफलता प्राप्त करनी संभव नहीं है।

## परिचय

किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के तकनीकी विकास पर सीधे तौर पर सम्बन्धित है। आज के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में द्रुत गति से विकास हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी ने मानव मात्र के हर पहलू को प्रभावित किया है। यथार्थ में अगर कहा जाए तो प्रौद्योगिकी के बिना अब मानव मात्र का जीवन सम्भव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक साहित्य राजभाषा हिन्दी में उपलब्ध हो जिससे कि वह जन मानस तक पहुंच सके और जन मानस में वैज्ञानिक सोच (साइन्टीफिक टेम्पर) बढ़ सके। हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। इसमें अगर वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध होगा तो वह काफी लोगों के द्वारा समझा जाएगा जिससे कि संकीर्णतायें कम होंगी और राष्ट्रीय एकता में भी इसका योगदान होगा।

आज विश्व वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा संचार माध्यमों में विकास से छोटा हो रहा है। भारत सरकार ने हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य तैयार कराने के लिये कई योजनायें चलाई हैं। उनका भी विवेचन किया जायेगा। जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद में कहा गया है 'मन एवं मनुष्याणाम कारणबन्धन मोक्षणों', अर्थात श्मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। जब मानसिकता बदल जाएगी तब हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा।

## वैज्ञानिक साहित्य की हिन्दी में उपलब्धता की आवश्यकता

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। विज्ञान की प्रगति की दर भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। विज्ञान ने पिछले सौ वर्षों में जितनी उन्नति की हे उतनी शेष संपूर्ण मानव इतिहास में मिलकर भी नहीं की है। गहराई में विचार करने पर यह समझ में आता है कि इसके पीछे मुख्य कारण समस्त संसार के वैज्ञानिकों का परस्पर सहयोग है। प्राचीन काल में सभी वैज्ञानिकों को लगभग शून्य से (एबीनिशो) से आरम्भ करना पड़ता था क्योंकि अन्य देशों में हुए आविष्कार तथा खोजें बहुत ही मन्थर गति से दूसरे देशों में पहुंचती थी। आजकल प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। विज्ञान जगत भी इससे अछूता नहीं है। आजकल आवागमन एवं

संचार के साधन उपलब्ध हैं जिनसे वैज्ञानिक परस्पर विचार–विमर्श करते हैं तथा अपने कार्यों से दूसरों को अवगत कराते हैं। नवीनतम वैज्ञानिक खोजों/विकास से भारतीय समाज भिज्ञ नहीं है तो हमारा देश प्रगति में पिछड़ जाएगा। वैज्ञानिक उपलबधियों को जन जन तक पहुंचाने हेतु यह आवश्यक है कि वह हिन्दी भाषा में उपलब्ध हो चूँकि हिन्दी हमारे राष्ट्र की राजभाषा है। कोई किसान कृषि में उपलब्ध नई खोजों, उपलब्धियों एवं तकनीकों का तभी लाभ उठाकर उत्पादन बढ़ा सकता है जब उन्हें यह ज्ञान भारतीय भाषा में उपलब्ध हो।

भगवद्गीता के छठे अध्याय का पॅाचवा श्लोक प्रासंगिक है और उद्धृत किया जाता है–

''उद्धरेदात्मानत्मानम् मात्मानवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।।''

अर्थात मनुष्य को अपने प्रयासों के द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और कर्म अवसाद में नहीं डालना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है।

जो बात मनुष्यों के लिये लागू है, वही संगठनों के लिये लागू है, और वही राष्ट्र के लिये लागू है। विज्ञान की उपलब्धियां, लाभ जनमानस तक तभी पहुँच सकती हैं जब वे हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध हों। इससे राष्ट्रीय एकता में भी मदद मिलेगी।

भारत विभिन्नताओं का देश है। यहां भांति–भांति की भाषायें, धर्म, संस्ःतियां, आचारों–विचारों, आदि में समन्वय की भावना देखने को मिलती है। भारत में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। हमारा चिन्तन बहुत ही उदार है और निम्नलिखित श्लोक प्रासंगिक है।

अयम् निजम् परोवैति गणनाम् लघुचेतसाम्।

उदारचरितानाम् वसुधैव कुटुम्बकम्।।

अर्थात यह मेरा है, यह तेरा है ऐसा तो अल्प चेतना के अर्थात् संकीर्ण विवारों के लोग सोचते हैं। उदार चरित्र वालों के लिये तो पूरा विश्व ही एक परिवार है। राष्ट्र शब्द संस्कृत के राज् (राज्) धातु और ''ट्रन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मूल अर्थ है, राज्य, राष्ट्र, देश और साम्राज्य। इसी प्रकार राष्ट्रीय शब्द बना है राष्ट्र भव इति राष्ट्रीयता राष्ट्र + धअ (राष्ट्रीय) हिंदी भाषा में राष्ट्रीय एकस्य भाव इति एकता के रूप में है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास असंभव है। मानवमूल्य परक शब्दावली से संबंधित विश्वकोश में राष्ट्रीय एकता को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया गया है–

समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना ही किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता है। आज देश में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विवशता के कारण राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो रही हैं। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि एकता जीवन है, फूट मृत्यु। एकता उन्नति है, फूट अवनति तथा एकता बल है और फूट पतन।

राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु यह परम आवश्यक है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की नवीनतम उपलब्धियां जन–मानस तक पहुंचें जिससे कि वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके और जन मानस में संकीर्णतायें कम हो सके।

## वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलियां

भारत सरकार ने 1901 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग गठित किया था। यह विभाग माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत हैं। आयोग ने 12 शब्द–संग्रह विभिन्न विषयों में प्रकाशित किये हैं। आयोग ने भौतिकी, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं

सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, गुणता नियंत्रण, इंजीनियरी, आदि में 94 विषयवाद शब्दावली परिभाषा कोश प्रकाशित किये हैं। अब अंग्रेजी शब्दों की हिन्दी पर्याय की समस्या नहीं है चूँकि काफी शब्दावलियां विकसित हो चुकी हैं ।

## हिन्दी में पुस्तकें लिखने हेतु प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम प्रकाशित करता हैं। उसमें यह भी लक्ष्य होता है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने विषय से संबंधित वैज्ञानिक/तकनीकी साहित्य हिन्दी में तैयार करवायें । विभिन्न मंत्रालयें को हिन्दी में वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों आयोजित करने की भी सलाह वार्षिक कार्यक्रम में दी जाती है ।

विभिन्न मंत्रालय/विभागअपने मंत्रालय/विभाग के विषयों से संबंधित पुस्तक पुरस्कार योजनायें चलाते हैं जिससे कि हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध हो । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय वर्ष 1995 से पुस्तक पुरस्कार योजना चला रहा है जिसमें राजभाषा हिन्दी में मूल विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान जिसमें अभियांत्रिकी और प्रबन्धन भी शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा दो सांत्वाना पुरस्कार दिये जाते है। इस योजना में कोई भी भारत का नागरिक भाग ले सकता है जिसमें डी आर डी ओ के कर्मचारी भी शामिल हैं।

## निष्कर्ष

देश के आर्थिक विकास के लिये यह परम आवश्यक है कि वैज्ञानिक साहित्य हिन्दी में उपलब्ध हों जिससे कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लाभ जन–मानस तक पहुंच सके। वैज्ञानिक का भी समाज के प्रति दायित्व होता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइन ने लिखा है श्श कितना अनोखा हम नश्वरों का यह संसार हैं। हममें से प्रत्येक यहां पर यह न जानते हुए भी कि वह किसलिये है, यहां कुछ समय के लिये हैं। गहराई में विचार करने पर यह समझ में आता है कि मनुष्य दूसरों के लिये जीता हैए प्रथम वे जिनकी खुशियों, मुस्कराहटों में हमारी खुशियां निहित हैं, दूसरे वे अंसख्य मनुष्य जिनके भाग्यों से हम सहानुभूति की डोरियों से बंधे हुए हैं। मैं प्रति दिन सौ बार अपने को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाह्य जीवन ऐसे जीवित और मृत व्यक्तियों के श्रम से बना है और मुझे उसी मात्रा में लौटाने के लिये उतना ही श्रम करना होगा जिस मात्रा में मैंने प्राप्त किया है और प्राप्त कर रहा हूँ।

# राजभाषा हिंदी का स्वरूप–चुनौतियां और संभावनाएं

प्रदीप कुमार अग्रवाल
*रोहिणी, दिल्ली*

**सारांश**

प्रस्तुत आलेख में मुख्य रुप से राजभाषा के रूप में हिंदी के उस भाषिक स्वरुप पर चिंतन करने का प्रयास किया गया है जो इसके सहज विकास में सदैव एक बड़ी बाधा बना रहा है और साथ ही अन्य चुनौतियों एवं संभावनाओं तथा हिंदी के क्षेत्र में नए उभरते अवसरों पर भी चर्चा की गई है।

यदि हम विषय पर एक नजर डालें तो कोई विरला ही होगा जिसे इस विषय की गहन जानकारी न हो। लंबे समय से यह देखने में आया है कि राजभाषा के रूप में प्रशासन के काम में एक स्वभाविक भाषा का नहीं, बल्कि एक तरह की निष्प्राण अनूदित भाषा का प्रयोग ज्यादा हुआ है। अंग्रेजी जानने वालों की बात तो दूर, हिंदी जानने वाले भी इस भाषा के बवंडर में गोते खाते रहे हैं और हिंदी के नाम पर अनचाहे ही क्लिष्टता का लेबल चस्पा हो गया है। आज जरूरत है तो इसमें एक ऐसा बदलाव लाने की, इसे एक ऐसा मौलिक स्वरूप प्रदान करने की, जो सरल, सहज और ग्राह्रय हो। आम जनता को राजभाषा का वर्तमान रूप नहीं, बल्कि जन–भाषा का सरल स्वरुप ही हिंदी के नजदीक लाएगा और इससे सुविधापूर्वक जोड़ेगा.

## राजभाषा के स्वरूप की चुनौती

इस बात की जरुरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी कि राजभाषा के स्वरुप में बदलाव लाया जाना चाहिए क्योंकि जिस अधकचरी और असहज भाषा का प्रयोग होता आ रहा है, वो किसी आम आदमी की भाषा तो नहीं है। भाषा के जिस स्वरूप का समाज से सरोकार ही न हो, ऐसी अनगढ़, कृत्रिम और क्लिष्ट भाषा को भला कौन अपनाना चाहेगा। दूसरी बात यह कि जब भाषा बहता नीर की उक्ति का बारंबार हवाला दिया जाता है तो भला इसे बंधनों में बांधने की क्या आवश्यकता है। शब्द चाहे किसी भी भाषा से आ रहे हों, वे हिंदी के शब्दकोश को ही समृद्ध बना रहे हैं. क्या हम चाहते हैं कि हिंदी का हश्र भी देवभाषा संस्कृत सा हो जिसके व्याकरण के नियमों और शब्द–आगम के प्रतिबंधों ने उस भाषा का प्रवाह रोककर उसे एक उथले तालाब में तब्दील कर दिया है।

यदि हम अंग्रेजी भाषा की लोकप्रियता और इसकी प्रसिद्धि बढ़ने का राज इसके शब्द–भंडार में मानते हैं (जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, उर्दू, हिंदी और न जाने कितनी ही भाषाओं से लिए गए सैंकड़ों–हजारों शब्द शामिल हैं तो भला हिंदी में कुछ विदेशी शब्दों या कुछ अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों और देशज शब्दों के आ जाने से भला कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। इससे हिंदी कमजोर होने के बजाय समृद्ध और सुदृढ़ ही होगी। हिंदी की लोकप्रियता में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। अब आवश्यकता है तो राजभाषा के रूप में इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने की, जिसके लिए इसे एक सरल भाषिक स्वरूप और सहज शैली का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाना जरूरी है। इसकी आज के परिवेश में एक महती आवश्यकता है।

## राजभाषा हिंदी के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

जनभाषा हिन्दी को राजभाषा हिन्दी या प्रशासनिक हिन्दी के रूप में प्रतिष्ठित किए हुए छह दशक से अधिक का समय हो गया है। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि इस प्रतिष्ठा को अर्जित करने के बाद हिन्दी शनैः–शनैः अपनी जनप्रियता का आधार खोकर प्रशासनिक स्तर पर एक अनचाही विवशता के रुप में परिवर्तित होती गई और अहिन्दी भाषियों की बात तो दूरय हिन्दी भाषियों में से भी अधिकांश ने इससे विमुखता दर्शाते हुए भावनात्मक नाता तोड़ना श्रेयस्कर समझा। चिंतन और राजनीति के स्तर पर इसके कुछ भी कारण रहे हों किंतु व्यवहारिक स्तर पर हिन्दी को राजभाषा के रूप में जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उनका उल्लेख नीचे किया गया है–

1. लौर्ड मैकाले द्वारा तैयार की गई तथा दिनांक 07 मार्च 1835 को लागू की गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, जिसके चलते देश में बड़े पैमाने पर ''बाबुओं का उत्पादन'' आरंभ किया गया और शिक्षित पीढ़ी को अंग्रेजी को अधार बनाकर राष्ट्रीयता की मुख्यधारा से दूर रखने का प्रयास किया गया।
2. ''फूट डालो और राज करा'' के राजनैतिक मूल मंत्र के कारण एकता का आभास न होने से हिन्दी को "क्षेत्रीयता का अभिशाप" भुगतना पड़ा।
3. राजभाषा के रूप में हिन्दी में प्रचुर शब्द–संपदा एवं विशिष्ट शैली के अभाव का मिथ्या दोषारोपण.
4. लोचपूर्ण एवं दोहरी नीतियों का समानांतर प्रवाह।
5. ''रोटी की गारंटी'' के रूप में हिन्दी की अक्षमता और अंग्रेजी की अपेक्षा उसमें दीनता–हीनता का भाव पनपना।

भले ही आरंभ के कुछ वर्षों में राजभाषा हिन्दी में एक मानक स्वरूप का अभाव रहा हो और कार्यालयीन प्रयुक्तियों के अंग्रेजी वाक्यांशों के समतुल्यों एवं पारिभाषिक शब्दों के समुचित पर्याय–चयन में असमंजसपूर्ण स्थिति थी किंतु बाद के वर्षों में, इस स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार के लिए सक्रिय एवं व्यावहारिक प्रयास आरंभ किए गए। सरकारी एवं विभागीय स्तरों पर एकरूपता के लिए पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण किया गया। स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सहायक सामग्री का सृजन किया। फिर भी, कुछ ऐसी चुनौतियां बनी रहीं जिन्हें व्यवहार में मानसिक संकोचशीलता की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनका उल्लेख यहां नीचे किया जा रहा है–

1. अंग्रेजी को ''ज्ञान का द्वार'' या ''प्रतिष्ठा का प्रतीक'' समझा जाता है।
2. हिन्दी भाषियों में बड़ी सीमा तक हिन्दी के प्रति समर्पण का अभाव है।
3. बुनियादी स्तर पर यथा–नियुक्ति, प्रशिक्षण व पदोन्नतियों के मामलों में हिन्दी को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता अर्थात हिन्दी की अनिवार्यता प्रायः "नहीं" के बराबर है।
4. अक्सर यह मानकर चला जाता है कि पत्र को ''सामने वाला'' या ''पाने वाला'' हिन्दी में होने पर ठीक से समझ नहीं सकेगा और पत्रोत्तर मिलना कठिन होगा।
5. एक धारणा यह भी है कि हिन्दी पत्रों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।
6. संदेश को सही रुप में व्यक्त करने में हिन्दी की संप्रेषण क्षमता व शब्द सामर्थ्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।
7. शब्दावलियों के प्रयोग से तथा अंग्रेजी के हिन्दी अनुवाद से बचना भी इस संकुचित प्रवृत्ति में सहायक है।
8. अंग्रेजी में पूर्वनिर्मित पत्रों, वाक्यांशों, टिप्पणों आदि को बारंबार दोहराना बहुत सरल होता है जबकि हिन्दी में उनकी मूल रचना करना अपेक्षाकृत कठिन होता है।

9. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने के लिए केवल अंग्रेजी को ही आधार माना जाता है व समग्र ज्ञान–विज्ञान एवं अध्ययन का स्रोत अंग्रेजी को ही समझा जाता है।
10. हिन्दी में लिखनेए टाइप करने/आशुलिपि की गति अंग्रेजी की अपेक्षा कम मानी जाती है जबकि हिंदी का फोनेटिक वर्जन/यूनिकोड आने के बाद यह समस्या काफी हद तक सुलझ गई है।
11. हिन्दी में लिखते समय अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के पकड़े जाने व उसके प्रारूप में सुधार होने का भय अधिक रहता है।
12. हिन्दी अधिकारियों की भाषिक पृष्ठभूमि सुदृढ़ होने के कारण वह प्रायः क्लिष्ट शैली की हिन्दी लिखने में अभिरुचि रखते हैं।
13. राजभाषा नीति को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जाता है क्योंकि इसमें उल्लंघन की दशा में किसी दंड का विधान नहीं है।
14. ऐसी धारणा है कि बढ़ते कंप्यूटरीकरण व अन्य यंत्रों के प्रयोग से हिन्दी के विकास की गति धीमी हुई है जबकि समस्याओं के निदान भी साथ ही होते जा रहे है।
15. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं जो कि एक अधूरा सत्य है।

## मानसिक बाध्यताओं का दखल

यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा हिंदी में अपनी बेहतर सृजन–क्षमता के बावजूद भी अभिव्यक्तियों या प्रारूपों को अंग्रेजी में लिखना अकारण ही एक मानसिक बाध्यता बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वास्तव में राजभाषा की उपयोगिता को व्यवहार में ढाला गया है अथवा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिखावा करते हुए आंकड़ों के चमत्कार पैदा कर इसकी उन्नति का खोखला ढोल ही बजाया जा रहा है? इसका निर्धारण करना आवश्यक है। इस हेतु मुख्यतः काम में लाए जा रहे उपायों पर दृष्टिपात करने से सहज ही निम्न तथ्य उभरते हैं–

1. कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी सिखाने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिन पर काफी व्यय होता है जबकि अधिकतर कर्मचारी इसे ''आनंद गोष्ठी'' या ''सवेतन अवकाश'' के रूप के देखते हैं।
2. राजभाषा संबंधी बैठकों में निर्णय अवश्य लिए जाते हैं किंतु उनके समुचित अनुपालन हेतु सही रुख अपनाने में उच्चाधिकारी हिचकिचाते हैं।
3. अधिकतर बडे हिंदी सम्मेलनों, संगोष्ठियों व अन्य कार्यक्रमों में हिंदी के प्रति "श्रद्धांजलि" या "स्तुति" का रुख ही अधिक रहता है और यदि कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा भी जाता है तो लंबे अरसे तक विचाराधीन रहकर वह प्रायः लुप्त हो जाता है।
4. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान, हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को नामित तो अवश्य किया जाता है किन्तु इनमें से कुछ प्रशिक्षणार्थी अनिच्छा से इनमें प्रवेश लेते हैं तथा कुछ इसे प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाने का माध्यम मानते हैं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग भी राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए उचित रूप से नहीं हो पाता है।
5. हिंदी पत्राचार/कार्य की प्रगति के लिए छपे–छपाए फार्मों, निर्धारित प्रारूपों, कोडों, पर्चियों आदि को हिंदी में लिखने/भरने पर अधिक बल दिया जाता है जबकि मूल रूप से हिंदी पत्र–लेखन आदि अधिकतर उपेक्षित ही रहता है. इसलिएए अधिकांश प्रशासनिक रिपोर्ट, कार्यवृत्त, निरीक्षण/जांच आदि से संबंधित रिपोर्टे केवल अंग्रेजी में बनती हैं और उन पर आगामी कार्रवाई भी अंग्रेजी में की जाती है।

6. हिंदी कार्य को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अंग्रेजी प्रारूपों, पत्रों व टिप्पणों आदि का हिंदी में अनुवाद कराया जाता है जो कि भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक शोचनीय स्थिति है क्योंकि इसमें कृत्रिमता व अधकचरेपन का अंश झलकता है.
7. हिंदी संबंधी प्रतियोगिताओं, समारोहों व पुरस्कार योजनाओं ने भी हिंदी के प्रयोग के प्रति "सांत्वनापूर्ण" रुख जताने वाले वातावरण का निर्माण किया है, जिससे उपजी सहानुभूति हिंदी की सक्षमता झलकाने की बजाय विकलांगता की परिचायक है।
8. अंतिम किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हिंदी अधिकारियों, हिंदी लिपिकों व अनुवादकों की नियुक्ति है, जिसे प्रत्येक संस्था के साथ में दी गई बैसाखी से कम नहीं कहा जा सकता और जिसके होते वह सक्षम होकर भी लंगड़ा कर चलने को मजबूर है। इस कार्य की सीधी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

## द्विभाषिकता से कैसे निपटें

आज भाषिक संक्रमण की एक अनिवार्य स्थिति है जो तब तक चलेगीए जब तक कि सभी स्तरों पर सीधे हिंदी भाषा में राजभाषा–लेखन आरंभ नहीं होता। राजभाषा नियम 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों के द्विभाषिक रुप में बनाए जाने की अनिवार्यता के कारण द्विभाषिकता की स्थिति भी एक सीमा तक बराबर बनी रहेगी और अनुवाद का कार्य भी निरंतर होता रहेगा। यह जरूरी है कि अनुवाद की प्रक्रिया को व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए और उसमें कला एवं कल्पनाशीलता का सामंजस्य रखते हुए सरलता के सिद्धातों का ज्यादा से ज्यादा अनुप्रयोग किया जाएए जैसे कि–

1. शब्दों का चयन इस प्रकार किया जाए कि वह विषय को अर्थध्वनि देने, शब्दावली की एकरुपता और स्पष्ट अभिव्यक्ति की दृष्टि से सक्षम हों।
2. अन्य भाषाओं के (भारतीय या विदेशी) वह शब्द जो आम प्रचलन में हैं, उन्हें ज्यों का त्यों अपना लिया जाए अर्थात् उनका किसी प्रकार का अनुवाद न किया जाए।
3. शब्द का चयन करते समय भाषिक बोझ कम करने की दृष्टि होनी चाहिए और परंपरा से चले आ रहे शब्दों को संस्कृति से जुड़ा जानकर प्रचलित शब्दों को अपनाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।
4. हिंदी शब्दों का भाषिक स्वरूप कामकाज की भाषिक जरूरतों को पूरा करने वाला हो और संपर्क के स्तरों पर निश्चित संदर्भ में अपेक्षित अर्थ देता हो तथा सुबोध हो.
5. तकनीकी शब्द यानि विभिन्न उपकरणों, मशीनों, व्यवस्थाओं आदि के अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों ले लिया जाए अथवा हिंदी शब्द की जानकारी होने पर अंग्रेजी शब्द को कोष्ठक में लिख दिया जाए।

राजभाषा के प्रयोग के लक्ष्य में उपेक्षा की नियति और संकोच की प्रवृत्ति, दोनों ही समान रुप से आड़े आ रही हैं, किंतु इनमें से भी उपेक्षा की नियति को अवरोधों के प्रति अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस बड़ी चुनौती से जूझने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना ही हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए।

## राजभाषा हिंदी की उभरती संभावनाएं

भूमंडलीकरण के इस दौर में हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की सच्ची संवाहिका के रूप में उभर कर सामने आयी है। आज दुनिया भर में हिंदी के प्रति एक अंडरकरंट सा प्रवाहित हो रहा है। आज तत्संबंधी प्रयास कुछ बिखरे–बिखरे से, अस्पष्ट या अधूरे से लग सकते हैं किंतु जैसे ही इनमें एकजुटता और तारतम्यता नजर आने लगेगी, वैसे ही हिंदी का आभामंडल समूची सृष्टि को अपने आगोश में ले लेगाय चाहे वह बाजार का क्षेत्र हो, ज्ञान–विज्ञान हो, दर्शन–आध्यात्म या फिर साहित्य कोई भी क्षेत्र

इससे अछूता नहीं रहेगा। इसके निश्चित कारण हैं। विशेषकर, नये दौर में हिंदी का बदलता हुआ आकर्षक स्वरूप और बाजार की ताकतों में इसकी बढ़ती हुई उपयोगिता इसका प्रमुख आधार हैं. हिंदी जिस अदम्य शक्ति की स्वामिनी हो चली हैए उसका ठीक–ठीक आभास अभी तक हिंदी अनुरागियों को ही नहीं हो सका है तो भला उन ''प्रगतिवादी इंडियंस्'' को क्या होगा जो इसे सिर्फ पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में देखते हैं।

हिंदी बदल रही है, इसकी प्रयुक्तियां बदल रही हैं, इसकी संरचनाए शैली और यहां तक कि प्रवृत्तियां भी आज बदलाव के दौर में है जिसने हिंदी के पंडितों को माथे पर हाथ मारने के लिए मजबूर कर दिया है। भाषा के पंडित भले ही कुछ भी कहें किंतु साहित्यिक हिंदी की क्लिष्टता या राजभाषाई हिंदी के नीरस प्राणहीन ढ़ाँचे को तोड़कर निकली हिंदी की इस नई शैली ने हिंदी की लोकप्रियता में दिन दूनी–रात चौगुनी वृद्धि कर दी है। कोई कुछ भी कहे मगर यही वह जज्बा है जिसने हिंदी को पारंपारिक स्वरूप से निकालकर बोलचाल की ग्लोबल भाषा के रूप में एक नयी पहचान दी है। इस भाषा में अब एक नयी धारऐं नया पैनापन तथा नयी आक्रामकता नजर आती है जिसने हिंदी के मिजाज और तेवरों को बदलकर रख दिया है। इसमें ताजगी के साथ–साथ आधुनिकता का पुट भी झलकता है।

इसीलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ–साथ आज की युवा पीढ़ी को भी ऐसी हिंदी के बढ़ते क्रेज से कोई परहेज नहीं है। यहां तक कि ''स्टेटस सिंबल'' या कि तथाकथित ''ग्लोबल लेंग्वेज'' कहलाने वाली अंग्रेजी को लोक–व्यवहार के क्षेत्र में भी हिंदी के इस नये स्वरूप ने कड़ी चुनौती दी है। इसे आजादी से पहले की हिंदुस्तानी जुबान का ही एक ऐसा नया संस्करण कहा जा सकता है जो सभी को अब सहज रूप से स्वीकार्य हो चला है। हिंदी की यह नयी धारा ही अब हिंदी का मानक स्वरूप बनती जा रही है। आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाईए विदेशी हिंदी विद्वानों का हिंदी के प्रति बढ़ता आकर्षण और प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में हिंदी का बढ़ता प्रयोग इसी का स्वयंसिद्ध परिचायक नहीं तो और क्या है? यह हिंदी बिंदास (उन्मुक्त) है यानि बंधनों से मुक्त और भाषिक शुद्धता या व्याकरण की कैद से निकली आजाद हिंदी है जिससे हिंदी–अहिंदी के भाषाई विद्वेश की लौह–दीवारें भी अब किसी हद तक दरकती दिख रही हैं।

कल यदि इसी तथ्य के चलते देवनागरी एक ग्लोबल लिपि बन जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. सरकार एवं निजी संस्थाओं के प्रयासों से आज शब्द संसाधक, डेस्क टौप पब्लिशिंग, ई–मेल, भाषा अध्ययन, लिप्यंतरण, मशीनी अनुवाद, इंटरफेस और इंटरनेट सक्षम जैसी सुविधाएं अब भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो रही है। यद्यपि इंटरनेट पर हिंदी की उपस्थिति दर्ज़ होने में काफी समय लगा है किंतु मानक की–बोर्ड की समस्या कुंजीपटल के फोनेटिक उपयोग ने एक सीमा तक हल कर दी है। अब तो रही–सही समस्या का समाधान भी हिंदी का यूनीफोंट आ जाने से स्वतः ही हो गया है।

## हिंदी में उभरते नए अवसर

हिंदी का प्रयोग बढ़ने के साथ–साथ हिंदी का उभार नये–नये क्षेत्रों में हो रहा ह। इस स्थिति में हिंदी में रोजगार की विपुल संभावनाएं पैदा हुई हैं। जो लोग रोजी–रोटी की दृष्टि से हिंदी को नकारा समझने लगे थे, उन्हें भी अब यह अहसास होने लगा है कि हिंदी की शक्ति में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। हिंदी में विज्ञापन लेखनए प्रूफ रीडिंग, अनुवाद एवं पुस्तक–लेखन के क्षेत्र में तथा विज्ञापनों के संवाहक मीडिया में हिंदीविदों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक और एनिमल प्लेनेट जैसे चैनलों के हिंदी प्रसारण ने यह साबित कर दिया है कि हिंदी में भी गंभीर आर्थिक और वैज्ञानिक चिंतन संभव है। आज आर्थिक, तकनीकी, कानूनी और वैज्ञानिक विश्लेषण लिखने के लिये हिंदी विशेषज्ञों की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है और इन नये क्षेत्रों ने

रोजगार के नये अवसर पैदा किये हैं। इनमें समाचार– लेखन, सूचना, खेल तथा मनोरंजन चैनल भी शामिल हैं।

हिंदी में डब की जा रही है अंग्रेजी फिल्में भी इसी भावना को पुष्ट करती है। कार्टून नेटवर्क, डिज्नी एवं पोगो आदि भी घंटों हिंदी में प्रसारण करने लगे हैं। धार्मिक चैनल जैसे आस्था, संस्कार, साधना, श्रद्धा आदि तो पहले से ही 24 घंटें हिंदी में हैं. बाकी क्षेत्रों में इसे आरंभ करने के प्रयास जारी हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों से इसी भाषा में जुड़ पाना संभव है। कार्यक्रम प्रस्तोताओं को हिंदी सिखाने वालों तथा हिंदी कौपी राइटरों की मांग में भी जबरदस्त उछाल आया है। यहां तक कि बड़ी–बड़ी कंपनियों के पदाधिकारियों को या सरकारी अधिकारियों को टीवी कैमरों के सामने हिंदी में सही रुप से इंटरव्यू देने के लिए सही हिंदी उच्चारण सिखाने वालों की मांग में भी काफी वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षकों का वर्चस्व बना रहेगा। यह भारतीय एवं वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की बढ़ती हुई भूमिका का द्योतक नहीं तो और क्या है?

संक्षेप में, यही कहा जा सकता है कि जहां एक ओर जन–भाषा हिंदी की लोकप्रियता ने अनंत ऊंचाईयों को छुआ है, वहीं दूसरी ओर इसने राजभाषा के रूप में भी नई बुलंदियों को चूमा है। असफलताएं भी देखने को मिलीं पर हर नई असफलता ने नई सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। आज भाषा के नेटवर्क के तौर पर हिंदी विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा से कमतर नहीं। हां, इतना जरुर कहा जा सकता है कि कमी रही तो सिर्फ एक बात कि भाषा की राजनीति ने काफी समय तक हिंदी की सार्थकता और इसकी उपलब्धियों का रंग चटक होने से रोके रखा पर 21वीं सदी तक आते–आते हिंदी के प्रसंग को लेकर यह मानसिक दुर्ग भी ढहता दिखाई देने लगा है।

हिंदी का सफर सिर्फ उल्लिखित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है अपितु कंप्यूटर जगत, शिक्षा जगतए ज्ञान–विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी हिंदी ने एक लंबा रास्ता तय किया है। निकट भविष्य में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के लिए भी जोरदार प्रयास जारी हैं। न्यूयॉर्क में 2007 में आयोजित 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में इसके लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था और अब साल 2012 में 22 से 24 सितम्बर, 2012 के दौरान आयोजित किए गए नवें विश्व हिंदी सम्मेलन में इसके लिए किए जा रहे प्रयासों को चरम परिणति तक ले जाने का संकल्प दोहराया गया है।

अंत में यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगा कि राजभाषा के रूप में जितनी भी चुनौतियां हिंदी के सामने हैं, उससे कहीं अधिक संभावनाएं इसमें निहित हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि भाषा के राजभाषायी स्वरूप को एक आम जन की भाषा के रूप में बदल दिया जाए तो इसके प्रति सभी संकोच और विरोध भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कहना होगा कि भाषा केवल अपनी सामर्थ्य से बढ़ती व विकसित होती है। तथापि, यदि यथावश्यक परिवर्तन करते हुए राजभाषा के रूप में हिंदी का एक सहज स्वरुप अपनाने पर बल दिया जाए तो सच्चे अर्थों में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वयं ही समुचित प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता अर्जित कर लेगी व इसमें निहित असीम संभावनाएं निखर कर सामने आएंगी।

# विश्व भाषा के रूप में हिंदी की बढ़ती प्रतिष्ठा

वीरेंद्र शर्मा
*वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली*

हिंदी न केवल भारत की राष्ट्रभाषा है अपितु उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का सम्मान्य गौरव प्राप्त है। पिछले 37 वर्षों में संपन्न हुए विश्व हिंदी सम्मेलन तथा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी गोष्ठियाँ–न केवल भारत में, विश्व के विभिन्न देशों में–इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का उच्च स्थान है।

समय–समय पर विश्व में हिंदी की निरंतर बढ़ती हुई लोकप्रियता के समाचार पढ़कर सुनकर अतिशय सुखद अनुभूति हो रही है। उदाहरण के लिए 'शिकागो पब्लिक रेडियो' की उद्घोष पंक्ति (पंच लाइन) अब हिंदी में भी है। शिकागो अमरीका का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। वहां का प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन है–'शिकागो पब्लिक रेडियो'। कनाडा और पोलैंड के लोकनाट्य, लोकगीत अनुरागी हिंदी की परंपरागत लोकनाट्य शैली नौटंकी के प्रति विशेष अभिरुचि रखने लग गये हैं।

उत्तर भारत की लोक नाट्य परम्परा में विविध क्षेत्रों के अनुसार भगत (रहस), सांगीत, नौटंकी, ख्याल, स्वांग (सांग) आदि मनोरंजन के लोकप्रिय साधन हैं। इनके लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, खुले आकाश के नीचे लकड़ी के तख्तों का मंच बन जाता है। हाँ, पात्रों के अनुसार वेशभूषा अवश्य उपयुक्त और आकर्षक होती है। बस, नगाड़े, ढोलक की गूँज से पूरा वातावरण गूँज उठता है। भारत में क्रमशः विलुप्त हो रही इस परम्परा के प्रति कुछ विदेशी विद्वानों की विशेष अभिरुचि रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय वैंकूवर में एशियन अध्ययन विभाग में सह प्राध्यापिका जी. कैदरीन हैन्सन ने नौटंकी के सम्बन्ध में गहन शोध कार्य किया है।

नौटंकी के शोधकार्य की दिशा में दूसरे विदेशी विद्वान जिन्होंने विशेष अभिरुचि दिखाई है। वे हैं–वारसा विश्वविद्यालय (पोलैंड) में भारतीय अध्ययन विभाग के अध्यक्ष प्रो. मारिया क्रिस्तोफ ब्रिस्की, प्रो ब्रिस्की संस्कृत एवं हिन्दी के प्रख्यात विद्वान हैं जिन्होंने वाराणसी में रहकर अध्ययन किया और पी एच डी की उपाधि अर्जित की। उनका प्रमुख उद्देश्य था–नौटंकी के सम्बंध में आवश्यक सूचना–सामग्री एकत्रित करना। इसी खोज में उन्होंने नौटंकी से जुड़े स्थानों–लखनऊ, कानपुर, मथुरा आदि क्षेत्रों की भी यात्रा की और महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ इकट्ठी की, उनका मानना है कि नौटंकी जन–साधारण के मनोरंजन के लिए बड़ा शक्तिशाली साधन है। उनका यह प्रयास है कि उनके देश में नौटंकी के सम्बन्ध में लोगों को अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

हिन्दी के ओजस्वी, वीर रस प्रधान प्रसिद्ध गीत आल्हा सुनने के लिए एक अमरीकी हिंदी प्रेमी महिला भारत आईं। केलीफोर्निया विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग में हिन्दी की प्रोफेसर डॉ करीन शेमर इस लोकगीत की शैली से अत्यंत प्रभावित हैं।

हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के इतिहास में 10 जनवरी 1975 का दिन परम पावन और चिरस्मरणीय दिन है। इस दिन नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन समायोजित हुआ था। उस अवसर पर हिंदी के विश्वव्यापी स्वरूप को रेखांकित करते हुए मारीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री, हिंदी के

अनुरागी सर शिवसागर रामगुलाम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था—

"हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा तो है लेकिन हमारे लिए इस बात का अधिक महत्त्व है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मारीशस, सूरीनाम, गुयाना, फीजी, अफ्रीका के कई देश इस बात का मान करते हैं कि भारत की राष्ट्र भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने में उनका हाथ रहा है।"

उसी ऐतिहासिक सम्मेलन में मारीशस के तत्कालीन युवा एवं क्रीड़ा मंत्री श्री दयानन्द वसंतराय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वह था कि "संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को भी अधिकारिक भाषा की मान्यता प्राप्त हो।"

यह अत्यंत गौरव और संतोष की बात है कि अब प्रतिवर्ष 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के विश्व व्यापी स्वरूप को रेखांकित करते हुए मारीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हो चुकी है। वर्धा (भारत) में महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पूर्णरूपेण कार्यरत है।

विश्व की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रबल पक्षधर जापान के सुविख्यात विद्वान प्रो क्यूया दोई का कहना है —"मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ कि दस दस साल सीखी अंग्रेजी में बोलने से तीन महीने में सीखी हिन्दी में बोलना आसान है...

हिन्दी भाषा एक सामाजिक भाषा है। मूल में भारोपीय भाषा होते हुए भी एशिया की भाषाओं के बहुत निकट है। इसलिए मेरा विचार है कि यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों की सम्पर्क भाषा हो सकती है।

महात्मा गाँधी ने कहा था कि भारत की राष्ट्र भाषा के लिए सबसे सरल भाषा को चुनना चाहिए और वह हिन्दी ही है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत संसार का एक लघु रूप है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम यह कह सकेंगे कि यदि संसार में एक संपर्क भाषा हो तो वह हिन्दी ही हो सकती है।"

ये मार्मिक भावोद्‌गार हैं हिन्दी के अनन्य सेवी, जापान के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर के (क्यूया) दोई के, जो उन्होंने अगस्त 1976 में मारीशस में संपन्न हुए द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर अभिव्यक्त किए थे।

प्रो ओदोलेन स्मेकल के अनुसार हिंदी भाषा अमृत के समान है। उनका कहना है:

"हिन्दी ज्ञान मेरे लिए अमृत पान
जितनी बार उसे पीता हूँ
उतनी बार लगता है
पुनः जीता हूँ"

ये काव्य पंक्तियाँ हैं प्रख्यात हिंदी सेवी चेकवासी प्रोफेसर ओदोलेन स्मेकल की। हिन्दी के प्रति अपनी निष्ठा के भावपूर्ण विचार एक अन्य स्थान पर उन्होंने इस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं:

हिन्दी का पूर्णरूपेण ज्ञान
है सोमरस पान मेरे लिए
जितनी बार उसे पिया
उतने जीवन जिया
उतने ही मिले अभिनव प्राण

निदर्शनात्मक रूप में ही यहां केवल दो विदेशी हिंदी विद्वानों के नामों का उल्लेख कर दिया गया है। भारत से बाहर अनेक देशों में विद्यालयों में हिंदी का पठन–पाठन हो रहा है, शोध कार्य किया जा रहा है तथा तुलनात्मक भाषाओं के समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। हिंदी भारतीय जीवन–दर्शन के शाश्वत मूल्यों प्रेम और बंधुत्व की संदेशवाहिका के रूप में लोकप्रिय होती जा रही है। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता डा. कर्णसिंह ने मारीशस में सम्पन्न हुए द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन (मॉरीशस, 28–30 अगस्त, 1976) में अपने अध्यक्षीय भाषण में निष्कर्ष रूप में जो कुछ कहा था, वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है:

"मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि हिन्दी केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है जिनकी वह मातृभाषा है। मेरी अपनी मातृ–भाषा डोगरी है और हमारे प्रतिनिधिमण्डल के अनेक सदस्य हिन्दीतर भाषी प्रदेशों से हैं। जैसे अंग्रेजी को लाखों लोग बोलते हैं जिनकी वह मातृभाषा नहीं है वैसे ही हिन्दी भी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते प्रयुक्त होनी चाहिए। इसमें कोई जाति या धर्म का प्रश्न भी नहीं है। ऐसी भाषाएँ तो समस्त मानव जाति की निधि है। वस्तुतः सब भाषाओं से अधिक महत्त्वपूर्ण मानव जाति तथा उसका भविष्य है, और हर भाषा की यह कसौटी है कि वह कहाँ तक उस भविष्य को उज्ज्वल बनाने में योगदान कर पाती है। मेरा विश्वास है कि हिन्दी इस कार्य में अग्रसर रहेगी।"

वस्तुतः वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी का अप्रतिम स्थान है:

शांति, समन्वय की वाणी है,

विश्व–प्रेम परिभाषा है।

कोटि–कोटि जन भाषा हिंदी

राष्ट्र–संघ की भाषा है।।

विश्व की प्रमुख भाषा होने पर भी हिंदी को अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकाधिक भाषा की मान्यता के लिए विशेष प्रयत्न और अभियान की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन 6 भाषाओं को अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हैं, उनके नाम इस प्रकार है–अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेन्च, स्पैनी और अरबी। यह न्याय संगत नहीं है, अतः यथाशीघ ऐसे समर्पित अभियान की आवश्यकता है जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता मिल सके।

विगत विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों की भांति 22 सितम्बर से 24 सितम्बर 2012 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में संपन्न हुए 9वें (नौवें) विश्व हिंदी सम्मेलन में भी जो संकल्प लिए गये उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की मान्यता के संबंध में भी है जो इस प्रकार है:

– विगत वर्षों में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित प्रस्ताव को रेखांकित करते हुए हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

9वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अन्य संकल्प हैं:

– मॉरीशस में स्थापित विश्व हिंदी सचिवालय विभिन्न देशों के हिंदी शिक्षण से संबद्ध विश्वविद्यालयों, पाठशालाओं एवं शैक्षिक संस्थानों से संबंधित एक डाटाबेस का बृहत स्रोत केंद्र स्थापित करे।
– विश्व हिंदी सचिवालय विश्व भर में हिंदी विद्वानों, लेखकों तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार से संबद्ध लोगों का भी एक डाटाबेस तैयार करे।
– हिंदी भाषा की सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अनुरूपता को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा हिंदी संबंधी उपकरण विकसित करने का महत्वपूण कार्य जारी रखा जाए।

– विदेशों में हिंदी शिक्षण के लिए एक मानक पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के लिए महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा को अधिकृत किया जाए।
– अफ्रीका में हिंदी शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए और बदलते हुए वैश्विक परिवेश, युवा वर्ग की रुचि एवं आकांक्षाओं को देखते हुए उपयुक्त साहित्य एवं पुस्तकें तैयार की जाएँ।
– सूचना प्रौद्योगिकी में देवनागरी लिपि के प्रयोग पर पर्याप्त सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएँ ताकि इसका लाभ विश्व भर के हिंदी भाषियों और प्रेमियों को मिल सके।
– अनुवाद की महत्ता देखते हुए अनुवाद के विभिन्न आयामों के संदर्भ में अनुसंधान की आवश्यकता है, अतः इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए।
– विश्व हिंदी सम्मेलनों के बीच अंतराल में विभिन्न देशों में विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय सम्मेलन किए जाते हैं। इनका उद्देश्य उनके अपने–अपने क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण और हिंदी के प्रसार में आने वाली कठिनाइयों का समाधान खोजना है। सम्मेलन में इसकी सराहना करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि इस कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
– विश्व हिंदी सम्मेलन में भारतीय और विदेशी विद्वानों को सम्मानित करने की परंपरा रही है। इस विशिष्ट सम्मान के अनुरूप ही इन सम्मेलनों में विद्वानों को भेंट किए जाने वाले पुरस्कार अथवा सम्मान को गरिमापूर्ण नाम देते हुए इसे 'विश्व हिंदी सम्मान' कहा जाए।
– दो विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन के बीच यथासंभव अधिकतम तीन वर्ष का अंतराल रहे।
– 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाए।

अगस्त 1976 में मॉरीशस में संपन्न हुए द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में श्री अनंत गोपाल शेवड़े ने अवने उद्‌बोधन भाषण में अपने भावोद्‌गार प्रकट करते हुए कहा था –

''नागपुर के अधिवेशन में हिंदी के विश्व सूर्य का जो उदय हुआ था, अब दूर–दूर तक वह फैलने लगा है। हम चाहते हैं कि यह प्रकाश दसों दिशाओं में फैले, सारे विश्व में व्याप्त हो जाए....।'

वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा अतिशय सुखद और उत्साहवर्द्धक है।

# ‘हिन्दी’ भारत के भाल की बिन्दी या राष्ट्रभाषा हिन्दी

प्रमिला शाह

*रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, हल्द्वानी*

हिन्दी’ मात्र एक भाषा ही नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक लड़ी में पिरोने का सशक्त माध्यम है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसी वक्त संविधान का निर्माण किया गया और सन् 1950 में हिन्दी को पूर्णतः संविधान के लागू होने के बाद ‘राष्ट्रभाषा’ का दर्जा प्राप्त हो गया।

भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ मौसम, जलवायु, लोगों के रहन–सहन, त्यौहार एवं खान–पान में भी विविधता है। इसी प्रकार इसमें ‘भाषा’ की भी विविधता व्याप्त है, इसी कारणवश लोगों में यह मतभेद बना रहता है कि ‘हिन्दी’ को ही आखिर क्यों राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में व्याप्त है कि, हिन्दी के अलावा आज भी भारतवर्ष में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो सम्पूर्ण रूप से बोली समझी एवं लिखी जाती है। कई राज्यों में तो पाठ्यक्रम में बच्चों को हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हिन्दी वह भाषा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है।

जिस प्रकार नारी के श्रृंगार को उसके मस्तक पर शोभायमान बिन्दी सम्पूर्णता प्रदान करती है या यूं कहें कि नारी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है उसी प्रकार हिन्दी हमारे राष्ट्र का गौरव है। हमारी शान है। यह हमारी भारत माता के मस्तक का गौरव है जिसे हमें सदैव मस्तक पर ही रखना है। राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने का यह कतई मतलब नहीं है कि हम उसे सिर्फ वर्ष में आने वाले वर्षगाँठ की तरह मनाएं जैसा कि आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में ‘‘हिन्दी पखवाड़ा दिवस 14 से 28 सितम्बर’’ मना कर हो रहा है। यह हिन्दी की हमारे राष्ट्र की और स्वंय हमारी पराजय है।

हिन्दी भाषा को भारत के भाल की बिन्दी बनाने व उसके उत्थान एवं पल्लव के लिए कितने ही साहित्यकारों ने भरसक प्रयत्न किये अपनी जान गंवाई यातनाएं सही, तब कहीं जाकर इसे सर्वोच्च दर्जा मिल पाया है। इतनी असानी से सर्वोत्तम पद पर यह यूँ ही नहीं पहुँच गई। आज वही हिन्दी भाषा अपने ही देश में अपनी पहचान पाने के लिए भटक रही है। यह स्थिति हिन्दी भाषा के लिए दुर्भाग्यशाली नहीं है वरन यह हम हिन्दी भाषियों का दुर्भाग्य है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिन्दी और हिन्दुत्व दोनों उन दो विशाल एवं मजबूत स्तम्भ की तरह है जो कि इस सम्पूर्ण राष्ट्र को थामे हुए हैं। किसी एक के कमजोर पड़ने से सम्पूर्ण राष्ट्र के अस्तित्व को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। हिन्दी के उत्कर्ष, उत्थान और प्रगति में ही देश की प्रगति निहित है, क्योंकि अगर किसी देश की भाषा का लोप हुआ तो उस देश के नागरिक विश्व मंच पर अपनी पहचान खो देगें। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके लोगों से और वहाँ की भाषा से होती है। भाषा राष्ट्र का गौरव है और इसकी गरिमा को बनाये रखने का कार्य वहाँ के जन समुदाय का है। कुछ देश तो अपने देश की भाषा से भावनात्मक रूप से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि, उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अन्य देश की कम्पनियाँ अपने यहाँ उस भाषा के जानकार को रखने को बाध्य हो जाती है, उदाहरण के लिए चीन और जापान। हमें अपनी भाषा पर जो कि हमारा गौरव है, गर्व होना चाहिए।

जिसको न निज गौरव, न निज देश का अभिमान है।
वह नर नहीं, पशु निरा, और मृतक समान है।।

भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है और जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है, उसे अपनी भाषा में व्यक्त करना जितना सरल और सुगम होता है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं।

अपनी भाषा के समर्थन का अर्थ यह नहीं कि हम अन्य किसी भाषा में कोई कार्य ही न करें। स्वामी विवेकानन्द जो कि हिन्दी और संस्कृत पर समान अधिकार रखते थे, उन्हें अंग्रेजी तथा विश्व की कई अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। विश्व की विभिन्न भाषाओं के ज्ञान से हमें उस देश के साहित्य, विज्ञान, इतिहास अर्थव्यवस्था आदि का ज्ञान होता है। यह कहना कतई गलत होगा कि किसी दूसरी भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है। हम आधुनिकता के दौर में हैं। यदि हम सिर्फ अपनी राष्ट्र भाषा के माध्यम से हर क्षेत्र में बढ़ना चाहें तो यह बहुत मुश्किल होगा। आज चाहे क्षेत्र विज्ञान का हो या किसी और क्षेत्र का हमारे भारतवर्ष के अलावा अन्य राष्ट्रों ने भी काफी प्रगति की है। उनकी विकसित प्रणालियों को हम अपना रहे हैं और विकासशील राष्ट्रों में सम्मिलित हैं। हमें बाहरी राष्ट्रों से वे सभी विकसित प्रणालियों को अपने राष्ट्र हेतु सीखनी है ताकि हम भी आधुनिकता के क्षेत्र में सब के साथ कदम से कदम मिलाकार चल सकें एवं अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। इसके लिए अन्य भाषा का ज्ञान होगा भी जरूरी है।

अतः अति आवश्यक कार्यों में हमें अन्य भाषा का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए परन्तु हर क्षण हर पल यह सदैव याद रखना चाहिए कि हम भारतीय हिन्दी भाषी है यदि स्वंय हम हिन्दी को महत्व नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा। एक विदेशी भाषा के सम्मुख अपनी भाषा को तुच्छ समझना गलत है और यह हमारी दास मानसिकता और हीन भावना का द्योतक है। राष्ट्र भाषा को अपनाना सम्मानजनक होता है न कि अपमानजनक। 'हिन्दी' सिर्फ पखवाड़ों में ना मनाई जाए बल्कि जिस प्रकार श्वास लेना शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक है उसी प्रकार हिन्दी का प्रयोग भी राष्ट्र रूपी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है। अन्यथा जिस प्रकार बगैर श्वास शरीर संकट में होता है और समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि राष्ट्रभाषा का उचित सम्मान नहीं होता तो एक न एक दिन जरूर उसके स्वाभिमान को कोई रौंदकर उसे अपना गुलाम बना लेता है।

हिन्दी तमिल, तेलुगु मलयालम, बंगला, उड़िया आदि अनेक भाषाएं हमारे राष्ट्र में बोली जाती हैं। अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण हिन्दी राजभाषा भी है। 14 सितम्बर सन् 1949 को संविधान निर्माताओं ने एक मत से हिन्दी को संविधान के पद पर प्रतिष्ठित किया। प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया कि अगले पन्द्रह वर्षों तक हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी को सह भाषा के रूप में प्रयोग किया जायेगा, उसके पश्चात् हिन्दी ही एक मात्र भाषा होगी, फिर 1955 व 1957 में गठित खेर आयोग और पन्त समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब तक इस संघ से सम्बन्धित सभी विधान मण्डल सर्वसम्मति से हिन्दी को अपनाने का संकल्प पारित नहीं करते हैं तब तक अंग्रेजी को हिन्दी के साथ–साथ सहभाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहेगा। स्पस्ट है कि जब तक इस संघ का एक विधान मंण्डल नहीं चाहेगा तब तक हिन्दी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पायेगी, इस भाषा के साथ यही सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है।

हमारे राष्ट्र में 72 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलने में और समझने में समर्थ हैं। हमारे राष्ट्र में ही नहीं अपितु 6 करोड़ विदेशी भी हिन्दी समझते हैं। मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रिका, वर्मा, नेपाल, भूटान, बंगला देश, आदि देशों में भी बढ़ी संख्या में लोग हिन्दी बोलते हैं। वियतनाम व सूरीनाम जैसों देशों में भी हिन्दी भाषियों का बाहुल्य है। विदेशों में भी भी कई विश्वविद्यालयों व संस्थाओं में हिन्दी पठन पाठन

की समुचित व्यवस्था है। विदेशी भी इसे सिखने में काफी रूचि ले रहे हैं। इन कारणों से हिन्दी राष्ट्र भाषा बनने में पूरी तरह से समर्थ है। प्रारम्भ में कोई भी भाषा पूर्ण नहीं होती है लेकिन प्रयोग करते करते ही उसमें निखार आता है। कभी इंग्लैण्ड में फ्रांसीसी का प्रभुत्व था लेकिन वहां के नागरिकों की जागरूकता और उचित निर्णयों के कारण आज अंग्रेजी वहां की मुख्य भाषा है। प्रारम्भ में वहां भी तरह–तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी जैसेकि आज हिन्दी के विषय में व्यक्त की जाती हैं।

हमारे देश की अखण्डता हिन्दी माध्यम से ही सम्पन्न हो सकती है क्योंकि कच्छ से लेकर कोहिमा व कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक फैले प्राकृतिक औद्योगिक एवं तीर्थ स्थलों में हिन्दी बोली व समझी जाती है। हिन्दी भाषी प्रान्तों से लगे प्रान्तों जैसे गुजरात, जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश में भी हिन्दी बोलने व समझने वालों की संख्या बहुतायत में है। इतने बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य जिनती खूबसूरती से हिन्दी ने किया है वह किसी और भाषा के बस की बात नहीं है, तभी तो विनोबा भावे जी ने कहा कि–

''इस राष्ट्र की एकता अखण्डता हिन्दी है।''

कुछ लोग हिन्दी को सिर्फ हिन्दुओं की भाषा कह कर पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं, तो उनसे एक सवाल है कि क्या जायसी, कुतुब, उस्मान, जैसे सूफी कवि हिन्दू थे, क्या अब्दुल रहीम व रसखान हिन्दू थे ? इसी प्रकार यदि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विषय में तर्क करें तो लोगों का तर्क होता है कि, इस भाषा में हम विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम इन विषयों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखेंगे तो विश्व पटल में हम सबसे बहुत पीछे रह जायेंगे। वास्तविकता में यह उनका भ्रम मात्र है। क्या रूस व जापान ने अपने अनुसंधान कार्य किसी अन्य भाषा में किये हैं ? जी नहीं उन्होंने यह सारे कार्य अपनी ही भाषा के प्रयोग से किये हैं, और आज की तारीख में कोई भी उन्हें पिछड़ा हुआ कहने की भूल नहीं कर सकता। हमारे सोचने व कल्पना की भाषा हिन्दी है और सिर्फ यही भाषा है जिसमें हमारी कल्पना सृजनात्मक रूप में आ सकती है और हिन्दी को उचित स्थान दिलाने में हमारी जागरूकता व मानसिक चेतना ही सबसे अधिक सार्थक सिद्ध हो सकती है।

अतः आइए एक प्रतिज्ञा करें, चाहे कुछ भी हो हमें अपनी माँ की माथे की बिन्दी को बचाना है, उसे कागज के चार पन्नों में नहीं, दिल एवं दिमाग में सम्पूर्ण रूप से सम्मान देना है। अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति सम्मान की शिक्षा देनी है। देश के गौरव एवं मान सम्मान को पुनः गरिमा मण्डित करने के लिए हमें हिन्दी के उत्थान एवं विकास के लिए योगदान करना ही होगा और यह स्थिति तभी आयेगी जब हम अपने जीवन से जुड़ी हुई हिन्दी को बलात् प्रथक करने का प्रयास न करें तथा अपनी आने वाली पीढ़ी का इस व्यापक और गौरवमयी भाषा से परिचय करायें।

हम इस भारतवर्ष की कल्पना एक स्त्री रूप में करते हैं तथा उसे 'माँ' से सम्बोधित करते हैं। हिन्दी का पतन करके हम इस माँ का ललाट बिन्दु विहीन का देंगे। वह बिन्दु जो इसके स्वरूप को सम्पूर्णता एवं व्यक्तित्व को ओज प्रदान करता है। हमें स्वयं से एक बार फिर यह प्रश्न करना होगा कि क्या हम अपनी भारत माता को अधूरे श्रृंगार में देख सकेंगे, क्या यह स्थिति हमें तनिक भी विचलित नहीं करेंगी। जब हम ''हिन्दी'' भाषा को सम्मान देंगे तभी हम इस विश्व में दूसरों से भी सम्मान पायेंगे। हमारी 'हिन्दी राष्ट्रभाषा'' सम्मान पाएगी और तब हम फक्र से कह सकेंगे।

जन्म यहाँ पर हमने पाया,
अन्न यहाँ का हमने खाया,
वस्त्र यहाँ के हमने पहने
इसकी रक्षा ( राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा)
हम करेंगे हम करेंगे सिर्फ हम करेंगे।

# राजभाषा हिंदी के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान

अशोक द्रोपद गायकवाड

*न्यू आर्टस, कॉमर्स एन्ड साइन्स कॉलेज, अहमदनगर, महाराष्ट्र*

भाषाएं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हैं। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान प्रदान एवं उसे संगृहीत करता है। गत शताब्दी में सूचना और संपर्क के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के बहु आयामी उपयोग के कारण विकास के नये द्वार खुल रहे हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचनाए आँकड़े (डेटा) तथा ज्ञान का आदान–प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फ़ैल गया है। आर्थिक उदारतावाद के इस दौर में वैश्विक ग्राम (ग्लोबल व्हिलेज) की संकल्पना संचार प्रौद्योगिकी के कारण सफ़ल हुई है। इस नये युग में ई–मेल, ई–प्रशासन, ई–कॉमर्स, ई–मेडीसीन, ई–एज्यूकेशन, ई–बैंकिंग, ई–शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बनी है। कंप्यूटर युग के संचार साधनों में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से हम सूचना समाज में प्रवेश कर रहे हैं।1 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों से शीघ्र गति से विकास हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का नवीनतम रूप हमें इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, उपग्रह, प्रसारणश कंप्यूटर के रूप में दिखाई दे रहा है।

यंत्रों के उपयोग तभी सार्थक सिद्ध हो पाते हैं, जब ये अपनी भाषा के माध्यम से उपलब्ध हों अथवा अपनी भाषा में ये जानकारी उपलब्ध कराएँ। जनसामान्य में आम तौर पर यह धारणा व्याप्त है कि यांत्रिक उपकरणों की भाषा मात्र अंग्रेज़ी है, किंतु यह सही नहीं है। यांत्रिक उपकरणों की अपनी कोई भाषा नहीं होती। वास्तव में ये यांत्रिक साधन जिस भाषा में समायोजित हो जाते हैं, वे उसी के माध्यम बन जाते हैं। चूँकि यांत्रिक उपकरणों का विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ है, जिसके कारण अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। यह भी सच है कि यांत्रिक उपकरणों के विकास में भारत भी पीछे नहीं रहा। इस क्षेत्र में अनुसंधान के अनेक विकासोन्मुख आयाम स्थापित हुए। इन आयामों के विकास में हिन्दी भाषा का विशेष महत्त्व है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पी. वी. नरसिंहराव ने लिखा है कि 'विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र न तो मौलिक ढ़ंग से विकास कर सकता है और न तो अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय पहचान बना सकता है। विदेशी भाषा से अनुवाद की बैसाखी का सहारा भी अधिक समय तक नहीं लिया जा सकता है।'2

कंप्यूटर, जनसंचार माध्यम, मुद्रण, टंकण, तार, फ़ैक्स, ई–मेल, दूरमुद्रक आदि अनेक उत्पादों के विकास में हिन्दी की भूमिका बहुत ही उल्लेखनीय रही हैं। वस्तुतः कंप्यूटर दो प्रकार से कार्य करता है। एक, कंप्यूटर दिए हुए आंकड़ों के अनुसार गणनाएँ करके परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसे 'आंकड़ा संसाधन' (डाटा प्रोसेसिंग) कहते हैं। वेतन बिल बनानाए गणित के सवालों को हल करना, परीक्षा परिणाम निकालना, खाता–बही रखना आदि आंकड़ा संसाधन के उदाहरण हैं। आंकड़ा संसाधन के लिए फोर्ट्रान, कोबोल आदि कार्यक्रम उपयोग में लाए जाते हैं, कंप्यूटर में इन्हें 'प्रोग्राम भाषा' कहते हैं। ये प्रोग्राम अंग्रेजी में ही उपलब्ध थे। अब तक आंकड़े के साथ नाम आदि विवरण अंग्रेजी में ही दिए जाते थे और हिन्दी में कोई शब्द भरा नहीं जा सकता था। दूसरा, कंप्यूटर शब्द संसाधन के लिए भी काम

कर सकता है। पत्र लिखना, रिपोर्ट आदि तैयार करना, लेख लिखना आदि शब्द संसाधन के प्रमुख कार्य हैं। शब्द संसाधन के लिए वर्ड स्टार, वर्ड पर्फेक्ट आदि सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जो अंग्रेजी में लिखी सामग्री के संपादन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

भारत में इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) कानपुर का प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1977 तक हिन्दी में दोनों तरह के कार्यक्रम की उपलब्धता की आवश्यकता थी। अतः सर्वप्रथम शब्द संसाधन के क्षेत्र में कार्य आरंभ हुआ। 1971–72 में आई आई टी. कानपुर में एक बहुत सरल कुंजीपटल और उसकी प्रणाली तैयार की गई, जिसे सभी भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका पहला 'प्रोटोटाइप टर्मिनल' सन् 1978 में तैयार किया गया, किंतु भारत में प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर 'सिद्धार्थ' का विकास सन् 1980 के आसपास बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान, पिलानी और डी.सी.एम., दिल्ली के संयुक्त प्रयास में हुआ। इस कंप्यूटर पर 'शब्दमाला' नामक कार्यक्रम तैयार किया। यह हिन्दी–अंग्रेज़ी द्विभाषी शब्द संसाधक था। इसमें दोनों भाषाओं में एक साथ सामग्री संपादन की सुविधा थी। यह मशीन शब्द संसाधन के अलावा आंकड़ों का विश्लेषण भी कर सकती थी। उसके बाद सन् 1985 में भारत सरकार के उपक्रम सी एम सी लिमिटेड ने 'लिपि' नामक बहुभाषी शब्द संसाधक का विकास किया, जिसके द्वारा तीन भाषाओं अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी और किसी अन्य भारतीय भाषा में शब्द संसाधन का कार्य किया जा सकता था। बाद में कई कंप्यूटर कंपनियों ने द्विभाषी शब्द संसाधन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए, जो सामान्य कंप्यूटरों पर काम कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आई बी एम कंपेटिबल के आ जाने के बाद स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। आजकल अधिकतर कंपनियों के द्विभाषी या त्रिभाषी शब्द संसाधन पैकेज बाजार में सरलता से मिलने लगे हैं। इनमें प्रमुख हैं सॉफ्टेक कंपनी का 'अक्षर', टाटा कंसल्टैंसी सर्विस का 'शब्दमाला', हिन्दी ट्रोन का 'आलेख', सोनाटा का 'मल्टीवर्ड', काल्स का 'सुलेख', एस आर जी का 'शब्दरत्न' आदि। इनकी सहायता से किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम पर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन का कार्य किया जा सकता है।

हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से अनेक महत्त्वपूर्ण प्रलेख और पांडुलिपियाँ आदि सुरक्षित ढंग से संगृहीत की जा सकती हैं। भाषा संबंधी अध्ययन, विश्लेषण और प्रकाशन आदि के लिए डेटा संसाधन और डेटा प्रकाशन की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आज यह भी संभव हो गया है। डेटा संसाधन के लिए सामान्यतः 'डीबेस लोटस' जैसे सॉफ्टवेयर पैकेजों का प्रयोग किया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) कानपुर के सहयोग से प्रगत संगणक विकास केन्द्र (सी–डैक), पुणे ने सन् 1984 के आस–पास एक 'जिस्ट' प्रणाली का विकास किया है। इसके माध्यम से आज डेटा संसाधन से संबंधित सभी कार्य हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। 'विविधता में एकता' भारतीय भाषाओं और लिपियों की मूलभूत विशेषता है। इस मूलभूत एकता को वैज्ञानिकों ने पहचाना है और तद्नुसार सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान कुंजीपटल का विकास किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस तकनीक के माध्यम से किसी भी भारतीय लिपि के जरिये सभी भारतीय भाषाओं में अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। भारतीय भाषाओं में परस्पर लिप्यंतरण इस तकनीक की अन्यतम विशेषता है। इससे पुस्तकालयों में विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की अनुक्रमणिका तैयार की जा सकती है। कोश निर्माण के लिए भारतीय वर्णमाला के अनुसार अक्षरों का अनुक्रम भी बनाया जा सकता है। पर्यायवाची कोश या थिसॉरस के लिए समानुक्रमणिका का निर्माण भी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में किया जा सकता है। इस तकनीक से विभिन्न भाषाओं का मिश्रण भी संभव है। एक ही पृष्ठ पर अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य किसी भारतीय

भाषाओं में एक ही साथ कुंजीपटल द्वारा कार्य किया जा सकता है। मुद्रित रूप में अपने परिणाम प्राप्त करने से पूर्व मानिटर पर उन्हें बार–बार संशोधित, परिवर्तित और परिवर्धित किया जा सकता है। संशोधित पाठ को 'ब्लैक', 'बोल्ड', 'इटैलिक' या किसी अन्य रूप में मुद्रित करना भी इस तकनीक के माध्यम से संभव हो गया है। विविध प्रकार के 'फॉट्स' (अक्षरों) की भी इसमें व्यवस्था है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'इस्की' के अनुरूप मानक 'यूनीकोड' का निर्माण हुआ है जिसमें विश्व की सभी लिपियों का निर्धारण अंकीय पद्धति से हुआ है। इसी सदर्भ में हिन्दी के लिए 'मंगल' फॉट की व्यवस्था है।

आज सूचना प्रौद्योगिकी की विस्तृत भूमिका को देखते हुए विश्व स्तर पर हिंदी भौगोलिक सीमाओं को पार कर सूचना टेक्नोलॉजी के परिवर्तित परिदृश्य में विभिन्न जनसंचार माध्यमों तक पहुँच रही है। हिंदी के नए सॉफ्टवेयर हों या इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अनेक चुनौतियों को स्वीकार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन–माध्यमों में अपनी मानक भूमिका के लिए संघर्षरत है।

राजभाषा विभाग सी–डैक, पुणे के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग को सरल व कुशल बनाने के लिए विभिन्न साफ्टवेयरों द्वारा हिंदी भाषा को तकनीकी से जोड़ने का सफल प्रयास 'प्रगत संगणक विकास केन्द्र (सी–डैक)ए पुणे' ने किया गया है। 'एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ग्रुप, प्रगत संगणक विकास केंद्र, पुण' द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर में विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से इंटरनेट पर हिंदी सीखने के लिए लीला सॉफ्टवेयर विकसित किया है। लीला सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठयक्रम असमी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, कन्नड़ मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया तमिल, तेलुगू, पंजाबी, गुजराती, नेपाली और कश्मीरी के द्वारा इंटरनेट पर सीखे जा सकते हैं। हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठक्रम के प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु ऑन लाइन परीक्षा प्रणाली का विकास भी किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से ही परीक्षा दी जा सकेगी। द्विभाषी–द्विआयामी अंग्रेज़ी–हिंदी उच्चारण सहित ई–महाशब्दकोश का विकास किया गया है। ई–महाशब्दकोश में हर शब्द का उच्चारण दिया गया जो कि किसी और शब्दकोश में नहीं मिलता। हिंदी शब्द देकर भी उसका अंग्रेज़ी में अर्थ खोज सकते हैं। प्रत्येक अंग्रेज़ी और हिंदी शब्द के प्रयोग भी दिए गए हैं।[4]

आज के दौर में इंटरनेट पर सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ व सूचनाएँ उपलब्ध हैं जैसे परीक्षाओं के परिणाम, समाचार, ई–मेल, विभिन्न प्रकार की पत्र–पत्रिकाएँ, साहित्य, अति महत्त्वपूर्ण जानकारी युक्त डिजिटल पुस्तकालय आदि। परन्तु ये प्रायः सभी अंग्रेज़ी भाषा में हैं। अतः आज ये जरूरी है कि ये जानकारियाँ भी हिंदी में उपलब्ध कराई जाएं। कम्प्यूटर पर भाषाओं के बीच एक पुल बनाने के लिए 'मंत्र' प्रोजेक्ट के तहत एक हिंदी सॉफ्टवेयर के विकास के सहयोग से ये कुछ हद तक मुमकिन होता दिख रहा है। हिंदी में अनेक पोर्टल भी प्रारंभ हो गए हैं। पोर्टल के माध्यम से देश–विदेश की ख़बरें, वर्गीकृत विज्ञापन, कारोबार संबंधी सूचनाएँ, शेयर बाजार, शिक्षा, मौसम, खेलकूद, पर्यटन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही हैं कि उपयोगकर्ता को इनका समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।

टैलेक्स प्रणाली में हम अपने कंप्यूटर पर टेलेक्स कोड लगा कर संदेशों का आदान–प्रदान कर सकते हैं। इस सुविधा को हिन्दी में सुलभ कराने के लिए डाटा वाइट, सी एस सी, एच सी एल आदि अनेक कंपनियों ने द्विभाषी उपकरण विकसित किए हैं। इसके अलावा आर के रिसर्च कंप्यूटर फाउडेंशन ने 'सुलिपि' सॉफ्टवेयर पर आधारित एक इंटरफेस का विकास किया है, जिसकी सहायता से किसी भी कंप्यूटर पर हिन्दी में संदेशों का आदान–प्रदान किया जा सकता है। फिल्मों के उपशीर्षक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखने का कार्य भी आरंभ हो गया है।

कंप्यूटर से अनुवाद भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में मूल पाठ को कंप्यूटर में डाला जाता है और उसका अनुवाद कुछ ही क्षणों में आ जाता है। इसमें शब्दकोश और व्याकरणिक प्रक्रिया निहित होती है जो स्वचालित अनुवाद में सहायक होती है। आई आई टी कानपुर और सी–डैक, नोएडा के संयुक्त प्रयास से अंग्रेजी–हिन्दी 'आंग्ल भारती' मशीनी अनुवाद का विकास हुआ है। इसी के साथ–साथ एक प्राइवेट कंपनी ने 'अनुवादक' मशीनी अनुवाद का विकास किया है। हिन्दी–अंग्रेजी मशीनी अनुवाद का विकास हो रहा हैए जिसमें आई आई टी कानपुर और आई आई आई टी हैदराबाद संलग्न हैं।[5]

कंप्यूटर मुद्रण के अतिरिक्त अनुवाद, कोश–निर्माणए शिक्षण, सूचना–संग्रह आदि भाषा से जुड़े विभिन्न कार्यक्षेत्रों में यांत्रिक साधनों की विशेष भूमिका रहती है। हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के क्षेत्र में साटवेयर जैसे यांत्रिक साधनों का जो विकास हुआ है, वह एक क्रांतिकारी आविष्कार है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में प्रकाशित संप्रतीक अभिज्ञान (ओ सी आर), वर्तनी जाँचक, मशीनी अनुवाद, वाणी को लेखन में और लेखन को वाणी में लाने के यांत्रिक साधनों का विकास हो रहा है। इस प्रकार वीडियो डिस्क, टेलीटेक्स्ट, वीडियो टेक्स्ट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पेजिंग, ई–मेल, सेल्युलर, सेटेलाइट फोन और फैक्स आदि ऐसे यांत्रिक साधन हैं जो मानव–जीवन के विकास को नया आयाम प्रदान करते हैं। सूचना–प्रौद्योगिकी के इन विविध उपादानों में कंप्यूटर की भूमिका सर्वाधिक महत्त्व है। वस्तुतः कंप्यूटर के अभाव में सूचना–प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना निरर्थक है। कंप्यूटर, यांत्रिक साधनों का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे हिन्दी भाषा का विकास संभव है।

डॉ. काजल बाजपेयी लिखते हैं कि 'भारतीय भाषा कंप्यूटिंग या हिंदी भाषा कंप्यूटिंग का अंतिम लक्ष्य यह निश्चित करना है कि सूचना प्रौद्योगिकी जनमानस तक उसकी अपनी भाषा में पहुँचे ताकि वह नई टैकनोलॉजी से काम करने में अधिक आसानी महसूस करे। हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी की विकासात्मक और सामाजिक दोनों ही भूमिका हैं। विकासात्मक भूमिका में इसका संबंध विभिन्न अनुप्रयोग के लिए नई टेक्नॉलॉजी का डिजाइन और विकास करने से है किंतु सामाजिक भूमिका में यह भाषिक अवरोध को तोड़ती है और हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करके सूचना की प्राप्ति से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अन्तर को कम करती है।'[6] आज ज़रूरत है अपने प्रयासों को तेज़ी से अमल में लाने की तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने की।

आज सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ हिन्दी इंटरनेट पर भी स्थान पा चुकी है। अनेक हिन्दी और हिन्दीतर भाषाई समाचार पत्रों के इंटरनेट संस्करण उपलब्ध हैं। आज हिन्दी शब्द संसाधन डेटाबेस प्रबंधन, प्रकाशन, पृष्ठीकरण के रूप में हिन्दी के प्रयोजनमूलक स्वरूप का विकास हो चुका है। सन् 1998 में हाईटैक सिटी हैदराबाद के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था, "भारत में 'इंफार्मेशन टैक्नोलॉजी टास्क फोर्स' की स्थापना पर बल दिया था जिसका लक्ष्य भारत से 100 मिलियन डॉलर तक सॉफ्टवेयर निर्यात करना था। इसीलिए भारत ने विश्व व्यापार संगठन के साथ 'टेलीकॉम एग्रीमेण्ट और द इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेण्ट' पर हस्ताक्षर किए थे।"[7] सरकार भारत को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति और सूचना क्रांति के युग में अव्वल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार ने देश की शीर्ष पांच प्राथमिकताओं के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की घोषणा की है और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है।

वैश्वीकरण के नाम पर विस्तारित बाजारवाद ने हिन्दी की देवनागरी लिपि प्रयोग परक वैज्ञानिकता को आधार दिया है तथा संस्कृत एवं हिन्दी को कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक सहज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भविष्य की हिंदी भाषा अधिक गतिशील और विश्वोन्मुखी होगी। हिंदी भाषा में असीमित सम्मिलन क्षमता है अर्थात अन्य भाषा के शब्दों को अपने भीतर समाहित करने की

शक्ति उसमें विद्यमान है। अनुप्रयोग के हर क्षेत्र के लिए हिंदी भाषा की वैज्ञानिक प्रगति स्वयंसिद्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी के सशक्त माध्यम के रूप में हिंदी पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से विकसित हुई है। इंटरनेट में हिंदी का बढ़ता हुआ प्रयोग इस सत्य को प्रमाणित करता है। हिंदी के जालघर (वेबसाईट) आज इंटरनेट की दुनिया में सक्रिय हैं तथा विश्व के हर कोने से इन जालघरों द्वारा इसके प्रयोक्ता एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं। इंटरनेट में हिंदी में ब्लाग–लेखन (चिट्ठाकारी) बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। ब्लॉग–लेखन एक ऐसी सुविधा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जगह (साईट) बनाकर उसपर अपना लेखन कार्य प्रदर्शित कर सकता है, जिसे विश्वभर से लोग पढ़ सकते हैं और जिस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। हिंदी के अनेकों ऐसे साईट खुल गए हैं जो विश्व के हर कोने से लोगों को जोड़ रहे हैं। आज संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया है। यहाँ तक कि विदेशी रेडियो व टेलीविज़न सेवाएँ भी हिंदी में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगी हैं। इसका कारण हिंदी के श्रोता और दर्शकों की संख्या में वृद्धि है, यही उनके लिए बाज़ार है।

आज के युग में प्रौद्योगिकी के ज्ञान को जन साधारण तक पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्य विदेशी भाषा द्वारा संभव नहीं है। अब हिन्दी को शिक्षण– प्रशिक्षण की सार्थक भाषा बनाने हेतु हमें नई परियोजनाओं के बारे में भी सोचना होगा। इतना ही नहीं अंग्रेजी के बेहद प्रचलित शब्दों को भी जो विज्ञानए प्रशासन इत्यादि से जुड़े हैं, उन शब्दों के इस्तेमाल की भी अनुमति देनी होगी तभी हम हमारी राजभाषा हिंदी के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में लाभ उठाते हुए देश को उन्नत कर पायेंगे।

## संदर्भ


1. http:èèhi.wikipedia.orgèwikiè
2. http:èèastitva53-wordpress-comè2012è08è28è राजभाषा–का–वैज्ञानिक–तकन/
3. दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी – डॉ डी डी ओझा/सत्यप्रकाश।
4. http:èèwww.hinditech.co.inènews_detail.php?Enews_Id=53&back=1
5. सूचना प्रौद्योगिकी हिन्दी और अनुवाद, संपादक डॉ पूरनचंद टंडन।
6. http:èèwww.abhivyakt hindi.orgèvigyan_vartaèpradyogikiè 2009 aunvad prodyogiki htm
7. http:èèrsaudr.orgèshow_artical.php?&id=2499

# प्रयोजन मूलक हिन्दी में वैज्ञानिक तकनीकी प्रौद्योगिकी का भाषिक प्रयोग

फ़िरोज़ा जाफ़र अली
*कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर, छत्तीसगढ़*

बीसवीं शताब्दी में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जितना विकास हुआ, उतना विकास पिछले एक हज़ार वर्षों में भी नहीं हुआ। विज्ञान का सीधा संबंध तकनीकी और प्रौद्योगिकी से है। भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का ज्यों ज्यों विकास होता गया, वैसे ही इनके सटीक एवं सार्थक अभिव्यक्ति के लिए, हिन्दी के प्रयोजन मूलक रूप में तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता होने लगी। उद्देश्यपरक, व्यवहारिक हिन्दी के भाषा रूप के शब्दों का प्रयोग बीसवीं शती के सातवें दशक से होने लगा। जीवन की विविध विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग में लाई जाने वाली हिन्दी का मुख्य लक्ष्य जीविकोपार्जन के विविध क्षेत्रों मे प्रयुक्त होने वाले, भाषा रूपों को प्रस्तुत करके, विकसित तथा समृद्ध करना है। प्रयोजन मूलक हिन्दी की संकल्पना में, प्रयुक्ति के स्तर, विषयवस्तु, संदर्भ के अनुरूप पारिभाषिक शब्दावली तथा विशिष्ट भाषिक संरचना समाहित हैं। जब हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन हुई, उसी समय विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में तीव्र प्रचार–प्रसार हो रहा था। हिन्दी की ज़िम्मेदारी भाषिक दायित्वों के निर्वाह के लिए बढ़ गई। भारत की राजभाषा बनने के बाद सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के सर्वथा अनछुए पहलुओं से गुज़रने के लिए हिन्दी की बाध्यता बढ़ गई। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि गुणों से परिपूर्ण प्रयोजन मूलक हिन्दी, विज्ञान तथा तकनीकी के गुणसूत्रों, सिद्धान्तों, नवीनतम् प्रयोगों, विधियों आदि को भाषिक संरचना में तर्क संगत वैज्ञानिक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम है। विज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित तकनीकी एवम् प्रयोजन मूलक शब्दावली निर्माण परम्परागत हिन्दी के लिए दुष्कर कार्य था मगर विज्ञान की यांत्रिक भाषा को संवेदना की भाषा बनाने के लिए नये सिरे से हिन्दी को विशिष्ट प्रयुक्तिपरक सांचे मे ढालना अपरिहार्य हो गया। ''विज्ञान हमारी संवेदना का हिस्सा कैसे बने ? अलबर्ट आइन्सटाइन ने पहले ही इसके लिए एक मानक निर्धारित कर दिया कि विज्ञान और मनुष्य का रिश्ता क्या हो, यह अनिवार्य है कि, विज्ञान का हर छात्र जीवन मूल्यों की समझदारी और उनके प्रति जीवन्त प्रतिबद्धता अर्जित करे। अन्यथा अपने विशेष ज्ञान के कारण, वह एक अच्छी तरह सिखाए हुए पालतू कुत्ते की तरह है। उसका व्यक्तित्व सुचारू रूप से विकसित नहीं हो सकता''1। प्रयोजन मूलक हिन्दी स्वयं एक पारिभाषिक शब्द है, जिसमें विशिष्ट भाषिक संरचना वाले रूप का प्रयोग सभी प्रकार के अत्याधुनिक ज्ञान विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी सरकारी और ग़ैर सरकारी कार्यों, कार्यालयीन प्रविधि, खेलकूद, पत्रकारिता, कम्प्यूटर, अंतरिक्ष विज्ञान के साथ–साथ सामाजिक विज्ञान शास्त्र एवम् राजनीतिशास्त्र को आधुनिक रूप देने के लिए प्रयोजन मूलक हिन्दी का स्वरूप उपयुक्त है।

प्रयोग क्षेत्र के आधार पर प्रयोजन मूलक हिन्दी राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही क्षेत्रों में बखूबी कार्य करती है। अनुप्रयुक्तता, के साथ–साथ इसकी भाषिक संरचना में तटस्थता, निर्वैयक्तिकता तथा स्पष्टता का गुण सर्वत्र झलकता है। इसकी वैज्ञानिकता का मूल आधार इसका प्रायोगिक भाषा विज्ञान

के अन्तर्गत एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र का होना है। प्रयोजन मूलक हिन्दी का मूलाधार पारिभाषिक शब्दावली तथा तकनीकी प्रवृत्ति है, जो कि वैज्ञानिक नियमों की भाँति ही सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक है। प्रयोजन मूलक हिन्दी की भाषा तथा शब्दावली में विषय–निष्ठता, तर्क–संगतता, तटस्थता तथा स्पष्टता स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। प्रयोजन मूलक हिन्दी का सीधा संबंध समाज से संबद्ध ज्ञान–विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से है, अतः इसकी सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्तर तथा सामाजिक सन्दर्भ के अनुरूप ही भाषा रूपों का प्रयोग व्यवहार होता है। वाणिज्य व्यापार, कार्यालयीन हिन्दी, तकनीकी हिन्दी, समाजशास्त्रीय हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, प्रयोजन मूलक हिन्दी के स्वरूप निर्धारण का आधार है। इसके विभिन्न प्रयोग क्षेत्रों में विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण तथा भाषिक प्रयोग प्रस्तुत शोध पत्र का विषय है।

हिन्दी में विज्ञान तकनीकी और प्रौद्योगिकी शब्दावली निर्माण से पहले इस क्षेत्र में अंग्रेज़ी का पूर्णतः आधिपत्य था, मगर हिन्दी राष्ट्रभाषा वाले इस देश में मुट्ठी भर अंग्रेज़ी जानने वालों के भरोसे विज्ञान तथा तकनीकी का विकास एवम् प्रसार संभव नहीं था। भाषा संवेदना का प्रमुख स्त्रोत है। भाषा की शुष्कता, संवेदना के स्त्रोत को सुखा देती है। संवेदना के प्रश्न को भाषा के प्रश्न से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भाषा प्रयोग से देश में वैज्ञानिक संवेदना का विकास संभव है। जुलाई 1971 में हुई आई आई टी मद्रास के दीक्षान्त समारोह में प्रो एम जी के मेनन द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश दृष्टव्य है – ''इस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास पुरी तरह अंग्रेज़ी पर निर्भर है। अंग्रेज़ी जानने वाले लोग गिनती के हैं। ऐसी स्थिति में एक विशाल, विज्ञानोन्मुख समुदाय का विकास कैसे हो सकता है और कैसे देश में वैज्ञानिक तेवर बन सकता है ? इतने छोटे अंग्रेज़ी जानने वाले वर्ग के साथ हम विज्ञान का विकास नहीं कर सकते''2। अंग्रेज़ी के स्वामी भाषा बन जाने की दशा में हमारे मन में यह बैठ गया कि विज्ञान को अंग्रेज़ी में ही समझा जा सकता है, भाषा के सन्दर्भ में यही रूढ़िवादिता और भाषिक अंधविश्वास ने विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के भाषा निर्माण को अनुत्पादकता की ओर ढकेल दिया था। प्रयोजन मूलक हिन्दी से इन विसंगतियों को दूर किया जाना संभव हो सका है।

विज्ञान के विषयों के नाम पर प्रचलित विभिन्न विषयों का वर्गीकरण करने पर इसका विशाल क्षेत्र नज़र आता है। विज्ञान तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी में तेज़ी से लेखन कार्य किया जा रहा है। जो कि पुस्तकों, शोधपत्रों, पत्रिकाओं, कोशों तथा विश्वकोशों एवम् जनसंचार माध्यमों से, के रूप में के रूप में उपलब्ध है। आधुनिक विज्ञान तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी साहित्य लेखन की परम्परा का विकास यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद मुख्यतः 18–19 वीं शताब्दी से आरंभ होकर 20 वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुँच गया। इस प्रकार के आधुनिक विज्ञान, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी साहित्य लेखन का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नहीं के बराबर मिलता है। ''पाणिनी कृत अष्टाध्यायी लगभग 700–500 ई.पू. में संस्कृत के समस्त व्याकरण को कुछ सूत्रों तथा नियमों में समेट कर अत्यन्त वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत किया गया है''3। मगर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जहाँ कहीं भी इस से संबधित उल्लेख मिलता है, उसका स्वरूप आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली तथा तार्किकता से एकदम अलग है। आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी लेखन की परम्परा भारत में मुख्यतः अंग्रेज़ी माध्यम से तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से मिलती है। स्वतंत्रता से पहले अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिन्दी में भी विज्ञान के विभिन्न विषयों पर पुस्तक लिखने का प्रयास किया गया, किन्तु पारिभाषिक शब्दों का निर्माण नहीं हो सकने के कारण, यह कार्य विस्तार न पा सका। तात्कालिक वैज्ञानिकों ने पारिभाषिक शब्दावली निर्माण करने का व्यक्तिगत प्रयास किया तब उन्हें अनुभव हुआ कि, यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत दुष्कर तथा श्रमसाध्य है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा रूपों की विशिष्ट संरचना होने के कारण प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। वैज्ञानिक भाषा में ऐसे शब्दों, वाक्यांशों, वाक्य रूपों का प्रयोग होता है,

जिनका अर्थ, सम्बंध विज्ञान विषय के सन्दर्भ में विशिष्ट होता है। किन्तु इस भाषा का संबंध विज्ञान के अतिरिक्त पत्रकारिता, बैंकिंग, बीमा, शेयर, बाजार, प्रशासन आदि व्यवहार क्षेत्र से भी है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों की भाषा भी तकनीकी हो सकती है। ऐसी स्थिति में इन विषयों की भाषा रूप को विज्ञान की भाषा नहीं कह सकते। सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों की विशिष्ट शब्दावली, अभिव्यक्तियाँ तथा वाक्य शैली के कारण इसे तकनीकी भाषा तो कहा जा सकता है मगर विज्ञान की भाषा नहीं कह सकते। कथन शैली शब्दों तथा अभिव्यक्तियों से तकनीकीपन की मात्रा का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कुछ सन्दर्भों तथा विषयों में तकनीकी प्रयोग की मात्रा कम होती है जिसे विषय का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है।

वाणिज्य, व्यापार, या अर्थ जगत से संबंधित बाजार भाव की सूचना देने वाले अधोलिखित अनुच्छेद में इसे आसानी से समझा जा सकता है। 'चीनी कोटा कम आने की सम्भावना से स्थानीय तथा दिसवरी पार्टियो द्वारा 15–20 हजार बोरी सौदा किए जाने से मिल डिलीवरी चीनी 5 के मुकाबले 15 रूपये सुधर गई, गुड़ में भी 25 रू का लाभ हुआ। किराना में निर्यात के आसार धूमिल होने से ज़ीरा 200–400 रू टूट कर 8300–10200 रू प्रति क्विन्टल रह गया। काली मिर्च, कलौंजी तथा मगज़ तरबूज़ के भाव भी टूट गए'। इस अनुच्छेद की भाषा शैली अत्यंत सरल तथा सुबोध है जिसमें अति प्रचलित सरल तकनीकी शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। विज्ञान के भौतिकी विषय के अंग विशेष से संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित अनुच्छेद में दिखाई देता है जिसकी भाषा शैली सीधी सपाट तथा यान्त्रिक है। 'बहुलक (पॉलिमर) एक जातीय नाम है, जो अधिक अणुभार वाले पदार्थों को दिया गया है। बहुलकों की रासायनिक संरचना भौतिक गुण, यान्त्रिक व्यवहार, तापीय विशेषताएँ भिन्न होती हैं। विभिन्न विषयों तथा सन्दर्भों में तकनीकी शब्दों की मात्रा अपेक्षाकृत कम या ज़्यादा होती है। विज्ञान क्षेत्र के मूलभूत विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान के विषयों की भाषा में अत्याधिक तकनीकीपन होने के कारण ऐसे विषयों को समझने के लिए गहन तथा विस्तृत तार्किक सोच तथा प्रखर दृष्टि आवश्यक होती है।

विज्ञान की भाषा तथा सामान्य भाषा रूपों में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य देखने को मिलता है। जिसे निम्नलिखित वैज्ञानिक भाषा के उदाहरण से समझाा जा सकता है। 'मानव भोजन के किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहा है और न ही रह सकता है। वह पौधों तथा पशुओं दोनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन कर सकता है तथा करता चला आ रहा है। मानव के लिए जीवन के किसी अन्य पक्ष की तुलना में जीवन का आनन्द भोजन की विविधता में है।' वैज्ञानिक भाषा के शब्द तथा वाक्य सदैव अभिधामूलक होते हैं। जबकि साहित्यिक भाषा के शब्दों में लक्षणा एवं व्यजंना की अधिकता होती है। साहित्यिक भाषा में शब्दों तथा वाक्यों को उनके मूल रूप, अर्थ से हटा कर विस्तार दे दिया जाता है जैसे –'पति के मृत्यु से उसकी विधवा पर दु:खों का पहाड़ टूट गया।' विज्ञान की भाषा में कभी भी दु:खों का पहाड़ नही हो सकता, अगर पहाड़ की बात होगी तो वह केवल पत्थर से बना पहाड़ हो सकता है। विज्ञान में साहित्य की तरह अधिक विकल्प नहीं है। एक साहित्यकार तथा एक वैज्ञानिक की सोच के अन्तर को कवि हरिकृष्ण प्रेमी की कविता की चन्द पंक्तियों से समझा जा सकता है।

आंखों मे प्रिय की आंखे है, आंखों में प्रिय की पहचान,
आंखों में प्रिय की लाली है, उस लाली में प्रिय का मान।

अगर वैज्ञानिक को इस पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाए तो वह संभवतः आँख की इन्द्रिय महत्ता को बतायेगा कि आँख मानव शरीर का वह हिस्सा है, जो प्राणियों को रूप, वर्ण देता है। विज्ञान की भाषा वस्तुनिष्ठता, कथानात्मकता, विवरणात्मकता लिये होती है। कथानात्मक या विवरणात्मक भाषा रूप में किसी विषय या वस्तु के बारे में सूचना संप्रेषित करना विज्ञान का लक्ष्य होता है, उसमें निहित मनोभावों से इसका कोई सरोकार नहीं होता।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा रूपों का विकास तकनीकी शब्दावली, तकनीकी अभिव्यक्तियाँ, तकनीकी वाक्य शैली के समुचित विकास के आधार पर ही होता है। इन घटकों का संबंध इन से सम्बद्ध मौलिक विषय ज्ञान से आबद्ध रहता है। इन भाषा रूपों की विकास प्रक्रिया सहज या प्राकृतिक विकास प्रक्रिया से या सायास या नियोजित विकास प्रक्रिया से क्रियान्वित होती है। भारत में मुख्यतः अंग्रेज़ी के तकनीकी तथा वैज्ञानिक भाषा रूपों को ही आधार के रूप में स्वीकार करके हिन्दी में तकनीकी भाषा रूप विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जैसे – astigmatism दृष्टि–वैषम्य, hypertension अतिमानव, skimmed-milk क्रीम निकाल कर सुखाया हुआ दूध। नवीन भाषा रूपों को विकसित करने के प्रयास की प्रक्रिया में अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुवाद में कृत्रिम तथा जटिल अनुवाद कार्य होने से इसकी बोधगम्यता हिन्दी भाषी समाज के दुरूह हो जाता है। निःसंदेह किसी भी तकनीक या वैज्ञानिक भाषा रूप की सार्थकता उसके प्रयोग–बाहुल्य क्षेत्र तथा प्रयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है।

शब्द संरचना तथा शब्दार्थ स्तर पर सामान्य शब्दों तथा तकनीकी शब्दों में अंतर किया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से सामान्य शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया से तकनीकी शब्दों का निर्माण होने के कारण, संरचना तथा रचना विधियों में अंतर नहीं पाया जाता। दोनों की शब्द संरचना का सिद्धान्त तथा शब्द व्याकरण समान होने के कारण दोनों की शब्द संरचना समान होती है। अर्थ तथा प्रयोग की दृष्टि से तकनीकी शब्दों के कुछ विशिष्ट लक्षण या गुण धर्म होते हैं जिनके कारण सामान्य शब्द भी वैज्ञानिक तथा तकनीकी संदर्भों में विशिष्ट अर्थ व्यक्त करने की योग्यता धारण कर लेते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सन्दर्भों में अर्थ तथा संकल्पना की दृष्टि से सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। तकनीकी शब्दों के अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाते हैं। सामान्य भाषा में अंग्रेज़ी का प्रोग्राम या मेमोरी शब्द कम्प्यूटर विज्ञान के संदर्भ में विशिष्ट अर्थ सूचक हो जाते हैं। इसी प्रकार तकनीकी एक शब्द एक अभिप्राय के सिद्धान्त का अनुगामी होता है जैसे भौतिकी में energy= उर्जा अभिप्रेत है, न कि शक्ति, बल, ताकत, स्फूर्ति। विज्ञान तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर अनुसंधान होने के कारण सूक्ष्म अर्थदर्शी शब्द के भेद–उपभेद विकसित होते रहने से सूक्ष्म अर्थभेदकता में वृद्धि हो रही है। जैसे – movement= चाल, speed= गति, velocity= वेग, epidemic= महामारी, endemic= लघुमारी, pandemic= विश्वमारी, ray= किरण, beam= किरण–पुंज, radiation= विकिरण, energy= उर्जा, vigour= ओज, power= शक्ति। सामान्य शिक्षित व्यक्ति के लिए इस सूक्ष्म अर्थ भेद का महत्व भले ही ना हो मगर तकनीकी या विज्ञान विशेषज्ञ के लिए इसका अत्याधिक महत्व है।

भाषा–शब्द प्रयोग की स्थिति पर विचार करने से पता चलता है कि, तकनीकी शब्दों को लोकप्रिय बनने में काफी समय लगता है। किसी भी स्त्रोत भाषा के तकनीकी शब्दों के लिए लक्ष्य भाषा में बनाए गए समानार्थी तकनीकी शब्दों को प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ताओं के पास एक से अधिक शब्द उपलब्ध रहते हैं। जैसे– अधिशासी, कार्यकारी, कार्यपालक के साथ साथ executive भी हिन्दी भाषा के पास उपलब्ध है। जबकि मूल रूप से बने तकनीकी शब्दों की प्रयोग ग्राह्यता में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती इसलिए भाषिक शब्द प्रयोग में एकरूपता बनाये रखने के लिए तकनीकी समानार्थियों में से सर्वत्र एक ही विकल्प का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। एकरूपता होने से अर्थ ग्रहण बोधगम्य बना रहेगा। तकनीकी शब्दों के प्रयोग में आसानी, प्रसार से वृद्धि तथा सामाजिक ग्राह्यता बढ़ाने में प्रयोग के समुचित अवसर, विकल्प का अभाव, सहज सटीक शब्द चयन, शिक्षा, माध्यम परिवर्तन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, विषय से संबंधित प्रकाशन आदि सहायक हो सकते हैं। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा बार–बार परिवार नियोजन, पर्यावरण, वायु प्रदुषण, प्रायोजित कार्यक्रम जैसे तकनीकी समानार्थी शब्दों के प्रयोग से इनका लोकप्रिय होना यह सिद्ध करता है कि प्रयोग का अवसर मिलने पर तकनीकी शब्द शीघ्र ग्राह्य होते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र में कम्प्यूटर, प्रोग्राम, माउस, पी.सी. शब्दों का प्रयोग करने

वाला व्यक्ति इन शब्दों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि वह अब इन के समानार्थी तकनीकी शब्द संगणक, क्रमादेश आदि शब्दों का प्रयोग करने से परहेज करता है। अपनी संक्षिप्तता, सहजता तथा बोधगम्यता के कारण परियोजना (project) नसबंदी (sterlisation) सर्वहारा (proletarian) जैसे शब्द लोकप्रिय हो गये हैं।

भाषिक सन्दर्भ में वैज्ञानिक लेखन विज्ञान तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विषयों का अध्ययन सिद्धान्त प्रयोग तथा अनुप्रयुक्त स्तरों पर किया जाता है। प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य मानव समाज की उन्नति में यथासंभव सहयोग प्रदान करना है। जन सामान्य की सोच में वैज्ञानिकता लाने के लिए हिन्दी भाषा में विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की यथोचित जानकारी प्रदान करनी होगी। ज्ञान–विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी धीरे–धीरे भारतीय भाषाओं के प्रयोग व्यवहार को और बढ़ाना होगा। लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना होगा, जिससे सामान्य पाठक तकनीकीपन तथा सूत्रात्मकता के बोझ से बच सके। वैज्ञानिक तथ्यों को सरल, सरस तथा बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुवाद पद्धति के सहारे लिखी गई विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी की सामग्री में सामान्यतः जटिलता तथा अबोधगम्यता की संभावना ज़्यादा नज़र आती है। इसलिए भारतीय भाषाओं मे विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर प्रामाणिक एवं अनुसंधानपरक साहित्य लेखन की महती आवश्यकता है। भारतीय भाषाओं में विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करना सामाजिक, शैक्षिक तथा भाषिक दायित्व तथा समय की मांग दोनो है। ज्ञान–विज्ञान का विकास भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही भली–भाँति हो सकता है। शोधपरक, अनुसंधानात्मक वैज्ञानिक लेखन की सूत्रात्मकता का सरलीकरण किया जाना चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दिये जाने के प्रयासों के साथ ही शब्दों, वाक्यांशों तथा प्रसंगो का सुमुचित प्रयोग निर्धारित किया जाना चाहिए। तब ही विज्ञान तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की जानकारी केवल विषय विशेषज्ञों तक सीमित न होकर वैज्ञानिक तथ्यों का प्रचार–प्रसार प्रबुद्ध वर्ग के पाठकों के साथ ही साथ जन सामान्य के मध्य भी होगा। साथ ही विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी का भाषिक प्रयोग तथा लेखन को बढ़ावा मिलेगा।

वैज्ञानिक लेखन या संवाद का विशुद्ध तकनीकी भाषा रूपों के विभिन्न स्त्रोतों, जैसे– शोधपत्र, उच्चस्तरीय आलेख, पाठ्यपुस्तकें तकनीकी पत्रिकाएं, पुस्तकें, संदर्भग्रंथ, परिभाषा कोश, आदि की उपलब्धता या जानकारी विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों को मिले। इसके लिए हिन्दी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में सहज सरल तथा उपयुक्त भाषा रूप का विकास होना आवश्यक है। विज्ञान, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के भाषिक प्रयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना अपेक्षित है। आज के इस भौतिक युग में विज्ञान तकनीकी एवम् प्रौद्योगिकी का स्तर ही किसी राष्ट्र की प्रगति का मापदण्ड है। ऐसे में विज्ञान, तकनीकी एवम् प्रौद्योगिकी की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम अच्छे शिक्षक, बेहतर पाठ्य पुस्तकें, स्तरीय शोध पत्र लेखन, गुरूतर चिंतन एवम् अन्य पूरक सामग्री की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं।

## सन्दर्भ


1. किशोर गिरिराज, भाषा और प्रौद्योगिकी, रचनात्मक एवम् प्रकाशन केन्द्र, आई.आई.टी. कानपुर, 1987, पृष्ठ 08।
2. किशोर गिरिराज, भाषा और प्रौद्योगिकी, रचनात्मक एवम् प्रकाशन केन्द्र, आई.आई.टी. कानपुर, 1987, पृष्ठ 09।
3. राणा महेन्द्रसिंह प्रयोजन मूलक हिन्दी के आधुनिक आयाम हर्षा प्रकाशन आगरा, प्रथम संस्करण, 2003, पृष्ठ 339।

# राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास

प्रवीण कांबले

*श्री कुमारस्वामी महाविद्यालय, औसा, लातूर, महाराष्ट्र*

भाषा एक अर्थ में मनुष्य की अस्मिता है। भाषा के कारण ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। भाषा द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास संभव हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लिपियों के द्वारा भाषा प्रकट होती हैं। यह अभिव्यक्ति का एक विश्वसनीय साधन है। तथा वैचारिक आदान–प्रदान का माध्यम है। अर्थात भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है। भाषा ही निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान का साधन है। ''भाषा मुख से निकले हुए सार्थक शब्दों या वाक्यों का समूह है जिसके द्वारा मन के विचार दूसरे पर प्रकट किए जाते हैं।''[1] डॉ तारकनाथ बाली जी की 'भाषा' की परिभाषा इस प्रकार है –''व्यक्त एवं सार्थक ध्वनि संकेतों के समूह को भाषा कहते हैं।''[2] इस प्रकार भाषा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है तथा सामाजिक क्रिया है। वह समाज द्वारा व्यवहृत विकसित होता है। अतः हिंदी भाषा के विकास में संत, महात्माओं, साहित्यकारों का, समाज सेवियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विशेष योगदान रहा है।

14 सितंबर 1949 में संविधान सभा में निर्णय लिया गया कि 'हिंदी' भारत की राजभाषा होगी। जिसकी लिपि देवनागरी और अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा {भारतीय संविधान भाग–17 के अध्याय की धारा 343 (1) में वर्णित ह}। इस निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर 1953 से भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

डॉ कैलाशचंद्र भाटिया के अनुसार 'राजभाषा' का सामान्य अर्थ है– ''राजकाज चलाने की भाषा, शासकीय कार्य करने, केंद्रीय या प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्रव्यवहार व सरकारी कामकाज चलाने की भाषा है।''[3] हिंदी में 'राजभाषा' शब्द अंग्रेजी के 'ऑफिशियल लैंग्वेज' (Official Language) के पर्याय के रुप में प्रयुक्त हो रहा है। राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है। जिसका अर्थ है– सरकारी राजकाज (कामकाज) के लिए प्रयुक्त भाषा। राजभाषा संबंधी दंगल झाल्टे जी ने लिखा है कि– '''राजभाषा' शब्द के अतंर्गत 'राज' शब्द से कुछ विद्वानों तथा जनसामान्य में कुछ भ्रांतियां हैं और इसी के कारण वे 'राजभाषा' से ''राजा की भाषा'' अथवा ''राज (राजकाज) की भाषा'' आदि अर्थ ग्रहण करते हैं। वस्तुतः जैसाकि राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है जो ''सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा'' के निश्चित अर्थ में हमारे संविधान द्वारा (भारत का संविधान, अध्याय 17, अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी) किया गया है। यहां संघ की राजभाषा से तात्पर्य संघ के विधानांग, कार्यांग तथा न्यायागं आदि तीनों प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में प्रयुक्त भाषा से है। अतः किसी भी प्रकार की सरकार के विधानांग, कार्यांग तथा न्यायागं के कार्यकलाप के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है।''[4] तो नालंदा शब्द कोश में 'राजभाषा' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि ''किसी देश की वह भाषा जिसका उपयोग उसके न्यायालयों या सब कार्यों में होता है। जिसे स्टैन्डर्ड लैंग्वेज या खड़ीबोली भी कहा जाता है।''[5] इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है। आज राजभाषा हिंदी का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है।

राजभाषा अधिनियम विधि द्वारा एवं संविधान के प्रावधान के अनुसाार राजभाषा की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है। अतः राजभाषा एक प्रयुक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी शब्दावली पारिभाषिक होती है और इसका साहित्य सरकारी साहित्य कहलाता है। राजभाषा हमेशा शासन से जुड़ी रहती है, बल्कि वह जनसामान्य की भाषा नही है। किसी देश की राजभाषा भी हो सकती है। जैसे भारत में हिंदी भाषा। साथ ही किसी राष्ट्र या राज्य में एक या अनेक भाषाएं राजभाषा के रूप में विद्यमान या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकती है। राजभाषा सरकारी कामकाज या प्रशासन की भाषा होने के कारण इसमें अलंकार, मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग पाया नहीं जाता है। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए असीम शेख ने लिखा है कि ''हिंदी राजभाषा बने हुए छः दशक पूरे हो रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि हिंदी के प्रति सरकार एवं प्रशासन के लगातार भेदभाव एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण अब भी वह अपने अपेक्षित व संवैधानिक स्थान से वंचित है। यह कैसी विडम्बना है कि केवल दो प्रतिशत अंग्रेज परस्त लोग देश की 98 प्रतिशत जनता पर अपना भाषायी आधिपत्य जमाए हुए हैं।''[6]

महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय अस्मिता, एकता, अखंडता की दृष्टि से सदा हिंदी की वकालत करते रहे है। गांधीजी ने शब्द–संपदा, सरलता, लोकप्रियता और हिंदी बोलनेवालों की अधिक संख्या को देखकर उर्दू मिश्रित भाषा हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा के पद पर समासीन करने की प्राणपण से चेष्टा की है कि ''हिंदुस्तानी को ही राजभाषा बनाने में हमारा हित है। वह न संस्कृत शब्दों से लदी हुई हिंदी हो, न फारसी शब्दों से लदी हुई उर्दू, बल्कि इन दोनों जुबानों का सुंदर मेल हो। उसमें अलग–अलग प्रांतीय भाषाओं और विदेशी भाषा के शब्द भी, उसके अर्थ मिठास या संबंध की दृष्टि से आजादी के साथ शामिल किये जाएं, बशर्ते कि वे हमारी राष्ट्रभाषा में पूरी तरह से घुल–मिल सकते हों।....सिर्फ हिंदी या उर्दू तक अपने को सीमित रखना समझदारी और राष्ट्रीयता के खिलाफ गुनाह करना होगा।''[7] इसी के साथ भारत की राजभाषा होने के नाते हिंदी को संविधान की आठवीं अनुसूची से निकाला जाए इस पर डॉ परमानंद पांचाल जी ने लिखा है कि –''भारत की राजभाषा और देश की राष्ट्रभाषा होने के नाते हिंदी को आठवीं अनुसूची से निकाल लिया जाए और उसे सही अर्थों में भारत की राजभाषा के रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाए। जहॉं तक संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम का प्रश्न है, फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, देश की उन क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाया जाए, जो प्रशासकीय स्तर पर किसी राज्य की राजभाषा के रूप में व्यवहार में आ रही है और भारत की अन्य सभी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर भावनाओं का समुचित सम्मान किया जाए।''[8] इस प्रकार हिंदी निसंदेह प्रशासकीय कामकाज एवं आज के स्पर्धात्मक युग की भाषा का गौरव प्राप्त करेगी। आज यह भाषा माध्यम भाषा बनी हुई है।

राजभाषा हिंदी के विकास पर प्रकाश डाला जाए तो लक्षित होता है कि हिंदी का प्रारंभ अपभ्रंश कालीन युग (11 वीं शताब्दी) से हुआ है। तेरहवीं शताब्दी में तुगलक, लोदी के शासन काल में हिंदी में हिसाब–किताब होता दिखाई देता है। शेरशाह सूरी के सिक्कों में नागरी एवं फारसी भाषा का उल्लेख पाया जाता है। मुगलों की दरबारी राजकाज की भाषा फारसी तो बोलचाल की भाषा हिंदी थी। हिंदी का अधिकतर प्रयोग अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के समय में आरंभ हुआ। सन 1668 ई. में हिंदी का पहला व्याकरण– जान जीशुआ केटेलर ने 'हिंदुस्तानी भाषा', लिखा। तो 1745 में बेंजामिल शूल्ज ने 'हिंदुस्तानी व्याकरण', 1787 में जॉन गिलक्राइस्ट ने 'हिंदुस्तानी–इंग्लिश डिक्शनरी', 1798 में गिलक्राइस्ट ने 'ओरियटंल लिंग्विस्ट' लिखा है।

फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लार्ड मार्किस वेलेज़ली गवर्नर ने 4 मई 1800 में की है। यहां पर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ीबोली का प्रचार–प्रसार का कार्य किया है जिसमें उसी कॉलेज के लल्लूजी

लाल और सदल मिश्र दोनों अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन् 1747 के प्लासी युद्ध की विजय के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व दिखाई देता है। कंपनी की भाषा नीति तोड़–फोड़ वाली, विवादास्पद और जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली थी। इस संदर्भ में डॉ सरनामसिंह शर्मा ने 'हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याएं' में लिखा है कि– ''अंग्रेज शासन की स्थापना से भाषा के क्षेत्र में एक विस्फोटक भावना का प्रजनन हुआ। धर्म की आड़ में कूटनीति के चालों को पोषित करने का अवसर लेकर शासकों ने अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा की। उन्होंने 'हिंदुस्तानी' शब्द से एक ऐसे विष का निर्माण किया, जो बढ़ता और फैलता गया। हिंदी और उर्दू के संबंध में उससे एक निश्चित भेद दृष्टि हो गई।''[9] इसी के साथ राजभाषा हिंदी के विकास में जिनका योगदान रहा है, उनमें एक ओर ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदी का प्रचार, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, थोयोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, राधा स्वामी सम्प्रदाय आदि हैं तो राजनीतिक संस्थाओं में क्रांतिकारी दल, अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा हिंदी सेवा आदि प्रमुख हैं।

दूसरी ओर राजाभाषा हिंदी के विकास में साहित्यिक संस्थाओं का भी मौलिक योगदान रहा है। इनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, दिल्ली, पटना, असम, गुवाहाटी, इम्फाल, उड़ीसा, बैंगलूरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, मद्रास, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा, पुणे, मुंबई आदि प्रमुख हैं जिनके द्वारा हिंदी का प्रचार–प्रसार प्रचुर मात्रा में हुआ है।

आज हिंदी भाषा का प्रयोग मानव जीवन में और व्यावहारिक जीवन में होता दिखाई दे रहा है। इसका प्रयोग क्षेत्र काफी व्यापक रहा है। प्रमुखता से देखा जाए तो राजभाषा हिंदी का प्रयोग क्षेत्र– शासकीय, अर्ध–शासकीय कार्यालय, रेल विभाग, संसद भवन, बैंक कार्य क्षेत्र, आयुर्विज्ञान, कानून (विधि और न्याय) क्षेत्र, नौवहन उद्योग, डाकतार, बीमा, इंजीनियरिंग, वाणिज्य, खेल, राजनीति आदि अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। आज केवल देश में ही हिंदी का उपयोग नहीं हो रहा है बल्कि विदेशों में भी अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। उसका प्रयोग होता रहा है। 'अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी के रंग' शीर्षक द्वारा राजेंद्र उपाध्याय ने लिखा है कि– ''टूटे हुए टिन के सामुदायिक हाल में राजभाषा प्रयोग का जो नज़ारा देखने को मिला वह महानगरों में राजभाषा सप्ताह के दौरान भी नहीं दिखता है। समुद्र के खारे पानी में काला पानी में भी हिंदी का मैनग्रोव वृक्ष (जो खारे पानी में होता है) फल–फूल रहा है। यहॉं के सीधे सादे लोग अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए हिंदी को ही माध्यम बना रहे हैं।''[10]

इस प्रकार राजभाषा हिंदी के विकासक्रम पर प्रकाश डाला जाए तो हिंदी अनेक बोलियों और भाषाओं के समन्वय से बनी भाषा है। बहुभाषी भारतवर्ष में संम्पर्क सूत्र के रुप में हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। किंतु भाषिक एकता, समानता और महत्ता बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में भारत की प्रमुख सत्रह भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अतः वह राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र गौरव एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

## संदर्भ

1. नालंदा अद्यतन कोश, अग्रवाल पी एन, पृ 670
2. साहित्यिक पारिभाषिक शब्द कोश, डॉ तारकनाथ बाली, पृ 220
3. राजभाषा हिंदी, डॉ कैलाशचंद्र भाटिया, पृ 09
4. प्रयोजनमूलक हिंदी : सिद्धांत और प्रयोग, दंगल झाल्टे, पृ 58
5. नालंदा अद्यतन कोश, अग्रवाल पी एन, पृ 768

6. 'वाग्धारा' पत्रिका, प्रयाग, जुन–2010, सं डॉ शहाबुद्दीन शेख, पृ 44
7. राष्ट्रभाषा संदेश, सं विभूति मिश्र, पृ 04
8. 'राष्ट्रभाषा' पत्रिका, वर्धा, सं अनंतराम त्रिपाठी, पृ 11
9. हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्वभाषा की ओर, सं डॉ सुरेश माहेश्वरी, पृ 41
10. 'आजकल' मासिक सितंबर–2011, सं सीमा ओझा, पृ 42

# बहुभाषिता और बहुसांस्कृतिकता के लाभ

रमेश जोशी

*4758 डार्बी कोर्ट स्टो, ओ एच, अमेरिका*

बचपन में ही यदि हम एक से ज़्यादा भाषाएँ बोलना सीख लेते हैं तो इसका फ़ायदा हमारे दिमाग को बुढ़ापे में मिलता है। यही कारण है कि भारतीय इतने बुद्धिमान होते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग एक से अधिक भाषाएँ जानते हैं। इनमें अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अपनी क्षेत्रीय भाषाएँ शामिल हैं। सारी ज़िंदगी दो से अधिक भाषाएँ बोलने से हमारा दिमाग जल्दी बूढ़ा नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी के न्यूरो साइंटिस्ट ब्रायन गोल्ड का कहना है कि दो या दो से अधिक भाषाएँ जानने वाले 'मल्टीस्किल्ड' होते हैं। जब भी अपने से वरिष्ठ लोगों से कोई काम मिलता है तो एकभाषी लोगों की तुलना में द्विभाषी या त्रिभाषी लोग जल्दी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। लगातार सक्रिय होते रहने से दिमाग जवान बना रहता है। शोधकर्त्ताओं ने 80 लोगों के दिमाग में ऑक्सीजन प्रवाह के नमूने देखने के लिए एमआरआई मशीन में रखा। उनसे कुछ आकार और रंग दिखाकर प्रश्न पूछे गए। शोधकर्त्ताओं ने पाया कि अधिक उम्र के उन लोगों का, जो दो या दो से अधिक भाषाएँ जानते हैं, दिमाग एक भाषा जानने वालों की तुलना में अधिक सक्रिय था। उनके प्री फ्रंटल कार्टेक्स और इंटीरियर सिंगुलर कार्टेक्स में अधिक हलचल थी। यूनीवर्सिटी ऑफ केलीफोर्निया के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि हम कम उम्र में दिमाग को जितना कुशल बनाएँगे उतना ही वह अधिक उम्र में भी सक्रिय बना रहेगा। लोग तत्काल होने वाले आर्थिकए शारीरिक लाभ को ही देखते हैं जब कि बहुत सेकामों के अन्य अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं जो प्रत्यक्ष लाभों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं जैसे कि मितव्ययिता से केवल खुद के धन की बचत ही नहीं होती बल्कि इस धरती का विनाश भी विलंबित होगा, समाज में भेदभाव कम होगा जिससे आपसी ईर्ष्या–द्वेष कम होंगे और अपव्यय–जनित विलासिता से होने वाले शारीरिक कष्ट भी कम होंगे, भावी संतानें सही रास्ते पर चलकर संस्कारी बनेंगी। इसी तरह बहुभाषिकता का केवल यह दिमागी और शारीरिक लाभ ही नहीं है बल्कि कई भाषाएँ जाने वालों को विभिन्न देशों, भाषाओं, समाजों और संस्कृति वाले लोगों से संवाद करनेए उनके निकट आने का अवसर मिलता है जो अंततः व्यक्ति को सहिष्णु, उदार और वैचारिक बनाता है। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है और यही विशेषता उसे दुनिया में एक विशिष्ट और उदार राष्ट्र बनाती है।

भारत में दुनिया के लगभग सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं और उन्हें सभी प्रकार के नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। दुनिया के ऐसे धर्मावलंबी भी भारत आए जिन्हें उनके मूल देश के नए धर्म ने अपना देश छोड़ने के लिए मज़बूर किया जैसे कि इस्लाम अपनाने के बाद ईरान से भागकर आए अग्निपूजक पारसी। ये लोग आज भी भारत में पूर्ण गरिमा के साथ साधिकार भारत में रह रहे हैं। यहाँ तक कि भारत का एक पुराना औद्योगिक घराना 'टाटा' इन्हीं पारसी लोगों का है। इसके अतिरिक्त ईसा के मात्र 50 वर्ष बाद ही एक ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए और यहीं बस गए और पूरी स्वतंत्रता से धर्म प्रचार भी किया। इसी तरह आक्रमणकारी बन कर आए इस्लाम को मानने वाले कई कबीलों को भी भारत ने अपना लिया और आज वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईराक से भी अधिक शान और सुरक्षा से यहाँ रह रहे हैं। बहुत से यहूदी भी अरब देशों से पीड़ित होकर यहाँ आए और केरल में बसे हुए हैं। आज के तथाकथित 'विश्व–गाँव' में भी धर्म, जाति और नस्ल के नाम पर लोग भेदभाव

झेल रहे हैं वहीं भारत सबके लिए सुरक्षित माना जाता है। आज अल्पसंख्यकों के कल्याण या राष्ट्रीय अस्मिता के नाम पर ओछी राजनीति, एक अच्छे–भले सद्भावपूर्ण वातावरण को समाप्त करने की कूटनीति कर रही है फिर भी वह सद्भाव कायम है तो इसके पीछे भारत का प्राचीन आध्यात्मिक चिंतन रहा है जो 'वसुधैव कुटुम्बकं' और बहु.वैचारिकता और सत्य को विविधरूपा मानकर सबका सम्मान करता है। हालाँकि ऐसी भेदकारी कूटनीतियों के कारण लोगों का चिंतन दुष्प्रभावित हो रहा है फिर भी यह कितना बड़ा सच है कि तथाकथित अल्पसंख्यक आज देश के सर्वोच्च पदों पर स्थापित हैं।

इस देश में भाषाओं, धर्मों और विचारों के भेद के बावज़ूद समन्वय की एक सांस्कृतिक अंतर्धारा सदैव प्रवाहित होती रही है। लोग इसी समन्वय को अपनाकर विभिन्न भाषाएँ सीखते रहे हैं। विद्वान और धार्मिक लोग इसी समन्वय की आराधना के लिए लंबी–लंबी वैचारिक यात्रा करते रहे हैं। यहाँ की सामान्य जनता ने भी विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों को अपनाया और पूरा सम्मान दिया। अजमेर के गरीबनवाज़ और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया कट्टर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में आदृत हैं। फारसी, उर्दू के विद्वान हिंदुओं में मुसलमानों से कम नहीं है। आज भी भारत के बहुत से लोग एक से अधिक भाषाएँ जानते हैं। दुनिया में भारतीयों ने ही अपने देश के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के अलावा दुनिया के अधिकतर देशों के बारे में सर्वाधिक पढ़ा है। यही ज्ञान उन्हें उदार बनाता है।

यूरोप, अमरीका और इस्लामी देशों में दुनिया के अन्य देशों, समाजों, धर्मों के बारे में या तो पढ़ाया नहीं जाता या फिर उचित सम्मान से साथ नहीं पढ़ाया जाता। ज्ञान का यह एकांगी रूप किसी भी समाज को कूपमंडूक बनाता है और फिर ओछी और भेदपूर्ण राजनीति उसे सरलता से कट्टरता के रास्ते पर ले जा सकती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने वहाँ के मीडिया और राजनीति के इस रूप से भलीभाँति परिचित हैं।

मुसलमानों, अंग्रेज, फ्रांसिसी, पुर्तगाली आक्रमणकारियों के आते रहने के बाद भी इस देश का यह चरित्र बना रहा लेकिन जब लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी को नौकरी की भाषा से बढ़ कर उच्चता का प्रतीक बना दिया तब से हमारा अंग्रेजी सीखने.सिखाने का उद्देश्य ही बदल गया। आज जब हम अपने ही समान–भाषी भारतीयों के सामने अंग्रेजी झाड़ते है तो वह संवाद की भाषा न होकर अहंकार की भाषा हो जाती है और वह हमारे बीच में खाई बढ़ाती हैं। इसी लिए देखा जाता है कि नेता लोग जनता का दिल जीतने के लिए उसकी भाषा में एक दो शब्द ही सही, पर बोलते ज़रूर हैं। ओबामा जी ने भी मनमोहन जी के स्वागत में 'स्वागत' शब्द इसी उद्देश्य से कहा था। विदेशों से भारत आने वाले जिन विद्वानों ने यहाँ की भाषा को अपनाया उन्हें भारत ने अपने दिल में बसा लिया। लेकिन भारत के बड़े से बड़े अंग्रेजी के विद्वान को लेकर ब्रिटेन या किसी अन्य अंग्रेजी भाषी देश के मन में ऐसा कोई अपनेपन का भाव नहीं आता क्योंकि वे समझते हैं कि या तो भारतीयों के पास कोई विकसित भाषा नहीं है या फिर इनमें अपनी भाषा को लेकर हीन भावना है। दोनों ही स्थितियाँ शर्मनाक हैं। अन्य देशों के नेता जब भारत आते हैं तो वे जानबूझकर अपनी भाषा में बोलते हैं जब कि सब अंग्रेजी जानते होते हैं। पता नहीं हमारे नेताओं को ऐसा करने में क्यों शर्म अनुभव होती है।

ये बातें बहुभाषिता से सीधे जुड़ी नहीं दिखाई देतीं और न ही इस आलेख में यह हमारा विचारणीय विषय है। बहुभाषी, बहुसंस्कृति वाला और अध्यात्मिक देश होने के कारण हमारी शिक्षा में भी बहुत से देशों की संस्कृति, इतिहास भूगोल पढ़ाए जाते रहे हैं। इसी कारण हम जल्दी से कट्टर नहीं हो सकते। जब कि अन्य देशों में ऐसा नहीं। आज जब हमारी वर्तमान पीढ़ी ने पेट के लिए अंग्रेजी पढ़ना शुरु किया है तो उन्हें अपना दिमागी बोझ हल्का करने के लिए अपनी भारतीय भाषाओं से पीछा छुड़ाना ही फायदेमंद लगता है। माता पिता भी सोचते हैं कि बच्चा किसी भी तरहए संस्कृति, सभ्यता सब कुछ भूलकर दो रोटी कमाने लायक बन जाए लेकिन यह भी उनका क्रम है क्योंकि नौकरी भाषा से नहीं

कोई उपयोगी काम जानने से मिलती हैं। इसी कारण अंग्रेजी के पीछे भागते हुए बच्चे न तो हिंदी भाषा ढंग से सीखते हैं और न ही इस कारण से अंग्रेजी ढंग से सीख पाते हैं। भाषा का अपना एक अनुशासन होता है। यही कारण है कि ऐसे अंग्रेजी पढ़े, पांच हजार रुपए महिने पर किसी तथाकथित देशी–विदेशी कंपनी के सेल्स एक्जीक्यूटिव बने गली–गली सामान बेचते फिरते हैं। जब कि कोई भी हाथ का काम जानने वाला चार–पाच सौ रुपए रोज से कम में नहीं मिलता।

अपने समाज की भाषा से कटने और उसे हीन समझने के कारण ऐसे अधकचरे अंग्रेज किसी भी देन के नहीं रहते। ये किसी भी देश में जाएँगे तो इन्हें वहाँ के लोग काले–गोरे और गैर–हिंदू अपना नहीं मान सकते। यदि ऐसा होता तो सैंकडों वर्षों से युगांडा में रहने वाले भारतीयों को एक झटके में निष्कासित नहीं कर दिया जाता या द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाखों जापानियों को अमरीका में नज़रबंद नहीं कर दिया जाता। जब कि वे बेचारे सैंकडों वर्षों से अमरीका में रह रहे थे और जापान से कोई रिश्ता नहीं रह गया था। इसलिए इसे स्वीकार करने में कोई धर्म नहीं होनी चाहिए कि हम भारतीय हैंए हमारी एक संस्कृति हैए सभी भारतीयों की कोई न कोई समृद्ध भाषा है और उसी से हमें संस्कार और पहचान मिलेगी। यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी।

इसके लिए हम यहूदियों, विशेषकर अमरीका में बसे यहूदियों के उदहारण ले सकते हैं। वे अपनी संस्कृतिए भाषा और धर्म की पहचान को कायम रखते हैं और उसे मिटाने वाली किसी भी कोशिश का डट कर विरोध करते हैं। अपनी अक्ल के कारण उनका अमरीका की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसी की वजह से वे कोई दो हजार वर्ष पहले छूट चुके अपने वतन को विश्व के मानचित्र पर पुनः स्थापित कर सके। उसी दृढ़ता और आस्था के बल पर उन्होंने अपनी मृत मानी जा चुकी भाषा को पुनर्जीवित करके दिखा दिया।

हम अपनी भाषा के अतिरिक्त और भी कई भाषाएँ सीख सकते हैं तो फिर क्यों हम अपनी भाषा और संस्कृति को भुलाकर दुनिया में अपनी पहचान मिटाना चाहते हैं? अपनी भाषाए संस्कृति और पहचान को भुलाए बिना भी दुनिया में सब तरह के लोग सब प्रकार के विकास कर रहे हैं । उन्हें किसी तरह का कोई भय और शर्म नहीं है तो फिर हम किस भय से अपनी पहचान को मिटाने पर तुले हैं। अपनी पहचान और पहचान के प्रति लापरवाह होने के कारण ही हमें वह सम्मान और स्थान नहीं मिल पाता जिसके हम सब तरह से अधिकारी हैं।

यदि किसी भी कुंठा में आकर हम अपनी पहचान के प्रति प्रमाद करते रहे तो फिर उसे हासिल करना कठिन हो जाएगा। हो सकता है कि तब तक वह विलुप्त ही हो चुकी हो। हम सदैव से बहुभाषी बहुसांस्कृतिकए बहुवैचारिक और सत्य को विविधरूपा मानने वाले रहे हैं। हम कट्टर हो ही नहीं सकते। पर कट्टर न होने का यह अर्थ भी तो नहीं कि हमारी कोई पहचान ही न हो पालतू पशु की कोई पहचान नहीं होती लेकिन स्वतंत्रचेता मनुष्य और एक जिंदा समाज की तो पहचान होती ही है।

सोचें, हमारी क्या पहचान है?

# वैश्विक हिन्दीः एक परिदृश्य

विजया सती

*ऐल्ते विश्वविद्यालय, बुडापेस्ट, हंगरी*

भारत से बाहर विश्व के कितने ही देशों में विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी विधिवत पढ़ाई जा रही है. विभिन्न देशों की पहल और भारत सरकार की विविध योजनाओं के द्वारा उच्च शिक्षा स्तर पर हिन्दी शिक्षण संभव हो पा रहा है। भारत सरकार की योजना के तहत भारतीय शिक्षाविद विभिन्न देशों में निश्चित समयावधि के लिए हिन्दी शिक्षण करने आते हैं। भारत जाकर हिन्दी के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जिन्हें पाकर विभिन्न देशों से चुने हुए विद्यार्थी नियमित रूप से हिन्दी के अध्ययन के लिए भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाते हैं। विदेश में भी कुछ संस्थाएं हिन्दी के विद्यार्थियों को पुरस्कृत करती हैं, फलस्वरूप पुरस्कृत विद्यार्थी हिन्दी भाषी देश भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक भ्रमण पर जाते हैं। विदेश में हिन्दी के अध्ययन–अध्यापन से जुड़े विभिन्न विश्वविद्यालयों के विविध विभागों द्वारा समय–समय पर हिन्दी सम्मलेन और गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, जहां हिन्दी को केन्द्र में रखकर बहुआयामी विमर्श होता है और इनकी कार्यवाहियों को स्मारिका के रूप में संयोजित किया जाता है। इन आयोजनों को विदेश मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद और भारतीय दूतावासों का सहयोग प्राप्त होता है। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 'विश्व हिन्दी दिवस' मनाया जाता है, इस अवसर पर देश विशेष के हिन्दी प्रेमी छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत करने की परम्परा भी है। कई दूतावासों के सहयोग से निशुल्क हिन्दी कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। आज दुनिया की बहुत बड़ी आबादी हिन्दी बोलती है। हिन्दी का एक विश्व व्यापी मंच है, विश्व के विभिन्न भागों से हिन्दी में साहित्यिक और सूचनापरक पत्रिकाओं और पत्रों का प्रकाशन होता है। मॉरिशस स्थित 'विश्व हिन्दी सचिवालय' दो देशों के सहयोग से संचालित एक ऐसी संस्था है जिसकी समस्त गतिविधियां हिन्दी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति तथा प्रगति से जुड़ी हैं। ये समस्त आयोजन विश्वपटल पर हिन्दी की उपस्थिति को रेखांकित करते हैं।

अलग–अलग देशों में हिन्दी शिक्षण के विभाग भिन्न–भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं–भारोपीय अध्ययन विभाग, प्राच्य विद्या संस्थान, भारत विद्या संस्थान, दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग, एशियाई अध्ययन विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलोजी आदि। इन विभागों में हिन्दी के साथ–साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, कहीं–कहीं अन्य भारतीय भाषाएँ जैसे तमिल, बंगला आदि भी शामिल की जाती हैं। डिप्लोमा इन इंडोलोजी के स्थान पर अब कई विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक बी ए और एम ए इंडोलोजी की उपाधि प्रदान की जाती है। इस अध्ययन के अंत में छात्र शोध–पत्र भी लिखते हैं। विदेश में स्नाकोत्तर हिन्दी शोध की परम्परा भी पर्याप्त विकसित हो चुकी है। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी मुख्य और गौण विषय के रूप में हिन्दी का चयन करते हैं। विद्यार्थी अन्य विषय के अध्ययन के साथ हिन्दी को भाषा अध्ययन के रूप में भी चुन लेते हैं। कुछ विद्यार्थी अनौपचारिक रूप से भी हिन्दी भाषा का ज्ञान अर्जित करते हैं जो व्यावहारिक रूप से यात्रा आदि में उनके काम आ सके। यह जानना बहुत रोचक है कि भाषा शिक्षण की कक्षा में दो तरह के विद्यार्थी हमेशा होते हैं–कम समय में काम चलाने भर की भाषा सीखने वाले छात्र और भरपूर सीखना चाहने वाले छात्र। हिन्दी के अध्ययन के बाद छात्र–समूह दूतावासों,

सांस्कृतिक केन्द्रों, संग्रहालयों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और शिक्षा–संस्थाओं में रोज़गार पाने के अतिरिक्त मुक्त रूप से अनुवादक–दुभाषिया के रूप में कार्य करते हैं या उनके लिए पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं।

यह निष्कर्ष मुझे मध्य यूरोप के देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ओएत्वोश लोरांद विश्वविद्यालय के भारोपीय अध्ययन विभाग में हिन्दी पढ़ाने के अपने दो वर्ष के अनुभव के दौरान प्राप्त हुए. आज मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि विदेशी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा हिन्दी को पढ़ाना एक ऐसा तृप्तिदायक आत्मीय अनुभव बन कर मेरे मानस पटल पर उभरा है जो हिन्दी भाषियों को हिन्दी पढ़ाने से सर्वथा भिन्न है। इस अध्यापन में पारस्परिक संवाद की बहुत बड़ी भूमिका है. दूर देश में हम केवल एक भाषा ही नहीं पढ़ाते बल्कि उसके साथ–साथ हिन्दी भाषी देश भारत का सांस्कृतिक–सामाजिक–आर्थिक–रचनात्मक–राजनीतिक इतिहास भी बताते हैं। उसके भौगोलिक विस्तार का परिचय देते हैं, वहाँ के रीति–रिवाज, खान–पान, पहनावे और मूल्यों मान्यताओं की जानकारी भी देते हैं। इस सबके बीच सर्वाधिक सुखद स्थिति यह होती है कि यह सब किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत नहीं होता। आपसी वार्तालाप के बीच विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत करते हुए सब कुछ सहज ही जुट जाता है। कभी एक शब्द भर से व्यापक परिदृश्य खुल जाता है। बुडापेस्ट में 'भारोपीय अध्ययन विभाग' की हिन्दी कक्षा में एक दिन यह रोचक प्रसंग हुआ कि कुछ विद्यार्थी जो कम उपस्थित हो रहे थे, उन्हें संबोधित करते हुए मेरे मुख से निकल गया कि आप तो ईद के चाँद की तरह नज़र आते हैं। बस यहीं से बात आगे बढ़ चली–चाँद के घटने–बढने और लुप्त हो जाने की प्राकृतिक घटना कैसे घटित होती है, इससे तो वे वाकिफ थे। लेकिन 'ईद का चाँद' मुहावरा उनके लिए एकदम नया था, उन्हें बताया गया कि बहुत दिन बाद जो दोस्त मिले उसे ईद का चाँद कह सकते हो। उन्हें यह प्रसंग रुचिकर लगा तो इस शब्द और उससे बने मुहावरे से होते हुए हम प्रेमचंद जी की कहानी 'ईदगाह' तक चले आए। संक्षेप में कहानी सुनाई गई जिसके अंत तक आते–आते उनकी आंखें असीम उल्लास को व्यक्त कर रही थी।

एक शब्द के माध्यम से कक्षा में विद्यार्थी ने न केवल हिन्दी भाषा बल्कि हिन्दी भाषी देश भारत को जाना। इसके साथ ही उनका परिचय विश्व प्रसिद्द विशिष्ट हिन्दी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद से भी हुआ। सांस्कृतिक धरातल पर वे ईद के त्यौहार में बरते जाने वाले भाईचारे और साम्प्रदायिक सद्भाव से परिचित हुए। पारिवारिक जीवन मूल्य के रूप में उन्होंने स्नेह, अपनत्व और संवेदनशीलता को पहचाना। सबसे बढ़कर बाल–मनोविज्ञान की गहरी छवि का भी साक्षात्कार किया। इस क्रम में हिन्दी भाषा की शक्ति के साथ उसके विविध प्रयोगों को तो जाना ही, जब ईदगाह से होते हुए हम उससे मिलते जुलते शब्द चरागाह और उनमें विचरने वाले पशुओं तक आए। आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को प्रकृति से दूर किया है, शहर कंक्रीट के हो गए हैं तो चरागाह कहां बचे यह महानगर की विडम्बना है कि नई पीढ़ी चरागाह के साथ–साथ उसमें पशुओं को लेकर आने वाले गडरिये को भी नहीं जानती, जबकि हमारे बचपन की कहानियों में अक्सर एक गरीब गडरिया रहता था. तो कहानी के माध्यम से शहरी जीवन के इस बदलाव की प्रक्रिया को भी रेखांकित किया गया और इसमें सबकी रूचि थी, यह अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों को समृद्ध कर देने वाला था।

फिर एक दिन हिन्दी कक्षा में लोककथाओं की चर्चा चल निकली। दो देशों की भौगोलिक दूरियां बहुत अधिक थी, किन्तु यह समानता आश्चर्यजनक थी कि दोनों ही देशों की लोक कथाएं राजा और रानी के साथ–साथ प्रायः किसी लकड़हारे की बात भी करती हैं। समानता यह भी पाई गई कि जो लकड़हारा बहुत गरीब थाए वह मन का अच्छा होने के कारण अमीर बना और सुख से रहने लगा। और कथा में जो कोई पात्र बुरा था, वह मन का अच्छा न होने के कारण अमीर से गरीब हुआ और उसने दुःख में दिन काटे। जब बात लकड़ी काट कर जीवन बिताने वाले लकड़हारे की हुई तो फिर

ऐसे शब्दों की भी चर्चा हुई जो तरह तरह के काम करने वाले कारीगरों के विषय में बताते हैं। हमारी बातचीत में सब आए—कुम्हार और उसका घड़ा, लौहार और उसके द्वारा बनाई गई तलवार, हलवाई और उसकी बनाई मिठाई, बढई की बनाई कुर्सी जिस पर हम बैठे थे ! तो इस तरह बहुत दिन से भूले हुए इतने सारे कारीगर स्मृति में भी आए और इनके माध्यम से हिन्दी भाषा की शब्दावली से उनका परिचय प्रगाढ़ हुआ। भाषा की इस धरोहर और सांस्कृतिक समृद्धि की जानकारी छात्र को भविष्य में सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाने में निश्चित रूप से मदद कर पाएगी।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी भाषा जोड़ने वाले सूत्र के रूप में बहुत बड़ा काम कर रही है। उसके माध्यम से दूरियों को पाटा जा सकता है, अनजान से नाता जोड़ा जा सकता है और अपरिचय को परिचय में बदला जा सकता है। उर्दू शायर ने लिखा है कि 'बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी'। मुझे याद आ रहा है कि आज से कई वर्ष पहले हिन्दी विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरिया से किम नाम की छात्रा पढ़ने आई थी। एक साहित्यिक आयोजन में उन्होंने एक आलेख पढ़ा जिसमें एक कोरियन कहानी आलू और प्रेमचंद की कफ़न कहानी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। दोनों कहानियों में बहुत सी समानताओं का उल्लेख किम ने किया था। जीवन के प्रामाणिक अनुभव देश–काल की सीमा में बंधे नहीं होते। भाषा–साहित्य किस प्रकार सीमाएं पार कर जाता है, इसका उदाहरण तब मिला जब मैंने हंगरी के प्रसिद्द कहानीकार मोरित्स जिग्मोंद और कालमान मिक्साथ की कहानियां पढ़ी। मनुष्य के जीवन की विविध परिस्थितियां और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से कितनी मिलती–जुलती होती हैं, भाषा किस तरह सेतु बन जाती है—यह बोध फिर से गहरा हुआ। दो दूर देशों के कहानीकारों द्वारा लिखी गई कहानियों में व्यक्त जीवन में बहुत साम्य दिखाई पड़ता है। जैसे भारत में गरीब–किसान–मजदूर हैं, वैसे ही तो अन्य देशों की कई कहानियों के पात्र भी जूझते हैं—अपनी गरीबी और भूख के साथ। जगत की रीति जैसी भारत में वैसी ही अन्य देशों की कहानियों में भी पाई जा सकती है। जब मोरित्स जिग्मोंद की कहानी में यह वाक्य आता है—हर साल उनकी पत्नी उनसे धोखा करती रही है और हर साल एक लड़की पैदा करके उनके सामने डालती रही है। इसीलिए अपने को उन्होंने शराब में डुबो दिया है। तो लगता है कि जैसे भारतीय मानसिकता का जोड़ यहाँ भी मौजूद है। कठिन समय में अपने आप को शराब में डुबा देने वाले पात्र हर जगह मौजूद हैं।

साहित्य के माध्यम से पारस्परिकता के तार जोड़ते हुए विद्यार्थी की समझ का विस्तार करना विदेश में हिन्दी अध्यापन का लक्ष्य है। हिन्दी सीखने वाले विद्यार्थी को पहले–पहल अगर कुछ साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ कठिन भी मालूम होती हैं तो संवाद के बाद उनकी दृष्टि और समझ का विस्तार होता है। फिर से एक उदाहरण दूं—हमारे विभाग में कहानीकार जैनेंद्र कुमार की एक कहानी 'पत्नी' पढ़ाई जा रही थी, जो अपनी भाषिक सरलता के बावजूद पहले–पहल विद्यार्थी की समझ से परे थी। उसमें कुछ गूढ़ और ठेठ भारतीय सन्दर्भ थे। किन्तु ऐतिहासिक विकासक्रम में जब भारत की विशद राजनीतिक स्थिति के साथ भारतीय स्त्री की पारिवारिक–सामाजिक परिस्थिति का उल्लेख किया गया तो नए झरोखे खुले, विद्यार्थी की समझ का धरातल बढ़ा। ऐसे में स्त्री–विमर्श जैसे अत्याधुनिक प्रसंग तक पहुँचना संभव हो सका।

जहां एक ओर विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी का अध्यापन एक चुनौती है, वहीं रचनात्मक भी है। यदि पाठ्यक्रम का खुलापन हिन्दी के प्रति विद्यार्थी की अभिरूचि को बढ़ाने में समर्थ होगा तो दूसरी ओर हिंदी का उपयोगिता आधारित अध्यापन समय की मांग को पूरा करेगा। आज प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ विज्ञापन जगत हिंदी को रोज़ नई अभिव्यक्तियों से भर रहा है। ऐसे में हिन्दी के विविध रूपों का परिचय देते हुए आरम्भ से अब तक हिन्दी कैसे बदली, विकसित और संपन्न हुई—इस

विषय को स्पष्ट करते हुए विद्यार्थी को आज के हिन्दी समाचार पत्रों और अंतरजाल पर उपलब्ध हिन्दी ब्लॉग तथा पत्र–पत्रिकाओं से जोड़ना सार्थक प्रयास होगा। विद्यार्थी को फेसबुक संवाद और ई–मेल हिन्दी में लिखने को प्रेरित किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि सबसे पहले तो हम विद्यार्थी को मानक भाषा का ज्ञान दें, फिर बोलचाल की हिन्दी के निकट ले आएँ और अंततः रोज़गार परक हिन्दी भी सिखाएं, जैसे पर्यटन, अनुवाद और रचनात्मक लेखन से जुड़ी हिन्दी। इस तरह निश्चित ही विद्यार्थी अधिक लाभान्वित होंगे। इस प्रकार के अध्ययन–अध्यापन से विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ने और पढ़ाने में चुनौती, नयापन और रचनात्मक सक्रियता लगातार बनी रहेगी।

विदेश में हिन्दी पढ़ाते हुए हम एक–दूसरे के देश के साहित्य पर कुछ ठोस काम कर सकते हैं. दो देशों के विद्वान मिलकर कुछ विशिष्ट साहित्यकारों और उनके साहित्य का द्विभाषी परिचयात्मक कोश बना सकते हैं, कुछ विशिष्ट कविता–कहानियां अनूदित रूप में संकलित कर सकते हैं, जिससे आने वाले विद्यार्थी हमेशा लाभान्वित होंगे। इस अध्ययन से एक ऐसी सामग्री भी एकत्रित हो जाएगी जो आपसी समझ को बढ़ाने के साथ–साथ पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बन सकती है। बुडापेस्ट के भारोपीय अध्ययन विभाग में इस प्रकार की गतिविधियां निरंतर बनी रहती हैं. विद्यार्थी हिन्दी रचनाओं का हंगेरियन भाषा में और हंगेरियन साहित्य का हिन्दी में अनुवाद करने को तत्पर बने रहते हैं। यह कार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बन कर भी होता है और स्वतंत्र रूप से भी।

वैश्विक स्तर पर हिन्दी के अध्यापन को सामयिकता और उपयोगिता से संलग्न कर रोजगार से जुड़े विषयों का व्यावहारिक अध्यापन करना भी एक सार्थक पहल हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक देश की 'पर्यटन गाइड' हिन्दी में प्रस्तुत की जा सकती है। हिन्दी निबंध लेखन की कक्षाएं विद्यार्थी के भीतर अभिव्यक्ति की ललक जगा सकती हैं। विदेशों में हिन्दी–शिक्षण से जुड़े विभाग यदि एक भित्ति पत्रिका या हस्त लिखित पत्रिका की परिकल्पना को साकार कर सकें, तो वह इस मायने में सार्थक होगी कि विद्यार्थी रचनात्मक लेखन की ओर प्रवृत्त होंगे।

दो देशों की भाषाओं के मिलते–जुलते शब्दों की खोज भी विदेश में हिन्दी शिक्षण का एक रोचक आयाम हो सकता है। हिन्दी शिक्षण से जुड़े अतिथि आचार्य यदि देश विशेष की भाषा और हिन्दी कोश नए सिरे से बनाएं या पहले से मौजूद कोश को अद्यतन करने में अपना योगदान दें तो यह प्रयास बहुत मूल्यवान सिद्ध होगा। वैश्विक हिन्दी के परिदृश्य को सही रूप प्रदान करने के लिए पारस्परिक आदान–प्रदान बहुत जरूरी है। अभी इस दिशा में विदेश में बहुत सा काम होना बाकी है। दूर देशों के हिन्दी अध्ययन से जुड़े विभागों को परस्पर जानना चाहिए कि विश्व के किस भाग में हिन्दी कक्षाओं में कौन क्या पढ़ा रहा है? इसके लिए एक देश के विभाग में निर्मित सामग्री को दूसरे देश के साथ बाँटा जा सकता है, विशिष्ट सामग्री के वीडियो लेक्चर साझा किए जा सकते हैं। ऐसे ई–कंटेंट का निर्माण किया जा सकता है, जिसे सभी विद्यार्थी समान रूप से देख पाएं।

हिन्दी विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की मान्य छः भाषाओं–इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश, रूसी, चीनी और अरबी के बाद अब सातवीं आधिकारिक भाषा बनाए जाने का आग्रह प्रबल रूप से किया जा रहा है। संभावनाएं अनंत हैं, प्रयास जारी हैं, आशान्वित बने रहना हमेशा अच्छा है !

# राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में डेसीडॉक का प्रयास

सुरेश कुमार जिंदल, फूलदीप कुमार, तथा अशोक कुमार
*रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली*

**सारांश**

अनुसंधान और विकास के लिए सूचना एक महत्त्वपूर्ण संसाधन होती है। वैज्ञानिकों को 'किए जा रहे अनुसंधानों' और 'अन्यत्र पहले ही किए जा चुके अनुसंधानों' की सूचना की आवश्यकता होती है ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो और उनके अनुसंधानों की पुष्टि हो सके। ऐसी सूचना ठीक समय पर और ठीक रूप में उपलब्ध हो जाने से अनुसंधान और विकास कार्यक्रम और अधिक प्रभावी और फलदायी होते हैं।

इसके महत्व को समझते हुए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) की स्थापना के तुरन्त बाद 1958 में ही वैज्ञानिक सूचना ब्यूरो की स्थापना की गई ताकि इस संगठन की सूचना-संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। वैज्ञानिक सूचना ब्यूरो का पुनर्गठन किया गया और उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए उसे रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र (डेसीडॉक) नाम दिया गया। 29 जुलाई 1970 को डेसीडॉक डी आर डी ओ का एक स्वतः पूर्ण केन्द्र बन गया।

आज डेसीडॉक डी आर डी ओ मुख्यालय/प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं, और रक्षा मंत्रालय की अन्य स्थापनाओं को वैज्ञानिक सूचना, प्रलेखन, पुस्तकालय सहायता, रेप्रोग्राफिक और अनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराने का एक केंद्रीय स्रोत है और यह डी आर डी ओ के वैज्ञानिक सूचना कार्यक्रमों का समन्वय करता है। यह डी आर डी ओ के तकनीकी सूचना संसाधन केंद्रों (टी आई आर सी) और अन्य रक्षा संगठनों को परामर्शी तथा संदर्भ सेवाएं उपलब्ध कराता है और डी आर डी ओ की ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं और लेख प्रकाशित करता है।

## दृष्टिकोण तथा उद्देश्य

### दृष्टिकोण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संबंधी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का प्रचार.प्रसार करने में उत्कृष्ट केंद्र बनना।

**उद्देश्य**

- **डी आर डी ओ में ज्ञान प्रबंधन में नेतृत्व प्रदान करना।**
- रक्षा संबंधी सूचनाओं के मुख्य केंद्र के रूप में डेसीडॉक की स्थापना करना।
- परम्परागत/डिजिटल प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार–प्रसार करना।
- वेब.आधारित सूचना सेवाएं प्रदान करना।
- डी आर डी ओ के अभिलेखागार और संस्थागत भंडार का डिजिटल रूपांतरण करना।
- ज्ञान प्रबंधन के लिए समुचित प्रौद्योगिकी की पहचान करना एवं उसे अर्जित करना।
- लेखों और विशेष प्रकाशनों के माध्यम से रक्षा संबंधी ज्ञान को तैयार करना।
- डी आर डी ओ की प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के अधीन तकनीकी सूचना संसाधन केन्द्रों (टी आई आर सी) को व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान करना।

## मुख्य सक्षमता

- सूचना संसाधनों का विकास
- पुस्तकालय स्वचालन हेतु डेटाबेस अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर डिजाइन तैयार करना और उनका विकास करना।
- बहु.केंद्र पर्यावरण में सूचना पुनः प्राप्त करना।
- मल्टीमीडिया विषय.वस्तु का विकास करना।
- वेब–आधारित सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग।

## नागरिक अधिकार पत्र

- डी आर डी ओ मुख्यालय/प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं को वैज्ञानिक सूचना, प्रलेखन, पुस्तकालय, रेप्रोग्राफिक तथा अनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय संसाधन के रूप में कार्य करना और डी आर डी ओ के वैज्ञानिक सूचना कार्यक्रमों का समन्वय करना।
- डी आर डी ओ के कार्मिकों और रक्षा प्रयोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण और प्रयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना और वैज्ञानिक सूचना/प्रलेखन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य करना।
- डी आर डी ओ के तकनीकी सूचना संसाधन केंद्रों (टी आई आर सी) और अन्य रक्षा संगठनों को परामर्शी तथा संदर्भ सेवाएं प्रदान करना।
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी पत्र.पत्रिकाएं, समाचार.पत्र, लेख और डी आर डी ओ के विशेष प्रकाशनों को प्रकाशित करना।

## डी आर डी ओ समाचार

डी आर डी ओ के मासिक गृह.बुलेटिन में इस संगठन की प्रमुख उपलब्धियों, भावी योजनाओं, अन्य वैज्ञानिक, प्रशासनिक, और सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। इस सूचना.पत्र में दी गई सूचना से बाह्य विश्व को डी आर डी ओ की छवि और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है तथा डी आर डी ओ परिवार को एकजुट किया जाता है। इसमें डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के हिंदी से संबंधित क्रियाकलापों और उपलब्धियों को भी प्रकाशित किया जाता है। इस केन्द्र द्वारा डी आर डी ओ की उपलब्धियों एवं गतिविधियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए डी आर डी ओ समाचार प्रकाशित किया जा रहा है। डी आर डी ओ स्वर्ण जयंती वर्ष 2008 में फरवरी अंक को आर एंड डी (इंजी.), पुणे विशेषांक तथा मई अंक को रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर, विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। वर्ष 2009 में फरवरी अंक को डेसीडॉक, दिल्ली विशेषांक के रूप में तथा जून 2010 अंक को वी आर डी ई, अहमदनगर विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस समय डी आर डी ओ समाचार के प्रकाशन का 25वां वर्ष चल रहा है। इसका URL http://drdo.gov.in/drdo/pub/samachar/index.html

## प्रौद्योगिकी विशेष

डी आर डी ओ की इस त्रैमासिक गृह पत्रिका में इस संगठन द्वारा विकसित, अभिकल्पित, उत्पादित, तथा रक्षा सेवाओं को हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। यह प्रकाशन राजभाषा हिन्दी में देशवासियों तक डी आर डी ओ के उत्कृष्ट कार्यों को पहुंचाने का प्रयास है। यह वर्तमान में अपनी तरह का रक्षा प्रौद्योगिकियों को समर्पित एकमात्र प्रकाशन है। इससे जटिल रक्षा प्रौद्योगिकियों की समझ विकसित करने में सफलता प्राप्त होगी। इस

प्रकाशन की मुदित प्रतियों को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में निशुल्क भेजा जाएगा। यह प्रकाशन डिजीटल रूप में डी आर डी ओ की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसका URL http://drdo.gov.in/drdo/pub/prodhyogiki/prodhyogiki.html **है।**

## तदर्थ/विशेष प्रकाशन

डेसीडॉक, डी आर डी ओ मुख्यालय और अन्य डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के विभिन्न प्रकाशनों के लिए संपादन, डेस्कटॉप प्रकाशन, डिजाइनिंग और डिजिटल मुद्रण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये प्रकाशन प्रयोक्ता की अपेक्षाओं के अनुसार मुद्रित/डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। डेसीडॉक द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिन्दी में प्रकाशित किए गए विशेष प्रकाशनों का ब्यौरा इस प्रकार हैं : एड्स, तनु प्रकाशीय फिल्म, पर्यावरण, डी आर डी ओ–एक स्वर्णिम यात्रा, मिलीमीटर प्रौद्योगिकी, इत्यादि।

## डेसीडॉक की गृह पत्रिका ज्ञानदीप

डेसीडॉक द्वारा पिछले बारह वर्षों से निरंतर गृह पत्रिका ज्ञानदीप का प्रकाशन किया जा रहा है। अब तक इसके दस अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इस वर्ष इसका ग्यारहवां अंक प्रकाशित किया जा रहा है। इस पत्रिका में मुख्य रूप से चार खण्डों के अंतर्गत आलेख प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे राजभाषा खण्ड, विज्ञान एवं तकनीकी खण्ड, विविधा एवं कविता। इन सभी खण्डों के अंतर्गत डेसीडॉक परिवार के कार्मिक अपनी रचनाएं भेजते हैं, जिन्हें बाद में संपादित करके, यदि संभव हो, प्रकाशित किया जाता है। अलग–अलग खण्डों में काफी रोचक एवं ज्ञानवर्धक सामग्री का प्रकाशन किया जाता है ताकि पत्रिका रोचक लगे।

### ♦ गृह पत्रिका पुरस्कार

डेसीडॉक की गृह पत्रिका **ज्ञानदीप, अंक.5, वर्ष 2005** को रक्षा मंत्रालय, राजभाषा प्रभाग द्वारा वर्ष 2005.06 की विभागीय पत्रिकाओं की पुरस्कार योजना में **द्वितीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ है। दिनांक 11 जून 2007 को साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित रक्षा उत्पादन विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय रक्षा मंत्री, श्री ए के एंटोनी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। निदेशक, डेसीडॉक की ओर से यह पुरस्कार श्रीमती सुमति शर्मा, वैज्ञानिक ई ने प्राप्त किया। इस पुरस्कार में दस हजार रुपये की राशि तथा प्रशस्ति.पत्र शामिल हैं।

### ♦ उत्कृष्ट पत्रिका प्रकाशन पुरस्कार

रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र (डेसीडॉक), दिल्ली की गृह पत्रिका ज्ञानदीप, अंक 7 वर्ष 2007 को हम सब साथ.साथ, दिल्ली द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2009 को झांसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन, 2009 में उत्कृष्ट पत्रिका प्रकाशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मेलन का मुख्य विषय था भारतीय भाषाओं के समन्वय में राजभाषा हिन्दी की भूमिका व योगदान।

गणमान्य विभूतियों में पदमश्री डॉ श्याम सिंह शशि, इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे तथा लेखक एवं विचारक, श्री जानकीशरण वर्मा इसके अध्यक्ष थे। डेसीडॉक की ओर से इस सम्मेलन के लिए श्री अशोक कुमार, सहायक हिन्दी को नामित किया गया था। सम्मेलन में विचारगोष्ठी में चर्चा के दौरान श्री अशोक कुमार ने डेसीडॉक, दिल्ली द्वारा किये जा रहे हिन्दी कार्यों तथा डी आर डी ओ द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन नीति के पालन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## हिन्दी कार्यशालाएं

राजभाषा हिन्दी में अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है एवं इस के लिए इस केन्द्र में नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इन कार्यशालाओं में मुख्यालय सहित केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों से वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। पिछले आठ वर्षों में डेसीडॉक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डेसीडॉक द्वारा आयोजित कार्यशालाओं का विवरण निम्नलिखित है:

| क्र.सं0 | कार्यशाला का विषय एवं तिथि | वक्ताओं का नाम एवं पता | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | टिप्पण एवं प्रारूपण<br>03 फरवरी 2005 | श्री सुभाष चन्दर<br>विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली। | 60 |
| 2. | टिप्पण एवं प्रारूपण<br>30 अगस्त 2005 | श्री भूपेन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी<br>न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी, नई दिल्ली। | 60 |
| 3. | अनुवाद<br>18 अक्तूबर 2005 | श्री अशोक कुमार चोपड़ा<br>वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी<br>राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोदी रोड, नई दिल्ली।<br>श्री ए सी सूद, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक<br>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,<br>लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली। | 62 |
| 4. | हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण<br>13 मार्च 2006 | डॉ रमेश मेहता, रीडर<br>डॉ जाकिर हुसैन कालेज, नई दिल्ली।<br>श्रीमती सुमन लाल, सहायक निदेशक<br>केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,<br>2–ए पृथ्वीराज रोड़, नई दिल्ली। | 65 |
| 5. | हिन्दी शब्दावली निर्माण<br>30 जून 2006 | डॉ संतोष कुमार, उपनिदेशक<br>शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय,<br>निर्माण भवन, नई दिल्ली। | 52 |
| 6. | टिप्पण प्रारूपण एवं अनुवाद<br>30 अगस्त 2006 | डॉ आर एम व्यास, सहायक निदेशक<br>केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,<br>2–ए पृथ्वीराज रोड़, नई दिल्ली। | 45 |
| 7. | प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों की जानकारी<br>15 नवम्बर 2006 | श्री ओमप्रकाश डढवाल, प्रशा. अधिकारी<br>डेसीडॉक, दिल्ली।<br>श्री ए डी नांगिया, प्रशासनिक अधिकारी<br>डेसीडॉक, दिल्ली। | 47 |
| 8. | विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार एवं हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं | श्री रामानुज पाण्डेय, सहायक निदेशक<br>केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,<br>आर के पुरम, नई दिल्ली। | 49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 31 जनवरी 2007<br>केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, | श्रीमती कुसुम वीर, निदेशक,<br>2–ए पृथ्वीराज रोड़, नई दिल्ली। | |
| 9. | टिप्पण प्रारूपण एवं अनुवाद<br>30 मई 2007 | श्री यशपाल शर्मा, सहायक निदेशक<br>मानव संसाधन विकास मंत्रालय,<br>शास्त्री भवन, नई दिल्ली।<br>प्रोफेसर डॉ कृष्ण कुमार गोस्वामी, सलाहकार<br>सी–डैक, नोएडा, उ0प्र0। | 43 |
| 10. | अनुवाद<br>03 अगस्त 2007 | श्रीमती कुसुम अग्रवाल, सहायक निदेशक<br>केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, लोदी रोड, नई दिल्ली।<br>डॉ विचार दास, पूर्व निदेशक<br>केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, लोदी रोड, नई दिल्ली। | 43 |
| 11. | अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद<br>सॉफ्टवेयर<br>23 अक्तूबर 2007 | श्री वी एन शुक्ला, निदेशक<br>प्रोफेसर डॉ कृष्ण कुमार गोस्वामी, सलाहकार<br>सी–डैक, नोएडा, उ0प्र0। | 35 |
| 12. | प्रशासनिक नियम एवं<br>सारांश सॉफ्टवेयर<br>18 जनवरी 2008 | श्री ओमप्रकाश डढवाल, वरि.प्रशा.अधिकारी<br>श्री अशोक कुमार, सहायक हिन्दी। | 130 |
| 13. | प्रशिक्षण योजनाएं एवं<br>देवनागरी लिपि तथा प्रोत्साहन<br>योजनाएं एवं व्याकरणिक भूलें<br>07 मई 2008 | श्रीमती तनूजा सचदेव, सहायक निदेशक<br>श्रीमती स्नेहलता, सहायक निदेशक<br>केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, लोदी रोड़<br>नई दिल्ली। | 42 |
| 14. | टिप्पण एवं प्रारूपण<br>07 अगस्त 2008 | श्री रामनिवास, सहायक निदेशक<br>श्री पूरन चन्द्र, उप निदेशक,<br>राजभाषा तथा संगठन पद्धति, निदेशालय,<br>डी आर डी ओ भवन, नई दिल्ली। | 45 |
| 15. | अनुवाद<br>14 नवम्बर 2008 | डॉ विचार दास, पूर्व निदेशक<br>केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, लोदी रोड, नई दिल्ली। | 130 |
| 16. | संपादन एवं लोकप्रिय लेखन कला<br>06 मार्च 2009 | डॉ प्रदीप शर्मा, संपादक, विज्ञान प्रगति<br>निसकेयर, नई दिल्ली। | 45 |
| 17. | प्राथमिक उपचार एवं<br>स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां<br>22 जून 2009 | डॉ मित्रबासु, वैज्ञानिक ई,<br>इनमास, दिल्ली। | 125 |
| 18. | राजभाषा कार्यान्वयन<br>समस्याएं एवं समाधान<br>सुविधा सॉफ्टवेयर<br>25 अगस्त 2009 | श्रीमती नमिता राकेश, सहायक निदेशक<br>आयकर विभाग, आई टी ओ, नई दिल्ली।<br>श्री अनीश कुमार, क्षेत्रीय क्रय प्रबंधक<br>इंडस टैक्नोलोजीज, झंडेवालान, नई दिल्ली। | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. | सूचना प्रौद्योगिकी<br>15 दिसम्बर 2009 | डॉ हरीश अरोड़ा, सहायक प्रोफेसर<br>दिल्ली विश्वद्यिालय, दिल्ली। | 47 |
| 20. | डी आर डी ओ में<br>राजभाषा कार्यान्वयन<br>19 फरवरी 2010 | डॉ महेन्द्र सिंह, निदेशक<br>राजभाषा तथा संगठन पद्धति, निदेशालय,<br>डी आर डी ओ भवन, नई दिल्ली। | 135 |
| 21. | आध्यात्मिक स्वास्थ्य तथा तनाव<br>रहित जीवन जीने के उपाय<br>25 जून 2010 | श्री बी के चन्द्रशेखर<br>फरीदाबाद, हरियाणा। | 130 |
| 22. | विज्ञान संचार<br>11 अगस्त 2010 | डॉ सुबोध मोहंती, वैज्ञानिक एफ<br>विज्ञान प्रसार, नोएडा। | 50 |
| 23. | हिन्दी सॉफ्टवेयर<br>05 जनवरी 2011 | आर्यन ई–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड<br>झंडेवालान, नई दिल्ली | 125 |
| 24. | राजभाषा कार्यान्वयन<br>01 मार्च 2011 | श्री राजेन्द्र प्रसाद, उपनिदेशक (राजभाषा)<br>राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय<br>डी आर डी ओ मुख्यालय। | 125 |
| 25. | हिन्दी सॉफ्टवेयर तथा राजभाषा<br>कार्यान्वयन<br>28 जून 2011 | श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक<br>राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली<br>श्री फूलदीप कुमार, राजभाषा अधिकारी, डेसीडॉक | 125 |
| 26. | आध्यात्मिक एवं मानसिक चिन्तन :<br>प्रगतिशील संस्थान की अनिवार्य कुंजी<br>29 जुलाई 2011 | बी के रंजना तथा बी के सविता<br>ओम शांति रिट्रीट सेंटर, मानेसर, हरियाणा | 125 |
| 27. | यूनीकोड तथा इसका कार्यान्वयन<br>04 अक्तूबर 2011 | श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक<br>राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली<br>श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ सहायक हिन्दी, डेसीडॉक | 30 |
| 28. | अनुवाद<br>06 जनवरी 2012 | श्री राजेश सिंह, सहा. निदेशक (राजभाषा)<br>केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली | 35 |
| 29. | आई एस ओ<br>28 जून 2012 | श्री फूलदीप कुमार, राजभाषा अधिकारी<br>डेसीडॉक | 120 |
| 30. | यूनीकोड<br>28 सितम्बर 2012 | श्री टी एस विजय, उप निदेशक,<br>संगणक केन्द्र, सांख्यिकी एवं कार्य<br>क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। | 120 |
| 31. | मीडिया तथा महिलाएं<br>27 दिसम्बर 2012 | श्रीमती ज्योति सिंह, हिन्दी अधिकारी,<br>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,<br>भारत सरकार, नई दिल्ली। | 50 |
| 32. | राजभाषा का वर्तमान परिदृश्य<br>08 मार्च 2013 | प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा, उपाध्यक्ष,<br>हिन्दी अकादमी, दिल्ली।<br>प्रोफेसर ओम विकास, भूतपूर्व निदेशक,<br>आई आई आई टी एम, इलाहाबाद। | 120 |

## हिन्दी पखवाड़ा

इस केन्द्र में विधिवत् रूप से प्रतिवर्ष सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया

जाता है। इसका उद्देश्य डेसीडॉक के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इस दौरान अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें डेसीडॉक परिवार के सदस्य बढ़–चढ़कर भाग लेते हैं। पिछले छह वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

| पखवाड़ा वर्ष | पखवाड़ा की तिथि | प्रतियोगिताओं की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या | पुरस्कारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 14.28 सितम्बर | 07 | 83 | 43 |
| 2006 | 14.28 सितम्बर | 10 | 81 | 75 |
| 2007 | 14.27 सितम्बर | 09 | 68 | 68 |
| 2008 | 11.30 सितम्बर | 10 | 55 | 69 |
| 2009 | 14.27 सितम्बर | 09 | 68 | 68 |
| 2010 | 01.14 सितम्बर | 11 | 103 | 82 |
| 2011 | 25 अगस्त 2011 से 08 सितम्बर 2011 तक | 10 | 74 | 74 |
| 2012 | 03–18 सितम्बर 2012 | 09 | 110 | 110 |

## प्रोत्साहन योजना

सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए केन्द्र सरकार की प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन इस केन्द्र में किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार (दो), द्वितीय पुरस्कार (तीन), तथा तृतीय पुरस्कार (पांच), क्रमशः 800, 400, 300 रुपये के होते हैं। पिछले पांच वर्षों में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए हैं :

| प्रोत्साहन योजना वर्ष | कुल पुरस्कार | पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|
| वर्ष 2005.06 | 10 | 22 |
| वर्ष 2006.07 | 10 | 12 |
| वर्ष 2007.08 | 10 | 14 |
| वर्ष 2008.09 | 10 | 11 |
| वर्ष 2009.10 | 10 | 21 |
| वर्ष 2010.11 | 10 | 20 |
| वर्ष 2011.12 | 24 | 24 |
| वर्ष 2012.13 | 10 | 25 |

## हिन्दी संगोष्ठियां

डी आर डी ओ में राजभाषा में वैज्ञानिक साहित्य की रचना को बढ़ावा देने के लिए अनेक हिन्दी संगोष्ठियों का आयोजन प्रयोगशाला स्तर पर किया जाता है। इस परम्परा को कायम रखते हुए डेसीडॉक भी प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन करता है। पिछले चार वर्षों का वर्णन इस प्रकार है :

## मानव संसाधन विकास का महत्व

डेसीडॉक द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2007 को मानव संसाधन विकास का महत्व नामक विषय पर एकदिवसीय हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मानव संसाधन विकास निदेशालय डी आर डी ओ मुख्यालय के निदेशक, डॉ एस एम वीरभद्रप्पा इस समारोह के मुख्य अतिथि थे जिन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा इस संगोष्ठी के लिए प्राप्त हुए लेखों के संकलन का विमोचन भी किया गया।

अपने उद्घाटन उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने मानव संसाधन विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं डी आर डी ओ द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास निदेशालय, डी आर डी ओ मुख्यालय की उपनिदेशक, श्रीमती अनीता सहगल भी पधारीं जिन्होंनें मुख्य सम्बोधन दिया। अपने मुख्य सम्बोधन में उन्होंने संसाधन विकास की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं डी आर डी ओ मुख्यालय द्वारा मानव संसाधन विकास निदेशालय के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की। तत्पश्चात् प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की। डी आर डी ओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से 17 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया तथा अपने–अपने लेख प्रस्तुत किए। लेख प्रस्तुति दो सत्रों में आयोजित की गई। लेजर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (लेसटेक), दिल्ली, की श्रीमती ललिता दासगुप्ता, वैज्ञानिक एफ ने द्वितीय सत्र की अध्यक्षता की।

## राष्ट्र की प्रगति में रक्षा अनुसंधान तथा विकास

रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र (डेसीडॉक), दिल्ली एवं रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (डी आई पी आर), दिल्ली द्वारा दिनांक 05–06 फरवरी 2008 को नालन्दा सभागार, मेटकॉफ हाउस, दिल्ली में राष्ट्र की प्रगति में रक्षा अनुसंधान तथा विकास नामक विषय पर दो–दिवसीय अखिल भारतीय संयुक्त राजभाषा वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र (सेपटेम) के अध्यक्ष, श्री एस सी नारंग इस समारोह के मुख्य अतिथि तथा अनुसंधान केन्द्र इमारत (आर सी आई) , हैदराबाद के मानव संसाधन प्रमुख, श्री राजेन्द्र प्रसाद विशिष्ट अतिथि थे। डेसीडॉक के निदेशक, डॉ अ ल मूर्ति ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। अपने स्वागत सम्बोधन में डॉ अ ल मूर्ति ने राष्ट्र की प्रगति में रक्षा अनुसंधान तथा विकास पर प्रकाश डाला तथा प्रतिभागियों से इस प्रकार की संगोष्ठी में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए कहा।

संगोष्ठी का आयोजन छः विभिन्न सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र में डी आर डी ओ की उपलब्धियां एवं राष्ट्र के विकास में उसकी भूमिका पर लेख प्रस्तुत किए गए। द्वितीय सत्र प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की विभिन्न गतिविधियों के नाम रहा जबकि तृतीय सत्र में विभिन्न प्रकार के लेख प्रस्तुत किए गए। चतुर्थ सत्र में द्रोणा नेटवर्क की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया जबकि पांचवे सत्र में स्वास्थ्य संबंधी लेख प्रस्तुत किए गए। अंतिम सत्र में राजभाषा संबंधी लेखों को प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक सत्र में सर्वोत्तम आलेख एवं सर्वोत्तम प्रस्तुति पुरस्कार प्रदान किए गए। डी आर डी ओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से 36 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया तथा अपने–अपने लेखों को प्रस्तुत किया।

समापन सत्र में डॉ महेन्द्र सिंह, निदेशक, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय, डी आर डी ओ मुख्यालय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इस अवसर पर डॉ मानस कुमार मंडल, निदेशक, डी आई पी आर ने स्मारिका में प्रकाशित लेखों पर संतुष्टि प्रकट की तथा सभी लेखकों के प्रयासों की सराहना की। डॉ अ ल मूर्ति, निदेशक, डेसीडॉक ने अपने भाषण में इस प्रकार की संगोष्ठियों के अधिकाधिक आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन को बढ़ाया जा

सके। डॉ महेन्द्र सिंह ने अपने समापन उद्बोधन में डेसीडॉक द्वारा हिन्दी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को उल्लेखनीय बताया तथा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भूरि.भूरि प्रशंसा करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉ महेन्द्र सिंह ने सभी सत्राध्यक्षों को स्मृति.चिह्न भेंट किए तथा प्रत्येक सत्र के लिए सर्वोत्तम आलेख तथा सर्वोत्तम प्रस्तुति पुरस्कार भी वितरित किए। संगोष्ठी के आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए डॉ महेन्द्र सिंह ने श्रीमती सुमति शर्मा, वैज्ञानिक ई, श्री फूलदीप कुमार, वैज्ञानिक बी तथा श्री अशोक कुमार, सहायक हिन्दी को भी स्मृति.चिह्न प्रदान किए।

## अनुसंधान तथा विकास में ज्ञान प्रबंधन की भूमिका

रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केंद्र (डेसीडॉक), दिल्ली द्वारा मेटकॉफ हाउस परिसर में स्थित नालंदा सभागार में दिनांक 12—13 फरवरी 2009 के दौरान अनुसंधान तथा विकास में ज्ञान प्रबंधन की भूमिका नामक विषय पर दो—दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान 44 शोध—पत्र/आलेख प्रस्तुत किए गए। संगोष्ठी में देश भर की डी आर डी ओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं, अन्य वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए लगभग 135 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में 06 तकनीकी सत्रों के अंतर्गत प्रस्तुतियां हुईं। ये सत्र क्रमशः ज्ञान प्रबंधन, संरक्षण, डिजिटल पुस्तकालय, प्रौद्योगिकी, नई दिशाएं तथा विविधा थे।

संगोष्ठी का शुभारम्भ दिनांक 12 फरवरी 2009 को सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। संगोष्ठी का उद्घाटन पदमश्री डॉ पी एस गोयल, अध्यक्ष, भर्ती तथा मूल्यांकन केन्द्र (आर ए सी), दिल्ली, के करकमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर श्री सुरेन्द्र कुमार, भूतपूर्व निदेशक तथा उत्कृष्ट वैज्ञानिक, ए आर डी ई, पुणे विशिष्ट अतिथि थे। डॉ अ ल मूर्ति, निदेशक, डेसीडॉक ने संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह डेसीडॉक का प्रथम प्रयास है जिसमें डी आर डी ओ के अलावा अन्य शोध संस्थानों एवं शैक्षणिक विश्वविद्यालयों से लेख आमंत्रित किए गए हैं। डॉ पी एस गोयल ने अपने उद्घाटन उद्बोधन में इसरो तथा पर्यावरण मंत्रालय के अपने अनुभवों को प्रतिभागियों एवं प्रबुद्धगणों के साथ बांटा। आपने संगोष्ठी के विषय की सामयिकता तथा उपयोगिता पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। डॉ गोयल ने ज्ञान प्रबंधन की आवश्यकता तथा लाभों को विस्तारपूर्वक अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री सुरेन्द्र कुमार ने अपने उद्बोधन में विस्तारपूर्वक विभिन्न प्रक्षेपास्त्र तथा आयुध प्रणालियों के विकास में ज्ञान प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉ पी एस गोयल द्वारा संगोष्ठी समारिका का विमोचन किया गया। उद्घाटन सत्र में डॉ अरूण कुमार, निदेशक, भर्ती तथा मूल्यांकन केन्द्र, दिल्ली; डॉ ए के मैनी, निदेशक, लेसटेक; डॉ पी के सक्सेना, निदेशक, एस ए जी; श्री एस सी नारंग, अध्यक्ष, सेपटेम, दिल्ली तथा डी आर डी ओ मुख्यालय के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

प्रथम सत्र ज्ञान प्रबंधन विषय पर था, इसके सत्राध्यक्ष श्री विनोद कुमार पांचाल, वैज्ञानिक एफ, डी टी आर एल, मेटकॉफ हाउस, दिल्ली थे। इस सत्र में 07 प्रस्तुतियां हुईं जिसमें श्रीमती वी एस खड़के, ए आर डी ई, पुणे की प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ चुनी गई। द्वितीय सत्र संरक्षण विषय पर था, इसकी सत्राध्यक्ष सुश्री दीक्षा बिष्ट, वैज्ञानिक एफ, निसकेयर, नई दिल्ली थीं। सुश्री दीक्षा बिष्ट ने इस अवसर पर हिन्दी में वैज्ञानिक लेखन विषय पर रोचक प्रस्तुति दी। इस सत्र में भी 07 प्रस्तुतियां हुईं जिसमें सुश्री पार्वती, एस एफ कॉम्प्लैक्स, जगदलपुर की प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ चुनी गई। तीसरा सत्र डिजिटल पुस्तकालय विषय पर था, इसके सत्राध्यक्ष श्री डी के कौशिक, वैज्ञानिक एफ, सीफीज, दिल्ली, थे। इस सत्र की 07 प्रस्तुतियों में से श्री योगेश मोदी, डेसीडॉक, दिल्ली की प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ चुनी गई।

चौथा सत्र प्रौद्योगिकी विषय पर था, इसके सत्राध्यक्ष श्री आर के श्रीवास्तव, वैज्ञानिक एफ (सेवानिवृत्त), एस एस पी एल, दिल्ली, थे। इस सत्र में 09 प्रस्तुतियां हुईं जिसमें श्री निशांत कुमार, डेसीडॉक, दिल्ली की प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ चुनी गई। पांचवा सत्र नई दिशाएं विषय पर था, इसके सत्राध्यक्ष श्री नीलाम्बर पाण्डेय, निदेशक, राजभाषा प्रभाग, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली थे। इस सत्र में 07 प्रस्तुतियां हुईं तथा श्री ब्रजपाल, डेसीडॉक, दिल्ली, की प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ चुनी गई। संगोष्ठी का छठा सत्र विविधा विषय पर था, इसके सत्राध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद, उपनिदेशक, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय, डी आर डी ओ भवन, नई दिल्ली, थे। इस सत्र में 07 प्रस्तुतियां हुईं जिनमें से श्री आशीष कुमार दीक्षित, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ चुनी गई।

दिनांक 13 फरवरी 2009 को संगोष्ठी के समापन सत्र में डॉ महेन्द्र सिंह, निदेशक, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय, डी आर डी ओ भवन, नई दिल्ली, मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर डॉ मानस कुमार मंडल, निदेशक, डी आई पी आर, दिल्ली, तथा डॉ विजय कुमार, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई, विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर श्रीमती सुमति शर्मा, राजभाषा अधिकारी, डेसीडॉक तथा संगोष्ठी आयोजन सचिव ने मंच संचालन किया। डॉ अ ल मूर्ति, निदेशक, डेसीडॉक ने मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया तथा संगोष्ठी के दौरान हुई प्रस्तुतियों की गुणवत्ता को सराहा। श्री फूलदीप कुमार, वैज्ञानिक बी ने संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशिष्ट अतिथि डॉ विजय कुमार ने अपने उद्‌बोधन में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में चल रहे ज्ञान प्रबंधन परिकल्पों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉ मानस कुमार मंडल ने अपने उद्‌बोधन में पिछले वर्ष की राष्ट्रीय संगोष्ठी की यादें ताजा कीं। आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों को बांटा। आपने बताया कि वे इस संगोष्ठी में हुई व्यापक प्रतिभागिता से हर्षित हैं।

समापन सत्र के अध्यक्ष, डॉ महेन्द्र सिंह, निदेशक, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय, डी आर डी ओ भवन, नई दिल्ली ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ज्ञान प्रबंधन विषय को दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। आपने संगोष्ठी की सफलता हेतु निदेशक, डेसीडॉक को बधाई दी तथा भविष्य में भी संगोष्ठी आयोजन हेतु मुख्यालय से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। निदेशक, डेसीडॉक ने संगोष्ठी में महती योगदान के लिए श्रीमती सुमति शर्मा, वैज्ञानिक ई, श्री फूलदीप कुमार, वैज्ञानिक बी एवं श्री अशोक कुमार, सहायक हिन्दी को स्मृति.चिह्न देकर सम्मानित किया। अंत में श्रीमती सुमति शर्मा, संगोष्ठी आयोजन सचिव एवं राजभाषा अधिकारी, डेसीडॉक ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

## हिन्दी के प्रचार प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान

डेसीडॉक द्वारा 12 फरवरी 2010 को हिन्दी के प्रचार प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान नामक विषय पर अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन नालंदा सभागार, वैज्ञानिक विश्लेषण समूह, मेटकॉफ हाउस परिसर, दिल्ली में किया गया। संगोष्ठी का उद्‌घाटन डॉ पी के सक्सेना, उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा निदेशक, वैज्ञानिक विश्लेशण समूह, दिल्ली ने किया। संगोष्ठी के उद्‌घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉ अ ल मूर्ति, निदेशक, डेसीडॉक ने की। संगोष्ठी के उद्‌घाटन सत्र में हिन्दी के प्रचार प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान नामक संगोष्ठी स्मारिका तथा डेसीडॉक की गृह पत्रिका ज्ञानदीप का विमोचन हुआ।

संगोष्ठी का आयोजन चार सत्रों में हुआ, ये सत्र थे, हिन्दी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन, राजभाषा हिन्दी ज्ञान स्त्रोत तथा विविधा। इनमें कुल 28 पेपर प्रस्तुत किए गए। संगोष्ठी में विभिन्न अकादमिक तथा तकनीकी संस्थानों से लगभग 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान

मेटकॉफ हाउस परिसर स्थित प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा एकसाथ मिलकर दिनांक

17 मार्च 2011 को राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान नामक विषय पर अखिल भारतीय संयुक्त राजभाषा/वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय की नवीनता के कारण संगोष्ठी में नूतन शोध तथा प्रौद्योगिकियों के विषय में तथ्यपरक तथा रोचक जानकारी का आदान–प्रदान हुआ जिससे हिन्दी में वैज्ञानिक/तकनीकी लेखन को बढ़ावा मिलता है। संगोष्ठी का आयोजन सात सत्रों में किया गया जिनमें 51 आलेख प्रस्तुत किए गए। सभी आलेखों को लेसटेक तथा नालंदा सभागारों में समानांतर रूप से प्रस्तुत किया गया। सभी सत्रों में से एक–एक प्रस्तुति को सर्वोत्तम प्रस्तुति पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

सरस्वती वंदना के साथ संगोष्ठी का शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉ के डी नायक, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मुख्य नियंत्रक अनुसंधान तथा विकास (एम ई डी एवं एम आई एस टी), डी आर डी ओ मुख्यालय, दिल्ली ने दीप प्रज्ज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। डॉ अ ल मूर्ति, निदेशक, डेसीडॉक ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा संगोष्ठी के कार्यक्रम के बारे में सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया। आपने बताया कि इस संगोष्ठी के लिए 51 आलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि डेसीडॉक के हिन्दी अनुभाग द्वारा किया गया एक उत्तम प्रयास है। आपने बताया कि आलेखों की संख्या अधिक होने के कारण इनको दो सभागारों में समानांतर प्रस्तुत किया जाएगा। आपने मेटकॉफ हाउस परिसर स्थित प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के निदेशकों को संगोष्ठी आयोजन के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया।

इसके पश्चात् मुख्य अतिथि द्वारा संगोष्ठी स्मारिका का विमोचन किया गया। इस संगोष्ठी स्मारिका का प्रकाशन डेसीडॉक द्वारा किया गया है। अपने उद्घाटन उद्बोधन में डॉ नायक ने इस प्रकार के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि ये प्रयास राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास में मील का पत्थर होंगे। डॉ नायक ने आयोजन समिति के सचिव, डॉ अ ल मूर्ति को इस आयोजन के लिए बधाई दी तथा विगत में डेसीडॉक द्वारा आयोजित की गई अखिल भारतीय संगोष्ठियों के बारे में भी बताया। आपने कहा कि हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं इसकी बढ़ोत्तरी के लिए डेसीडॉक द्वारा बहुत कार्य किया जाता है। आपने संगोष्ठी स्मारिका के मुद्रण पर भी प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि इस प्रकार के तकनीकी प्रकाशन हिन्दी साहित्य में अपनी पैठ अवश्य बनायेंगे तथा पाठकों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदर्भ होंगे। इस अवसर पर डॉ पी के सक्सेना, उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा निदेशक, वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एस ए जी), दिल्ली विशिष्ट अतिथि थे। अपने उद्बोधन में डॉ सक्सेना ने संगोष्ठी स्मारिका की गुणवत्ता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में इस प्रकार के प्रयास से हम राजभाषा को उसके मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आपने कहा कि मुझे यह भी कहने में कतई संशय नहीं हैं कि मेटकॉफ हाउस परिसर स्थित प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में डेसीडॉक हिन्दी में सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। आपने यह सुझाव भी दिया हमें अपने आलेखों में क्लिष्ट भाषा से बचना चाहिए तथा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पाठक इनको पढ़ सकें। साथ ही आपने यह भी कहा कि हमें क्लिष्ट शब्दों के लिए आसान शब्दों का भी निर्माण करना चाहिए और लगातार उनका उपयोग करना चाहिए बेशक वे कितने भी तकनीकी क्यूं न हों। धीरे–धीरे प्रयोग करने से ही हम उन शब्दों को जान लेंगे तथा बाद में हमें उनको पढ़ने और समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।

श्री आर बी सिंह, निदेशक, कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र (सेपटेम), दिल्ली ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। अपने सम्बोधन में आपने इस बात पर बल दिया कि हमें इस प्रकार के अनुसंधान कार्य करने चाहिए जिससे गरीब से गरीब तबके को भी उसका लाभ मिले। आपने इस बात पर भी बल दिया हमें इस प्रकार अनुसंधान कार्य करने चाहिए जिससे कि हम अपने राष्ट्र की धरोहर, सम्पत्ति, संस्कृति इत्यादि को कायम रख सकें। हमें भूकम्प अथवा अन्य आपदों से निपटने के लिए आपातकालीन स्थिति में होने वाले जान–माल के नुकसान को कम करने के लिए अनुसंधान करने चाहिए। आपने

प्रत्येक सत्र में सर्वोत्तम प्रस्तुति के लिए प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र भी प्रदान किए। श्रीमती शशी त्यागी, अपर निदेशक, डेसीडॉक ने संगोष्ठी की समीक्षा की तथा धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

## राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान

मेटकॉफ हाउस परिसर, दिल्ली स्थित सभी प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा मिलकर दिनांक 20 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान नामक विषय पर संयुक्त राजभाषा वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह संगोष्ठी लेजर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (लेसटेक), दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। डेसीडॉक की ओर से इस संगोष्ठी में सात आलेख प्रस्तुत किए गए। साथ ही डेसीडॉक द्वारा संगोष्ठी स्मारिका के प्रकाशन में भी सहयोग दिया गया।

## विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान

मेटकॉफ हाउस परिसर, दिल्ली स्थित सभी प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से मार्च 2013 में विश्व की प्रगति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान नामक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा तथा रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र (डेसीडॉक), दिल्ली इसकी आयोजक प्रयोगशाला होगी। विषय के विस्तृत रूप को देखते हुए इसमें उत्तम शोध पत्र/आलेख प्रस्तुत किए जाएंगे, इससे ने केवल हिन्दी में वैज्ञानिक/तकनीकी लेखन में बढ़ोत्तरी होगी, अपितु विश्व स्तर पर विज्ञान, प्रबंधन, तथा राजभाषा से जुड़े बुद्धिजीवी एक मंच पर साथ दिखेंगे। संगोष्ठी के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, तथा राजभाषा से जुड़े नए आयामों पर प्रबुद्धगण प्रकाश डालेंगे, जिससे तकनीकी क्षेत्र के साथ–साथ राजभाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। संगोष्ठी में भाग लेने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

## राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस केन्द्र में किए जा रहे राजभाषा संबंधी कार्यों तथा उसके प्रगामी प्रयोग एवं प्रचार.प्रसार से संबंधित कार्यों की समीक्षा करती है। सभी विभागों के प्रमुख इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं। इन बैठकों में कार्यालय में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

## हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट

राजभाषा नीति के निर्देशानुसार इस केन्द्र के नियंत्रण एककों से जो भी निर्देश/सुझाव प्राप्त होते हैं उनके अनुपालन के यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। राजभाषा संबंधी मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक एवं अन्य रिपोर्टें नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं। हिन्दी अनुभाग की वैबसाइट पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है ताकि सभी विभाग/अनुभाग इस रिपोर्ट को ऑनलाइन भर सकें।

## हिन्दी सॉफ्टवेयर

डेसीडॉक में हिन्दी के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई हिन्दी सॉफ्टवेयरों का अधिग्रहण किया गया है, जैसे लीप ऑफिस, सारांश, तथा सुविधा। इसमें सारांश तथा सुविधा में फोन्ट कनवर्जन की सुविध ा उपलब्ध है जिससे विभिन्न फोन्ट प्रदातों के फोन्टों को आपस में बदला जा सकता है। इन सॉफ्टवेयरों से हिन्दी प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की क्षमता डेसीडॉक के पास उपलब्ध है।

## हिन्दी प्रशिक्षण

केन्द्र द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। हिन्दी प्रशिक्षण में प्रबोध, प्रवीण, एवं प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक

पूरा करने के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रमाण.पत्र दिया जाता है तथा निर्धारित अंक प्राप्त करने पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसी प्रकार नए आशुलिपिकों एवं टंककों को हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण के लिए भी नामित किया जाता है। उनको भी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत प्रमाण–पत्र तथा निर्धारित अंक प्राप्त करने पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

## विविध कार्य

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी संबंधी बहुत से अन्य कार्य भी किए गए हैं जैसे मुख्यालय से प्राप्त हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी जानकारी को डेसीडॉक के सभी विभागों में परिचालित करना, राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बजट अनुमोदन प्राप्त करना, अनुवाद कार्य, दैनिक आदेशों को हिन्दी में निकालना, कर्मियों की हिन्दी प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करना, वार्षिक कार्यक्रम एवं राजभाषा नियमों की जानकारी उपलब्ध कराना, हिन्दी संबंधी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना, सभी मोहरें तथा नामपट्टिका इत्यादि हिन्दी में तैयार करवाने में सहायता तथा समय.समय पर किए जाने वाले अन्य राजभाषा हिन्दी संबंधी कार्य आदि।

## निष्कर्ष

डेसीडॉक द्वारा पिछले पांच वर्षों में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों में आशातीत प्रगति हुई है। डेसीडॉक के विभिन्न विभागों में हिन्दी में कार्य हो रहा है, इनमें प्रमुख हैं प्रशासन तथा वित्त विभाग, जिनका अधिकांश कार्य हिन्दी में ही होता है। जिससे डेसीडॉक का अधिकांश कार्यालयी कार्य स्वतः ही हिन्दी में हो रहा है। डेसीडॉक द्वारा पिछले बाईस वर्षों से डी आर डी ओ समाचार का नियमित प्रकाशन तथा पिछले नौ वर्षों से गृह पत्रिका ज्ञानदीप का नियमित प्रकाशन इस बात का प्रमाण है कि डेसीडॉक प्रकाशन के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। नियमित अंग्रेजी प्रकाशनों के अलावा समय. समय पर हिन्दी में तदर्थ प्रकाशनों का प्रकाशन राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में अच्छा संकेत है। डेसीडॉक का निकट भविष्य में लक्ष्य है सभी दैनिक आदेशों का द्विभाषी अथवा हिन्दी में शत.प्रतिशत प्रकाशन, क क्षेत्र में स्थित होने के नाते पत्राचार का लक्ष्य सौ प्रतिशत हासिल करना, राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित तमाम गतिविधियों को समय से पूर्ण करना, तदर्थ प्रकाशनों में बढ़ोत्तरी, नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले प्रकाशनों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करना।

## संदर्भ

1. www.drdo.com

# चिराग तले अँधेरा

जनार्दन अग्रवाल

*कॅम्ब्रिज् विश्वविद्यालय, अमेरिका*

हम विश्व में हिंदी की दशा पर क्या विचार करें? भारत में हिन्दी की दुर्दशा पर रोना आता है। चिराग़ तले अँधेरा! अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत हम पर बुरी तरह से हावी हो चुकी हैं। इसके लिए इतिहास में जाना आवश्यक है। Lord Macaulay ने ठीक ही कहा था। कितना दुष्ट इरादा था।

जैसा कि आप जानते हैं, अपने उस प्रसिद्ध पत्रमें उसने लिखा है, मेरे द्वारा भारत में परिचायित इस शिक्षाव्यवस्था का प्रभाव तुम पचास वर्षों के बाद देखना जबकि त्वचा और भूषा से भारतीय दिखाई देने वाले भारतीय जन आत्मा से पूर्णतः अंग्रेज़ हो गये रहेंगे।

उसकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित हुई।

2 फ़रवरी 1835 को Lord Macaulay, तथाकथित इतिहासकार (?) और MP, ने भारत की भावी शिक्षा प्रणाली के बारे में जो कहा था उसका एक नमूना नीचे देखिये। उन्ही के शब्दों में,

"A single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia".

भारत की मातृभाषाओं को Macaulay ने dialects की संज्ञा दी, "...dialects commonly spoken among the natives of India contain neither literary nor scientific information, and are so poor and rude.."

अंग्रेजी ही भारत की शिक्षा का एकमात्र माध्यम होना चाहिए। इसके पक्ष में उसने यह दलील दी, "In India, English is the language spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of natives...जरा मेकॉले का साहस तो देखिये! आगे कहा, "It was the duty of England to teach Indians what was good for their health, and not what was palatable to their taste".

इस आधार पर 7 मार्च 1835 को भारत में ब्रिटिश सरकार ने निम्न प्रस्तावों पर विचार करना चाहा। उनमें से पहला प्रस्ताव  इस प्रकार हैए

"His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British government ought to be the promotion of European literature and Science among the natives of India and that all the funds appropriated for the purposes of education would be best employed on English education alone".

लगभग बीस वर्ष बाद स्वाभिमान से ओतप्रोत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी भाषा के प्रति जो कहा, उससे आप शायद परिचित होंगे,

निज भाषा उन्नति अहैए सब उन्नति को मूल।

बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को सूल।।

ज़रा सोचिये, भारत को स्वतंत्र हुए 64 वर्ष बीत चुके हैं। अंग्रेज तो भारत छोड़ कर चल दिये, पर अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत यहीं छोड़ गये। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी अभी तक हम गुलाम हैं। अंग्रेज़ी तो बहुत गहराई तक घुस गयी है और इसके पक्ष में कितनी ही दलीलें दी जाती हैं। अंग्रेज़ियत हमसे अभी भी गुलामी कराये यह कहाँ का न्याय है?

## अंग्रेज़ियत या Englishness के कुछ उदाहरण देखिये

हाल में भारतवर्ष के कानपुर शहर में जब शादी के सिलसिले में लड़की का परिवार लड़के के परिवार से मिला तब लड़के की माँ ने लड़की से पूछ ही लिया, “Convent educated हो?” यह नोट करने की बात है कि़ लड़के का परिवार स्वयं convent educated नहीं है। पर उन्हें convent educated बहू चाहिए।

लन्दन में हमारे घर के पास एक सिन्धी भाषी भारतीय परिवार रहता है। एक दिन बोले ”मेरे बेटे का नाम जानी है, अपनी बेटी को भी एक अच्छा सा अंग्रेज़ी नाम देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़ी होकर उसे कोई हीन भावना आ जाए। भाई बहन बड़े हो गये हैं। उन्हें जानी और पामेला के नाम से जाना जाता है। क्या उनका व्यक्तित्व कभी निखर पायेगा?

## अंग्रेजी के महत्त्व पर जोर–कितना सच, कितना झूठ

अंग्रेज़ी के पक्ष में जो लोग हैं वे यह कहते सुनाई पड़ते हैं कि अंग्रेज़ी भारत और विदेश में नौकरी पाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रिय भाषा है। उच्च शिक्षा की पुस्तकें अंग्रेज़ी में ही हैं। क्या IAS, IIT, प्री मेडिकल टेस्ट आदि का कल्याण केवल अंग्रेज़ी के माध्यम से ही हो सकता है। इन दलीलों में बहुत कुछ सच्चाई है पर काफ़ी कुछ भ्रम भी है। क्या विदेश में नौकरी पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी भाषा को हेय दृष्टि से देखें ? फ्रांस रूस, जर्मनी, स्पेन आदि कितने ही देश हैं, जहां आपस में लोग अपनी ज़ुबान में ही बात करते हैं। अपनी भाषा को वे कितने सम्मान से देखते हैं। चीन और जापान में वही स्थिति है। हाँ यह सत्य है कि यदि इन देशों को दूसरे देशों से व्यापार करना हो तो वे अंग्रेज़ी का ही सहारा लेते हैं। पर अपनी भाषा का गला घोंट कर नहीं। जहाँ तक IAS, IIT, प्री मेडिकल टेस्ट आदि का प्रश्न है, इन प्रतियोगिताओं में भी थोड़ी सी अंग्रेज़ी जो अच्छे ढंग से पढ़ायी गयी है, पर्याप्त होगी। बहुत अधिक अंग्रेज़ी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण देखिये,

1954 में गुरुकुल पद्धति से बना राँची (झारखण्ड) के पास एक स्कूल खुला नेतरहाट पब्लिक स्कूल के नाम से। वहाँ हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती है। बहुत कम अंग्रेज़ी का सहारा लिया जाता है। वहां के विद्यार्थी सर्वाधिक शिखरस्थ (toppers) रहे हैं। उन्होंने विज्ञान, प्रशासन और तकनीकी आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक नाम कमाया है। यह उस सोच पर तमाचा है जो अंग्रेज़ी को ही दिव्य भाषा मानते हैं।

अपने देश में ही हिंदी की जब यह उपेक्षा है तो विश्व में कैसे सम्मानित हो सकती है। सयुंक्त राष्ट्र संघ में छह आधिकारिक भाषाएँ निर्धारित की गई हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पॅनिश। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व में अरबी बोलने वाले केवल 23 करोड़ लोग हैं। जब कि भारत में हिंदी बोलने वाले 90 करोड़ हैं।

## प्रश्नावली

मैंने एक questionnaire तैयार किया भारतवर्ष के स्कूलों के लिए। अपने मित्रों और रिश्तेदारों की सहायता से अनेक प्रान्तों के भिन्न भिन्न स्कूलों से उत्तर मिले। विद्यार्थी जिन्होनें उत्तर भेजे उनकी उम्र 6 से 15 है। प्रशनोत्तरों की एक झलक देखिये।

Q) Were your parents interviewed for your admission?

75 प्रतिशत विद्यार्थियों ने लिखा, हाँ, उनके माता–पिताओं का भी इंटरव्यू हुआ था। मैंने एक लड़की के पिता जो अपनी 15 वर्ष की लड़की के प्रवेश के सिलसिले में किसी स्कूल में गये थे, से पूछताछ की। बड़े गर्व से उन्होंने बताया, हाँ यह तो बहुत आवश्यक है। स्कूल वालों को कैसे पता लगेगा कि लड़की के माँ, बाप कैसी अंग्रेज़ी बोलते हैं।

Q) Medium of instruction?

सभी प्राइवेट स्कूलों में शत प्रतिशत अंग्रेज़ी। कई स्कूलों में हिंदी की पढाई भी अंग्रेज़ी में।

यहाँ गाँधी जी के कुछ निज अनुभवों को उद्धृत करना सटीक जान पड़ता है।

1916 में महात्मा गाँधी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय जहाँ कि लॉर्ड हार्डिंज भी बैठे हुए थे कहा, प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी जिसने अपनी पढ़ाई अंग्रेज़ी माध्यम से की है,उसने अपने कम से कम 6 वर्ष नष्ट कर दिये हैं। गांधी जी ने आगे कहा, जब वह हाई स्कूल के चौथे वर्ष में थे अंग्रेज़ी का आतंक बहुत अधिक फैल गया था। सभी विषयों जैसे गणित, रेखागणित, रसायनशास्त्र, बीजगणित, इतिहास आदि की पढ़ाई अंग्रेज़ी भाषा से ही होती थी, न कि अपनी भाषा गुजराती में। यदि किसी लड़के ने गुजराती बोलने की कोशिश की तो उसे सजा मिलती थी। उन्होंने आगे कहा कि यह कहाँ का न्याय है कि केवल 5 प्रतिशत अंग्रेज़ी बोलने वाले 95 प्रतिशत भारतीयों पर राज्य करें।

Q) Use of Hindi in conversation at school - freely allowed, restricted or not allowed at all?

अधिकतर विद्यार्थियों ने लिखा कि सभी क्षेत्रों में पाबन्दी है। लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थियों ने हिंदीवर्जित क्षेत्रों के नाम गिनाये हैं। जैसे खेल के मैदान,बरामदा, भोजन कक्ष इत्यादि। हिंदीकक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं में हिंदी बोलना सख़्त मना है। बच्चों के माँ, बाप भी यदि किसी काम से विद्यालय आये हैं तो उन्हें भी स्वभाषा नहीं, अंग्रेज़ी ही बोलनी होगी, अपने बच्चों से भी। एक स्कूल की अध्यापिका ने जो लिखा जरा ग़ौर कीजिये,

“The teachers are supposed to pretend that they don’t know Hindi at all while any interaction with the parents and if they have to speak in Hindi then they have to show that they are facing a lot of difficulty in speaking Hindi (order by higher authorities).”

“We have been told to use heavy terms during anchoring that are not understandable to the parents.”

मुझे बताया गया कि जब कभी स्कूल में कोई उत्सव होता है, तो जानबूझकर कठिन से कठिन अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता है, यह जताने के लिए कि हमारा स्कूल कितना श्रेष्ठ है। उसी स्कूल के किसी उत्सव में जब किसी हिंदी अध्यापक ने आये हुए मेहमानों के स्वागत में ”शुभ प्रभात” कहा, तो वहाँ के अधिकारियों ने उसे खरी–खोटी सुनाई। विद्यार्थी को चाहे चोट लगे या किसी हादसे से बहुत दुखी हो, दुःख–सुख, शिकायत सभी कुछ अंग्रेज़ी में ही व्यक्त करना होगा, अपनी मातृभाषा हिंदी में नहीं। कितनी वेदनापूर्ण बात है यह। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से कितनी पीड़ा सहनी पड़ती होगी।

Q) Are there any sanctions/ punishments for breaking the above rule? What are they?

स्कूलों में दंड इस प्रकार से दिये जाते हैं:

अर्थ–दंड( जुर्माना), दंड–चार्ट में नाम, ऑफिस के बाहर या कक्षा से बाहर खड़े रहो, सप्ताह भर के लिए स्पोर्ट पर पाबंदी, माँ– बाप के पास शिकायती पत्र, अपने मित्रों या दूसरे विद्यार्थियों से बोलने पर प्रतिबंध आदि। मैंने हिसाब लगाया कि 98 प्रतिशत (अट्ठानबे प्रतिशत) स्कूलों में ऐसी पाबन्दी है।

Q) How will the teacher find out if you have broken the above rule?

(विद्यार्थियों के ही शब्दों में) – cameras, people constantly monitoring, spot checks, class monitors for this purpose etc.

Q) Have the reasons behind such restrictions ever been explained to you?

कई प्रकार के उत्तर मिले। स्पष्ट रूप से कभी नहीं बताया गया,

"English is a global language," "English gives confidence, for English improvement etc."

## प्रवास में हिंदी की स्थिति

सत्तर और अस्सी के दशक में इस देश में भारत से आने वाले लोगो में व्यावसायिक व पढ़े लिखे लोगों की ही अधिकांशता रही है। उनकी सोच भी कुछ दासत्वधन्य भारत जैसी ही थी। यह नारा बहुत दिनों तक चलता रहा और बहुत कुछ अभी भी है, अंग्रेज़ी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, हिंदी तो अपनी भाषा है, बिना प्रयास के भी आ ही जायेगी। यह मानसिकता माँ बाप के मस्तिष्क से जाती ही नहीं, चाहे इस क्षेत्र में कितना ही शोध कार्य न हो जाये।

अंग्रेज़ी हिंदी दोनों साथ–साथ पढ़ने से बच्चा भ्रमित हो जायेगा यह पूर्णतया काल्पनिक है। द्विभाषी बच्चा प्रारंम्भ से ही प्रयोग में दोनों भाषाओँ को आसानी से अलग कर लेता है। जिस प्रकार बच्चा स्वाभाविक रूप से चलना सीख जाता है उसी प्रकार से बच्चा बिना किसी जोर या प्रयास के दोनों भाषाओं का ज्ञान हासिल कर लेता है। बच्चों को तुरंत इस बात का आभास हो जायेगा कि परिवार और समाज किस भाषा को किस प्रकार आँकता है, मूल्यांकन करता है, किस भावना और सम्मान से देखता है। (Antonella Sorace- from 'Bilingualism Matters').

स्कूल के अध्यापक भी जर्मन, फ्रेंच, और स्पॅनिश को आधुनिक भाषाओं की श्रेणी में रखते है। विद्यालय में तो जर्मन फ्रेंच के लिए प्रशिक्षित अध्यापक आधुनिक ढंग से जर्मन, फ्रेंच पढ़ाते थे और घर में माँ क, से कबूतर, ख, से खरगोश उबाऊ ढंग से पढ़ाया करती थी।

शिक्षा नीति निर्धारकों की ओर से हिंदी के प्रति इस सौतेलेपन ने बच्चे के मस्तिष्क में यह बैठा दिया कि हिंदी एक सेकेंड क्लास भाषा है। जिस भाषा के प्रति आदर की भावना न भरी गयी हो, विद्यार्थी उसे कैसे सीख पायेगा। यदि दैवयोग से किसी स्कूल में कोई हिंदी बोलने वाला अध्यापक मिल भी गया तो वह अपने हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी से केवल अंग्रेज़ी में ही बात करना पसंद करेगा। इसके विपरीत टूटी–फूटी फ्रेंच बोलने वाला अध्यापक भीए एक फ्रेंच बोलने वाले बच्चे से फ्रेंच में बड़ी शान से बात करेगा।

### एक और दृष्टिकोण

बच्चे के द्वारा अपने साथ लायी गयी उसकी मातृभाषा एक मूल्यवान धरोहर है और देश की सम्पदा में वृद्धि। उसकी मातृभाषा की रक्षा की जाए, न कि उसे लुप्त होने दिया जाए। उसे सुरक्षित रखना तो बच्चे का अधिकार है और शिक्षाधिकारियों का कर्त्तव्य। नहीं तो बच्चे के मानवीय अधिकारों का यह हनन होगा (Skutnabb-Kangas, 2000) ।

शोध द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व निखारनेए उसके भाषा विज्ञान और शैक्षिक विकास के लिए उसकी मातृभाषा को मान्यता देनी ही पड़ेगी। जिन बच्चों की मातृभाषा की नींव मजबूत होती है, जो बच्चे अपनी दादी, दादा, नानी, नाना से प्यार से कहानियाँ सुनते हैं। उन्हें अभिव्यक्ति के लिए तरह तरह के मुहावरों और शब्दावली की समृद्धि के साथ साथ दूसरी भाषाओं की भी पकड़, उसका व्याकरणबोध सरल और रुचिकर हो जाता है।

## यू के में हिंदी अध्यापन की स्थिति

यहाँ अध्यापन की स्थिति तो दयनीय ही है। स्कूल के अधिकारियों की ओर से अंगूठा दिखाया जा चुका है। हिंदी की कक्षाओं का स्थान शाम को या सप्ताहान्त में कम्यूनिटी सेंटर या मन्दिरों में ही हो गया है। अध्यापक चाहे अपने साथ जो कुछ भी पढ़ाई से सम्बद्ध सामग्री ले आयें पर घूम फिर कर काले या सफ़ेद बोर्ड पर, क, से कबूतर और रंगों के नाम, वाली ही पढ़ाई की जाती है। यदि हिंदी पढ़ाई के लिए software है भी, तो कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। संदर्भ में ही, विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से बिना किसी विशेष प्रयास के बहुत कुछ सीख लेगा। अच्छा हो, अध्यापक जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ छोटे मोटे हिंदी नाटक, शॉपिंग, साधारण वैज्ञानिक प्रयोग, सैर–सपाटे आदि शामिल कर दें। बहुत रोक–टोक, एक के बाद एक ग़लतियाँ निकालने से बच्चा हताश हो सकता है।

## अंत में

हिन्दी का प्रयोग कम और अनावश्यक अंग्रेज़ी का प्रयोग अधिक, यह सोच सभी दृष्टिकोण से हानिकारक है। जो गुलामी की मानसिकता लाती है वह स्वामिनी कैसे बन सकती है,

शायद आपमे से कई डावफादर कामिल बुल्के के नाम से परिचित होंगे। वे बेल्जियम से भारत आकार म्रत्युपर्यंत हिन्दी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। 1950 में राँचीकैज Xavier College मे वे हिन्दी, संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने। उनके ये शब्द मेरे मस्तिष्क मे हमेशा गूंजते है।

संस्कृत महारानी, हिन्दी बहूरानी और अंग्रेजी नौकरानी है।

अंग्रेजी हिन्दी की चेरी बन सकती है, स्वामिनी नहीं।

बच्चों को ग़लत सूचना देना, उन्हें भ्रमित करना अपराध है। अभियान चलाना होगा। इसके विरोध में कानून बनाना होगा। कानून का उल्लंघन करने वालों को उचित दण्ड मिलना चाहिए। Cummins ने सच कहा है, “To reject a child’s language in the school is to reject the child.”

बचपन से घर के वातावरण में सीखे गये सांस्कृतिक और भाषा–विज्ञान के अनुभव, बच्चों के भावी ज्ञान की जबरदस्त नींव है। इस नींव पर हमें इमारत बनानी है न कि इसे ध्वस्त करना है।

संस्कृत से विकसित सभी भारतीय भाषाएँ, विशेष कर हिन्दी मेरी अपनी माँ के समान है। अपनी माँ गुणहीना, दरिद्र, कुरूप होती तो भी प्राणप्रिया होती। लेकिन यह तो लालित्य और साहित्य समृद्धि की महिमा से मंडित अद्वितीया है। प्यारी तो है ही विश्व में गौरव भी देने की क्षमता रखती है। हिन्दी के गरिमामय विद्वानों की कमी नहीं। पर उससे काम नहीं बनेगा।

बड़ा भया तो क्या भया जैसे ताड़ खजूर ।
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर ।।

जनसामान्य को यदि हम हिन्दी का गौरव अनुभव करा सकें तो हमारा जीवन सार्थक। ऋग्वेद का यह मंत्र संदेश भी ध्यान देने योग्य है, भआ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः” (Let noble thoughts come to us from every side).

भारतेन्दु जी ने कितनी सुन्दर बात कही थी,

विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार ।
सब देसन से लै करहु, भाषा माहि प्रचार ।।

# or|eku ifji{; e jktHkk"kk fgUnh vu|i;kx % Lo#i vkj fn'kk

रेखा रानी कपूर एवं फूलदीप कुमार
*जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली*
*रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली*

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।''

भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी की उपर्युक्त पंक्तियाँ राष्ट्रभाषा हिन्दी के गौरव को प्रतिष्ठापित करती है। भारतवर्ष करीब 200 वर्षों तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहा जिससे देश के आर्थिक विकास को आघात पहुँचा तथा साथ ही हमारे देश की संस्कृति तथा भाषा पर भी ब्रिटिश आधिपत्य का दुष्परिणाम हुआ। स्वतंत्रता पूर्व समाज सुधारकों व राष्ट्र नेताओं ने नवजागरण की गूँज के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्व का प्रचार–प्रसार किया। भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी के शब्दों में –

'अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होते प्रवीन
बिन निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन को हीन।'

स्वतंत्रतापूर्व उल्लिखित उपर्युक्त पंक्तियाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत प्रासंगिक व सार्थक हैं। आज स्वतंत्रता के 66 वर्षों के पश्चात् भी हमारा देश विदेशी भाषा अंग्रेजी की दासता का शिकार है। ऐसी परिस्थिति में विचारणीय है कि वे कौन से कारक या तत्व हैं जिनसे हिन्दी अनुप्रयोग में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं ? वर्तमान संदर्भ में हिन्दी अनुप्रयोग के कौन से अवसर विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्य, चिकित्सा विज्ञान, विधि, शिक्षा, दूरसंचार इत्यादि में उपलब्ध हैं? किस तरह हिन्दी अनुप्रयोग को हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित कर सकते हैं ? प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिन्दी अनुप्रयोग की दशा और दिशा का विश्लेषण करना है।

भारत एक विशाल देश है जिसमें 28 राज्य हैं तथा 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं जिसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान–प्रदान सरलता से किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों में संपर्क एवं भावनात्मक एकीकरण के लिए जिस भाषा की आवश्यकता को अनुभव किया जाता है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्राप्त होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के गौरव और उसकी एकता का प्रतीक होती है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार – 'जब तक आप के पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र नहीं।' हमारे देष में राष्ट्रभाषा का गौरव हिन्दी को प्राप्त है जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। हिन्दी के संबंध में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है – 'हिन्दी भारतवर्ष के हृदय देश में स्थित करोड़ों नर–नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है।' हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को संविधान में भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान करते हुए केन्द्र की राजभाषा के रूप में हिन्दी को अंगीकार किया। इसकी लिपि देवनागरी है जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक, सर्वगुण सम्पन्न व विकसित लिपि है। महात्मा गाँधी जी के अनुसार – ''हिन्दुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली अगर कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही है।''

देवनागरी लिपि दिलों को जोड़ने का और ज्ञानवर्द्धन का काम कर सकती है'। श्री मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में –

'है एक लिपि विस्तार होगा योग्य हिन्दुस्तान में।
अब आ गई है यह सभी विद्वजनों के ध्यान में।
है किन्तु इसके योग्य उत्तम कौन लिपि गुण आगरी।
इस प्रश्न का उत्तर यथोचित है उजागर ''नागरी''।

संविधान स्वीकृत भाषाओं में केवल हिन्दी ही राष्ट्र के अधिकांश भागों में बोली जाती है, जो देश की सभ्यता व संस्कृति की परिचायक है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी के शब्दों में –

''भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिन्दी महानदी। हिन्दी देश के सबसे अधिक हिस्से में बोली जाती है। हमें इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दी के बिना हमारा काम चल नहीं सकता।''

एक राष्ट्रभाषा से जिन गुणों की अपेक्षा की जाती है, वे समस्त गुण इसमें विद्यमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शब्दों में – ''राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।'' हिन्दी भाषा में उत्कृष्ट व समृद्ध साहित्य है जो इसकी संपन्नता को प्रतिपादित करता है। हिन्दी भाषा में प्राचीन काल से पर्याप्त मात्रा में साहित्य रचना हुई है और वर्तमान काल में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन हो रहा है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, बिहारी, भूषण, रसखान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसार, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला आदि रचनाकारों के नाम उल्लेखनीय है।

कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी के शब्दों में – ''राष्ट्रभाषा हिन्दी देश की जागरूकता तथा उद्‌बोधन की प्रतीक है।'' डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने हिन्दी के गौरव का वर्णन करते हुए कहा है – ''हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुन्दर हार का सृजन करेगा।''

14 सितंबर 2013 को हिन्दी को राजभाषा बने 64 वर्ष हो चुके है। इस संदर्भ में यह प्रश्न मानस पटल पर अंकित होता है कि आज आधुनिक संदर्भ में हिन्दी का अनुप्रयोग किन–किन क्षेत्रों में किया जा रहा है ? ऐसा करने में किन कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? इनका समाधान किस प्रकार संभव है ताकि हिन्दी अनुप्रयोग का उन्नयन एवं प्रचार–प्रसार किया जा सके?

## jktHkk"kk fgUnh dh mUufr d ekx e leL;k,

राजभाषा हिन्दी की उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। सर्वप्रथम बाधा है – वर्तमान परिस्थितियों में हमारी वैचारिक दासता जो विदेशी भाषा अंग्रेजी को सर्वगुणसंपन्न समझती है व उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सर्वमान्य स्वीकार करती है। संकीर्ण मनोवृति वाले लोगों का विचार है कि मात्र अंग्रेजी ही उन्हें आधुनिक बना सकती है व वे ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास मात्र अंगेजी के अध्ययन द्वारा ही कर सकते हैं। दूसरी बाधा है – प्रादेशिक भाषाओं की अस्मिता। यह विचारधारा भी संकीर्ण है जो राजभाषा हिन्दी को प्रादेशिक भाषाओं के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में समझते हैं और राजभाषा हिन्दी के संवृद्ध होने से उन्हें प्रादेशिक भाषाओं की अस्मिता पर एक प्रश्नचिह्न बनता दृष्टिगोचर प्रतीत होता है। तीसरा कारण है – दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। वर्तमान समय में अभिभावक अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने को अपना सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य समझते हैं। चौथा कारण है – राजनीतिज्ञों की स्वार्थ लिप्सा जिसके परिणामस्वरुप संपूर्ण राष्ट्र में हिन्दी के व्यापक प्रचार–प्रसार की उपेक्षा की जाती है।

## jktHkk"kk fgUnh vuqiz;ksx % dfBukb;ka ,oa lek/kku

इक्कीसवीं सदी में राजभाषा हिन्दी के अनुप्रयोग पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि बैंकिंग, विधि, कम्प्यूटर, टंकण, उद्योग, चिकित्सा विज्ञान, पत्रकारिता, पर्यावरण, रेल, सेना, आकाशवाणी, विमानन, तकनीकी एवं कार्यालयी क्षेत्रों में हिन्द का विकास स्वतंत्र रूप से हो रहा है।

**cSafdax :** किसी भी देश का आर्थिक विकास बैंकों के माध्यम से संभव है। राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों में अंग्रेजी में कार्य की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् एवं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब बैंकों का विस्तार गांवों, कस्बों तथा अन्य क्षेत्रीय स्थानों तक हुआ, तब हिन्दी अनुप्रयोग की महत्ता का अनुभव किया गया। बैंकिंग में हिन्दी अनुप्रयोग के अंतर्गत निम्नलिखित समस्याएं देखने को मिलती हैं :

- बैंकों में अंग्रेजी भाषा मुख्य भूमिका निभा रही है और हिन्दी गौण है जिसका कारण यह है बैंकों की नींव अंग्रेजी प्रणाली की है।
- बैंकों के अधिकारी व कर्मचारीगण अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं व संकीर्ण मानसिकता व वैचारिक दासता का शिकार होकर हिन्दी के अनुप्रयोग में हीनता अनुभव करते है।
- बैंकों की कार्यपद्धति पाश्चात्य पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसमें अंग्रेजी 'प्रमुख' भूमिका निभा रही है और हिन्दी 'गौण', 'बैंकिंग' कर्मचारी भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने में गौरव अनुभव करते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति लीक से हटकर चलना नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है।
- बैंकिंग सामग्री का हिन्दी में अनुवाद कार्य धीमी गति से चल रहा है। बैंकिंग प्रक्रिया से संबद्ध साहित्य व ग्राहकों से संबद्ध साहित्य का हिन्दी अनुवाद पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
- बैंकों में कार्य कर रहे अनुवादक व अधिकारी बैंकिंग संबंधी विशयों के विशेषज्ञ नहीं होते है। अतः वे समुचित ढंग से अनुवाद कार्य करने में असक्षम सिद्ध होते हैं।
- बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मात्र कुछ अवधि का प्रषिक्षण देकर औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है।
- बैंकों में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों के शीघ्र स्थानांतरण से हिन्दी विकास के मार्ग में भी बाधा आ जाती है।
- हिन्दी भाषा के विकास हेतु आरक्षित धनराशी का दुरूपयोग किया जाता है। समुचित धनराशी भी व्यय नहीं की जाती है।
- बैंकों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदनाम, संक्षिप्तता तथा प्रयुक्तियों में एकरूपता का अभाव है।
- बैंक संबंधी शब्दावली जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु कुछ उपाय निम्नलिखित हैं –

- बैंकों में हिन्दी में कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। बैंक अधिकारियों, अनुवादकों व कर्मचारियों की पदनियुक्ति के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का समान ज्ञान हो। वे दोनों भाषाओं व विषय के विशेषज्ञ हो। हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- बैंकिंग सामग्री का हिन्दी में अनुवाद किया जाना अपेक्षित है।
- बैंकों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास हेतु समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए व उन्हें दीर्घकालिक व गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

- बैंकों की स्टेशनरी को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया जाना चाहिए।
- जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंकिंग शब्दावली का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि कठिन और अप्रचलित शब्दों का स्थान सरल व स्पष्ट शब्द लें।
- हिन्दी अनुप्रयोग के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न बैंकों ने सराहनीय कदम उठाए हैं जिनमें देना बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ओरियन्टल बैंक ऑफ इण्डिया इत्यादि प्रमुख हैं।

**vkdk'kok.kh**: आकाशवाणी में हिन्दी अनुप्रयोग समाचार प्रसारण, वार्ता, नाटक, एकांकी, भेंटवार्ता, विद्यार्थियों हेतु कार्यक्रम, शिक्षाप्रद कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, विज्ञापन एवं प्रायोजित कार्यक्रमों में किया जाता है। हिन्दी अनुप्रयोग के संर्वद्धन हेतु यह आवश्यक है कि हिन्दी में अधिकाधिक नाटक, एकांकी व शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। आकाशवाणी जनमानस में लोकप्रिय माध्यम है जिसके द्वारा हिन्दी भारत की संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो सकती है।

**m|kx**: वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक है कि उद्योगों के विकास के लिए हिन्दी भाषा अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा उद्योगों के विज्ञापनों के माध्यम से संभव है। उदाहरण हेतु, निविदा आमंत्रण व रोजगार इत्यादि की सूचना को हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी हिन्दी में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हों।

**fpfdRlk foKku**: चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में हिन्दी अनुप्रयोग की स्थिति का विश्लेषण करने पर दृष्टिगत होता है कि हिन्दी भाषा में पाठ्य–पुस्तकों एवं संदर्भ सामग्री का अत्यंत अभाव है।अधिकाधिक संस्थानों में चिकित्सा विज्ञान का माध्यम मात्र अंग्रेजी ही है। स्थिति में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि हिन्दी माध्यम की पर्याप्त पुस्तकें प्रकाशित की जाएं व साथ ही अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों का सरल हिन्दी में अनुवाद किया जाए।

**fof/k**: हिन्दी अनुप्रयोग की स्थिति का विधि के क्षेत्र में विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि उच्च न्यायालयों द्वारा वकीलों के निर्णय मुख्य रूप में अंग्रेजी में दिए जाते हैं। मुख्य रूप से, संसद में विधेयक अंग्रेजी में प्रस्तुत होते हैं। औपचारिकता के निर्वाह हेतु हिन्दी अनुवाद को प्रस्तुत कर दिया जाता है। विधि शिक्षा मूलतः अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। इस हेतु पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हिन्दी अनुप्रयोग को बढ़ावा मिले और जनमानस की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार–प्रसार हो।

**dEI;Vj**: वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात किया जाए तो ज्ञात होता है कि आज पर्याप्त मात्रा में हिन्दी सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। ज्ञान–विज्ञान के इस युग में कम्प्यूटर पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अतएव समय की मांग है कि कम्प्यूटर के क्षेत्र में हिन्दी अनुप्रयोग को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए।

## fu"d"k

यदि हिन्दी अनुप्रयोग का समग्र रूप में विश्लेषण करें तो दृष्टिगोचर होता है कि हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी प्रचार–प्रसार को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस हेतु विभिन्न कार्यालयों व संस्थानों में हिन्दी दिवस, हिन्दी पखवाड़ा व विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कला, संस्कृति व भाषा विभाग द्वारा हिन्दी टंकण व आशुलिपि, हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी आशुलेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण व आलेखन, हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता इत्यादि अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि हिन्दी दिवस के अवसर पर मात्र औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है और हिन्दी अनुप्रयोग का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किया जाता है।

यह अत्यंत विडंबना का विशय है कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के ज्ञानार्जन का माध्यम मात्र अंग्रेजी ही है। इसका कारण विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देना,

अनुदेशन व परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना, नौकरी व साक्षात्कार में अंग्रेजी को प्राथमिकता देना इत्यादि है। हिन्दी भाषा में पाठ्य–पुस्तकें, संदर्भ सामग्री व शोध पत्रिकाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त हिन्दी माध्यम में अनूदित संस्करणों का पर्याप्त अभाव है।

ज्ञान विस्फोट के इस युग में हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शब्दों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। उनका मत था, 'अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा में कम से कम सोलह वर्ष लगते हैं। यदि इन्हीं विषयों की शिक्षा अपनी भाषा के माध्यम से दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा दस वर्ष लगेंगे। विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में दिमाग पर बोझ पड़ता है। यह बोझ हमारे बच्चे उठा तो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। मां के दूध के साथ जो मीठे संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है।'

राष्ट्रभाषा हिन्दी की उपेक्षा हमारी संस्कृति की उपेक्षा है। हरिऔध जी द्वारा कही गई पंक्तियां वर्तमान संदर्भ में अत्यंत सारगर्भित व प्रासंगिक हैं–

'दो सूबों के भिन्न–भिन्न बोली वाले जन
जब करते हैं खिन्न बने मुख पर अवलोकन
जो भाषा उस समय काम उनके है आती
जो समस्त भारत–भू में है समझी जाती
उस अति सरला उपयोगिनी हिन्दी भाषा के लिए
हममें कितने हैं जिन्होंने तन मन धन अर्पण किए।'

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार –'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यकता या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।'

उपर्युक्त सांविधानिक उपबंध को कार्यरूप में परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी भाषा के अनुप्रयोग का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। हिन्दी भाषा को पल्लवित व समृद्ध बनाने हेतु ज्ञान–विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो। श्री रामप्रकाश त्रिपाठी 'प्रकाश' ने हिन्दी की उपेक्षा पर सटीक व्यंग्य किया है –

'अपने ही दूधपूत से हारी है ये हिन्दी,
कहता है कौन है नहीं दुखियारी ये हिन्दी।'

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है हिन्दी भारत की आत्मा है। आज हिन्दी विश्व मंच पर उभरकर सामने आई है किन्तु वैचारिक दासता के अधीन होकर हम विदेशी भाषा अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं। आवश्यकता है, सकारात्मक परिवर्तन की व एक नई सोच की, जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे वाणिज्य व व्यवसाय, सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग, बैंकिंग, आकाशवाणी (जनसंचार माध्यम), वित्तीय संस्थाओं, पत्रकारिता, विमानन, रेल, परिवहन, सेवा, कम्प्यूटर, इत्यादि में हिन्दी अनुप्रयोग की संभावनाओं के बहुविध आयामों पर मंथन करे व उसे अभिवृत्ति व कार्य व्यवहार में रूपातंरित करे।

# Hkkjr dh jkt Hkk"kk d : i e fgUnh

रणविजय आनन्द एवं फूलदीप कुमार
*रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली*

हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर, सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी।

## fgUnh dk jktHkk"kk d : i e Lohdkj fd; tku dk vkfpR;

हिन्दी को राजभाषा का सम्मान कृपापूर्वक नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार है। यहां अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा, जो उन्होंने एक 'राष्ट्रीय भाषा' (राष्ट्रीय भाषा से अभिप्राय राजभाषा से ही है) के लिए बताये थे–

1. अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
3. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

इन लक्षणों पर हिन्दी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है।

## fgUnh dh vko';drk

हिन्दी भाषा और इसमें निहित भारत की सांस्कृतिक धरोहर इतनी सुदृढ़ और समृद्ध है कि इस ओर अधिक प्रयत्न न किए जाने पर भी विकास की गति बहुत तेज है। ध्यान, योग आसन और आयुर्वेद विषयों के साथ–साथ इनसे संबंधित हिन्दी शब्दों का भी विश्व की दूसरी भाषाओं में विलय हो रहा है। भारतीय संगीत (चाहे वह शास्त्रीय हो या आधुनिक) हस्तकला, भोजन और वस्त्रों की विदेशी मांग जैसी आज है पहले कभी नहीं थी। लगभग हर देश में योग, ध्यान और आयुर्वेद के केन्द्र खुल गए हैं जो दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी संस्कृति जिसे पाने के लिए हिन्दी के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है।

## fgUnh vkj tulpkj

- **fgUnh d lpkj ek/;e ¼fgUnh ehfM;k½**
- **fgUnh fluek**

हिन्दी सिनेमा का उल्लेख किये बिना हिन्दी का कोई भी लेख अधूरा होगा। मुम्बई में स्थित "बॉलीवुड" हिन्दी फ़िल्म उद्योग पर भारत के करोड़ो लोगों की धड़कनें टिकी रहती हैं। हर चलचित्र में कई गाने होते हैं। हिन्दी और उर्दू (खड़ी बोली) के साथ साथ अवधी, बम्बईया हिन्दी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसी बोलियाँ भी संवाद और गानों मे उपयुक्त होती हैं ।

## vrjk"Vh; txr e fgUnh

बीसवीं शती के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिन्दी की मांग जिस तेजी से बढी है वैसी किसी और भाषा में नहीं। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैंकडों छोटे–बडे कें्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिन्दी के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से 25 से अधिक पत्र–पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। यू ए ई के़ 'हम एफ एम' सहित अनेक देश हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बी बी सी, जर्मनी के डॉयचे वेले, जापान के एन एच के वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिन्दी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

## fgUnh vkj dEI;Vj

हिन्दी कम्प्यूटरी

हिन्दी टाइपिंग

कम्प्यूटरी और हिन्दी

हिन्दी कम्प्यूटिंग का इतिहास

मोबाइल फोन में हिन्दी समर्थन

अन्तरजाल पर हिन्दी के उपकरण (सॉफ्टवेयर)

कम्प्यूटर और इन्टरनेट ने पिछ्ले वर्षों मे विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। आज कोई भी भाषा कम्प्यूटर (तथा कम्प्यूटर सदृश्य अन्य उपकरणों) से दूर रहकर लोगों से जुड़ी नही रह सकती। कम्प्यूटर के विकास के आरम्भिक काल में अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं के कम्प्यूटर पर प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया जिससे कारण सामान्य लोगों में यह गलत धारणा फैल गयी कि कम्प्यूटर अंग्रेजी के सिवा किसी दूसरी भाषा (लिपि) में काम ही नहीं कर सकता। किन्तु यूनिकोड (Unicode) के पदार्पण के बाद स्थिति बहुत तेजी से बदल गयी। इस समय हिन्दी में सजाल (websites), चिट्ठे (Blogs), विपत्र (email), गपशप (chat), खोज (web&search), सरल मोबाइल सन्देश (SMS) तथा अन्य हिन्दी सामग्री उपलब्ध हैं। इस समय अन्तर जाल पर हिन्दी में संगणन के संसाधनों की भी भरमार है और नित नये कम्प्यूटिंग उपकरण आते जा रहे हैं। लोगों मे इनके बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है ताकि अधिकाधिक लोग कम्प्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग करते हुए अपना, हिन्दी का और पूरे हिन्दी समाज का विकास करें।

## fgUnh d ifr xHkhj nfu;k

भारतीयों ने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि से आज विश्व के तमाम देशों की उन्नति में जो सहायता की है उससे प्रभावित होकर समझ गए हैं कि भारतीयों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हिन्दी सीखना कितना जरूरी है। हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 114 मिलियन डॉलर की एक विशेष राशि अमरीका में हिन्दी, चीनी और अरबी भाषाएं सीखाने के लिए स्वीकृत की है। इससे स्पष्ट होता है कि हिन्दी के महत्व को विश्व में कितनी गंभीरता से अनुभव किया जा रहा है।



Paper 647.pmd 309 11/12/2013, 4:02 PM

# lg;kx dh vko';drk

आज हिन्दी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व तोड डाला है और हिन्दी भाषी करोड़ों की आबादी कंप्यूटर का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकती हैं। आवश्यकता इस बात की है, कि हिन्दी के प्राध्यापक, साहित्यकार, संपादक एवं प्रकाशक कंप्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग करें और इसके सर्वांगीण विकास के लिए कदम बढाएं। प्रवासी भारतीयों में हजारों लोग हिन्दी के विकास में संलग्न हैं। जिसमें से तीन सौ से अधिक से आप वेब पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धैर्य के साथ इनसे संपर्क बनाते हुए बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

हिन्दी, संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा बन कर रहेगी

मारीशस हो या सूरिनाम हो, हिन्दी का वह तीर्थ धाम हो।

कोटि–कोटि के मन में मुखरित, हिन्दी का चहुओर नाम हो।।

हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। यह बहुत दुःख की बात है कि अनेक प्रयासों के बावजूद हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में अभी तक स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। विश्व के चार बहुचर्चित एवं सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत का नाम और स्थान महत्वपूर्ण होने के बाद भी उसकी एक अरब जनता की राष्ट्रभाषा हिन्दी को नज़रंदाज़ किया जा रहा है जो उचित नहीं है। हिन्दी को विश्व भाषा बनाने के लिए सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में दो बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में इसे मान्यता दिलाए, दूसरे सभी लोग सरकारी और रोज़मर्रा के जीवन में हिन्दी को अपनाएँ और अपने बच्चों और विदेशियों को हिन्दी प्रयोग में प्रोत्साहन दें।

आप चाहें तो हिन्दी का प्रचार–प्रसार और अधिक बढ़ सकता है।

आप शादी, जन्मदिनों पर हिन्दी पुस्तकों को उपहार स्वरूप भेंट करें।

अंत में मेरा यह निवेदन है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय और हिन्दी प्रेमी जब भारत पत्र भेजें तब पता हिन्दी में लिखें केवल नगर और देश का नाम हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखें। जब ये लोग भारत जाएँ तब केवल हिन्दी में ही बात करें।

**vki ;g lkpa fd fgUnh dk vkiu D;k fn;k g vkj D;k n ldr g**

लेखकों के बारे में...

**श्री सुरेश कुमार जिन्दल**, वर्तमान में रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र (डेसीडॉक), दिल्ली के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने थापर अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला, पंजाब से इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विषय में अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि प्राप्त की। आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), खड़गपुर से दूरसंचार विषय में प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। आपको ऑपरेशन रिसर्च में प्रबंधन स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त है। आप सामरिक संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता रखते हैं। आपने राष्ट्र हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास में विशेषतः संचार नेटवर्कों के अभिकल्पन तथा स्थापन में विशिष्ट योगदान दिया है। आपने राष्ट्र में प्रथम बार सुवाह्य संचार की नींव रखी। आपने नारद परियोजना के अंतर्गत रक्षा सेवाओं हेतु उपग्रह संचार तथा नेटवर्किंग के अभिकल्पन, विकास तथा स्थापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस संचार प्रणाली का उपयोग श्रीलंका में भारतीय शांति सेना तथा भारतीय सेना के मध्य संचार हेतु किया गया। यह उस समय भारतीय सैन्य मुख्यालय तथा भारतीय शांति सेना के मध्य एकमात्र संचार की व्यवस्था थी। आपने कॉम्बैट नैट रेडियो (सी एन आर) के परियोजना निदेशक के रूप में भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यह प्रौद्योगिक हस्तांतरित की।

आपने राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न कार्यक्रमों, जिनमें एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम भी शामिल है, के लिए सामरिक संचार आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दिया। सामरिक संचार के परियोजना निदेशक के रूप में आपने 24X7X365 रूप में कार्य करने के लिए निर्मित विभिन्न संचार नेटवर्कों तथा प्रणालियों का अभिकल्पन, विकास तथा स्थापन राष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर किया।

आपने 14 सम्पादित पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं, इनमें 2007 में प्रधानमंत्री द्वारा सामरिक योगदान हेतु विशेष सम्मान, 2012 में संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा वेब रत्न सम्मान, तथा 2013 में राष्ट्र भाषा स्वाभिमान न्यास द्वारा राजभाषा रत्न सम्मान शामिल हैं। आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में सबसे बड़ा हिन्दी विज्ञान सम्मेलन आयोजित करने के लिए विश्व रिकार्ड की श्रेणी में दर्ज है। आपको वर्ष 2014 में लोकप्रिय विज्ञान संचार पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपकी तीन पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

**श्री फूलदीप कुमार**, वर्तमान में रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र (डेसीडॉक), दिल्ली में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा से 2002 में इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विषय में अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि प्राप्त की। आपने 2005 में गुरू जम्भेशवर विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। आप वर्ष 2005 से डी आर डी ओ में कार्यरत हैं। विज्ञान संचार, प्रलेखन तथा डिजिटल प्रकाशन आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। आप डी आर डी ओ समाचार (मासिक) तथा प्रौद्योगिकी विशेष (त्रैमासिक) प्रकाशनों के सम्पादक हैं। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लगभग 60 शोध पत्र/आलेख प्रस्तुत किए हैं। आपने 18 सम्पादित पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आप चार राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन में सम्मिलत रहे हैं। आपको 2009 में शिक्षक विकास परिषद, गोवा द्वारा विज्ञान संचारक सम्मान, वर्ष 2011 एवं 2013 में प्रौद्योगिकी समूह पुरस्कार, वर्ष 2012 में वर्ष का वैज्ञानिक पुरस्कार, वर्ष 2013 में ईशीर, जोधपुर द्वारा विज्ञान श्री सम्मान, तथा वर्ष 2014 में लोकप्रिय विज्ञान संचार पुरस्कार प्रदान किया गया। आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में सबसे बड़ा हिन्दी विज्ञान सम्मेलन आयोजित करने के लिए विश्व रिकार्ड की श्रेणी में दर्ज है। आपकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।